रजिस्ट्री सं० डी०—(डी० एन०)—73

REGISTERED NO. D—(DN)—73

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 27] नई दिल्ली, शनिवार, जुलाई 7, 1984 (आषाढ़ 16, 1906)

No. 27] NEW DELHI, SATURDAY, JULY 7, 1984 (ASADHA 16, 1906)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 1

[PART III—SECTION 1]

न्यायालयों, नियन्त्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार के संलग्न और अधीन कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं

[Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, the Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India]

संघ लोक सेवा आयोग

नई दिल्ली–110011, दिनांक 25 मई 1984

सं० ए०–12034/2/83–प्रशासन–II—इस कार्यालय की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 23 जनवरी 1984 के अनुक्रम में अध्यक्ष, संघ लोक सेवा आयोग एतदद्वारा संघ लोक सेवा आयोग के कार्यालय में कनिष्ठ अनुसंधान अधिकारी (भाषा) श्री वी० आर० मणि को 13–4–1984 से 12–10–1984 तक अथवा आगामी आदेशों तक, जो भी पहले हो, वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी के पद पर तदर्थ आधार पर नियुक्त करते हैं।

वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी के पद पर श्री वी० आर० मणि की नियुक्ति पूर्णतः तदर्थ आधार पर है और उन्हें वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी के पद पर नियमित नियुक्त अथवा वरिष्ठता का कोई हक नहीं मिलेगा।

दिनांक 30 मई 1984

सं० ए०–32014/1/84–प्रशासन–1—संघ लोक सेवा आयोग के संवर्ग के निम्नलिखित वरिष्ठ वैयक्तिक सहायकों (के० स० स्टें० से० के ग्रेड 'ख') को राष्ट्रपति द्वारा उनके नामों के सामने निर्दिष्ट अवधि के लिए अथवा आगामी आदेशों तक जो भी पहले हो उसी संवर्ग में तदर्थ आधार पर निजी सचिव (के० स० स्टें० से० के ग्रेड 'क') के पद पर सहर्ष नियुक्त किया जाता है :—

क्रम सं०	नाम	अवधि
	सर्वश्री	
1.	आई० एन० शर्मा	10–4–84 से 9–7–84 तक
2.	तरसेम सिंह	17–4–84 से 15–7–84 तक

2. उपर्युक्त व्यक्ति यह नोट कर लें कि निजी सचिव (के० स० स्टें० से० का ग्रेड 'क') के पद पर उनकी नियुक्ति तदर्थ आधार पर है और इससे उन्हें के० स० स्टें० से० के ग्रेड 'क' में विलयन का अथवा उक्त ग्रेड में वरिष्ठता का कोई हक नहीं मिलेगा तथा उनकी नियुक्ति कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के अनुमोदन के अध्याधीन की गई है।

सं० ए-32014/2/84-प्रशा-I—संघ लोक सेवा आयोग में के० स० स्टे० से० संवर्ग के निम्नलिखित वैयक्तिक सहायकों को राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक के सामने निर्दिष्ट अवधि के लिये अथवा आगामी आदेशों, तक, जो भी पहले हो, उसी संवर्ग में वरिष्ठ वैयक्तिक सहायक (के० स० स्टे० से० का ग्रेड 'ख') के पद पर तदर्थ आधार पर सहर्ष नियुक्त किया जाता है :—

क्रम सं०	नाम	अवधि	अभ्युक्ति
	सर्वश्री :		
1.	एच० ओ० मदान . .	14-5-84 से 11-8-84 तक	नियमित रिक्ति के स्थान पर
2.	वी० पी० महाजन . .	23-5-84 से 20-8-84 तक	—वही—
3.	आर० पी० डंग . .	17-4-84 से 9-7-84 तक	श्री तरसेम सिंह के तदर्थ आधार पर निजी सचिव बन जाने से उनके स्थान पर
4.	श्रीमती सरोज के० कपूर . .	24-4-84 से 15-7-84 तक	श्री आई० एन० शर्मा के तदर्थ आधार पर पर निजी सचिव बन जाने पर उनके स्थान पर

2. उपर्युक्त व्यक्ति यह नोट करलें कि वरिष्ठ वैयक्तिक, सहायक (के० स० स्टे० से० के ग्रेड 'ख') के पद पर उनकी नियुक्ति तदर्थ आधार पर है और इससे उन्हें के० स० स्टे० से० के ग्रेड 'ख' में विलयन अथवा उक्त ग्रेड में वरिष्ठता का कोई हक नहीं मिलेगा ।

3. उनकी नियुक्ति कार्मिक एवं प्रशासनिक विभाग के अनुमोदन के अध्यधीन की गई है ।

दिनांक 31 मई 1984

सं० ए०-19013/3/78-प्रशासन-I—भारतीय डाक सेवा के अधिकारी श्री बी० एन० सोम को संयुक्त सचिव, संघ लोक सेवा आयोग के रूप में उनकी प्रतिनियुक्ति की अवधि समाप्त हो जाने के परिणामस्वरूप 31 मई, 1984 अपराह्न को संघ लोक सेवा आयोग के कार्यालय से कार्यभार मुक्त किया जाता है । श्री बी० एन० सोम अपने मूल विभाग, डाक एवं तार निदेशालय, डाक तार भवन, नई दिल्ली में कार्यभार ग्रहण करने के लिए सामान्य कार्यारंभ काल का उपयोग करके कार्यभार ग्रहण करेंगे ।

सं० ए०-32013/1/84/प्रशासन-II—संघ लोक सेवा आयोग के कार्यालय में केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग के अवर सचिव श्री आर० एन० खुराना को अध्यक्ष, संघ लोक सेवा आयोग एतद्द्वारा 1-6-1984 से आगामी 6 मास की अवधि तक, अथवा आगामी आदेशों तक, जो भी पहले हो संघ लोक सेवा आयोग के कार्यालय में तदर्थ आधार पर विशेष कार्य अधिकारी (ग्रुप 'क' रु० 1500-60-1800) के संवर्ग बाह्य पद पर नियुक्त करते हैं ।

श्री आर० एन० खुराना की विशेष कार्य अधिकारी के रूप में नियुक्ति पूर्णत: तदर्थ आधार पर है और उन्हें उक्त पद पर विलयन व वरिष्ठता का कोई हक नहीं मिलेगा ।

एम० पी० जैन,
अवर सचिव (प्रशासन),
संघ लोक सेवा आयोग

केन्द्रीय सतर्कता आयोग

नई दिल्ली, दिनांक 19 जून 1984

सं० 2/14/83-प्रशासन—केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त एतद्द्वारा केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कार्यालय इंजीनियर (सिविल) श्री एस० सुब्रमणियन को केन्द्रीय सतर्कता आयोग में स्थानापन्न रूप से तकनीकी परीक्षक के पद पर रु० 1100-50-1600 के वेतनमान तथा रु० 200/- प्रति माह विशेष वेतन पर दिनांक 1-6-1984 पूर्वाह्न से अगले आदेश तक नियुक्त करते हैं ।

कृष्ण लाल मलहोत्रा,
अवर सचिव,
कृते केन्द्रीय सतर्कता आयोग

गृह मंत्रालय

का० एवं प्र० सु० विभाग

केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो

नई दिल्ली, दिनांक 12 जून 1984

सं० ए०-19014/3/84/प्रशासन-5—राष्ट्रपति अपने प्रसाद से श्री यशवन्त मल्होत्रा, भा० पु० से० (बिहार-1975) को, दिनांक 5 जून, 1984 के पूर्वाह्न से अगले आदेश तक के लिए, प्रतिनियुक्ति पर, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो विशेष

पुलिस स्थापना में, पुलिस अधीक्षक के रूप में नियुक्त करते हैं।

दिनांक 15 जून 1984

सं० ए०—20023/7/79—प्रशासन—5—निदेशक, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो एवं पुलिस महानिरीक्षक, विशेष पुलिस स्थापना एतद्द्वारा, महाराष्ट्र सरकार के अधिकारी, श्री डी० एन० देशांकर को, दिनांक 4 फरवरी, 1984 से केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो में, मूल रूप से, लोक अभियोजक नियुक्त करते हैं।

सं० ए०—20023/9/80 प्रशासन—5—प्रत्यावर्तन हो जाने पर, श्री आर० पोन्नुस्वामी, लोक अभियोजक, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, की सेवाएं, दिनांक 14—5—1984 के अपराह्न से, तमिलनाडु सरकार को सौंप दी गई है।

आर० एस० नागपाल,
प्रशासनिक अधिकारी (स्था०),
केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो

पुलिस अनुसन्धान एवं विकास ब्यूरो

नई दिल्ली—110001, दिनांक 11 मई 1984

सं० 3/23/84—प्रशासन-I—राष्ट्रपति महोदय श्री वीरेन्द्र सिनहा आई० पी० एस० (राजस्थान-1970) को पुलिस अनुसन्धान एवं विकास ब्यूरो में 25 मई, 1984 के पूर्वाह्न से अगले आदेश तक सहायक निदेशक के पद पर सहर्ष नियुक्त करते हैं।

एम० के० मलिक,
महानिदेशक

महानिदेशालय

केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल

नई दिल्ली—110003, दिनांक 24 मई 1984

सं० ई०—32015/(4)/73/84—कार्मिक—राष्ट्रपति, श्री एस० के० दत्ता को प्रोन्नति पर, 1 मई, 1984 के पूर्वाह्न से अस्थाई तौर पर, पूर्णतया तदर्थ आधार पर 6 माह की अवधि के लिए या नियमित नियुक्ति होने तक, जो भी पहले हो, के० औ० सु० ब० मुख्यालय, नई दिल्ली में सहायक कमांडेंट के रूप में नियुक्त करते हैं।

दिनांक 5 जून 1984

सं० ई०—32015(4)/52/84—कार्मिक—राष्ट्रपति, श्री मदन गोपाल दास को, प्रोन्नति पर, 23 मई, 1984 के पूर्वाह्न से अस्थाई तौर पर पूर्णतया तदर्थ आधार पर केवल छः मास की अवधि के लिए नियमित नियुक्तियां होने तक, जो भी पहले हो, के० औ० सु० ब० यूनिट, ई० सी० एल० में सहायक कमांडेंट के रूप में नियुक्त करते हैं।

सं० ई०-32015 (4)/58/84-कार्मिक—राष्ट्रपति, श्री आर० सी० भौमिक को, प्रोन्नति पर, 23 मई, 1984 के अपराह्न से अस्थाई तौर पर पूर्णतया तदर्थ आधार पर केवल छः मास की अवधि के लिए या नियमित नियुक्तियां होने तक, जो भी पहले हो, के० औ० सु० ब० यूनिट एच० ई० सी०, रांची में सहायक कमांडेंट के रूप में नियुक्त करते हैं।

ह० अपठनीय
महानिदेशक,
के० औ० सु० ब०

नई दिल्ली-110011, दिनांक 12 जून 1984

सं० 11/123/79-प्रशासन-I—राष्ट्रपति, राज्य सिविल सेवा (मध्य प्रदेश) के अधिकारी और मध्य प्रदेश, भोपाल में जनगणना कार्य निदेशक के कार्यालय में प्रतिनियुक्ति पर उप-निदेशक जनगणना कार्य पद पर कार्यरत श्री बी० के० बनर्जी की तारीख 31 मई, 1984 के अपराह्न से मध्य प्रदेश सरकार को सहर्ष प्रत्यावर्तित करते है।

सं० 10/4/80-प्रशासन-I—इस कार्यालय की तारीख 27 फरवरी, 1984 की समसंख्यक अधिसूचना के अनुक्रम में राष्ट्रपति, नई दिल्ली में भारत के महारजिस्ट्रार के कार्यालय के निम्नलिखित कन्सोल आपरेटरों को उसी कार्यालय में सहायक निदेशक (प्रोग्राम) के पद पर तदर्थ नियुक्ति की अवधि को विद्यमान शर्तों पर 30-6-1984 तक या जब तक पद नियमित आधार पर भरे जाएं, जो भी पहले हो, सहर्ष बढ़ाते हैं:—

क्रम सं०	नाम	मुख्यालय
	सर्वश्री	
1.	आर० एल० पुरी	नई दिल्ली
2.	ए० पी० गुप्त	नई दिल्ली
3.	सत्य प्रकाश	नई दिल्ली

दिनांक 13 जून 1984

सं० 11/87/79-प्रशासन-I—राष्ट्रपति, भारतीय प्रशासनिक सेवा के केरल संवर्ग के अधिकारी तथा केरल त्रिवेन्द्रम में जनगणना कार्य निदेशालय में निदेशक जनगणना कार्य के पद पर कार्यरत श्री एम० विजयन उण्णि की सेवाएं तारीख 31 मई 1984 के अपराह्न से केरल सरकार को सहर्ष प्रत्यावर्तित करते है।

वी० एस० वर्मा
भारत के महा रजिस्ट्रार

भारतीय लेखा तथा लेखापरीक्षा विभाग

भारत के नियन्त्रक महालेखा परीक्षक का कार्यालय

नई दिल्ली-110002, दिनांक 14 जून 1984

सं० वा० ले० प० -1/51-80—निदेशक लेखापरीक्षा वैज्ञानिक और वाणिज्यिक विभाग बम्बई के कार्यालय के श्री डी० के० गुप्ते लेखापरीक्षा अधिकारी (वा०) (जो इस समय महाराष्ट्र वाटर सप्लाई एण्ड सीवीरेज बोर्ड बम्बई में बाह्य सेवा पर हैं) अपनी अधिवर्षिता आयु प्राप्त करने पर दिनांक 30-4-1984 (अपराह्न) से सेवा निवृत्त हो गए हैं।

के० पी० लक्ष्मण राव,
सहायक नियंत्रक महालेखापरीक्षक (वा०)

कार्यालय, निदेशक लेखा परीक्षा, केन्द्रीय राजस्व

नई दिल्ली-2, दिनांक 16 जून 1984

सं० प्रशासन-1/का० आ० सं०-105—निदेशक लेखा-परीक्षा, केन्द्रीय राजस्व, निम्नलिखित अनुभाग अधिकारियों को सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी (ग्रुप 'बी') राजपत्रित के पद पर 650-30-740-35-880-द० रो०-40-1040 रु० के वेतनमान में उनके नाम के आगे दर्शायी गई तिथि से अगले आदेशों तक नियुक्त करते हैं:—

क्रम सं०	नाम	नियुक्ति की तिथि
	सर्वश्री	
1.	सुरेन्द्र कुमार गोयल	1-3-1984
2.	श्रीमती रामामणी श्रीनिवासन	1-6-1984
3.	वेद व्यास कोमिल	1-6-1984
4.	करीमुद्दीन सिद्दीकी	2-6-1984
5.	नरेन्द्र कुमार	4-6-1984

दिनांक 20 जून 1984

सं० प्रशा०-1/का० आ० सं० 104—इस कार्यालय के एक स्थाई लेखा परीक्षा अधिकारी श्री जोगिन्दर सिंह साहनी वार्धक्य आयु प्राप्त करने के परिणामस्वरूप 30 जून, 1984 (अपराह्न) को भारत सरकार की सेवा से सेवा निवृत्त हो जाएंगे।

उनकी जन्म तिथि 17 जून, 1926 है।

सं० प्रशा०-1/का० आ० सं० 107—श्री एम० एम० एस० ओबेराय, इस कार्यालय के स्थाई लेखा परीक्षा अधिकारी 55 वर्ष से अधिक आयु प्राप्त करने के उपरांत मूल नियमावली, 56 (के) के नियमों की शर्तों के अनुसार दिनांक 13 जून, 1984 (अपराह्न) से भारत सरकार की सेवा से स्वैच्छिक सेवा निवृत्त हो जाएंगे।

2. श्री ओबेराय 20-6-1949 को सरकारी सेवा में आए थे तथा उनकी जन्म तिथि 2-12-1928 है।

व० त्रिपाठी
संयुक्त निदेशक लेखापरीक्षा (प्र०)

भारत आर्डनेंस फैक्टरियां सेवा

आर्डनेंस फैक्टरी बोर्ड

कलकत्ता-16, दिनांक 5 जून 1984

सं० 28/जी०/84—वार्धक्य निवृत्ति आयु प्राप्त कर (58 वर्ष) श्री ओ० पी० बहल, एडिशनल डी० जी० ओ० एफ०/सदस्य दिनांक 31 मई, 1984 (अपराह्न) से सेवा निवृत्त हुए।

वी० के० मेहता
निदेशक

वाणिज्य मंत्रालय

वस्त्र आयुक्त का कार्यालय

बम्बई-20, दिनांक 13 जून 1984

सं० 2(39) एस० टी० 1/3313—इस कार्यालय के श्री सी० जे० खानचन्दानी, सहायक निदेशक, श्रेणी 2 सेवा निवृत्ति की आयु पूरी करते हुए दिनांक 31 मई, 1984 के अपराह्न से सेवा निवृत्त हो गए।

वी० कु० श्रीवास्तव
उप-निदेशक (प्रशासन)

पटसन आयुक्त का कार्यालय

कलकत्ता-700069, दिनांक 21 मई 1984

सं० पटसन (ए०)/1147/58-वा०—राष्ट्रपति श्री के० के० चटर्जी, निदेशक (तकनीकी), भारतीय पटसन निर्माण निगम कलकत्ता को सं० पटसन (ए०)/147/58/वा० के अनुसार इस कार्यालय में औद्योगिक सलाहकार (पटसन उत्पादन) के रूप में अंशकालिक आधार पर नियुक्ति की अवधि बढ़ाते हुए प्रसन्नता का अनुभव कर रहे हैं। यह कार्य उनके निदेशक (तकनीकी) भा० प० नि० नि० के कार्यभार के अतिरिक्त होगा, तथा यह पहली मई, 1984 से तीन महीने अवधि तक प्रयुक्त होगी। यह वाणिज्य मंत्रालय, वस्त्र विभाग के अ० स० पत्र सं० 4-3-83 पटसन दिनांक 4 मई, 1984 को सहमति से स्वावित हुआ है।

एस० पी० मल्लिक,
पटसन आयुक्त

उद्योग मंत्रालय

आर्थिक सलाहकार का कार्यालय

नई दिल्ली, दिनांक 23 मई, 1984

सं० ए०-32015/(1)/81-आ० स०—राष्ट्रपति, भारतीय आर्थिक सेवा के ग्रेड-4 के एक अधिकारी श्री नवीन सरना की आर्थिक सलाहकार के कार्यालय, उद्योग मंत्रालय में

16 मई, 1984 की पूर्वाह्न से अनुसन्धान अधिकारी के रूप में नियुक्ति करते हैं।

2. श्री नवीन सरना 31-8-1984 तक परिवीक्षा पर रहेंगे।

सं० ए०-32015 (1)/81-आ० सं०—राष्ट्रपति, भारतीय आर्थिक सेवा के ग्रेड-4 की एक अधिकारी कुमारी रीतू कुमार की आर्थिक सलाहकार के कार्यालय, उद्योग मंत्रालय में 16 मई, 1984 की पूर्वाह्न से अनुसन्धान अधिकारी के रूप में नियुक्ति करते हैं।

2. कुमारी रीतू कुमार 31-8-1984 तक परिवीक्षा पर रहेंगी।

मनमोहन सिंह,
अपर आर्थिक सलाहकार

विकास आयुक्त (लघु उद्योग) का कार्यालय

नई दिल्ली, दिनांक 15 जून 1984

सं० ए०-19018 (463)/79-प्रशासन (राज०)—हिमाचल प्रदेश सरकार में वापस चले जाने पर श्री ए० के० महापात्र आई० ए० एस० (हि० प्र०: 71) ने दिनांक 30 अप्रैल, 1984 (अपराह्न) से, लघु उद्योग सेवा संस्थान, कटक में निदेशक, ग्रेड-1 (जी० ए० डी०) के पद का कार्यभार छोड़ दिया।

सं० ए-19018 (563)/81-प्रशा० (राज)—श्री के० एम० भट्टाचार्य ने उनके मूल विभाग रक्षा सामग्री एवं भण्डार अनुसन्धान एवं विकास स्थापना, कानपुर में अस्थाई कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक-I/स्थानोवत कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक II के पद पर वापस हो जाने पर लघु उद्योग सेवा संस्थान, गोहाटी में दिनांक 31-3-1984 (अपराह्न) से सहायक निदेशक, ग्रेड-I (चर्म/पादुका) के पद का कार्यभार छोड़ दिया।

श्री भट्टाचार्य की सेवाएं निदेशक, रक्षा सामग्री एवं भण्डार अनुसन्धान एवं विकास स्थापना, कानपुर को सौंपी जाती हैं।

राधारमण फौजदार,
उप निदेशक (प्र०)

पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय

(प्रशासन अनुभाग-6)

नई दिल्ली-110001, दिनांक जून 1984

सं० ए०-17011/272/84-ए०-6—महानिदेशक, पूर्ति तथा निपटान ने कलकत्ता निरीक्षणालय में भण्डार परीक्षक (इंजीनियरी) श्री ए० घोष को दिनांक 3-5-1984 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक इस महानिदेशालय के अधीन उसी निरीक्षण मण्डल में तदर्थ आधार पर स्थानापन्न सहायक निरीक्षण अधिकारी (इंजीनियरी) के पद पर नियुक्त किया है।

दिनांक 13 जून 1984

सं० ए-17011/216/83-प्र०-6. स्थायी भंडार परीक्षक (अभि०) तथा निदेशक निरीक्षण, कलकत्ता के कार्यालय में तदर्थ आधार पर स्थानापन्न सहायक निरीक्षण अधिकारी श्री बी० कृष्णामूर्ति केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972 के नियम 48-ए के अधीन 31 दिसम्बर, 1983 के अपराह्न से स्वेच्छा से सरकारी सेवा से निवृत्त हो गये हैं।

दिनांक 16 जून, 1984

सं० ए०-17011/216/83-ए०-6—महानिदेशक, पूर्ति तथा निपटान ने मद्रास निरीक्षणालय में भण्डार परीक्षक (इंजीनियरी) श्री पी० जे० पायली को दिनांक 14-5-1984 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक इस महानिदेशालय के अधीन उसी निरीक्षण मण्डल में तदर्थ आधार पर स्थानापन्न सहायक निरीक्षण अधिकारी (इंजीनियरी) के पद पर नियुक्त किया है।

सं० ए०-17011/262/84-ए०-6—महानिदेशक, पूर्ति तथा निपटान ने कलकत्ता निरीक्षणालय में भण्डार परीक्षक (इंजीनियरी) श्री राज कुमार को दिनांक 11-5-1984 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक इस महानिदेशालय के अधीन उसी निरीक्षण मण्डल में तदर्थ आधार पर स्थानापन्न सहायक निरीक्षण अधिकारी (इंजीनियरी) के पद पर नियुक्त किया है।

सं० ए०-17011/265/84-ए०-6—महानिदेशक पूर्ति तथा निपटान ने उत्तरी निरीक्षण मण्डल में भण्डार परीक्षक (इंजीनियरी) श्री एच० आर० कपूर को दिनांक 7-5-1984 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक इस महानिदेशालय के अधीन उप निदेशक निरीक्षण कानपुर के कार्यालय में तदर्थ आधार पर स्थानापन्न सहायक निरीक्षण, अधिकारी (इंजीनियरी) के पद पर नियुक्त किया है।

सं० ए०-17011/267/84-ए०-6—महानिदेशक, पूर्ति तथा निपटान ने उत्तरी निरीक्षण मण्डल में भण्डार परीक्षक (इंजीनियरी) श्री आर० सी० गुप्ता को दिनांक 7-5-1984 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक इस महानिदेशालय के अधीन उसी निरीक्षण मण्डल में तदर्थ आधार पर स्थानापन्न सहायक निरीक्षण अधिकारी (इंजीनियरी) के पद पर नियुक्त किया है।

सं० ए०-17011/273/84/ए-6—महानिदेशक, पूर्ति तथा निपटान ने कलकत्ता निरीक्षणालय में भण्डार परीक्षक (इंजीनियरी) श्री पी० के० घोष को दिनांक 3-5-1984 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक इस महानिदेशालय के अधीन

उसी निरीक्षण मण्डल में तदर्थ आधार पर स्थानापन्न सहायक निरीक्षण अधिकारी (इंजीनियरी) के पद पर नियुक्त किया है।

सं० ए०-17011/276/84-ए०-6—महानिदेशक, पूर्ति तथा निपटान ने कलकत्ता निरीक्षणालय में भण्डार परीक्षक (इंजीनियरी) श्री एस० के० घोष को दिनांक 16-5-1984 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक इस महानिदेशालय के अधीन निरीक्षण मण्डल में तदर्थ आधार पर स्थानापन्न सहायक निरीक्षण अधिकारी (इंजीनियरी) के पद पर नियुक्त किया है।

सं० ए०-17011/278/84-ए०-6—महानिदेशक, पूर्ति तथा निपटान कलकत्ता निरीक्षणालय में भण्डार परीक्षक (इंजीनियरी) श्री अमरेन्द्र नाथ घोष को दिनांक 3-5-1984 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक इस महानिदेशालय के अधीन उसी निरीक्षण मण्डल में तदर्थ आधार पर स्थानापन्न सहायक निरीक्षण अधिकारी (इंजीनियरी) के पद पर नियुक्त किया है।

सं० ए०-17011/279/84 ए०-6—महानिदेशक, पूर्ति तथा निपटान ने बम्बई निरीक्षणालय में भण्डार परीक्षक (इंजीनियरी) श्री एस० एस० रतपारा को दिनांक 11-5-84 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक इस महानिदेशालय के अधीन उसी निरीक्षण मण्डल में तदर्थ आधार पर स्थानापन्न सहायक निरीक्षण अधिकारी (इंजीनियरी) के पद पर नियुक्त किया है।

सं० ए०-17011/285/84-ए०-6—महानिदेशक, पूर्ति तथा निपटान ने कलकत्ता निरीक्षणालय में भण्डार परीक्षक (वस्त्र) श्री पी० के० मोयत्रा को दिनांक 11-5-1984 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक इस महानिदेशालय के अधीन बम्बई निरीक्षण मण्डल में तदर्थ आधार पर स्थानापन्न सहायक निरीक्षण अधिकारी (वस्त्र) के पद पर नियुक्त किया है।

सोहन लाल कपूर
उप निदेशक (प्रशासन)
कृते महानिदेशक, पूर्ति तथा निपटान

नई दिल्ली-110001, दिनांक 4 जून 1984

सं० प्र० 6/247(42)/76—राष्ट्रपति (भारतीय निरीक्षण सेवा ग्रुप 'ए' ग्रेड-1 के) स्थाई निदेशक निरीक्षण, श्री एस० एन० वोहरा को दिनांक 10 मई, 1984 के पूर्वाह्न से अगला आदेश जारी किए जाने तक 2000-125/2-2250 रुपए के वेतनमान में स्थानापन्न उप महानिदेशक (निरीक्षण) (भारतीय निरीक्षण सेवा ग्रुप 'ए' के ग्रेड 1 में सुपर टाइप स्केल पद) नियुक्त करते हैं।

2. श्री एस० एन० वोहरा ने दिनांक 30-4-84 के अपराह्न से महानिदेशक पूर्ति तथा निपटान (मुख्यालय), नई दिल्ली में निदेशक निरीक्षण के पद का कार्यभार छोड़ दिया तथा दिनांक 10 मई, 1984 के पूर्वाह्न से बम्बई में उप महानिदेशक (निरीक्षण) (पश्चिम तथा दक्षिण क्षेत्र) के पद का कार्य भार संभाल लिया है।

दिनांक 13 जून 1984

सं० ए०-17011/108/78/प्र०-6—राष्ट्रपति निरीक्षण अधिकारी (अभियांत्रिकी) (भारतीय निरीक्षण सेवा ग्रुप 'ए' अभियांत्रिकी शाखा के ग्रेड-III) श्री एस० सी० चड्डा को दिनांक 23 अप्रैल, 1984 के पूर्वाह्न से छः मास की अवधि के लिए अथवा पद के नियमित आधार पर भरे जाने तक, इनमें से जो भी पहले हो, पूर्णतः तदर्थ आधार पर उप निदेशक निरीक्षण (अभियांत्रिकी) (भारतीय निरीक्षण सेवा ग्रुप 'ए' के ग्रेड 2) (अभियांत्रिकी शाखा) के पद पर स्थानापन्न रूप से नियुक्त करते हैं। श्री चड्डा की पदोन्नति दिल्ली उच्च न्यायालय में विचाराधीन सिविल रिट याचिका सं० 1457/71, 1590/81 तथा 1973/81 के अन्तर्गत तीन एल० पी० ए० सं० 67/83, 68/83, तथा 69/83 के अन्तिम निर्णय होने के अधीन भी होगी।

2. श्री एस० सी० चड्डा की तदर्थ नियुक्ति से उन्हें नियमित नियुक्ति के लिए दावा करने का कोई हक नहीं होगा और उनके द्वारा तदर्थ आधार पर की गई सेवा उस ग्रेड में वरीयता, पदोन्नति की पात्रता तथा स्थायीकरण के लिए नहीं गिनी जाएगी।

3. श्री चड्डा दिनांक 21 अप्रैल, 1984 के अपराह्न को कलकत्ता निरीक्षण निदेशालय के अधीन निरीक्षण अधिकारी (अभियांत्रिकी) जमशेदपुर के कार्यालय में निरीक्षण अधिकारी (अभियांत्रिकी) के पद का कार्यभार छोड़ दिया और दिनांक 23 अप्रैल, 1984 के पूर्वाह्न से निरीक्षण निदेशक, मद्रास के अधीन हैदराबाद में उप निदेशक निरीक्षण (अभि०) के कार्यालय का भार संभाल लिया है।

एस० एल० कपूर,
उप निदेशक (प्रशासन)

(प्रशासन अनुभाग ए-1)

नई दिल्ली, दिनांक 11 जून 1984

सं० ए०-1/1(1181)—निदेशक निरीक्षण, कलकत्ता के कार्यालय के अस्थाई अधीक्षक तथा स्थानापन्न सहायक निदेशक (प्रशासन) (ग्रेड-2) श्री जे० पी० दास दिनांक 31 मई, 1984 के अपराह्न में सेवा निवर्तन की आयु प्राप्त कर लेने पर सरकारी सेवा से निवृत्त हो गए।

राजबीर सिंह,
उप निदेशक (प्रशासन)

इस्पात और खान मंत्रालय

(खान विभाग)

भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण

कलकत्ता-700016, दिनांक 30 मई 1984

सं० ए०-32013(प्रशा० अधि०)/82-19-ए—भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के महानिदेशक, भारतीय भू-

वैज्ञानिक सर्वेक्षण के अधीक्षक (प्रवरण कोटि) श्री जमील अहमद को प्रशासनिक अधिकारी के रूप में, उसी विभाग में नियमानुसार वेतन पर 650-30-740-35-810-द० रो०-35-880-40-1000-द० रो०-40-1200 रु० के वेतनमान में, अस्थाई क्षमता में, आगामी आदेश होने तक 14-3-84 के पूर्वाह्न से पदोन्नति पर नियुक्ति कर रहे हैं।

दिनांक 1 जून 1984

सं० 4026 बी०/ए०-32013 (ए० ओ०)/82-19ए०—भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के महानिदेशक भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण के अधीक्षक (एम० जी०) श्री ए० के० अदृबा को प्रशासनिक अधिकारी के रूप में उसी विभाग में, वेतन नियमानुसार 650-30-740-35-810-द० रो०-35-880-40-1000-द० रो०-40-1200 रु० के वेतनमान में, अस्थाई क्षमता में, आगामी आदेश होने तक 30-4-84 के पूर्वाह्न से पदोन्नति पर नियुक्त कर रहे हैं।

अमित कुशारी,
निदेशक (कार्मिक)

भारतीय खान ब्यूरो

नागपुर, दिनांक 14 जून 1984

सं० ए०-19011(346)/83-स्था० ए०—राष्ट्रपति संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिश पर डा० शंकर विश्वास को भारतीय खान ब्यूरो में रसायनज्ञ के पद पर स्थानापन्न रूप में दिनांक 4 मई, 1984 के पूर्वाह्न से सहर्ष नियुक्त करते हैं।

सं० ए०-19011 (363)/84-स्था०-ए०—श्री एम० के० राव, खनिज अधिकारी (सांख्यिकी) को दिनांक 11 मई, 1984 के अपराह्न से आगामी आदेश तक भारतीय खान ब्यूरो में स्थानापन्न सहायक खनिज अर्थ शास्त्री (सांख्यिकी) भारतीय सांख्यिकी सेवा, ग्रेड-4 के पद पर नियुक्ति प्रदान की की गई है।

पी० पी० वादी,
प्रशासन अधिकारी,
कृते महानियन्त्रक,

भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण

भारतीय संग्रहालय

कलकत्ता-16, दिनांक 2 जून 1984

सं० 4-198/84/स्थापना—भारतीय मानक विज्ञान सर्वेक्षण की श्रीमती बेला मौलिक, अनुसन्धान सहायक (शारीरिक) 3 मई, 1984 पूर्वाह्न से अगले आदेश तक इस सर्वेक्षण के पूर्वी क्षेत्र कलकत्ता में सह मानव विज्ञानी (शारीरिक) ग्रुप बी (राजपत्रित) के पद पर पदोन्नत हुई हैं।

अशोक कुमार दास, गुप्ता
प्रशासनिक अधिकारी

भारतीय सर्वेक्षण विभाग

महा सर्वेक्षक का कार्यालय

देहरादून-248001, दिनांक 8 जून 1984

सं० सी० 6084/718-ए०—श्री गोवर्धन पन्त, स्थानापन्न अधीक्षक, महासर्वेक्षक कार्यालय को दिनांक 3-4-84 (पूर्वाह्न) से स्थापना एवं लेखा अधिकारी (सा० सि० सेवा ग्रुप 'बी') के पद पर दक्षिण पूर्वी सर्किल, भुवनेश्वर में 840-40-1000-द० रो०-40-1200 रुपए के वेतनमान में स्थानापन्न रूप में तदर्थ आधार पर, श्री एस० एल० वर्मा, स्थापना एवं लेखा अधिकारी के स्थानान्तरण के कारण नियुक्त किए जाते हैं।

गिरीश चन्द्र अग्रवाल,
मेजर जनरल
(नियुक्ति प्राधिकारी)
भारत के महासर्वेक्षक

भारतीय प्राणि सर्वेक्षण

कलकत्ता-12, दिनांक 16 जून 1984

सं० एफ० 9-1/82-स्था०/12168—वरिष्ठ प्राणि विज्ञान सहायक, श्री संजीत कुमार घोष को, मुख्यालय भारतीय प्राणि सर्वेक्षण, कलकत्ता में रु० 650-1200 के वेतनमान में सहायक प्राणि विज्ञान (समूह ख) के पद पर 26 अप्रैल, 1984 (पूर्वाह्न) से अगले आदेश तक अस्थाई रूप में तदर्थ आधार पर, नियुक्त किया गया।

सं० एफ०-2-16/83-स्था०/1218—भारतीय प्राणि सर्वेक्षण में निम्नलिखित व्यक्तियों को, सहायक प्राणि विज्ञानी, (समूह ख) के पद पर रु० 650-1200 के वेतनमान में उनके नाम के सामने अंकित तिथि से उल्लिखित स्टेशनों में, अगले आदेश तक अस्थायी रूप में नियुक्त किया गया है।

क्र० सं०	नाम तथा पद	तिथि	स्टेशन
1.	श्री टी० आर० मित्र	27-2-84 (पूर्वाह्न)	मुख्यालय भारतीय प्राणि सर्वेक्षण, कलकत्ता।
2.	डा० जे० आर० धंजे	19-3-84 (पूर्वाह्न)	पूर्वी प्रादेशिक शाखा, भारतीय प्राणि सर्वेक्षण, शिलांग।

डा० ओ० के० टिकादर
निदेशक
भारतीय प्राणि सर्वेक्षण

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय

नई दिल्ली–1, दिनांक 6 जून 1984

सं० ए०–12025/3/83-स्थापना––विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशक, श्री विभूति भूषन सिकदार को इस निदेशालय में 9 मई 1984 के पूर्वाह्न से अगले आदेश तक अस्थायी रूप से सीनियर आर्टिस्ट (वेतनमान : रु० 650–30–740–35–810–द० रो०–35–880–40–1000–द० रो०–40–1200) के पद पर नियुक्त करते हैं।

2. श्री सिकदार उक्त दिनांक से अगले दो वर्ष के लिए परिवीक्षा अवधि पर रहेंगे जो नियुक्ति प्राधिकारी के विवेकानुसार बढ़ाई जा सकती है।

जी० पी० भट्टी

उप निदेशक (प्रशासन)

कृते विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशक

स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय

नई दिल्ली, दिनांक 14 जून 1984

सं० ए० 32013/3/84–आर० एच० टी० सी०/पी० एच० (सी० डी० एण्ड एल०)—स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक ने श्री दलपत सिंह सहायक, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, को 21 मई, 1984 (पूर्वाह्न) से आगामी आदेशों तक ग्रामीण स्वास्थ्य प्रशिक्षण केन्द्र, नजफगढ़, नई दिल्ली में प्रशासनिक अधिकारी के पद पर नियुक्त किया है

बी० के० जाना

उप निदेशक प्रशासन

नई दिल्ली, दिनांक 13 जून 1984

सं० ए० 19012/3/84–स्टोर—स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक ने महा लेखा परीक्षक का कार्यालय, उत्तरी सीमान्त रेलवे, मालीगांव गोहाटी में लेखा परीक्षा अधिकारी, श्री बी० सी० दत्ता खान को 22 मई, 1984 पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक सरकारी चिकित्सा सामग्री भण्डार, गोहाटी में लेखा अधिकारी के पद पर नियुक्त किया है।

आर० सी० गुलाटी

उप सहायक निदेशक (स्टोर)

परमाणु ऊर्जा विभाग

क्रय और भंडार निदेशालय

बम्बई–400001, दिनांक 12 जून 1984

संदर्भ सं० डी० पी० एस०/41/12/83-प्रशा०/13882—परमाणु ऊर्जा विभाग, क्रय और भंडार निदेशालय के निदेशक ने स्थायी क्रय सहायक श्री प्यारे लाल खन्ना को इसी निदेशालय में दिनांक 23–4–84 (पूर्वाह्न) से 25–5–84 (अपराह्न) तक 650–30–740–35–810–द० रो०–35–880–40–1000–द० रो०:40–1200 रुपए के वेतनमान में सहायक क्रय अधिकारी के रूप में तदर्थ आधार पर स्थानापन्न रूप से नियुक्त किया है। उनकी यह नियुक्ति सहायक क्रय अधिकारी श्री टी० वी० रामास्वामी के स्थान पर की गई है, जिन्हे उक्त अवधि के लिए छुट्टी प्रदान की गई है।

संदर्भ सं० डी० पी० एस०/41/2/83-प्रशा०/13889—परमाणु ऊर्जा विभाग, क्रय और भंडार निदेशालय के निदेशक ने स्थायी भंडारी श्री० पी० बी० वाडके को इसी निदेशालय में दिनांक 17–4–84 (पूर्वाह्न) से 31–5–84 (अपराह्न) तक 650–30–740–35–810–द० रो०–35–880–40–1000–द० रो०–40–1200/–रुपए के वेतनमान में सहायक भंडार अधिकारी के रूप में तदर्थ आधार पर, स्थानापन्न रूप से नियुक्त किया है। उनकी यह नियुक्ति सहायक भंडार अधिकारी श्री जान वरीद के स्थान पर की गई है, जिन्हें उक्त अवधि के लिए छुट्टी प्रदान की गई है।

पी० गोपालन

प्रशासन अधिकारी

भारी पानी परयोजनाएं

बम्बई–400008, दिनांक 11 जून 1984

सं० 05000/के०/2345—भारी पानी परियोजनाओं के प्रधान कार्यकारी, क्रय और भंडार निदेशालय, मद्रास के क्षेत्रीय क्रय एकांश मद्रास के उच्च श्रेणी लिपिक श्री गोविन्दस्वामी कुलन्दैवेलु को 18 मई, 1984 (पूर्वाह्न) से आगे आदेश होने तक के लिए भारी पानी परियोजनाएं (केन्द्रीय कार्यालय) में अस्थायी तौर पर स्थानापन्न सहायक कार्मिक अधिकारी नियुक्त करते हैं।

दिनांक 12 जून 1984

सं० 05012/आर०–1/प्रो० पी०/2382—भारी पानी परियोजनाओं के प्रधान कार्यकारी, भारी पानी परियोजनाओं (केन्द्रीय कार्यालय) के स्थायी सहायक लेखा अधिकारी, श्री अच्युत मुकुन्द वैद्य को इसी कार्यालय में श्री वी० के० पोतदार, वेतन तथा लेखा अधिकारी जो छुट्टी पर हैं, के स्थान पर पूर्वाह्न 9 अप्रैल, 1984 से 11 मई, 1984 (अपराह्न) तक के लिए अस्थायी तौर पर तदर्थ आधार पर स्थानापन्न वेतन तथा लेखा अधिकारी नियुक्त करते हैं।

संदर्भ सं० 05012/आर०–1/प्रो० पी०/2383—भारी पानी परियोजनाओं के प्रधान कार्यकारी, भारी पानी परियोजनाओं (केन्द्रीय कार्यालय) के श्री पन्द्राथील पद्मनाभन नाम्बियार, स्थायी सहायक लेखाकार को इसी कार्यालय में पूर्वाह्न अप्रैल 9, 1984 से मई 11, 1984 (अपराह्न) तक के लिए श्री ए० एम० वैद्य, सहायक लेखा अधिकारी जो स्थानापन्न लेखा अधिकारी–II पदोन्नत किए गए हैं, के स्थान पर अस्थायी तौर पर तदर्थ आधार पर स्थानापन्न सहायक लेखा अधिकारी नियुक्त करते हैं।

(श्रीमती) के० पी० कल्याणीकुट्टी

प्रशासन अधिकारी

महानिदेशक, नागर विमानन का कार्यालय

नई दिल्ली, दिनांक 30 मई 1984

सं० ए-32013/3/82-ई० सी०—इस कार्यालय की 4 जनवरी, 1984 की अधिसूचना सं०-ए-32013/3/82-ई० सी० के क्रम में राष्ट्रपति ने निम्नलिखित अधिकारियों की वरिष्ठ तकनीकी अधिकारियों की वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी के ग्रेड में की गई तदर्थ नियुक्ति को प्रत्येक के नाम के सामने दी गई अवधि के लिये जारी रखने की स्वीकृति प्रदान की है :—

क्र०सं०	नाम	तैनाती स्टेशन	अवधि	
			से	तक
	सर्वश्री :			
1.	वी० सी० रेड्डी	वै० सं० स्टे० हैदराबाद	1-1-84	10-1-84
2.	यू० के० सिन्हा	वै० सं० स्टे० कलकत्ता	1-1-84	10-1-84
3.	पी० गुप्ता	वै० सं० स्टे० गोहाटी	1-1-84	10-1-84
4.	के० चन्द्रचूड़न	रे० नि० और वि० एकक नई दिल्ली	3-1-84	10-1-84
5.	वी० गोवर्धनन	वै० सं० स्टे० सिलचर	1-1-84	10-1-84
6.	एन० आर० एन० आयंगर	वै० सं० स्टे० बंगलूर	1-1-84	10-1-84
7.	ए० के० संगल	वै० सं० स्टे० नागपुर	1-1-84	10-1-84
8.	सी० एल० मालिक	वै० सं० स्टे० बम्बई	1-1-84	10-1-84
9.	एस० डी० अवस्थी	वै० सं० स्टे० जयपुर	1-1-84	30-6-84
10.	ए० वी० कृष्णा	रे० नि० और वि० एकक नई दिल्ली	1-1-84	30-6-84
11.	के० आर० रामानुजम	वै० सं० स्टे० बम्बई	1-1-84	30-6-84
12.	वी० एस० मित्रा	रे० नि० और वि० एकक नई दिल्ली	1-1-84	30-6-84
13.	एस० डी० बंसल	रे० नि० और वि० एकक नई दिल्ली	1-1-84	30-6-84
14.	एम० एल० धर	रे० नि० वि० एकक	1-1-84	30-6-84
15.	वी० सुब्रमन्यन	वै० सं० स्टे० मद्रास	1-1-84	30-6-84

दिनांक 14 जून 1984

सं० ए०-32013/9/83-ई० सी० (.)—इस विभाग की दिनांक 22 मई 1984 की अधिसूचना सं० ए०-32013/10/82-ईसी के क्रम में राष्ट्रपति ने श्री टी० सी० एस० मूसद, संचार अधिकारी, वैमानिक संचार स्टेशन, मद्रास को दिनांक 11-1-84 से और अन्य आदेश होने तक वरिष्ठ संचार अधिकारी के ग्रेड में नियमित आधार पर नियुक्त किया है।

सं० ए०-38013/1/84-ई० सी० (.)—नागर विमानन विभाग वैमानिक संचार संगठन के वैमानिक संचार स्टेशन बम्बई के श्री आर० एन० मोगी सहायक संचार अधिकारी ने निवर्तन आयु प्राप्त कर लेने पर दिनांक 31-5-1984 (अपराह्न) से अपने पद का कार्यभार छोड़ दिया है।

ओ० पी० अग्रवाल
सहायक निदेशक प्रशासन

नई दिल्ली, दिनांक 11 जून 1984

सं० ए०-32014/2/84-ई० डब्ल्यू०—महानिदेशक नागर विमानन ने श्री आर० एस० पाण्डे वरिष्ठ अग्निशमन फोरमैन को पदोन्नति पर नागर विमानन विभाग में दिनांक 25-2-1984 से 10-4-1984 तक रुपए 650-1200 के वेतनमान में सहायक अग्निशमन अधिकारी के ग्रेड में तदर्थ आधार पर तथा उसके पश्चात दिनांक 11-4-1984 (पूर्वाह्न) से नियमित आधार पर नियुक्त किया है।

2. श्री आर० एस० पाण्डे को नियंत्रक विमान क्षेत्र सिविल विमान क्षेत्र गुवाहाटी के कार्यालय में तैनात किया गया है।

वि० भौमिक
सहायक निदेशक प्रशासन

वन अनुसंधान संस्थान एवं महाविद्यालय

देहरादून, दिनांक 11 जून 1984

क्र० सं० 16/242/77-स्थापना-I—वन अनुसंधान संस्थान एवं महाविद्यालय देहरादून के अन्तर्गत वन अनुवांशिकी शाखा के डा० एम० एस० हक का अनुसंधान अधिकारी के पद से दिया गया त्याग-पत्र दिनांक 11-4-84 की अपराह्न से अध्यक्ष वन अनुसंधान संस्थान एवं महाविद्यालय देहरादून द्वारा स्वीकार कर लिया गया है।

दिनांक 13 जून 1984

सं० 16/424/84-स्थापना-I—अध्यक्ष वन अनुसंधान संस्थान एवं महाविद्यालय डा० (कुमारी) बीना चन्द्रा को वन अनुसंधान संस्थान एवं महाविद्यालय देहरादून में अनुसंधान अधिकारी के पद पर दिनांक 8 मई 1984 को पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक अस्थायी रूप में सहर्ष नियुक्त करते हैं।

जी० एस० ग्रोवर
कुल सचिव
वन अनुसंधान संस्थान एवं महाविद्यालय

केन्द्रीय उत्पाद तथा सीमा शुल्क समाहर्तालय
उड़ीसा
भुवनेश्वर, दिनांक 2 जून 1984

सं० 4/84—केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमाशुल्क समाहर्तालय भुवनेश्वर के निम्नलिखित राजपत्रित अधिकारी कार्य निवृत्ति पर सरकारी सेवा से दोपहर बाद दिनांक 30 अप्रैल, 1984 को अवसर प्राप्त किये :—

1. श्री दिवेश चन्द्र बनर्जी	सहायक समाहर्ता
2. श्री बिजय कुमार बेहरा,	अधीक्षक
3. श्री भावग्राही दास,	अधीक्षक

चि० गतपथी
उपसमाहर्ता (का० एवं स्था०)
केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमाशुल्क,
भुवनेश्वर

संगठन एवं प्रबन्ध सेवाएं निदेशालय

सीमा एवं केन्द्रीय उत्पादन शुल्क

नई दिल्ली, दिनांक 14 जून 1984

सं० 532/7/79-ओ० एम० एस०—श्री पी० एन० खुराना, निरीक्षक, नार्कोटिक्स आयुक्त, ग्वालियर जो कि अभी इस निदेशालय में तकनीकी सहायक के पद पर कार्यरत थे, उन्होंने संगठन एवं प्रबन्ध सेवाएं निदेशालय, सीमा एवं केन्द्रीय उत्पादन शुल्क में अपर निदेशक के पद का कार्यभार दिनांक 1-6-84 (पूर्वाह्न) से संभाल लिया है।

के० जे० रामन
निदेशक, सं० एवं० प्र० से० नि०
सी० एवं के० उ० शु०

केन्द्रीय जल आयोग

नई दिल्ली, दिनांक 15 जून 1984

सं० ए०-19012/1055/84-स्था० 5—अध्यक्ष, केन्द्रीय जल आयोग श्री अरविन्द गुप्ता, अभिकल्प सहायक को अतिरिक्त सहायक निदेशक, सहायक इंजीनियर (इंजी०) के पद पर वेतनमान रु० 650-30-740-35-810-द० रो०-35-880-40-1000-द० रो०-40-1200 में 29-5-84 (पूर्वा०) से एक वर्ष तक अथवा इस पद के नियमित आधार पर भरे जाने तक, जो भी पहले हो, की अवधि के लिए पूर्णतया अस्थायी एवं तदर्थ आधार पर स्थानापन्न रूप में नियुक्त करते हैं।

मीनाक्षी अरोड़ा
अवर सचिव (स)
केन्द्रीय जल आयोग

केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण

नई दिल्ली-110066, दिनांक 1 जून 1984

सं० 2/7/84-प्रशासन-1(ब)—अध्यक्ष केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण एतद्द्वारा श्री एस० ईश्वरन तकनीकी सहायक को केन्द्रीय विद्युत इंजीनियरी (समूह 'ख') सेवा के अतिरिक्त सहायक निदेशक/सहायक अभियन्ता के ग्रेड में केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में स्थानापन्न क्षमता में 26 अप्रैल 1984 से अगले आदेशों तक नियुक्त करते हैं।

बी० एम० लाल
अवर सचिव
कृते अध्यक्ष

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग

कार्यालय निर्माण महानिदेशक

नई दिल्ली, दिनांक 6 मई 1984

सं० 32/2/84-ई० सी०-2—के० लो० नि० वि० के निम्नलिखित अधिकारी वार्धक्य की आयु (58 वर्ष) पूरी होने के बाद सरकारी सेवायें निवृत्त हो गये हैं। उनकी सेवा निवृत्ति की तारीख उनके नाम के सामने दी गई है :—

क्रम सं०	अधिकारी का नाम	सेवा निवृत्ति की तिथि	पदनाम तथा आखरी तैनाती का स्थान
1	2	3	4
	सर्व श्री :		
1.	जे० एस० उप्पल कार्य० इंजी० (वि०)	30-11-83 (अपराह्न)	कार्य० इंजी० (वि०) वि० मंडल नं० 6 के० लो० नि० वि०, नई दिल्ली।
2.	बी० पी० मेहता, कार्य० इंजी० (वि०)	31-12-83 (अपराह्न)	कार्य० इंजी० (वि०), निर्माण मंडल नं० 5, के० लो० नि० वि०, नई दिल्ली
3.	आर० के० कालरा, कार्य० इंजी० (वि०)	31-12-83 (अपराह्न)	कार्य० इंजी० (वि०), सतर्कता (मुख्य इंजी० कार्यालय (सतर्कता), के० लो० नि० वि०, नई दिल्ली
4.	ए० एस० विरदी, कार्य० इंजीनियर (सि०)	31-1-84 (अपराह्न)	कार्य० इंजी० (सि०), मूल्यन, आयकर विभाग, अमृतसर।
5.	टी० आर० वी० भवानी, कार्य० इंजी० (सिविल)	31-3-84 (अपराह्न)	कार्य० इंजी० सिविल मंडल, - के० लो० नि० वि०, नई दिल्ली ।
6.	वी० आर० भवे राघवन कार्य० इंजीनियर (सि०)	31-3-84 (अपराह्न)	निर्माण सर्वेक्षक (सिविल), अधीक्षक निर्माण सर्वेक्षक दक्षिण अंचल, के० लो० नि० वि०, मद्रास ।
7.	एम० पी० अग्रवाल, कार्य० इंजीनियर (सिविल)	31-3-84 (अपराह्न)	निर्माण सर्वेक्षक-1, अधीक्षक निर्माण सर्वेक्षक (1), के० लो० नि० वि०, परिमंडल, दिल्ली प्रशासन, इन्द्रप्रस्थ स्टेट, नई दिल्ली ।
8.	जे० एन० सरकार, कार्य० इंजीनियर (सिविल)	31-1-84 (अपराह्न)	कार्य० इंजी० (मूल्यन), एकक-5, अधीक्षक, इंजीनियर (मूल्यन), कार्यालय, आयकर विभाग, नई दिल्ली

मीना गर्ग

प्रशासन उपनिदेशक

कृते निर्माण महानिदेशक

विधि, न्याय एवं कम्पनी कार्य मन्त्रालय

(कम्पनी कार्य विभाग)

कम्पनी विधि बोर्ड

कम्पनियों के रजिस्ट्रार का कार्यालय

कम्पनी अधिनियम 1956 और शान्ती सेल्स एण्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

कानपुर, दिनांक 16 जून 1984

सं० 4200-एल० सी०/4861—अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन माह के अवसान पर शान्ती सेल्स एण्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स प्राइवेट लि० का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जायेगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जायेगी।

कम्पनी अधिनियम 1956 और आर० ग्रेवाल एण्ड सन्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

कानपुर, दिनांक 16 जून 1984

सं० 4679-एल० सी०/4865—अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन माह के अवसान पर आर० ग्रेवाल एण्ड सन्स प्राइवेट लि० का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जायेगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जायेगी।

वी० पी० कपूर
कम्पनियों का रजिस्ट्रार उत्तर प्रदेश
कानपुर

प्ररूप आई.टी.एन.एस.---------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, पटना

पटना, दिनांक 11 मई 1984

निदेश सं० 3/936/अर्जन/84-85--अतः मुझे, प्रबोध कुमार दूबे

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० तौजी नं० 519, सीट नं० 40, प्लाट नं० 1381 हो० नं० 554, 618 (पुराना) 2277 नया है तथा जो कंकर बाग रोड, शहर/जिला पटना में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है); रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, पटना में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 25 अक्तूबर, 1983

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, इसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अंतरितियों) के बीच ऐसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अंतरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अंतरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अंतरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री लखन लाल साव वल्द
स्व० मन्नू लाल साव,
निवासी मोहल्ला बाकरगंज बजाजा;
थाना पिरबहोर,
पटना-4।

(अन्तरक)

(2) श्री मदन लाल घोड़ावत वल्द
श्री सोहन लाल घोड़ावत,
प्रोप्राइटर: नेशनल केमिकल एण्ड
फार्मास्युटिकल वर्क्स,
कंकर बाग रोड,
निवासी कंकर बाग,
थाना-पोस्ट कंकर बाग,
पटना।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त संपत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

जमीन जिसका रकबा 11527 1/2 वर्ग फीट साथ में मकान जो मोहल्ला कंकर बाग रोड, थाना पो० कंकर बाग शहर/जिला पटना में स्थित है, जिसका पूर्ण विवरण वसिका, सं० 8577 दिनांक 25 अक्तूबर, 1983 में वर्णित है तथा जिसका निबन्धन जिला अवर निबन्धक पदाधिकारी, पटना के द्वारा सम्पन्न हुआ है।

प्रबोध कुमार दूबे
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, पटना

तारीख : 11-5-1984
मोहर :

प्ररूप आई.टी.एन.एस. -----------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, पटना

पटना, दिनांक 8 जून 1984

निदेश सं० 3/938/अर्जन/84-85—अत: मुझे, प्रबोध कुमार दूबे

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/-रु. से अधिक है

और जिसकी सं० मौजा धैया, नं० 6 खाना नं० 130, प्लाट सं० 1397 है तथा जो मौजा धैया, थाना धनबाद, जिला धनबाद में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, धनबाद में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 3 अक्तूबर, 1983

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अत: अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) मै० जितेन्द्र इनवेस्टमेन्ट कम्पनी लि०,
रजिस्टर्ड आफिस :
8, वाटर लो स्ट्रीट, कलकत्ता
वर्तमान : लाल बाजार,
पोस्ट झरिया,
जिला धनबाद ।
द्वारा : डायरेक्टर,
श्री देवेन्द्र कुमार अग्रवाला वल्द
श्री बनवारी लाल अग्रवाल ।

(अन्तरक)

(2) श्री अतुल कुमार अग्रवाला
वल्द श्री महेन्द्र कुमार अग्रवाला
निवासी लाल बाजार,
पोस्ट झरिया,
जिला धनबाद ।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

8 डिसमिल जमीन काटेज बिल्डिंग के साथ जो मौजा धैया, पोस्ट/जिला धनबाद में स्थित है एवं पूर्ण रूप से वसिका सं० 11562 दिनांक 3 अक्तूबर, 1983 में वर्णित है तथा जिला अवर निबन्धक पदाधिकारी, धनबाद के द्वारा पंजीकृत है ।

प्रबोध कुमार दूबे
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, पटना

तारीख : 8-6-1984
मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस. ----------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, पटना

पटना, दिनांक 8 जून 1984

निदेश सं० 3/939/अर्जन/84-85—अतः मुझे, प्रबोध कुमार दूबे

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० मौजा धैया नं० 6 खाता नं० 130, प्लाट सं० 1397 है तथा जो मौजा धैया, थाना धनबाद, जिला धनबाद में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, धनबाद में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 12 अक्तूबर, 1983

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री देवेन्द्र कुमार अग्रवाल,
वल्द श्री बनारसी लाल अग्रवाला,
थाना/पोस्ट झरिया,
जिला धनबाद ।

(अन्तरक)

(2) श्री प्रमोद कुमार अग्रवाल वल्द
श्री योगेन्द्र कुमार अग्रवाल,
निवासी लाल बाजार,
पोस्ट झरिया,
जिला धनबाद ।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

7 डिसमिल जमीन काटेज बिल्डिंग के साथ जो मौजा धैया, पोस्ट/जिला धनबाद में स्थित है एवं पूर्ण रूप से वसिका सं० 12055 दिनांक 12 अक्तूबर, 1983 में वर्णित है तथा जिला अवर निबन्धक, पदाधिकारी, धनबाद के द्वारा पंजीकृत है ।

प्रबोध कुमार दूबे
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, पटना

तारीख : 8-6-1984
मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस.—————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-III नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 28 मई 1984

निदेश सं० आई० ए० सी०/एक्यू०/IV/एस० आर०—4/10—85/885—अत: मुझे, बी० के० गुप्ता,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० प्लाट नं० 83—84 है तथा जो गांव घोंडली ईस्ट नगर, इलाका शाहदरा में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, दिल्ली में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख अक्तूबर, 1983

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अंतरितियों) के बीच ऐसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अंतरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अंतरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अंतरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अंतरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अत: अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री रमाहेन्द्र सिंह, 83-84, ईस्ट आजाद नगर, दिल्ली।

(अंतरक)

(2) श्रीमती दविन्द्र कौर, 84, ईस्ट आजाद नगर, दिल्ली।

(अंतरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

प्लाट नं० 83—84 का बना हुआ भाग 200 वर्ग गज भूमि गांव घोंडली ईस्ट आजाद नगर, इलाका शाहदरा।

बी० के० गुप्ता
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-III, नई दिल्ली-110002

तारीख : 28—5—1984
मोहर :

प्ररूप आई॰ टी॰ एन॰ एस॰———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज–III, नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 29 मई 1984

निदेश सं॰ आई॰ ए॰ सी॰/एक्यू॰/3/एस॰ आर॰–II/10–83/1008—अतः मुझे, बी॰ के॰ गुप्ता आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं॰ प्लाट नं॰ है तथा जो ई॰जी॰/12/28 वर्ग गज, गांव नारायणा, इन्द्र पुरी में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, दिल्ली में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख अक्तूबर, 1983

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री लव देव,
निवासी जी 102,
नई बस्ती,
सीलम पुर इलाका,
शाहदरा दिल्ली।

(अन्तरक)

(2) श्री बाबू राम बबेल,
निवासी ई॰ ए॰ I/32,
इन्द्रपुरी,
नई दिल्ली–12।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

प्लाट नं॰ ई॰ जी॰ / 122/ 28 वर्ग गज गांव नारायणा, इन्द्रपुरी।

बी॰ के॰ गुप्ता
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज–III, नई दिल्ली-110002

तारीख : 29–5–1984
मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस. ---------------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज–III, नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 27 अप्रैल 1984

निदेश सं० आई० ए० सी० /एक्यू०/III/एस० आर०–III/1083/343—अतः मुझे, बी० के० गुप्ता आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है और जिसकी सं० 152, एम०सी०डी० मार्किट है तथा जो सरस्वती मार्ग करोल बाग, नई दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय नई दिल्ली में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख अक्तूबर, 1984 को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री राम रेखा बावला,
114, डबल स्टोरी,
नया रजिन्द्र नगर,
नई दिल्ली।

(अन्तरक)

(2) श्री करतार सिंह,
सी० ए० 52 जी०,
हरी नगर,
नई दिल्ली।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

152, एम० सी० डी० मार्किट सरस्वती मार्ग करोल नई दिल्ली।

बी० के० गुप्ता
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज–III, नई दिल्ली

तारीख : 27-4-1984
मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस. - - -

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269 घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज–3, नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 27 अप्रैल, 1984

निदेश सं० आई० ए० सी०/एक्यू०/3/एस० आर०–3/10–83/357—अतः मुझे, बी० के० गुप्ता आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है और जिसकी सं० फ्लैट नं० 1 है तथा जो श्री फोर्ट रोड मस्जिद मोठ, नई दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, नई दिल्ली में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, अक्तूबर, 1983 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय **आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट** नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री एन० आर० मोहिन्द्रा,
श्री सुभाष मोहिन्द्रा,
हरीश, ऊषा, माला मोहिंद्रा,
ए–1/98, सफदर जंग इनक्लेव,
नई दिल्ली।

(अन्तरक)

(2) श्री इन्द्रा भार्गवा,
श्री शशनक भार्गवा,
184–ए, आनन्द पुरी,
मेरठ शहर।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

एक फ्लैट न० 1 पहली मंजिला का अगला हिस्सा 1311 वर्ग फीट क्षेत्र 76 वर्ग गज बालकोनी के साथ अनुपातिक हिस्सा भूमि नं० 9, श्री फोर्ट रोड, मस्जिद मोठ, नई दिल्ली।

बी० के० गुप्ता
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त, (निरीक्षण)
अर्जन रेंज–3, नई दिल्ली

तारीख : 27–4–1984
मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस. ----------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय सहायक आयकर आयुक्त निरिक्षण)

अर्जन रेंज-3, नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 2 जून 1984

निदेश सं० आई० ए० सी०/एक्यू०/1/37 ईई०/10-83

450—अतः मुझे, सुधीर चन्द्रा,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु, से अधिक है

और जिसकी सं० 6492 और 6492ए है तथा जो एफ ब्लाक कनाट सर्कस, नई दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय अर्जन रेंज-1, नई दिल्ली में आयकर अधिनियम 1961 के अधीन, तारीख अक्तूबर 1983

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री जगमोहन गुप्ता,
श्री वी० के० जैन,
श्री वी० कि० जैन,
श्री विरेन्द्र कुमार जैन,
श्री संजीव कुमार जैन,
श्री विक्रम कुमार जैन,
श्री चिक्रम कुमार जैन,
निवासी

1. श्री जगमोहन गुप्ता सुपुत्र श्री प्रेम राज निवासी प्रेम भवन, 4144 पहाड़ी धीरज, दिल्ली-6, कर्ता जगमोहन गुप्ता एण्ड संस।
2. श्री बी० पी० जैन सुपुत्र श्री फूलचन्द जैन, निवासी टी-400, डिफेंस कालोनी, नई दिल्ली, कर्ता (एच० यू० एफ०) मै० गिरधारी लाल जैन एण्ड ब्रदर्स —
   1. विपीन चन्द जैन सुपुत्र श्री गिरधारी लाल जैन, निवासी 4498, पहाड़ी धीरज, दिल्ली, कर्ता मै० गिरधारी लाल जैन एण्ड सन्स।
   2. श्री विमल प्रसाद जैन सुपुत्र श्री फूलचन्द जैन, निवासी डी-400, डिफेंस कालोनी नई दिल्ली, कर्ता विमल प्रसाद जैन एण्ड सन्स।
   3. श्री त्रिलोक चन्द जैन सुपुत्र श्री फूलचन्द जैन निवासी डी-400 डिफेंस कालोनी नई दिल्ली, कर्ता श्री त्रिलोक चन्द जैन एण्ड सन्स।
3. श्री वी० के० जैन सुपुत्र श्री ईसरी प्रसाद जैन, निवासी डी-87, डिफेंस कालोनी, नई दिल्ली, कर्ता इसरी प्रसाद जैन (एच० यू० एफ०)।
4. श्री विरेन्द्र कुमार जैन सुपुत्र श्री ईसरी प्रसाद जैन, निवासी डी 87, डिफेंस कालोनी, नई दिल्ली, कर्ता विरेन्दर कुमार जैन (एच० यू० एफ०)।
5. श्री संजीव कुमार जैन सुपुत्र श्री शेर सिंह जैन सुपुत्र श्री इसरी प्रसाद जैन, निवासी डी-405, डिफेंस कालोनी, नई दिल्ली, कर्ता संजीव कुमार जैन (एच० यू० एफ०)।
6. श्री विक्रम कुमार जैन सुपुत्र श्री नहाल चन्द जैन, निवासी 6236, बाराटूटी सदर बजार दिली -6, कर्ता विक्रम कुमार जैन एण्ड सन्स।
7. श्री विक्रम कुमार जैन सुपुत्र श्री निहाल चन्द जैन मार्फत अशोका एण्ड कं० 56 ओखला इण्डस्ट्रीएल इस्टेट, नई दिल्ली कर्ता विक्रम कुमार जैन एण्ड सन्स (एच० यू० एफ०)।

(अन्तरक)

(2) मै० डालमिया डेरी इन्डस्ट्रीज लि०,
11 ए, बी० सी०
आत्मा राम हाऊस,
1 टालस्टाय मार्ग, नई दिल्ली।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

प्रो० म्यूनिसीपल नं० 6492 और 6492-ए० न्यू म्यूनिसीपल नं० एफ-7/1, एफ-7/2, एफ-7/3, एफ-7/4, एफ-7/8, एफ-7/9, एफ-7/10, एफ 7/11, एच ब्लाक कनाट प्लेस, नई दिल्ली तादादी 4700 वर्गफीट ।

सुधीर चन्द्रा
सक्षम अधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-1, नई दिल्ली

तारीख :- 2-6-1984
मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस.------------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन क्षेत्र, भोपाल

पूना, दिनांक 2 अप्रैल 1984

निदेश सं० सी० ए० 5/37 ईई०/83-84/600—अतः मुझे, शशिकांत कुलकर्णी,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/-रु. से अधिक है

और जिसकी सं० फ्लैट नं० 21, दूसरा माला गणेश पैलेस, रामनगर टोम्बीवली, जिला ठाने में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची मे और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण), अर्जन रेंज, पूना रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख अक्तूबर, 1983

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिये; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) मै० आशीश बिल्डर्स,
157, शंकर धाम,
ब्लॉक नं० 6,
स्कीम नं० 57,
रोड नं० 10,
वडाला, बम्बई-31 ।

(अन्तरक)

(2) श्री एस० बी० मोबे,
बी 8, सहजीवन सोसाइटी
राम नगर,
डोम्बावली (ईस्ट),
जिला ठाने ।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त संपत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

फ्लैट नं० 21, दूसरा माला गणेश पैलेस राम नगर, डोम्बीवली (ईस्ट), जिला ठाने ।

(जैसे कि रजिस्ट्रीकृत नं० 37 ईई०/2550/थाना/83-84/ जो तारीख अक्तूबर, 1983 को सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण), अर्जन रेंज, पूना के दफ्तर में लिखा है ।)

शशिकांत कुलकर्णी
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, पूना

तारीख : 2-4-1984
मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस. - - -

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, पूना

पूना, दिनांक 2 अप्रैल, 1984

निदेश सं० सी० ए० 5/37 ईई०/83-84-यत: मुझे, शशिकांत कुलकर्णी

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० फ्लैट नं० जी विंग नं II, कन्टोनमेंट कमेटी नं० 2418 है तथा जो ईस्ट स्ट्रीट पूना में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज, पूना में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख अक्तूबर, 1983

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण में लिखित वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अत: अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

(1) मैं० ठक्कर परमार प्रापर्टीज प्रा० लि०,
116/118, फर्स्ट मरीन स्ट्रीट,
बम्बई-2।

(अन्तरक)

(2) श्रीमती आई० पी० मेहबुबानी,
श्री जे० पी० मेहबुबानी,
श्रीमती जी० ए० मेहबुबानी,
2406, ईस्ट स्ट्रीट,
पूना-1।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

फ्लैट नं० 'जी', विंग नं० II, कन्टोनमेंट कमेटी नं० 2418 ईस्ट स्ट्रीट, पूना।

(जैसे कि रजिस्ट्री कृत सं० 37 ईई०/1814/पूना जो तारीख अक्तूबर, 1983 को सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण), अर्जन रेंज, पूना के दफ्तर में लिखा है।)

शशिकांत कुलकर्णी
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, पूना

तारीख : 2-4-1984

मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस. ------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, पूना

पूना, दिनांक 28 अप्रैल 1984

निदेश सं० सी० ए० 5/37 ईई०/602/83-84—अतः मुझे, शशिकांत कुलकर्णी,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/-रु. से अधिक है

और जिसकी सं० फ्लैट नं० 13 पहली मंजिल बिल्डिंग नं० 2 सरस्वती नगर को० ऑप० हाऊसिंग सोसाइटी है तथा जो थाना (ईस्ट) में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज, पूना में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख दिसम्बर, 1983

को पूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अंतरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री रमेश लाल गोविन्द राम सतीजा
2/13, सरस्वती नगर,
कोपरी कालोनी,
थाना (ईस्ट)-400603।

(अन्तरक)

(2) 1 श्री रघुकण्ठ बा राम राव श्राफ,
2. श्री गुरुराज राव श्रॉफ,
2/18, दौलत नगर,
थाना (ईस्ट)।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

फ्लैट नं० 13, पहली मंजिल, बिल्डिंग नं० 2, सरस्वती नगर को० आपरेटिव हाऊसिंग सोसाइटी थाना (ईस्ट),

(क्षेत्र 78.30 स्के० मीटर्स)।

(जैसे कि रजिस्ट्रीकृत नं० 37 ईई०/2598/थाना/83-84 दिसम्बर, 1983 को सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण), अर्जन रेंज, पूना के दफ्तर में लिखा है।)

शशिकांत कुलकर्णी
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, पूना

तारीख : 28-4-1984
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०--------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, पूना

पूना, दिनांक 10 अप्रैल 1984

निदेश सं० सी० ए० 5/37 ईई०/603/84-85--अतः मुझे, शशिकांत कुलकर्णी,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० फ्लैट नं० 1 ए, प्लाट नं० सी० ए० एस० 472/सी-2 है तथा जो गुलटेकड़ी, पूना में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय सहायक आयकर आयुक्त निरीक्षण अर्जन रेंज, पूना में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख दिसम्बर, 1983

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, इसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अंतरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) मै० पूर्णिमा बिल्डर्स,
379, न्यू रास्ता पेठ,
पूना-11।

(अन्तरक)

(2) श्री पोपट लाल भाग चन्द ओसवाल,
362, गणेश पेठ,
पूना-2।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

फ्लैट नं० 1 ए, प्लाट नं० सी टी० एस० नं० 472/सी-2, गुलटेकड़ी, पूना- 9।

क्षेत्र 460 स्के० फीट।

(जैसे कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 37 ईई०/2296/83-84 पूना दिसम्बर, 1983 को सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज, पूना के दफ्तर में लिखा है)।

शशिकांत कुलकर्णी
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, पूना

तारीख : 10-4-1984

मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस. -------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, पूना

पूना, दिनांक 28 अप्रैल 1984

निदेश सं० सी० ए० 5/37 ईई०/604/83-84—अतः मुझे, शशिकांत कुलकर्णी,
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/-रु. से अधिक है
और जिसकी सं० फ्लैट नं० 6, प्लाट नं० 3, पितृ छाया बिल्डिंग है तथा जो अचोले जिला थाना में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण), अर्जन रेंज, पूना में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख दिसम्बर, 1983
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्यों से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अंतरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात :—

(1) मे० मनीषा कन्स्ट्रक्शन्स कारपोरेशन,
मार्फत श्री कृष्ण कुमार दवे
पितृ छाया, अचोले रोड,
विलेज—अचोले,
जिला थाना ।

(अन्तरक)

(2) श्रीमती शोभावती हीरालाल मिश्रा,
रूम नम्बर 7,
ब्लाक नं० एक्स—13,
गोदरेज कालोनी ।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

फ्लैट नं० 6, प्लाट नं० 3, पितृ छाया, बिल्डिंग, अचोले, जिला थाना (क्षेत्र 60.85 स्के० मीटर्स)।

(जैसे कि रजिस्ट्रीकृत नं० 37 ईई०/थाना/2913/83-84 दिसम्बर, 1983 को सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण), अर्जन रेंज, पूना के दफ्तर में लिखा है)

शशिकांत कुलकर्णी
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, पूना

तारीख : 28-4-1984
मोहर :

प्ररूप आई.टी.एन.एस. -------------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, पूना

पूना, दिनांक 7 अप्रैल 1984

निदेश सं० सी० ए० 5/37 ईई०/605/84-85—अतः मुझे, शशिकांत कुलकर्णी,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है:

और जिसकी सं० प्लाट नं० 51 और 52 जो सर्वे नं० 121 और 122 कोथरुड, पूना में कुल एरिया 25120 चौरस फीट है तथा जो कोथरुड, पूना में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण), अर्जन रेंज, पूना में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख, जनवरी, 1984

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम दृश्यमान प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, एसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अंतरिती (अंतरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित से नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर दोने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए।

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री पी० वी० सोनालकर,
श्री वी० वी० सोनालकर,
श्री एम० वी० सोनालकर,
अनुराग अपार्टमेंट,
एरण्डवना, पूना 4।

(अन्तरक)

(2) मै० निमा बिल्डर्स,
501, रास्तापेठ,
पूना-417011।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

प्लाट नं० 51 और 52 जो सर्वे नं० 121 और 122 में कोथरुड, पूना।

(जैसे कि रजिस्ट्रीकृत नं० 37ईई०/3517/पूना/83-84 जो सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज, पूना के दफ्तर में लिखा है)।

शशिकांत कुलकर्णी
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, पूना

तारीख : 7-4-1984
मोहर :

प्ररूप आई.टी.एन.एस.--------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, पूना

पूना, दिनांक 7 अप्रैल 1984

निदेश सं० सी० ए० 5/37 ईई०//606/84-85---अतः मुझे, शशिकांत कुलकर्णी,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है

और जिसकी सं० फ्लैट टाप फ्लोर सर्वे नं० 786/9/10/15 16 एफ० पी० नं० 243, शिवाजी नगर पूना है तथा जो पूना में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण), अर्जन रेंज, पूना में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख दिसम्बर, 1983

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :--

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री डी० के० गारदे (भागीदार),
मै० वास्तु शिल्प, "विद्या"
93/2ए, अरंडवना,
पूना-9।

(अन्तरक)

(2) श्री एम० एच० पवार,
3/44, गुरु प्रसाद,
पूना-1।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

फ्लैट-टाप फ्लोर, सर्वे नं० 786/9/10/15/16, एफ० पी० नं० 243, शिवाजी नगर, पूना।

(जैसे कि रजिस्ट्रीकृत नं० 37 ईई०/3058/83-84 जो दिसम्बर 1983 को सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण), अर्जन रेंज, पूना के दफ्तर में लिखा है।)

शशिकांत कुलकर्णी
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, पूना

तारीख : 7-4-1984

मोहर :

प्ररूप आई.टी.एन.एस.----------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, पूना

पूना, दिनांक 6 अप्रैल 1984

निदेश सं० सी० ए० 5/37 ईई०/607/84-85-

मुझे, शशिकांत कुलकर्णी

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० फ्लैट नं० 304, मकान नं० 2416 है तथा जो पूना में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण), अर्जन रेंज, पूना में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अंतरितियों) के बीच ऐसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अंतरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अंतरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अंतरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अंतरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) मैं० मकवाना ब्रदर्स एण्ड कं०
441, सोमवार पेठ,
पूना-2

(अन्तरक)

(2) श्रीमती ज्योति दयाल दास दासवानी
पी० ओ० बाक्स नं० 12427,
इबादान ओयोस्टेट,
नाइजेरिया वेस्ट अफ्रीका।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

फ्लैट नं० 304, तीसरी माजला, एच नं० 2416, ईस्ट स्ट्रीट, जनरल थिमैय्या रोड, पूना-11/क्षेत्र 1420 स्के० फीट।

(जैसे कि रजिस्ट्रीकृत नं० 37 ईई०/2237/83-84/ पूना नवम्बर 1983 को सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज, पूना के दफ्तर में लिखा है।)

शशिकांत कुलकर्णी
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, पूना

तारीख : 6-4-1984
मोहर :

प्ररूप आई.टी.एन.एस.—————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, पूना

पूना, दिनांक 2 अप्रैल 1984

निदेश सं० सी० ए० 5/37 ईई०/608/83-84—अतः मुझे, शशिकांत कुलकर्णी,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है
और जिसकी सं० फ्लैट नं० एच० विंग नं० II कन्टोनमेंट कमेटी नं० 2418, ईस्ट स्ट्रीट, पूना-1 है तथा जो पूना में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण), अर्जन रेंज, पूना में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख अक्तूबर, 1983
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अंतरितियों) के बीच ऐसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) मै० टक्कर और परमार प्रापर्टीज, प्राइवेट लिमिटेड, 116/118, फर्स्ट मरीन स्ट्रीट, बम्बई-2

(अन्तरक)

(2) श्री ईश्वरी प्रताप राय मेहबुबानी, श्री सुन्दर प्रताप राय मेहबुबानी, श्रीमती विणू सुन्दर मेहबुबानी, 2406, ईस्ट स्ट्रीट, पूना-1

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त संपत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप —

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

फ्लैट नं० 'एच' विंग नं० II, कन्टोनमेंट कमेटी नं० 2418 ईस्ट स्ट्रीट, पूना।

(जैसे कि रजिस्ट्रीकृत नं० 37 ईई०/1559/83-84 जो तारीख अक्तूबर, 1983 को सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज, पूना के दफ्तर में लिखा है)।

शशिकांत कुलकर्णी
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, पूना

तारीख : 2-4-1984

मोहर :

प्ररूप आई.टी.एन.एस

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, पूना

पूना, दिनांक 5 अप्रैल 1984

निदेश सं० सी० ए० 5/37 ईई०/609/83-85—अतः मुझे, शशिकांत कुलकर्णी,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० फ्लैट नं० 7, रजिस्ट्रीकरण अपार्टमेंट, प्लाट नं० 87, स नं० 50, 52, 53 ए, पर्वती, पूना-411009 है तथा जो पूना-2 मे स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण), अर्जन रेंज पूना रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख अक्तूबर, 1983

को पूर्वोक्त सम्पत्ति से उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) मै० चोपड़ा डेवलपर्स,
245, नारायण पेठ,
पूना-411030।

(अन्तरक)

(2) श्री विवेकानन्द बाबूराव ताकवले,
862, कस्बा पेठ,
पूना-411011।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

फ्लैट नं० 7, राजकिरन अपार्टमेंट, प्लाट नं० 87, स० नं० 50, 52, 53 ए, पर्वती पूना-411009।

(जैसे कि रजिस्ट्रीकृत नं० 1693/अक्तूबर, 1983 को सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण), अर्जन रेंज, पूना के दफ्तर में लिखा है)।

शशिकांत कुलकर्णी
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, पूना

तारीख : 5-4-1984
मोहर :

प्ररूप आई.टी.एन.एस. -------------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, पूना

पूना, दिनांक 5 अप्रैल 1984

निदेश सं० सी० ए० 5/37 ईई०/610/84-85--अतः मुझे, शशिकांत कुलकर्णी,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० फ्लैट नं० 10, राज किरण अपार्टमेंटस, प्लाट नं० 87, सं० नं० 56, 52, 53 (ए), पर्वती, पूना-9 है तथा जो पूना-9 में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण), अर्जन रेंज, पूना में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख, नं० 2035 अक्तूबर, 1983

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :--

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के, अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :--

(1) मै० चोपड़ा डेवलेपर्स,
245, नारायण पेठ,
पूना-30

(अन्तरक)

(2) श्री गणपतराव सम्भाजी तांबे,
जेऊर गांव,
ता० पुरन्दर
जिला--पूना ।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :--

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा,

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:--इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

फ्लैट नं० 10, राजकिरण अपार्टमेंटस, प्लाट नं० 87, स० नं० 50, 52, 53 (ए), पर्वती, पूना-9

(जैसे कि रजिस्ट्रीकृत नं० 37 ईई०/2035/पूना-83-84 ता० अक्तूबर, 1983 को सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज, पूना के दफ्तर में लिखा है)।

शशिकांत कुलकर्णी
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त, (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, पूना

तारीख : 5-4-1984
मोहर :

प्ररूप आई.टी.एन.एस.------------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, पूना

पूना, दिनांक 5 अप्रैल 1984

निदेश सं० सी० ए० 5/37 ईई०/ 84-85- -अतः मुझे, शशिकांत कुलकर्णी,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० फ्लैट नं० 6, राजकिरण अपार्टमेंट, प्लाट सं० 87, स० नं० 50, 52, 53 ए पर्वती, पूना-9 है तथा जो पूना-9 में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण), अर्जन रेंज-पूना में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख नं० 1691/ अक्तूबर, 1983

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, एक दृश्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात :—

(1) मे० नीपना सेकलपर्स,
245, नारायण पेठ,
पूना-30।

(अन्तरक)

(2) श्रीमती शैलजा दीपक अवले और
श्री दीपक शामराव अवलेने,
वरद विनायक हाऊसिंग सोसाइटी
वड गांव शेरी,
पूना-14।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए एतदद्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

फ्लैट नं० 6, प्लाट नं० 87, स० नं० 50, 52, 53 ए, पर्वती, पूना-9।

(जैसे कि रजिस्ट्रीकृत नं० 37 ईई०/1691/पूना/83-84 ता० अक्तूबर, 1983 को सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण), अर्जन रेंज, पूना के दफ्तर में लिखा है)।

शशिकांत कुलकर्णी
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, पूना

तारीख : 5-4-1984
मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस.--------------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269 घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, पूना

पूना, दिनांक 2 अप्रैल 1984

निदेश सं० सी० ए० 5/37 ईई०/613/83-84—अत: मुझे, शशिकांत कुलकर्णी,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० फ्लैट नं० 120, प्लाट नं० 4, हिस्सा नं० 6, सं नं० 17 ए, है तथा जो वानोरी, पूना में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण अर्जन रेंज, पूना में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 25 जनवरी, 1984

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए;

अत: अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) मै० परमार कन्स्ट्रक्शन्स,
321/3, न्यू टिम्बर मार्केट रोड,
शांति नगर,
पूना-2

(अन्तरक)

(2) श्री जे० ई० जौली
28, कान्नुत रोड,
पूना-1

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

फ्लैट नं० 120, प्लाट नं० 4 हिस्सा नं० 6, सं नं० 17ए, वानोरी, पूना / क्षेत्र 790 स्क्वायर फीट।

(जैसे कि रजिस्ट्रीकृत नं० 37 ईई०/3623/83-84 पूना, तारीख 25 जनवरी, 1984 को सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण), अर्जन रेंज, पूना के दफ्तर में लिखा है)।

शशिकांत कुलकर्णी
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, पूना

तारीख : 2-4-1984
मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस.-----------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, पूना

पूना, दिनांक 5 अप्रैल 1984

निदेश सं० सी० ए० 5/37 ईई०/614/84-85-अत:-मुझे, शशिकांत कुलकर्णी

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० फ्लैट नं० 424 है तथा जो पूना में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण), अर्जन रेंज, पूना में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख अक्तूबर 1983

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अंतरितियों) के बीच ऐसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए ;

अत: अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) मे० परमार कन्स्ट्रक्शन्स,
321/3, न्यू टिम्बर मार्केट रोड,
पूना-2।

(अन्तरक)

(2) श्री अन्वर आईन शेख,
मार्फत श्री तारीक अहोर,
पी० ओ० बाक्स 8146,
जेदाह, सऊदी अरेबिया।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

फ्लैट नं० 424, प्लाट नं० 4, हिस्सा नं० 6, सर्वे नं० 170, मौजे वानोरी, पूना-13।

क्षेत्र 720 स्क्वे० फीट।

(जैसे कि रजिस्ट्रीकृत नं० 37 ईई०/668/83-84/पूना/अक्तूबर 1983 को सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण), अर्जन रेंज, पूना के दफ्तर में लिखा है)।

शशिकांत कुलकर्णी
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, पूना

तारीख : 5-4-1984
मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस.---------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, पूना

पूना, दिनांक 6 अप्रैल 1984

निदेश सं० सी० ए० 5/37 ईई०/615/83-84--अत: मुझे, शशिकांत कुलकर्णी,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० फ्लैट नं० 404 एस० नं० 2416 है तथा जो पूना में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण), अर्जन रेंज, पूना में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख नवम्बर, 1983

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अंतरितियों) के बीच ऐसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अत: अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) मै० मकवाना ब्रदर्स एण्ड कम्पनी,
441, सोमवार पेठ,
पूना-1। (अन्तरक)

(2) 1. काला उत्तम लाल बलसारा।
2. श्री उत्तम लाल एल० बलसारा।
209, एम० जी० रोड,
पूना-1। (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

फ्लैट नं० 304, चौथी मंजिल, एस० नं० 2416, ईस्ट स्ट्रीट, जनरल थिमैय्या रोड, पूना-1।

क्षेत्र 1420 स्के० फीट।

(जैसे कि रजिस्ट्रीकृत नं० 37 ईई०/2234/पूना/83-84 नवम्बर 1983 को सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज, पूना के दफ्तर में लिखा है)।

शशिकांत कुलकर्णी
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, पूना

तारीख : 6-4-1984
मोहर:

प्ररूप आई. टी. एन. एस. --------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, पूना

पूना, दिनांक 7 अप्रैल 1984

निदेश सं० सी० ए० 5/37 ईई०/616/84-85—अतः मुझे, शशिकांत कुलकर्णी

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० है तथा जो डोंबीवली, जिला थाना में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त निरीक्षण), अर्जन रेंज, पूना में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख 25 दिसम्बर, 1983

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अंतरितियों) के बीच ऐसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) मै० शहा बिल्डर्स,
49, स्टील यार्ड हाउस,
सन्त तुका राम रोड,
बम्बई-9।

(अन्तरक)

(2) श्री मोहन निलकण्ठ वाघ,
सी ब्रिज अपार्टमेंटस,
ईस्ट क्रास लेन,
सांताक्रूज (वेस्ट),
बम्बई-54।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :--

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

फ्लैट नं० 203, दूसरी मंजिल, लक्ष्मी अपार्टमेंटस तिलक रोड, डोंबीवली, (ईस्ट) जिला थाना।

क्षेत्र 614.8 स्के० फीट।

(जैसे कि रजिस्ट्रीकृत नं० 37 ईई०/3605/83-84/पूना ता० 24-12-83 को सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण), अर्जन रेंज, पूना के दफ्तर में लिखा है)

शशिकांत कुलकर्णी
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, पूना

तारीख : 7-4-1984

मोहर

प्ररूप आई. टी. एन. एस. -------------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, पूना

पूना, दिनांक 2 अप्रैल 1984

निदेश सं० सी० ए० 5/37 जी० /1113/83-84—अत: मुझे, शशिकांत कुलकर्णी

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० प्लाट नं० 35, आर० एस० नं० 25/1, और 26 है तथा जो लेनावान, जिला पूना में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय दुय्यम निबन्धक, मावल में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 6 अक्तूबर, 1983

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अंतरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए;

अत: अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) मै० प्रधान हील रिसार्टस,
पार्टनर श्री शिवराज अहुद्दिन अहमद प्रधान
41, जेल रोड,
डोंगरी, बम्बई-9।

(अन्तरक)

(2) 1. श्री मफली खान रज्जब खान
2. श्री अमन खान राजा मुहम्मद।
इरानी चाल, जी वार्ड.
लेनावल, जिला पूना।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

प्लाट नं० 35, आर० एस० नं० 25/1 और 26 लेनावल, जिला पूना। क्षेत्र 578.19 स्के० मीटर्स।

(जैसे कि रजिस्ट्रीकृत नं० 37 जी०/469/ता० 6-10-83 को दुय्यम निबन्धक मावल के दफ्तर में लिखा है)।

शशिकांत कुलकर्णी
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, पूना

तारीख : 2-4-1984

मोहर

प्ररूप आई. टी. एन. एस.————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, पूना

पूना, दिनांक 5 अप्रैल, 1984

निदेश सं० सी० ए० 5/37 ईई/612/84-85—अतः, मुझे, शशिकांत कुलकर्णी

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/-रु. से अधिक है

और जिसकी सं० ऑफिस नं० 210 है तथा जो 501 बी० घोरपड़ी पेठ, पूना-2 में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज पूना में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख नं० 2899 / दिसम्बर 1983

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) हरी नारायण पन्ना लाल मालपाणी, 1598, शुक्रवार पेठ, पूना-2।

(अन्तरक)

(2) श्रीमती मंजुला कांतिलाल संघवी, 164, गुरुवार पेठ, पूना 2।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

ऑफीस नं० 210 पन्ना चेंबर्स, 501-बी घोरपडे पेठ, पूना-2

(जैसे कि रजिस्ट्रीकृत नं० 37 ईई०/2899/83-84, दिसम्बर, 1983 को सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज, पूना के दफ्तर में लिखा है)।

शशिकांत कुलकर्णी
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, पूना

तारीख : 5-4-1984

मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस. ------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, पूना

पूना, दिनांक 28 अप्रैल 1984

निर्देश सं. सी० ए० 5/37 ईई०/617/83-84—अतः मुझे, शशिकांत कुलकर्णी

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है

और जिसकी सं० फ्लैट नं० 7, शान्ताकुज अपार्टमेंटस सी०टी० एस० नं० 29-2 और 3 है तथा जो सोमवार पेठ, पूना में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण), अर्जन रेंज, पूना में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, एसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अन्तरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात :—

1) 1. श्री जगन्नाथ प्यारेलाल आगरवाल,
2. श्री कांतिलाल जगन्नाथ आगरवाल,
278, नाना पेठ,
पूना-2।

(अन्तरक)

(2) श्री चन्द्रकांत दत्तात्रय कुंपडे,
नथु लंबगे चाल,
कासारवाडी,
पूना-34।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

फ्लैट नं 7, शांताकुज अपार्टमेंट्स, सी० टी० एस० नं० 29-229 और 31 सोमवार पेठ, पूना। क्षेत्र 408 स्के० फीट।

(जैसे कि रजिस्ट्रीकृत नं० 37 ईई/पूना/2266/83-84, ता० 6 अक्तूबर, 1983 को सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज, पूना के दफ्तर में लिखा है)।

शशिकांत कुलकर्णी
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, पूना

तारीख : 28-4-1984
मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस. ----------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, पूना

पूना, दिनांक 5 अप्रैल 1984

निदेश सं० सी० ए० 5/37 ईई०/618/84-85-अत: मुझे, शशिकांत कुलकर्णी

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/-रु. से अधिक है

और जिसकी सं० फ्लैट नं० 1, राजकिरण अपार्टमेंट, प्लाट नं० 87, स० नं० 50, 52, 53 ए, पार्वती, पूना-411009 है तथा जो पूना-2 में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण), अर्जन रेंज, पूना में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख अक्तूबर, 1983

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, एसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अंतरिती (अंतरितियों) के बीच एसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अंतरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अंतरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अत: अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात :—

(1) मैं० चोपरा डेवलपर्स, 242, नाराण पेठ, पूना-411030।

(अन्तरक)

(2) श्री के० बी० नहिरट 512, रास्ता पेठ, पूना-411011।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

फ्लैट नं० 1, राजकिरण अपार्टमेंट, प्लाट नं० 87 स०नं० 50,52, 53ए, पार्वती, पूना-411009।

(जैसे कि रजिस्ट्रीकृत नं० 1692/अक्तूबर, 1983 को सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण), अर्जन रेंज, पूना के दफ्तर में लिखा है)।

शशिकांत कुलकर्णी
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज पूना

तारीख : 5-4-1984

मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस.----------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, पूना

पूना, दिनांक 9 अप्रैल 1984

निदेश सं० सी० ए० 5/37 ईई०/619/84-85—अतः मुझे, शशिकांत कुलकर्णी

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० और जिसकी सं० गंजपीथ सर्वे नं० 526 प्लाट सं० 322/2 टी० पी० स्की०3 है तथा जो पूना में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण), अर्जन पूना रेंज, में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख अक्तूबर, 1983

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अंतरितियों) के बीच ऐसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अंतरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात :—

(1) श्री रमेश शिवराम दामले,
महाराष्ट्र मण्डल,
तिलक रोड,
पूना-30।

(अन्तरक)

(2) श्री मोहनलाल ताराचन्द परमार,
393, गुरुवार पेठ,
पूना-2

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

गंज पेठ, सर्वे नं० 529, फ्लैट नं० 322/2 टी० पी० स्कीम नं० 3, एरिया, 5100 चौरस मीटर

(जैसाकि रजिस्ट्रीकृत नं० 2588/83-84 जो त० माह अक्तूबर, 1983 को सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण), अर्जन रेंज, पूना के दफ्तर में लिखा है)।

शशिकांत कुलकर्णी
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, पूना

तारीख : 9-4-1984
मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस. ----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, पूना

पूना, दिनांक 10 अप्रैल 1984

निदेश सं० सी० ए० 5/37 ईई०/620/84-85—अतः मुझे शशिकांत कुलकर्णी

आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- से अधिक है

और जिसकी सं० फ्लैट नं० II-ए, प्लाट नं० सी० टी० एस० और जिसकी सं० प्लैट ' 2ए, प्लाटर्स टी ए उ 472 है तथा जो गुलटेकड़ी, पूना में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है,) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय,

पूना में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख दिसम्बर, 1983

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अंतरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए।

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात :—

(1) मै० पूर्निमा बिल्डर्स,
379, न्यू रास्ता पेठ,
पूना—1।

(अन्तरक)

(2) श्री शशिकांत शिवाजी राव गिते,
372, गणेश पेठ,
पूना—2।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

फ्लैट नं० II-ए, प्लाट सी० टी० एस० नं० 472/सी-2, गुलटेकड़ी, पूना—9।

क्षेत्र 550 स्के० फीट।

(जैसे कि रजिस्ट्रीकृत नं० 37/37 ईई०/2295/83-84/पूना/दिसम्बर, 1983 को सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज, पूना के दफ्तर में लिखा है)।

शशिकांत कुलकर्णी
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, पूना

तारीख : 10-4-1984
मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस.---------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, पूना

पूना, दिनांक 9 अप्रैल 1984

निर्देश सं० सि०ए० 5/37 ईई/621/83-84---यतः मुझे, शशिकांत कुलकर्णी

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० फ्लैट नं० 2 ब्लाक 11ए विंग है तथा जो पूना में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, पूना में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 3 सितम्बर, 83

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अंतरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्यों से उक्त अंतरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) मैसर्स ठक्कर्स बिल्डर्स प्रा० लि०
116/118, 1 मरीन स्ट्रीट,
बम्बई-2।

(अन्तरक)

(2) श्री रमेश हिरानन्द कृपलानी
2406, ईस्ट स्ट्रीट,
पूना-1

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

फ्लैट नं० 2, ब्लाक नं० 2, ए विंग, ठक्कर्स अपार्टमेंटस, नं० 2128, कुंभारवाड़ी, वल्लभ भाई पटेल रोड, पूना-1 क्षेत्र 685 स्के० फीट।

(जैसे कि रजिस्ट्रीकृत नं० 37 ईई०/1808/83-84/ पूना ता० 3-10-83 को सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज, पूना के दफ्तर में लिखा है।)

शशिकांत कुलकर्णी
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, पूना

तारीख : 9-4-1984
मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस. - - -

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, पूना

पूना, दिनांक 2 अप्रैल 1984

निदेश सं० सी० ए० 5/37 जी० 111/83-84—अत: मुझे, शशिकांत कुलकर्णी

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० प्लाट नं० 20, आर० एस० नं० 25/1 और 26 है तथा जो लेनावल, जिला पूना में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, दुय्यम निबन्धक, मावल में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख अक्तूबर, 1983

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, एसे दृश्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अन्तरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय को बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए;

अत: अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) मै० प्रधान हील रिसार्टर्स,
पार्टनर श्री शिवराज बहुद्दिन अहमद,
प्रधान, 41, जेल रोड,
(ईस्ट) डोंगरी, बम्बई-9।

(अन्तरक)

(2) 1. श्री वसन्त रघुनाथ टिकेकर,
2. श्री मनोहर रावदमल गुप्ता,
जी० वार्ड, लेनावल,
जिला पूना ।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

प्लाट नं० 20, सर्वे नं० 25/1 और 26 लेनावल, जिला पूना / क्षेत्र 595.70 स्के० मीटर्स ।

जैसे कि रजिस्ट्रीकृत नं० 37 जी/588/1983 को दुय्यम निबन्धक, मावल के दफ्तर में लिखा है)।

शशिकांत कुलकर्णी
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, पूना

तारीख : 2-4-1984

मोहर :

प्ररूप आई.टी.एन.एस. ---------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, पूना

पूना, दिनांक 2 अप्रैल 1984

निर्देश सं० सी० ए० 5/37 जी०/83-84—अतः मुझे, शशिकांत कुलकर्णी

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/-रु. से अधिक है

और जिसकी सं० फ्लैट नं० 21, आर० एस० नं० 25/1 और 26 है तथा जो लोनावल, जि० पूना में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय दुय्यम निबन्धक मावल में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 6 अक्तूबर, 1983

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा **के लिए;**

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) मै० प्रधान हीरा रिसार्टर,
पार्टनर श्री बहुद्दीन अहमद प्रधान,
41, जेल रोड (ईस्ट),
डोंगरी (बम्बई)।

(अन्तरक)

(2) 1 श्री नन्द किशोर श्री गोपाल खण्डेलवाल,
26 एफ० वार्ड,
न्यू बाजार, लेनावल।
2. श्रीमती रूपवती किशन लाल अगरवाल,
85 एफ वार्ड,
न्यू बाजार,
लेनावल।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

फ्लैट नं० 21, आर० एस० नं० 25/1 और 26 लेनावल, जिला पूना। क्षेत्र 514.82 स्के० मीटर्स।

(जैसे कि रजिस्ट्रीकृत नं० 37 जी०/336/6-10-83 को दुय्यम निबन्धक, मावल के दफ्तर में लिखा है)।

शशिकांत कुलकर्णी
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, पूना

तारीख : 2-4-1984
मोहर :

प्ररूप आई.टी.एन.एस.-----------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, पूना

पूना, दिनांक 3 अप्रैल 1984

निदेश सं० सी०ए० 5/27 जी०/1115/83-84--अतः मुझे, शशिकांत कुलकर्णी आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० फ्लैट नं० 34, आर० एस० नं० 25/1, और 26 है तथा जो लेनावल, जिला पूना में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, दुय्यम निबन्धक, मावल में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख अक्तूबर, 1983

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अन्तरिती (अंतरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अंतरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) मै० प्रधान हील रिसार्टस,
पार्टनर श्री शिवराज बहुद्दीन
अहमद प्रधान,
41, जेल रोड,
ईस्ट डोंगरी
बम्बई-9।

(अन्तरक)

(2) 1. श्री घेवर चन्द जुहार मल जी जैन,
फ्लैट नं० 4, सिल्वर
हाउसिंग सोसाइटी गार्डन रोड
नं० 3 मालड-बम्बई-64।

2. श्री कनक राज जुहार मल जी जैन
छठवां फ्लोर मामलतदार वाड़ी,
अंजनी निवास, रूम नं० 2,
मालड, बम्बई-64।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

फ्लैट नं० 34 आर० एस० नं० 25/1 और 26 लेनावल जिला पूना। क्षेत्र 634 5 स्को० मीटर्स।

(जैसे कि रजिस्ट्रीकृत नं० 37 जी०/589/अक्तूबर, 1983 को दुय्यम निबन्धक, मावल के दफ्तर में लिखा है)।

शशिकांत कुलकर्णी
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, पूना

तारीख : 3-4-1984
मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस.------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, पुना

पुना, दिनांक 2 अप्रैल 1984

निर्देश सं० सी० ए० 5/37 जी०/83-84—अत: मुझे, शशिकांत कुलकर्णी

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० फ्लैट नं० 25 आर० एस० नं० 25/1 और 26 है तथा जो लेनावल, जिला पुना में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण), अर्जन रेंज, पुना में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 7 अक्तूबर, 1983

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अत: अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) मै० प्रधान हिल रिसॉर्ट,
पार्टनर श्री शिवराज बहुद्दीन अहमद प्रधान,
41, जेल रोड,
डोंगरी, बम्बई—9।

(अन्तरक)

(3) 1. श्री अफजल एच० मिठा,
22 आर्गील स्ट्रीट, बम्बई—1।
2. श्रीमती शिरीन रोशन नानावटी,
नवरोज, महोर,
मिर्जा गालिब रोड,
बम्बई—8।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

फ्लैट नं० 25 आर एस नं० 25/1 और 26 लेनावल जिला पुना। क्षेत्र 509.4 स्के० मीटर्स।

(जैसाकि रजिस्ट्रीकृत नं० 587 ता० 7-10-83 को दुय्यम निबन्धक, मावल के दफ्तर में लिखा है।)

शशिकांत कुलकर्णी
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, पुना

तारीख : 2-4-1984
मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस. ------------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, पूना

पूना, दिनांक 3 अप्रैल 1984

निदेश सं० सी० ए० 5/37 जी० 1117/83-84—अतः मुझे, शशिकांत कुलकर्णी

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

फ्लैट नं० 37, आर० एस० नं० 25/1 और 26/1 है तथा जो लेनावल, जि० पूना में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय दुय्यम निबन्धक, मावल में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 6 अक्तूबर, 1983

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, एसे दृश्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अंतरितियों) के बीच एसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) मैं० प्रधान हील रिसार्टर्स,
पार्टनर श्री शिवराज बहुद्दीन अहमद प्रधान,
41, जेल रोड,
डोंगरी, बम्बई-9।

(अन्तरक)

(2) 1. श्री हनीफ सहन शेख,
मकान नं० 8,
ई वार्ड, लेनावल,
जिला पूना।
2. श्री मती नलीबाई हुसनअली
मर्चंट जावल सेनोटोरियम,
नं० II, बम्बई-पूना रोड,
लेनावल, जिला पूना।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

फ्लैट नं० 37 आर० एस० नं० 25/1 और 26/1 क्षेत्र 586 स्के० मीटर्स। लेनावल जिला पूना।

(जैसे कि रजिस्ट्रीकृत नं० 37 जी०/471 ता० 7 अक्तूबर 1983 को सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण), अर्जन रेंज, पूना के दफ्तर में लिखा है)।

शशिकांत कुलकर्णी
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, पूना

तारीख : 3-4-1984
मोहर :

प्ररूप आई॰ टी॰ एन॰ एस॰ ———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, पूना

पूना, दिनांक 4 अप्रैल 1984

निदेश सं॰ सी॰ ए॰ 5/37-जी॰/118/83-84——यतः मुझे, शशिकांत कुलकर्णी

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं॰ फ्लैट नं॰ 14, सर्वे नं॰ 25/1 और 26 है तथा जो लेनावल, जि॰ पूना में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय दुय्यम निबन्धक, मावल में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 7 अक्तूबर, 1983

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) मै॰ प्रधान हील रिसार्टस,
पार्टनर श्री बद्रुद्दीन अहमद प्रधान,
41, जेल रोड,
डोंगरी (ईस्ट), बम्बई–9।

(अन्तरक)

(2) 1. श्री अशोक राम चन्द्र पारख,
2. श्री चम्पक लाल रामचन्द्र पारेख,
'एफ' वार्ड, लेनावल,
ता॰ मावल, जिला पूना।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

फ्लैट नं॰ 14, सर्वे नं॰ 25/1 और 26, लेनावल, जिला पूना। क्षेत्र 578.46 स्के॰ मीटर्स।

(जैसे कि रजिस्ट्रीकृत सं॰ 337/ता॰ 7 अक्तूबर, 1983 को दुय्यम निबन्धक, मावल, पूना के कार्यालय में लिखा है)।

शशिकांत कुलकर्णी
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, पूना

तारीख : 4-4-1984
मोहर :

प्ररूप. आई. टी. एन. एस. -----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, पूना

पूना, दिनांक 23 मई 1984

निदेश सं० सी० ए० 5/37 ईई/627/84-85—यत: मुझे, शशिकांत कुलकर्णी आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

श्रौर जिसकी सं० फ्लैट नं० 202, बिल्डिंग बी, चारुहास अपार्टमेन्ट प्लाट नं० 65, सर्वे नं० 121, 122, कोथरुड, पूना-29 है तथा जो पूना में स्थित है (श्रौर इससे उपाबद्ध अनुसूची में श्रौर पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण), अर्जन रेंज, पूना में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख नवम्बर 1983

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अंतरितियों) के बीच ऐसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अत: अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) मै० वी० एस० जोशी श्रौर कं०,
"जय चेम्बर्स"
501, घोरपेड पेठ,
पूना-2।

(अन्तरक)

(2) श्री सीताराम भास्कर नेने,
श्री प्राजक्त सीताराम नेने,
"लक्ष्मी निवास"
355, बी० पी० रोड,
बम्बई-4।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

फ्लैट नं० 202, बिल्डिंग बी चारुहास अपार्टमेन्ट, प्लॉट नं० 65, सर्वे नं० 121, 122 कोथरुड, पूना-29।

(जैसे कि रजिस्ट्रीकृत नं० 37 ईई०/2150/पूना/83-84 जो तारीख नवम्बर, 1983 को सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण), अर्जन रेंज, पूना के कार्यालय में लिखा है)।

शशिकांत कुलकर्णी
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, पूना

तारीख : 23-5-1984
मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस. -----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, पूना

पूना, दिनांक 23 मई 1984

निदेश सं० सी० ए० 5/37 ईई०/629/83-84—अतः मुझे, शशिकांत कुलकर्णी

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/-रु. से अधिक है

और जिसकी सं० फ्लैट नं० 201, बिल्डिंग ए, चारुहास अपार्टमेंट, प्लाट नं० 65, सर्वे नं० 121, 122 कोथरुड, पूना-29 है तथा जो पूना में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण), अर्जन रेंज, पूना में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख अक्तूबर, 1983

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अंतरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) मैं० बी० एम० जोशी और कं०,
'जय चेम्बर्स',
501, घोरपडे पेठ, पूना-2।

(अन्तरक)

(2) श्री डी० एस० गाड,
46/386, एम० एच० बी० कालोनी,
संत तुकाराम नगर,
पूना-18।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

फ्लैट नं० 201, बिल्डिंग ए, चारुहास— अपार्टमेंट, फ्लैट नं० 65, सर्वे नं० 121, 122, कोथरुड, पूना-29।

(जैसे कि रजिस्ट्रीकृत नं० 37 ईई०/2463/83-84/ तारीख अक्तूबर, 1983 को सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज, पूना के दफ्तर में लिखा है)।

शशिकांत कुलकर्णी
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, पूना

तारीख : 23-5-1984

मोहर :

प्ररूप आई.टी.एन.एस.----------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा
धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, पूना

पूना, दिनांक 9 मई 1984

निर्देश सं० सी०ओ० 5/37/ईई/678/84-84—अतः मुझे, शशि कांत कुलकर्णी

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० फ्लैट नं० 101 बिल्डिंग-बी चारुहास अपार्टमेंट फ्लैट नं0 65, सर्वे नं० 121-122, कोथरोड पूना-29 है, तथा जो पूना में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और जो पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज पूना में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक अक्तूबर, 1983 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अंतरितियों) के बीच ऐसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण में लिखित वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अंतरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) मै० वी० एस० जोशी और कं०,
'जय चेम्बर्स',
501, घोरपडे पेठ,
पूना-2।

(अन्तरक)

(2) श्री वी० के० देशपांडे,
श्रीमती जे० वी० देशपांडे,
मार्फत श्री वी० डी० गरुड,
'सत्कार, बंगलो,
38/21 एरंडवना,
पूना-38।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

फ्लैट नं० 101, बिल्डिंग बी, चारुहास अपार्टमेंट, प्लाट नं० 65, सर्वे नं० 121, 122, कोथरोड, पूना-29।

जैसे कि रजिस्ट्रीकृत नं० 37 ईई०/2465/पूना/जो तारीख अक्तूबर, 1983 को सहायक आयकर आयुक्त निरीक्षण, अर्जन रेंज, पूना के कार्यालय में लिखा है)।

शशिकांत कुलकर्णी
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, पूना

तारीख : 23-5-1984
मोहर

प्रारुप आई. टी. एन. एस.------------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, पूना

पूना, दिनांक 22 मई 1984

निर्देश सं० सी० ए० 5/37ईई/630/84-85—अतः मुझे, शशिकान्त कुलकर्णी

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० प्लाट नं० 2 चारुहास अपार्टमेंट प्लाट नं० 65 सर्वे नं० 121 122 कोथरुड पूना-29 में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय पूना में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख जनवरी 1984

को पूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनयम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात :—

1. मैसर्स क्लि० एम० जोशी,
जे० बिल्डर्स, 501, बोरपडे पेठ, पूना-2
(अन्तरक)

2. श्री एस० डब्ल्यू० जोशी,
12, ईस्ट हाई कोर्ट रोड, राम दास पेठ,
नागपुर।
(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

फ्लैट नं० 2, चारुहास अपार्टमेंट, प्लाट नं० 65, सर्वे नं० 121, 122, कोथरूड, पूना-29।

(जैसे कि रजिस्ट्रीकृत नं० 37ईई/3592/पूना/83-84 जो तारीख जनवरी, 1984 को सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण), अर्जन रेंज, पूना के दफ्तर में लिखा है।

शशिकान्त कुलकर्णी
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, पूना

तारीख: 22-5-1984
मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस.-----------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज पूना

पूना, दिनांक 22 मई 1984

निदेश सं० सी० ए०/37ईई/625/84-85—अतः मुझे, शशिकान्त कुलकर्णी

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० फ्लैट नं० 101 आरती अपार्टमेंट सर्वे नं० 1102/ए/3ए, माडेल कालोनी, शिवाजी नगर, पूना-16 है तथा जो पूना में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण), अर्जन रेंज, पूना में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन जनवरी, 1984

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्यों से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए, और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. मैसर्स श्री० एम० जोशी, और कं० जय चेम्बर्स पहिला माला, 501, घोरपडे पेठ पूना-2

(अन्तरक)

2. श्री शैला रमेश बैलूर, कुमारी स्मीता रमेश बैलूर, बी-2/75, सफदरजंग, एन्क्लेव, न्यू देहली-29।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरणः—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

फ्लैट नं० 101, आरती अपार्टमेंट, सर्वे नं० 1102/ए/3ए/ माडल कालोनी, शिवाजी नगर, पूना-16।

जैसे कि रजिस्ट्रीकृत नं० 36ईई/3547/83-84 जो तारीख जनवरी, 1984 को सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज, पूना के कार्यालय में लिखा है।

शशिकान्त कुलकर्णी
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज पूना

तारीख : 22 मई, 1984

मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस. -----------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, पूना

पूना, दिनांक 22 मई 1984

निदेश सं० सी० ए० 37ईई/626/84-85—अतः मुझे शशिकान्त कुलकर्णी

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० फ्लैट नं० 101, आरती अपार्टमेंट सर्वे नं० 1102/ए/3ए, माडल कालोनी, शिवाजी नगर, पूना-16 है तथा जो पूना में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण), अर्जन रेंज, पूना में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख जनवरी, 1984

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अंतरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. मैसर्स व्ही० एम० जोशी और कं० "जय चेम्बर्स", 1ली मंजिल, 501, शोलापुरे पेठ, पूना-2

(अन्तरक)

2. कर्नल जी० एम० चिकरमाने, 28-ए, कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

फ्लैट नं० 101 आरती अपार्टमेंट, सर्वे नं० 1102/ए/3ए, माडल कालोनी, शिवाजी नगर, पूना-16

जैसे कि रजिस्ट्रीकृत नं० 37ईई/3545/83-84 तारीख जनवरी, 1984 को सहायक आयकर आयुक्त, (निरीक्षण) अर्जन रेंज, पूना के दफ्तर में लिखा है।

शशिकान्त कुलकर्णी
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, पूना

तारीख : 22-5-1984
मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस.

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, पूना

पूना, दिनांक 22 मई, 1984

निर्देश सं० सी० ए०-5/37ईई/624/84-85—अतः मुझे, शशिकान्त कुलकर्णी,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० फ्लैट नं० 301, आरती अपार्टमेंट सर्वे नं० 1102/A/3A माडेल कालोनी शिवाजी नगर पूना-16 में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज पूना में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1907 का 16) के अधीन, तारीख 9 नवम्बर 1984

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अंतरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. मैसर्स [illegible],
"जय चेम्बर्स", 1ला माला,
501, घोरपडे, पेठ, पूना-2

(अन्तरक)

2. डा० सुरेश विनायक चितले,
श्रीमती मीना सुरेश चितले,
"मनोरमा", श्री कृपा हाउसिंग सोसायटी,
48/13, पर्वती दर्शन, पूना-9

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

फ्लैट नं० 301, आरती अपार्टमेंट, सर्वे नं० 1102 ए/3ए माडल कालोनी, शिवाजी नगर, पूना-16

(जैसे कि रजिस्ट्रीकृत नं० 37ईई/2151/पूना/83-84 जो तारीख नवम्बर, 1983 को सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज, पूना के दफ्तर में लिखा है।

शशिकान्त कुलकर्णी
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, पूना

तारीख : 22-5-1984
मोहर : [illegible]

प्ररूप आई. टी. एन. एस.--------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, पूना

पूना, दिनांक 22 मई 1984

निदेश सं० सी० ए० -5/37ईई/623/84-85—अतः मुझे, शशिकांत कुलकर्णी

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० फ्लैट नं० 202, प्लाट नं० 55, सर्वे नं० 89/2/, 90/2, 91/2, पर्वती, पूना-9 है, तथा जो पूना में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण), अर्जन रेंज, पूना में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक दिसम्बर, 1983 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. मैसर्स व्हीं० एम० जोशी,
501, घोरपडे पेठ, जय चेम्बर्स,
पूना-2

(अन्तरक)

2. व्ही० डी० कुलकर्णी,
3-6-49, जय विजय विले पार्ले,
बम्बई-57

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

फ्लैट नं० 202, प्लाट नं० 55, सर्वे नं० 89/2, 90/2, 91/2, पर्वती, पूना-9

जैसे कि रजिस्ट्रीकृत नं० 37ईई/3111/पूणे/83-84 जो तारीख दिसम्बर, 1983 को सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण), अर्जन रेंज, पूना के कार्यालय में लिखा है।

शशिकान्त कुलकर्णी
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, पूना

तारीख : 22-5-1984
मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस.----------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-पूना

पूना, दिनांक 16 मई 1984

निर्देश सं० ए०-5/37ईई०/622/84-85—अतः मुझे, शशिकांत कुलकर्णी

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० फ्लैट नं० 1, ग्राऊंड फ्लोर चारूहास अपार्टमेंट बी प्लाट नं० 65, रामबाग कालोनी कोथरूड पूना-29 में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज, पूना में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक जनवरी, 1984

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अंतरकों) और अंतरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. मैसर्स व्ही० एस० जोशी, और कं० जय चेम्बर्स, 501, घोरपडे, पेठ, पूना-2

(अन्तरक)

2. ए० व्ही० केमकर,
श्रीमती ए० ए० केमकर,
प्लाट नं० 47, मयूर कारपोरेशन,
कोथरूड, पूना-29

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

फ्लैट नं० 1, ग्राउन्ड फ्लोर, चारूहास अपार्टमेंट, बी, प्लाट नं० 65, राम बाग कालोनी, कोथरूड, पूना-29

(जैसे कि रजिस्ट्रीकृत नं० 37ईई/3546/83-84/पूना जो तारीख जनवरी, 1983 को सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण), अर्जन रेंज, पूना के कार्यालय में लिखा है।)

शशिकान्त कुलकर्णी,
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, पूना

तारीख : 23 मई, 1984
मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस.

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, पूना

पूना, दिनांक 28 अप्रैल, 1984

निर्देश सं० सी० ए०-5/37जी/1126/84-85—अत: मुझे, शशिकान्त कुलकर्णी आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है और जिसकी सं० सर्वे नं० 159, हिस्सा नं० 3, है, तथा जो चोले, तह० कल्यान जिला थाना में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय दुय्यम निबन्धक, कल्यान में रजिस्ट्रीकरण, अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक 15-10-83 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अंतरिती (अंतरितियों) के बीच के ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए।

अत: अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के, अनुसरण में, मैं उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री पी० व्ही० पाटिल, और अन्य
ठाकुरली, तह० कल्यान, जिला थाना।
(अन्तरक)

2. श्री जी० के० महाजन और अन्य
तुलसी सदन, जय हिन्द कालोनी, डोंबीवली,
तह० कल्यान, जिला थाना।
(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त संपति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

जमीन जो सर्वे नं० 159, हिस्सा नं० 3, नेहरू रोड, विलेज चोले, डोंबिवली, तह० कल्यान, जि० थाना में है। क्षेत्र 1315.22 स्क्वायर मीटर्स।

(जैसे कि रजिस्ट्रीकृत नंबर 2222 ता० 15-10-83 को दुय्यम निबन्धक, कल्यान, के दफ्तर में लिखा है।)

शशिकान्त कुलकर्णी
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, पूना

दिनांक 28-4-1984

मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस. ————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, पूना

पूना, दिनांक 22 मई 1984

निर्देश सं० सी० ए०-5/37जी/1123/84-85—अतः मुझे, शशिकान्त कुलकर्णी,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० जमीन सर्वे नं० 34/1ए2है, तथा जो सावेडी, तह० अहमद नगर, में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और जो पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय में दुय्यम निबन्धक, अहमद नगर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन

दिनांक 21-10-83

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अंतरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के, अनुसरण में, मैं उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री० डी० एम० चंदोदिया,
सेंट्रल बैंक रोड, अहमदनगर।

(अन्तरक)

2. श्री व्ही० जी० मुगालिक,
श्री एस० व्ही, लुन्साडे,
गंज बझार, अहमदनगर :

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

जमीन सर्वे नं० 34/1ए2/1, तह० सावेडी, जि० अहमदनगर,/क्षेत्र 38736 स्क्वायर फीट।)

(जैसे कि रजिस्ट्रीकृत नं० 34-25 ता० 21-10-83 को दुय्यम निबन्धक, अहमदनगर के दफ्तर में लिखा है।)

शशिकान्त कुलकर्णी
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, पूना

दिनांक : 22-5-1984

मोहर :

प्ररूप. आई. टी. एन. एस. - - - - -

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की

धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, पूना

पूना, दिनांक 22 मई, 1984

निर्देश सं० सी० ए०-5/37जी/1122/84-85—अत: मुझे शशिकान्त कुलकर्णी

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० सर्वे नं० 553/ए-2, एफ० पी० नं० 210/13, प्लाट नं० 4, स्टेशन रोड, धुले, में है तथा जो धुले में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय दुय्यम निबन्धक, धुले में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक अक्तूबर, 1983

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अंतरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अत: अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री एन० एन० मवेडेकर,
ग्रेंट नं० 4, सी० एस० नं० 2804, धुले।

(अन्तरक)

2. एम० आर० अग्रवाल
सी० एस० नं० 3062, धुले।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

सर्वे नं० 553/ए/2 एफ० पी० नं० 210/13, प्लाट नं० 4 धुले।

(जैसे कि रजिस्ट्रीकृत नं० 37जी/4079, जो तारीख अक्तूबर, 1983 दुय्यम निबन्धक धुले के कार्यालय में लिखा है।

शशिकान्त कुलकर्णी
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, पूना

तारीख : 22-5-1984
मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस. ----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, पूना

पूना, दिनांक 22 मई, 1984

निर्देश सं० सी० ए० -5/37जी/84-85—अत: मुझे, शशिकान्त कुलकर्णी

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/-रु. से अधिक है

और जिसकी सं० जमीन सर्वे नं० 39/1 है, तथा जो कुपवाड में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय दुय्यम निबन्धक मिरज I सांगली में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक अक्तूबर, 1983

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्यों से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अत: अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री येलगोंडा एस० पाटील, कुपवाड, ता० मिरज, जि० सांगली,

(अन्तरक)

2. श्री अनंत विष्णु देशिंगकर और अन्य वालचन्द, इंजीनियरिंग कालेज, स्टाफ क्वार्टर्स, विश्राम भाग, सांगली ।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

खेत जमीन सर्वे नं० 39/1, कुपवाड सांगली, क्षेत्र 1 हेक्टर 4.47 आर ।

(जैसे कि रजिस्ट्रीकृत नंबर 225/83 को दुय्यम निबन्धक, मिरज I, सांगली, के दफ्तर में लिखा है ।)

शशिकान्त कुलकर्णी
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, पूना

तारीख : 22-5-1984
मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस.

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज पूना

पूना, दिनांक 22 मई, 1984

निर्देश सं० सी० ए०/37जी/1124/84-85—अतः मुझे, शशिकान्त कुलकर्णी

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/ रु. से अधिक है

और जिसकी सं० सी० एस० नं० 2508/19, प्लाट नं० 61, ई-वार्ड है, तथा जो कोल्हापुर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और जो पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय दुय्यम निबन्धक, कोल्हापुर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक जनवरी, 1984

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात्—:

1. श्रीमती शांता बाई, बालकृष्ण जोग,
प्लाट नं० 14, अश्विनी, को-आप० हाउसिंग सोसायटी स्टेशन, रोड, कोल्हापुर।

(अन्तरक)

2. श्री सुरेश डी० माने,
2227, ए-वार्ड, राने निवास,
कोल्हापुर।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

सी० एस० नं० 2508/19, प्लाट नं० 61, ई-वार्ड, नागल, पार्क, कोल्हापुर। क्षेत्र 501, स्क्वायर मीटर्स।

(जैसे कि रजिस्ट्रीकृत नं० 4630/ जनवरी, 1984 को दुय्यम निबन्धक, कोल्हापुर के दफ्तर में लिखा है।)

शशिकान्त कुलकर्णी
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, पूना

तारीख 22-5-1984
मोहर :

प्ररूप. आई. टी. एन. एस. - - - - -

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, पूना

पूना, दिनांक 28 अप्रैल, 1984

निर्देश सं० सी० ए०-5/37ईई/631/84-85—अतः मुझे, शशिकान्त कुलकर्णी

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/-रु. से अधिक है

और जिसकी सं० फ्लैट नं० 3, नव कल्पना सह० गृ० संस्था सी० टी० एस० नं० 1201/ए12, एफ० पी० नं० 562/3, एस० बी० नं० 21, शिवाजी नगर, पुणे में है तथा जो पूना में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और जो पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण), अर्जन रेंज, पूना में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक अक्तूबर, 1983

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) **के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—**

1. श्री आर० राज गोपाल, द्वारा, राम चन्द्रन, एस० बी० आय० प्रीया सोसायटी साडो वाला, रोड, पूना।

(अन्तरक)

2. श्रीमती ऊषा देवी राठोड, 20-अशोक नगर, पूना-7

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए **कार्यवाहियां शुरू करता हूं।**

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

फ्लैट नं० 3, सहकार 1201/ए-12, शिवाजी नं० पूना-7

(जैसे कि रजिस्ट्रीकृत नं० 37ईई/83-84 2563/अक्तूबर, 1983 को सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज, पूना कार्यालय में रजिस्टर में लिखा है।

शशिकान्त कुलकर्णी
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, पूना

तारीख : 25-4-1984
मोहर :

प्ररूप आई॰ टी॰ एन॰ एस॰-------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, पूना

पूना, दिनांक 30 अप्रैल, 1984

निर्देश सं० सी० ए०-5/37ईई/632/84-85—अतः मुझे शशिकान्त कुलकर्णी
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है, की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है
और जिसकी सं० फ्लैट नं० बी-14 है, तथा जो विरार जिला थाना में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और जो पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज, पूना में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक अक्तूबर, 1983
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों:—

1. मैसर्स एम ए० मर्चंट,
304, 17 सारदेव रोड, नाना चौक,
बम्बई-7

(अन्तरक)

2. श्रीमती मिनाक्षी प्रवीन चन्द्र नायक;
3सी/4, कृष्ण नगर, चंदावरकर एन, बोरीवले (वेस्ट)
बम्बई-12

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

फ्लैट नं० बी-14, मर्चंट अपार्टमेंट, प्लाट नं० 10, स० नं० 379-ए-2, विरार तह० बसई, जिला थाना। एरिया 333 स्क्वायर फीट।

(जैसे कि रजिस्ट्रीकृत नं० 37-ईई/83-84 थाने/1883/ सितम्बर, 1983 को सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज, पूना के दफ्तर में लिखा है।)

शशिकान्त कुलकर्णी
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, पूना

दिनांक 28-4-1984

मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस. ————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, पूना

पूना, दिनांक 28 अप्रैल, 1984

निर्देश सं० सी० ए०-5/37ईई/84-85—अत: मुझे शशिकान्त कुलकर्णी

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० फ्लैट नं०-5, है, तथा जो अरण्डावाना, पूना में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और जो पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय सहायक आयकर आयुक्त, (निरीक्षण), अर्जन रेंज, पूना में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16), के अधीन दिनांक दिसम्बर, 1983

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अत: अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. मैसर्स ए० बी० सी० प्रमोटर्स एंड, बिल्डर्स,
9, लक्ष्मी निवास, पदमजी 3 पौड,
पूना-2

(अन्तरक)

2. (1) मनु पी० मलकानी,
(2) मास्टर प्रदीप मनु कलकानी
410, के० पी० मलकानी, 71, अविनाश, 9 वरसोना,
बम्बई-58 ।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

फ्लैट नं० 5, दूसरी मंजिल, सावित्री, अपार्टमेंट सी० टी० एस० नं० 47/19, एरंडना, एन० कालेज, रोड, पूना-4 /क्षेत्र 1112 स्क्वायर, फीट ।

(जैसें कि रजिस्ट्रीकृत नम्बर, 37ईई/2793/83-84/ दिसम्बर, 1983 को सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज, पूना के दफ्तर में लिखा है।)

शशिकान्त कुलकर्णी
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, पूना

तारीख 28-4-1984

मोहर :

प्रारूप आई.टी.एन.एस.----------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, पूना

पूना, दिनांक 22 मई 1984

निदेश सं० सी० ए०/37ईई/634/84-85—अतः मुझे, शशिकान्त कुलकर्णी

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी संख्या आर० एस० नं० 326-ए प्लाट नं० 1 हिस्सा)—व्हीलेज माजीवाडे ता० और जिला ठाणा है तथा जो ठाणा में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज, पूना में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक दिसम्बर 1983

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अंतरितियों) के बीच ऐसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अंतरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अंतरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अंतरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री रेशमा एन० पारिख 70 मातृ धोया नेताजी सुभाष रोड, मरीन ड्राईव्ह बंबई-400002।

(अन्तरक)

2. मेसर्स गोयल फेमीली ट्रस्ट अभय स्टील हौउ बरोडा स्ट्रीट, बंबई-500 009।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

प्लाट नं० 326 ए प्लाट नं० 1 (भाग) एरीया 6000/—स्क्वे० फीट माजीवाडे रोड ठाणा।

(जैसे की रजिस्ट्रीकृत नं० 37 ईई 3838/83–84) जो दिनांक दिसम्बर 1983 को सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज, पूना के कार्यालय में लिखा है।)

शशिकांत कुलकर्णी,
सक्षम प्राधिकारी,
(सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज, पूना

दिनांक : 22-5-1984

मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस.--------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, पूना

पूना दिनांक 28 अप्रैल 1984

निर्देश सं० सी०ऐ० 5/37ईई/635/84-85--अतः मुझे, शशिकांत कुलकर्णी

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० प्लाट नं० 5 दूसरा भाग प्लाट नं० 73/3/3 सी० टी० एस० नं० 50/27 ऐरंडवना पूना 4 है तथा जो पूना में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय सहायक आयकर (आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज पूना में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, दिनांक अक्तूबर 1983

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अंतरिती (अंतरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री हरीहर सी० नालू 50/1/5-ए एरंडवना पूना-4 (अन्तरक)
2. श्री एन० एल० चंद्रचूड़ 860 भांगेरकर इंस्टीट्यूट, पूना । (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

प्लाट नं० 5 दूसरा भाग प्लाट नं० 73/3/3 सी० टी० एस० नं० 50/27 अरेंडवना पूना-4।

(जैसे की रजिस्ट्रीकृत नं० 37ईई/2802/83-84/पूने जो तारीख अक्तूबर 1983 को सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज पूना के दफ्तर में लिखा है।)

शशिकांत कुलकर्णी,
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, पूना

दिनांक 28-4-1984
मोहर :

प्ररूप आई॰ टी॰ एन॰ एस॰---------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, पूना

पूना, दिनांक 28 अप्रैल 1984

निर्देश सं० सी० ऐ० 5/37ईई/636/84-85—अतः मुझे, शशिकांत कुलकर्णी
आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है
और जिसकी संख्या प्लाट नं० 2 एफ० पी० नं० 73/3/3 सी० टी० एस० नं० 50/27 एरेंडवना पूना-4 है तथा जो पूना में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज पूना में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक अक्टूबर 1983
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री हरीहर चिंतामण नालू 50/1/5-ए एरेंडवना पूना-4।

(अन्तरक)

2. श्री गोपाल के० बोकील, नं० 201 "संपति अपार्टमेंट" 73/3/1 एरेंडवना पूना-4।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

प्लाट नं० एफ० पी० नं० 73/3/3 सी० टी० एस० नं० 50/27 एरेंडवना पूना-।

(जैसे की रजिस्ट्रीकृत नं० 37ईई/2292/83-84/ पूने, जो दिनांक अक्टूबर 1983 को सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज पूना के दफ्तर में लिखा है।)

शशिकांत कुलकर्णी
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण);
अर्जन रेंज, पूना

दिनांक 28-4-1984
मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस.--------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, पूना

पूना, दिनांक 1 मई 1984

निर्देश सं० सी० ए० 5/37ईई/637/84-85--अतः मुझे, शशिकांत कुलकर्णी,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी संख्या सर्वे नं० 43 हिस्सा नं० 1+2+3+4 4बी/2 व्हिलेज वारजे ता० हवेली जिला पूने है तथा जो वारजे पूना मे स्थित (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज, पूना में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक अक्टूबर 1983

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अंतरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अंतरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

1. (1) श्री दत्तात्रय गणपतराव नारायण मानकर 517 पेठ पूना-30।
   (2) श्रीमति श्री बाबा साहेब शामराव वराटे व्हिलेज वारजे ता० हवेली जिला पूना।

(अन्तरक)

2. श्रीमति उषा रघुनाथ तावरे जीवन अपार्टमेंटस के० पी० कुलकर्णी लेन, अपार्टमेंटस रोड, पूना-4।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

सर्वे नं० 43, हिस्सा नं० 1+2+3+4बी/2 व्हिलेज वारजे ता० हवेली जिला पूणे।

(जैसे की रजिस्ट्रीकृत नं० 37ईई/2291/पूने जो तारीख अक्टूबर 1983 को सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज पूना के दफ्तर में लिखा है।

शशिकांत कुलकर्णी,
सक्षम अधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज, पूना

दिनांक 1-5-1984
मोहर:

प्ररूप आई. टी. एन. एस. -----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269(घ) (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, पूना

पूना, दिनांक 28 अप्रैल 1984

निर्देश सं० सी० ए० 5/37ईई/638/84-85—अतः मुझे, शशिकांत कुलकर्णी
आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है
और जिसकी संख्या प्लाट नं० 2 आनंद नगर को० हाउसिंग सोसायटी-पूर्ण, 9 है तथा जो पूना में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज पूना में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक अक्टूबर 1983
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसे किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए।

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री मानिक लाल पन्ना लाल लालवाणी 314 गंज पेठ पूना-2।

(अन्तरक)

2. श्री जेठमल सोपाजी शाह 1251 बुधवार पेठ, पूना-2

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा,

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

प्लाट नं० 2, आनन्द नगर, को-आप० हाउसिंग, सोसायटी सी० एच० एस० नं० 692/2, मुंजेरी, पूना।
(जैसे की रजिस्ट्रीकृत नं० 37ईई/1734/पूना/83-84 जो अक्तूबर, 1983 को सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज, पूना के कार्यालय में लिखा है।

शशिकान्त कुलकर्णी
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, पूना

तारीख : 28-4-1984
मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस.————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, पूना

पूना, दिनांक 28 अप्रैल, 1984

निर्देश सं० सी० ए० 537ईई/639/84 85—अतः मुझे शशिकान्त कुलकर्णी

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/-रु. से अधिक है

और जिसकी सं० प्लाट एफ० पी० नं० 73/3/3, सि० टी० एस० नं० 50/27, अरेन्डवना, पूना-4 में है, तथा जो पूना में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और जो पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण), अर्जन रेंज, पूना में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक नवम्बर, 1983

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिये; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री एन० के० लेहड़े, 73/3/3, एरेन्डवना, पूना-4

(अन्तरक)

2. श्री एच० सी० नातू, 50/1-5-ए, अरेन्डवना, पूना-4

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

प्लाट नं० एफ० पी० नं० 73/3/3, सी० टी० एस० नं० 50/27, अरेंडवना, पूना-4

(जैसे कि रजिस्ट्रीकृत नं० 37ईई/2089/पूना, जो तारीख नवम्बर, 1983 को सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन, रेंज, पूना के दफ्तर में लिखा है।)

शशिकान्त कुलकर्णी
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, पूना

तारीख 28-4-1984

मोहर :

प्ररूप आई.टी.एन.एस. -----------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, पूना

पूना, दिनांक 28 अप्रैल, 1984

निदेश सं० सी० ए० -5/37ईई/640/84-85—अतः मुझे शशिकान्त कुलकर्णी

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० फ्लैट नं० सी-3, नमीक को० हाउसिंग सोसायटी, 30 बंड गार्डन रोड, पूना, है तथा जो पूना में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और जो पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज पूना में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक नवम्बर, 1984

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. मैसर्स रमेश कन्स्ट्रक्शन कं० (इंडिया), धीरज चेम्बर्स, 9, बोमनाथ, रोड, बम्बई

(अन्तरक)

2. मैसर्स कॉम्पटन ग्रीव्हज लिमिटेड, डॉ० डी० बी० गांधी मार्ग, बम्बई-23।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

फ्लाट नं० सी-3, हरमीक को-आप० हाउसिंग सोसायटी 30 बंड गार्डन, रोड, पूना-1

(जैसे कि रजिस्ट्रीकृत नं० 37ईई/1977/83-84 पूना) जो तारीख नवम्बर, 1983 सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज, के दफ्तर में लिखा है।

शशिकान्त कुलकर्णी
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, पूना

तारीख 28-4-1984

मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस.-----------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, पूना

पूना, दिनांक 31 मई, 1984

निदेश सं० सी० ए०-5/37ईई/641/84-85—अतः मुझे शशि कान्त कुलकर्णी

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० प्लाट सर्वे नं० 692-ए/2-ए-1/2, प्लाट नं० 8, बिब्रे वाडी पूना में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और जो पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज, पूना में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक अक्तूबर, 1983

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए, और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री डी० के० शाहा
445, रविवार पेट, पूना-2

(अन्तरक)

2. एन० श्री शाता,
5-375, आदीनाथ, को० हाउसिंग, सोसायटी, पूना-9
(2) श्री एम० डी० शाहा,
मातृ-स्मृति पी० डब्ल्यू० डी० कालोनी,
भारत कुंज, बगाता, पूना

(अन्तरिती

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

प्लाट सर्वे नं० 692-ए/2-ए-1/2, प्लाट नं० 8, बिब्रे वाडी, पूना-9

(जैसे कि रजिस्ट्रीकृत नं० 37ईई/1762/पूना/83-84 जो तारीख अक्तूबर, 1983 को सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण), अर्जन रेंज, पूना के कार्यालय में लिखा है।)

शशिकान्त कुलकर्णी
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, पूना

तारीख 31-5-1984
मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस.---------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, पूना

पूना, दिनांक 4 जून 1984

निदेश सं० सी० ए०-5/37ईई/84-85—अतः मुझे शशि कान्त कुलकर्णी

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

श्रौर जिसकी सं० मकान नं० 826 श्रौर 827,ए वार्ड है, तथा जो कोल्हापुर में स्थित है (श्रौर इससे उपाबद्ध अनुसूची में श्रौर जो पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय दुय्यम, निबन्धक, कोल्हापुर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक अक्तूबर, 1983

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, एसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अन्तरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अंतरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर दोने के अंतरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अंतरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात :—

1. श्रीमती जोस्तना, ए० खांडेकर, पुलिस आफीसर्स, हेड क्वार्टर्स, पूना-410001

(अन्तरक)

2. ए० एस० गायकवाड़ 119, बी० वार्ड मंगलवार, पेठ, कोल्हापुर

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

मकान नं० 826 श्रौर 827 ए वार्ड, फिरंगे तालीम, के पास, ए० वार्ड, कोल्हापुर। क्षेत्र 138 स्क्वे मीटर्स।

(जैसे की रजिस्ट्रीकृत नम्बर 4846/अक्तूबर, 1983 को दुय्यम निबन्धक, कोल्हापुर के दफ्तर में लिखा है।)

शशिकान्त कुलकर्णी
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, पूना

दिनांक : 4-6-1984

मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस. -------------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, पूना

पूना, दिनांक 29 मई 1984

निदेश सं० सी० ए० 5/37ईई/1127/84 85—अतः मुझे शशिकान्त कुलकर्णी,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है और जिसकी सं० प्लाट सं० नं० 32/2, फा० प्लाट नं० 39, सब प्लाट नं० 3 है, तथा जो साहूराने, अहमदनगर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और जो पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय दुय्यम निबन्धक, अहमदनगर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक 15-10-1983

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :—

1. श्री रमेश नरसय्या श्रेंहाम और अन्य केअर/आफ जिला सहकारी बैंक स्टेशन रोड अहमदनगर।

(अन्तरक)

2. मैसर्स सुयोग कन्स्ट्रक्शन, अहमदनगर।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

प्लाट सं० नं० 32/2, फा० प्लाट नं० 39, सब प्लाट नं० 3, साहूराने, अहमदनगर। क्षेत्र 6707 स्क्वायर फीट। (जैसे कि रजिस्ट्रीकृत नं० 3380/ता० 15-10-83 को दुय्यम, निबन्धक, अहमदनगर के दफ्तर में लिखा है।)

शशिकान्त कुलकर्णी
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, पूना

तारीख : 29-5-1984

मोहर :

प्ररूप आई.टी.एन.एस.——————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, पूना

पूना, दिनांक 28 अप्रैल 1984

निर्देश सं० सी० ए० 5/37ईई/642/84 85——अतःमुझे, शशिकान्त कुलकर्णी

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० ऑफिस नं० एफ3 महिला मंजिल, सी० एस० नं० 1044, तिलक रोड, पूना है, तथा जो पूना में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और जो पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षक) अर्जन रेंज, पूना में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, दिनांक अक्तूबर, 1984 को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:——

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. मैसर्स देवस्थले करंदीकर, और जगन्नाथ, एसासमेंटस, 720/2, नवी पेठ, पूना-30

(अन्तरक)

2. डा० दीपक श्रीराम मांडे, 201, कस्बा पेठ, पूना

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :--

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरणः——इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में यथा परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

ऑफिस एफ० नं० 3, महिला माला, सी० एस० नं० 1044, नवी पेठ, टिलक रोड, पूना

(जैसे कि रजिस्ट्रीकृत नं० 37ईई/2585/पूना/ जो तारीख अक्तूबर, 1983 को सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण अर्जन रेंज, पूना के कार्यालय में लिखा है।

शशिकान्त कुलकर्णी
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, पूना

तारीख 28-4-1984

मोहर :

प्ररूप आई.टी.एन.एस. ---------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, लखनऊ

लखनऊ, दिनांक 7 फरवरी, 1984

सं० जी० आर० आर० सं० एस० 297/एक्यू०—यतः मुझे ए० प्रसाद

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० कोठी नं० 1 का हिस्सा, सुन्दर बाग, लखनऊ में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और जो पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय लखनऊ में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक 12-10-1983

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर दने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए, और/या

(ख) ऐसी किसी आय या धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अंतरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री शिव नारायण टन्डन, (अन्तरक)

2. श्रीमती सरोज शर्मा (अन्तरिती)

3. श्री एस० एन० कीर्ति, (किरायेदार) प्रोप्राइटर (मैसर्स कीर्ति प्रेस), (वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :--

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा,

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

कोठी नं० 1 का हिस्सा (म्युनिसिपल नं० 103/5), पैमाईसी लगभग 9,164 वर्ग फिट, स्थित सुन्दरबाग, लखनऊ और सम्पत्ति का सम्पूर्ण विवरण जो कि सेलडीड व फार्म 37 जी, संख्या 10360 में वर्णित है जिसका पंजीकरण सब रजिस्ट्रार लखनऊ के कार्यालय में दिनांक 12-10-1983 को किया जा चुका है।

ए० प्रसाद
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, लखनऊ

दिनांक 7 फरवरी, 1984
मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस.------------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, लखनऊ

लखनऊ, दिनांक 5 फरवरी, 1984

जी० आई० आर० सं० एम 296/एक्यू०—यतः मुझे ए० प्रसाद

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० कोठी नं० 1 का हिस्सा सुन्दरबाग, लखनऊ में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और जो पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय लखनऊ में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक 12-10-1983

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से एसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर दोने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनयम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए।

अतः अब., उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्रीमती इन्द्रा बीबी

(अन्तरक)

2. श्रीमती सरोज रानी अग्रवाल

(अन्तरिती)

3. श्री एम० एन० कांति,
प्रोप्राइटर (मैसर्स कान्ति प्रेस)

(वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

कोठी नं० 1 का हिस्सा (म्युनिसिपल नं० 103/5), पैमाईसी 4,050 वर्ग फीट, स्थित सुन्दरबाग लखनऊ और सम्पत्ति का सम्पूर्ण विवरण जोकि सेलडीड ईफार्म 37 जी संख्या 1035 में वर्णित है जिसका पंजीकरण सब रजिस्ट्रार लखनऊ कार्यालय के में दिनांक 12-10-1983 को किया जा चुका है।

ए० प्रसाद
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज लखनऊ

तारीख 6-2-1984
मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस. ------------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, नागपुर

नागपुर, दिनांक 30 अप्रैल 1984

निर्देश सं० आई० ए० सी० एक्वी०/3/84-85—यत: मुझे, एम० सी० जोशी,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० खेत जमीन सं० नं० 72 है, जो मौजा वडगांव ता० जि० यवतमाल में स्थित है (और उसके उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय यवतमाल (डाकुमेंट सं० 3991/83) में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक, 11 अक्तूबर 1983

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अत: अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) 1. श्री रामकृष्ण गणपत मुधोलकर
2. श्रीमती सखुबाई गणपत मुधोलकर
रा० वडगांव ता० जिला० यवतमाल ।

(अन्तरक)

(2) 1. श्री सुरेश हेमंत जिगपुरे,
2. श्री वसंत पंढरीक ठोके,
3. श्री निर्मल अशोक वदिकासये,
रा० गरोज टाकीज जवल यवतमाल ।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

खेत जमीन जोकि मौजा वडगांव तह० जि० यवतमाल में स्थित है और जिसकी अराजी एच० आर० है 12—03 ।

एम० सी० जोशी,
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज, नागपुर

दिनांक : 30-4-1984
मोहर

प्ररूप आई॰ टी॰ एन॰ एस॰ -------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, नागपुर

नागपुर, दिनांक 30 अप्रैल 1984

निर्देश सं॰ आई॰ ए॰ सी॰/ए/सी॰/2/84-85—यतः, मुझे, एम॰ सी॰ जोशी,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं॰ प्लाट न॰ शीट नं 36, प्लाट नं॰ 5 है तथा जो सिविल लाईन, यवतमाल में स्थित है (और उसके उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, यवतमाल (डाकुमेंट सं॰ 3327/83) में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, दिनांक 7 अक्तूबर, 1983

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, एसे दृश्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अन्तरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:---

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, में, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री दत्तात्रय माधवराव देशमुख, सिविल लाईन, यवतमाल।

(अन्तरक)

(2) डा॰ ए॰ भालचंद्र नरहर देशमुख, बालाजी मंदिर चौक, यवतमाल।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

प्लाट जिसका नझुल शीट नं॰ 36 है जिसका प्लाट नं॰ 5 और जो सिविल लाईन, यवतमाल में स्थित है। एरिया 4850 स्क्वे॰ फीट है।

एम॰ सी॰ जोशी
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, नागपुर

दिनांक : 30-4-1984
मोहर :

प्ररूप. आई. टी. एन. एस. - - - - -

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, नागपुर

नागपुर, दिनांक 30 अप्रैल 1984

निर्देश सं० आई० ए० सी०/ए क्वी०/1/84-85—यत:, मुझे, एम० सी० जोशी,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269 ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० प्लाट और पार्ट गोडाऊन टाइप मकान का कुछ हिस्सा जो कि न० ब्लाक नं० 11 है और जिसका प्लाट नं० 180/1 है और जो जगन्नाथ वार्ड हिंगनघाट, जि० वर्धा में स्थित है (और उसके उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, वर्धा (डाकुमेंट सं० 1774/83) में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, दिनांक 7 अक्तूबर 1983।

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे, यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा **के लिए;**

अत: अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित **व्यक्तियों, अर्थात् :—**

(1) 1. श्री प्रकाश पुत्र बंसीलालजी कोचर
2. सुरेश —वही—
3. नरेश —वही—
वासी गांधीवार्ड, हिंगनघाट, जि० वर्धा

(अन्तरक)

(2) डा० श्री वसंत लक्ष्मणराव बोंडे,
वासी तहसील वार्ड, हिंगनघाट
जिला वर्धा।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

प्लाट और गोडाऊन टाईप मकान का कुछ हिस्सा जोकि नझुल ब्लाक नं० 11, प्लाट नं० 180/1, जगन्नाथ वार्ड, हिंगनघाट जि० वर्धा में स्थित है और जिसका कुल एरिया 3885 स्क्वे० फीट है।

एम० सी० जोशी
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, नागपुर

दिनांक : 30-4-1984
मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस. ----------------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-I, मद्रास

मद्रास, दिनांक 1 मई 1984

निर्देश सं० 4/अक्तूबर/83—यतः, मुझे, आर० पी० पिल्ले, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी डोर सं० 27-बी, सेम्बियम गांव, उत्तर मादवरम है तथा जो हाई रोड, मद्रास में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, सेंबियम, मद्रास (दस्तावेज सं० 4775/83) में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन अक्तूबर 1983

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे, यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री चन्द्रकला गलडा (अन्तरक)

(2) श्री एम० मीनाक्षीसुन्दरम (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

भूमि डोर सं० 27-बी, सेंबियम गांव, उत्तर मादवरम हाई रोड (दस्तावेज सं० 4775/83)।

आर० पी० पिल्ले
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-I, मद्रास

दिनांक : 1-5-1984
मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस.-----------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-I, मद्रास

मद्रास, दिनांक 1 मई 1984

निर्देश सं० 8/अक्तूबर/83—यतः, मुझे, आर० पी० पिल्लै, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी प्लाट सं० 278, एस० सं० 46, पेरियकूडल गांव, टी० एस० सं० 19 है तथा जो अन्ना नगर मद्रास में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, अन्ना नगर, मद्रास (दस्तावेज सं० 3352) में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, अक्तूबर 1983

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अंतरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री के० वी० श्रीनिवासन (अन्तरक)

(2) लेफ्टिनेंट कर्नल जी० क्लिफटन और अन्य (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

भूमि और निर्माण पेरियकूडल गांव, टी० एस० सं० 19, अन्ना नगर, मद्रास (दस्तावेज सं० 3352/83)।

आर० पी० पिल्लै
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-I, मद्रास

दिनांक : 1-5-1984

मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस.------------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-I मद्रास

मद्रास, दिनांक 1 मई 1984

निर्देश सं० 10/अक्तूबर/83—यतः, मुझे, आर० पी० पिल्लै,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० 4571 (प्लाट सं०), डोर सं० वाई-151 है तथा जो अन्ना नगर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, अन्ना नगर (दस्तावेज सं० 3373/83) में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, अक्तूबर 1983

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अंतरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसे किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अंतरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए ;

अतः अब, उक्त अधिनयम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री बी० एस० नटराज

(अन्तरक)

(2) श्री जे० महिमैनाथन

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

भूमि निर्माण के साथ प्लाट सं० 4571, अन्ना नगर, मद्रास-40 (दस्तावेज सं० 3373/83)।

आर० पी० पिल्लै,
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-I, मद्रास

दिनांक : 1-5-1984

मोहर :

प्ररूप. आई. टी. एन. एस. -----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-I, मद्रास

मद्रास, दिनांक 1 मई 1984

निर्देश सं० 11/अक्तूबर/83—यतः, मुझे, आर० पी० पिल्लै,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/-रु. से अधिक है

और जिसकी प्लाट सं० 4171, मुल्लम गांव है तथा जो अन्ना नगर, मद्रास में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, अन्ना नगर (दस्तावेज सं० 3384/83) में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, अक्तूबर 1983

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अंतरिती (अंतरितियों) के बीच ऐसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अंतरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अंतरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) कुमारी बी० भाग्यलक्ष्मी

(अन्तरक)

(2) श्रीमती कृष्ण गुप्ता

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

भूमि प्लाट सं० 4171, अन्ना नगर, मद्रास-40 (दस्तावेज सं० 3384/83)।

आर० पी० पिल्लै,
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-I, मद्रास

दिनांक : 1-5-1984

मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस. ------------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-I, मद्रास

मद्रास, दिनांक 1 मई 1984

निर्देश सं० 12/अक्तूबर/83—यतः, मुझे, आर० पी० पिल्लै,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है

और जिसकी सं० 4067, ब्लाक सं० 2, मुल्लम गांव, अन्ना नगर, है तथा जो मद्रास—102 में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, अन्ना नगर (दस्तावेज सं० 3415/83) में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, अक्तूबर 1983

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री के० रति रामन (अन्तरक)

(2) श्री आर० दक्षिनामूर्ति (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

भूमि प्लाट सं० 4067, ब्लाक सं० 2, मुल्लम गांव, अन्ना नगर, मद्रास—102।

आर० पी० पिल्लै
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-I, मद्रास

दिनांक : 1-5-1984
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-I, मद्रास

मद्रास, दिनांक, 1 मई 1984

निर्देश सं० 16/अक्तूबर/83—अतः मुझे, आर० पी० पिल्लै,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/-रु. से अधिक है

और जिसकी प्लाट सं० 2896, नडुवाक्करै गांव है तथा जो अन्ना नगर, मद्रास में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, अन्ना नगर (दस्तावेज सं० 3505/83) में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, अक्तूबर 1983

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अंतरकों) और अंतरिती (अंतरितियों) के बीच ऐसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :—

(1) श्री [illegible]

(अन्तरक)

(2) श्री एम० आर० शिवप्रसाद

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

भूमि और निर्माण प्लाट सं० 2896, नडुवाक्करै गांव, अन्ना नगर, मद्रास (दस्तावेज सं० 3505/83)।

आर० पी० पिल्लै,
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-I, मद्रास

दिनांक : 1-5-1984

मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस.-------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज 1, मद्रास

मद्रास, दिनांक 1 मई 1984

निर्देश सं० 21/अक्तूबर/1983—यतः मुझे, आर० पी० पिल्ले

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० डोर सं० 1, काट्टूर सडयप्पन स्ट्रीट है तथा जो पेरियमेट, मद्रास-3 में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्त्ता अधिकारी के कार्यालय, पेरियमेट दस्तावेज सं० 1054/83 में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, दिनांक अक्तूबर 1983

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अंतरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्यों से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधि-अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए।

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

12—136GI/84

(1) श्रीमती सेलव कुमारी (अन्तरक)

(2) श्री मजीद अहमद (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

भूमि और निर्माण डोर सं० 1, काट्टूर सडयप्पन स्ट्रीट, पेरियमेट, मद्रास-3 (दस्तावेज सं० 1054/83)।

आर० पी० पिल्लै,
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज-1, मद्रास

दिनांक : 1-5-1984

मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस.------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-1, मद्रास

मद्रास, दिनांक 1 मई 1984

निर्देश सं० 23/अक्तूबर/1983—यतः मुझे, आर० पी० पिल्लै,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है और जिसकी सं० 87, आस्प्रिन गार्डन, मद्रास-10 है तथा जो मद्रास-10 में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, पेरियमेट दस्तावेज सं० 1071/83 में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, दिनांक अक्तूबर 1983

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिये था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) आर० पी० के० उन्ना

(अन्तरक)

(2) कनम फैमिली ट्रस्ट

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर पूर्वोक्त उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

भूमि और निर्माण सं० 87, आस्प्रिन गार्डन, मद्रास-10 (दस्तावेज सं० 1071/83)।

आर० पी० पिल्लै,
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज-1, मद्रास

दिनांक : 1-5-1984

मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस.---------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज 1, मद्रास

मद्रास, दिनांक 1 मई 1984

निर्देश सं० 24/अक्तूबर/1983---यतः मुझे, आर० पी० पिल्लै.

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० प्लाट सं० ए०--82, कोलपाक गार्डन रोड़ है तथा जो मद्रास-10 में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, पेरियमेट दस्तावेज सं० 1073/83 में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, दिनांक अक्तूबर 1983

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरिती की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल, से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अंतरितियों) के बीच ऐसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अंतरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :--

(क) अंतरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अंतरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए।

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात :--

(1) श्री एम० प्रभाकर

(अन्तरक)

(2) मेसर्स यूनाइटेड बिल्डर्स

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :--

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण.--इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

भूमि प्लाट सं० ए० 82, कोलपाक गार्डन रोड़, मद्रास-10 (दस्तावेज सं० 1073/83)।

आर० पी० पिल्लै,
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज-1, मद्रास

दिनांक : 1-5-1984
मोहर :

प्ररूप आई.टी.एन.एस.------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-1, मद्रास

मद्रास, दिनांक 1 मई 1984

निर्देश सं० 43/अक्तूबर/1983—यतः मुझे, आर० पी० पिल्लै,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/रु. से अधिक है

और जिसकी सं० 60, आचारप्पन स्ट्रीट है तथा जो मद्रास-1 में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, उत्तर मद्रास-1 दस्तावेज सं० 3347/83 में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, दिनांक अक्तूबर 1983

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री के० संमैय्य चेट्टी और अन्य (अन्तरक)

(2) श्री बी० के० वेंकटेसन और अन्य (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

भूमि और निर्माण सं० 60, आचारप्पन स्ट्रीट, मद्रास-1 (दस्तावेज सं० 3347/83)।

आर० पी० पिल्लै,
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज-1, मद्रास

दिनांक : 1-5-1984

मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस.--------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-1, मद्रास

मद्रास, दिनांक 1 मई 1984

निर्देश सं० 50/अक्तूबर/1983—अतः मुझे, आर० पी० पिल्लै,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० 56, अबलकार स्ट्रीट है तथा जो वेल्लूर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, वेल्लूर-1 दस्तावेज सं० 3887/83 में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन, दिनांक अक्तूबर 1983

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और ऐसे अंतरक (अन्तरकों) और अंतरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिये था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात :—

(1) श्री डा० शिवराम मुदलियार

(अन्तरक)

(2) श्री जी० रमेश बाबू और अन्य

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

भूमि और निर्माण सं० 56, अबलकार स्ट्रीट, वेल्लूर (दस्तावेज सं० 3887/83)।

आर० पी० पिल्लै,
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज-1, मद्रास

दिनांक : 1-5-1984

मोहर :

प्ररूप आई.टी.एन.एस.--------------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-1, मद्रास

मद्रास, दिनांक 1 मई 1984

निर्देश सं० 54/अक्तूबर/1983--यतः मुझे, आर० पी० पिल्ले,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० टी० एस० सं० 1825/1, है तथा जो तिरुवन्नामलै में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, तिरुवन्नामलै दस्तावेज सं० 1227/83 में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, दिनांक अक्तूबर 1983

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अंतरितियों) के बीच ऐसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :--

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिये था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री आर० नारायणस्वामी ।

(अन्तरक)

(2) श्री एस० कुप्पुस्वामी नायडू ।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

भूमि और निर्माण टी० एस० सं० 1825/1, तिरुवन्नामलै (दस्तावेज सं० 1227/83)

आर० पी० पिल्ले
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-1, मद्रास

दिनांक : 1-5-1984

मोहर :

प्ररूप आई.टी.एन.एस.-----------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की

धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-1, मद्रास

मद्रास, दिनांक 1 मई 1984

निर्देश सं० 149/अक्तूबर/83—यतः, मुझे, आर० पी० पिल्लै,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं टी० एस० 4137/1ए०, 3ए०, 1ए० 3, में पोलनायकनपेट, टूटिकोरिन, स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, टूटिकोरिन-II दस्तावेज सं० पी० 18/83 में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख अक्तूबर 1983

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अंतरितियों) के बीच ऐसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अंतरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए ।

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री एम० अरुणाचल नाडार ।

(अन्तरक)

(2) श्री टी० चित्तिरै ।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

भूमि और निर्माण टी० एस० सं० 4137/ए, 3ए० 1ए०, 3 ई०, पोलनायकनपेट, टूटिकोरिन (दस्तावेज सं पी० 18/83) ।

आर पी० पिल्लै
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-1, मद्रास

तारीख : 1-5-1984
मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस.————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-1, मद्रास

मद्रास, दिनांक 1 मई 1984

निर्देश सं० 152/अक्तूब/3—अतः, मुझे, आर पी० पिल्लै आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० प्लाट सं० ए० पी 386 है जो अन्ना नगर वेस्ट में स्थित है और इससे उपाबद्ध अनुसूची; में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय अन्ना नगर (दस्तावेज सं 3631/83) में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख अक्तूबर 1983 को पूर्वोक्त सपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अंतरितियों) के बीच ऐसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:--

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिये; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. मैसर्स हबिटठ।

(अन्तरक)

2. श्रीमती मावटीन सुन्दरराज और अन्य।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

भूमि और निर्माण प्लाट सं० ए० पी 386, अन्ना नगर वेस्ट, मद्रास (दस्तावेज सं 3631/83)।

आर० पी० पिल्लै
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-1, मद्रास

तारीख : 1-5-1984
मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस.———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज 1, मद्रास

मद्रास, दिनांक 1 मई 1984

निर्देश सं० 161/अक्तूबर/83—अत: मुझे, आर० पी० पिल्लै

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० 2.15 नन्जै भूमि, वानियमवाड़ी, सोमलापुरम गांव में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, आम्बूर (दस्तावेज सं० 2059/83) में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख अक्तूबर 1983

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अत: अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री एम० तुलसीरामन और अन्य।

(अन्तरक)

(2) श्री आर० बक्तनाथन।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

2.15 नन्जै भूमि, सोमलापुरम गांव वानियम्बाड़ी (दस्तावेज सं० 2059/83)।

आर० पी० पिल्लै
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज 1, मद्रास

दिनांक : 1-5-1984

मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस.----------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-1, मद्रास

मद्रास, दिनांक 9 मई 1984

निर्देश सं० 42/अक्तूबर/83—अतः, मुझे, जी० मुत्तुरामकृष्णन आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है
और जिसकी सं० 155, है तथा वाल्टाक्स रोड़, पार्क टौन, है, तथा जो मद्रास-3 में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, उत्तर (मद्रास दस्तावेज सं० 3253/83) में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख अक्तूबर 1983
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के, अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री एस० पी० सुब्रमन्यन।

(अन्तरक)

2. श्रीमती जी० विजयलक्ष्मी।

(अन्तरती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं:

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

भूमि और निर्माण 155, वाल्टाक्स रोड़, पार्क टौन, मद्रास-3 (दस्तावेज सं० 3253/83)।

जी० मुत्तुरामकृष्णन
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-1, मद्रास

तारीख : 9-5 1984
मोहर

प्ररूप आई. टी. एन. एस. - - -

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-1, मद्रास

मद्रास, दिनांक 10 मई 1984

निर्देश सं० 31/अक्तूबर/83—अतः मुझे जी० मुत्तुरामकृष्णन आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० 41 (नयी सं०) और पुरानी सं० 1/16, है जो तम्बु चेट्टी लेन रायपुरम, मद्रास-13 में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, रायपुरम (दस्तावेज सं० 1812 1813/83 में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख अक्तूबर 1983 को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री वी० भूपती और अन्य।

(अन्तरक)

2. श्रीमती जे० पिस्ता देवी।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

भूमि और निर्माण पुरानी सं० 1/16, नयी स० 41, तम्बु चेट्टी लेन, रायपुरम मद्रास-13 (दस्तावेज सं० 1812 और 1813/83)।

जी० मुत्तुरामकृष्णन
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-1, मद्रास

तारीख : 10-5-1984
मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस. - - - -

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-1, मद्रास

मद्रास, दिनांक 1 मई 1984

निर्देश सं० 154/अक्तूबर/83—अतः मुझे, आर० पी० पिल्लै,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी डोर सं० 20 है, जो स्ट्राटर मुत्तैय्य मुदली स्ट्रीट, मद्रास में स्थित है (और इससे उपाबद्ध में और पूर्ण रूप से रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, मद्रास सेन्ट्रल मद्रास (दस्तावेज सं० 154/83) में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख अक्तूबर 1983

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अंतरितियों) के बीच ऐसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अंतरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्रीमती ओ० जयलक्ष्मी और अन्य।

(अन्तरक)

2. श्री डी० धर्मचन्द जैन और अन्य।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

भूमि और निर्माण सं० 20, स्ट्राटर मुत्तैय्य मुदली स्ट्रीट मद्रास-1 (दस्तावेज सं० 154/83)।

आर० पी० पिल्लै
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-1, मद्रास

तारीख : 1-5-1984
मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस. ———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, बंगलूर

बंगलूर, दिनांक 9 मई 1984

निर्देश सं० 752—अतः मुझे एस० बालसुब्रामणीयन **आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है**
और जिसकी सं० शेतकी जमीन आर०एस० नं० 248/1 और 248/3 है, तथा जो जमखंडी में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय जमखंडी में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 17 नवम्बर 1983 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्यों से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) **अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के** दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा **के लिए; और/या**

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों **को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया** गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में **सुविधा के लिए;**

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित **व्यक्तियों, अर्थात्** :—

1. श्री बसवा लक्ष्मण गवली आर०/ओ० जमखंडी जिला बीजापुर।

(अन्तरक)

2. श्री जिप्पा बालप्पा रामतीर्थ निवासी आलूर ग्राम तालुक जमखंडी।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) **इस सूचना के** राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से **45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में** समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त **व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;**

(ख) **इस सूचना के** राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से **45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास** लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

(दस्तावेज 1675 ता० 17-11-1983)

शेतकी जमीन जिसका आर० एस० नंबर 248/1 और 248/3 सम्पत्ति जमखंडी में स्थित है।

एस० बालसुब्रामणीयन
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, बंगलूर

तारीख : 9-5-1984
मोहर :

प्ररूप, आई. टी. एन. एस. -----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, बंगलूर

बंगलूर, दिनांक 9 मई 1984

निर्देश सं० 753—अतः मुझे एस० बालसुब्रामणीयन, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० आर० एस० नं० 36/2 बी है, तथा जो नवोदय नगर धारवाड़ में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय धारवाड़ में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख 1 अक्तूबर 1983

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए।

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री सी० एन० पररीव मूर्ती आयर रजिस्ट्रार आफ को० आपरेटीव सोसायटी बंगलोर।

(अन्तरक)

2. श्री जी० एस बिदरकोप नवोदय नगर, धारवाड़।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

प्लोट नं० 17, जिसका आर० एस० नं० है 36/2बी सम्पत्ति नवोदय नगर सप्तापुर ग्राम, धारवाड़ में स्थित है।

एस० बालसुब्रमणीयन
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, बंगलूर

तारीख : 9-5-1984
मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस. ----------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, बंगलूर

बंगलूर, दिनांक 9 मई 1984

निर्देश सं० 754--यत: मुझे एम० बालसुब्रामणीयन आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/-रु. से अधिक है

और जिसकी सं० आर० एस० नं० 248/1 है, तथा जो जमखंडी में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय जमखंडी में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 17-11-83 को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:--

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अत: अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:--

1. श्री बापण्णा लक्ष्मण गवली आर०/ओ० जमखंडी

(अन्तरक)

2. श्री मायप्पा मल्लप्पा रामतीर्थ आर०/ओ० आलूर ग्राम, तालूक जमखंडी।

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:--

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:--इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

(दस्तावेज 1654, तारीख 17-11-1983)

शेतकी जमीन जिसका आर. एस. नं० है 246/1 जमीन जमखंडी में स्थित है।

एम० बालसुब्रमणीयन
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, बंगलूर

तारीख: 9-5-1984

मोहर:

प्ररूप आई. टी. एन. एस.------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, बंगलूर

बंगलूर, दिनांक 9 मई 1984

निर्देश सं० 755—अतः, मुझे, एस० बालसुब्रमणीयन आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० मोरबी, सबडिस्ट्रीक्ट इल्हास में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय इलहास में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 14 अक्तूबर 1983

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. (1) श्री विक्टर डी० मेंडोंका।
(2) श्रीमती अगरा रोजा मारीया फरनांडेस मेंडोंका
(3) श्रीमती अना मारीया दास मरसेस फरनांडेस ई० मौरा सभी आर०/ओ घर नं० 1356 वारीयो बोंटीर सांता क्रूज इलहास, गोवा।

(अन्तरक)

2. (1) श्री दिलीप बसंत शेट्टी।
(2) श्री संतोष बसंत शेट्टी।
(3) श्री अशोक बसंत शेट्ठी सब आर०/ओ० घर नं० ई/638, सांता इनेज़ा पणजी, गोवा।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

(दस्तावेज सं० 838 तारीख 14-10-1983)

संपत्ति मोरबी सब डिस्ट्रीक्ट इलहास, गोवा में स्थित है।

बाल सुब्रामणीयन
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, बंगलूर

तारीख : 9-5-1984
मोहर :

प्ररूप आई.टी.एन.एस. -----------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, बंगलूर

बंगलूर, दिनांक 24 मई 1984

निर्देश सं० 755/84-85--अत:, मुझे, मंजू माधवन

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है
और जिसकी सं० सर्वे नं० 8 और 8बी है, तथा जो कारवार में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय कारवार (जिला कारवार) में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 18 अक्तूबर 1983
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अंतरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अत: अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्रीमती गुणमाला एम० पिन्टो, कारवार (जिला कारवार)।

(अन्तरक)

2. डा० एम० आर० नायक, नायक नर्सिंग होम, आर० पिन्टो रोड, कारवार (जिला कारवार)।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा,

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

(दस्तावेज सं० 531/83-84 तारीख 18-10-84)
नया बना हुआ मकान इसका नाम "नायक नर्सिंग होम" जिसका म्युनिसिपैलिटी नं० एम.ए.ल नं० 566 और 567 बाड़ ब्लाक नं० 1/4 सर्वे नं० 8 और 8बी, कारवार (जिला कारवार)।

मंजू माधवन
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, बंगलूर

तारीख : 24-5-1984
मोहर :

प्रारूप आई. टी. एन. एस. ------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, बंगलूर

बंगलूर, दिनांक 24 मई 1984

निर्देश सं० 756/84-85—अतः, मुझे, मंजु माधवन आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० सर्वे नं० 8 और 8बी है, जो कारवार में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय कारवार (जिला कारवार) में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 18 अक्तूबर 1983

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अंतरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अंतरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अंतरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्रीमती पुष्पलता एम० पिकले, कारवार (जिला कारवार)।

(अन्तरक)

2. डा० कुमद नायक, नीव नर्सिंग होम, आर० पिकले रोड, कारवार (जिला कारवार)।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

(दस्तावेज नं 530/83-84 तारीख 18-10-83)

नया बना हुआ मकान इसका नाम "नीव नर्सिंग होम जिसका म्यूनिसिपेलटी नं० एम एल नं० 566 और 567, वाड टीका नं० 1 सर्वे नं० 8 और 8बी, कारवार (जिला कारवार)।

मंजु माधवन
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, बंगलूर

तारीख : 24-5-1984

मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस.-------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, बंगलूर

बंगलूर, दिनांक 22 मई 1984

निर्देश सं० 757/84-85—अतः, मुझे, मंजु माधवन आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० साईट नं० 8 है तथा जो हासन में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय हासन ; रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख 13 अक्तूबर 1983

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अंतरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री के० रामेगौड़ा वकील के० आर० पुरम, हासन।
(अन्तरक)

2. श्री बी० एम० शंकप्पा कांफि मालीक, बेलूर।
(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

(दस्तावेज सं 1763/83-84 तारीख 13-10-83)

साइट (खुली जगह)

इसका नं० 8, विस्तीर्ण $50^{1} \times 70^{1}$ आर० एन० एक्सटेंशन हासन में है।

मंजु माधवन
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, बंगलूर

तारीख : 22-5-1984
मोहर :

प्रारूप. आई. टी. एन. एस. -----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, बंगलूर

बंगलूर, दिनांक 22 मई 1984

निर्देश सं० 758/84-85—अतः मुझे मंजु माधवन,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० आर० एस० नं० 34/1 है तथा जो धारवाड़ में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय धारवाड़ में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, 29-10-1983

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अंतरितियों) के बीच ऐसे अंतरण के लिए तय पाया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अंतरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अंतरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. (1) श्री आर० एस० जाठर, राजेन्द्र नगर, पुणे-30।
(2) श्री वी० एस० जाठर 7700, होनावर पारकवे, ग्रीन बेल्ट मार्ग-20770 (यू०एस०ए०)।
(3) आदित्य।
(4) सत्य एम जी श्रीमती देवी जाठर केलागेरी रोड धारवाड़।
(5) श्रीमती देवी जाठर धारवाड़।

(अन्तरक)

2. श्री जी० बी० यरगट्टी कर्नाटक यूनिवर्सिटी। धारवाड़।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

(दस्तावेज सं 1112/83-84 ता० 29-10-83)

खेत की ज़मीन इसका नं० आर० एस० 34/1 परिमाप 6 एकड़ दोड्डनामकन कोप्पा, धारवाड़ में है।

मंजु माधवन
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, बंगलूर

तारीख : 22-5-1984
मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस.-----------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, बंगलूर

बंगलूर, दिनांक 22 मई 1984

निर्देश सं० 759/84-85—अतः मुझे, मंजु माधवन,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० आर० एस० नं० 166/1 है, तथा जो गदग में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय गदग में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, 21-10-1983

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अंतरकों) और अंतरिती (अंतरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के, अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री रामचंद्र सुपुत्र श्री बालाजी जाधव सीताराम नगर, एम० डि० औफी के पास गदग शहर।

(अन्तरक)

2. (1) श्री एम० बी० ब्याली।
(2) श्री एच० बी० पाटील।
(3) श्री एस० बी० हाडी।
(4) श्रीमती रत्नाबाई सुपुत्र श्री के० जाधव गदग शहर।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

(दस्तावेज सं 1261/83-84 तारीख 21-10-83)

खेत की जमीन

गदग में रहने वाला इसका आर० एस० नं० 166/1 परिमाप 12 एकड़ और 14 गुंठा है।

मंजु माधवन
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, बंगलूर

तारीख : 22-5-1984
मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस. ------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, बंगलूर

बंगलूर, दिनांक 28 मई 1984

निर्देश सं० सी० आर० 62/40809/83-84—अतः मुझे मंजु माधवन

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० आर० एस० नं० 237-ए-2, टी० एस० नं० 303-ए2 है, तथा जो कद्रि विलेज बेनदोर वार्ड, मंगलूर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय मंगलूर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, 14-10-1983

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री एम० मैकेल सलडान्हा 74/5, शेवाला बिल्डिंग्स, एम० एम० जोशी मार्ग, बैंकुला, बम्बई।
(अन्तरक)

2. मैसर्स प्रदार्ण एन्टरप्राइजिज, बाई इट्स पार्टनर: एच० जयाप्रकाश, कद्रि टेंपल रोड, मंगलूर।
(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।

स्पष्टीकरणः—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

(दस्तावेज सं० 927/83-84 ता० 14-10-1983)

सब सम्पत्ति है जिसकी सं० टी० एस० 303-ए 2, आर० एस० नं० 237-ए 2, जो कद्रि विलेज, बेनदोर वार्ड, मंगलूर में स्थित है।

मंजु माधवन
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, बंगलूर।

तारीख : 28-5-1984
मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस. -----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, बंगलूर

बंगलूर, दिनांक 24 मई 1984

निर्देश सं० सी० आर० 62/40866/83-84—अत: मुझे, मंजु माधवन,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/-रु. से अधिक है

और जिसकी सं० 2972-ए है, तथा जो एच० ए० एल०-II स्टेज इंदिरानगर, बैंगलूर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची ; और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय शिवाजीनगर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, 21-10-1983

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अंतरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए;

अत: अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्रीमती वत्सला पेन्ना, डिविजनल मैनेजर, सिंडीकेट बैंक, गांधीनगर, बेंगलूर।

(अन्तरक)

2. श्री आर० रंगराजन, सेक्रेटरी-कम-एडमिनिस्ट्रेटिव आफिसर आई० एस० ए० टी० रिसर्च एसोसिएशन, 24/1, अलसूर रोड, बंगलूर।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

(दस्तावेज सं० 1896/83-84 ता० 21-10-83)
सब सम्पत्ति है जिसका सं० 2972-ए, जो एच० ए० एल० II-स्टेज, इंदिरानगर, बेंगलूर में स्थित है।

मंजु माधवन
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, बंगलूर

तारीख : 24-5-1984
मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस. --------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, बंगलूर

बंगलूर, दिनांक 23 मई 1984

निदेश सं० आर 62/40788/83-84—यतः मुझे, मंजु माधवन, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है

और जिसकी सं० 6(376) है, तथा जो 13 मैन रोड, आर० वी० एक्सटेंशन, बेंगलूर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्णरूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता के कार्यालय गांधी नगर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक 10-10-1983,

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अंतरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अंतरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्न लिखित व्यक्तियों, अर्थात :—

(1) श्री के० रामया रेड्डी,
और दो कुछ लोग,
446, राजामहल विलास एक्सटेंशन,
बेंगलूर ।

(अन्तरक)

(2) श्री डी० वी० एस० अचारया,
300/1-बी०, 16 क्रास,
अप्पार पेलेस आरचरडस,
बेंगलूर ।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

(दस्तावेज सं० 1976/83 ता० 10-10-83)

सब सम्पत्ति है, जिसका सं० 6(376), जो 13 मैन रोड, राजामहल विलास एक्सटेंशन, बेंगलूर, में स्थित है ।

मंजु माधवन
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, बंगलूर

दिनांक : 23-5-1984

मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस. --------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, बंगलूर

बंगलूर, दिनांक 5 जून, 1984

निदेश सं० सी० आर० 62/40784/83-84—, अतः मुझे, मंजु माधवन,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० सर्वे नं० 54, ए० सी० ए० है, तथा जो पंजुं मोगरु, विलेज, कुलूर, काबुर रोड, मंगलूर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और जो पूर्ण रूप से वर्णित है रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय मंगलूर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक 15-10-83

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिये था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

15—136 GI/84

1. श्री के० गदाधन्दा शेट्टि,
विवेक नगर, कुलूर, मंगलूर।
प्रतिनिधि : श्री के० दिवाकर शेट्टि,
विजया बैंक, बेंगलूर नौ एट,
पनजिवामोगरू, विलेज, मंगलूर।

(अन्तरक)

2. श्रीमती नानगि मान्टेरियो,
पत्नी श्री रावर्ट मान्टेरियो,
विवेक नगर,
पनजिनामोगरू विलेज, मंगलूर।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

(दस्तावेज सं० 881/83-84 ता० 15-10-83)
सम्पत्ति है जिसका सर्वे नं० 54- ए० सी० ए० जो पंजुमोगरु, विलेज, कुलूर काबुर रोड, मंगलूर में स्थित है।

मंजु माधवन,
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, बंगलूर

तारीख : 5-6-1984
मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस.-------------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, बंगलूर

बंगलूर, दिनांक 17 मई 1984

निदेश सं० सी० आर० 62/40885/83-84—यत: मुझे, मंजु माधवन

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० 4513 न्यू नं० एल०-5 है, तथा जो सेंट मेरि रोड, एन० आर० मोहल्ला, मैसूर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्णरूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, मैसूर, में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन, दिनांक 20-10-83

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरक) और अंतरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्यों से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अत: अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) 1. मिसस रत्नाम्मा दोरेस्वामी,
2. नामस सुदर्शन,
3. इंदिरा डेविड,
4. विमला रत्ना सभापति,
5. प्रमिला राबर्टसन
6. वसुन्धरा श्रीनिवासन
नं० 1819, अकबर रोड मण्डी मोहल्ला, मैसूर।

(अन्तरक)

2. श्री अनवर अहमद शरीफ,
नं० 4641, शिवाजी रोड,
एन० आर० मोहल्ला, मैसूर

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

(दस्तावेज सं० 3017/83 दिनांक 20-10-83)

सब सम्पत्ति है, जिसका सं० 4513, न्यू नं० एल०-5, जो सेंट मेरि रोड, एन० आर० मोहल्ला, मैसूर, में स्थित है।

मंजु माधवन
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, बंगलूर

दिनांक : 17-5-84

मोहर :

प्ररूप आई.टी.एन.एस.----------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज, बंगलूर

बंगलूर, दिनांक 24 मई 1984

निदेश सं० सी० आर० 62/40799/83-84—यत: मुझे मंजु माधवन,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० 547 है, तथा जो II स्टेंज, इंदिरानगर, बेंगलूर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्णरूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय शिवाजीनगर, में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक 13-10-83 को

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, इसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अंतरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अंतरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अंतरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अंतरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए;

अत: अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री पी० सदाशिवा मूर्ति,
618/619, 13 क्रास, मागडि
कार्ड रोड, विजयानगर, बेंगलूर,

(अन्तरक)

(2) श्री टी० वी० अब्राहम,
1/5, अलसूर रोड,
बेंगलूर ।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त संपत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :--

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

(दस्तावेज सं० 1827/823-84, दिनांक 13-10-83)

सब सम्पत्ति है, जिसका सं० 547, जो II स्टेज, इंदिरानगर, बेंगलूर, में स्थित है ।

मंजु माधवन
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, बंगलूर

दिनांक : 24-5-84
मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस.-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, बंगलूर

बंगलूर, दिनांक 25 मई 1984

निदेश सं० सी० आर० 62/40875/83-84---यतः मुझे, मंजु माधवन,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० 3/8(II) है, तथा जो कवेरियप्पा ले औट, बेंगलूर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्णरूप वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय शिवाजीनगर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक 31-10-1983

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अंतरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्रीमती जैयनाबु श्यामनाड,
3/8, कावेरियप्पा ले औट,
वसन्त नगर, बेंगलूर ।

(अन्तरक)

(2) श्रीमती डी० एच० शा,
165, वसन्तनगर,
बेंगलूर ।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

(दस्तावेज सं० 2001/83-84, दिनांक 31-10-83)

सब सम्पत्ति है, जिसका सं० 3/8 (II), जो कावेरियप्पा ले औट नियर कन्निगहाम रोड और मिल्लर टैंक बंड रोड, बेंगलूर, में स्थित है ।

मंजु माधवन
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, बंगलूर

दिनांक : 25-5-84

मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस. -------------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, बंगलूर

बंगलूर, दिनांक 25 मई 1984

निदेश सं० सी० आर० 62/40793/83-84—यतः मुझे, मंजु माधवन,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी नं० 17/3 है तथा जो हुचिन्स रोड, रिचारडस टौन, बेंगलूर में स्थित है (और इसमें उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय शिवाजी नगर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक 1-10-83

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अंतरितियों) के बीच ऐसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अंतरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अंतरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अंतरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अंतरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) के० एम० मरियम,
26, विवियानि रोड,
बेंगलूर।

(अन्तरक)

(2) श्री जार्ज सैमन पेरैरा
और मिसस, जेनिफर योने पेरैरा,
केयर/आफ, 60/2, कौलस रोड,
बेंगलूर।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

(दस्तावेज सं० 1713/83-84, दिनांक 1-10-83)
सब सम्पत्ति है, जिसका सं० 17/3, जो हुचिन्स रोड, रिचारडस टौन, बेंगलूर, में स्थित है।

मंजु माधवन
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, बेंगलूर।

तारीख : 25-5-1984
मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस.-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, बेंगलूर

बेंगलूर, दिनांक 25 मई 1984

निर्देश सं० सी० आर० 62/40798/83-84—अत: मुझे, मंजु माधवन,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० 8 है, तथा जो बेंगलूर, लेआउट बेंगलूर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्री रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय शिवाजीनगर, में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक 5-10-1983

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्यों से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए ;

अत: अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री बी० ओ० वालामूर्ति,
लक्कावाली विलेज,
तरिकेरे, तालुक,
चिकमगलूर, डिस्ट्रिक्ट, याप एट, बेंगलूर

(अन्तरक)

2. एम० जे० कोशी,
श्री टी० एम० कोशी,
81, डि० कोस्टा, खेबर बेगलूर,
22, बुधविहार रोड, बेंगलूर

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

(दस्तावेज सं० 1/830/83-84 ता० 5-10-83)

सब सम्पत्ति है जिसका सं० 8, जो दोमलूर, लेआउट, बेंगलूर, में स्थित है।

मंजु माधवन
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, बंगलूर

तारीख : 25-5-1984

मोहर :

प्ररूप आई.टी.एन.एस.-----------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, बेंगलूर

बेंगलूर, दिनांक 28 मई 1984

निर्देश सं० सी० आर० 62/40796/83-84—अतः मुझे, मंजु माधवन

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० 6(एच/एल), है, तथा जो आसबर्न रोड, सिविल, स्टेशन, बेंगलूर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय में शिवाजीनगर रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक 10-10-1983

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, एसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्रीमती विस्तमबाल,
   न्यू नं० 6 (एच/एल),
   आसबर्न रोड, सिविल स्टेशन, रोड,
   बेंगलूर

(अन्तरक)

2. यू० के० बोजागाव
   नं० 50/3, ज्वेल स्ट्रीट,
   बेंगलूर

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त संपति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

(दस्तावेज सं० 1773/83 ता० 10-10-1983)

सब सम्पत्ति है जिसका सं० 6 (पुराना सं० एच/एल/), जो आसबर्न रोड, सिविल स्टेशन, बेंगलूर में स्थित है।

मंजु माधवन
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, बेंगलूर

तारीख 28-5-1984
मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस. ------------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, बेंगलूर

बेंगलूर, दिनांक 26 मई 1984

निर्देश सं० सी० आर० 62/40873/83-84—यतः मुझे, मंजु माधवन,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/-रु. से अधिक है

और जिसकी सं० 98 है, तथा जो चिन्नामंगला, II, स्टेज, इंदिरा नगर, बेंगलूर, में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय शिवाजीनगर में रजिस्ट्रीकरण, अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक 26-10-83

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अंतरितियों) के बीच ऐसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए।

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :—

1. एम० गोपाल,
जगदीश नगर,
जिवनबिमानगर,
पी० ओ०, बेंगलूर,

(अन्तरक)

2. श्री एम० बी० राज,
98, II स्टेज, चिन्नामंगला,
इंदिरा नगर, बेंगलूर

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

(दस्तावेज, सं० 1951/83 ता० 26-10-1983)

सब सम्पत्ति है जिसका सं० 98, जो चिन्नामंगला, II स्टेज, इंदिरा नगर, बेंगलूर में स्थित है

मंजु माधवन
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, बंगलूर

तारीख 26-5-1984
मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस.————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, बेंगलूर

बेंगलूर, दिनांक 26 मई 1984

निर्देश सं० सी० आर० 62/40741/83-84—यत: मुझे, मंजु माधवन

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० 658/1 (पुराना सं० 658/ए), तथा जो 17-बी० क्रास, इंदिरा नगर, बिन्नामंगला, II स्टेज, बेंगलूर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय शिवाजी नगर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक 4-10-1983

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अत: अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

16—106 GI/84

1. मि० धनाराज,
नं० 6, VII, क्रास, स्ट्रीट,
जयाबारति नगर,
बेंगलूर सिटी।

(अन्तरक)

2. श्रीमती अनासूय्या बाई,
गौपरशंकरा निलया,
नं० 387, V क्रास, विलसन गार्डन्स,
बेंगलूर

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

(दस्तावेज, सं० 1603/83, ता० 4-10-83)

सब सम्पत्ति है जिसका सं० 658/1, (पुराना सं० 658/ए), जो 17 बी० क्रास, इंदिरा नगर, बिन्नामंगला II, स्टेज, बेंगलूर, में स्थित है।

मंजु माधवन
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, बेंगलूर

तारीख : 26-5-1984
मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस.---------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, बंगलूर

बंगलूर, दिनांक 24 मई 1984

निदेश सं० सी० आर० 62/40869/83-84—यतः मुझे मंजु माधवन,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० 1065 है, तथा जो एच० ए० एल० II, स्टेज, इंदिरा नगर, बेंगलूर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और जो पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय शिवाजी नगर, में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक 24-10-83

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अंतरितियों) के बीच ऐसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री के० रामैय्या,
   नं० 96, V मैन रोड,
   चामराजपेट, बेंगलूर-18

(अन्तरक)

2. श्री मी० एम० तामस, और
   श्रीमती मी० एस० तामस,
   प्रतिनिधि :
   श्री एन० टी० सबासटैन,
   7/1, किंगस्टन, रोड, बेंगलूर

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

(दस्तावेज, सं० 1919/83 ता० 24-10-83)
सब सम्पत्ति है जिसका सं० 1065, जो एच० ए० एल० II, स्टेज, इंदिरा नगर, बेंगलूर में स्थित है।

मंजु माधवन,
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, बेंगलूर

तारीख : 24-5-1984
मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस.--------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, बेंगलूर

बेंगलूर, दिनांक 25 मई 1984

निर्देश सं० सी० आर० 62/40871/83-84--यत: मुझे मंजु माधवन

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन, सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० 29/1 है, तथा जो हुचिन्स मैन. रोड, बेंगलूर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय शिवाजी नगर, में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक 25-10-1983

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :--

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए;

अत: अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :--

1. श्री बी० डी० जोसे,
नं० 29, हुचिन्स मैन रोड,
कूक टोन, बेंगलूर

(अन्तरक)

2. मिसेस अन्ने ईपन,
प्रतिनिधि : पास्टर जान डेविड मेजर,
ऐ०पी० सी०, जैन, हाल, III क्रास,
हेसूर रोड, लिंगराजापुरम,
बेंगलूर

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :--

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:--इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

(दस्तावेज सं० 1932/83 ता० 25-10-83)

सब सम्पत्ति है जिसका सं० 29/1, जो हुचिन्स, मैन रोड, बेंगलूर में स्थित है ।

मंजु माधवन
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, बेंगलूर

तारीख : 25-5-1984
मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस.----------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, बेंगलूर

बेंगलूर, दिनांक 26 मई 1984

निदेश सं० सी० आर० 62/40785/83-84—अतः मुझे, मंजु माधवन

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० 34/1 है, तथा जो बेनसन रोड, क्रास, बेंगलूर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और जो पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय गांधीनगर, में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक 12-10-1983

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री चिमन लाल
सं० 17/6, चार्च रोड,
शान्ति नगर, बेंगलूर-27

(अन्तरक)

2. श्री अब्दुल कयूम,
(2) श्रीमती सजिदा,
नं० 51, मिलरस रोड,
II, क्रास सिविल, स्टेशन,
बेंगलूर-46

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

(दस्तावेज सं० 2005/83-84 ता० 12-10-83) सब सम्पत्ति है जिसका सं० 34/1, जो बेनसन क्रास, रोड, बेंगलूर में स्थित है।

मंजु माधवन
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, बेंगलूर

दिनांक : 26-5-1984
मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस. ------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, बेंगलूर

बेंगलूर, दिनांक 6 जून 1984

निर्देश सं० सी० ए० 62/40880/83-84—अत: मुझे मंजु माधवन

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० 221-5, 231-4ए 1 बी है, तथा जो केम्मान्जे विलेज, पुत्तूर, तालुक, दक्षिण कन्नाडा, डिस्ट्रिक्ट, में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और जो पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय पुत्तूर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक अक्तूबर, 1983

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अंतरकों) और अंतरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:---

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अंतरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अत: अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात :—

1. श्री के० रामाकृष्ण शेनाय
सुब्रमणाडि ऑफ केम्मानजे,
विलेज, पुत्तूर, तालुक ।

(अन्तरक)

2. ए० एस० पोन्नाप्पा,
वेद्रोगोल्ला, विलेज, विराजपेट तालुक,
कोडागु, डिस्ट्रिक्ट

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

(दस्तावेज सं० 518/83 तारीख अक्तूबर, 83)
सम्पत्ति है जिसका सं० 221-5ए, 231-4ए 1 बी, जो केम्मान्जे, विलेज, पुत्तूर तालुक, दक्षिण कन्नाडा, डिस्ट्रिक्ट में स्थित है ।

मंजु माधवन
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, बेंगलूर

तारीख: 6-6-1984
मोहर :

प्ररूप आई. टी एन एस. ---------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, बेंगलूर

बेंगलूर, दिनांक 1 जून 1984

निर्देश सं० सी० ए० 62/40810/83-84—अतः मुझे, मंजु माधवन

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० आर० एस० 42-3 बी है, तथा जो बोलूर, विलेज, विजेय वार्ड, मंगलूर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय मंगलूर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक 14-10-1983

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, इसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अंतरितियों) के बीच ऐसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अंतरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अंतरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अंतरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अंतरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

1. श्री बोला श्रीनिवासा कामत, तिलिम्बि, मंगलूर

(अन्तरक)

2. श्री बी० दत्तात्रेया पै, ऐताप्पा, मैस्त्रि, कामपोन्ड, मन्नागुड्डा, मंगलूर

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त संपत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

(दस्तावेज सं० 926/83-84 ता० 14-10-83)

सम्पत्ति है जिसका सं० आर० एस० 42-3 बी, जो बोलूर विलेज, विजय वार्ड, मंगलूर में स्थित है।

मंजु माधवन
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, बेंगलूर

तारीख: 1-6-84

मोहर:

प्ररूप आई.टी.एन.एस.-----------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, बंगलूर

बंगलूर, दिनांक 4 जून 1984

निदेश सं० सी० आर० 62/40575/83-84—अतः मुझे, मंजु माधवन,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है और जिसकी सं० 3 है, तथा जो प्रशांत रेजिडेंशियल, लेआउट, वैटफील्ड, बेंगलूर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और जो पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय बेंगलूर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री ई० वि० जे० कुन्हा, और 10 कुछ लोग, नं० 69, सेंट, जन्म चर्च रोड, बेंगलूर,।

(अन्तरक)

2. नीना अनन्दारामन, मैनर गारडियन श्री आर० बी० कृष्णामूर्ति, नं० 50, 30 क्रास, III, ब्लाक, जयानगर, बेंगलूर ।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

(दस्तावेज सं० 2997/83 ता० अक्तूबर 83) सम्पत्ति है जिसका प्लाट नं० 3, जो प्रशांत रेजिडेंशियल, लेऔट, वैटफील्ड, बेंगलूर में स्थित है।

मंजु माधवन,
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज, बेंगलूर

तारीख : 4-6-1984

मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस.————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, बंगलूर

बंगलूर, दिनांक 5 जून 1984

निदेश सं० सी० आर० 62/40577/83-84—अतः मुझे मंजु माधवन,

आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० प्लाट नं० 9 है, तथा जो प्रशांत रेजिडेन्शियल, ले-औट, पट्टानदूर, अग्राहारा, वैटफील्ड, बेंगलूर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और जो पूर्ण रूप से वर्णित है, रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय बेंगलूर दक्षिण तालुक में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक अक्तूबर, 1983

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री ई. वी. जे. कुलश और 10 कुछ लोग
नं० 69, सेंट जान चर्च रोड,
बेंगलूर-5

(अन्तरक)

2. डा० ऊषा त्यागराजा,
नं० 114, मैन रोड, वैटफील्ड,
बेंगलूर-66

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

(दस्तावेज सं० 2837/83, ता० अक्तूबर, 83)
सब सम्पत्ति है जिसका सं० प्लाट नं० 9, जो प्रशांत रेसिडेंशियल, ले-औट, पट्टान्दूर, अग्रहारा विलेज, वैटफील्ड, बेंगलूर-66 में स्थित है।

मंजु माधवन,
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज, बंगलूर

तारीख : 5-6-1984
मोहर :

प्ररूप आई.टी.एन.एस.-----

आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज, बेंगलूर

बेंगलूर, दिनांक 5 जून 1984

निर्देश सं० सी० आर० 62/40574/83-84—अतः मुझे, मंजु माधवन आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है और जिसकी सं० फ्लाट नं० 6 है, तथा जो प्रशांत रेजिडेन्शियल ले-आउट, वैटफील्ड, बेंगलूर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय बेंगलूर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक अक्तूबर, 1983 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री ई० वी० जे० कुन्हा, और 10 कुछ लोग.
नं० 69, सेंट जन्स चर्च रोड,
बेंगलूर-5

(अन्तरक)

2. श्री दीपक मोतीलाल चब्रिया,
नं० 9, कान्वेंन्ट रोड,
गुलमोहर मानशान,
बेंगलूर

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

(दस्तावेज सं० 2996/83 ता० अक्तूबर, 1983)

सब सम्पत्ति है जिसका सं० फ्लाट नं० 6, जो प्रशांत रेसिडेन्शियल, ले-आउट, वैटफील्ड बेंगलूर में स्थित है।

मंजु माधवन
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, बेंगलूर

तारीख : 5-6-1984
मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस. - - - - ----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, बेंगलूर

बेंगलूर, दिनांक 5 जून 1984

निर्देश सं० सी० आर० 62/40801/83-84—अत: मुझे मंजु माधवन

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/-रु. से अधिक है

और जिसकी सं० 37/2 है, तथा जो III क्रास, विवेकानन्दा नगर बेंगलूर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय शिवाजी नगर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक 15-10-83

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्रीमती के० मंजुला,
नं० 294, VII क्रास,
जैभारती नगर,
बेंगलूर -5

(अन्तरक)

2. श्री संतो ऐटीरा,
नं० 3, , क्रास,
विवेकानन्दानगर,
बेंगलूर-33

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

(दस्तावेज सं० 1856/83 ता० 15-10-83)
सब सम्पत्ति है जिसका सं० 37/2, जो क्रास, विवेकानन्दानगर, बेंगलूर में स्थित है।

मंजु माधवन
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, बेंगलूर

तारीख : 5-6-1984
मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस.---------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, बेंगलूर

बेंगलूर, दिनांक 5 जून, 1984

निदेश सं० सी० आर० 62/40855/83-84—अतः मुझे मंजु माधवन

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० 12 है, तथा जो II क्रास रोड, एस० सी० रोड, क्रास, रामाकृष्णपुरम, एक्सटेंशन, बेंगलूर-9 में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और जो पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय गांधीनगर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक 31-10-83

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :—

1. श्री एच० बी० सुब्बा राव,
श्री एच० सुर्यानारायण राव,
श्री एच० एस० श्रीनिवासा राव,
नं० 12/1, आर० के० पुरम, एक्सटेंशन,
एस० सि० रोड, क्रास, बेंगलूर

(अन्तरक)

2. श्रीमती नीलाम्मा पत्नि श्री जी० एफ० उपनल,
लक्ष्मेश्वरा, तालुक, दारवार, डिस्ट्रिक्ट।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

(दस्तावेज सं० 2185/83 ता० 31/10/83)

सब सम्पत्ति है जिसका सं० 12 जो II क्रास रोड, रामाकृष्णपुरम, एक्सटेंशन, एस० सी० रोड, क्रास, बेंगलूर में स्थित है।

मंजु माधवन
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, बेंगलूर

तारीख: 5-6-84
मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस.------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, बंगलूर

बंगलूर, दिनांक 5 जून 1984

निदेश सं० सी० आर० नं० 62/40930/83-84—अतः मुझे, मंजु माधवन,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० 759/30 है, तथा जो V मैन रोड, जिवजयानगर, बेंगलूर, में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और जो पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय श्रीरामपुरम, में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक 31-11-83

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अंतरितियों) के बीच ऐसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अंतरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अंतरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अंतरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अंतरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

1. श्री एम० कृष्णप्पा,
नं० 759/30, V मैन रोड,
विजयानगर, बेंगलूर

(अन्तरक)

2. श्रीमती शान्ति एस० जान्ज,
नं० 22, [illegible]
डब्ल्यू० सी० रोड,
बेंगलूर

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

(दस्तावेज सं० 2526/83 ता० 31-11-83)

सब सम्पत्ति है जिसका सं० 759/30, जो V मैन रोड, विजयानगरा (होसहल्ली), बेंगलूर में स्थित है।

मंजु माधवन,
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज, बंगलूर

तारीख : 5-6-1984
मोहर :

प्ररूप आई.टी.एन.एस.----------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, बंगलूर

बंगलूर, दिनांक 27 अप्रैल, 1984

निदेश सं० सी० आर० 62/408000/83-84—यत: मुझे, मंजु माधवन,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० 319 है, तथा जो दोम्मालूर एक्सटेंशन, बेंगलूर नें स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय शिवाजीनगर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक 14-10-83

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अंतरितियों) के बीच ऐसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अंतरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री टी० एन० सौन्दरा राजन,
नं० 319, दोमलूर, एक्सटेंशन,
बंगलूर । (अन्तरक)

(2) श्री जी० मोहन राम और
मिसस शशि मोहन,
नं० 39, विवियानी रोड,
बंगलूर ।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

(दस्तावेज सं० 1853/83 दिनांक 14-10-83)

सब सम्पत्ति है, जिसका सं० 319, जो दोमलूर एक्सटेंशन, बेंगलूर, में स्थित है ।

मंजु माधवन
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, बंगलूर

दिनांक : 27-4-84

मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस.----------------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, बेंगलूर

बेंगलूर, दिनांक 4 जून 1984

निदेश सं० सी० आर० 62/40879/83-84—अतः मुझे, मंजु माधवन,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/ रु. से अधिक है और जिसकी सं० सर्वे नं० 146-57ए 31 है, तथा जो नेरिया विलेज, बेलतंगडि तालुक, दक्षिण कन्नाडा, में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और जो पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय बेलतंगाडि में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक 31-10-83 को पूर्वोक्त सपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से एसे दृश्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अन्तरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :—

1. मैसर्स कालिफट, टिम्बर्स,
गांधीनगर, मंगलूर ।

(अन्तरक)

2. मैसर्स आल बद्रि प्लान्टेशन्स, मिलाग्रेस मानशन्स,
हम्पनाकट्टा, मंगलूर,
पार्टनर : श्री बी० मोईधीन कुन्ही,
वास लेन, मंगलूर

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:--

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

(दस्तावेज, सं० 509/83-84 ता० 31-10-83)
सब सम्पत्ति है जिसका सं० सर्वे नं० 146-57ए, 31, जो नेरिया विलेज, बेलतंगडि, तालुक, दक्षिण कन्नाडा, में स्थित है।

मंजु माधवन
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, बेंगलूर

तारीख : 4-6-1984
मोहर :

प्ररूप. आई. टी. एन. एस. ------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, बेंगलूर

बेंगलूर, दिनांक 5 जून 1984

निदेश सं० सी० आर० नं० 40791/83-84—अत: मुझे, मंजु माधवन

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/-रु. से अधिक है

और जिसकी सं० पुराना सं० 11, न्यू नं० 21 है, तथा जो I क्रास, वीलर रोड, बेंगलूर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और जो पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय शिवाजी नगर, में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक 15-10-83

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अंतरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अत: अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. आर० एतिराजेय्या,
नं० 21, I क्रास, वीलर रोड,
बेंगलूर-5

(अन्तरक)

2. श्री बै० रावाप्पा,
नं० 14, अचुताराया मोदलियार रोड,
फ्रेजर टाउन, बेंगलूर-5

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

(दस्तावेज सं० 1725/83, ता० 15-10-83)

सम्पत्ति है जिसका सं० पुराना 11, न्यू नं० 21, (पश्चिम भाग), जो I क्रास, वीलर रोड, सिविल स्टेशन, बंगलूर में स्थित है ।

मंजु माधवन
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, बेंगलूर

दिनांक : 5-6-1984
मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस.———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज, बेंगलूर

बेंगलूर, दिनांक 1 जून, 1984

निदेश सं० सी० आर० 62/40845/83-84—अतः मुझे, मंजु माधवन

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० आर० एस० नं० 490/1 टि० एस० नं० 119/1 है, तथा जो फील्ड स्ट्रीट, मंगलूर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और जो पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय मंगलूर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक 31-10-83

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है कि मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री एम० नरासिंहा भट,
सुपुत्र श्री एच० कृष्णा भट,
आफिसर केनारा बैंक,
माहमाया टेपल, मंगलूर,

(अन्तरक)

2. मिता आर० शेनाय, द्वारा के० आर० शेनाय,
2. के० अनन्ता शेनाय,
महामाया, टेपल, फील्ड स्ट्रीट,
मंगलूर, ।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाही शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

(दस्तावेज सं० 962/83 ता० 31-10-83)

सब सम्पत्ति है जिसका सं० आर० एस० नं० 490/1; टी० एस० नं० 490/1; जो कस्बा बजार विलेज, मार्केट, वार्ड, मंलूर में स्थित है।

मंजु माधवन
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, बेंगलूर

दिनांक : 1-6-84
मोहर :

प्ररूप आई.टी.एन.एस. -------------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज बेंगलूर

बेंगलूर, दिनांक 1 जून, 1984

निदेश सं० सी० आर० 62/40861/83-84—अतः मुझे, मंजु माधवन

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० 305 है, तथा जो ब्लाक कोरामगाला बेंगलूर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और जो पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय बेंगलूर दक्षिण तालुका में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक 31-10-83

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए।

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

18—136GI/84

1. श्री पी० शिवाश्नलाल,
42, II क्रास IV ब्लाक,
कुमारा पार्क, वेस्ट, बेंगलूर-20

(अन्तरक)

2. श्री के० वि० बालाचन्द्रन,
777 डी, 100 फीट रोड,
एच० ए० एल० II स्टेज,
बेंगलूर

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

(दस्तावेज सं० 5177/83 ता० 2131-10-84)

सब सम्पत्ति है जिसका सं० 305 जो I ब्लाक कोरामंगला, बेंगलूर में स्थित है।

मंजु माधवन
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, बेंगलूर

तारीख : 1-6-1984
मोहर

प्ररूप आई.टी.एन.एस.----------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, बंगलूर

बंगलूर, दिनांक 1 जून 1984

सि० आर० 62/40844/83-84—यत: मुझे, मजु माधवन,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है

और जिसकी सं० टि० एस० 440/2, आर० एस० नं० 1048/2 है, तथा जो अत्तावर विलेज, बलमट्टा वार्ड, बेंगलूर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन ता० अक्तूबर, 1983 को पूर्वोक्त सम्पति के उचित बाजार से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, मंगलूर तारीख अक्तूबर 1983

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अंतरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अंतरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अत: अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. (1) रेवरेंड फादर चार्लेस जे० अरेन्हा,
(2) जान जे० टी० फरनान्डिस
(3) मिसेस सिलेन सलडान्हा,
(4) मिस मजेला सलडान्हा,
(5) गेरारड सलडान्हा,
(6) लुसिला सलडान्हा,
(7) कारमेन सलडान्हा,
उनके प्रतिनिधि नि० मोथुडीन ग्रनडे, वास लेन, मंगलूर सिटी।

(अन्तरक)

2. मेशन बरनाडेन आलफनसो डि कुन्हा, जिपिए होल्डर लिलि डि कुन्हा, फलनीर, मंगलूर सिटी।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त संपति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

(दस्तावेज सं० 1003/83 ता० अक्तूबर 83)

सम्पत्ति है जिसका सं० टि० एस० 440/2, आर० एस० नं० 1048/2, जो अत्तावर विलेज, बलमट्टा वार्ड, मंगलूर में स्थित है।

मजु माधवन
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, बंगलूर

तारीख : 1-6-1984
मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस. ------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, बंगलूर

बंगलूर, दिनांक 1 जून 1984

निर्देश सं० सि० आर० 62/40840/83-84—यतः मुझे मंजु माधवन,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० 1690 है, तथा जो III स्टेज, राजाजिनगर-7 बेंगलूर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, राजाजिनगर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 29-10-83

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री पि० धर्मसानि,
नं० 21, वसंतानगर,
एक्सटेंशन, बेंगलूर।

(अन्तरक)

2. श्री के० देवाराज,
नं० एल०-77,
IV मेन रोड,
लक्ष्मीनारायणपुरम,
बेंगलूर-20।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण —इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

(दस्तावेज सं० 3100/83 ता० 29-10-83)
सम्पत्ति है जिसका सं० 1690, जो III स्टेज, राजाजिनगर, बेंगलूर में स्थित है।

मंजु माधवन
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, बेंगलूर

तारीख : 1-6-1984
मोहर :

प्ररूप आई.टी.एन.एस.---------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, बेंगलूर

बेंगलूर, दिनांक 1 जून 1984

निर्देश सं० सि० आर० 62/40742/83-84--यतः मुझे, मंजु माधवन,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० 28/2 है, तथा जो VII क्रास, जे० बी० नगर, बेंगलूर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, शिवाजीनगर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख 4-10-83

को पूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :--

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के, अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :--

1. श्री इ० शफीक,
नं० 9/23,
लायड रोड,
कूक टौन,
बेंगलूर।

(अन्तरक)

2. श्री जान के० कल्लारकल,
(2) मिसस लिल्ली जान,
42, कोलस रोड,
बेंगलूर।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :--

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:--इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

(दस्तावेज सं० 1606/83, तारीख 4-10-83)
सम्पत्ति है जिसका सं० 28/2, जो VII क्रास, जयभारती नगर, बेंगलूर में स्थित है।

मंजु माधवन
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, बेंगलूर

तारीख : 1-6-1984
मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस.-----------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, बेंगलूर

बेंगलूर, दिनांक 6 जून 1984

निर्देश सं० सि० आर० 62/40820/83-84—यत: मुझे, मंजु माधवन,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० सर्वे 53 है, तथा जो पट्टानदूर अग्रहारा, के० आर० पुरम होबलि, बेंगलूर दक्षिण तालुक में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय बेंगलूर दक्षिण तालुक में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन ता० 1-10-1983

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अंतरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अत: अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री ए० एस० धनि,
(2) बी० एच० सुलीस,
ओर्विन फारम,
पट्टानदूर,
वैटफील्ड,
बेंगलूर।

(अन्तरक)

2. श्री राजन अहमद गुलाटि,
प्यारा गौसे फारम,
पट्टानदूर,
बेंगलूर।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

(दस्तावेज सं० 4829/83, ता० 1-10-83)

सब सम्पत्ति है जिसकी सं० सर्वे 53, जो पट्टानदूर अग्रहारा के० आर० पुरम होबलि बेंगलूर दक्षिण तालूक में स्थित है।

मंजु माधवन
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, बेंगलूर

तारीख : 6-6-1984

मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस.-----------------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, बंगलूर

बंगलूर, दिनांक 4 जून 1984

नोटिस नं० 760—यतः, मुझे, मंजु माधवन, **आयकर अधिनियम**, 1961 (1961 का 43) **(जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख** के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का **कारण है** कि स्थावर संपत्ति, जिसका उचित बाजार **मूल्य** 25,000/- रु. से अधिक है
और जिसकी सं० आर० का आर० एफ० है तथा जो कराँन नं० 134 में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, स्यांग वीम (गोवा) में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन ता० 1-10-1983 **को** पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के **दृश्यमान प्रतिफल के** लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास **करने का कारण** है कि यथापूर्वोक्त सपत्ति का उचित बाजार **मूल्य**, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, **उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या**

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री जोशे रघुल्पा डि० मेल्लो और श्रीमती मीनाग्रोना रेबेल्लो डायस, स्यांगवाम (गोवा) में रहते हैं।

(अन्तरक)

(2) मैं० सालगाकर इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड, वास्कोडागामा (गोवा)।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियाँ शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

(दस्तावेज सं० 184/83, ता० 1-10-83)

संपत्ति को पूर्ण और विरोकार्वोमोल्लो नाम से है। यह संपत्ति धर्मोरा गांव में (स्यांगवेम तालुका गोवा) में है। इसका नंबर —317 और 318 और 134 इस प्रकार है।

मंजु माधवन
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, बंगलूर

तारीख : 4-6-1984
मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस. ----------------

आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, बंगलूर

बंगलूर, दिनांक 4 जून 1984

नोटिस नं० 761—अतः, मुझे, मंजु माधवन,
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है
और जिसकी सं० आर० एस० नं० 41/42 है, तथा जो बीजापुर में स्थित है (और इससे उपबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, बीजापुर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन ता० 24-10-1983
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरक से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः, अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) 1. श्री श्रीमंत
2. श्री अर्जुन गंगाराम कलाल
3. श्री मल्ला अर्जुन कलाल
बीजापुर-कुडनपुरपेट के रहवासी।

(अन्तरक)

(2) 1. शिवराजप्प
2. श्री केशव
3. श्री तुकाराम
4. श्री नगेन्द्र
5. श्री दत्तात्रेय
राजप्पा जोरापुर
शिवाजीपेट, बीजापुर के हैं।　　　(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

(दस्तावेज सं० 1633/83-84 ता० 24-10-83)
महाल भागवत गांव में (बीजापुर जिला) खेत की जमीन।
इसका नंबर आर० एस० 41/42।

मंजु माधवन
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, बंगलूर

तारीख : 4-6-1984
मोहर :

प्ररूप आई.टी.एन.एस. - - --

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, बंगलूर

बंगलूर, दिनांक 4 जून 1984

नोटिस नं० 762—यत:, मुझे, मंजु माधवन, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है
और जिसकी सं० 15, 433 है तथा जो डेंकारपाले गांव तालुका सालसेट में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय सालसेट (गोवा) में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 11–10–1983 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए;

अत: अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) 1. श्री थीगोया हेनरिक्वेटा डा पिये डवार्डे सील्वा और
2. श्रीमती मारीया डेडोटा डा पियडवार्डे सील्वा मरगाव-गोवा के वासी हैं।

(अन्तरक)

(2) श्री सदानंद गोविंद बोरकार
बोरडा, मरगाव गोवा के वासी है।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अधीन अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

(दस्तावेज सं० 1740 ता० 11–10–83)

डेंकारपाले (तालुका सालसेट गोवा)। इस गांव में "नोवी-दावी-इक्वावीओर या, वाडोका" के नाम से खेत की संपत्ति है।

(इसका नंबर 15, 433, लैंड रेवेन्यू नंबर 197)

मंजु माधवन
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, बंगलूर

तारीख : 4–6–1984
मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस. ------------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, बंगलूर

बंगलूर, दिनांक 4 जून 1984

नोटिस नं० 763—यतः, मुझे, मंजु माधवन, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० सी० टी० एस० नं० 1604 है, तथा जो बीजापुर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, बीजापुर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 29-10-83 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए,

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री वसंत कुमार वेंकटदास दरबार
स्टेशन रोड, सीना सदन,
बीजापुर।

(अन्तरक)

(2) सुरेश राजाराम देवगीर शापेट
बीजापुर।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

(दस्तावेज सं० 1666/83-84, ता० 29-10-83)
संपत्ति जिसका सी० टी० एस० नं० 1604, संपत्ति वार्ड नं० 3, बीजापुर में स्थित है।

मंजु माधवन
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, बंगलूर

तारीख : 4-6-1984
मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस. ----------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की

धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, बंगलूर

बंगलूर, दिनांक 4 जून 1984

नोटिस नं० 764—यतः, मुझे, मंजु माधवन,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० 1731/2/बी है, तथा जो रामदेव गली बेलगांम में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, बेलगाम में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 5-10-1983

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. (1) श्रीमती छाया विश्वनाथ कोण्णुर
(2) श्री प्रकाश विश्वनाथ कोण्णुर
(3) श्री दिलीप विश्वनाथ गोण्णुर
(4) सौमित्री भारती प्रभाकर कुलकर्णी
इनका पता :—कोठाले बिल्डिंग महाद्वारा रोड, कोल्हापुर नं० 2,
महाराष्ट्र राज्य।

(अन्तरक)

2. (1) बोरमल रत्नचंदजी पोरवाल
(2) श्री अनील कुमार बोरमंदजी पोरवाल
(3) सौमित्री भाग्यवती चंपालाल पोरवाल
(4) सौमित्री सेवंती दिलीप कुमार पोरवाल
इनका पता :—घर नंबर 545,
मठगल्ली, बेलगाम।

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

(दस्तावेज सं० 2011/83-84, ता० 5-10-83)
रामदेवगली बेलगाम में घर और जगह इसका नंबर सी० एस० नंबर 1731/2/बी।

मंजु माधवन
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, बंगलूर

तारीख : 4-6-1984
मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस.------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, महायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज, बंगलूर

बंगलूर, दिनांक 4 जून 1984

नोटिस नं० 765—यतः, मुझे, मंजु माधवन,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है

और जिसकी सं० 1731/2/ए है तथा जो रामदेव गली, बेलगाम में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, बेलगाम में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 5-10-1983

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, एसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अंतरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. (1) श्री अनंत रघुनाथ कोण्णुर
(2) श्री प्रकाश रघुनाथ कोण्णुर
(3) श्री दिलीप रघुनाथ कोण्णुर
(4) सौमित्री मंगला विनायक कितुर
(5) सौमित्री वसुधा गोपाल पुजारी
(6) सौमित्री लतीता दत्तात्रे जोशी
(7) सौमित्री लतीता जयंत पिंगाले
(8) श्री अरविंद रघुनाथ कोण्णुर

इनका पता:—घर नंबर 1502, जानकी निवास, मंगलवार पेठ, कोल्हापुर, महाराष्ट्र राज्य।

(अन्तरक)

2. (1) श्री बोरमल रिकबचंद पोरवाल
(2) श्री अनील कुमार बोरमलजी पोरवाल
(3) सौमित्री भाग्यवती चंपालाल पोरवाल
(4) सौमित्री सेवंती दिलीपकुमार पोरवाल

इनका पता:- घर नं० 545, मठ गली, बेलगाम

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

(दस्तावेज सं० 2006/83-84, ता० 5-10-83)

रामदेव गल्ली, बेलगाम में घर और जगह। जगह का नंबर सि० टी० सर्वे नं० 1731/2/ए।

मंजु माधवन
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, बंगलूर

तारीख : 4-6-1984
मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस.———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, बंगलूर

बंगलूर, दिनांक 4 जून 1984

नोटिस नं० 766—यतः, मुझे, मंजु माधवन,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/-रु. से अधिक है

और जिसकी सं० 1731/2/ए है, तथा जो रामदेव गली, बेलगाम में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, बेलगाम में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, ता० 4-10-1983

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अंतरकों) और अंतरिती (अंतरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसे किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. (1) श्री श्रीपाद बाबुराव कोण्णुर
(2) श्री श्रीराम श्रीपाद कोण्णुर
(3) श्री श्रीकृष्ण श्रीपाद कोण्णुर
(4) श्री सुभाष श्रीपाद कोण्णुर
(5) श्री रविन्द्र श्रीपाद कोण्णुर
(6) श्री अविनाश श्रीपाद कोण्णुर
बड़ौदा के रहवासी हैं।

(अन्तरक)

2. (1) श्री बोरमल रीकबचंदजी पोरवाल
(2) श्री अनील कुमार बोरमलजी पोरवाल
(3) सौमित्री भाग्यवती चंपालाल पोरवाल
(4) सौमित्री सेवंती दिलीपकुमार पोरवाल
इनका पता:— घर नंबर 545,
मठ गली, बेलगाम।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

(दस्तावेज सं० 2005/83-84, ता० 4-10-83)

रामदेव गली, बेलगाम में मकान और जगह। जगह और मकान का सिटी० सर्वे नं० 1731/ए।

मंजु माधवन
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, बंगलूर

तारीख : 4-6-1984
मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस.--------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, बंगलूर

बंगलूर, दिनांक 4 जून 1984

नोटिस नंबर 767—यत: मुझे, मंजु माधवन,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० 1731/2/ए है, तथा जो राम देवगली बेलगाम में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, बेलगाम में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 20-10-1983

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार अन्तरित की गई है और मुझे, यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अंतरिती (अंतरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिये; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए;

अत: अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. (1) श्रीनिवास बाबुराव कोण्णुर
   (2) श्री माधव श्रीनिवास कोण्णुर
   (3) श्री दत्तात्रे श्रीनिवास कोण्णुर
   (4) श्री वेंकटेश श्रीनिवास कोण्णुर
   (5) श्री शंकर श्रीनिवास कोण्णुर
   इनका पता:- म्युनिसीपल क्वार्टर्स नम्बर 26, होसुर हुबली।

(अन्तरक)

2. (1) श्री बोर रिकबचदजी पोरवाल
   (2) श्री अनिलकुमार बोरमलजी पोरवाल
   (3) सौमित्री भाग्यवती चंपालाल पोरवाल
   (4) सौमित्री सेवंती दिलीपकुमार पोरवाल
   इनका पता:—घर नंबर 545, मठ गली, बेलगाम।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

(दस्तावेज सं० 2019/83-84, ता० 10-10-83)
रामदेव गली बेलगांम में जगह और मकान। मकान और जगह का सीटी सर्वे नं० 1731/2/ए।

मंजु माधवन
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, बंगलूर

तारीख: 4-6-1984
मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस.---------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, बंगलूर

बंगलूर, दिनांक 4 जून 1984

निदेश सं० नोटिस नंबर–768—यतः मुझे, मंजु माधवन, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है और जिसकी सं० 1731/2/बी० है तथा जो बेलगाम में स्थित है, (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, बेलगाम में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 5-10-1983 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. (1) श्रीनिवास बाबुराव कोण्णुर
   (2) श्रीमाधव श्रीनिवास कोण्णुर
   (3) श्री दत्तात्रे श्रीनिवास कोण्णुर
   (4) श्री वेंकटेश श्रीनिवास कोण्णुर
   (5) श्री शंकर श्रीनिवास कोण्णुर
   मुन्सीपल क्वार्टर्स नंबर 26,
   होसुर हुबली।

(अन्तरक)

2. (1) श्री बोरमल रिकबचंद पोरवाल
   (2) श्री अनिल कुमार बोरमलजी पोरवाल
   (3) सौमोती भाग्यवती चंपालाल पोरवाल
   (4) सौमोती सेवंती दिलीप कुमार पोरवाल
   घर नंबर 545,
   मठगल्ली बेलगांम।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

(दस्तावेज सं० 2002/83-84, ता० 5-10-83)
रामदेव गल्ली बेलगांम में मकान और जगह।
मकान और जगह का सीटी सर्वे नं० 1731/2/बी०

मंजु माधवन,
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, बंगलूर

तारीख : 4-6-1984
मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस. ------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, बंगलूर

बंगलूर, दिनांक 4 जून 1984

निदेश सं० नोटिस नं० 769—अतः मुझे, मंजु माधवन

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० सी० टी० एस० नं० 1731/1 है तथा जो बेलगाम में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, बेलगांव में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख 5 अक्तूबर, 1983

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात :—

1. (1) श्री रामचन्द्र बाबूराव कोण्णुर,
(2) श्री बाबू राव रामचन्द्र कोण्णुर,
(3) श्री गोपाल रामचन्द्र कोणुर,
इनका पता :
द्वारा सोमाइटी राजेश मोटर्स
के सामने, कवले नाका,
कोल्हापुर।

(अन्तरक)

2. (1) श्री बोरमल रिकबचन्दजी पोरवाल,
(2) श्री अनिल कुमार बोरमल जी पोरवाल,
(3) श्रीमती सौमित्री भाग्यवती चम्पा लाल पोरवाल।
(4) श्रीमती सौमित्री सेवन्ती दिलीप कुमार पोरवाल,
घर नं० 545, मठ गली,
बेलगांव।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

(दस्तावेज सं० 2009/83-84 ता० 5-10-83)

रामदेव गली बेलगांव में जगह और मकान है जगह और मकान का सीटी सर्वे नं० 1731/1।

मंजु माधवन
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, बंगलूर

तारीख : 4-6-1984
मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस.————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, बेंगलूर

बेंगलूर, दिनांक 4 जून 1984

निदेश सं० नोटिस नं० 770—अतः मुझे, मंजु माधवन

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० 1731/1 है तथा जो बेलगांव में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, बेलगांव में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख 5 अक्तूबर, 1983

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) 1. श्री पाद बाबू राव कोणुर,
2. श्री श्रीराम श्रीपाद कोणुर,
3. श्री श्रीकृष्ण श्रीपाद कोणुर।
4. श्री सुहास श्रीपाद कोण्णुर।
5. श्री रविन्द्र श्रीपाद कोण्णुर।
6. श्री अविनाश श्रीपाद कोण्णुर।

(अन्तरक)

(2) 1. श्री बुग्माल रिकब चन्द जी पोरवाल,
2. श्री अनिल कुमार भुग्माल जी पोरवाल।
3. श्रीमती सौमित्री भाग्यवन्ती चम्पा लाल पोरवाल।
4. श्रीमती सौमित्री मेवन्ती दिलीप कुमार पोरवाल।
घर नं० 545,
मठ कल्ली, बेलगांव।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

(दस्तावेज सं० 2003/83-84 ता० 5-10-1983)

रामदेव गली बेलगांव में जगह और मकान है जगह और मकान का सीटी सर्वे नं० 1731/1।

मंजु माधवन
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, बेंगलूर

तारीख : 4-6-1984

मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस.--------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, बेंगलूर

बेंगलूर, दिनांक 4 जून 1984

निदेश सं० नोटिस नं० 771—अतः मुझे, मंजु माधवन आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है

और जिसकी सं० 1731/1 है तथा जो बेलगांव में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, बेलगांव में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 5 अक्तूबर, 1983

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अंतरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) 1. श्री छाया विश्वनाथ कोण्णुर।
2. श्री प्रकाश विश्वनाथ कोण्णुर।
3. श्री दीपक विश्वनाथ कोण्णुर।
4. श्रीमती सौमित्री भारती प्रभाकर कुलकर्णी, इनका पता : कोठाले बिल्डिंग, न्यू महद्वार रोड, कोल्हापुर।

(अन्तरक)

(2) श्री बुरमल रिकब चन्द जी पोरवाल।
2. श्री अनिल कुमार बुरमालजी पोरवाल।
3. श्रीमती सौमत्री भाग्यवती चम्पालाल पोरवाल,
4. श्रीमती सामित्री सेवन्ती दिलीप कुमार पोरवाल, घर नं० : 545, मठ गली, बेलगांव।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

(दस्तावेज सं० 2008/83-84 ता० 5-10-83)

रामदेव गली बेलगांव में जगह और मकान है मकान और जगह का सीटी सर्वे नं० 1731/1।

मंजु माधवन
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, बेंगलूर

तारीख : 4-6-1984
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०----------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज, बंगलूर

बंगलूर, दिनांक 4 जून 1984

निदेश सं० नोटिस नं० 772—अतः मुझे, मंजु माधवन आयकर अधिनियम, 1961, (1961 का 43) जिसे इसमें **इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है**

और जिसकी सं० 1731/1 है तथा जो बेलगांव में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, बेलगांव में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 5-अक्तूबर, 1983

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए।

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) 1. श्री अनन्त रघुनाथ कोण्णुर।
2. श्री प्रकाश रघुनाथ कोण्णुर
3. श्री दिलीप रघुनाथ कोण्णुर,
4. श्रीमती सौमित्री मंगला विनायक किरतुर,
5. सौमित्री वसुधा गोपाल पुजारी
6. सौमित्री ललीता दत्तात्रे जोशी
7. सौमित्री ललीता जयन्त पींजा मे
8. श्री अरविन्द रघुनाथ कोण्णुर,
इनका पता और घर नंबर 1502
जानकी निवास,
मंगलवार पेठ, कोल्हापुर।

(अन्तरक)

(2) श्री बुरमल रिकब चन्द जी पोरवाल,
2. श्री अनिल कुमार बुरमल जी पोरवाल।
3. सौमित्री भाग्यवती चम्पालाल पोरवाल।
4. सौमित्री सेवन्ती दिलीप कुमार पोरवाल।
इनका घर नम्बर : 545
मठ गली, बेलगांव।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

(दस्तावेज सं० 2007/83-84 ता० 5-10-84)

राम देव गली, बेलगांव में जगह और मकान है जगह और मकान का सीटी सर्वे नं० 1731/1।

मंजु माधवन
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, बंगलूर

तारीख : 4-6-1984

मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस.———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, बेंगलूर

बेंगलूर, दिनांक 4 जून 1984

निदेश सं० नोटिस नं० 773—अतः मुझे, मंजु माधवन

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० 1731/1ए है तथा जो बेलगांव में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, बेलगांव में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 5 अक्तूबर, 1983

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अंतरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) 1. श्री श्रीनिवास बाबू राव कोण्णुर।
2. श्री महादेव श्रीनिवास कोण्णुर।
3. श्री दत्तात्रे श्रीनिवास कोण्णुर।
4. श्री वेंकटेश श्रीनिवास कोण्णुर।
5. श्री शंकर श्रीनिवास कोण्णुर,
इनका पता
म्युनिसिपल क्वार्टर्स नं० 26।

(अन्तरक)

(2) 2. श्री बुरमाल रिकब चन्द जी पोरवाल,
2. श्री अनिल कुमार बुरमाल जी पोरवाल,
3. सौमित्री भाग्यवन्ती चम्पालाल पोरवाल,
4. सौमित्री सेवन्ती दिलीप कुमार पोरवाल,
इनका घर नं० 545,
मठ गली, बेलगांव।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

(दस्तावेज सं० 2003/83-84 ता० 5-10-83)
रामदेव गली बेलगांव में इनका जगह और मकान है। मकान और जगह का सीटी सर्वे नं० 1731/1ए।

मंजु माधवन
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, बेंगलूर

तारीख : 4-6-1984
मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस. ---------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, बेंगलूर

बेंगलूर, दिनांक 4 जून 1984

निदेश सं० नोटिस नं० 774—अतः मुझे मंजु माधवन आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० 2731/2, है तथा जो बेलगाम में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता के कार्यालय बेलगाम न रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख 20-10-1983

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के, अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) 1. श्री पाद बाबू राव कोण्णुर।
2. श्री राम श्रीपाद कोण्णुर।
3. श्री कृष्ण श्रीपाद कोण्णुर।
4. श्री सुहास श्रीपाद कोण्णुर।
5. श्री रवीन्द्र श्रीपाद कोण्णुर।
6. श्री अविनाश श्रीपाद कोण्णुर।

(अन्तरक)

(2) 1. श्री बुरमाल रिकब चन्द जी पोरवाल।
2. श्री अनिल कुमार बुरमाल जी पोरवाल।
3. सौमिती भाग्यवती चम्पालाल पोरवाल।
4. सौमिती सेवन्ती दिलीप कुमार पोरवाल।
इनका पता : घर नं० 545,
मठ गली, बेलगांव।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

(दस्तावेज स. 2020/83-84, ता० 10-10-83)
रामदेव गली बेलगांव में इनका जगह और मकान है। जगह और मकान का सीटी सर्वे नं० 1731/2ए।

मंजु माधवन
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, बेंगलूर

तारीख : 4-6-1984
मोहर:

प्ररूप आई.टी.एन.एस.-----------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, बेंगलूर

बेंगलूर, दिनांक 4 जून 1984

निदेश सं० नोटिस न० 774—अतः मुझे, मंजु माधवन

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/-रु. से अधिक है

और जिसकी स० 39/7, 41/3, 42/3, 45/3 है तथा जो हिलास (गोवा) में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, हिलास (गोवा) में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 7 दिसम्बर, 1983

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त **अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरण के दायित्व में कमी** करने या उससे बचने में **सुविधा के लिए; और/या**

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों **को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922** (1922 का 11) या उक्त **अधिनियम**, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया **गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;**

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) 1. श्री ग्रेगेरियो डाइस,
2. श्रीमती मारिया आइज जान फर्नांडीस।
3. जार्ज डाइस
4. श्रीमती फीलोमीना फैरेश
इनका पता :
शांता क्रुज, हिलास गोवा।

(अन्तरक)

(2) 1. श्री अना ए० गोन्सालीस,
2. श्री बोंडीर बट्टो,
इनका पता :
शांता क्रुज,
हिलास गोवा।

(अन्तरक)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की **तारीख** से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती है, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

(दस्तावेज सं० 917/185, ता० 7-11-1983)। मार्कस गांव में (गोवा) में शेतकी जमीन है।

मंजु माधवन
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, बेंगलूर

तारीख : 4-6-1984
मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस.----------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, बेंगलूर

बेंगलूर, दिनांक 4 जून 1984

निदेश सं० 776—अतः मुझे, मंजु माधवन, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० 1731/2/ए है तथा जो बेलगांव में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, बेलगांव में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 10 अक्तूबर, 1983

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अंतरितियों) के बीच ऐसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) 1. श्री अनन्त रघुनाथ कोण्णुर।
2. श्री प्रकाश रघुनाथ कोण्णुर।
3. श्री दिलीप रघुनाथ कोण्णुर।
4. सौमित्री मंगला विनायक कित्तूर।
5. सौमित्री वसुधा गोपाल पुजारी।
6. सौमित्री ललिता दत्तात्रे जोशी।
7. सौमित्री ललिता जयन्त पिंगाले।
8. श्री अरविन्द रघुनाथ कोण्णुर।
इनका पता और घर नं० 1502,
जानकी निवास,
मंगलवार पेठ,
कोल्हापुर।

(अन्तरक)

(2) 1. श्री बुरमाल रिकबचन्द जी पोरवाल।
2. श्री अनिल कुमार बुरमालजी पोरवाल।
3. सौमित्री भाग्यवन्ती चम्पालाल पोरवाल।
4. सौमित्री सेवन्ती दिलीप कुमार पोरवाल।
इनका घर नं० 545,
मठ गली, बेलगांव।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

(दस्तावेज सं० 1018/83, ता० 10-10-1983)
रामदेव गली बेलगांव में इनका जगह और मकान है। मकान और जगह का सीटी सर्वे नं० 1731/1।

मंजु माधवन
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, बेंगलूर

तारीख : 4-6-1984
मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस.---------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, बेंगलूर

बेंगलूर, दिनांक 4 जून 1984

निदेश सं० 777—अतः, मुझे, मंजु माधवन;

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/-रु. से अधिक है
और जिसकी सं० 1731/2ए है तथा जो बेलगांव में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, बेलगांव में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 10 अक्तूबर, 1983
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अंतरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अंतरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अंतरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) 1. श्री रामचन्द्र बाबू राव कोण्णुर।
2. श्री बाबू राव रामचन्द्र कोण्णुर।
3. श्री गोपाल रामचन्द्र कोण्णुर।
इनका पता और घर नं० 1502, जानकी निवास, मंगलवार पेठ, कोल्हापुर।

(अन्तरक)

(2) 1. श्री बुरमाल रिकबचन्द जी पोरवाल।
2. श्री अनिल कुमार बुरमाल जी पोरवाल।
3. सौमित्री भाग्यवती चम्पालाल पोरवाल।
4. सौमित्री सेवन्ती दिलीप कुमार पोराल।
इनका घर का नं० 545, मठ गली, बेलगांव।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

दस्तावेज सं० 1017/83-84 ता० 10-10-83) रामदेव गली, बेलगांव में इनका जगह और मकान है। मकान और जगह का सिटी सर्वे नं० 1731/2ए।

मंजु माधवन
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, बेंगलूर

तारीख : 4-6-1984
मोहर:

प्ररूप आई. टी. एन. एस. -----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, बेंगलूर

बेंगलूर, दिनांक 4 जून 1984

निदेश सं० नोटिस नं० 778—अतः मुझे, मंजु माधवन आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/-रु. से अधिक है

और जिसकी सं० 1731/2/बी है तथा जो बेलगांव में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, बेलगांव में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 5 अक्तूबर, 1983

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से, एसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अंतरकों) और अंतरिती (अन्तरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्यों से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) एसे किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अंतरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) 1. श्री रामचन्द्र बाबू राव कोण्णुर।
2. श्री बाबू राव रामचन्द्र कोण्णुर।
3. श्री गोपाल रामचन्द्र कोण्णुर।
इनका पता :
दत्ता सोसाइटी राजेश मोटर्स के सामने, कवले नाका, कोल्हापुर।

(अन्तरिती)

(2) 1. श्री बुरमाल रिकबचन्द जी पोरवाल।
2. श्री अनिल कुमार बुरमाल जी पोरवाल।
3. सौमित्री भाग्यवन्ती चम्पा लाल पोरवाल।
4. सौमित्री सेवन्ती दिलीप कुमार पोरवाल।
इनका घर का नम्बर 545, मठ गली, बेलगांव।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाही शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

(दस्तावेज सं० 2010/83-84, ता० 5-10-1983)

रामदेव गली, बेलगांव में इनका जगह और मकान है। मकान और जगह का नम्बर 1731/2/बी।

मंजु माधवन
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, बेंगलूर

तारीख : 4-6-1984
मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस.--------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, बेंगलूर

बेंगलूर, दिनांक 4 जून 1984

निदेश सं० नोटिस नं० 779—अतः मुझे, मंजु माधवन आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० 1731/2/ए है तथा जो बेलगांव में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, बेलगांव में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 5 अक्तूबर, 1983

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिये था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :—

(1) 1. श्री प्रकाश विश्वनाथ कोण्णुर।
2. श्रीमती छाया विश्वनाथ कोण्णुर।
3. श्री दिलीप विश्वनाथ कोण्णुर।
4. सौमिती भारती प्रभाकर कुलकर्णी,
इनका पता :
घर नं० 1502,
'जानकी निवास", मंगलवार पेठ,
कोल्हापुर, महाराष्ट्र राज्य।

(अन्तरक)

(2) 1. श्री भूरमल रिकबचन्द जी पोरवाल।
2. श्री अनिल कुमार भूरमल जी पोरवाल।
3. सौमिती भाग्यवन्ती चम्पालाल पोरवाल।
4. सौमिती सेवन्ती दिलीप कुमार पोरवाल।
इनका पता और घर नं० 545,
मठ गली, बेलगांव।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

(दस्तावेज सं० 2016/83-84, ता० 5-10-1983)
रामदेव गली, बेलगांव में घर और जगह है इसका नं० सी०एस० नं० 1731/2/ए।

मंजु माधवन
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, बेंगलूर

तारीख : 4-6-1984
मोहर :

प्ररूप आई.टी.एन.एस.-----------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, भोपाल

भोपाल, दिनांक 26 मई 1984

निदेश सं० आई० ए० सी०/अर्जन/भोपाल/4790—अतः मुझे, देवप्रिय पन्त

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम', कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० प्लाट नं० 64 पर निर्मित मकान है तथा जो जल विहार कालोनी, रायपुर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, रायपुर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, अक्तूबर, 1983

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अंतरितियों) के बीच ऐसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:--

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री सी० एम० रामानुजम।
रिटायर्ड इन्कम टैक्स आफिसर,
रायपुर।

(अन्तरक)

(2) श्री चन्द्र लाल तुलसीदास,
स्पारिल, रायपुर
द्वारा दयाल मेधजी एण्ड कम्पनी,
मालवीय रोड, रायपुर।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

प्लाट नं० 64 पर बना हुआ मकान, जल विहार कालोनी, रायपुर में स्थित है। (भूमि एवं भवन)।

देवप्रिय पन्त
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, भोपाल

तारीख : 26-5-1984
मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस.-------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, भोपाल

भोपाल, दिनांक 26 मई 1984

निदेश सं० आई० ए० सी०/अर्जन/भोपाल/4693—अत: मुझे, देवप्रिय पन्त

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० प्लाट नं० 226 है तथा जो गुमास्ता नगर, (सुख निवास), इन्दौर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय इन्दौर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख अक्तूबर, 1983

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अंतरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अत: अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के, अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) इन्दौर क्लाथ मार्केट,
मध्य वर्गीय गृह निर्माण,
सहकारी संस्था मर्यादित,
इन्दौर।

(अन्तरक)

(2) श्री राधा किशन नारायणदास पाटनी,
निवासी 95,
धार रोड,
इंदौर।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

प्लाट नं० 226, गुमास्ता नगर (सुख निवास), इन्दौर में स्थित है।

देवप्रिय पन्त
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, भोपाल

तारीख : 26-5-1984

मोहर :

प्ररूप. आई. टी. एन. एस. - - - - -

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, भोपाल

भोपाल, दिनांक 26 मई 1984

निदेश सं० आई० ए० सी०/अर्जन/भोपाल/4694—अत: मुझे, देवप्रिय पन्त

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० प्लाट नं० 234 है तथा जो गुमास्ता नगर, (सुख निवास), इन्दौर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय इन्दौर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख अक्तूबर, 1983

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए;

अत: अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) क्लाथ मार्केट
मध्य वर्गीय सहकारी संस्था,
लिमिटेड, इन्दौर।

(अन्तरक)

(2) श्री हंसराज उमरसीपाल,
निवासी 1597,
एम० टी० क्लाथ,
इन्दौर।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

प्लाट नं० 234, गुमास्ता नगर, (सुख निवास), इन्दौर में स्थित है।

देवप्रिय पन्त
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, भोपाल

तारीख : 26-5-1984
मोहर :

प्ररूप आई.टी.एन.एस.--------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, भोपाल

भोपाल, दिनांक 26 मई 1984

निदेश सं० आई० ए० सी० /अर्जन/भोपाल/1695—अत: मुझे, देवप्रिय पन्त

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है और जिसकी सं० प्लाट नं० 230 है तथा जो गुमास्ता नगर (सुख निवास) रोड, इन्दौर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, इन्दौर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख अक्तूबर, 1983

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, एसे दृश्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अन्तरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अंतरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर दोने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अत: अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के, अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) इन्दौर क्लाथ मार्केट,
मध्यमवर्गीय गृह निर्माण सहकारी संस्था,
मर्यादित इन्दौर।

(अन्तरक)

(2) श्री रमेश चन्द्र छोगालाल बहेती,
निवास 220,
एम० टी० क्लाथ मार्केट,
इन्दौर।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्ति में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

प्लाट नं० 230, गुमास्तानगर, (सुख निवास) रोड, इन्दौर में स्थित है।

देवप्रिय पन्त
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, इन्दौर

तारीख : 26-5-1984
मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस.------------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, भोपाल

भोपाल, दिनांक 26 मई 1984

निदेश सं० आई० ए० सी०/अर्जन/भोपाल/4696—अतः मुझे, देवप्रिय पन्त
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/ रु. से अधिक है
और जिसकी सं० प्लाट नं० 16 है तथा जो गुमास्तानगर (सुख निवास रोड), इन्दौर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, इन्दौर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख अक्तूबर, 1983
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :—

(1) इन्दौर स्वाथ मार्केट,
मध्यम वर्गीय गृह निर्माण सहकारी संस्था,
मर्यादित इन्दौर।

(अन्तरक)

(2) श्री गंगा विष्णु बद्रीलाल काबरा,
निवासी 9,
नरसिंह बाजार,
इन्दौर।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

प्लाट नं० 16, गुमास्तानगर, (सुख निवास रोड), इन्दौर में स्थित है।

देवप्रिय पन्त
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, भोपाल

तारीख : 26-5-1984
मोहर :

प्ररूप आई.टी.एन.एस.----------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, भोपाल

भोपाल, दिनांक 28 मई 1984

निदेश सं० आई ए० सी०/अर्जन/भोपाल/4697—अतः मुझे, देवप्रिय पन्त

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० भूमि खसरा नं० 1166/2 है तथा जो रेलवे लाइन के पास, जूनी, इन्दौर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, इन्दौर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख अक्तूबर 1983

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तो पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री जोगेश्वर पिता
श्री हीरा लाल,
निवासी 1, खटखटपुरा,
इन्दौर।

(अन्तरक)

(2) 1. श्री राजेन्द्र पिता श्री ब्रजेश बिसानी।
2. श्रीमती अलका पत्नी श्री राजेन्द्र बिसानी।
3. श्री राजेन्द्र कुमार रजत कुमार एच० यू० एफ०।
4. मास्टर रजत पिता राजेन्द्र बिसानी,
सभी निवासी : 34,
शास्त्री मार्केट, इन्दौर।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

भूमि खसरा नं० 1166/2, रेलवे लाइन के पास, जूनी, इन्दौर, में स्थित है। यह वह स्थावर सम्पत्ति है, जिसका विवरण अन्तरिती द्वारा सत्यापित फार्म नं० 37 जी० में निहित है।

देवप्रिय पन्त
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, भोपाल

तारीख : 28-5-1984

मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस. ------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, भोपाल

भोपाल, दिनांक 28 मई 1984

निदेश सं० आई० ए० सी०/अर्जन/भोपाल/4698—अतः

मुझे, देवप्रिय पन्त

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० भूमि खसरा नं० 1166/3 है तथा जो रेलवे लाइन के पास, जूनी इन्दौर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, इन्दौर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख अक्तूबर, 1983

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री नारायण पिता
श्री हीरालाल,
निवासी 1,
खटखटपुरा,
इन्दौर।

(अन्तरक)

(2) 1. श्रीमती राधा देवी पत्नी नवनीत लाल।
2. श्रीमती चन्द्र कला मुरलीधर।
3. श्रीमती ऊषा देवी अनिल कुमार।
4. श्रीमती शोभना देवी सुनील कुमार।
5. श्री सुनील कुमार नवनीत लाल।
6. श्री मुकेश कुमार नवनीत लाल।
7. श्री अनिल कुमार नवनीत लाल।
सभी निवासी 5,
ओवर ब्रिज, शास्त्री मार्केट,
इन्दौर।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

भूमि खसरा नं० 1166/3 रेलवे लाइन के पास, जूनी, इन्दौर में स्थित है। यह वह स्थावर सम्पत्ति है। जिसका विवरण अन्तरिती द्वारा सत्यापित फार्म नं० 37 जी में निहित है।

देवप्रिय पन्त
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, भोपाल

तारीख : 28-5-1984
मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस. -------------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, भोपाल

भोपाल, दिनांक 28 मई 1984

निदेश सं० आई० ए० सी०/अर्जन/भोपाल/4699—अत: मुझे, देवप्रिय पन्त

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/-रु. से अधिक है

और जिसकी सं० भूमि खसरा नं० 1164/4 है तथा जो जूनी इन्दौर, इन्दौर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय इन्दौर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख अक्तूबर, 1983

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अंतरकों) और अन्तरिती (अंतरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अत: अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

22—136GI/84

(1) श्री राजेन्द्र पिता
श्री हीरा लाल,
निवासी 1, खटखटपुरा,
इन्दौर।

(अन्तरक)

(2) श्री ओम प्रकाश पिता
श्री बंसीधर मित्तल,
निवासी 65, प्रकाशनगर,
कालोनी, इन्दौर।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

भूमि खसरा नं० 1164/4, जूनी इन्दौर, इन्दौर में स्थित है। यह वह स्थावर सम्पत्ति है, जिसका विवरण अन्तरिती द्वारा सत्यापित फार्म नं० 37 जी० में निहित है।

देवप्रिय पन्त
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, भोपाल

तारीख : 28-5-1984
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, भोपाल

भोपाल, दिनांक 28 मई 1984

निदेश सं० आई० ए० सी०/अर्जन/भोपाल/4700—अतः, मुझे, देवप्रिय पन्त

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० भूमि खसरा नं० 1165/1 है तथा जो जूनी इन्दौर, इन्दौर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, इन्दौर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, अक्तूबर, 1983

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, एसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अंतरकों) और अंतरिती (अंतरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्रीमती किरन कुमारी पुत्री
श्री हीरालाल,
1, छै खटखटपुरा, इन्दौर।

(अन्तरक)

(2) श्रीमती प्रेमलता पत्नी
श्री चम्पा लाल जिंदल,
निवासी—67, आनन्दनगर,
भंवर कुंआ, इन्दौर।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

भूमि ख० नं० 1165/1, जूनी इन्दौर, इन्दौर में स्थित है। यह वह स्थावर सम्पत्ति है, जिसका विवरण अन्तरिती द्वारा सत्यापित फार्म नं० 37-जी में निहित है।

देवप्रिय पन्त
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, भोपाल

तारीख : 28-5-1984
मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस.-----------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-4, भोपाल

भोपाल, दिनांक 28 मई 1984

निर्देश सं० आई० ए० सी०/अर्जन/भोपाल/4701—अत: मुझे, देवप्रिय पन्त

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० भूमि सर्वे नं० 295, 296 है तथा जो ग्राम रसूलपुर जिला देवास में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय देवास में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख अक्तूबर 1983

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था, या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) 1. श्री इमदाद अली।
2. श्री मंसूर अली पुत्रगण मोहम्मद अली।
3. हफीजाबाई पुत्री मोहम्मद अली निवासी हासा खेड़ी।
4. जिब्बाबाई उर्फ जुबेदाबाई पिता मोहम्मदअली निवासी हसनाबाद त० देपालपुर जिला इन्दौर।
5. हसीना बाई पिता मोहम्मद अली निवासी माणकचौक सावेर तह० सावेर जिला इन्दौर।
6. श्रीमती न्याजनबाई पत्नी मोह० अली निवासी ग्राम रसूलपुर नं० 3 मे 6 तरफे खास मु० विक्रेता नं० 2 श्री मंसूर अली पिता मोह० अली निवासी ग्राम हांसा खेड़ी जिला इन्दौर।

(अन्तरक)

(2) मै० कमीन्स डीजल सेल्स एण्ड सर्विस 35-ए/1/22 एरंडवाना पूना महाराष्ट्र तरफे सेक्रेटरी : श्री व्ही० के० बोडस।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

भूमि सर्वे नं० 295, 296 ग्राम रसूलपुर जिला देवास में स्थित है। जिसका विवरण अन्तरिती की ओर से सत्यापित फार्म नं० 37 जी में निहित है।

देवप्रिय पन्त
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, भोपाल

तारीख : 28-5-1984
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, भोपाल

भोपाल, दिनांक 29 मई 1984

निर्देश सं० आई० ए० सी० /अर्जन/भोपाल/4702—अत: मुझे, देवप्रिय पन्त

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है और जिसकी सं० भूमि सर्वे नं० 330 है तथा जो ग्राम रसूल पुर जिला देवास में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय देवास में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख अक्तूबर 1983 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अंतरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री कादर अली पिता
श्री कमा अली उर्फ करीम अली मुसलमान
ग्राम रसूलपुर
तह० व जिला देवास।

(अन्तरक)

(2) मैसर्स कमीन्स डीजल सेल्स एण्ड
सर्विस (इण्डिया) लिमिटेड
पूना महाराष्ट्र द्वारा सेक्रेटरी :
श्री वी० के० बोडस।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

भूमि सर्वे नं० 330 ग्राम रसूलपुर तह० व जिला देवास में स्थित है।

देवप्रिय पन्त
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, भोपाल

तारीख : 28-5-1984

मोहर :

प्ररूप आई॰ टी॰ एन॰ एस॰———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, भोपाल

भोपाल दिनांक 28 मई 1984

निर्देश सं० आई० ए० सी०/अर्जन/भोपाल/4703—अतः मुझे देवप्रिय पन्त

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं. भूमि नं. 329 है तथा जो ग्राम रसूलपुर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय देवास में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख अक्तूबर, 1983

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री अमीर अली पिता
श्री हुसन अली मुसलमान
निवासी रसूल पुर
जिला देवास।

(अन्तरक)

(2) मैसर्स कमीन्स डीजल सेल्स एण्ड
सर्विस इण्डिया लिमिटेड
35-ए/1/2 एरंडवाना पूना
महाराष्ट्र द्वारा सेक्रेटरी :
श्री वी० के० बोडस।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

भूमि सर्वे नं० 283/3 ग्राम रसूलपुर जिला देवास में स्थित है। जिसका सम्पूर्ण विवरण अन्तरिती द्वारा सत्यापित फार्म नं० 37 जी० में निहित है।

देवप्रिय पन्त
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, भोपाल

तारीख : 28-5-1984

मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस. - - -

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, भोपाल

भोपाल दिनांक 28 मई 1984

निदेश सं० आई० ए० सी०/अर्जन/भोपाल/4704—अतः मुझे देवप्रिय पन्त

आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/-रु. से अधिक है और जिसकी सं० भूमि नं० 329 है तथा जो ग्राम रसूरपुर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय देवास में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख अक्तूबर 1983

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए।

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री अम्बाराम
पिता श्री थावर खाती
निवासी ग्राम नाएदा
जिला देवास।

(अन्तरक)

(2) मै० कमीन्स डीजल सेल्स एण्ड सर्विस एरंडवाना पूना महाराष्ट्र 35-ए/1/2 द्वारा सेक्रेटरी : श्री वी० के० बोडस।

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियाँ करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

भूमि सर्वे नं० 329 ग्राम रसूलपुर जिला देवास में स्थित है। यह वह स्थावर सम्पत्ति है जिसका विवरण अन्तरिती की ओर से सत्यापित फार्म नं० 37 जी में निहित है।

देवप्रिय पन्त
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, भोपाल

तारीख : 28-5-1984
मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस.--------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, भोपाल

भोपाल, दिनांक 29 मई 194

निदेश सं० आई० ए० सी०/अर्जन/भोपाल/4705--अत: मुझे, देवप्रिय पन्त

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० भूमि सर्वे नं० 328 है तथा जो ग्राम रसूलपुर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, देवास में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख अक्तूबर, 1983

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए।

अत: अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात :—

(1) 1. श्री नवाब अली
2. श्री शौकत अली,
3. श्री गफूर अली उर्फ गफार अली,
4. श्री वाहिद अली,
5. श्री साजिद अली,
6. श्री शफीक अली सज्ञान पुत्रगण सत्तार अली,
7. श्री रईस अली अज्ञान पुत्र सत्तारअली अज्ञान तरफे मालक बड़ा भाई वाहिद अली,
8. श्री रहमान अली,
9. श्री कयूम अली,
10. श्री आशिक अली पुत्रगण बरकत अली
11. भूरी बाई पिता बरकत अली, समस्त, निवासी नगापुरा, देवास,
12. मंजा बाई पिता बरकत अली, निवासी ग्राम खजराना तह० व जिला इन्दौर,
13. श्रीमती फत्तीबाई पिता बरकत अली नि० जोशीपुरा, देवास।
14. मेराबाई पत्नी रकत अली निवास देवास, नं० 11, से नं० 14 तरफे खास मु० विक्रेता नं० 9 कयूम अली नि० ग्राम रसूलपुर, देवास।

(अन्तरक)

(2) मै० कमीन्स डीजल सेल्स एण्ड सर्विस इण्डिया लिमिटेड 35-ए-1/2, एरंडवाना, पूना महाराष्ट्र तरफे सेक्रेटरी : श्री वी० के० बोडस।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

भूमि सर्वे नं० 328, ग्राम रसूलपुर, जिला देवास में स्थित है।

देवप्रिय पन्त
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, भोपाल

तारीख : 29-5-1984

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, भोपाल

भोपाल, दिनांक 29 मई 1984

निदेश सं० आई० ए० सी०/अर्जन/भोपाल/4706—अत: मुझे, देवप्रिय पन्त

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० खसरा नं० 310 है तथा जो ग्राम रसूलपुर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, देवास में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1909 का 16) के अधीन, तारीख अक्तूबर, 1983

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अत: अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के, अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री नसीर अली
पिता श्री चांद अली मुसलमान,
निवासी ग्राम रसूलपुर,
जिला देवास।

(अन्तरक)

(2) मै० कमीन्स डीजल सेल्स एण्ड सर्विस इण्डिया लिमिटेड पूना (महाराष्ट्र) 35/ए/1/2, एरंडवाना पूना द्वारा सेक्रेटरी श्री बी० के० बोडस।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

भूमि ख० नं० 310, रसूलपुर, जिला देवास में स्थित है। जिसका विवरण अन्तरिती की ओर से सत्यापित फार्म नं० 37 जी में निहित है।

देवप्रिय पन्त
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, भोपाल

तारीख : 29-5-1984

मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस. --------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, भोपाल

भोपाल, दिनांक 28 मई 1984

निदेश सं० आई० ए० सी० /अर्जन/भोपाल/4707—अत: मुझे, देवप्रिय पन्त,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/-रु. से अधिक है

और जिसकी सं० भूमि सर्वे नं 301, है तथा जो ग्राम रसूलपुर तह० व जिला देवास में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय देवास में अक्तूबर 1983

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए;

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए;

अत: अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

(1) श्री रहमत अली पिता श्री अफजल अली, निवासी ग्राम रसूलपुर, तरफे खास मु० मिरजा महमूद अहमद पिता मिर्जा अहमदबेग, निवासी 127, महात्मा गांधी मार्ग, देवास।

(अन्तरक)

(2) मै० कमीन्स डीजल सेल्स एण्ड सर्विस 35/ए/1/2, एरंडवाना पूना महाराष्ट्र द्वारा : सेक्रेटरी श्री वी० के० बोकस।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

भूमि सर्वे नं० 301, ग्राम रसूलपुर, तह० व जिला देवास में स्थित है।

देवप्रिय पन्त
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, भोपाल

तारीख : 28-5-1984

मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस.------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, भोपाल

भोपाल, दिनांक 28 मई 1984

निदेश सं० आई० ए० सी०/अर्जन/भोपाल/4708—अतः मुझे, देवप्रिय पन्त,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/-रु. से अधिक है और जिसकी सं० दुकान है तथ जो टैगोर मार्ग बंगला नं०48 नीमच में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय नीमच में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख अक्तूबर 1983

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है अन्तरक और (अन्तरकों) और अंतरिती (अंतरितियों) के बीच ऐसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) कुमारी निफरेज पुत्री
श्री समशेर जी कान्ट्रैक्टर
निवासी बंगला नं० 18
नीमच।

(अन्तरक)

(2) श्री नन्द लाल
पिता श्री चौथराम रामनानी
निवासी सिन्धी कालोनी
नीमच।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

दुकान टैगोर मार्ग बंगला नं० 48 नीमच में स्थित है।

देवप्रिय पन्त
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आकार आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, भोपाल

तारीख : 28-5-1984
मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस.-----------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज भोपाल

भोपाल, दिनांक 28 मई 1984

निर्देश सं० आई० ए० सी०/अर्जन/भोपाल/4709—अत: मुझे, देवप्रिय पन्त,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० दुकान है तथा जो टगोर मार्ग बंगला नं० 48 नीमच में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्णरूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय नीमच में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख अक्तूबर 1983

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अत: अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री निफरेज जे० कन्ट्रैक्टर
निवासी बंगला नं० 48
नीमच।

(अन्तरक)

(2) श्री मनोहर लाल पिता
श्री चौथ राम रामनानी
निवासी सिन्धी कालोनी
नीमच।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

दुकान, टैगोर मार्ग, बंगला नं० 48 नीमच में स्थित है।

देवप्रिय पन्त
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज भोपाल

तारीख : 28-5-1984
मोहर :

प्ररूप आई.टी.एन.एस.----------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज भोपाल

भोपाल, दिनांक 28 मई 1984

निर्देश सं० आई० ए० सी०/अर्जन/भोपाल/4710—अतः मुझे, देवप्रिय पन्त,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है और जिसकी सं० प्लाट नं० 20/8 है तथा जो साउथ तुकोगंज स्ट्रीट नम्बर 1, इन्दौर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय इन्दौर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 1908 का 16) के अधीन तारीख अक्तूबर 1983 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, एसे दृश्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अंतरितियों) के बीच एसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अंतरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर दोने के अंतरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अंतरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री अनुप कुमार श्रीवास्तव पिता
श्री जगदीश प्रसाद श्रीवास्तव
निवासी-110,
ऊषा नगर कालोनी,
इन्दौर।

(अन्तरक)

(2) श्री रमेशचन्द्र दवे पिता
श्री राम गोपालजी दवे
निवासी-20/7
साउथ तुको गंज स्ट्रीट नं० 1
इन्दौर।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

प्लाट नं० 20/8 साउथ तुकोगंज स्ट्रीट नं० 1 इन्दौर में स्थित है।

देवप्रिय पन्त
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज भोपाल

तारीख : 28-5-1984
मोहर:

प्ररूप आई.टी.एन.एस ---------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-1, अहमदाबाद

अहमदाबाद, दिनांक 11 मई 1984

निर्देश सं० पी० आर० नं० 2984 23-1/84-85—यतः, मुझे, आर० आर० शाह,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० बिल्डिंग ओरल मील, माधोपुर, जिला—भुज है, तथा जो सर्वे नं० 334 पैकी जमीन औद्योगिक हेतु के लिए स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय भुज में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 26-10-1983

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से एसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

1. मैसर्स अमर इन्डस्ट्रीज मजर शान्तीलाल चौयाणी जादवजी नगर—भुज (कच्छ)

(अन्तरक)

2. मैसर्स अशोक ओरल मील हारवे रोड, माधोपुर, तालुका—भुज, (कच्छ)

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

बिल्डिंग—ओरल मील जो माधापुर हारव पर स्थित है जिसका रजिस्ट्रीकर्ता रजिस्ट्रेशन नं० 2298/26-10-1983 है।

आर० आर० शाह
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-1, अहमदाबाद

तारीख : 11-5-1984

मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस. ------------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-1, अहमदाबाद

अहमदाबाद, दिनांक 11 मई 1984

निर्देश सं० पी० आर० नं० 2985 23-1/84-85—यत:, मुझे, आर० आर० शाह,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० जमीन वार्ड नं० 7, शीट नं० 258 है, तथा जो तखतेन्धर प्लाट विस्तार, भावनगर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, भावनगर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 13-10-1983

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से एसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अन्तरितियों) के बीच एसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए।

अत: अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री मनीशंकर लक्ष्मी शंकर जोशी यू कोन ड्राख, न्यूयोर्क, यू० एस० ए०

(अन्तरक)

2. अमृत शान्ती अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन—चीफ आर्गेनाइजर—श्री बृजलाल वनमाली दास त्रिवेदी प्लाट नं० 1233, अम्बाबाड़ी, भावनगर

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

जमीन जो वार्ड नं० 7, शीट नं० 255, प्लाट नं० 110 ए० 2 पर स्थित है तथा रजिस्ट्रीकर्ता तखतेन्धर प्लाट विस्तार रजिस्ट्रेशन नं० 1354/13-10-83 है, ।

आर० आर० शाह
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-1, अहमदाबाद

तारीख : 11-5-1984
मोहर :

प्ररूप आई.टी.एन.एस.-----------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, अहमदाबाद

अहमदाबाद, दिनांक 14 मई 1984

निर्देश सं० पी० आर० नं० 2986 23-I/84-85--यतः, मुझे, आर० आर० शाह,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० सर्वे नं० 433-1 प्लाट नं० 3-बी स्वप्न लोक है, तथा जो अपार्टमेंट, ब्लाक नं० 3, अमीन रोड, राजकोट में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, राजकोट में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 11-10-1983

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. महावीर कंस्ट्रक्शन कम्पनी की ओर से—श्री गुणकान्त मनीलाल पर्नीया शेरी नं० 2 गायत्रीनगर, राजकोट।

(अन्तरक)

2. श्रीमती केशरबेन कानजीभाई, स्वप्नलोक अपार्टमेंट, ब्लाक नं० 3, अमीन रोड, राजकोट।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

फ्लेट जिसका क्षेत्रफल 1725 वर्ग फीट है जो स्वप्नलोक अपार्टमेंट, राजकोट में स्थित है तथा सब रजिस्ट्रार, राजकोट रजिस्ट्रीकर्ता बिक्रीखत नं० 5128/11-10-1983 है।

आर० आर० शाह
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-1, अहमदाबाद

तारीख : 14-5-1984

मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस. ———

आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-1, अहमदाबाद

अहमदाबाद, दिनांक 14 मई 1984

निर्देश सं० पी० आर० नं० 2987 अ०I/23-1/84-85—यत:, मुझे, आर० आर० शाह,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/-रु. से अधिक है और जिसकी सं० सर्वे नं० 433-1, प्लाट नं० 3-बी स्वप्नलोक है, तथा जो अपार्टमैंट ब्लाक नं० 15, अमीन रोड, राजकोट में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, राजकोट में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 11-10-1983

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अत: अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री महावीर कन्स्ट्रक्शन कम्पनी की ओर से—श्री मधुकान्त मनीलाल एलीना शेरी नं० 2, रामकिशन नगर, राजकोट

(अन्तरक)

2. श्रीमती रामुबेन लालजी भाई तीलवा स्वप्नलोक अपार्टमेंट, ब्लाक नं० 5, अमीन रोड, राजकोट

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

प्लाट जिसका क्षेत्रफल 1725 वर्ग फीट है जो स्वप्नलोक अपार्टमेंट राजकोट में स्थित है तथा सब रजिस्ट्रार राजकोट रजिस्ट्रीकर्ता विक्रीखत नं० 5192/11-10-1983 है।

आर० आर० शाह
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-1, अहमदाबाद

तारीख : 14-5-1984
मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस.----------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-1, अहमदाबाद कार्यालय

अहमदाबाद, दिनांक 14 मई 1984

निर्देश सं० पी० आर० नं० 2988 23-1/84-85—यतः, मुझे, आर० आर० शाह,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० सर्वे नं० 456 पैकी प्लाट नं० 17-ए है, तथा जो जलाराम देव 17-ए प्लाट, योगीनिकेतन, कलापड रोड, राजकोट में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, राजकोट में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 27-10-1983

को पूर्वोक्त सम्पति के उचित बाजार मूल्य से कम से कम दृश्यमान प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए; और/या

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. उमरशी खीमजीभाई विजय ट्रान्सपोर्ट कम्पनी, मोची बाजार, राजकोट

(अन्तरक)

2. श्री जयंतीलाल दामोदर गोफानी
श्री भास्कर दामोदर गोफानी जलाराम देव योगी निकेतन, प्लाट नं० 17-ए, कलापाड रोड के उत्तर दिशा में, राजकोट।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

बिल्डिंग जिसका जमीन का क्षेत्रफल 303 वर्ग यार्ड है जो उत्तर साइड, कलापड़ रोड राजकोट में स्थित है तथा सब रजिस्ट्रार राजकोट रजिस्ट्रीकर्ता विक्रीखत नं० 6412/20-10-1983 है।

आर० आर० शाह
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-I, अहमदाबाद

तारीख : 14-5-1984
मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस.-----------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-1, अहमदाबाद

अहमदाबाद, दिनांक 14 मई 1984

निर्देश सं० पी० आर० नं० 2989/23-1/84-85---यतः, मुझे, आर० आर० शाह,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० फ्लेट फिफ्थ फ्लोर '2' बिल्डिंग नं० 553, तक्षशिला क० ओ० हा० है, तथा जो आल इण्डिया रेडियो स्टेशन के सामने, राजकोट में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, राजकोट में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख अक्तूबर 1983

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री अजीत कुमार परसोत्तम भाई नंदानी
शान्तीनिकेतन, शेरी नं० 2-7,
जगन्नाथ फ्लेट, राजकोट

(अन्तरक)

2. श्री चन्दुलाल जियाभाई पटेल,
नं० 553 फिफ्थ फ्लोर, तक्षशिला को-ओ-हा० सोसायटी (फ्लेट) आल इण्डिया रेडियो के सामने,
सीताराम पंडित मार्ग, राजकोट

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा,

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:--इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

फ्लेट जिसका क्षेत्रफल 1250 वर्ग फीट है जो तक्षशिल को० आ० हा० सोसायटी राजकोट में स्थित है तथा सब रजिस्ट्रार राजकोट रजिस्ट्रीकर्ता बिक्रीखत नं० 4463/अक्तूबर 1983 है।

आर० आर० शाह
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-1, अहमदाबाद

तारीख : 14-5-1984

मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस.---------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज 1, अहमदाबाद

अहमदाबाद, दिनांक 14 मई 1984

निर्देश सं० ई० आर० नं० 2990 23-I/84-85—अत: मुझे आर० आर० शाह

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० वार्ड नं० 15सी० टी० एस० 1010 तीसरी मंजिल प्लाट नं० 302, है तथा जो बील्डिंग क्रिस्टेन्ट 'ए' रेस कोर्स रोड, राजकोट में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय अहमदाबाद में 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख 10 अक्तूबर 1983

को पूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनयम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए।

अत: अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. मैसर्स जे० एस० कोर्पोरेशन 48, इन्द्रनारायण रोड, शान्ताक्रूज (वेस्ट) बम्बई-54।

(अन्तरक)

2. श्री शान्तीलाल जेराम और श्रीमती उमीयागौरी कथ्यानजी फ्लेट नं० 302, तीसरी मंजिल, क्रिसेन्ट 'ए' बिल्डिंग रेस कोर्स रोड, राजकोट।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

फ्लेट जिसका क्षेत्रफल 1450 व फीट है जो ए० क्रिसेन्ट बिल्डिंग, रेसकोर्स रोड, राजकोट में स्थित है तथा निम्न ओफिस में 'ए' ईई फोर्म दिनांक 10-10-1983 को प्राप्त हुआ है।

आर० आर० शाह
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज 1, अहमदाबाद

तारीख : 14-5-1984
मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस.-------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज 1, अहमदाबाद

अहमदाबाद, दिनांक 17 मई 1984

निर्देश सं० पी० आर० नं० 2991—अत: मुझे, आर० आर० शाह

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० फ्लेट आंबावाड़ी वीरजु को० आ० सोसायटी है तथा जो फ्लेट नं० सी०-12 अहमदाबाद-15 में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय अहमदाबाद 37 जी० में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 16 सितम्बर 1983

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिये था छिपाने में सुविधा के लिए;

अत: अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्रीमती रागनी एस० जोशी 12, वीरजु सोसायटी, आंबावाड़ी, अहमदाबाद-15।

(अन्तरक)

2. श्रीमती सुशीला डी० सालुजा नेहरूनगर के सामने आंबावाड़ी अहमदाबाद-15।
नया पता—फ्लेट नं० सी०-12, वीरजु सोसायटी आंबावाड़ी आजाद सोसायटी के नजदीक अहमदाबाद-15।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त संपत्ति के अर्जन संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

फ्लेट जो विरजु सोसायटी में फ्लेट नं० सी-11 आम्रावाड़ी में स्थित है तथा रजिस्ट्रीकर्ता रजिस्ट्रेशन नं० 13159 है।

आर० आर० शाह
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज 1, अहमदाबाद

तारीख : 17-5-1984
मोहर :

प्ररूप आई॰ टी॰ एन॰ एस॰ -----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269 (घ) (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज 1, अहमदाबाद

अहमदाबाद, दिनांक 17 मई 1984

निर्देश सं॰ पी॰ आर॰ नं॰ 2992—अतः मुझे, आर॰ आर॰ शाह

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है

और जिसकी सं॰ फ्लेट जो टी॰ पी॰ एस॰ 3, एफ॰ पी॰ नं॰ 419, फ्लेट सी-16, है तथा जो न्यू गार्डन फ्लेटस ओलीस ब्रीज अहमदाबाद में स्थित है और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय अहमदाबाद में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 7 अक्तूबर 1983

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अंतरितियों) के बीच ऐसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अंतरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अंतरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अंतरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

1. श्री आनंदलाल जोकमलाल शाह् शशीकला आनंदलाल जोकमलाल न्यू गार्डन फ्लेट्स एलीसब्रीज अहमदाबाद-6।

(अन्तरक)

2. श्री समीरकुमार मनुभाई पालखीवाला नीसीत कुमार मनुभाई पालखीवाला न्यू गार्डन फ्लेट्स, फ्लेट नं॰ सी-6 लो गार्डन के सामने, ओलीस ब्रीज अहमदाबाद।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

फ्लेट जो टी॰ पी॰ एस॰ 3, न्यू गार्डन फ्लेट्स, लो गार्डन के सामने, फ्लेट नं॰ सी॰-6 पर स्थित है तथा रजिस्ट्रीकर्ता रजिस्ट्रेशन नं॰ 14016/7-10-83 है।

आर॰ आर॰ शाह
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज 1, अहमदाबाद

तारीख : 17-5-1984
मोहर :

प्ररूप आई॰ टी॰ एन॰ एस॰———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज 1, अहमदाबाद

अहमदाबाद, दिनांक 17 मई 1984

निर्देश सं० पी० आर० नं० 2993—अत: मुझे आर० आर० शाह
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० फ्लेट जो वाउज सर्वे नं० 363-1, है तथा जो एफ० पी० 284 अहमदाबाद में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय अहमदाबाद में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 10 अक्तूबर 1983

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अंतरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अंतरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अत: अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्रीमती अजयनाबेन बबाभाई शाह 11, विद्यानगर सोसायटी विभाग-2, उस्मानपुरा, अहमदाबाद ।
(अन्तरक)

2. श्रीमती विरमतीबेन विरेन्द्रभाई देसाई गोमतीपुर, पी०-85, राजपुर, गोमतीपुर, अहमदाबाद ।
(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

फ्लेट जो वाउज टी० पी० एस० 15, सर्वे नं०, 363-1, एफ० पी० 284 पर स्थित है तथा रजिस्ट्रीकर्ता रजिस्ट्रेशन नं० 14142/10-10-82 है ।

आर० आर० शाह
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज I, अहमदाबाद

तारीख : 17-5-1984
मोहर :

प्ररूप आई.टी.एन.एस.----------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज 1, अहमदाबाद

अहमदाबाद, दिनांक 17 मई 1984

निर्देश सं० पी० आर० नं० 2994—अत: मुझे, आर० आर० शाह

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य, 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० जमीन जो वेजलपुर सीममे, सर्वे नं० 1158 है तथा जो प्लोट नं० 23, सेक्टर नं० 5 में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय अहमदाबाद में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम; 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 10 अक्तूबर 1983

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अंतरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसे किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अत: अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्रीमती शान्ताबेन बालकिशन दवे बालकिशनरामशंकर-दवे 26 भाष्कर लेन्ड, फर्स्ट फ्लोर भुलेश्वर रोड बोम्बे।

(अन्तरक)

2. श्रीमती यशोधरा विठलभाई पटेल विठलभाई सी० पटेल कुल मुखत्यार-अरविन्दभाई रामकिशन पटेल, वासुदनगर, गीरधरनगर, शाहीबाग, अहमदाबाद।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

जमीन जो वेजलपुर सीममे स्थित है जिसका सर्वे नं० 1158 प्लोट नं० 23, सेक्टर नं० 5 सत्याग्रह छावनी तथा रजिस्ट्रीकर्ता रजिस्ट्रेशन नं० 14146/10-10-83 है।

आर० आर० शाह
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज 1, अहमदाबाद

तारीख : 17-5-1984
मोहर :

प्ररूप आई.टी.एन.एस.---------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज I, अहमदाबाद

अहमदाबाद, दिनांक 17 मई 1984

निर्देश सं० पी० आर० नं० 2995—/एक्स-I/84-85 अतः मुझे आर०आर० शाह

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269--ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० फ्लेट टी० पी० एस० 20, एफ० पी० 390/1 न्यू गीरधर पार्क है। तथा जो को० ओ० सोसायटी आंबावाड़ी ला-गज्जर बंगला के सामने स्थित है (और मैं इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्याललय अहमदाबाद में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख 11 अक्तूबर 1983 को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से एसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर दने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) एसी किसी या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए।

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :—

1. श्रीमती तारामती शान्तीलाल शाह ए/2 पूर्णेश्वर फ्लेटस, गुलबाई टेकरा, अहमदाबाद-15।

(अन्तरक)

2. श्रीमती अनसूयाबेन कनुभाई उपाध्याय फ्लेट नं० एफ०/3 न्यु गोरधर पार्क को० ओ०-सोसायटी, फस्ट फ्लोर, आंबावाड़ी, ला० गज्जर बंगला के सामने अहमदाबाद।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

फ्लेट जो आंबावाड़ी टी० पी० एस० 20; एफ० पी० 390/1, न्यु गोरधर पार्क स्थित है तथा रजिस्ट्रीकर्ता रजिस्ट्रेशन नं० 14183/11-10-84 है।

आर० आर० शाह
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज I, अहमदाबाद

तारीख : 17-5-1984
मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस. -------------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, अहमदाबाद

अहमदाबाद, दिनांक 17 मई 1984

निर्देश सं० पी० आर० नं० 2996 एक्यू-13-I/84-85—अत: मुझे, आर० आर० शाह

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/-रु. से अधिक है

और जिसकी सं० जमीन वेजलपु में, सर्वे नं० 1157 सत्याग्रह छावनी सेक्टर नं० 3, प्लोट नं० 23 पी में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय अहमदाबाद में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम; 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 13 अक्तूबर 1983

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अंतरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम की अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए।

अत: अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्रीमती मधुबेन रमनलालकुल देसाई, 7, नूतन भारत सोसायटी वाडीवाडी, बरोदा।

(अन्तरक)

2. श्री नरेणभाई बलदेवभाई पटेल कुल मुख्त्यार—श्री चंदुभाई प्रह्लादभाई पटेल गोमतीपुर, रामजीका खांचा, 8 ए मोरारीपार्क, अहमदाबाद।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में यथापरिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

जमीन जो सत्याग्रह छावनी वेजलपुर में स्थित है जिसका सर्वे नं० 1157 है तथा रजिस्ट्रीकर्ता रजिस्ट्रेशन नं० 14351/10-10-83 है।

आर० आर० शाह
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-I, अहमदाबाद

तारीख : 17-5-1984
मोहर :

प्ररूप आई.टी.एन.एस.-----------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-I, अहमदाबाद

अहमदाबाद, दिनांक 17 मई 1984

निर्देश सं० पी० आर० नं० 2797—अतः मुझे, आर० आर० शाह,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा **269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य** 25,000/-रु. से अधिक है

और जिसकी सं० प्लेट पालडी सीम एफ० पी० 933 है तथा जो सब प्लोट नं० 9, 10 वर्ग यार्ड में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय अहमदाबाद रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 15 अक्तूबर 1983

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथा पूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिति (अंतरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) **अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त** अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों **को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम,** 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में **सुविधा के लिए;**

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण **में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन,** निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :—

1. श्री महेशभाई जगाभाई शाह 7, सेवक नगर, उस्मानपुरा, अहमदाबाद।

(अन्तरक)

2. श्रीमती मुक्ताबेन अरुनभाई जवेरी मृणीलाबेन रसीकलाल जवेरी प्रदीप रसीकलाल जवेरी मार्फत मैसर्स एम० डी० जवेरी 704/712 स्टोक एक्सचेन्ज टावर, दलाल, स्ट्रीट, फोर्ट, बोम्बे।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) **इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से** 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

फ्लेट जो पालडी एफ० पी० 933, एस० पी० नं० 9 यहु स्थित है तथा रजिस्ट्रीकर्ता रजिस्ट्रेशन नं० 14455/15-10-83 है।

आर० आर० शाह
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, अहमदाबाद

तारीख : 17-5-1984

मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस.--------------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज I, अहमदाबाद

अहमदाबाद, दिनांक 17 मई 1984

निर्देश सं० पी० आर० नं० 2998—अत: मुझे, आर० आर० शाह,

आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० जमीन वेजलपुर सर्वे नं० 1145, सेक्टर नं० 2 है, तथा जो प्लाट नं० 22, सत्याग्रह छावनी, अहमदाबाद में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय अहमदाबाद में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 16 जुलाई 1983

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अत: अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

1. श्री मधुर मधुकान्ता महेता 22, ब्राह्मण मित्र मंडल सोसायटी, एलीसब्रीज, अहमदाबाद।

(अन्तरक)

2. श्री जगन रतीलाल शाह श्रीमती जयश्रीबेन जगतभाई शाह सेक्टर नं० 2, प्लोट नं० 41 सत्याग्रह छावनी को० ओ०-सोसायटी जोधपुर टेकरा, अहमदाबाद।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

जमीन जो वेजलपुर सीम सर्वे नं० 1145 सेक्टर नं० 2, प्लोट नं० 29, सत्याग्रह छावनी को० ओ० सोसायटी में स्थित है तथा रजिस्ट्रीकर्ता रजिस्ट्रेशन नं० 10227/ है।

आर० आर० शाह
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज I, अहमदाबाद

तारीख : 17-5-84
मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस. ----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-I, अहमदाबाद

अहमदाबाद, दिनांक 17 मई 1984

निदेश सं० पी० आर० नं० 2999/23-I/84-85—अतः मुझे, आर० आर० शाह,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/-रु. से अधिक है

और जिसकी सं० जमीन वेजलपुर सीम में सर्वे नं० 1145 है। तथा जो सेक्टर नं० 2, प्लाट नं० 30, सत्याग्रह छावनी में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्णरूप से वर्णित है, रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, अहमदाबाद 37 जी० अक्तूबर 83 में प्राप्त हुआ में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, दिनांक 16-7-

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से, एसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर दने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए।

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री सौरीन जितेन्द्र भाई शाह
'सीवेनी फ्लैटस,
मीठाखली सीस रस्ता (रोड)
नवरंगपुरा, अहमदाबाद।

(अन्तरक)

(2) श्री जगत भाई रतीलाल शाह
श्रीमती जयश्री जगतभाई शाह
सैक्टर नं० 2, प्लाट नं० 41,
सत्याग्रह छावनी को० ओ० सोसायटी,
जोधपुर टेकरा, अहमदाबाद।

(अन्तरक)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

जमीन जो वेजलपुर सीम, सर्वे नं० 1145 सत्याग्रह छावनी सेक्टर नं० 2, प्लोट नं० 30 पर स्थित है तथा रजिस्ट्रीकर्ता रजिस्ट्रेशन नं० 10228/ है।

आर० आर० शाह
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-I, अहमदाबाद

दिनांक : 17-5-84

मोहर :

प्ररूप आई.टी.एन.एस.-----------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-I, अहमदाबाद

अहमदाबाद, दिनांक 19 मई 1984

निर्देश सं० पी० आर० नं० 3000/23-I/84-85-अतः मुझे, आर० आर० शाह,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है और जिसकी सं० 456 पैकी प्लाट नं० 313 पैकी महिला कालेज के है। तथा जो पीछे कलावा रोड, राजकोट में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, राजकोट में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, दिनांक 26-10-1983, को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री दामोदर नागजीभाई सेजपाल
करनपरा चोक, राजकोट।

(अन्तरक)

(2) श्री गिरीषकुमार छोटालाल कोटेचा
के०/ओ० दामोदर नागजीभाई सेजपाल
करनपरा चोक, राजकोट।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

बिल्डिंग जो कलावाड रोड राजकोट में स्थित है तथा सब-रजिस्ट्रार राजकोट रजिस्ट्रीकर्ताबिक्रीखत नं० 6373/26-10-83

आर० आर० शाह
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-I, अहमदाबाद।

दिनांक: 19-5-84
मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस.---------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज–I, अहमदाबाद

अहमदाबाद, दिनांक 19 मई 1984

निर्देश सं० पी० आर० न० 3001/23–I/84–85—अतः मुझे, आर० आर० शाह, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 296-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० फ्लैट न० जागनाथ प्लॉट शेरी न० 25–26 है। तथा जो आसोथालय नाम से प्रचलित है सेकण्ड फ्लोर, में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, राजकोट में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक 25–10–1983,

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अंतरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अंतरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अंतरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्रीमती मोधीबेन माधवजी
गांव—खीरसरा,
जिला—राजकोट ।

(अन्तरक)

(2) श्री लक्ष्मनभाई लालजी भाई मकाडीया
फ्लैट, सेकण्ड फ्लोर, 'आसाथालय'
जागनाथ शेरी न० 25–26, कोर्नर पर,
राजकोट ।

(अन्तरक)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

फ्लैट जिसका क्षेत्रफल 1191 वर्ग फीट है जो आसोथालय फ्लैट, शेरी नं० 25–26 जागनाथ राजकोट में स्थित है तथा सब-रजिस्ट्रार, राजकोट रजिस्ट्रीकर्ता बिक्रीखत न० 5738/25–10–83 है ।

आर० आर० शाह
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज–I, अहमदाबाद

दिनांक : 19–5–84
मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस. ----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-I, अहमदाबाद

अहमदाबाद, दिनांक 21 मई 1984

निर्देश सं० पी० आर० नं० 3002/अर्जन रेंज 23-I/84-85-- अतः मुझे, आर० आर० शाह,
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है
और जिसकी सर्वे नं० 457 पैकी प्लाट नं० 13-सी-2 है तथा जो राजकोट में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, राजकोट में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, दिनांक 17-10-1983
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और (अंतरितियों) के बीच ऐसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:---

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री नरेन्द्र नेनशीभाई महेता
अमरनाथ प्लाट्स,
कलावाड रोड,
राजकोट।

(अन्तरक)

(2) श्रीमती सरोजबेन प्रवीनचन्द्र शाह
'पूनम' 1, अमरनाथ प्लाट्स,
कलावाड रोड, राजकोट।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में यथा परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

बिल्डिंग जिसका जमीन का क्षेत्रफल 167 वर्ग यार्ड है, जो सर्वे नं० 457 राजकोट में स्थित है तथा सब-रजिस्ट्रार, राजकोट रजिस्ट्रीकर्ता बिक्रीखत नं० 6118/17-10-83 है।

आर० आर० शाह
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-I, अहमदाबाद।

दिनांक : 21-5-84
मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस. ———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज,–I अहमदाबाद

अहमदाबाद, दिनांक 19 मई 1984

निर्देश सं० पी० आर० नं० 3003/23–I/84–85—अत: मुझे, आर० आर० शाह,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० सर्वे नं० 387/388 पकी प्लोट नं० 20 पकी है। तथा जो राजकोट में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्णरूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकरी के कार्यालय, राजकोट में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, दिनांक 17–10–1983,

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अत:, अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) विजेता इण्डस्ट्रीज की ओर से
श्री छगनलाल त्रीकम भाई पटेल
श्री रतीलाल गोवर्धनभाई पटेल
शारदाबेन वसन्त भाई
भक्तिनगर स्टेशन के सामने,
राजकोट।

(अन्तरक)

(2) मिलीयन्ट मेटल इण्डस्ट्रीज की ओर से—
श्री अशोक कुमार गोविन्दभाई
श्री प्रफुल्ल वल्लभभाई
श्री लक्ष्मन भाई के
कंचनबेन कांतीलाल
अजीवसाहुन, राजकोट।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

जमीन जिसका क्षेत्रफल 400 वर्ग यार्ड है 'अधुरा पलीन्थ के साथ जो सर्वे नं० 387/388 पैकी राजकोट में स्थित है तथा सब-रजिस्ट्रार राजकोट रजिस्ट्रीकरण बिक्रीखत नं० 6132/17–10–83 है।

आर० आर० शाह
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज–I, अहमदाबाद।

दिनांक : 19–5–84
मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस.-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-I, अहमदाबाद
अहमदाबाद, दिनांक 19 मई 1984

निदेश सं० पी० आर० नं० 3004/23-I/84-85—अतः मुझे, आर० आर० शाह,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० बिल्डिंग है तथा जो वीरानी हाईस्कूल के सामने, राजकोट में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्णरूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, राजकोट में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, दिनांक 20-10-1983

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए, और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री वीरानीशाह चतुरदास संघवी
वीरानी हाईस्कूल के नजदीक,
राजकोट।

(अन्तरक)

(2) श्री हेमन्तलाल पोपटलाल पुजीया,
'उमीयाकुंज' 23 न्यू जागनाथ प्लोट,
राजकोट।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

बिल्डिंग जिसका जमीन का क्षेत्रफल 160 वर्ग यार्ड है जो वीरानी हाईस्कूल के नजदीक राजकोट स्थित है तथा सब-रजिस्ट्रार राजकोट रजिस्ट्रीकर्ता विक्रीखत नं० 6192/20-10-83 है।

आर० आर० शाह
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-I, अहमदाबाद।

दिनांक : 19-5-84
मोहर :

प्ररूप. आई. टी. एन. एस. -----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की

धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज–I, अहमदाबाद

अहमदाबाद, दिनांक 19 मई 1984

निदेश सं० पी० आर० नं० 3005–23/I/84–85—अतः मुझे, आर० आर० शाह

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० सर्वे नं० 429–436–656 पैकी प्लोट 58-ए पंचवटी को० ओ० हा० सोसायटी, हरीहर सोसायटी के नजदीक, कलावड रोड, राजकोट में स्थित है (और इससे उपबद्ध अनुसूची में और पूर्णरूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, राजकोट में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, दिनांक 21–10–83,

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अंतरितियों) के बीच ऐसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अंतरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अंतरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री विजय कुमार लीलाधर घुणा
दानापीठ, राजकोट ।

(अन्तरक)

(2) श्री जयसुखलाल भगवानजी दोषी
श्री खुशालदास भगवानजी दोशी
प्लाट नं० 58–ए, पंचवटी को० ओ० हा० सोसायटी
कलावाड रोड, हरीहर सोसायटी के नजदीक,
राजकोट ।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

जमीन जिसका क्षेत्रफल 323–5–0 वर्ग यार्ड है जो राजकोट में स्थित है तथा सब-रजिस्ट्रार राजकोट रजिस्ट्रीकर्ता बिक्रीखत नं० 6239/21–10–83 है ।

आर० आर० शाह
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज–I/ अहमदाबाद

दिनांक : 19–5–84
मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस.-------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-I, अहमदाबाद
अहमदाबाद, दिनांक 22 मई 1984

निदेश सं० पी० आर० नं० 3006/23-I/84-85—अतः मुझे, आर० आर० शाह,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० बिल्डिंग दरीयापुर काजीपुर सीम है तथा जो जयमहाबीर को० ओ० सोसायटी, टी० पी० एस० 14 अहमदाबाद में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्णरूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, अहमदाबाद में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, दिनांक 21-10-1983,

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अंतरकों) और अंतरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री सुनील कुमार गीगराज गुप्ता-
रघुकुल सोसायटी,
शाहीबाग, अहमदाबाद।

(अन्तरक)

(2) श्री भवरलाल शिवनाथ जी राजपुरोहित
18, भद्रेश्वर सोसायटी,
शाहीबाग, अहमदाबाद।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

बिल्डिंग जो दरीयापुर काजीपुर सीम, जय महाबीर को० ओ० सोसायटी टी० पी० एस० 14 पर स्थित है तथा रजिस्ट्रीकर्ता रजिस्ट्रेशन नं० 14653/21-10-83 है।

आर० आर० शाह
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-I, अहमदाबाद।

दिनांक : 22-5-1984
मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस. ----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-I, अहमदाबाद

अहमदाबाद, दिनांक 22 मई 1984

निदेश सं० पी० आर० नं० 3007/23-I/84-85 --अतः मुझे, आर० आर० शाह,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/-रु. से अधिक है

और जिसकी सं० फ्लैट टी० पी० एस० 6, पालडी, एफ० पी० नं० 10 है। तथा जो मोडर्न फ्लेटस को ऑ० सोसायटी फ्लैट नं० बी०/5—5 में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय अहमदाबाद में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, दिनांक 21-10-1983

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के, अनुसरण में, मैं उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

(1) श्रीमती रसीदाबानु रहमनभाई इसमानी
कोर्नर फ्लटस, पालडी,
अहमदाबाद।

(अन्तरक)

(2) श्री इकबाल भाई अब्दुल रजाकभाई
मोडर्न फ्लैटस नं० बी०/5
पालडी, अहमदाबाद।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

फ्लैट जो पालडी टी० पी० एस० 6, एफ० पी० नं० 10, मोडर्न फ्लैटस, फ्लैट नं० बी० 5 पर स्थित है तथा रजिस्ट्रीकर्ता रजिस्ट्रेशन नं० 14675/21-10-83 है।

आर० आर० शाह
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-I, अहमदाबाद

दिनांक : 22-5-84
मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस. ----------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-I, अहमदाबाद

अहमदाबाद, दिनांक 22 मई 1984

निदेश सं० पी० आर० नं० 3008/23-I/84-85—अतः मुझे, आर० आर० शाह,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० जमीन पालडी सीम में है तथा जो टी० पी० एस० एफ० पी० 282 एस० पी० नं० 1 बी में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्णरूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, अहमदाबाद में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक 24-10-83

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अंतरितियों) के बीच ऐसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए।

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) शीलाबेन दीपकभाई शाह
पतासा पोल, गांधी रोड,
अहमदाबाद।

(अन्तरक)

(2) श्री प्रदीप चम्पकलाल शाह
भरत चम्पकलाल शाह
833, महेता शेरी,
पंचभाईकी पोल,
अहमदाबाद।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

जमीन जो पालडी टी० पी० एस० 6, एफ० पी० 282 एस० पी० नं० 1-बी पर स्थित है तथा रजिस्ट्रीकर्ता रजिस्ट्रेशन नं० 14782/24-10-83 है।

आर० आर० शाह
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-I, अहमदाबाद।

दिनांक : 22-5-1984

मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस.-----------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-I, अहमदाबाद

अहमदाबाद, दिनांक 22 मई 1984

निदेश सं० पी० आर० नं० 3009/23-I/84-85 अतः मुझे, आर० आर० शाह

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० कांकरिया टी० पी० एस० 2, सी० एस० नं० 124 है तथा जो इस्माइलिया को० ऑ० सोसायटी, अहमदाबाद में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्णरूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, अहमदाबाद में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक 28-10-83,

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अंतरितियों) के बीच ऐसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अंतरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अंतरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अंतरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री अकबर भाई लवजीभाई चारणिया
नं० नं० 12, खोजा सोसायटी,
कांकरिया, अहमदाबाद ।

(अन्तरक)

(2) करमाली भावजीभाई हीमानी
जो रहेमत करमाली हीमानी
खमासा गेट के नजदीक,
अहमदाबाद ।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

बिल्डिंग जो खोजा सोसायटी, कांकरिया टी० पी० एस० 2 पर स्थित है तथा रजिस्ट्रीकर्ता रजिस्ट्रेशन नं० 15125/28-10-83 है ।

आर० आर० शाह
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-I/अहमदाबाद ।

दिनांक : 22-5-84
मोहर :

प्रारूप आई.टी.एन.एस.-----------------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-I, अहमदाबाद

अहमदाबाद, दिनांक 22 मई 1984

निदेश नं० पी० आर० नं० 3010/23 I/84-85- अतः मुझे, आर० आर० शाह,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० बिल्डिंग जो अचोर सीम सर्वे नं० 123/1, 124/2 है तथा जो एफ० पी० नं० 10-1, 6-बी, महर्षि दयानन्द पार्क, अहमदाबाद में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, अहमदाबाद में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक 24-10-83,

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से एसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अंतरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री रामजुभाया परमानन्दलामल अरोरा
सेवक साड़ी सेन्टर,
62, सीधी मारकेट,
अहमदाबाद-2।

(अन्तरक)

(2) श्री भुपेन्द्र देशराज खत्री
के०/ओ० भुपेन्द्र टैक्सटाइल्स,
22, सीधी मारकेट,
अहमदाबाद।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

बिल्डिंग जो 6-बी, महर्षि दयानन्द पार्क, अचोर, टी० पी० एस० 23, अहमदाबाद में स्थित है तथा रजिस्ट्रीकर्ता रजिस्ट्रेशन नं० 14797/24-10-83 है।

आर० आर० शाह
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-I, अहमदाबाद

दिनांक : 22-5-1984

मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस.------------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-I, अहमदाबाद

अहमदाबाद, दिनांक 22 मई, 1984

निदेश सं० पी० आर० नं० 3011/23-I/84-85—अतः मुझे, आर० आर० शाह,

आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है)., की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/-रु. से अधिक है

और जिसकी सं० जमीन, वासना टी० पी० एस० 21, एफ० पी० 602, एस० पी० नं० है। तथा जो 179, मानेक बाग को० ऑ० सोसायटी अहमदाबाद में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, अहमदाबाद में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, दिनांक 25-10-83,

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनयम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :—

(1) श्री कान्तीलाल कोदरलाल शाह
4/4 मंगलम फ्लैटस,
वायुनगर, अहमदाबाद—24।

(अन्तरक)

(2) श्री भोगीलाल अमृतलाल शाह,
वसुमती भोगीलाल शाह
पंचवटी, अहमदाबाद।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

जमीन जो मानेकबाग, टी० पी० एस० 21, एफ०पी० 602, एस० पी० नं० 179 पर स्थित है तथा रजिस्ट्रीकर्ता रजिस्ट्रेशन नं० 14551/25-10-83 है।

आर० आर० शाह
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-I, अहमदाबाद

दिनांक : 22-5-1984
मोहर :

प्ररूप आई॰ टी॰ एन॰ एस॰------------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज–I, अहमदाबाद

अहमदाबाद, दिनांक 24 मई 1984

निदेश सं॰ पी॰ आर॰ नं॰ 3012/23–I/84–85—अतः मुझे, आर॰ आर॰ शाह,

आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं॰ दरियापुर काजीपुर सीम कैम्प रोड एफ॰ पी॰ नं॰ 2 है। तथा जो नवीनचन्द्र पार्क टी॰ पी॰ एस॰ 17 और टी॰ पी॰ एस॰–8, में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, अहमदाबाद में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, दिनांक 20–10–83,

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री ईश्वरलाल जोरताराम पटेल
10, मानन सोसायटी,
रानीप, साबरमती,
अहमदाबाद।

(अन्तरक)

(2) श्री बंसीधर गोपीनाथ अग्रवाल
18, नवीनचन्द्र पार्क,
सिविल अस्पताल रोड,
अहमदाबाद।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

बिल्डिंग जो दरियापुर–काजीपुर टी॰ पी॰ एस॰ 17 और 8 एफ॰ पी॰ नं॰ 2 पैकी प्लाट नं॰ 8 पर स्थित है तथा रजिस्ट्रीकर्ता रजिस्ट्रेशन नं॰ 14979/125–10–83 है।

आर॰ आर॰ शाह
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज–I, अहमदाबाद।

दिनांक : 24-5-1984

मोहर:

प्ररूप आई. टी. एन. एस. ----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-I, अहमदाबाद

अहमदाबाद, दिनांक 24 मई 1984

निदेश सं० पी० आर० नं० 3013, 23-I/84-85—अतः मुझे, आर० आर० शाह,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/-रु. से अधिक है

और जिसकी सं० जमीन नरसिंहनगर को० ओ० सोसायटी, टी० पी० एस० 29 है। तथा जो सर्वे नं० 34, सब प्लाट नं० 14, नारनपुरा, अहमदाबाद में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, अहमदाबाद में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक अक्तूबर 83 में 37 जी मालाई 24-8-83,

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्यों से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री केवलप्रसाद वृषाभाई पटेल
कौशिकभाई वृषाभाई पटेल
5-ए, मीरा सोसायटी, नारनपुरा,
अंकुर रोड, अहमदाबाद—13।

(अन्तरक)

(2) शान्तीलाल मूलजी भाई सावला
एच० यू० एफ० के० कर्ता
सगीर मनोज शान्तीलाल सावला
मुख्त्यार—शान्तीलाल एम० सावला
फ्लैट नं० डी०-3 अजन्ता फ्लैटस,
नारनपुरा चार रस्ता,
जैन टैम्पल के सामने,
अहमदाबाद—०3।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरु करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

जमीन जो नरसीनगर को० ओ० सोसायटी, टी० पी० एस०-29, सर्वे नं० 34, एस० पी० नं० 14 पर स्थित है तथा रजिस्ट्री-कर्ता रजिस्ट्रेशन नं० 12107 है।

आर० आर० शाह
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-I अहमदाबाद।

दिनांक : 24-5-1984

मोहर :

प्ररूप आई.टी.एन.एस. --------------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की

धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज–I, अहमदाबाद

अहमदाबाद, दिनांक 24 मई 1984

निदेश सं० पी० आर० नं० 3014/23–I/84–85—अतः मुझे, आर० आर० शाह,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० बिल्डिंग, टी० पी० एस० 22एफ० पी० 140–142–143 है। तथा जो सब प्लोट नं० 12–बी पालडी में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्णरूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, अहमदाबाद में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, दिनांक 11–10–1983,

पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए।

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के, अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

(1) श्रीमती रमीलाबेन महेन्द्रकुमार
श्री रूपेन महेन्द्रकुमार
सगीर विशाल महेन्द्रकुमार
मुख्त्यार–श्री महेन्द्रकुमार हरगोवनदास शाह
कलासा पोल, खाराकुवाकी पोल,
अहमदाबाद।

(अन्तरक)

(2) श्री लक्ष्मनदास मनीलाल गांधी
मनहरबेन लक्ष्मनदास गांधी
टोकरशाकी पोल,
रायखड, अहमदाबाद।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

बिल्डिंग जो पालडी टी० पी० एस० 22, एफ० पी० 140–142–143 एस० पी० नं० 12–बी पर स्थित है तथा रजिस्ट्रीकर्ता रजिस्ट्रेशन नं० 14197/11–10–83 है।

आर० आर० शाह,
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज–I, अहमदाबाद

दिनांक : 24–5–84

मोहर :

प्ररूप आई.टी.एन.एस.-----------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-1, अहमदाबाद

अहमदाबाद, दिनांक 26 मई 1984

निदेश सं० पी० आर० नं० 3015/23-I/84-85—अत: मुझे, आर० आर० शाह,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० जमीन सानन्द में सर्वे नं० 677/2 है। तथा जो जमीन एरिया 5324 वर्ग यार्ड में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्णरूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, सानन्द में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, दिनांक अक्तूबर, 1983,

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, एसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अंतरितियों) के बीच एसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अंतरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) एसे किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए।

अत: अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

(1) जशीबेन, मगजीनजीनानाजीभाई
डाकोरकी पुत्री
विमलाबेन, मगनजी नानजीभाई डाकोरजी पुत्री
सानन्द, जिला—अहमदाबाद।

(अन्तरक)

(2) फ्रेण्डस को० ऑ० सोसायटी
(प्रपोज्ड) चीफ ऑर्गेनाइजर
1. श्री बिपिनचन्द्र भोगीलाल अमीन
2. श्री भानु प्रसाद मूलचन्द भाई पटेल
3. श्री प्रवीनकुमार मूलजीभाई पटेल
नारनपुरा, अहमदाबाद।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

जमीन जो सानन्द में स्थित है जिसका सर्वे नं० 677/1 है जमीन एरिया 5324 वर्ग यार्ड तथा रजिस्ट्रेशन नं० 1418/83 है।

आर० आर० शाह
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-I, अहमदाबाद।

दिनांक : 26-5-84
मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस.-----------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, अहमदाबाद

अहमदाबाद, दिनांक 29 मई 1984

निदेश सं० पी० आर० नं० 3016/अर्जन रेंज-1/23-1/84-85-अत: मुझे, आर० आर० शाह,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० सर्वे नं० 80, प्लाट नं० 50 पैकी है तथा जो नानामापा राजकोट में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, राजकोट में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 29-10-83

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अंतरकों) और अंतरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए;

अत: अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री किशोर नरसिंहभाई परमार
मूलचंद जवेरीकी वाडी,
कुंभारपाड़ा, चेम्बूर,
बाम्बे।

(अन्तरक)

2. श्री नटवरभाई गोविंदभाई लडानी,
के०/आ श्रेचेडा कलर लेबोरेटरी,
राष्ट्रीय शाला के सामने,
रविकिरनके नजदीक,
राजकोट।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

बिल्डिंग जिसका जमीन का क्षेत्रफल 107 वर्ग यार्ड है जो नानामाया राकोट में स्थित है तथा सब रजिस्ट्रार राजकोट रजिस्ट्रीकर्ता बिक्री खाता नं० 6446/29-10-83 है।

आर० आर० शाह
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-1, अहमदाबाद

तारीख : 29-5-1984

मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस. ————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा
धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-I, अहमदाबाद

अहमदाबाद, दिनांक 29 मई 1984

निदेश सं० पी० आर० नं० 3017—यत: मुझे, आर० आर० शाह,

आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० सर्वे नं० 80, प्लाट नं० 50 पैकी है तथा जो नानामावा राजकोट में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, राजकोट में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 28-10-83

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अत: अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री किशोर नरसिंहभाई परमार
मूलचंद जवेरीकी वाडी,
कुंभारपाडा चेम्बुर,
बम्बई।

(अन्तरक)

2. श्री चंदुलाल लधाभाई सुतरीया,
स्वस्तीक एस्टेट,
पेट्रोल पंप के नजदीक,
गोंडल रोड,
राजकोट।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

बिल्डिंग जिसका जमीन का क्षेत्रफल 107 वर्ग यार्ड है जो नानामावा राजकोट में स्थित है तथा सब रजिस्ट्रार राजकोट रजिस्ट्रीकर्ता बिक्री खाता नं० 6417/28-10-83 है।

आर० आर० शाह
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज-I, अहमदाबाद

तारीख : 29-5-1984
मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस.---------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-I, अहमदाबाद

अहमदाबाद, दिनांक 29 मई 1984

निदेश सं० पी० आर० नं० 3018—यत: मुझे, आर० आर० शाह,

आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० बिल्डिंग होटल मोहीत इन्टरनेशनल नाम से प्रचलित है तथा जो बहुमाली भवन नजदीक रेसकोर्स, राजकोट में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, राजकोट में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 28-10-1983

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, इसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अत: अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्रीमती देवकुंवरबेन हरीलाल सोनी,
"सत्यकुंज" प्रेस्टीज सिनेमा नजदीक,
राजकोट।

(अन्तरक)

2. श्री भरतसिंह चुडस्मा एण्ड सन्स,
बके०/आ० होटल मोहीत इन्टरनेशनल,
बहुमाली भवन के नजदीक,
रेसकोर्स रोड,
राजकोट।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

बिल्डिंग जिसका क्षेत्रफल 1090.59 वर्ग मीटर है होटल मोहीत इन्टरनेशनल नाम से प्रचलित है, बहुमाली भवन के नजदीक रेसकोर्स राजकोट में स्थित है तथा सब रजिस्ट्रार राजकोट रजिस्ट्रीकर्ता बिक्रीखाता नं० 6435/28-10-83 में मिल्कात का पूर्ण वर्णन दिया है।

आर० आर० शाह
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-I, अहमदाबाद

तारीख : 29-5-1984

मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस. ----------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-I, अहमदाबाद

अहमदाबाद, दिनांक 29 मई 1984

निदेश सं० पी० आर० नं० 3019—अतः मुझे, आर० आर० शाह,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० बिल्डिंग टी० पी० एस० 14, साधना को-ओ० सोसायटी है तथा जो बंगला नं० 22, एफ० पी० नं० 63, सर्वे नं० 66/ए०/1 में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, अहमदाबाद में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 29-10-1983

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अंतरितियों) के बीच ऐसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उप-धारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री गोरधनभाई शीवाभाई पटेल,
16, चंद्रमुखी सोसायटी,
गोपालनगर के पीछे,
मेमनगर रोड,
अहमदाबाद।

(अन्तरक)

2. श्री मोहनलाल लाखाजी चौहान,
शाहीबाग रेलवे क्रोसिंग के नजदीक,
शाहीबाग,
अहमदाबाद-4
रामचन्दभाई लाखाजी चौहान,
जवानभाई धनाजी चौहान,
अंबाजी माता के मंदिर के नजदीक,
माधुपुरा,
दिल्ली दरवाजा बाहर,
अहमदाबाद।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

बिल्डिंग जो साधना सोसायटी, शाहीबाग, टी० पी० एस० 14 पर स्थित है तथा रजिस्ट्रीकर्ता रजिस्ट्रेशन नं० 15171/29-10-1983 है।

आर० आर० शाह
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-I, अहमदाबाद

तारीख : 29-5-1984

मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस. ----------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-I, अहमदाबाद

अहमदाबाद, दिनांक 29 मई 1984

निदेश सं० पी० आर० नं० 3020-23-I/84-85—यत: मुझे, आर० आर० शाह,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० बिल्डिंग सी/92, सम्राट नगर, रसनपुर है तथा जो सर्वे नं० 261, 262, 265, और 268 में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, अहमदाबाद में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 10-10-1983

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, एसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अत: अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री पंकज कुमार मोतीलाल मनीयार,
33/3, जयंतपार्क,
वटवा रोड,
मनीनगर,
अहमदाबाद-8।

(अन्तरक)

2. श्री प्रवीनभाई गोकलदास देसाई,
नागर निवास,
नरेश रोड,
विले पार्ले (ईस्ट),
बम्बई-57।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से **45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित-बद्ध** किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

बिल्डिंग जो रसनपुर सीम, सम्राट नगर—सी—92, सर्वे नं० 261, 262, 265 और 268 पर स्थित है तथा रजिस्ट्रीकर्ता रजिस्ट्रेशन नं० 13726/10-10-83 है।

आर० आर० शाह
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-I, अहमदाबाद

तारीख : 29-5-1984
मोहर:

प्ररूप आई. टी. एन. एस.--------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-I, अहमदाबाद

अहमदाबाद, दिनांक 29 मई 1984

निर्देश सं० पी० आर० नं० 3021 एक्वी० 23-I/84-85
यत: मुझे, आर० आर० शाह,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० बिल्डिंग खाडिया में सर्वे नं० 2241 है तथा जो एम० एस० नं० 1436 सं० सामसंगार्फी पोल, सारंगपुर, अहमदाबाद में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, अहमदाबाद में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, 26-10-83 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अंतरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए, और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अंतरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अत: अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के, अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात :—

1. श्री ललितकुमार भाला भाई पटेल,
सामसंगार्फी पोल ,
सारंगपुर, अहमदाबाद।
नया पता—ए/4, मीनीता अपार्टमेंट,
सेंट जेवियर्स हाई स्कूल रोड,
नवजीवन,
अहमदाबाद-11।

(अन्तरक)

2. श्री नटवरलाल हीरालाल शाह,
पंकजकुमार हीरालाल शाह,
सगीर नलीन हीरालाल शाह,
सगीर कौशिक हीरालाल शाह
मुख्त्यार—हीरालाल वाडीलाल,
8, जीतेन्द्र पार्क सोसायटी
पालडी,
अहमदाबाद।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:--

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में यथा परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

बिल्डिंग जो खाडिया-1, सामसंगार्फी पोल सर्वे नं० 2241, एम० एस० नं० 1436 पर स्थित है तथा रजिस्ट्रीकर्ता रजिस्ट्रेशन नं० 14879/26-10-83 है।

आर० आर० शाह
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-I, अहमदाबाद

तारीख : 29-5-1984
मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस.----------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज-I, अहमदाबाद

अहमदाबाद, दिनांक 30 मई 1984

निर्देश सं० पी० आर० नं० 3022—अतः मुझे, आर० आर० शाह,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम', कहा गया है, की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है और जिसकी सं० बिल्डिंग अम्बावाडी, कृष्णानगर, वार्ड नं० 6 है तथा जो सर्वे नं० 2023, 2024, 2025, 2026, भावनगर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, भावनगर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, 25-10-83 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अंतरितियों) के बीच ऐसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अंतरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अंतरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम को धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. प्रयोजक न्यू शान्ती निकेतन को-ओप० सोसायटी—चीफ आर्गेनाइजर, श्री भूपतराय मोहनलाल शाह वानीया शेरी, घोघा बंदर, घोघा, भावनगर।

(अन्तरक)

2. (1) पीयूष कुमार उपेन्द्रभाई मेहता, प्लाट नं० 1048-ए 1-2, अम्बावाडी, दानीबेन छात्रालय के सामने कृष्णानगर, भावनगर।

(2) भरतकुमार नरेन्द्रभाई ठक्कर, प्लोट नं० 1043-बी, अम्बावाडी, दानीबेन छात्रालय के सामने, भावनगर।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

बिल्डिंग जो अम्बावाडी वार्ड नं० 6, प्लोट नं० 1048-ए पर स्थित है तथा रजिस्ट्रीकर्ता रजिस्ट्रेशन नं० 3425/25-10-83 है।

आर० आर० शाह
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-I, अहमदाबाद

तारीख : 30-5-1984
मोहर :

प्ररूप आई.टी.एन.एस. ----------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज-I, अहमदाबाद

अहमदाबाद, दिनांक 30 मई 1984

निर्देश सं० पी० आर० नं० 3023—अतः मुझे, आर० आर० शाह,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/-रु. से अधिक है

और जिसकी सं० बिल्डिंग बादेश्वर विस्तार, सर्वे नं० 3/2, 33/2 है तथा जो 206/2, 206/3, जामनगर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, जामनगर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन 25-10-1983

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अंतरितियों) के बीच ऐसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अंतरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अंतरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अंतरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

1. मैसर्स परमेश्वर ऑयल मिल
बादेश्वर,
जामनगर।

(अन्तरक)

2. श्री जी० फेमिली ट्रस्ट,
चुनीलाल त्रिभोवनदास फेमिली ट्रस्ट,
मोतीबाई माधवजी फेमिली ट्रस्ट,
भावेश्वर फेमिली ट्रस्ट,
क्रिश्ना फेमिली ट्रस्ट,
के०/आ० श्री दिनेश तन्ना,
तन्ना हाउस,
ग्रेन मार्केट,
जामनगर।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

मिल्कीयत जो बादेश्वर विस्तार, सर्वे नं० 32/2, 33/2, 206/2, 206/3 पर स्थित है तथा रजिस्ट्रीकर्ता रजिस्ट्रेशन नं० 3190/25-10-83 है।

आर० आर० शाह
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-I, अहमदाबाद

तारीख : 30-5-1984
मोहर :

प्ररूप आई.टी.एन.एस. -------------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज-I, हमदाबाद

अहमदाबाद दिनांक 30 मई 1984

निर्देश सं० पी० आर० नं० 3024—अतः मुझे, आर० आर० शाह,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है और जिसकी सं० बिल्डिंग टी० पी० एस० 4, एफ० पी० नं० 160/1 4 है तथा जो 12, गुडलक सोसायटी दामानी सोसायटी के नजदीक मनीनगर, अहमदाबाद-8 में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय अहमदाबाद में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन 28-10-83

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) एसी किसी या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए।

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री हीरानंद गिरधारीमल डोडा,
आनंद फ्लैट के नजदीक,
भैरवनाथ रोड,
मनीनगर,
अहमदाबाद।

(अन्तरक)

2. श्री अर्जुन कुमार हरचंदराय,
श्रीमती गीता अर्जुनकुमार,
12 गुडलक सोसायटी
दामानी सोसायटी के नजदीक,
मनीनगर,
अहमदाबा।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

बिल्डिंग जो टी० पी० एस० 4 एफ० पी० 166/1+4, गुडलक सोसायटी दामानी सोसायटी के नजदीक मनीनगर में स्थित है तथा रजिस्ट्रीकर्ता रजिस्ट्रेशन नं० 15142/28-10-83 है।

आर० आर० शाह
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-I अहमदाबाद

तारीख : 30-5-1984
मोहर :

प्ररूप. आई. टी. एन. एस.-------------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-1 अहमदाबा

अहमदाबाद, दिनांक 1 जून 1984

निर्देश नं० पी० आर० नं० 3026—अत: मुझे, आर० आर० शाह
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है
और जिसकी सं० जमीन मानेकबाग को-आ० सोसायटी है तथा जो टी० पी० एस० 21 एफ० पी० 597 अहमदाबाद में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय अहमदाबाद में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख 25-10-83
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, एसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अंतरिती (अंतरितियों) के बीच एसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अंतरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर दने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए;

अत: अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री ईश्वरदास सारदास उप्पल
6/159 आजरा को० ओ० महाराष्ट्र
हाउसिंग बोर्ड
सायन ट्राम्बे रोड
बम्बई-400022।

(अन्तरक)

2. श्रीमती शारदाबेन विरचंदभाई
5 विद्यागविहार सोसायटी
उस्मानपुरा
अहमदाबाद।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

जमीन जो वासना सीम टी० पी० एस० 21 एफ० पी० 597 मानेकबाग कोआ सोसायटी में स्थित है तथा रजिस्ट्रीकर्ता रजिस्ट्रेशन नं० 14868/25-10-83 है।

आर० आर० शाह
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-1, अहमदाबाद

तारीख: 1-6-1984
मोहर:

प्ररूप आई.टी.एन.एस.———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-1 अहमदाबाद

अहमदाबाद, दिनांक 2 जून 1984

निर्देश नं० पी० आर० नं० 3027—अतः मुझे, आर० आर० शाह

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० मील्कियत नरोडा में सर्वे नं० 462 पैकी 464, 465 और 466 है तथा जो नरोडा इण्डस्ट्रीज टाउनशिप प्लोट नं० 172 जी० आर० डी० सी० एस्टेट अहमदाबाद में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, अहमदाबाद में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख 15-10-1983

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अंतरितियों) के बीच ऐसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. मेसर्स राजचन्द्र सरस और पल्प मिल्स
केअ/ऑ० दशरथभाई नटवरलाल पटेल
नयी खडकी नरोडा
अहमदाबाद।

(अन्तरक)

2. मै० पार्श्व पेपर और इन्डस्ट्रीज एलाइड
आफिस जैन मंदिर के सामने
गांधी रोड
अहमदाबाद।
घर का पता:—बी० एस० रंगना एण्ड पार्टनर्स
6, धरणीधर सोसायटी,
पालडी, अहमदाबाद-7।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

बिल्डिंग शेड जो 172 जी० आर० डी० सी० एस्टेट नरोड अहमदाबाद में स्थित है तथा सब रजिस्ट्रीकर्ता रजिस्ट्रेशन नं० 13447/15-10-83 है।

आर० आर० शाह
सक्षम प्राधिकारी
(सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-1, अहमदाबाद

तारीख : 2-6-1984
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस० ——

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-I, 1अहमदाबाद

अहमदाबाद, दिनांक 7 मई 1984

निदेश सं० पी० आर० नं० 2813/II/84-85—अत:, मुझे, आर० आर० शाह,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० टी० पी० एस० नं० 2 एफ पी० नं० 168/1 है तथा जो आनंद में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, आनंद में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16 के अधीन, तारीख 27-10-83

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अत: अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री नरसिंहभाई लाखाभाई पटेल आनन्द।

(अन्तरक)

2. मै० सहयोग को० आप० हा० सोसा०,
चेयरमैन आफ जोसेफ एच० कन्ट्रेक्टर,
आनंद।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

जमीन जो आनंद में स्थित है जिसका कुल क्षेत्रफल 354 चौ० मी० है। सब रजिस्ट्रार आनंद में 4488 नंबर पर तारीख 27-10-1983 को रजिस्टर्ड की गई है।

आर० आर० शाह
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-II, अहमदाबाद

तारीख : 7-5-1984
मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस.-----------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-II अहमदाबाद

अहमदाबाद, दिनांक 7 मई 1984

निदेश सं० पी०आर० नं० 2814/11/84-85—अतः मुझे, आर० आर० शाह,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० टी० पी० एस० नं० 4 एफ० पी० 316 है तथा जो आणंद में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, आणंद में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) अधीन तारीख 21-10-83

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अंतरितियों) के बीच ऐसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री शंकरलाल मगनलाल सेलब
आणंद।

(अन्तरक)

2. श्री पटेल टीमलभाई जशभाई
नवरंग सोसायटी,
आणंद।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

जमीन जो आणंद में स्थित है जिसका टी० पी० एस० नं० 4 और एफ० पी० नं० 316 है और कुल क्षेत्रफल 1500 चो० मी० है। सब रजिस्ट्रार आणंद में 4128 नंबर पर तारीख 21-10-83 को रजिस्टर्ड की गई है।

आर० आर० शाह
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-II, अहमदाबाद

तारीख : 7-5-1984
मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस.-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-11, अहमदाबाद

अहमदाबाद, दिनांक 8 मई 1984

निदेश सं० सी० आर० नं० 2815/11/84-85---अतः मुझे, आर० आर० शाह,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० 74-16.5 है तथा जो नागरवाडा, बड़ौदा में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, बड़ौदा में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 12-10-1983

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, एसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अन्तरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :---

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर दने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :---

1. श्री अनिल कुमार केशवजी पुजारी, नवा बाजार, बड़ौदा।

(अन्तरक)

2. श्री कमलाबहन कनुभाई अमदावारी पोल, बड़ौदा।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :---

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:--इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

फ्लैट जिसका सर्वे नं० 74 है और कुल क्षेत्रफल 545 चौ० मी० है जो नारवाड, बड़ौदा में स्थित है। सब रजिस्ट्रार बड़ौदा में 7346 नंबर पर ता० 12-10-1983 को रजिस्टर्ड किया गया है।

आर० आर० शाह
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-11, अहमदाबाद

तारीख : 8-5-1984

मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस.--------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-11, अहमदाबाद

अहमदाबाद, दिनांक 8 मई 1984

निदेश सं० पी० आर० नं० 2816/11/84-85—अत: मुझे, आर० आर० शाह,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- से अधिक है

और जिसकी सं० डी० टीका नं० 1.15 है तथा जो सयाजीगंज, बड़ौदा में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, बड़ौदा में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख सितम्बर 1983

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है, और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अत: अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. पटेल ओगस्टीन आयर
ईत्यादि।
ब्लाक नं० 53।

(अन्तरक)

2. श्रीमती मंगला सुभाष साठे,
ब्लाक नं० 83,
आरापल्ली,
बम्बई।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

फ्लैट जो सयाजीगंज में स्थित है। सब रजिस्ट्रार, बड़ौदा में 5676 नंबर पर तारीख 19-9-83 को रजिस्टर्ड किया गया है।

आर० आर० शाह,
सक्षम प्राधिकारी
(सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-11, अहमदाबाद

तारीख: 8-5-1984
मोहर:

प्ररूप आई. टी. एन. एस.-----------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-11, अहमदाबाद

अहमदाबाद दिनांक 9 मई 1984

निदेश सं० पी० आई० नं० 2817/1/84-85—अतः मुझे, आर० आर० शाह,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० आर० एस० नं० 435 है तथा जो कन्डाल, ता० कडी में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, कडी में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख, 13-10-1983

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अंतरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. माधाभाई अम्बाराम
   शंकराभाई पीताम्बरदास
   पटेल जगदीशभाई पीताम्बरदास
   पटेल रणछोड़ भाई पीताम्बरदास
   पटेल परषोत्तम पीताम्बरदास
   पटेल पत्रिनामरत पीताम्बरदास
   कुंडाल, ता० कण्डी।

(अन्तरक)

2. मै० संघवी एसोसिएट्स,
   2120, रेखा बिल्डिंग,
   रिंग रोड़,
   बम्बई।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

जमीन जो कुन्डाल, ता० कण्डी में स्थित है जिसका नं० 435 है। सब रजिस्ट्रार कण्डी में 2127 नंबर पर ता० 13-10-83 को रजिस्टर्ड की गई है।

आर० आर० शाह
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-11, अहमदाबाद

तारीख : 9-5-1984
मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस. ---------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-11, अहमदाबाद

अहमदाबाद, दिनांक 8 मई 1984

निदेश सं० पी० आर० नं० 2818/11/84-85--अतः मुझे, आर० आर० शाह,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० नार्थ नं० 1731 है तथा जो प्रविम अपार्टमेंट, सूरत में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, सूरत में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 11-10-83

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अंतरितियों) के बीच ऐसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :--

1. श्री गोप मूलचंद मटाई
श्री राजा गोप मटाई
आम्पा लाईन्स,
सूरत।

(अन्तरक)

2. श्रीमती अरुणाबहन मुकेश मेहता
संगम सोसायटी,
सूरत।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :--

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:--इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

मिलकत जो आठवा लाईन्स, सूरत में स्थित है। सब-रजिस्ट्रार, सूरत में 8450 नंबर पर ता० 11-10-83 को रजिस्टर्ड की गई है।

आर० आर० शाह
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-II, अहमदाबाद

तारीख : 8-5-1984
मोहर :

प्ररूप आई.टी.एन.एस.----------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-II, अहमदाबाद

अहमदाबाद, दिनांक 8 मई 1984

निदेश सं० पी० आर० नं० 2819/11/84-85—अतः, मुझे, आर० आर० शाह,

आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० रश्मी अपार्टमेंट, सूरत है तथा जो सूरत स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी कार्यालय सूरत के रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन 20-10-83 को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अंतरितियों) के बीच ऐसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अंतरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री भवानी शंकर दौलतराम पंचाल,
चंद्रवियर एपार्टमेंट,
सूरत।

(अन्तरक)

2. श्री परिख जयन्तीलाल मणीलाल,
रश्मी अपार्टमेंट,
गोपीपुरा,
सूरत।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

मिलकत जो गोपीपुरा, सूरत में स्थित है जिसका क्षेत्रफल 2200 चौ० फुट है। सब रजिस्ट्रार, सूरत में 9051 नम्बर पर तारीख 10-10-83 को रजिस्टर्ड की गई है।

आर० आर० शाह
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-11, अहमदाबाद

तारीख: 8-5-1984
मोहर:

प्ररूप आई. टी. एन. एस.--------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-II, अहमदाबाद

अहमदाबाद, दिनांक 7 मई 1984

निदेश सं० पी० आर० नं० 2820/11/84-85—अतः मुझे, आर० आर० शाह,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० 61 है तथा जो अंदाडा, ता० अंकलेश्वर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, अंकलेश्वर, में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 20-10-1983

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अंतरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री जीजाभाई छीताभाई
अंदाडा,
ता० अंकलेश्वर।

(अन्तरक)

2. श्री दमयंतीसरन जयन्तीलाल भायपाला
67, पटेल सोसायटी,
भरुच।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

मिलकत जो अदाडा, ता० अंकलेश्वर में स्थित है जिसका सर्वे नं० 61 है। सब रजिस्ट्रार अंकलेश्वर में 2540 नंबर पर तारीख 20-10-83 को रजिस्टर्ड की गई है।

आर० आर० शाह
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-11, अहमदाबाद

तारीख : 7-5-1984

मोहर :

प्ररूप आई.टी.एन.एस. ----------------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-II, अहमदाबाद

अहमदाबाद, दिनांक 5 मई 1984

निदेश सं० पी० आर० नं० 2821/11/84-85—अत: मुझे, आर० आर० शाह,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० 264-1 है तथा जो गडखोल, ता० अंकलेश्वर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, अंकलेश्वर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 5-10-1983

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अंतरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अंतरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अत: अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री कुसुमसरन अभेयदास पटेल
24, शांति निकेतन सोसा,
सूरत।

(अन्तरक)

2. श्री कीरीटभाई वलसुखभाई पंड्या,
22, जयहिन्द सोसायटी,
रामबाग,
मणीनगर,
अहमदाबाद।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त संपत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

जमीन जो गडखोल में स्थित है जिसका सर्वे नं० 264-1 है और कुल क्षेत्रफल 10784 चौ० मी है। सब-रजिस्ट्रार, अंकलेश्वर में 2476/2491 नंबर पर 5-10-83 को रजिस्टर्ड की गई है।

आर० आर० शाह
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-II, अहमदाबाद

तारीख : 5-5-1984

मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस.------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-II, अहमदाबाद

अहमदाबाद, दिनांक 11 मई 1984

निदेश सं० पी० आर० नं० 2822/23-II/84-85—अतः मुझे, आर० आर० शाह,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है

और जिसकी सं० वार्ड नं० 1, नौंध नं० 435, है तथा जो नानपुरा, सूरत में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, सूरत में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 15-10-1983

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसे किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अंतरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के, अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. मै० डी० ए० कन्स्ट्रक्शन कं०,
नागपुरा,
सूरत।

(अन्तरक)

2. श्री अदी जामास्प वस्तूर,
रत्नद्वीप,
नानपुरा,
सूरत।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

मिलकत जो नानपुरा, सूरत में स्थित है जिसका नौंध नं० 435 है। सब-रजिस्ट्रार, सूरत में 8704 नंबर पर ता० 15-10-1983 को रजिस्टर्ड की गई है।

आर० आर० शाह
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-II, अहमदाबाद

तारीख : 11-5-1984
मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस. ———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-II, अहमदाबाद

अहमदाबाद, दिनांक 11 मई 1984

निदेश सं० पी० आर० नं० 2823/II/84-85—अत: मुझे, आर० आर० शाह,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० सर्वे नं० 749, मे० है तथा जो अथवा लाईन्स, सूरत में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, सूरत में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, दिनांक 27-10-1983

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से एसे दृश्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर दने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए और/या

(ख) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अत: अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री नीतिनभाई ईश्वरलाल मोदी
श्री ईश्वरलाल त्रिभोवनदास मोदी
श्री पंकज ईश्वरलाल मोदी
श्री सुमसरन ईश्वरलाल मोदी
आमा लाईन्स,
सूरत।

(अन्तरक)

2. श्री फीरोज होमी पटेल,
कोलाबा,
बंबई।
श्री दौलतपाण फिरोज पटेल,
आजन,
ता० चोर्यासी।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

मिलकत जो आम्बा लाईन्स, सूरत में स्थित है जिसका सर्वे नं० 749 है। सब रजिस्ट्रार, सूरत में 9819 नंबर पर ता० 27-10-1983 को रजिस्टर्ड की गई है।

आर० आर० शाह
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-II, अहमदाबाद

तारीख: 11-5-1984
मोहर :

प्रारुप आई. टी. एन. एस.------------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-II, अहमदाबाद

अहमदाबाद, दिनांक 8 मई 1984

निदेश सं० पी० आर० नं० 2824/II/84-85--अत: मुझे, आर० आर० शाह,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० सर्वे नं० 3267 और 3272/90 है तथा जो गोपीपुरा, सूरत में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, सूरत में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 29-10-1983

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से एसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर दोने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, या धन- (1922 का 11) या उक्त अधिनयम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए।

अत: अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1 श्रीमती चंदनबहन मानेकलाल शाह,
सुलसा अपार्टमैंट,
बम्बई।

(अन्तरक)

2. श्री सुन्दर कुमार माणेकलाल शाह,
सुलसा आर्टमेंट,
बम्बई-6

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

मिलकत जो गोपीपुरा, सूरत में स्थित है। सब रजिस्ट्रार सूरत में 10065 नंबर पर ता० 29-10-83 को रजिस्टर्ड की गई है।

आर० आर० शाह
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-II, अहमदाबाद

तारीख : 8-5-1984

मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस.-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-II, अहमदाबाद

अहमदाबाद दिनांक 11 मई 1984

निदेश सं० पी० आर० नं० 2825/11/84-85—अतः मुझे, आर० आर० शाह,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० प्लाट नं० 96, है तथा जो मंजूरागेट, सूरत में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, सूरत में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख अक्तूबर, 1983

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, एसे दृश्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अन्तरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर दोने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री रक्सा बहन डी० चीया,
नीलकंठ ए० व्यास,
उत्तराज,
सूरत।

(अन्तरक)

2. श्री जोगिन्दर आशानंद नारंग,
श्री चरणजीत आशानंद नारंग,
मजूरागेट, सूरत।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

मिलकत जो मजूरागेट, सूरत में स्थित है। सब रजिस्ट्रार सूरत में 7828 नंबर पर अक्तूबर 1983 में रजिस्टर्ड की गई है।

आर० आर० शाह
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-II, अहमदाबाद

तारीख: 11-5-1984

मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस.——

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-II, अहमदाबाद

अहमदाबाद, दिनांक 11 मई 1984

निदेश सं० पी० आर० नं० 2826/II/84-85—अत: मुझे, आर० आर० शाह,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० टी० पी० एस० नं० 51 है तथा जो आम्बा लाईन्स, सूरत में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, सूरत में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 10-10-1983

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, एसे दृश्यमान प्रतिफल के पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अंतरकों) और अंतरिती (अन्तरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) एसे किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अत: अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री जयन्तीलाल बी० नायक,
   ग्रीनपार्क,
   आम्बा लाईन्स,
   सूरत।

(अन्तरक)

2. श्री पद्मासरन उपेन्द्र अलमौला
   303, टेपीहोम अपार्टमेंट,
   सूरत।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

मिलकत जो आम्बा लाईन्स, सूरत के सामने स्थित है जिसका टी०पी० एस० नं० 5 और वार्ड नं० 13 है। सब रजिस्ट्रार, सूरत में 8440 नंबर पर ता० 10-10-83 को रजिस्टर्ड की गई है।

आर० आर० शाह
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-II, अहमदाबाद

तारीख : 11-5-1984

मोहर :

प्ररूप आई.टी.एन.एस. -------------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-II, अहमदाबाद

अहमदाबाद, दिनांक 22 मई 1984

निदेश सं० पी० आर० नं० 2827 22-II/84-85-अत: मुझे, आर० आर० शाह,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० आर० एस० नं० 503-1-2-7-8, प्लाट नं० 88 है तथा जो सयाजीगंज, बरोदा में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, बरोदा में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 14-10-1983

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए।

अत: अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री निर्मलाबेन चंदुभाई सदारंगानी
2. श्री कृष्णपा,
अलकापुरी,
बरोड़ा।

(अन्तरक)

2. सखी इंजीनियरिंग प्रायवेट लिमिटेड,
99ए, मीटल चेम्बर्स,
नरीमन पोईन्ट,
बंबई।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त संपति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :--

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:--इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

फ्लैट जो संपतराव कालोनी, नीलम अपार्टमेंट में स्थित है तथा मिल्कियत ट्रांसफर का दस्तावेज सब रजिस्ट्रार बरोदा रजिस्ट्रेशन नं० 7415/14-10-83 है।

आर० आर० शाह
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरिक्षण)
अर्जन रेंज-II, अहमदबाद

तारीख : 22-5-1984
मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस. -----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-II, अहमदाबाद

अहमदाबाद, दिनांक 22 मई 1984

निदेश सं० पी० आर० नं० 2828—अतः मुझे, आर० आर० शाह,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/-रु. से अधिक है

और जिसकी सं० आर० एस० नं० 915 है तथा जो जोखा, बरोड़ा में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, बरोड़ा में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 21-10-1983

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री रमनभाई शंकरभाई पटेल
और अन्य,
8. श्रेयनगर,
सुभानपुरा,
बरोड़ा।

(अन्तरक)

2. मेसर्स मीरेज रबर प्रोडक्ट्स,
इलेक्ट्रीक लोको शेड के सामने
नवा यार्ड,
छानी रोड़,
बरोडा।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

शेड जो जोखा नं० 915 पर स्थित है, 3830 वर्ग फिट है तथा सब रजिस्ट्रार बरोडा ट्रांसफर दस्तावेज रजिस्ट्रेशन नं० 7562/21-10-83 है।

आर० आर० शाह
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-II, अहमदाबाद

तारीख : 22-5-1984
मोहर :

प्ररूप आई.टी.एन.एस.---------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की 269-घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-II, अहमदाबाद

अहमदाबाद, दिनांक 22 मई 1984

निदेश सं० पी० आर० नं० 2829—अतः मुझे, आर० आर० शाह,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/-रु. से अधिक है

और जिसकी सं० सर्वे नं० 218–सी एस० नं० 89, प्लाट नं० ए–32 है तथा जो फारेलीबाग, बरोड़ा में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, बरोड़ा में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 4–10–1983

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अंतरितियों) के बीच ऐसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए।

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :—

1. श्री गोविंदलाल नगीनदास भावसार,
89, गांधीनगर सोसायटी,
फारेलीबाग,
बरोड़ा।

(अन्तरक)

2. श्री मनीलाल देवसी सापला,
के०/आ० भारत स्टोर्स,
कोठी पोल के सामने
रायपुरा,
बरोड़ा।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षारी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

जमीन और बिल्डिंग जो गांधीनगर सोसायटी बरोड़ा में स्थित है तथा सब रजिस्ट्रार बरोड़ा रजिस्ट्रीकर्ता ट्रांसफर दस्तखत नं० 5704/4–10–83 है।

आर० आर० शाह
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-II, अहमदाबाद

तारीख : 22–5–1984
मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस. ------------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज 2, अहमदाबाद

अहमदाबाद, दिनांक 22 मई 1984

निर्देश सं० पी० आर० नं० 2830/अर्जन रेंज–2/23–2/84–85—अत: मुझे, आर० आर० शाह

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० बोर्ड नं० 6, नोंध नं 1951 है तथा जो मधीयरपुरा, दालियानो मोहल्ला में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है, रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, सूरत में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख अक्तूबर, 1983

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अंतरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अंतरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:--

(क) अंतरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अंतरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए,

अत: अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1) श्री रणछोड़ भाई केशवभाई,
मडोरपुरा, दालियानो मोहल्ला,
सूरत।

(अन्तरक)

(2) मै० आर० टो० अपार्टमेंट को० आपरेटिव हाऊसिंग सोसाइटी,
1. श्री भरत कुमार रतिलाल शाह,
दिवाली बाग,
आतवा लाइन,
सूरत।

2. श्री अरविन्द भाई दलपत भाई शाह,
निशा अपार्टमेंट,
गोपीपुरा, सूरत।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

मिलकियत जो मधीरपुरा दालियानो मोहल्ला नोंध नं० 1951, 154 वर्ग यार्ड क्षेत्रफल पर स्थित है तथा सब रजिस्ट्रार सूरत में रजिस्ट्रीकर्ता बिक्रीखत नं० 8712/अक्तूबर, 1983 है।

आर० आर० शाह
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज–2, अहमदाबाद

तारीख : 22–5–1984

मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस.--------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज–2, अहमदाबाद

अहमदाबाद, दिनांक 22 मई 1984

निदेश सं० पी० आर० नं० 2831/अर्जन रेंज–2/23/2/84–85—अतः मुझे, आर० आर० शाह

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं बोर्ड नं० 2, नोध नं० 1933, फ्लोर नं० 2 है तथा जो संगराम पुरा, सूरत में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, सूरत में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 21 अक्तूबर, 1983

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, एसे दृश्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अंतरितियों) के बीच एसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप में कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर दोने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) मै० अरोइत कारपोरेशन,
101, रिद्धि सिद्धि अपार्टमेंट,
गुजरात मित्र प्रेस के सामने,
सोनी फलिया,
सूरत।

(अन्तरक)

(2) श्रीमती धनगौरी बेन शंकर लाल,
सी–2, बलाक नं० 32,
कैलाश नगर,
संग्राम पुर, सूरत।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

मिलकियत जो बोर्ड नं 2 नोंध नं 1933 पर स्थित जिसका क्षेत्रफल 538 वर्ग फोट है तथा सब रजिस्ट्रार, सूरत रस्ट्रीकर्ता दस्तावेज नं० 9568 दिनांक 21 अक्तूबर, 1983 है।

आर० आर० शाह
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, अहमदाबाद

तारीख : 22–5–1984
मोहर :

प्ररूप आई.टी.एन.एस.------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, अहमदाबाद

अहमदाबाद, दिनांक 25 मई 1984

निदेश सं० पी० आर० नं० 2832/अर्जन रेंज–2/23/2/84–85—अत: मुझे, आर० आर० शाह

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० आर० एस० नं० 2663 है तथा जो नडीयाद में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, नडीयाद में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 13 अक्तूबर, 1983

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से एसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अंतरिती (अंतरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर दोने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अत: अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात :—

(1) श्री हर्षदकुमार रतीलाल शाह,
पंजाबी सोसाइटी,
पवन चक्की रोड, नडीयाद ।
श्री बाबू भाई जे० भानू शालिया,
बापाजी नगर,
पवन चक्की रोड, नडीयाद ।

(अन्तरक)

(2) मै० अम्बुजा पार्क को० आपरेटिव सोसाइटी,
मार्फत श्री हरीश अम्बालाल,
331, न्यू क्लाथ मार्किट,
अहमदाबाद ।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

जमीन जो नाडियाद में स्थित है जिसका आर० एस० नं० 2663, क्षेत्रफल 222 वर्ग मीटर है तथा सब रजिस्ट्रार, नडियाद रजिस्ट्रीकर्ता ट्रांसफर दस्तावेज नं० 3867 दिनांक 13 अक्तूबर, 1983 है ।

आर० आर० शाह
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज–2, अहमदाबाद

तारीख : 25–5–1984
मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस.---------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-2, अहमदाबाद

अहमदाबाद, दिनांक 25 मई 1984

निदेश सं० पी० आर० नं० 2833/अर्जन रेंज-2/23/2/84-85--अत: मुझे, आर० आर० शाह

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० आर० एस० न० 2663 है तथा जो नडियाद में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, नडियाद में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 13 अक्तूबर, 1983

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए।

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री हर्षद कुमार रतीलाल शाह,
पजाबी सोसाइटी,
पवन चक्की रोड,
नडियाद।
2. श्री रमेशचन्द्र बाबूभाई भानूशाली,
बायाजी नगर,
पवन चक्की रोड,
नडियाद।

(अन्तरक)

(2) अम्बुजा पार्क को० आपरेटिव सोसाइटी (प्रपोज्ड),
मार्फत श्री हरीश अम्बालाल,
331, न्यू क्लाथ मार्किट,
अहमदाबाद।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

जमीन जो नडियाद में स्थित है जिसका आर० एस० नं० 2663, क्षेत्रफल 222 वर्ग मीटर है तथा सब रजिस्ट्रार, नडियाद रजिस्ट्रीकर्ता ट्रांसफर दस्तावेज नं० 3868 दिनांक 13 अक्तूबर, 1983 है।

आर० आर० शाह
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-2, अहमदाबाद

तारीख : 25-5-1984

मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस.----------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-2, अहमदाबाद

निदेश सं० पी० आर० नं० 2834/अर्जन रेंज/23/2/84-85--अतः मुझे, आर० आर० शाह

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है और जिसकी सं० बोर्ड नं० टी० पी०नं० 5, एफ० प० नं० 110 सर्वे नं० 2191 है तथा जो गुरुदर्शन अपार्टमेंट, फ्लैट नं० 3 आथवा में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, नीमच दस्तखत किया है रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 21 अक्तूबर, 1983

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अंतरितियों) के बीच ऐसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अंतरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री टी० पी० संघवी,
मार्फत संघवी कन्स्ट्रक्शन्स,
7, जगन्नाथ भवन,
वी० पी० रोड,
मुलुंड, बम्बई-80।

(अन्तरक)

(2) श्री नरेन्द्र नन्दलाल शाह,
मार्फत आदर्श केमिकल्स,
फर्टीलाइजर लिमिटेड,
उधना, सूरत।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:--

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा।

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:--इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

फ्लैट जो आथवा वार्ड, गुरुदर्शन अपार्टमेंट में स्थित है तथा निम्न दस्तखत किया हुआ आफिस 37 ईई० फार्म दिनांक 21 अक्तूबर, 1983 को प्राप्त हुआ है।

आर० आर० शाह
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-2, अहमदाबाद।

तारीख : 30-5-1984
मोहर :

प्ररूप आई॰ टी॰ एन॰ एस॰———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-2, अहमदाबाद

अहमदाबाद, दिनांक 30 मई 1984

निदेश सं॰ पी॰ आर॰ नं॰ 2835/अर्जन रेंज-2/23/2 84-85—अतः मुझे, आर॰ आर॰ शाह
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है
और जिसकी सं॰ बोर्ड नं॰ 4, टीका नं॰ 3/1, घर नं॰ 107, 10-12, 10-13 है जो जोशी मोहल्ला, नवसारी में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, नवसारी में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 19 अक्तूबर, 1983
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या किसी आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री मंगू भाई राम भाई पटेल,
की ओर से फुल मुख्त्यार :
श्री कमलेश मंगू भाई पटेल,
राम भाई माता पोल,
नवसारी।

(अन्तरक)

(2) 1. श्री जयन्ती लाल जीवन लाल प्रजाति।
एच॰ यू॰ एफ॰ के कर्ता :
श्री जयन्ती लाल जीवन लाल प्रजापति,
2. श्रीमती वीना बेन जे॰ प्रजापित :
3. श्री योगेश कुमार जे॰ प्रजापित,
4. श्रीमती रमेश बेन जे॰ प्रजापित,
5. श्री उमाकांत जे॰ प्रजापित,
6. श्री दीपक जे॰ प्रजापित,
कृष्णा सोसाइटी,
हरिहर निवास,
कनवारा के नजदीक,
नवसारी।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

मिलकियत जो नवसारी बोर्ड नं॰ 4, टीका नं॰ 3/1 घर नं॰ 1071, 1072 और 1073 में स्थित है तथा सब, रजिस्ट्रार, नवसारी में रजिस्ट्रीकर्ता दस्तावेज सं॰ 3582 दिनांक 19 अक्तूबर, 1983 है।

आर॰ आर॰ शाह
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-2, अहमदाबाद

तारीख : 30-5-1984
मोहर

प्ररूप आई.टी.एन.एस. -------------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-2, अहमदाबाद

अहमदाबाद, दिनांक 30 मई 1984

निदेश सं० पी० आर० नं० 2836—अतः मुझे आर०, आर० शाह

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० सर्वे नं० 96 है तथा जो फुलपाड़ा सूरत में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पुर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय सूरत में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख 10-10-1983

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए।

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री चन्द्रकांत छोटालाल भट्ट
नवापुरा भारकी पीठ,
जनेश गोविन्दराम भट्ट
अमलीरान माकुभई मूनसफली शेरी
वाघेश्वरी मामाकी चोल,
सूरत।

(अन्तरक)

(2) ऊर्मी को० आ० हा० सोसायटी,
प्रमुख प्रतापराव रतीलाल ओजा,
बेगमपुरा चोकी शेरी सूरत
सेक्रेटरी जयंतीलाल श्रीभोपनदास
गुरुनगर, पराछा, रोड,
सूरत।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

जमीन जो फुलपाड़ा सर्वे नं० 96 पर स्थित है तथा सब रजिस्ट्रार सूरत रजिस्ट्रीकर्ता दस्तावेज नं० 8439/10-10-83 है।

आर० आर० शाह
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-2, अहमदाबाद

तारीख : 30-5-1984
मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस.-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-2, अहमदाबाद

अहमदाबाद, दिनांक 4 जून, 1984

निदेश सं० पी० आर० नं० 2837/11/84-85--अत: मुझे, आर० आर० शाह

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/-रु. से अधिक है

और जिसकी सं० टी० पी० एस० नं० 2, एफ० पी० नं० 362 है तथा जो बड़ौदा में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी अहमदाबाद में 37ईई० के अधीन दिनांक 18 अगस्त 1983

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए;

अत: अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) 1. श्री विद्या सागर मरेज,
2. पंडित ईश्वर दास शर्मा,
14, राधे निवास,
बड़ौदा ।

(अन्तरक)

(2) श्रीमती शांता बहन छोटेलाल पटेल,
11, ताना अपार्टमेंट,
रेस कोर्स रोड,
बड़ौदा ।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

फ्लैट नं० 11 जो ताना अपार्टमेंट, बड़ौदा में स्थित है । निम्नायुक्त कार्यालय में 37ईई० के कलम मुजब पेश किया गया है । जिसकी ता० 18 अगस्त, 1983 की है ।

आर० आर० शाह
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-2, अहमदाबाद

तारीख : 4-6-1984
मोहर

प्ररूप आई. टी. एन. एस. -------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-2, बम्बई

बम्बई, दिनांक 25 मई 1984

निदेश सं० आई०-2/37 ईई०/3607—83-84—अतः मुझे, एस० एच० अब्बास आबिदी आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है और जिसकी सं० फ्लैट नं० 8, तीसरी मंजिल, स्विट होम को० आपरेटिव हाऊसिंग सोसाइटी लिमिटेड, प्लाट नं० 442, पिताम्बर लेन, माहिम, बम्बई-16 में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), जिसका करारनामा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 269 क ख के अधीन, बम्बईस्थित सक्षम प्राधिकारी के कार्यालय में रजिस्ट्री है तारीख 5 अक्तूबर, 1983 को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और यह कि अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्रीमती वीना मोहन नरवानी।

(अन्तरक)

(2) श्री नारायण दास कन्हैया लाल मेहता।

(अन्तरिती)

3. अन्तरिती

(वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

फ्लैट नं० 8, तीसरी मंजिल, स्विट होम को० आपरेटिव हाऊसिंग सोसाइटी लिमिटेड, प्लाट नं० 442, पिताम्बर, लेन, फ्लैट नं० 9, माहिम, बम्बई-16 में स्थित है।

अनुसूची जैसा कि क्रम सं० आई०-2/37 ईई०/3607/83-84 और जो सक्षम प्राधिकारी, बम्बई द्वारा दिनांक 5 अक्तूबर, 1983 को रजिस्टर्ड किया गया है।

एस० एच० अब्बास आबिदी
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-2, बम्बई

तारीख : 25-5-1984

मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस. -----------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-2, बम्बई

बम्बई, दिनांक 26 मई 1984

निदेश सं० आई०-2/37 ईई०/3644/83-84—अतः मुझे, एम० एच० अब्बास आबिदी आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० शाप नं० बी-4, शालीमार अपार्टमेंटस, टैगोर रोड और एस० वी० रोड, सांताक्रुस (पश्चिम), बम्बई-54 में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) और जिसका करारनामा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 269 क ख के अधीन, बम्बई स्थित सक्षम प्राधिकारी के कार्यालय में रजिस्ट्री है तारीख 17 अक्तूबर, 1983 को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 19(7 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए।

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्रीनाथ डेवलपमेंट कार्पोरेशन।

(अन्तरक)

(2) श्री गिरधारी लाल कुंवर जी छेड्डा।

(अन्तरिती)

3. अन्तरिती

(वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

शाप नं० बी-4, शालीमार अपार्टमेंटस, प्लाट नं० 2-ए, 2 बी, 2 डीआफ पी० पी० सी० 11 सी० एस० नं० 6/40 एच 46 और एच 48 टागोर रोड और एस वी रोड सांताक्रुज (पश्चिम) बम्बई-400054 में स्थित है

अनुसूची जैसा कि क्रम सं० आई०-2/37 ईई०/3644/83-84 और जो सक्षम प्राधिकारी, बम्बई द्वारा दिनांक 17 अक्तूबर, 1983 को रजिस्टर्ड किया गया है।

एम० एच० अब्बास आबिदी
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-2, बम्बई

तारीख : 26-5-1984
मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस.------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-2, बम्बई

बम्बई, दिनांक 2 जून 1984

निदेश सं० आई०-2/37 ईई०/3543/83-84—अत: मुझे, एस० एच० अब्बास अबिदी

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है

और जिसकी सं० फ्लैट नं० 101, पहली मंजिल, 'एक्साटिक बिल्डिंग प्लाट नं० 515, 516, 17 वां रास्ता, खार, बम्बई में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), और जिसमें करारनामा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 269 क ख के अधीन, बम्बई स्थित सक्षम प्राधिकारी के कार्यालय में रजिस्ट्री है तारीख 3 अक्तूबर, 1983

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, एसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधि-अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) एसी किसी आय या धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अत: अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) मैं० यास्मिन कारपोरेशन।

(अन्तरक)

(2) श्री दालू वासू हीरानन्दानी।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

फ्लैट नं० 101, पहली मंजिल, 'एक्जाटिक बिल्डिंग, प्लाट नं० 515, 516, 17 वां रास्ता, खार, बम्बई में स्थित है।

एस० एच० अब्बास अबिदी
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-2, बम्बई

तारीख : 2-6-1984
मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस. ————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-2, बम्बई

बम्बई, दिनांक 26 मई 1984

निदेश सं० आई०2/37 ईई०/3589/83-84—अतः मुझे, एस० एच० अब्बास अबिदी

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० ब्लाक नं० 1, माहिम को० आपरेटिव हाऊसिंग सोसाइटी लिमिटेड, मोगल लेन, माहिम, बम्बई-16 में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), और जिसका करारनामा आयकर अधिनियम, 1961 के अधीन क ख बम्बई स्थित सक्षम प्राधिकारी के कार्यालय में रजिस्ट्री है तारीख 5 अक्तूबर, 1984

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, एसे दृश्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अन्तरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री सचिता नन्द नागेश नाडकर्णी।

(अन्तरक)

(2) श्री नागेश नारायण किर्णी और श्रीमती किट्टी नागेश किर्णी ।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में तथा परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

ब्लाक नं० 1, माहिम को० आपरेटिव हाऊसिंग सोसाइटी लिमिटेड, मोगल लेन, माहिम, बम्बई-400016 में स्थित है।

अनुसूची जैसा कि क्रम सं० आई०2/37 ईई०/3589/83-84 और जो सक्षम प्राधिकारी, बम्बई द्वारा दिनांक 5 अक्तूबर, 1983 को रजिस्टर्ड किया गया है ।

एस० एच० अब्बास आबिदी
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-2, बम्बई

तारीख : 26-5-1984
मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस.--------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-2, बम्बई

बम्बई, दिनांक 26 मई, 1984

निदेश सं० अई-2/37ईई/3637/83-84—अतः मुझे, एस० एच० अब्बास अबिदि

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० फ्लैट न० 60 1-बी, 6वी मंजिल, "कल्पना अपार्टमेंट,स", "बी", शेरली राजन रोड, बान्द्रा, बम्बई-50 में स्थित है और इसमे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप मे वर्णित है), और जिसका करारनामा आयकर अधिनियम 1961 की धारा 269 कख के अधीन बम्बई स्थित सक्षम प्राधिकारी के कार्यालय में रजिस्ट्री है तारीख 17-10-1983

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अंतरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) मैसर्स नवभारत डवलपमेंट कारपोरेशन (अन्तरक)

(2) श्रीमती मीना बाई जी० सोने (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

फ्लैट नं० 601-बी, 6वीं मंजिल, "कल्पना" अपार्टमेंट्स', "बी", शेरली राजन रोड, बांद्रा, बम्बई-50 में स्थित है।

एस० एच० अब्बास अबिदि
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-2, बम्बई

दिनांक : 26-5-84
मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस. -----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-2, बम्बई

बम्बई, दिनांक 29 मई 1984

निदेश सं० अई-2/37ईई/3579/83-84—अतः मुझे, एस० एच० अब्बास अबिदी,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/-रु. से अधिक है

और जिसकी सं० शाप नं० 2, ग्राउन्ड फ्लोर, वृदांवन बिल्डिंग प्लाट नं० 16-ई, टागोर रोड, सांताक्रुज (पश्चिम), बम्बई-54 में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) और जिसका करारनामा आयकर अधिनियम 1961 की धारा 269 कख के अधीन बम्बई स्थित सक्षम प्राधिकारी के कार्यालय में रजिस्ट्री है तारीख 5-10-1983

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अंतरिती (अंतरितियों) के बीच ऐसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

*(1) मैसर्स पारेख ब्रदर्स

(अन्तरक)

(2) डा० राबिन्सन बी० पंथकी

(अन्तरिती)

(4) अन्तरक और अन्तरिती (वह व्यक्ति, जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरु करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

शाप नं० 2, ग्राउन्ड फ्लोर, वृन्दावन बिल्डिंग, प्लाट नं० 16-ई, टागोर रोड, सांताक्रुज (पश्चिम), बम्बई-54 में स्थित है।

अनुसूची जैसा कि क्रम सं० अई-2/37ईई/3579/83-84 और जो सक्षम प्राधिकारी, बम्बई द्वारा दिनांक 5-10-1983 को रजिस्टर्ड किया गया है।

एस० एच० अब्बास अबिदी
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-2, बम्बई

दिनांक : 29-5-1984
मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस.--------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-2, बम्बई

बम्बई, दिनांक 25 मई 1984

निदेश सं० अई-2/37ईई/3729/83-84--अत: मुझे, एस० एच० अब्बास अबिदि

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० फ्लैट नं० 307, मंजू महल, बी-ब्लाक, चेतक को०-आप०, हाउसिंग सोसायटी लिमिटेड, 35, पाली हिल रोड, बांद्रा, बम्बई-50, में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), और जिसका करारनामा आयकर अधिनियम की धारा 269 कख के अधीन बम्बई स्थित सक्षम प्राधिकारी के कार्यालय में रजिस्ट्री है तारीख 14-11-1983

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अत: अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्रीमती रुक्मणि टी० अडवानी (अन्तरक)

(2) श्री हरमोहन सिंह एस० गाध (अन्तरिती)

(3) अन्तरक (वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:--इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

फ्लैट नं० 307, मंजू महल, बी-ब्लाक, चेतक को० आप० हाउसिंग सोसायटी लिमिटेड, 35, पाली हिल रोड, बांद्रा, बम्बई-50, में स्थित है।

अनुसूची जैसा कि क्र० सं० अई-2/37ईई/3729/83-84 और सक्षम प्राधिकारी बम्बई द्वारा दिनांक 14-11-83 को रजिस्टर्ड किया गया है।

एस० एच० अब्बास अबिदि
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-2, बम्बई।

दिनांक : 25-5-1984
मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस.---------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-2, बम्बई

बम्बई, दिनांक 26 मई 1984

निदेश सं० अई-2/37ईई/3577/83-84—अतः मुझे, एस० एच० अब्बास अबिदि,

आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० फ्लैट नं. 1, नवनीत बिल्डिंग, 10-ए, फिरोजशाह रोड, सांताक्रुज (पश्चिम), बम्बई-54 में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), और जिसका करारनामा आयकर अधिनियम 1961 की धारा 269 कख के अधीन बम्बई स्थित सक्षम प्राधिकारी के कार्यालय में रजिस्ट्री है तारीख 5-10-1983

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अंतरकों) और अंतरिती (अंतरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिये; और या/

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के, अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(2) श्री रामनारायण बी० जोशी और श्रीमती इंदिरा आर० जोशी, मास्टर राकेश आर० जोशी और मास्टर रूपेश आर० जोशी

(अन्तरक)

(2) श्री पारसमल एम० हिंगाड़ और श्री मूलचन्द एम. हिंगाड़

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए एतद्द्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

फ्लैट नं० 1, नवनीत बिल्डिंग, 10-ए, फिरोजशाह रोड, सांताक्रुज (पश्चिम), बम्बई-54 में स्थित है।

अनुसूची जैसा कि क्र० सं० अई-2/37ईई/3577/83-84 और जो सक्षम प्राधिकारी बम्बई द्वारा दिनांक 5-10-1983 को रजिस्टर्ड किया गया है।

एस० एच० अब्बास अबिदि
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-2, बम्बई।

दिनांक : 26-5-1984

मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस. --------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-2, बम्बई

बम्बई, दिनांक 2 जून 1984

निदेश सं० अई-2/37ईई/3617/83-84—अतः मुझे, एस० एच० अब्बास अबिदी,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० फ्लैट नं० 303, एफ० पी० नं० 147, टी० पी० एस० नं० 5, मालावीया रोड, विले पार्ले (पूर्व) है तथा जो बम्बई-57 में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), और जिसका करारनामा आयकर अधिनियम 1961 की धारा 269 कख के अधीन बम्बई स्थित सक्षम प्राधिकारी के कार्यालय में रजिस्ट्री है तारीख 17-10-83

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से एसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) मैसर्स जयश्री बिल्डर्स (इंडिया) (अन्तरक)

(2) श्रीमती रजनी दिलीप शिवेश्वरकर और श्री दिलीप द्वारकानाथ शिवेश्वरकर (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में यथा परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

फ्लैट नं० 303, एफ० पी० नं० 147, टी० पी० एस० नं० 5, विले पार्ले (पूर्व), मालावीया रोड, विले पार्ले (पूर्व), बम्बई-57 में स्थित है।

एस० एच० अब्बास अबिदी
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज-2 बम्बई

तारीख : 2-6-84.
मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस. ------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-2, बम्बई

बम्बई, दिनांक 25 मई 1984

निर्देश सं० अई-2/37ईई/3620/83-84—अतः मुझे, एस० एच० अब्बास अबिदी,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/-रु. से अधिक है

और जिसकी सं० फ्लैट नं० 6, गॅम-व्हयू को-आप० हाउसिंग सोसायटी लिमिटेड, 16वां रास्ता, खार है तथा जो बम्बई-52 में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), और जिसका करारनामा आयकर अधिनियम 1961 की धारा 269 कख के अधीन बम्बई स्थित सक्षम प्राधिकारी के कार्यालय में रजिस्ट्री है तारीख 17-10-83

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्यों से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री दत्ता राम अनन्तराव सराफ।

(अन्तरक)

(2) श्रीमती किशिनदेवी संगतराम सचदेव, और श्री मुकेश संगतराम सचदेव।

(अन्तरिती)

(3) अन्तरिती।

(वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

फ्लैट नं० 6, गॅम-व्हयू को-आप० हाउसिंग सोसायटी लिमिटेड, 16वां रास्ता, खार, बम्बई-52 में स्थित है।

अनुसूची जैसाकि क्र० सं० अई-2/37ईई/3620/83-84 और जो सक्षम प्राधिकारी, बम्बई द्वारा दिनांक 17/10/83 को रजिस्टर्ड किया गया था।

एस० एच० अब्बास अबिदी
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज-2, बम्बई

तारीख : 25-5-1984.
मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस. -----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-2, बम्बई

बम्बई, दिनांक 4 जून 1984

निर्देश सं० अई-2/37ईई/3555/83-84—अत: मुझे, एस० एच० अब्बास अबिदी,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है और जिसकी सं० फ्लैट नं० 202, 2री मंजिल, "समिर बिल्डिंग", 180 पेरी रोड, बांद्रा,है तथा जो बम्बई-50 में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्णरूप से वर्णित है), और जिसका करारनामा आयकर अधिनियम 1961 की धारा 269 कख के अधीन बम्बई स्थित सक्षम प्राधिकारी, के कार्यालय में रजिस्ट्री है तारीख 3-10-83.

को पूर्वोक्त सम्पति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अंतरितियों) के बीच ऐसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अत: अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) मैसर्स सुहेल कन्सट्रक्शन्स।

(अन्तरक)

(2) श्री विनफ्रेड फेराव।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

फ्लेट सं० 202, 2री मंजिल, "समिर बिल्डिंग", 180 पेरी रोड, बांद्रा, बम्बई-50 में स्थित है।

अनुसूची जैसाकि क्र० सं० अई-2/37ईई/3555/83-84 और जो सक्षम प्राधिकारी बम्बई द्वारा दिनांक 3-10-83 को रजिस्टर्ड किया गया है।

एस० एच० अब्बास अबिदी
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-2, बम्बई

तारीख : 4-6-84.
मोहर :

प्ररूप आई.टी.एन.एस. ------------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज–I, बम्बई

बम्बई दिनांक, 11 जून 1984

निर्देश सं० अई–1/37ईई/1233/83–84—अत : मुझे, बी० जी० अग्रवाल

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/-रु. से अधिक है

और जिसकी सं० फ्लैट नं० 13, 2री मंजिल, "शिरीन" दौलत शिरीन को-आप० हाउसिंग सोसायटी लिमिटेड, 31–डी०, कुलाबा रोड़, है तथा जो बम्बई–5 में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्णरूप से वर्णित है), और जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 269 कख के अधीन बम्बई स्थित सक्षम प्राधिकारी के कार्यालय में रजिस्ट्री है, तारीख 29–10–83

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अंतरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री राबर्ट फर्नांडिस, और
(2) श्रीमती फिलिस फर्नांडिस,

(अन्तरक)

2. श्रीमती दर्शन एस० कृपलानी

(अन्तरिती)

3. अन्तरिती और उनके कुटुंब,
(वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

फ्लैट नं० 13, 2री मंजिल, "शिरीन", दौलत शिरीन को-आप० हाउसिंग सोसायटी लिमिटेड, 31–डी, कुलाबा रोड़, बम्बई–5 में स्थित है।

अनुसूची जैसे कि क्र० सं० अई–1/37ईई/1307/83–84 और जो सक्षम प्राधिकारी, बम्बई द्वारा दिनांक 29–10–83 को रजिस्टर्ड किया गया है।

बी० जी० अग्रवाल
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज–, बम्बई

तारीख : 11–6–1984

मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस. ----------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-1, बम्बई

बम्बई दिनांक 11 जून 1984

निर्देश सं० अई-1/37ईई/1124/83-84—अत: मुझे, बी० जी० अग्रवाल

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/-रु. से अधिक है

और जिसकी सं० फ्लैट नं० 902, 9वीं मंजिल, "श्री रामकृष्ण सदन", प्लाट नं० 63, स्किम नं० 52, ऑफ वरली हिल, पोचखानवाला रोड़ के बाजू में, वरली, बम्बई-18 में स्थित है (और इसमें उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), और जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 269 कख के अधीन बम्बई स्थित सक्षम प्राधिकारी के कार्यालय में रजिस्ट्री है, तारीख 5-10-1983.

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अत: अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री लक्ष्मी कन्स्ट्रक्शन्स कंपनी।

(अन्तरक)

(2) श्री सुनील दौलाराम छाब्रिया।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा,

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

फ्लैट नं० 902, 9वीं मंजिल, "श्री रामकृष्ण सदन", प्लाट नं० 63, स्किम नं० 52, आफ वरली हिल, पोचखान-वाला रोड़ के बाजू में वरली, बम्बई-18 में स्थित है।

अनुसूची जैसकि क्र० सं० अई-1/37ईई/1241/83-84और जो सक्षम प्राधिकारी, बम्बई दिनांक 5-10-1983 को रजिस्टर्ड किया गया है।

बी० जी० अग्रवाल
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-1, बम्बई

तारीख : 11-6-1984.

मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस. -----------

कायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज-1, बम्बई

बम्बई, दिनांक 12 जून 1984

निदेश सं० अई-1/37ईई/951/83-84—अत: मुझे, बी० जी० अग्रवाल,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी संख्या गाला नं० 206, 2री मंजिल, रीगल उद्योग भवन, सिवरी (पूर्व), बम्बई-15 में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), और जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 269 कख के अधीन बम्बई स्थित सक्षम प्राधिकारी के कार्यालय में रजिस्ट्री है, तारीख 6-10-83

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अत: अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री वाई० अब्बास रिजवी

(अन्तरक)

(2) मैसर्स गोयन्का इण्टरप्राइजेज

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

गाला नं० 206, 2री मंजिल, रीगल उद्योग भवन, सिवरी (पूर्व), बम्बई-15 में स्थित है।

अनुसूची जैसा कि क्र० सं० अई-1/37ईई/934/83-84 और जो सक्षम प्राधिकारी, बम्बई द्वारा दिनांक 6-10-83 को रजिस्टर्ड किया गया है।

बी० जी० अग्रवाल
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-1, बम्बई।

दिनांक : 12-6-1984

मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस.————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-1, बम्बई

बम्बई, दिनांक 8 जून 1984

निर्देश सं० अई-1/37ईई/1223/83-84—अतः मुझे, बी० जी० अग्रवाल,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० शाप नं० बी०-16, सर्वोदय नगर, ग्राउंड फ्लोर, भुलेश्वर, पांजरपोल रोड, बम्बई-4 में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), और जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 269 कख के अधीन बम्बई स्थित सक्षम प्राधिकारी के कार्यालय में रजिस्ट्री है, तारीख 29-10-83

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अंतरितियों) के बीच ऐसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अंतरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) चंपकलाल चिमणलाल शाह।

(अन्तरक)

(2) श्री महेन्द्र रामजी शाह और मुकेश रामजी शाह।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

शाप नं० बी-16, सर्वोदय नगर, ग्राउंड फ्लोअर, भुलेश्वर, पांजरपोल रोड, बम्बई-4 में स्थित है।

अनुसूची जैसा की क्र० सं० अई-1/37ईई/1301/83-84 और जो सक्षम प्राधिकारी, बम्बई द्वारा दिनांक 29-10-83 को रजिस्टर्ड किया गया है।

बी० जी० अग्रवाल
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-1, बम्बई

तारीख : 8-6-1984.
मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस.

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज–1, बम्बई

बम्बई दिनांक 8 जून 1984

निर्देश सं० अई–1/37ईई/1085/84–84—अत: मुझे, बी० जी० अग्रवाल,
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269 ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है
और जिसकी सं० यूनिट नं० 248, 2री मंजिल, केवल इंडस्ट्रियल इस्टेट, "बी" बिल्डिंग, सेनापति बापट मार्ग, बम्बई–13 में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्णरूप से वर्णित है), और जो आयकर अधिनियम 1961 की धारा 269 कख के अधीन बम्बई स्थित सक्षम प्राधिकारी के कार्यालय में रजिस्ट्री है, तारीख 3/10/83 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अंतरिती (अंतरितियों) के बीच ऐसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अंतरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए;

अत: अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :—

(1) मैसर्स शांतिलाल एण्ड भंसाली।

(अन्तरक)

(2) मैसर्स जयंत टेक्सटाईल्स,
पार्टनर श्री रमणीकांत एच० शाह।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 29-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

यूनिट नं० 248, 2री मंजिल, केवल इण्डस्ट्रियल इस्टेट, "बी०" बिल्डिंग, सेनापति बापट मार्ग, बम्बई–13 में स्थित है।

अनुसूची जैसाकि क्र० सं० अई–1/37ईई/1042/83-84 और जो सक्षम प्राधिकारी, बम्बई द्वारा दिनांक 3/10/83 को रजिस्टर्ड किया गया है।

बी० जी० अग्रवाल
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज–1, बम्बई

तारीख : 8–6–1984.
मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस.---------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-1, बम्बई

बम्बई, दिनांक 12 जून, 1984

निदेश सं० अई-1/37ईई/1069/83-84—अत: मुझे, बी० जी० अग्रवाल,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/-रु. से अधिक है

और जिसकी सं० यूनिट नं० 15, ग्राउण्ड फ्लोअर, "क्रिएटिव इण्डस्ट्रियल सेंटर", प्लाट नं० 12, एन० एम० जोशी मार्ग, आफ लोअर परेल, बम्बई में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), और जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 269 कख के अधीन बम्बई स्थित सक्षम प्राधिकारी के कार्यालय में रजिस्ट्री है, तारीख 3-10-1983

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अत: अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) मैसर्स आर० आर० इण्डस्ट्रीज (अन्तरक)

(2) मैसर्स नवरंग लेदर्स प्राइवेट लिमिटेड (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

यूनिट नं० 15, ग्राउण्ड फ्लोर, "क्रिएटिव इण्डस्ट्रियल सेंटर", प्लाट नं० 12, एन० एम० जोशी मार्ग, आफ लोअर परेल, बम्बई में स्थित है।

अनुसूची जैसा कि क्र० सं० अई-1/37ईई/1066/83-84 और जो सक्षम प्राधिकारी, बम्बई द्वारा दिनांक 3-10-83 को रजिस्टर्ड किया गया है।

बी० जी० अग्रवाल
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, बम्बई।

दिनांक : 12-6-1984

मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस. ------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-1, बम्बई

बम्बई, दिनांक 12 जून 1984

निदेश सं० अई-1/37ईई/1007/83-84—अतः मुझे, बी० जी० अग्रवाल,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/-रु. से अधिक है

और जिसकी सं० फ्लैट इन पुष्पक अपार्टमेंट, इंद्रसैन को-आप० हाउसिंग सोसायटी, 31, आल्टामाउन्ट रोड, बम्बई-26 में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), और जो आयकर अधिनियम, 1961 धारा 269 कख के अधीन बम्बई स्थित सक्षम प्राधिकारी के कार्यालय में रजिस्ट्री है, तारीख 10-10-83

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अंतरकों) और अंतरिती (अंतरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्यों से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्रीमती विजया हराकचंद देसाई (अन्तरक)

(2) श्रीमती पुष्पा दिनेश सेठ (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

फ्लैट इन पुष्पक अपार्टमेंट, इंद्रसेन को-आप०, हाउसिंग सोसायटी, 31, अल्टामाउन्ट रोड बम्बई-26 में स्थित है।

अनुसूची जैसा कि क्र० सं० अई-1/37ईई/943/83-84 और जो सक्षम प्राधिकारी, बम्बई द्वारा दिनांक 10-10-83 को रजिस्टर्ड किया गया है।

बी० जी० अग्रवाल
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज-1, बम्बई

दिनांक : 12-6-1984
मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस. ----------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-1, बम्बई

बम्बई, दिनांक 12 जून 1984

निदेश सं० अई-1/37ईई/1149/83-84—अतः मुझे, बी० जी० अगरवाल आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य, 25,000/-रु. से अधिक है

और जिसकी स० 207, हिमालय हाउस, 2री मंजिल 78, पल्टन रोड, सी० एस० न० 1494 आफ फोर्ट डिविजन, बम्बई-1 ; स्थित है और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), और जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 269 कख के अधीन बम्बई स्थित सक्षम प्राधिकारी के कार्यालय में रजिस्ट्री है, तारीख 14-10-1983 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का . . प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अंतरिती (अंतरितियों) के बीच ऐसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:--

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्रीमती हरीबाई विशीनदास गोखलानी (अन्तरक)

(2) श्री निरंजन सिंह अजवानी (अन्तरिती)

(3) श्री धरमदास विशिनदास गोखलानी (वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)।

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

207, हिमालय हाउस, 2सरी मंजिल, 78, पल्टन रोड, सी० एस० न० 1494, आफ फोर्ट डिविजन, बम्बई-1 में स्थित हैं।

अनुसूची जैसा कि क्र० सं०आई-1/37ईई/1082/83-84 जो सक्षम प्राधिकारी, बम्बई द्वारा दिनांक 14-10-1983 को रजिस्टर्ड किया गया है।

बी० जी० अगरवाल
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज-1, बम्बई

दिनांक : 12-6-1984

मोहर :

प्ररूप आई.टी.एन.एस.-----------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-1, बम्बई

बम्बई, दिनांक 11 जून 1984

निदेश सं० अई-1/37ईई/1234/83-84—अतः मुझे, बी० जी० अगरवाल

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० यूनिट नं० 27, ग्राउन्ड फ्लोर, हिंद राजस्थान इण्डस्ट्रियल इस्टेट, वडाला उद्योग भवन, नायगाम क्रास रोड, वडाला, बम्बई-31 में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), और जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 269 कख के अधीन बम्बई स्थित सक्षम प्राधिकारी के कार्यालय में रजिस्ट्री है, तारीख 10-10-1983

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री नारायण सदाशिव नन्दगांवकर (एच० यू० एफ०)

(अन्तरक)

(2) श्री युसुफनेनसी

(अन्तरिती)

(3) सेल्फ

(वह व्यक्ति, जिसके अभिभोग में सम्पत्ति है)।

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

यूनिट नं० 27, ग्राउन्ड फ्लोर हिंद राजस्थान इण्डस्ट्रियल इस्टेट, वडाला उद्योग भवन, नायगाम क्रास रोड, वडाला, बम्बई-31 में स्थित है।

अनुसूची जैसा कि क्र० सं० अई-1/37ईई/938/83-84 और जो सक्षम प्राधिकारी, बम्बई द्वारा दिनांक 10-10-1983 को रजिस्टर्ड किया गया है।

बी० जी० अगरवाल
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-1, बम्बई

दिनांक : 11-6-1984
मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस. ------------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-1, बम्बई

बम्बई, दिनांक 11 जून, 1984

निदेश सं० अई-1/37ईई/734/83-84—अत: मुझे, बी० जी० अगरवाल

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है और जिसकी सं० फ्लैट नं० 67, ए/1, अपार्टमेंट्स, 6वीं मंजिल 270, वालकेश्वर रोड, बम्बई-6 में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), और जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 269 के अधीन बम्बई स्थित सक्षम प्राधिकारी के कार्यालय में रजिस्ट्री है, तारीख 1-10-83 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अन्तरकों) और अंतरिती (अंतरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अंतरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अंतरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अंतरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अत: अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री खुशालदास चुनीलाल दाणी (अन्तरक)
2. (1) श्रीमती भगवती देवी शर्मा, (2) श्री श्रीकृष्ण कन्हैयालाल शर्मा, (3) श्री राजेन्द्र श्रीकृष्ण शर्मा और (4) श्री अशोक श्रीकृष्ण शर्मा। (अन्तरिती)
3. अन्तरक (वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)।

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

फ्लैट नं० 67, ए/1, अपार्टमेंट्स 6वीं मंजिल, 270, वालकेश्वर रोड, बम्बई-6 में स्थित है।

अनुसूची जैसा कि क्र० सं० अई-1/37ईई/861/83-84 और जो सक्षम प्राधिकारी, बम्बई द्वारा दिनांक 1-10-83 को रजिस्टर्ड किया गया है।

बी० जी० अगरवाल
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज, बम्बई

तारीख : 11-6-84

मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस. ----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

बम्बई, अर्जन रेंज-I

बम्बई, दिनांक 11 जून, 1984

निर्देश सं० आई०-1/37 ईई/1117/83-84:—अतः मुझे बी० जी० अग्रवाल,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/-रु. से अधिक है

और जिसकी सं० फ्लैट नं० 63, 6वीं मंजिल, 87, बी० वल्लभ, देसाई, रोड प्लाट सी० एस० 687, मलबार और खंबाला हिल डिविजन, बम्बई-36 स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), और जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 269 क ख के अधीन बम्बई स्थित सक्षम प्राधिकारी के कार्यालय में रजिस्ट्री है, तारीख 13-10-83

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्यों से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) (1) डा० (श्री) लाल डी० जगतीयानी, और
(2) डा० (श्रीमती) सुशीला एल० जगतयानी।
(अन्तरक)

(2) 1. श्रीमती नीलम मोती गुलराजनी,
2. श्री अनिल मोती गुलराजनी और
3. कुमारी अंजुला मोती गुलराजानी।
(अन्तरिती)

(3) श्री अनिल एम० गुलराजनी।
(वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

(4) श्रीमती निलम एम० गुलराजनी, और
कुमारी अंजुला एम० गुलराजानी।
(वह व्यक्ति, जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

फ्लैट नं० 63, छठवीं मंजिल, 87, बी० वल्लभ देसाई रोड, प्लाट सी एस० 687, मलबार और खंबाला हिल, डिवीजन, बम्बई-36 में स्थित है।

अनुसूची जैसा कि क्रम सं० आई०-1/37 ईई०/1134/83-84 ओर जो सक्षम प्राधिकारी, बम्बई द्वारा दिनांक 13 अक्तूबर, 1983 को रजिस्टर्ड किया गया है।

बी जी० अग्रवाल
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-1, बम्बई

तारीख : 11-6-1984
मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस.---------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

रेंज-1, बम्बई

बम्बई, दिनांक 11 जून 1984

निदेश सं० अई०-1/37 ईई/1214/83-84—अतः, मुझे, बी० जी० अग्रवाल

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं यूनिट नं० 323, तीसरी मंजिल, टी० वी० इण्डस्ट्रीयल इस्टेट, प्लाट नं० 248(ए), सुदाम कालू अहिरे मार्ग, वरली स्कीम-52, सी० एस० नं० 1/1629, बम्बई-18 में स्थित है और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), और जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 259 कख के अधीन स्थित बम्बई सक्षम प्राधिकारी के कार्यालय में रजिस्ट्री है तारीख 14 अक्तूबर, 1983

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री एम० जे० पटेल,
(एच० यू० एफ०)। (अन्तरक)

(2) कैप्टन पी० बी० सुखटणकर और
कैप्टन एम० बी० आजगांवकर। (अन्तरिती)

3. अन्तरिती
(वह व्यक्ति जिसके अधियोग में सम्पत्ति है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

यूनिट नं० 320 तीसरी मंजिल, टी० वी० इण्डस्ट्रीयल इस्टेट, प्लाट नं० 248(ए), सुदाम कालू अहिरे मार्ग, वरली स्किम-52, सी० एस० नं० 1/1529, बम्बई-18 में स्थित है।

अनुसूची जैसा कि क्रम सं० अई०-1/37ईई/1102/83-84 और जो सक्षम प्राधिकारी, बम्बई द्वारा दिनांक 14 अक्तूबर, 1983 को रजिस्टर्ड किया गया है।

बी० जी० अग्रवाल
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-1, बम्बई

तारीख : 11-6-1984
मोहर :

प्ररूप आई.टी.एन.एस.-----------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-4, कलकत्ता

कलकत्ता, दिनांक 21 मई 1984

निदेश सं० ए० सी०-5/रेंज-4/कलकत्ता/1983-84--अतः, मुझे, शंकर के० ब्यानार्जी

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० है तथा जो जलपाईगुड़ी में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, कलकत्ता में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 11 अक्तूबर, 1983

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, एसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:--

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर दने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:--

(1) मै० टाटा टी० लि०।

(अन्तरक)

2) मै० टी० कं० इण्डिया लि०।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :--

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :--इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

जमीन--1514.10 एकड़ जमीन का साथ मकान।

पता--कुमलाई टी इस्टेट, जलपाईगुड़ी।

दलील सं० 1983 का 10647।

शंकर के० ब्यानार्जी
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-4, कलकत्ता

तारीख 21-5-1984

मोहर :

संघ लोक सेवा आयोग

नोटिस

राष्ट्रीय रक्षा अकादमी परीक्षा, दिसम्बर, 1984

नई दिल्ली, दिनांक 7 जुलाई 1984

सं. फा. 7/2/84-प.-1-(ख)—राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के थल सेना, नौ सेना तथा वायु सेना स्कन्धों में प्रवेश हेतु, जुलाई 1985 से आरम्भ होने वाले 74वें सत्र के लिए संघ लोक सेवा आयोग द्वारा 27 दिसम्बर, 1984 से एक परीक्षा आयोजित की जाएगी।

इस परीक्षा के परिणाम के आधार पर भरी जाने वाली रिक्तियों की अनुमानित संख्या 300 (थल सेना के लिए 195, नौसेना के लिए 39 और वायु सेना के लिए 66) होंगी।

विशेष ध्यान—उम्मीदवार को आवेदन पत्र के कालम 7 में यह स्पष्ट रूप से बतलाना होगा कि वह किन सेवाओं के लिए वरीयता क्रम में विचार किए जाने का इच्छुक है। उसे यह भी सलाह दी जाती है कि वह अपनी इच्छानुसार जितनी चाहे उतनी वरीयताओं का उल्लेख करे ताकि योग्यता क्रम में उसके रैंक को ध्यान में रखते हुए नियुक्ति करते समय उसकी वरीयताओं पर भलीभांति विचार किया जा सके।

उम्मीदवारों को ध्यान रखना चाहिए कि केवल उन्हीं सेवाओं पर उनकी नियुक्ति हेतु विचार किया जाएगा जिन के लिए वे अपनी वरीयता व्यक्त करते हैं अन्य सेवा या सेवाओं पर नहीं। उम्मीदवार द्वारा अपने आवेदन प्रपत्र में पहले निर्दिष्ट वरीयता में वृद्धि/परिवर्तन के अनुरोध को आयोग स्वीकार नहीं करेगा।

आयोग द्वारा आयोजित लिखित परीक्षा तथा उसके बाद सेवा चयन बोर्ड द्वारा लिखित परीक्षा में योग्यता प्राप्त उम्मीदवारों के लिए आयोजित बौद्धिक और व्यक्तित्व परीक्षा के परिणाम के आधार पर उपर्युक्त कोर्स में प्रवेश दिया जाएगा। (क) परीक्षा की प्रणाली, स्तर और पाठ्यक्रमों, (ख) अकादमी में प्रवेश हेतु शारीरिक क्षमता स्तर तथा (ग) राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में प्रवेश पाने वाले उम्मीदवार की सेवा आदि की संक्षिप्त सूचना के सम्बन्ध में क्रमशः परिशिष्ट I, II और III में विस्तार से समझाया गया है।

टिप्पणी :—परीक्षा के सभी विषयों के प्रश्न-पत्रों में केवल वस्तुपरक प्रश्न ही होंगे। नमूने के प्रश्नों सहित अन्य विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट V में "उम्मीदवारों को सूचनार्थ विवरणिका" देख लें।

2. परीक्षा के केन्द्र: अगरतल्ला, अहमदाबाद, एजेल, इलाहाबाद, बंगलौर, भोपाल, बम्बई, कलकत्ता, चण्डीगढ़, कोचीन, कटक, दिल्ली, दिसपुर (गोहाटी), हैदराबाद, इम्फाल, ईटानगर, जयपुर, जम्मू, जोरहाट, कोहिमा, लखनऊ, मद्रास, नागपुर, पणजी (गोआ), पटना, पोर्ट ब्लेयर, रायपुर शिलांग, श्रीनगर, तिरुपति त्रिवेन्द्रम, उदयपुर और विशाखापत्तनम।

आयोग यदि चाहे तो उक्त परीक्षा के उपर्युक्त केन्द्रों तथा तारीखों में परिवर्तन कर सकता है। यद्यपि उम्मीदवारों को उक्त परीक्षा के लिए उनकी पसन्द के केन्द्र देने के सभी प्रयास किए जाएंगे तो भी आयोग परिस्थितिवश किसी उम्मीदवार को अपनी विवक्षा पर अलग केन्द्र दे सकता है। जिन उम्मीदवारों को इस परीक्षा में प्रवेश दे दिया जाता है उन्हें समय सारणी तथा परीक्षा स्थल (स्थलों) की जानकारी दे दी जाएगी। (नीचे पैरा 11) देखिए।

उम्मीदवारों को ध्यान रखना चाहिए कि केन्द्र में परिवर्तन से सम्बद्ध अनुरोध को सामान्यतया स्वीकार नहीं किया जाएगा। किन्तु जब कोई उम्मीदवार अपने उस केन्द्र में परिवर्तन चाहता है जो उसने उक्त परीक्षा हेतु अपने आवेदन में निर्दिष्ट किया था तो उसे सचिव, संघ लोक सेवा आयोग को इस बात का पूरा औचित्य बताते हुए एक पत्र रजिस्टर्ड डाक से अवश्य भेजना चाहिए कि वह केन्द्र में परिवर्तन क्यों चाहता है। ऐसे अनुरोधों पर गुणवत्ता के आधार पर विचार किया जाएगा किन्तु 27 नवम्बर, 1984 के बाद प्राप्त अनुरोधों को किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा।

3. पात्रता की शर्तें :

(क) राष्ट्रीयता :

उम्मीदवार या तो —

i. भारत का नागरिक हो, या
ii. भूटान की प्रजा हो; या
iii. नेपाल की प्रजा हो; या वह
iv. भारत में स्थायी रूप से रहने के इरादे से 1 जनवरी, 1962 से पहले भारत आया हुआ तिब्बती शरणार्थी हो; या
V भारतीय मूल का व्यक्ति हो जो भारत में स्थायी रूप से रहने के उद्देश्य से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका पूर्वी अफ्रीकी देश जैसे कीनिया, उगांडा तथा तंजानिया संयुक्त गणराज्य (भूतपूर्व टांगानिका और जंजीबार), जाम्बिया, मलावी, जेरे तथा इथोपिया और वियतनाम से प्रव्रजन कर आया हो।

परन्तु उपर्युक्त वर्ग iii, iv और v के अन्तर्गत आने वाला उम्मीदवार ऐसा व्यक्ति हो जिसको भारत सरकार ने पात्रता प्रमाण-पत्र प्रदान किया हो।

पर नेपाल के गोरखा उम्मीदवारों के लिए यह पात्रता प्रमाण-पत्र आवश्यक नहीं होगा।

(ख) आयु सीमाएं, लिंग और वैवाहिक स्थिति : केवल वे ही अविवाहित पुरुष उम्मीदवार पात्र हैं जिनका जन्म, 2 जनवरी, 1967 से पहले का या उसके बाद तथा पहली जुलाई 1969 के बाद का न हो।

टिप्पणी :—जन्म की तारीख केवल वही मान्य होगी जो मैट्रिकुलेशन/हायर-सैकण्डरी या समकक्ष परीक्षा प्रमाण पत्र में लिखी गई हो।

(ग) शैक्षिक योग्यताएं : राज्य शिक्षा बोर्ड या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की हायर सैकण्डरी परीक्षा या समकक्ष। वे उम्मीदवार भी पात्र हैं जिन्होंने स्कूली शिक्षा की 10+2 प्रणाली के अन्तर्गत 11वीं कक्षा की परीक्षा पास कर ली है।

ऐसे उम्मीदवार भी आवेदन कर सकते हैं जिन्होंने अभी हायर सैकेण्डरी या समकक्ष परीक्षा या स्कूली शिक्षा की 10+2 प्रणाली के अंतर्गत 11वीं परीक्षा पास करनी है।

सेवा चयन बोर्ड के साक्षात्कार में अर्हता प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों को 5 जुलाई, 1985 तक अपने मैट्रिकुलेशन एवम् या हायर सैकेण्डरी या समकक्ष प्रमाण-पत्र मूल रूप में सेना-मुख्यालय रिक्रूटिंग 6 (एस. पी.) (ए.), वेस्ट ब्लाक, 3 आर.के. पुरम, नई दिल्ली-110022 को प्रस्तुत करने होंगे। ऐसा न करने पर उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। ऐसे मामलों में जहां बोर्ड/विश्वविद्यालय के द्वारा अभी तक प्रणाम-पत्र जारी नहीं किए गए हों, शिक्षा संस्थाओं के प्रधानाचार्य के द्वारा दिए गए मूल-प्रमाण पत्र भी आयोग को स्वीकार्य होंगे। ऐसे प्रमाण-पत्रों की प्रमाणित सत्य प्रतिलिपियां/फोटोस्टेट प्रतियां स्वीकार नहीं की जाएंगी।

अपवाद की परिस्थितियों में आयोग किसी ऐसे उम्मीदवार को इस नियम में निर्धारित योग्यताओं से युक्त न होने पर, भी शैक्षिक रूप से योग्य मान सकता है बशर्ते कि उसके पास ऐसी योग्यताएं हों आयोग के विचार से जिनका स्तर, उसे इस परीक्षा में प्रवेश देना उचित ठहराता हो।

टिप्पणी 1 :—वे उम्मीदवार जिन्हें हायर सैकेण्डरी या समकक्ष परीक्षा में अभी अर्हता प्राप्त करनी है और जिनको संघ लोक सेवा आयोग ने परीक्षा में बैठने की अनुमति दे दी है, नोट कर लें कि उनको दी गयी यह विशेष छूट है। उन्हें हायर सैकेण्डरी या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण निर्धारित तारीख तक प्रस्तुत करना है और बोर्ड/विश्वविद्यालय परीक्षा के देर से आयोजित किये जाने, परिणाम घोषणा में विलम्ब या अन्य किसी कारण से इस तारीख को और आगे बढ़ाने से सम्बद्ध किसी भी अनुरोध को स्वीकार नहीं किया जायेगा।

टिप्पणी 2 :—जो उम्मीदवार रक्षा मंत्रालय द्वारा रक्षा सेवाओं में किसी प्रकार के कमीशन से अपवर्जित हैं, वे इस परीक्षा में प्रवेश के पात्र नहीं होंगे। अगर प्रवेश दे दिया गया तो उनकी उम्मीदवारी रद्द की जाएगी।

4. आवेदन के साथ देय शुल्क :—रु. 28.00 (अट्ठाईस रुपए) [अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए रु. 7.00 (सात रुपए)]। जिन आवेदन-पत्रों के साथ यह निर्धारित शुल्क नहीं भेजा जाएगा, उनको एकदम अस्वीकार कर दिया जाएगा।

5. शुल्क से छूट:—(1) आयोग, यदि चाहे तो निर्धारित शुल्क से छूट दे सकता है जब उसको इस बात का आश्वासन हो कि आवेदक भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान अब बंगला देश) से वस्तुत: विस्थापित व्यक्ति है जो 1-1-1964 और 25-3-1971 के बीच की अवधि में भारत में प्रव्रजन कर आया था या भूतपूर्व पश्चिमी पाकिस्तान का वास्तविक विस्थापित व्यक्ति है तथा पहली जनवरी, 1971 और 31 मार्च, 1973 के बीच की अवधि के दौरान भारत प्रव्रजन कर चुका था या वह बर्मा से वस्तुत: प्रत्यावर्तित भारतीय मूल का व्यक्ति है जो 1-6-1963 को या उसके बाद भारत में प्रव्रजन कर आया था या वह श्रीलंका से वस्तुत: प्रत्यावर्तित मूलत: भारतीय व्यक्ति है जो अक्तूबर, 1964 के भारत-श्रीलंका समझौते के अन्तर्गत 1 नवम्बर, 1964 को या उसके बाद भारत में आया था या आने वाला है और निर्धारित शुल्क देने की स्थिति में नहीं है।

(2) थल सेना के जूनियर कमीशण्ड अफसरों, नान-कमीशण्ड अफसरों तथा अन्य रैंकों और भारतीय नौसेना तथा भारतीय वायुसेना के समकक्ष रैंकों के बच्चों और थलसेना के भूतपूर्व जूनियर कमीशण्ड अफसर, भूतपूर्व नान-कमीशण्ड अफसरों तथा भूतपूर्व अन्य रैंकों और भारतीय नौ सेना तथा भारतीय वायु सेना के समकक्ष रैंकों के बच्चों को उस स्थिति में निर्धारित शुल्क देने की जरूरत नहीं होगी जब वे निम्नलिखित शर्तें पूरी कर देते हैं, अर्थात् :—

(i) वे मिलिट्री स्कूलों (पहले किंग जार्ज के स्कूलों के नाम से ज्ञात)/सैनिक स्कूल सोसायटी द्वारा चलाए जा रहे सैनिक स्कूलों में शिक्षा पा रहे हैं, और

(ii) उनके आवेदन सम्बद्ध स्कूल के प्रिंसिपल द्वारा इस अनुशंसा के साथ अग्रेषित कर दिये जाते हैं कि उनके लिखित प्रश्न-पत्रों में कुल अंकों के कम से कम 30 प्रतिशत अंक प्राप्त करने की आशा है।

टिप्पणी:—मिलिट्री स्कूलों/सैनिक स्कूलों के उम्मीदवारों के सम्बद्ध स्कूलों के प्रधानाचार्यों द्वारा अग्रेषित आवेदन-पत्रों की संवीक्षा आयोग के कार्यालय में यह निश्चय करने के लिए की जाएगी कि क्या ऐसे उम्मीदवार उपर्युक्त नोटिस के पैरा 5(2) के अन्तर्गत शुल्क से छूट के हकदार हैं। किन्तु मिलिट्री स्कूलों/सैनिक स्कूलों के प्रधानाचार्यों को अपने स्कूल के विद्यार्थियों के आवेदन पत्र आयोग को अग्रेषित करने के पहले संतुष्ट हो लेना चाहिए कि वे नोटिस की उक्त व्यवस्था की अपेक्षाओं को पूरा करते हैं। आयोग प्रधानाचार्यों के कृताकृतों के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

6. आवेदन कैसे किया जाए:—केवल राष्ट्रीय रक्षा अकादमी परीक्षा दिसम्बर, 1984 के लिए निर्धारित प्रपत्र में छपे हुए आवेदन-पत्र ही लिए जाएंगे जो इस परीक्षा के नोटिस के साथ लगे हुए हैं। आवेदन-पत्र भर कर सचिव, संघ लोक सेवा आयोग, धौलपुर हाउस, नई दिल्ली-110011 को भेजे जाने चाहिए। आवेदन प्रपत्र और परीक्षा के पूरे विवरण निम्न स्थानों से प्राप्त किए जा सकते हैं:—

1. संघ लोक सेवा आयोग के सचिव को दो रुपए मनी-आर्डर या नई दिल्ली प्रधान डाकघर पर देय रेखांकित भारतीय पोस्टल आर्डर द्वारा भेज कर सचिव, संघ लोक सेवा आयोग, धौलपुर हाउस, नई दिल्ली-110011 के यहां से डाक द्वारा;
2. दो रुपए नकद देकर आयोग के कार्यालय के काउण्टर पर;
3. निकटतम भर्ती कार्यालय, मिलिट्री एरिया/सब एरिया मुख्यालय/वायु सैनिक चयन केन्द्रों, एन.सी.सी. एकक तथा नौ सेना प्रतिष्ठानों से निशुल्क।

आवेदन प्रपत्र तथा पावती कार्ड उम्मीदवार अपने हाथ से ही स्याही या बालपैन से भरें। सभी प्रविष्टियां शब्दों में होनी चाहिएं, रेखाओं या बिन्दुओं में नहीं। अधूरा या गलत भरा हुआ आवेदन पत्र रद्द कर दिया जाएगा।

उम्मीदवार यह ध्यान रखें कि आवेदन पत्रों को भरते समय भारतीय अंकों के अन्तराष्ट्रीय रूप (अर्थात् 1, 2, 3, आदि) का ही प्रयोग किया जाना है। चाहे माध्यमिक विद्यालय छोड़ने के प्रमाण पत्र या इसके समकक्ष प्रमाण-पत्र में जन्म की तारीख हिन्दी अंकों में लिखी हो तो भी उम्मीदवार यह सुनिश्चित कर लें कि वह जो आवेदनपत्र प्रयोग में लाता है उसमें इसकी प्रविष्टि करते समय भारतीय अंकों के केवल अन्तराष्ट्रीय रूप का ही प्रयोग करें। वे इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आवेदन-पत्र में की गई प्रविष्टियां स्पष्ट और सुपाठ्य हों, यदि प्रविष्टियां अपाठ्य या भ्रामक होंगी तो उनके निर्वचन में होने वाले भ्रम तथा संदिग्धता के लिए उम्मीदवार उत्तरदायी होंगे।

उम्मीदवारों को ध्यान रखना चाहिए कि आयोग द्वारा आवेदन-पत्र में उनके द्वारा की गई प्रविष्टियों को बदलने के लिए कोई पत्र आदि स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसलिए उन्हें आवेदन-पत्र सही रूप में भरने के लिए विशेष सावधानी बरतनी चाहिए।

सभी उम्मीदवारों को आयोग को सीधे आवेदन-पत्र भेजने चाहिए। अगर किसी उम्मीदवार ने अपना आवेदन-पत्र अपने नियोक्ता के द्वारा भेजा हो और वह संघ लोक सेवा आयोग में देर से पहुंचे तो उस आवेदन-पत्र पर विचार नहीं किया जाएगा, भले ही वह नियोक्ता को आखिरी तारीख के पहले प्रस्तुत किया गया हो।

लोक उपक्रमों में सेवारत व्यक्तियों से यह अपेक्षा की जाती है कि उन्होंने अपने कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष को लिखित रूप में सूचित कर दिया है कि उन्होंने परीक्षा के लिए आवेदन किया है।

उम्मीदवारों को यह नोट कर लेना चाहिए कि यदि आयोग को उम्मीदवारों के नियोक्ताओं से कोई पत्र उम्मीदवारों को परीक्षा हेतु आवेदन करने/प्रविष्ट होने से रोकने के लिए प्राप्त होता है तो ऐसी स्थिति में उनके आवेदन-पत्र को अस्वीकृत कर दिया जाएगा/उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।

जो उम्मीदवार सशस्त्र सेना में सेवारत हैं, उन्हें अपने आवेदन-पत्र अपने कमांडिंग आफिसर को प्रस्तुत करने चाहिए जो पृष्ठांकन (आवेदन-पत्र के भाग "ख" के अनुसार) को पूरा करके आयोग को अग्रेषित करेंगे।

टिप्पणी:—भारतीय नौ सेना के नाविक (बाल या कारीगर प्रशिक्षु सहित) पहली तरजीह भारतीय नौ सेना को दें। उनके आवेदनों पर तभी विचार होगा जब वे कमान अफसर द्वारा विधिवत अनुशंसित कर दिए जाते हैं।

राष्ट्रीय इण्डियन मिलिट्री कालेज (पहले सैनिक स्कूल के नाम से ज्ञात) देहरादून के कैडेटों, मिलिट्री स्कूलों (पहले किंग जार्ज के स्कूलों के नाम से ज्ञात) तथा सैनिक स्कूल सोसायटी द्वारा चलाये जा रहे सैनिक स्कूलों के विद्यार्थियों को कालिज स्कूल के प्रिंसिपल के माध्यम से, अपने आवेदन-पत्र भेजने चाहिए।

7. भरा हुआ आवेदन-पत्र आवश्यक प्रलेखों के साथ सचिव, संघ लोक सेवा आयोग, धौलपुर हाउस, नई दिल्ली-110011 को 3 सितम्बर, 1984 (3 सितम्बर, 1984 से पहले किसी तारीख से असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर नागालैण्ड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू और कश्मीर राज्य के लद्दाख प्रभाग, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले, अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह या लक्षद्वीप और विदेशों में रहने वाले और जिनके आवेदन-पत्र उपर्युक्त में से किसी भी क्षेत्र से डाक द्वारा प्राप्त होते हैं उन उम्मीदवारों के मामले में 17 सितम्बर, 1984) तक या उससे पहले डाक द्वारा अवश्य भिजवा दिया जाए या स्वयं आयोग के काउण्टर पर आकर जमा कर दिया जाए। निर्धारित तारीख के बाद प्राप्त होने वाले किसी भी आवेदन-पत्र पर विचार नहीं किया जाएगा।

असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर नागालैण्ड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू और कश्मीर राज्य के लद्दाख प्रभाग, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले, अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह या लक्षद्वीप और विदेशों में रहने वाले उम्मीदवारों से आयोग यदि चाहे तो इस बात का लिखित प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के लिए कह सकता है कि वह 3 सितम्बर, 1984 से पहले की तारीख से असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैण्ड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू और कश्मीर राज्य के लद्दाख प्रभाग, हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले, अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह या लक्षद्वीप या विदेशों में रह रहा था।

टिप्पणी : जो उम्मीदवार ऐसे क्षेत्रों के हैं जहां के रहने वाले आवेदन की प्रस्तुति हेतु अतिरिक्त समय के हकदार हैं उन्हें आवेदन-पत्र के संगठन कलम में अपने पतों में अतिरिक्त समय के हकदार इलाके या क्षेत्र का नाम (अर्थात् असम, मेघालय, जम्मू तथा कश्मीर राज्य का लद्दाख प्रभाग आदि) स्पष्ट रूप में निर्दिष्ट करना चाहिए अन्यथा हो सकता है कि उन्हें अतिरिक्त समय का लाभ न मिले।

टिप्पणी 2: उम्मीदवार को सलाह दी जाती है कि वे अपने आवेदन-पत्र को स्वयं सं. लो. से. आ. के काउण्टर पर जमा कराएं अथवा रजिस्टर्ड डाक भेजें। आयोग के किसी अन्य कर्मचारी को दिए गए आवेदन-पत्रों के लिए आयोग उत्तरदायी नहीं होगा।

8. प्रलेख जो आवेदन-पत्र के साथ प्रस्तुत किए जाएं :—

(क) सभी उम्मीदवारों द्वारा:—

(i) रु. 28.00 (अट्ठाईस रुपए) [अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों के लिए रु. 7.00 (सात रुपए)] का शुल्क जो सचिव, संघ लोक सेवा आयोग को नई दिल्ली प्रधान डाक घर पर देय रेखांकित भारतीय पोस्टल आर्डर के जरिये या सचिव, संघ लोक सेवा आयोग के नाम भारतीय स्टेट बैंक, मुख्य शाखा, नई दिल्ली पर देय भारतीय स्टेट बैंक की किसी भी शाखा से जारी किए गए रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के जरिए भेजा जाए।

टिप्पणी:—उम्मीदवार को अपने आवेदन-पत्र प्रस्तुत करते समय बैंक ड्राफ्ट की पिछली ओर सिरे पर अपना नाम तथा पता लिखना चाहिए पोस्टल आर्डरों के मामले में उम्मीदवार पोस्टल आर्डर की पिछली ओर इस प्रयोजन के लिए निर्धारित स्थान पर अपना नाम तथा पता लिखें।

विदेश में रहने वाले उम्मीदवारों को चाहिए कि वे अपने यहां के भारत के उच्च आयुक्त, राजदूत या विदेश स्थित प्रतिनिधि जैसी भी स्थिति हो, के कार्यालय में निर्धारित शुल्क इस अनुरोध के साथ जमा करें जिससे वह "051 लोक सेवा आयोग परीक्षा शुल्क" के लेखा शीर्ष में जमा हो जाए और उसकी रसीद आवेदन-पत्र के साथ भेज दें।

(ii) आयु का प्रमाण पत्र:—आयोग जन्म की वह तारीख स्वीकार करता है जो मैट्रिकुलेशन या माध्यमिक विद्यालय छोड़ने के प्रमाण पत्र या किसी भारतीय विश्वविद्यालय द्वारा मैट्रिकुलेशन के समकक्ष माने गये प्रमाण पत्र या किसी विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित मैट्रिकुलेटों के रजिस्टर में दर्ज की गई हो और वह उद्धरण विश्वविद्यालय के समुचित प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित हो।

उम्मीदवार पूर्वोक्त मैट्रिकुलेशन या समकक्ष प्रमाण-पत्र की दो अनुप्रमाणित/प्रमाणित प्रतियां अवश्य प्रस्तुत करें। किन्तु

जिस उम्मीदवार ने हायर सैकेण्डरी परीक्षा या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है वह हायर सैकेण्डरी परीक्षा प्रमाण-पत्र या समकक्ष प्रमाण पत्र की दो अनुप्रमाणित/प्रमाणित प्रतियां प्रस्तुत कर सकते हैं।

आयु के सम्बन्ध में कोई अन्य दस्तावेज जैसे जन्मकुण्डली, शपथ पत्र, नगर निगम के सेवा अभिलेख से प्राप्त जन्म सम्बन्धी उद्धरण, तथा अन्य ऐसे ही प्रमाण-पत्र स्वीकार नहीं किए जायेंगे।

अनुदेशों के इस भाग में आए हुए "मैट्रिकुलेशन/उच्चतर माध्यमिक परीक्षा प्रमाण-पत्र" वाक्यांश के अन्तर्गत उपर्युक्त वैकल्पिक प्रमाण-पत्र सम्मिलित हैं।

कभी-कभी मैट्रिकुलेशन/उच्चतर माध्यमिक परीक्षा प्रमाण-पत्र में जन्म की तारीख नहीं होती या आयु के केवल पूरे वर्ष या वर्ष और महीने ही दिए होते हैं। ऐसे मामलों में उम्मीदवारों को मैट्रिकुलेशन/उच्चतर माध्यमिक परीक्षा प्रमाण-पत्र की अनुप्रमाणित/प्रमाणित प्रतिलिपि के अतिरिक्त उस संस्था के हैडमास्टर/प्रिंसिपल से लिए गए प्रमाण-पत्र की अनुप्रमाणित/प्रमाणित प्रतिलिपि भेजनी चाहिए जहां से उसने मैट्रिकुलेशन/उच्चतर माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण की हो। इस प्रमाण-पत्र में उस संस्था के दाखिला रजिस्टर में दर्ज की गई उसकी जन्म तारीख वास्तविक आयु लिखी होनी चाहिए। उम्मीदवारों को चेतावनी दी जाती कि यदि आवेदन-पत्र के साथ इन अनुदेशों में यथा-निर्धारित आयु का पूरा प्रमाण नहीं भेजा गया तो आवेदन-प्रपत्र अस्वीकार किया जा सकता है।

टिप्पणी 1 : जिस उम्मीदवार के पास पढ़ाई पूरी करने के बाद प्राप्त माध्यमिक विद्यालय प्रमाण-पत्र हो, उसे केवल आयु से सम्बद्ध प्रविष्टि वाले पृष्ठ की अनुप्रमाणित/प्रमाणित प्रतिलिपि भेजनी चाहिए।

टिप्पणी 2 : उम्मीदवार यह ध्यान में रखें कि आयोग उम्मीदवार की जन्म की उसी तारीख को स्वीकार करेगा जो कि आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने की तारीख को मैट्रिकुलेशन/उच्चतर माध्यमिक परीक्षा प्रमाण-पत्र या समकक्ष परीक्षा के प्रमाण-पत्र में दर्ज है और इसके बाद उसमें परिवर्तन के किसी अनुरोध पर न तो विचार किया जाएगा और न उसे स्वीकार किया जाएगा।

टिप्पणी 3 : उम्मीदवार यह भी नोट कर लें कि उनके द्वारा किसी परीक्षा में प्रवेश के लिए जन्म की तारीख एक बार घोषित कर देने और आयोग द्वारा उसे अपने अभिलेख में दर्ज कर लेने के बाद उसमें बाद में नया किसी परीक्षा में परिवर्तन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(iii) शैक्षिक योग्यता के प्रमाण प्रत्र की अनुप्रमाणित/प्रमाणित प्रतियां:—उम्मीदवार को इस आशय के प्रमाण-पत्र की दो अनुप्रमाणित/प्रमाणित प्रतियां अवश्य प्रस्तुत करनी चाहिएं कि उसके पास पैरा 3(ग) में विहित योग्यताओं में एक योग्यता है या उम्मीदवार द्वारा उसके इस प्रकार अर्जित कर लेने की संभावना है कि पैरा 3(ग) में विहित तारीख तक इसको उत्तीर्ण करने का प्रमाण दिया जा सके। जो प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए वह वही हो जो योग्यता विशेष को देने वाले प्राधिकरण (अर्थात् विश्वविद्यालय या अन्य परीक्षा निकाय) द्वारा जारी किया गया हो। यदि ऐसे प्रमाण-पत्र की अनुप्रमाणित/प्रमाणित प्रतियां प्रस्तुत नहीं की जाती हैं तो उम्मीदवार को उसके प्रस्तुत न करने की वजह बतानी चाहिए और ऐसे अन्य प्रमाण प्रस्तुत करने चाहिएं जो वह अपेक्षित योग्यता रखने के दावे के समर्थन में प्रस्तुत कर सकता है। आयोग इस प्रमाण पर गुणवत्ता के आधार पर विचार करेगा पर इसे पर्याप्त मामले के लिए बाध्य नहीं होगा।

(iv) उपस्थिति पत्रक (आवेदन पत्र के साथ संलग्न) विधिवत् भरा हुआ।

(v) उम्मीदवार के हाल ही के पासपोर्ट आकार (लगभग 5 से. मी. × 7 से. मी.) के फोटो की एक जैसी तीन प्रतियां जिनके ऊपरी हिस्से पर उम्मीदवार के हस्ताक्षर विधिवत् अंकित हों।

फोटो की एक प्रति आवेदन पत्र के प्रथम पृष्ठ पर और दूसरी प्रति उपस्थिति पत्रक पर निर्धारित स्थान पर चिपका देनी चाहिए।

(vi) लगभग 17.5 सें. मी. × 27.5 सें मी. आकार के दो बिना टिकट लगे लिफाफे, जिन पर आपका पता लिखा हुआ हो।

(ख) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों के उम्मीदवारों द्वारा:—अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति का होने के दावे के समर्थन में जहां उम्मीदवार या उसके माता पिता (या जीवित माता या पिता) आमतौर पर रहते हों, उस जिले के किसी सक्षम प्राधिकारी (प्रमाण-पत्र के नीचे उल्लिखित) परिशिष्ट IV में दिए गए प्रपत्र में लिए गए प्रमाण-पत्र की अनुप्रमाणित/प्रमाणित प्रतिलिपि।

(ग) शुल्क से छूट चाहने वाले उम्मीदवारों के द्वारा:—

i. किसी जिला अधिकारी या राजपत्रित अधिकारी या संसद या राज्य विधान मण्डल के सदस्य से लिए गए प्रमाण-पत्र की अनुप्रमाणित/प्रमाणित प्रतिलिपि जिसमें यह प्रमाणित किया गया हो कि उम्मीदवार निर्धारित शुल्क देने की स्थिति में नहीं है।

ii. वस्तुतः विस्थापित/प्रत्यावर्तित व्यक्ति होने के दावे के समर्थन में निम्नलिखित प्राधिकारियों से लिए गए प्रमाण पत्र की अनुप्रमाणित/प्रमाणित प्रतिलिपि।

(क) भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित व्यक्ति :

(i) दंडकारण्य परियोजना के ट्रांजिट केन्द्रों या विभिन्न राज्यों के राहत शिविरों का शिविर कमांडेंट।

अथवा

(ii) उस इलाके का जिला मजिस्ट्रेट जहां पर वह फिलहाल रह रहा हो।

अथवा

(iii) अपने जिले के शरणार्थी पुनर्वास का प्रभारी अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट।

अथवा

(iv) सब डिवीजनल अफसर अपने अधीनस्थ सब डिवीजन की सीमा तक।

अथवा

(v) शरणार्थी पुनर्वास उपायुक्त, पश्चिम बंगाल/निदेशक (पुनर्वास), कलकत्ता।

(ख) श्रीलंका से प्रत्यावर्तित.—

श्रीलंका में भारत का उच्चायोग।

(ग) बर्मा से प्रत्यावर्तित :--

भारतीय राजदूतावास, रंगून या उस इलाके का जिला मजिस्ट्रेट जहां पर वह रह रहा हो ।

(घ) तत्कालीन पश्चिम पाकिस्तान में विस्थापित व्यक्ति

(i) विभिन्न राज्यों में ट्रांजिट केन्द्रों या राहत शिविरों के शिविर कमांडेंट ।

अथवा

(ii) जिस इलाके का वह फिलहाल निवासी है वहां का जिला मजिस्ट्रेट ।

अथवा

(iii) अपने जिले में शरणार्थी पुनर्वास का प्रभारी अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट ।

अथवा

(iv) अपने प्रभार के अन्तर्गत सब-डिवीजन के अन्दर सब-डिवीजनल अफसर ।

अथवा

(v) उप शरणार्थी—पुनर्वास—आयुक्त ।

टिप्पणी :—उम्मीदवारों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे आवेदन-पत्र के साथ भेजे जाने वाले प्रमाण-पत्रों की अनुप्रमाणित/प्रमाणित प्रतियों पर अपने हस्ताक्षर करके भेजें तथा उस पर तारीख भी लिखें।

9. शुल्क की वापसी:—आवेदन के साथ आयोग को अदा किया गया शुल्क वापस करने के किसी अनुरोध पर नीचे की परिस्थितियों को छोड़कर विचार नहीं किया जा सकता और न वह किसी दूसरी परीक्षा या चयन के लिए सुरक्षित रखा जा सकता है:—

(i) जिस उम्मीदवार ने निर्धारित शुल्क दे दिया है, पर जिसको आयोग ने परीक्षा में बैठने नहीं दिया, उसको रु. 15.00 (पन्द्रह रुपए) [अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों के मामले में रुपए 4.00 (चार रुपए)] वापस कर दिया जाएगा । परन्तु अगर कोई आवेदन यह सूचना प्राप्त करने पर अस्वीकार कर दिया गया हो कि उम्मीदवार हायर सैकेण्डरी या समकक्ष परीक्षा में अनुत्तीर्ण हुआ है या हायर सैकेंडरी या समकक्ष परीक्षा में उत्तीर्ण होने का प्रमाण निर्धारित तारीख तक प्रस्तुत नहीं कर पाएगा तो उसके लिए शुल्क की वापसी मंजूर नहीं की जाएगी ।

(ii) जो उम्मीदवार दिसम्बर, 1983 या मई, 1984 में आयोजित राष्ट्रीय रक्षा अकादमी परीक्षा में बैठा हो और इन परीक्षाओं के परिणाम के आधार पर किसी, कोर्स के लिए उसका नाम अनुशंसित हुआ हो तो उनके मामले में रु. 28.00 (अट्ठाईस रुपए) [अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के मामले में रु. 7.00 (सात रुपए)] का शुल्क वापस दिया जा सकता है, पर यह जरूरी है कि दिसम्बर, 1984 की राष्ट्रीय रक्षा एकादमी परीक्षा के लिए अपनी उम्मीदवारी रद्द कराने और शुल्क वापस पाने के लिए उस उम्मीदवार का अनुरोध आयोग के कार्यालय में 15 फरवरी, 915 या उससे पहले पहुंच जाए।

10. आवेदन-पत्र की पावती:—आयोग के कार्यालय में प्राप्त प्रत्येक आवेदन-पत्र की जिसमें देर से प्राप्त आवेदन-पत्र सम्मिलित है, पावती दी जाती है तथा आवेदन-पत्र की प्राप्ति के प्रतीक के रूप में उम्मीदवार को आवेदन पंजीकरण संख्या जारी कर दी जाती है। यदि किसी उम्मीदवार को उक्त परीक्षा के आवेदन-पत्र प्राप्त करने के लिए निर्धारित अन्तिम तारीख से एक मास के अन्दर पावती नहीं मिलती है तो उसे तत्काल आयोग से पावती हेतु संपर्क करना चाहिए।

इस तथ्य का कि उम्मीदवार को आवेदन पंजीकरण संख्या जारी कर दी गई है अपने आप यह अर्थ नहीं है कि आवेदन-पत्र सभी प्रकार पूर्ण है और आयोग द्वारा स्वीकार कर लिया गया है।

11. आवेदन का परिणाम:—अगर किसी उम्मीदवार को अपने आवेदन के परिणाम की सूचना परीक्षा शुरू होने की तारीख से एक महीने पहले तक आयोग से प्राप्त न हुई तो उसे परिणाम की जानकारी के लिए आयोग से तत्काल संपर्क करना चाहिए । अगर इस बात का पालन नहीं हुआ, तो उम्मीदवार अपने मामले में विचार किये जाने के अधिकार से वंचित हो जाएगा ।

12. परीक्षा में प्रवेश:—किसी उम्मीदवार की पात्रता या अपात्रता के संबंध में संघ लोक सेवा आयोग का निर्णय अंतिम होगा । आयोग से प्राप्त प्रवेश प्रमाण-पत्र के बिना किसी भी उम्मीदवार को परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जाएगा ।

13. कदाचार के दोषी उम्मीदवारों के खिलाफ कार्रवाई:—उम्मीदवारों को चेतावनी दी जाती है कि वे आवेदन-पत्र भरते समय कोई गलत विवरण न दें और न किसी महत्वपूर्ण सूचना को छिपाएं। उम्मीदवार को यह भी चेतावनी दी जाती है कि उनके द्वारा प्रस्तुत किसी प्रलेख या उनकी अनुप्रमाणित/प्रमाणित प्रतिलिपि में किसी भी हालत में वे किसी तरह का संशोधन या परिवर्तन या कोई फेर-बदल न करें और न फेर-बदल किए गए/जाली प्रलेख को वे प्रस्तुत करें। अगर इस प्रकार के दो या अधिक प्रलेखों में या उनकी अनुप्रमाणित/प्रमाणित प्रतियों में कोई अशुद्धि या असंगति हो तो इस असंगति के बारे में स्पष्टीकरण प्रस्तुत करना चाहिए।

जो उम्मीदवार आयोग द्वारा निम्नांकित कदाचार का दोषी घोषित होता है या हो चुका है :—

(i) किसी प्रकार से अपनी उम्मीदवारी का समर्थन प्राप्त करना; या

(ii) किसी व्यक्ति के स्थान पर स्वयं प्रस्तुत होना; या

(iii) अपने स्थान पर किसी दूसरे को प्रस्तुत करना; या

(iv) जाली प्रलेख या फेर-बदल किए गए प्रलेख प्रस्तुत करना; या

(v) अशुद्ध या असत्य वक्तव्य देना या महत्वपूर्ण सूचना को छिपा कर रखना; या

(vi) परीक्षा के लिये अपनी उम्मीदवारी के सम्बन्ध में किसी अनियमित या अनुचित लाभ उठाने का प्रयास करना; या

(vii) परीक्षा के समय अनुचित तरीके अपनाना; या

(viii) उत्तर पुस्तिकाओं पर असंगत बातें लिखना जो अश्लील भाषा या अभद्र आशय की हों; या

(ix) परीक्षा भवन में और किसी प्रकार का दुर्व्यवहार करना; या

(x) परीक्षा चलाने के लिये आयोग द्वारा नियुक्त कर्मचारियों को परेशान करना या अन्य प्रकार की शारीरिक क्षति पहुंचाना; या

(xi) उम्मीदवारों को परीक्षा देने की अनुमति देते हुए प्रेषित प्रवेश प्रमाण-पत्र के साथ जारी किसी अनुदेश का उल्लंघन करना; या

(xii) ऊपर के खंडों में उल्लिखित सभी या किसी कदाचार को करने की कोशिश करना या करने के लिए उकसाना।

यह अपने को दण्ड-अभियोजन का शिकार बनाने के अतिरिक्त :—

(क) आयोग द्वारा अपनी किसी भी परीक्षा या आयोग द्वारा अयोग्य ठहराया जा सकता है।

अथवा

(ख) (i) आयोग द्वारा अपनी किसी भी परीक्षा या चयन के लिए;

(ii) केन्द्र सरकार द्वारा उनके अधीन किसी नियुक्ति के लिए स्थायी रूप से या कुछ निर्दिष्ट अवधि के लिए अपवर्जित किया जा सकता है; और

किन्तु शर्त यह है कि इस नियम के अधीन कोई शास्ति तब तक नहीं दी जाएगी जब तक—

(i) उम्मीदवार को इस सम्बन्ध में लिखित अभ्यावेदन, जो वह देना चाहे प्रस्तुत करने का अवसर न दिया गया हो, और

(ii) उम्मीदवार द्वारा अनुमत समय में प्रस्तुत अभ्यावेदन पर, यदि कोई विचार न कर लिया गया हो।

14. मूल प्रमाण-पत्रों का प्रस्तुतीकरण :—जो उम्मीदवार लिखित परीक्षा के परिणामों के आधार पर से. च. बोर्ड के साक्षात्कार में अर्हता प्राप्त कर लेते हैं उन्हें साक्षात्कार के तुरन्त बाद अपनी आयु तथा शैक्षिक योग्यताओं आदि के समर्थन में अपने मूल प्रमाण-पत्र मुख्यालय, आर. टी. जी. 6(एस. पी.) (ए.) वेस्ट ब्लाक III, आर. के. पुरम, नई दिल्ली-110022 को प्रस्तुत करने होंगे।

15. आवेदन के सम्बन्ध में पत्र व्यवहार :—आवेदन के सम्बन्ध में सभी पत्र-व्यवहार सचिव, संघ लोक सेवा आयोग, धौलपुर हाउस, नई दिल्ली-110011 के पते पर करना चाहिए और उसमें निम्नलिखित विवरण अवश्य होना चाहिए :—

(1) परीक्षा का नाम

(2) परीक्षा का वर्ष और महीना

(3) आवेदन पंजीकरण संख्या/रोल नम्बर या जन्म की तारीख (अगर आवेदन पंजीकरण संख्या/रोल नम्बर नहीं मिला हो)

(4) उम्मीदवार का नाम (पूरा और साफ लिखा हुआ)

(5) पत्र-व्यवहार का पता, जैसा आवेदन-पत्र में दिया है।

विशेष ध्यान :— (i) जिन पत्रों में ऊपर का ब्यौरा नहीं होगा, हो सकता है, उन पर कोई कार्रवाई न हो।

(ii) यदि किसी परीक्षा की समाप्ति के बाद किसी उम्मीदवार को पत्र/पत्रादि प्राप्त होता है तथा इसमें उसका पूरा नाम और अनुक्रमांक नहीं दिया गया है तो उस पर ध्यान नहीं दिया जाएगा और उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी।

16. पते में परिवर्तन :—उम्मीदवार को इस बात की व्यवस्था कर लेनी चाहिए कि उनके आवेदन-पत्र में दिए पते पर भेजे जाने वाले पत्र आदि आवश्यक होने पर उसके नीचे पते पर भिजवा दिए जाएं। पते में भी परिवर्तन हो उसे ऊपर के पैरा 15 में उल्लिखित विवरण के साथ आयोग को यथाशीघ्र सूचित कर देना चाहिए।

सेवा चयन बोर्ड के साक्षात्कार के लिए आयोग द्वारा अनुशंसित उम्मीदवारों ने अगर परीक्षा के लिए आवेदन करने के बाद, अपना पता बदल लिया हो तो उनको चाहिए कि परीक्षा के लिखित भाग के परिणाम घोषित होते ही अपना नया पता तत्काल सेना मुख्यालय, ए. जी., ब्रांच रिक्रूटिंग 6(एस. पी.) (ए.) वेस्ट ब्लाक III विंग-1 रामाकृष्णापुरम, नई दिल्ली-110022 को सूचित कर देना चाहिए। जो उम्मीदवार इन अनुदेशों का पालन नहीं करेगा वह सेवा चयन बोर्ड के साक्षात्कार के लिए सम्मन-पत्र न मिलने पर अपने मामले में विचार किए जाने के दावे से वंचित हो जाएगा।

यद्यपि प्राधिकारी इस प्रकार के परिवर्तनों पर पूरा-पूरा ध्यान देने का प्रयत्न करते हैं, फिर भी इस सम्बन्ध में वे अपने ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं ले सकते।

17. लिखित परीक्षा में योग्य उम्मीदवारों के साक्षात्कार के सम्बन्ध में पूछताछ :—जिन उम्मीदवारों के नाम सेवा चयन बोर्ड के साक्षात्कार हेतु रिपोर्ट करने के लिए अनुशंसित हैं उनको अपने साक्षात्कार के सम्बन्ध में सभी पूछताछ और अनुरोध सीधे सेना मुख्यालय, ए. जी. ब्रांच रिक्रूटिंग 6 (एस. पी.) (ए.) वेस्ट ब्लाक 3, विंग-1, रामाकृष्णापुरम, नई दिल्ली-110022 के पते पर लिखने चाहिए।

उम्मीदवारों को भेजे गए सम्मन-पत्र द्वारा सूचित तारीख को सेवा चयन बोर्ड के समक्ष साक्षात्कार के लिए पहुंचना है। साक्षात्कार को स्थगित करने से सम्बन्ध अनुरोध पर केवल अपवादात्मक परिस्थितियों में और प्रशासनिक सुविधा को ध्यान में रखकर ही विचार किया जाएगा जिसके लिये निर्णायक प्राधिकरण सेना मुख्यालय होगा।

जिन उम्मीदवारों के नाम संघ लोक सेवा आयोग द्वारा जारी की गई अंतिम योग्यता सूची में हैं यदि उनके पहले दिए गए पते में कोई परिवर्तन हुआ हो तो उनको अपने नवीनतम पते की सूचना मुख्यालय, ए. जी. ब्रांच रिक्रूटिंग 6(एस. पी.) (ए.) वेस्ट ब्लाक 3, विंग-1, रामाकृष्णापुरम, नई दिल्ली-110022 को दे देनी चाहिए ताकि सेना मुख्यालय द्वारा जारी किए गए कार्यभार सम्भालने के अनुदेश उन्हें समय पर मिल सकें। यदि ऐसा नहीं किया गया तो कार्यभार सम्भालने के अनुदेशों के न मिलने की जिम्मेदारी उम्मीदवारों की होगी।

18. लिखित परीक्षा के परिणाम की घोषणा :—योग्यता-प्राप्त उम्मीदवारों का साक्षात्कार—अंतिम परिणामों की घोषणा और अंतिम रूप से योग्य पाए गए उम्मीदवारों का प्रशिक्षण कोर्स में प्रवेश :—संघ लोक सेवा आयोग लिखित परीक्षा में आयोग के निर्णय पर निर्धारित न्यूनतम अर्हक प्राप्त अंक करने वाले उम्मीदवारों की एक सूची तैयार करेगा। ये उम्मीदवार बौद्धिक तथा व्यक्तित्व परीक्षणों के लिये सेवा चयन बोर्ड के सामने हाजिर होंगे जहां थल सेना—नौसेना के उम्मीदवारों की अधिकारी क्षमता तथा वायुसेना के उम्मीदवारों का पाइलट एप्टीच्यूट परीक्षण तथा अधिकारी क्षमता का निर्धारण किया जाएगा। इस परीक्षण में अधिक से अधिक 900 अंक प्राप्त किए जा सकते हैं।

उम्मीदवार सेवा चयन बोर्ड के सामने हाजिर होकर अपनी ही जोखिम पर वहां के परीक्षणों में शामिल होंगे और सेवा चयन बोर्ड में उनका जो परीक्षण होता है उसके दौरान या उसके फलस्वरूप अगर उनको कोई चोट पहुंचती है तो उसके लिए सरकार की ओर से कोई क्षतिपूर्ति या सहायता पाने के वे हकदार नहीं होंगे चाहे वह किसी व्यक्ति की लापरवाही से हो या दूसरे किसी कारण से हो। उम्मीदवारों के माता पिता या अभिभावकों को इस आशय के एक प्रमाण-पत्र पर हस्ताक्षर करने होंगे।

स्वीकृति हेतु थल सेना/नौसेना के उम्मीदवारों को (i) लिखित परीक्षा तथा (ii) प्राधिकारी क्षमता परीक्षणों में अलग-अलग न्यूनतम अर्हक अंक प्राप्त करने होंगे जो कि आयोग द्वारा उनके निर्णय के अनुसार, निश्चित किए जायेंगे और वायु सेना के उम्मीदवारों को (i) लिखित परीक्षा, (ii) अधिकारी क्षमता परीक्षण, (iii) पायलट एप्टीच्यूट परीक्षण में अलग-अलग न्यूनतम अर्हक अंक प्राप्त करने होंगे जो कि आयोग द्वारा उनके निर्णय के अनुसार निश्चित किये जायेंगे। इन शर्तों पर अर्हता प्राप्त उम्मीदवारों को उनके द्वारा लिखित परीक्षा तथा सेवा चयन बोर्ड के परीक्षणों में प्राप्त कुल अंकों के आधार पर योग्यता के अंतिम क्रम में दो अलग-अलग सूचियों में—एक थल सेना तथा नौसेना के लिये और दूसरी वायु सेना के लिये—रखा जाएगा। जो उम्मीदवार सेना के सभी अंगों के लिये अर्हता प्राप्त कर लेते हैं उनका नाम दोनों योग्यता सूचियों में होगा। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के थलसेना तथा नौसेना के विंगों में प्रवेश के लिये अंतिम चयन थल सेना तथा नौसेना की योग्यतासूची में से रिक्तियों की संख्या को देखते हुए योग्यता के क्रम से किया जाएगा और वायुसेना विंग में प्रवेश के लिए अंतिम चयन वायुसेना की योग्यता सूची में से रिक्तियों की संख्या को देखते हुए योग्यता के क्रम से किया जाएगा जो शारीरिक स्वस्थता और अन्य सभी बातों में उपयुक्तता के आधार पर होगा। जिन उम्मीदवारों के नाम दोनों योग्यता सूचियों में हैं उन पर दोनों सूचियों में चयन हेतु विचार उनके वरीयता क्रम को देखते हुए होगा और उनके एक सूची से अंतिम रूप से चुन लिये जाने पर दूसरी सूची से उनका नाम रद्द कर दिया जाएगा।

विशेष ध्यान :—वायु सेना के प्रत्येक उम्मीदवार का पायलट एप्टीच्यूट परीक्षण केवल एक बार किया जाता है। अत: उसके द्वारा प्रथम परीक्षण में प्राप्त ग्रेड वायु सेना चयन बोर्ड के सामने बाद में होने वाले प्रत्येक साक्षात्कार में स्वीकार किया जाएगा। जो उम्मीदवार पायलट एप्टीच्यूट के प्रथम परीक्षण में असफल हो जाता है वह राष्ट्रीय रक्षा अकादमी परीक्षा के वायु सेना विंग या जनरल ड्यूटीज (पायलट) ब्रांच या नेवल एयर आर्म में प्रवेश के लिए आवेदन नहीं कर सकता।

जिन उम्मीदवारों का किसी पिछले रा. र. अकादमी कोर्स में पायलट एप्टीच्यूट परीक्षण हो गया हो और उन्हें उसमें अर्हता प्राप्त कर लेने की सूचना मिल गई हो तो उन्हें इस परीक्षा के केवल वायु सेना विंग के लिए ही अपना आवेदन करना चाहिए।

अलग-अलग उम्मीदवारों को परीक्षा के परिणाम किस रूप में और किस प्रकार सूचित किये जायें इस बात का निर्णय आयोग अपने आप करेगा और परिणाम के सम्बन्ध में उम्मीदवारों से कोई पत्र-व्यवहार नहीं करेगा।

परीक्षा में सफल होने मात्र से अकादमी में प्रवेश का कोई अधिकार नहीं मिलेगा। उम्मीदवार को नियुक्ति प्राधिकारी को संतुष्ट करना होगा कि वह अकादमी में प्रवेश के लिए सभी तरह से उपयुक्त है।

19. प्रशिक्षण कोर्स में प्रवेश के लिए अनर्हताएं :—जो उम्मीदवार राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के किसी पहले कोर्स में प्रवेश पा चुके थे पर अधिकारी सुलभ विशेषताओं के अभाव के कारण या अनुशासनिक आधार पर वहां से निकाल दिये गये थे, उनको अकादमी में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।

किन्तु जिन उम्मीदवारों को अस्वस्थता के आधार पर पहले राष्ट्रीय रक्षा अकादमी से वापस ले लिया गया हो या जिन्होंने अपनी इच्छा से उक्त अकादमी छोड़ दी हो उन्हें अकादमी में प्रवेश मिल सकता है बशर्ते कि वे स्वास्थ्य तथा अन्य निर्धारित शर्तें पूरी करते हों।

20. राष्ट्रीय रक्षा अकादमी या अफसर ट्रेनिंग स्कूल में प्रशिक्षण के दौरान विवाह पर प्रतिबन्ध :—उम्मीदवारों को इस बात का वचन देना है कि जब तक उनका सारा प्रशिक्षण पूरा नहीं होगा तब तक वे शादी नहीं करेंगे। जो उम्मीदवार अपने आवेदन की तारीख के बाद शादी कर लेता है उसको प्रशिक्षण के लिए चुना नहीं जाएगा। चाहे वह इस परीक्षा में या अगली किसी परीक्षा में भले ही सफल हो। जो उम्मीदवार प्रशिक्षण काल में शादी कर लेगा उसे वापस भेजा जाएगा और उस पर सरकार ने जो पैसा खर्च किया है वह सब उससे वसूल किया जाएगा।

21. संघ लोक सेवा आयोग ने "संघ लोक सेवा आयोग की वस्तुपरक परीक्षाओं हेतु उम्मीदवार विवरणिका" शीर्षक सं. एक समूल्य पुस्तिका छापी है इसका यह उद्देश्य है कि इससे सं. लो. से. आ. की परीक्षाओं या चयनों के भावी उम्मीदवारों को सहायता मिल सके।

उक्त पुस्तिका प्रकाशन नियंत्रक, सिविल लाइन्स, दिल्ली-110054 के कार्यालय से बेची जाती है। इसे वहां से सीधे मेल आर्डर द्वारा या नकद भुगतान पर लिया जा सकता है। यह पुस्तिका केवल नकद भुगतान पर (i) किताब महल, रिवोली सिनेमा के सामने, एम्पोरियम बिल्डिंग, सी ब्लाक, बाबा खड़क सिंह मार्ग, नई दिल्ली-110001 (ii) उद्योग भवन, नई दिल्ली-110001 पर प्रकाशन शाखा के बिक्री काउण्टर और (iii) गवर्नमैन्ट आफ इण्डिया बुक डिपो, 8 के. एस. राय रोड, कलकत्ता-700001 से भी मिल सकती है। उक्त मेनुअल (विवरणिका) भारत सरकार के प्रकाशनों के विभिन्न मुफस्सिल शहरों में स्थित एजेंटों के पास भी उपलब्ध है।

एम. बालकृष्णन, उप सचिव

परिशिष्ट—1

(परीक्षा की योजना और पाठ्य विवरण)

(क) परीक्षा की योजना

1. लिखित परीक्षा के विषय नियत समय तथा प्रत्येक विषय के अधिकतम अंक निम्नलिखित होंगे :—

विषय	समय	अधिकतम अंक
1. अंग्रेजी	2 घंटे	250
2. गणित प्रश्न पत्र 1	2 घंटे	125
प्रश्न पत्र 2	2 घंटे	125
3. सामान्य ज्ञान—प्रश्न पत्र 1 (विज्ञान)	2 घंटे	200
प्रश्न पत्र 2 (सामाजिक अध्ययन, भूगोल तथा सामयिक मामले)	2 घंटे	200
		900

2. सभी विषयों के प्रश्न पत्रों में केवल वस्तुपरक प्रश्न ही होंगे। नमूने के प्रश्नों सहित अन्य विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट 5 में उम्मीदवारों को सूचनार्थ विवरणिका देख लें।

3. प्रश्न पत्र में जहां भी आवश्यक होगा, केवल तौल और माप की मीटरी पद्धति से सम्बन्धित प्रश्नों को ही पूछा जाएगा।

4. उम्मीदवारों को प्रश्न पत्रों के उत्तर अपने हाथ से लिखने चाहिए। किसी भी हालत में उन्हें प्रश्न पत्रों के उत्तर लिखने के लिए लिखने वाले की सहायता सुलभ नहीं की जाएगी।

5. परीक्षा के एक या सभी विषयों के अर्हक अंकों का निर्धारण आयोग की विवक्षा पर है।

6. उम्मीदवारों को वस्तुपरक प्रश्नपत्रों (प्रश्न पुस्तिकाओं) के उत्तर लिखने के लिए केलकुलेटर प्रयोग में लाने की अनुमति

नहीं है । अतः उन्हें कैलक्यूलेटर परीक्षा भवन में नहीं लाने चाहिए ।

(ख) परीक्षा का पाठ्य विवरण

अंग्रेजी :—अंग्रेजी का प्रश्न पत्र इस प्रकार का होगा जिससे उम्मीदवार की अंग्रेजी की समझ और शब्दों के कुशल प्रयोग का परीक्षण हो सके । पाठ्यक्रम में विभिन्न पहलू समाहित हैं जैसे व्याकरण और प्रयोगविधि, शब्दावली तथा अंग्रेजी में उम्मीदवार की प्रवीणता की परख हेतु विस्तरित परिच्छेद की बोधगम्यता तथा सम्बद्धता ।

गणित

प्रश्न-पत्र—1

अंक गणित

संख्या पद्धतियां—धनपूर्ण संख्यांक, पूर्णांक परिमेय और वास्तविक संख्याएं, मूल संक्रिया—जोड़, घटाना, गुणा और विभाजन, वर्ग मूल, दशमलव भिन्न ।

एकिक विधि—समय तथा दूरी, समय तथा कार्य, प्रतिशतता—साधारण तथा चक्रवृद्धि ब्याज, में अनुप्रयोग, लाभ तथा हानि, अनुपात और समानुपात विचरण ।

प्रारम्भिक संख्याएं सिद्धांत—विभाजन की कलन विधि, अभाज्य और भाज्य संख्याएं 1, 2, 3, 4, 5, 9 और 11 द्वारा विभाज्यता के परीक्षण अपवर्त्य और गुणन, गुणन/खण्डन, प्रमेय । महत्तम समापवर्तक तथा लघुत्तम समापवर्त्य, यूक्लिड की कलन विधि ।

आधार 10 तक लघुगणक, लघुगणक के नियम, लघुगणकीय सारणियों का प्रयोग ।

बीज गणित

आधारभूत प्रक्रियाएं : साधारण गुणनखण्ड । शेष फल प्रमेय, बहुपदों का महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्त्य; द्विघात समीकरणों का हल, इसके मूल और गुणांकों के बीच सम्बन्ध (केवल वास्तविक मूल विचार किया जाय) दो अज्ञात राशियों में युगपत समीकरण—विश्लेषण और ग्राफ सम्बन्धी हल । प्रायोगिक प्रश्न जिनसे दो चरों में दो युगपत रैखिक समीकरण बनते हैं या एक चार में द्विघात समीकरण तथा उनके हल समुच्चय भाषा तथा समुच्चय अंकन पद्धति, परिमेय, व्यंजक तथा सप्रतिबन्ध सत्समक घातांक नियम ।

त्रिकोणमिति :

ज्या ×, कोटिज्या ×, स्पर्श रेखा जब × 0° ≤ × ≥ 90° ।

ज्या ×, कोटिज्या ×, स्पर्श रेखा का मान क्योंकि × 0°, 30°, 45°, 60°, और 90°, सरल त्रिकोणमितीय तत्समक ।

त्रिकोणमितीय सारणियों का प्रयोग ।

ऊंचाइयों और दूरियों के सरल कोण ।

प्रश्न-पत्र 2

ज्यामिति

रेखा और कोण, समतल और समतल आकृति । निम्नलिखित पर प्रमेय :—

(1) किसी बिन्दु पर कोणों के गुण-धर्म,
(2) समान्तर रेखाएं,
(3) किसी त्रिभुज की भुजाएं और कोण ।
(4) त्रिभुजों की सर्वांगसमता ।
(5) समरूप त्रिभुज ।
(6) माध्यिकाओं और शीर्ष लम्बों का संगमन,
(7) समांतर चतुर्भुजों, आयात और वर्ग के कोणों, भुजाओं के विकर्णों के गुण धर्म,
(8) वृत्त और उसके गुण धर्म जिसमें, स्पर्श रेखा तथा अभिलम्ब, भी शामिल हैं ।
(9) स्थानिक संघक ।

विस्तार कलन

वर्गों, आयतों, समांतर चतुर्भुजों, त्रिभुजों और वृत्तों के क्षेत्रफल उन आकृतियों के क्षेत्रफल जो इन आकृतियों में विभाजित की जा सकती हैं । (क्षेत्रवाही) घनाभों का पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन/लम्ब, वृत्तीय शंकुओं और बेलनों का पार्श्व-पृष्ठ तथा आयतन/गोलकों का पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन ।

सांख्यिकी

सांख्यिकी तथ्यों का संग्रहण तथा सारणीयन । आलेखी निरूपणबारम्बारता बहुभुज, आयत चित्र, शलाकाचार्ट, पाई चार्ट आदि । अपरिष्कृत और समूहित आंकड़ों का परिकलन माध्य ।

सामान्य ज्ञान

दो प्रश्न-पत्र होंगे ।

प्रश्न-पत्र (1)—इसमें भौतिकी, रसायन और सामान्य विज्ञान होगा; और

प्रश्न-पत्र (2)—इसमें सामाजिक अध्ययन भूगोल और सामायिक मामले होंगे ।

इन प्रश्न-पत्रों में शामिल किये गये विषयों का क्षेत्र निम्नलिखित पाठ्य विवरण पर आधारित होगा । उल्लिखित विषयांगों को, सर्वांग नहीं मान लेना चाहिए तथा इसी प्रकार के ऐसे विषयांगों पर भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं जिनका पाठ्य-विवरण में उल्लेख नहीं किया गया है । उम्मीदवारों के उत्तरों से प्रश्नों को बोधगम्य ढंग से समझने की मेधा और ज्ञान का पता चलना चाहिए ।

प्रश्न-पत्र—1

विज्ञान

सामान्य विज्ञान प्रश्न-पत्र 1 में निम्नलिखित पाठ्यविवरण शामिल होगा :—

(क) द्रव्य के भौतिक गुण धर्म तथा स्थितियां, संहति भार, आयतन, घनत्व तथा विशिष्ट गुरुत्वाकर्षण । आर्कमिडीज का नियम, दाब, वायुदाब मापी ।

बिंब की गति । वेग और त्वरण । न्यूटन के गति नियम । बल और संवेगों । बल समान्तर चतुर्भुज । पिंड का स्थायित्व और संतुलन । गुरुत्वाकर्षण कार्य, शक्ति और ऊर्जा का प्रारम्भिक ज्ञान ।

ऊष्मा का प्रभाव । तापमान का नाम और ऊष्मा । स्थित परिवर्तन और गुप्त ऊष्मा । ऊष्मा अभिगमन विधियां ।

ध्वनि तरंगें और उनके गुण धर्म । सरल वाद्य यंत्र ।

प्रकाश का ऋजुरेखीय चरण । परावर्तन और अपवर्तन गोलीय दर्पण और लेन्सेस, मानव नेत्र ।

प्राकृतिक तथा कृत्रिम चुम्बक । चुम्बक के गुणधर्म । पृथ्वी चुम्बक के रूप में ।

स्थैतिक तथा धारा विद्युत । चालक और अचालक । ओम नियम—1. साधारण विद्युत परिपथ । धारा के तापन, प्रकाश, तथा चुम्बकीय प्रभाव । वैद्युत शक्ति के माप । प्राथमिक और गौण सेल । एक्स-रे के उपयोग ।

निम्नलिखित के कार्य संचालन के सामान्य सिद्धांत ।

सरल लोलक । सरल घिरनी, साइफन, उत्तोलक, गुब्बारा, पम्प । हाइड्रोमीटर, प्रेशर कुकर, थर्मस फ्लास्क, ग्रामोफोन टेलीग्राफ, टेलीफोन, पेरिस्कोप टेलिस्कोप, माइक्रोस्कोप, नाविक दिकसूचक, तड़ित चालक सुरक्षा फ्यूज ।

(ख) भौतिक तथा रसायनिक परिवर्तन तत्व। मिश्रण तथा यौगिक। प्रतीक सूत्र और सरल रासायनिक समीकरण। रासायनिक संयोग के नियम (समस्याओं को छोड़कर) वायु और जल के रासायनिक गुण धर्म।

हाइड्रोजन, आक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन-डाईआक्साइड की रचना और गुण धर्म। आक्सीकरण और अपचयन।

अम्ल, क्षारक और लवण।

कार्बन—भिन्न रूप।

उर्वरक—प्राकृतिक और कृत्रिम।

साबुन, कांच स्याही, कागज, सीमेंट, पेंट, दियासलाई और गन पाउडर, जैसे पदार्थों को तैयार करने के लिए प्रयुक्त सामग्री।

परमाणु की रचना, परमाणु तुल्यमान और अणुभार अनुभाग संयोजकता का प्रारम्भिक ज्ञान।

(ग) जड़ और चेतन में अन्तर।

जीव कोशिकाओं, जीव द्रव और ऊतकों का आधार।

वनस्पति और प्राणियों में वृद्धि और जनन।

मानव शरीर और इसके महत्वपूर्ण अंगों का प्रारम्भिक ज्ञान।

सामान्य महामारियां उनके कारण तथा रोकने के उपाय।

खाद्य—मनुष्य के लिए ऊर्जा का स्रोत। खाद्य का संघटन।

संतुलित आहार।

सौर परिवार। उल्का और धूमकेतु। ग्रहण।

प्रतिष्ठित वैज्ञानिकों की उपलब्धियां।

टिप्पणी :—इस प्रश्न पत्र के अधिकतम अंकों में सामान्यतया भाग (क), (ख) और (ग) के लिए क्रमश: 50 प्रतिशत, 30 प्रतिशत और 20 प्रतिशत अंक होंगे।

प्रश्न-पत्र-II

(सामाजिक अध्ययन, भूगोल और सामयिक मामले)।

सामान्य ज्ञान प्रश्न-पत्र में निम्नलिखित पाठ्यविवरण शामिल होगा :—

(क) भारतीय इतिहास का मोटे-तौर पर सर्वेक्षण तथा संस्कृति और सभ्यता की विशेष जानकारी।

भारत का स्वतन्त्र आन्दोलन।

भारतीय संविधान और प्रशासन का प्रारम्भिक अध्ययन।

भारत की पंचवर्षीय योजनाओं, पंचायती राज, सहकारी समितियों और सामुदायिक विकास की प्रारम्भिक जानकारी।

भूदान सर्वोदय, राष्ट्रीय, एकता और कल्याणकारी राज्य। महात्मा गांधी के मूल उपदेश।

आधुनिक विश्व को प्रभावित करने वाली शक्तियां, पुनर्जागरण। अन्वेषण और खोज। अमरीका का स्वाधीनता संग्राम। फ्रांसीसी क्रांति, औद्योगिक क्रांति, रूसी क्रांति, समाज पर विज्ञान और औद्योगिक का प्रभाव।

एक विश्व की संकल्पना, संयुक्त राष्ट्र। पंचशील, लोकतंत्र, समाजवाद, साम्यवाद वर्तमान विश्व में भारत का योगदान।

(ख) पृथ्वी, इसका आकृति और आकार, अक्षांश और रेखांश। समय। संकल्पना। अन्तर्राष्ट्रीय तारीख रेखा। पृथ्वी की गतियां और उसके प्रभाव। पृथ्वी का उद्भाव-चट्टानें और उनका वर्गीकरण।

अपक्षय-रसायनिक और भौतिक। भूचाल तथा ज्वालामुखी। महासागर धाराएं और ज्वार भाटे।

वायुमंडल और इसका संघटन। तापमान और वायुमण्डलीय दाब भू-मण्डलीय पवन, चक्रवात और प्रतिचक्रवात आर्द्रता। द्रवण और वर्षण जलवायु के प्रकार।

विश्व के प्रमुख प्राकृतिक क्षेत्र।

भारत का क्षेत्रीय भूगोल—जलवायु, प्राकृतिक, वनस्पति, खनिज और शक्ति साधन, कृषि और औद्योगिक कार्यकलापों के स्थान और वितरण। महत्वपूर्ण समुद्री पतन, भारत के मुख्य समुद्री भू और वायु मार्ग। भारत के आयात और निर्यात की मुख्य मदें।

(ग) हाल ही के वर्षों में भारत में हुई महत्वपूर्ण घटनाओं की जानकारी। सामयिक महत्वपूर्ण विश्व घटनायें।

महत्वपूर्ण व्यक्ति—भारतीय और अन्तर्राष्ट्रीय इनमें सांस्कृतिक कार्यकलापों और खेल-कूद से सम्बन्धित महत्वपूर्ण व्यक्ति भी शामिल हैं।

टिप्पणी :—इस प्रश्न पत्र के अधिकतम अंकों में सामान्यतया इस भाग (क), (ख) और (ग) के लिए क्रमश: 40 प्रतिशत, 40 प्रतिशत और 20 प्रतिशत अंक होंगे।

बुद्धि तथा व्यक्तित्व परीक्षण

उम्मीदवार की बुनियादी बुद्धि की जांच करने के लिए साक्षात्कार के अतिरिक्त मौखिक तथा लिखित बुद्धि परीक्षा ली जाएगी। उनके ग्रुप परीक्षण भी किये जायेंगे, जैसे ग्रुप परिचर्चा, ग्रुप योजना, बहिरंगग्रुप कार्यकलाप तथा उन्हें निर्दिष्ट विषयों पर संक्षिप्त व्याख्यान देने के लिए कहा जाएगा। ये सभी परीक्षण उम्मीदवारों की मेधाशक्ति की जांच के लिए हैं। मोटे तौर पर ये परीक्षण वास्तव में न केवल उसके बौद्धिक गुणों की जांच के लिए हैं अपितु इनसे उसकी सामाजिक विशेषताओं तथा सामयिक घटनाओं के प्रति दिलचस्पी का भी पता चलेगा।

परिशिष्ट-II

राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में प्रवेश के लिए उम्मीदवारों के शारीरिक मानक के मार्गदर्शक संकेत

टिप्पणी :—उम्मीदवारों को निर्धारित शारीरिक मानकों के अनुसार शारीरिक रूप से स्वस्थ होना आवश्यक है। स्वस्थता सम्बन्धी मानक नीचे दिए हैं।

बहुत से अर्हताप्राप्त उम्मीदवार बाद में स्वास्थ्य के आधार पर अस्वीकृत कर दिए जाते हैं। इसलिए उम्मीदवारों को उनके अपने हित में सलाह दी जाती है कि वे अंतिम अवस्था पर निराशा से बचने के लिए आवेदनपत्र भेजने से पहले अपने स्वास्थ्य की जांच करा लें।

सेवा चयन बोर्ड द्वारा अनुसंशित उम्मीदवार को सेवा के चिकित्सा अधिकारियों के बोर्ड द्वारा स्वास्थ्य परीक्षा करानी होगी। अकादमी या प्रशिक्षणशाला में केवल उन्हीं उम्मीदवारों को प्रवेश दिया जायेगा जो चिकित्सा बोर्ड द्वारा, स्वस्थ घोषित कर दिए जाते हैं। चिकित्सा बोर्ड का कार्यवृत्त गोपनीय होता है जिसे किसी को नहीं दिखाया जायेगा। किन्तु अस्थायी/अस्थायी रूप से अयोग्य घोषित उम्मीदवारों को उनके परिणाम की जानकारी चिकित्सा बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा दे दी जाएगी तथा उम्मीदवारों को चिकित्सा बोर्ड से अपील का अनुरोध करने की प्रक्रिया भी बता दी जायेगी। उम्मीदवारों के लिए सारणी रूप में दिए गए निर्धारित शारीरिक मानकों के अनुसार स्वस्थ होना आवश्यक है।

(क) उम्मीदवारों का शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य ठीक होना चाहिए तथा उन्हें ऐसी बीमारी अशक्तता

से मुक्त होना चाहिए जिससे उनके कुशलतापूर्वक कार्य करने में बाधा पड़ सकती हो।

(ख) उनमें कमजोर शारीरिक गठन/दैहिक दोष या वजन की कमी नहीं होनी चाहिए ।

(ग) कद कम से कम 157.5 से. मी. (नौसेना के लिए 157 से. मी. तथा वायु सेना के लिए 162.5 से. मी.) का हो। गोरखा और भारत के उत्तर पूर्व क्षेत्र के पर्वतीय प्रदेशों गढ़वाल तथा कुमाऊं के व्यक्तियों का 5 से. मी. कम कद स्वीकार्य होगा । लक्षद्वीप के उम्मीदवारों के मामले में न्यूनतम कद में 2 से. मी. की कमी भी स्वीकार की जा सकती है। कद और वजन के मानक नीचे दिए जाते हैं :—

कद और वजन के मानक

सेंटीमीटरों में कद (बिना जूता)	किलोग्राम में वजन		
	15–16 वर्ष	16–17 वर्ष	17–18 वर्ष
152	41.0	42.5	44.0
155	42.0	43.5	45.3
157	43.5	45.0	47.0
160	45.0	46.5	48.0
162	46.5	48.0	50.0
165	48.0	50.0	52.0
167	49.0	51.0	53.0
170	51.0	52.5	55.0
173	52.5	54.5	57.0
175	54.5	56.0	59.0
178	56.0	58.0	61.0
180	58.[illegible]	60.0	63.0
183	61.0	62.5	65.0

उपर्युक्त सारणी में दिए गए औसत वजन से 10 प्रतिशत कम ज्यादा (नौसेना के लिए 6 कि. ग्रा. कम ज्यादा) वजन सामान्य सीमा के अन्दर माना जाएगा । किन्तु भारी हड्डियों वाले लम्बे चौड़े व्यक्तियों तथा पतले पर अन्यथा स्वस्थ व्यक्तियों के मामले में गुणवत्ता के आधार पर इसमें कुछ छूट दी जा सकती है ।

टिप्पणी 1:—ऐसे मामलों में जहां चिकित्सा बोर्ड यह प्रमाणित कर देता है कि उम्मीदवार प्रशिक्षण पूरा होने तक बढ़कर अपेक्षित मानक तक हो सकता है कद में 2.5 सें. मी. की छूट दी जा सकती है ।

टिप्पणी 2:—वायु सेना में पायलट के रूप में विशेष अपेक्षाओं की पूर्ति हेतु टांग की लम्बाई जंघा की लम्बाई तथा बैठे हुए लम्बाई की स्वीकार्य माप निम्न प्रकार होगी.—

	न्यूनतम	अधिकतम	
टांग की लम्बाई	99.00	120	सें० मी०
जंघा की लम्बाई		64.00	सें० मी०
बैठे हुए लम्बाई	81.50	96.00	सें० मी०

राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के उम्मीदवारों की कम उम्र के कारण 5.0 सें. मी. तक ऊंचाई में 2.5 सें. मी. (न्यूनतम) तक टांग की लम्बाई में और 1.0 सें. मी. (न्यूनतम) तक बैठे हुए ऊंचाई में गुंजाइश दी जा सकती है बशर्ते कि चिकित्सा बोर्ड ने प्रमाणित कर दिया हो कि उम्मीदवार में बढ़ोत्तरी हो सकती है और राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में प्रशिक्षण पूरा होने तक यह अपेक्षित स्तर प्राप्त कर सकता है ।

(घ) छाती भली प्रकार विकसित होनी चाहिए तथा पूरा सांस लेने के बाद इसका न्यूनतम फैलाव 5 सें. मी. होना चाहिए । माप इस तरह [illegible] कर की जाएगी कि इसका निचला किनारा सामने चूचुक से लगा रहे और फीते का ऊपरी भाग पीछे स्कन्ध फलक [illegible] के निचले कोण (लोयर एन्गिल) को छूते रहना चाहिए । छाती का एक्सरे करना जरूरी है इससे यह जानने के लिए किया जाएगा कि छाती को कोई रोग तो नहीं ।

(ङ) शरीर में हड्डियों और जोड़ों का कोई रोग नहीं होना चाहिए उम्मीदवारों की रीढ़ की हड्डी का एक्स-रे नेमी तौर पर नहीं किया जाएगा किन्तु नैदानिक संकेत मिलने पर सर्जरी विशेषज्ञ की सलाह पर किया जाएगा, ऐसे जन्मजात दोष गुणवत्ता [illegible] स्वीकार किए जा सकते हैं जिनमें सेना कर्त्तव्यों के निष्पादन में बाधा पड़ने की संभावना न हो।

वायु सेना के लिए मेरुदण्ड की हालत

(च) नीचे लिखा पिछला स्वास्थ्य वृत वायु सेना के लिए अयोग्य ठहराने वाला है:

(1) मेरुदण्ड या निरंतर जोड़ों की ऐसी बीमारी चाहे उसके वास्तविक लक्षण हों या न हों—जिसकी वजह से उम्मीदवार शारीरिक रूप से सक्रिय जीवन सफलतापूर्वक न बिता सकता हो ।

(2) प्रोलैप्स अन्तराक शेरुक बिम्ब तथा उस अवस्था के लिए शल्य चिकित्सा ।

(छ) मेरुदण्ड की पूरी नैदानिक जांच की जानी है जिसमें उसकी आकृति स्थानिक कोमलता, यदि कोई है, मेरुदण्ड की हरकत आदि शामिल है केवल हवाई कर्मी के कार्य के वास्ते उम्मीदवारों के लिए कटित्रिक कशेरुक का एक्स-रे (ए. पी, तथा पार्श्विक दृश्यता किया जाना है।

(ज) हलका काइफोसिस या लोडोसिस जहां विरूपता मुश्किल से दिखाई देती है जहां दर्द की वह हरकत में रुकावट की शिकायत नहीं है, स्वीकृति में बाधा नहीं बनेगा।

(झ) दिखाई पड़ने वाले स्कोलिओसिस के या अन्य किसी तरह की असामान्यता या मेरुदण्ड की विरूपता का जो मामूली से अधिक हो—संदेह होने पर मेरुदण्ड का उपयुक्त एक्सरे लिया जाना है और परीक्षार्थी को विशेषज्ञ की सलाह हेतु प्रस्तुत करना है ।

(ञ) एक्स-रे परीक्षा के बाद पाई गई निम्नलिखित अवस्थाएं वायु सेना में प्रवेश हेतु अयोग्यता का कारण मानी जाएंगी:—

1. मेरुदण्ड की ग्रैन्युलोमेटस बीमारी
2. आर्थराइटिस स्पोंडिलोसिस
3. कालपद्धति से प्रमाणित स्कोलियोसिस जो 15 से अधिक हो ।
4. मामूली से ज्यादा काइफोसिस लोडोसिस
5. स्पोंडिलोसथैसिस स्पोंडिलिसिस
6. हरनिएटिड (न्यूक्लिअपल्पोसस)
7. कशेरुक का संपाडन विभंग ।
8. श्वैरमेन की बीमारी ।
9. प्रदर्शनीय तंत्रकीय या परिसंचारी अभाव के साथ [illegible] पर्शुका ।
10. मेरुदण्ड सम्बन्धी अन्य असामान्यता यदि विशेषज्ञ का ऐसा मत हो ।

(ट) उम्मीदवार मानसिक विकृति या दौरे पड़ने का पिछला रोगी नहीं होना चाहिए ।

(ठ) उम्मीदवार सामान्य रूप से सुन सके । उम्मीदवार को इस योग्य होना चाहिए कि वह शांत कमरे में प्रत्येक कान से 610 से. मी. की दूरी से जोर की कानाफूसी सुन सके । कर्णनासिका की पिछली या अबकी बीमारी का कोई प्रमाण न हो ।

वायु सेना के लिए श्रव्यतामितिक परीक्षण किए जायेंगे । 250 एच. जैड़. 400 एच. जैड. के बीच की आवर्तियों में श्रव्यतामितिक कमी + 10 डेसिबल से अधिक नहीं हो ।

(ड) हृदय या रक्तवाहिकाओं से सम्बन्ध में कोई क्रियात्मक या आंगिक रोग नहीं होना चाहिए । रक्त दाब सामान्य हो ।

(ढ़) उदरपेशियां सुविकसित हों तथा जिगर या तिल्ली बढ़ी हुई न हो । उदर के आंतरिक अंग की कोई बीमारी होने पर उम्मीदवार अस्वीकृत कर दिया जाएगा ।

(ण) यदि किसी उम्मीदवार को हर्निया है और उसकी शल्य चिकित्सा न की गई हो, तो वह उम्मीदवार अनुपयुक्त होगा । यदि हर्निया की शल्य चिकित्सा हो गई हो तो वह वर्तमान परीक्षा से कम से कम एक वर्ष पहले हुई हो और उसका जख्म भी पूरी तरह ठीक हो चुका है।

(त) हाइड्रोसिल, वेरिकोसिल या पाइल्स का रोग नहीं होना चाहिए ।

(थ) मूत्र की परीक्षा की जाएगी और यदि इसमें कोई असामान्यता मिलती है तो इस पर उम्मीदवार अस्वीकृत हो जाएगा ।

(द) अशक्तता लाने या आकृति बिगाड़ने वाले चर्म रोग के होने पर उम्मीदवार अस्वीकृत किया जाएगा ।

(ध) उम्मीदवार को दूर दृष्टि चार्ट में प्रत्येक आंख से ऐनक सहित या ऐनक बिना नौसेना के लिए ऐनक बिना 6/6, 6/9 और वायु सेना के लिए केवल ऐनक बिना 6/6 पढ़ने में समर्थ होना चाहिए । मायोपिया 2.5 डी. तथा हायपरमेट्रोपिया 3.5 डी. (एस्टिगमेटिज्म सहित) से अधिक नहीं होना चाहिए । यह जानने के लिए आंख में कोई रोग तो नहीं है आंख की आन्तरिक परीक्षा ऑपथलमास्कोप से की जाएगी । उम्मीदवार के दोनों नेत्रों की दृष्टि अच्छी होनी चाहिए। वर्ण दृष्टि का मानक सी. पी. [illegible] के लिए सी. पी. III होगा । उम्मीदवार में लाल व हरे रंगों को पहचानने की क्षमता होनी चाहिए । नौसेना उम्मीदवारों के लिए एम. एल. टी. द्वारा सी. पी. तथा रात्रि दृष्टि की तीक्ष्णता सामान्य होनी चाहिए तथा उनको इस आशय का प्रमाण पत्र देना होगा कि उसे या उसके परिवार के किसी सदस्य को जन्मजात रतौंधी आने का रोग नहीं हुआ है ।

नौसेना के उम्मीदवारों का दृष्टि मानक—

दूर की दृष्टि—6/6, 6/9 [illegible] 6/9.

पास की दृष्टि—प्रत्येक आंख एन.—5

वर्ण दृष्टि—एम, एल. टी. द्वारा सी. पी. 1 ।

अपेक्षाकृत अच्छी आंख में मायोपिया 0.5 डायोप्ट्रेस से बढ़े नहीं और हायपर मट्रोपिया 1.50 डायोप्ट्रेस से अधिक न हो और अपेक्षाकृत खराब आंख में 2.50 डायोप्ट्रेस से अधिक न हो ।

दृष्टि सम्बन्धी पेशी सन्तुलन—मैडाक्स रॉड टेस्ट के साथ हैट्रोफोरिया निम्न से अधिक विचलन न हो :—

(1) 6 मीटर पर एक्सोफोरिया 8 प्रिज्म डायोप्ट्रेस एसोफोरिया 8 प्रिज्म डायोप्ट्रेस हायपरफोरिया 1 प्रिज्म डायोप्ट्रेस

(2) 30 सें० मी० पर एक्सोफोरिया 16 प्रिज्म डायोप्ट्रेस एसोफोरिया 6 प्रिज्म हायपरफोरिया 1 प्रिज्म डायोप्ट्रेस ।

वायु सेना के लिए निम्नलिखित मानदण्ड हैं :

दूर की दृष्टि	[illegible]
पास की दृष्टि	प्रत्येक आंख की एन०-5
वर्ण दृष्टि	सी० पी० (एम० टी० एल०)
मनीफैस्ट हाइपरमेट्रोपिया	2.00 डी० से अधिक नहीं
मायोपिया	0.00 कुछ नहीं
स्टिगमेटिज्म	00+0.75 डी०

पेशी सन्तुलन :-

मेडाक्स रोड टेस्ट के साथ हैट्रोफोरिया निम्नलिखित से अधिक न हो :-

(1) 6 मीटर पर एक्सोफोरिया	6 प्रिज्म डायोप्ट्रेस
एसोफोरिया	6 प्रिज्म डायोप्ट्रेस
हाइपर/हाइपो-फोरिया	1 प्रिज्म डायोप्ट्रेस
(2) 33 सें० मी० पर	
में एक्सोफोरिया	6 प्रिज्म डायोप्ट्रेस
एसोफोरिया	6 प्रिज्म डायोप्ट्रेस
हाइपर हाइपो-फोरिया	1 प्रिज्म डायोप्ट्रेस
द्विनेत्र दृष्टि	अच्छी द्विनेत्री दृष्टि का होना अनिवार्य है (फ्यूजन तथा स्टरिओप्सिस) तथा साथ में अच्छा आयाम व गहनता

(न) (iii) उम्मीदवार के पर्याप्त संख्या में कुदरती व मजबूत दांत होने चाहिए । कम से कम 14 दांत बिन्दु वाला उम्मीदवार स्वीकार्य है । जब 32 दांत होते हैं तब कुल 12 दांत होते हैं ।

उम्मीदवार को तीव्र पायरिया का रोग नहीं होना चाहिए ।

(प) वायुसेना के उम्मीदवारों के लिए रुटीन ई. सी. जी. तथा ई. ई. जी. सामान्य सीमा में होने जरूरी है ।

परिशिष्ट-III

(सेवा आदि का संक्षिप्त विवरण)

1. अकादमी में भर्ती होने से पूर्व माता-पिता या संरक्षक को निम्नलिखित प्रमाणपत्र पर हस्ताक्षर करने होंगे :—

(क) इस आशय का प्रमाण-पत्र कि वह यह समझता है कि किसी प्रशिक्षण के दौरान या उसके परिणामस्वरूप यदि उसे कोई चोट लग जाये या ऊपर निर्दिष्ट किसी कारण से या अन्यथा आवश्यक किसी सर्जिकल आपरेशन या संवेदनाहरक दवाओं के परिणामस्वरूप उसमें कोई शारीरिक अशक्तता आ जाने या उसकी मृत्यु हो जाने पर वह या उसके वैध उत्तराधिकारी या सरकार के विरुद्ध किसी मुआवजे या अन्य प्रकार की राहत का दावा करने का हक न होगा ।

(ख) इस आशय का बन्ध पत्र कि यदि किसी ऐसे कारण से जो उसके नियन्त्रण में समझे जाते हैं उम्मीदवार पाठ्यक्रम पूरा होने से पहले वापस आना चाहता है या कमीशन अस्वीकार कर देता है तो उस पर शिक्षा शुल्क, भोजन वस्त्र पर किए गए व्यय तथा तथा दिए गए वेतन और भत्ते की कुल राशि या उतनी राशि जो सरकार निश्चित करे उसे वापस करनी होगी ।

2. आवास, पुस्तकें, वर्दी, बोर्डिंग और चिकित्सा सहित प्रशिक्षण के खर्च को सरकार वहन करेगी। उम्मीदवार के माता-पिता या संरक्षक से यह आशा की जाती है कि उम्मीदवार का जेब खर्च वे खुद बर्दाश्त करेंगे । सामान्यतया इन खर्चों के 75.00 रुपये से अधिक होने की संभावना नहीं है। यदि किसी कैडेट के माता पिता या संरक्षक इस खर्च को भी पूरा या आंशिक रूप में बर्दाश्त करने में असमर्थ हो तो पहले और दूसरे

वर्ष के लिए रु. 75.00 तक और राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में तीसरे वर्ष के प्रशिक्षण के लिए रु. 80.00 और थल सेना/नौ/वायु सेना प्रशिक्षण प्रतिष्ठानों में आगे वशिष्ट के प्रशिक्षण रु. 90.00 तक सरकार द्वारा वित्तीय सहायता दी जा सकती है। लेकिन जिन उम्मीदवारों के माता पिता या संरक्षक की मासिक आय रु. 500.00 या इससे अधिक हो वे इस वित्तीय सहायता पात्र नहीं होंगे। वित्तीय सहायता की पात्रता निर्धारित करने के लिए अचल सम्पत्तियां और सभी साधनों से होने वाली आय का भी ध्यान रखा जाएगा ।

यदि उम्मीदवार के माता पिता संरक्षक सरकार से किसी प्रकार की वित्तीय सहायता प्राप्त करने के इच्छुक हों तो उन्हें अपने पुत्र संरक्षित के राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में प्रशिक्षण के लिए अंतिम रूप से चुने जाने के तुरन्त बाद अपने जिले के जिला मजिस्ट्रेट के माध्यम से एक आवेदन पत्र देना चाहिए जिसे जिला मजिस्ट्रेट अपनी अनुशंसा सहित राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, खड़कवासला पुणे (411023) के कमांडेंट को अग्रेषित कर देगा।

3. अकादमी में प्रशिक्षण के लिए अंतिम रूप से चुने गए, उम्मीदवारों को आने पर कमांडेंट राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के पास निम्नलिखित राशि जमा होगी:—

	रु०
(क) प्रतिमास 75.00 रु० के हिसाब से पांच महीने का जेब खर्च	375.00
(ख) वस्त्र तथा उपस्कर की मदों के लिये	650.00
(ग) I सेमिस्टर के दौरान आकस्मिक व्यय	[illegible]
योग	1175.00

उम्मीदवारों को वित्तीय सहायता मंजूर हो जाने पर उपर्युक्त राशि में से नीचे लिखी राशि वापस कर दी जाएगी :—

	रु०
(क) 75.00 रु० प्रति माह के हिसाब से पांच महीने का जेब खर्च	375.00
(ख) वस्त्र तथा उपस्करों की मदों के लिए लगभग . .	475.00

4. राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में निम्नलिखित छात्रवृत्तियां उपलब्ध हैं :—

(1) परशुराम भाऊ पटवर्धन छात्रवृत्ति :—यह छात्रवृत्ति महाराष्ट्र तथा कर्नाटक के कैडेटों को दी जाती है जिनके माता-पिता की आय सभी साधनों से रु. 350.00 तथा रु. 500.00 के बीच हो । छात्रवृत्ति की राशि सरकारी वित्तीय सहायता के बराबर होगी। जब तक कैडेट राष्ट्रीय रक्षा अकादमी या अन्य कमीशन पूर्व प्रशिक्षण प्रतिष्ठानों में रहेगा तब तक के लिए वह प्राप्त होगी किन्तु शर्त यह है कि कैडेट का व्यवहार अच्छा रहे और वह संतोषजनक प्रगति करता रहे और उसके माता-पिता की आय निर्धारित सीमा से कम रहे। जिन कैडेटों को यह छात्रवृत्ति दी जाएगी उन्हें सरकार से अन्य वित्तीय सहायता नहीं दी जाएगी :—

(2) कर्नल कैंडिल फ्रेंक मेमोरियल छात्रवृत्ति:— यह छात्रवृत्ति है जो भूतपूर्व सैनिक का पुत्र हो । यह छात्रवृत्ति सरकार से प्राप्त वित्तीय सहायता के अतिरिक्त होगी ।

(3) कौर सिंह मेमोरियल छात्रवृत्ति:—दो छात्रवृत्तियां उन दो कैडेटों को प्रदान की जाती हैं जिन्हें बिहार के उम्मीदवारों में उच्चतम स्थान प्राप्त हो । प्रत्येक छात्रवृत्त 37.00 रु. प्रति मास की है तथा अधिकतम चार वर्ष के लिए राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, खड़कवासला में प्रशिक्षण के दौरान तथा उसके बाद भारतीय सेना अकादमी, देहरादून तथा वायु सेना फ्लाइंग कालिज तथा नौसेना अकादमी, कोचीन में जहां कैडेट को प्रशिक्षण के लिए राष्ट्रीय रक्षा अकादमी प्रशिक्षण पूर्ण करने पर भेजा जाएगा, दी जाती रहेगी। छात्रवृत्ति तभी मिलती रहेगी जब कैडेट उपर्युक्त संस्थाओं में अच्छी प्रगति करता रहे ।

(4) असम सरकार छात्रवृत्तियां :—दो छात्रवृत्तियां असम के कैडेटों को प्रदान की जाएंगी। प्रत्येक छात्रवृत्ति 30.00 रु. प्रति मास की रहेगी। तथा जब तक छात्र राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में रहेगा उसे मिलती रहेगी। छात्रवृत्ति असम के दो सर्वोत्तम कैडेटों को उनके माता-पिता की आय पर ध्यान दिये बिना प्रदान की जायेगी। जिन कैडेटों को यह छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी उन्हें सरकार की ओर से अन्य वित्तीय सहायता प्रदान नहीं की जाएगी ।

(5) उत्तर प्रदेश सरकार छात्रवृत्तियां:—दो छात्रवृत्तियां 30.00 रु. प्रति मास की तथा 400.00 रुपये की परिधान वृत्ति उत्तर प्रदेश सरकार के दो कैडेटों की योग्यता तथा आय के आधार पर राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में संतोषजनक प्रगति करने पर तीन वर्ष के लिये दी जाएगी। जिन कैडेटों को तीन छात्रवृत्तियां मिलेंगी, उन्हें अन्य प्रकार की वित्तीय सहायता सरकार से नहीं मिलेगी ।

(6) केरल सरकार छात्रवृत्ति :—पूरे वर्ष के लिये 480 रु. की एक योग्यता छात्रवृत्ति रा. अकादमी में प्रशिक्षण की पूरी अवधि के लिए केरल राज्य द्वारा उस कैडेट को दी जाती है जो केरल राज्य का अधिवासी निवासी हो और जो रा. र. अकादमी हेतु अखिल भारतीय सं. लो. स. आ. प्रत्येक प्रवेश परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त कर लेता है भले हो उसने वह परीक्षा राष्ट्रीय भारतीय सेना कालिज से या भारत भर में किसी सैनिक स्कूल से उत्तीर्ण की हो। ऐसा करते समय कैडेट के पिता संरक्षक की आर्थिक स्थिति पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है।

(7) बिहारी लाल मंदाकिनी पुरस्कार:—यह 500.00 रुपये का नकद पुरस्कार सर्वोत्तम बंगाली लड़के को अकादमी से प्रत्येक कोर्स के लिये मिलता है; आवेदन प्रपत्र कमांडेंट, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी से मिलते हैं।

(8) उड़ीसा सरकार छात्रवृत्तियां:—तीन छात्रवृत्तियां—एक थल सेना, एक नौसेना तथा वायु सेना के कैडेट के लिए प्रत्येक 80.00 रु. प्रति मास के हिसाब से उड़ीसा सरकार द्वारा उन कैडेटों को दी जाएगी जो उड़ीसा राज्य के स्थायी निवासी हैं। इनमें से दो छात्रवृत्तियां कैडेटों की योग्यता तथा आय साधन के आधार पर दी जायेंगी जिनके माता-पिता या अभिभावक की आय रु. 5,000 प्रति वर्ष से अधिक न हो तथा तीसरी छात्रवृत्ति बिना उसके माता-पिता या अभिभावकों की आय का ध्यान में रखते हुए सर्वोत्तम कैडेट को दी जाएगी ।

(9) पश्चिमी बंगाल सरकार छात्रवृत्तियां :—निम्नलिखित वर्गों की छात्रवृत्तियां पश्चिमी बंगाल सरकार द्वारा उन कैडेटों को दी जाएगी जो पश्चिमी बंगाल के स्थायी निवासी हैं :—

(क) वर्ग 1 :—ये छात्रवृत्तियां—(थल सेना, नौसेना तथा वायु सेना के लिए एक-एक) 360.00 रुपये प्रति वर्ष पहले और दूसरे वर्ष के लिए और अकादमी में तीसरे वर्ष के लिए तथा विशेष प्रशिक्षण संस्था में चौथे वर्ष के लिए 480.00 रु. तथा इसके अतिरिक्त 400.00 रुपये परिधान वृत्ति। यह उन कैडेटों को दी जाएगी जो अकादमी में कोई अन्य छात्रवृत्ति पाने के पात्र नहीं हैं ।

(ख) वर्ग 2:—तीन छात्रवृत्तियां 100 रुपये प्रति वर्ष एक मुश्त सरकारी वित्तीय सहायता के अतिरिक्त दी जाएगी ।

(10) पायलट अफसर गुरमीत सिंह बेदी मैमोरियल छात्रवृत्ति:—रु. 420 प्रतिमास की एक छात्रवृत्ति ऐसे कैडेट को दी जाती है जो वायु सेना कैडेटों के चौथे सत्र के अन्त में योग्यता में सर्वोत्तम होगा। यह एक वर्ष की अवधि के लिए होगी। पांचवें और छठे सत्र के दौरान यह छात्रवृत्ति बंद कर दी जायेगी। यदि प्राप्तकर्ता रेलीगेट कर दिया गया हो या इसके प्राप्त करने की अवधि में छोड़ कर चला गया हो। जो कैडेट इस प्रकार की पहले से ही कोई योग्यता छात्रवृत्ति या वित्तीय सहायता ले रहा है, उस छात्रवृत्ति नहीं दी जाएगी ।

(11) हिमाचल प्रदेश सरकार छात्रवृत्तियां:—हिमाचल प्रदेश के कैडेटों को चार छात्रवृत्तियां प्रदान की जाएंगी। प्रशिक्षण के प्रथम दो वर्षों के लिए छात्रवृत्तियां 30.00 रुपये प्रतिमास तथा प्रशिक्षण के तीसरे वर्ष के लिए 40.00 रुपये प्रतिमास मिलेगी। यह छात्रवृत्ति उन कैडेटों को मिलेगी जिनके माता-पिता की मासिक आय 500.00 रुपये प्रति मास से कम होगी। जो कैडेट सरकार से वित्तीय सहायता ले रहा हो उसे छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी ।

12. तमिलनाडु सरकार की छात्रवृत्ति:—तमिलनाडु सरकार ने राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में प्रति कोर्स 30 रु. प्रतिमास की एक छात्रवृत्ति तथा साथ में 400 रु. सज्जा भत्ता (कैडेट के प्रशिक्षण की पूरी अवधि के दौरान केवल एक बार) देना शुरू किया है जो उस कैडेट को दिया जाएगा जो तमिलनाडु राज्य का हो तथा जिसके अभिभावक संरक्षक की मासिक आय 500 रु. से अधिक न हो। पात्र कैडेट अपना आवेदन कमाण्डेंट राष्ट्रीय अकादमी वहां पहुंचाने पर प्रस्तुत कर सकते हैं ।

(13) कर्नाटक सरकार की छात्रवृत्तियां:—कर्नाटक सरकार ने प्रति वर्ष 18 (अठारह) छात्रवृत्तियां—9 जनवरी, से शुरू होने वाले कोर्सों के लिए और 9 जुलाई से शुरू होने वाले कोर्सों के लिए कर्नाटक राज्य के उन कैडेटों को दी है जो सैनिक स्कूल, बीजापुर या राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कालेज, देहरादून में अपनी शिक्षा पूरी करके राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में आते हैं। इन छात्रवृत्तियों की राशि 480.00 रुपये प्रति वर्ष है ।

रु. 480.00 प्रति वर्ष की चार (4) और छात्रवृत्तियां (दो प्रतिशत) कर्नाटक राज्य के उन छात्रों को दी गई हैं जो सैनिक स्कूल बीजापुर राष्ट्रीय इण्डियन मिलिट्री कालिज देहरादून के अलावा अन्य संस्थानों पर अपनी शिक्षा पूरी करके राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में आते हैं।

(14) एलबर्ट एक्का छात्रवृत्ति:—बिहार सरकार ने राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में 50/-रु. प्रतिमास की 25 योग्यता छात्रवृत्तियां राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में छः सत्रावधियों के पूरे समय के वास्ते एक बार और 650/-रु. वस्त्र तथा उपस्कर के वास्ते देना शुरू किया है। जिस कैडेट को उपर्युक्त योग्यता छात्रवृत्ति मिलती है वह सरकार से कोई अन्य छात्रवृत्ति या वित्तीय सहायता का पात्र नहीं होगा। पात्र कैडेट राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में आने पर कमान्डेंट को आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं।

इन छात्रवृत्तियों की शर्तें राष्ट्रीय अकादमी, खड़कवासला, पूणे (411023) से प्राप्त की जा सकती हैं ।

5. चुने हुए उम्मीदवारों के अकादमी में आने के बाद तत्काल उनके लिए निम्नलिखित विषयों में एक प्रारंभिक परीक्षा होगी ।

(क) अंग्रेजी

(ख) गणित

(ग) विज्ञान

(घ) हिन्दी

(क), (ख) तथा (ग) के लिए परीक्षा का स्तर, भारतीय विश्वविद्यालय या हायर सेकेण्डरी शिक्षा बोर्ड की हायर सेकेण्डरी परीक्षा के स्तर से ऊंचा नहीं होगा । (घ) पर लिखित विषय की परीक्षा में यह जांचा जायेगा कि उम्मीदवार को अकादमी में भर्ती होने के समय हिन्दी का कितना ज्ञान है।

अत: उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि प्रतियोगिता परीक्षा के उपरान्त अध्ययन के लिए उदासीन न हो जाए ।

प्रशिक्षण

6. तीनों सेनाओं अर्थात् थल सेना, नौसेना और वायु सेना के लिए चुने गए उम्मीदवारों को तीन वर्ष के लिये शैक्षिक तथा शारीरिक दोनों प्रकार का प्रारम्भिक प्रशिक्षण राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में दिया जाता है जो एक सर्व सेना संस्था है। पहले ढाई वर्ष का प्रशिक्षण तीनों सेनाओं के लिए समान है। सफल होने पर कैडेटों को जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय, दिल्ली द्वारा बी. एस. सी./बी. ए. डिग्री प्रदान की जाएगी ।

7. राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में पास होने के बाद थल सेना कैडेट भारतीय सेना अकादमी, देहरादून, में नौसेना कैडेट/कैडेटों के प्रशिक्षण पोत में और वायु सेना कैडेट, ई. एफ. एस. बिदार जायेंगे ।

8. भारतीय सेना अकादमी में सेना कैडेटों को 'जेन्टलमैन कैडेट' कहा जाता है और उन्हें एक वर्ष तक कड़ा प्रशिक्षण दिया जाता है। ताकि वे इन्फैन्ट्री के उप यूनिटों का नेतृत्व करने योग्य अफसर बन सकें। प्रशिक्षण सफलता से पूरा करने के बाद जेन्टलमैन कैडेटों को उनके शेप (Shape) शारीरिक दृष्टि से योग्य होने पर सैकेण्ड लैफ्टिनेंट के पद पर स्थायी कमीशन दिया जाता है।

9. नौसेना कैडेटों को राष्ट्रीय रक्षा अकादमी से पास होने पर उन्हें नौसेना की कार्यपालक इंजीनियरों, बिजली और शाखाओं के लिए चुना जाता है; उन्हें छः महीने के लिये कैडेट प्रशिक्षण पोत पर समुद्री प्रशिक्षण दिया जाता है । जिसे सफलतापूर्वक पूरा करने पर उन्हें मिडशिपमैन रैंक में पदोन्नत किया जाता है। संबद्ध शाखा में 6 महीने तक आगे प्रशिक्षण पाने के बाद उन्हें कार्यकारी तथा लैफ्टिनेन्ट की रैंक में पदोन्नत किया जाता है।

10. वायु सेना कैडेटों को हवाई उड़ान का [illegible] प्रशिक्षण दिया जाता है। तथापि उन्हें एक वर्ष का प्रशिक्षण पूरा होने पर अनन्तिम रूप से पायलट अफसर के रूप में कमीशन प्रदान किया जाता है। उसके बाद छः महीने का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा करने पर उन्हें एक वर्ष की अवधि के लिये परिवीक्षा पर स्थायी रूप से कमीशन अफसर के रूप में समाहृत कर दिया जाता है।

सेवा की शर्तें

11. थल सेना अधिकारी

(i) वेतन

रैंक	वेतनमान
	रुपये
सैकिण्ड लैफ्टिनेन्ट	760-790
लैफ्टिनेन्ट	830-950
कैप्टन	1100-1550
मेजर	1450-1800
मेजर (चयनग्रेड)	1600-50-1900
लैफ्टिनेन्ट कर्नल (चयन द्वारा)	1750-1950
लैफ्टिनेन्ट कर्नल (चयन ग्रेड वेतन)	2000-50-2100
लैफ्टिनेन्ट कर्नल (समय वेतनमान)	1900 नियत
कर्नल	1950-2175
ब्रिगेडियर	2200-2400
मेजर जनरल	2500-125/2-2750
लैफ्टिनेन्ट जनरल	3000 प्रतिमास
लैफ्टिनेन्ट जनरल (सेना कमांडर)	3250 प्रतिमास

(ii) योग्यता वेतन और अनुदान

लैफ्टिनेन्ट कर्नल और उससे नीचे के रैंक के कुछ निर्धारित योग्यता रखने वाले अधिकारी अपनी योग्यताओं के आधार पर 1600/- रु. 2400/- रु. 4500/- रु. अथवा 6000/- रु. के एक मुश्त अनुदान के हकदार हैं। उड़ान प्रशिक्षक (वर्ग 'ख') 70/- रु. दर पर योग्यता वेतन अधिकारी होंगे ।

(iii) भत्ते

वेतन के अतिरिक्त अफसरों को इस समय निम्नलिखित भत्ते मिलते हैं :—

(क) सिविलियन राजपत्रित अफसरों पर समय-समय पर लागू दरों और शर्तों के अनुसार ही इन्हें भी नगर प्रतिकर तथा मंहगाई भत्ते दिये जाते हैं ।

(ख) रु. 75/- प्रतिमास की दर से किट अनुरक्षण भत्ता ।

(ग) भारत के बाहर सेवा करने पर ही प्रवास भत्ता मिलेगा। यह विदेश भत्ते की तदनुरूपी एकल दर का 25 प्रतिशत से 46 प्रतिशत तक होगा ।

(घ) नियुक्ति भत्ता : जब विवाहित अफसरों को ऐसे स्थानों पर तैनात किया जाता है जहां परिवार सहित नहीं रहा जा सकता है तब अफसर 140 रु. प्रतिमास दर से नियुक्ति भत्ता प्राप्त करने के हकदार होते हैं ।

(ङ) सज्जा भत्ता : प्रारम्भिक सज्जा भत्ता रु. 2100 प्रथम कमीशन की तारीख से रु. 1800/- की दर से प्रत्येक सात वर्ष के बाद एक नये सज्जे के दावे का भुगतान किया जा सकता है।

(च) थल सेना में कर्नल स्तर तक मुफ्त राशन दिया जाता है ।

(iv) तैनाती

थल सेना अफसर भारत में या विदेश में कहीं भी तैनात किए जा सकते हैं ।

(v) पदोन्नतियां

(क) स्थायी पदोन्नति

उच्चतर रैंकों पर स्थायी पदोन्नति के लिए निम्नलिखित सेवा सीमाएं हैं —

(i) समय वेतनमान से	न्यूनतम सेवा सीमा
लैफ्टिनेन्ट	2 वर्ष कमीशन प्राप्त सेवा
कैप्टन	6 वर्ष कमीशन प्राप्त सेवा
मेजर	13 वर्ष कमीशन प्राप्त सेवा
मेजर से लैफ्टिनेन्ट कर्नल यदि चयन द्वारा पदोन्नति न हुई हो	25 वर्ष कमीशन प्राप्त सेवा—
(ii) चयन द्वारा	न्यूनतम सेवा सीमा
लैफ्टिनेन्ट कर्नल	16 वर्ष कमीशन प्राप्त सेवा
कर्नल	20 वर्ष कमीशन प्राप्त सेवा
ब्रिगेडियर	23 वर्ष कमीशन प्राप्त सेवा
मेजर जनरल	25 वर्ष कमीशन प्राप्त सेवा
लैफ्टिनेन्ट जनरल	28 वर्ष कमीशन प्राप्त सेवा
जनरल	कोई प्रतिबन्ध नहीं।

(ख) कार्यकारी पदोन्नति

निम्नलिखित न्यूनतम सेवा सीमाएं पूरी करने पर अफसर उच्चतर रैंकों पर कार्यकारी पदोन्नति के लिये पात्र होंगे बशर्ते कि रिक्तियां उपलब्ध हों :—

कैप्टन	3 वर्ष
मेजर	6 वर्ष
लैफ्टिनेन्ट कर्नल	6 1/2 वर्ष
कर्नल	8 1/2 वर्ष
ब्रिगेडियर	12 वर्ष
मेजर जनरल	20 वर्ष
लैफ्टिनेन्ट जनरल	25 वर्ष

12 नौसेना अफसर

(i) वेतन

रैंक	वेतनमान	
	सामान्य सेवा	नौसेना विमानन और पनडुब्बी
	मासिक रु०	मासिक रु०
मिडशिपमैन कु०	560	560
कार्यकारी सब लैफ्टिनेन्ट	750	825
सबलैफ्टिनेन्ट	830-870	910-950
लैफ्टिनेन्ट	1100-1450	1200-1550
लैफ्टिनेन्ट कमांडर	1450-1800	1450-1800
कमांडर	1750-1950	1750-1950
कैप्टन	1950-2400 कोमोडोर को वही वेतन मिलता है जिसके लिये वह कैप्टन के रूप में अपनी वरिष्ठता के अनुसार हकदार है।	1950-2400
रियर एडमिरल	2500-125-2-2750	
वाइस एडमिरल	3000 रु० प्रतिमास	

योग्यता वेतन/अनुदान भी निम्नलिखित को ग्राह्य हैं :—

कुछ निर्धारित योग्यताएं रखने वाले कमांडर और उसके नीचे के रैन्क के अफसर को अपनी योग्यताओं के आधार पर 1600/- रु., 2400/- रु., 2500/- रु. या 6000/- रु. के एकमुश्त अनुदान के हकदार हैं। फ्लाइंग इन्स्पेक्टर नेवीगेटर श्रेणी क और ख क्रमशः 100 रुपये और 70 रुपये प्रतिमास के अर्हक वेतन के हकदार ।

(2) भत्ते

(क) प्रतिपूरक (नगर) भत्ता और महंगाई भत्ता उसी दर और उन्हीं शर्तों पर ग्राह्य हैं जो समय-समय पर सिविलियन राजपत्रित अधिकारियों पर लागू हैं।

(ख) किट अनुरक्षण भत्ता 75 रु. प्रति मास की दर पर।

(ग) जब भारत से बाहर समुद्र तट पर या कुछ देशान्तरीय और अक्षांशीय सीमाओं के पार जहाज पर हों तो निर्वासन भत्ता। रैंक के अनुसार 50 रुपये प्र. मा. से लेकर 250 रुपये प्रति मास तक अलग-अलग है।

(घ) जहाज पर तैनात विवाहित अधिकारियों को उनके जहाज के मूल बन्दरगाह से दूर होने की अवधि के दौरान 140 रुपये प्र. मा. की दर पर नियुक्ति भत्ता।

(ङ) पहली बार कमीशन मिलने पर 2400/- रुपये परिसज्जा भत्ता और प्रभावी सेवा के प्रत्येक सात वर्ष के बाद 2100/- रुपये नवीकरण परिसज्जा भत्ता।

(च) नौसेना में कैप्टन स्तर तक मुफ्त राशन दिया जाता है।

नौसेना के उड्डयन अधिकारी मासिक दर पर और वायुसेना अधिकारियों के संगत रैन्कों पर लागू शर्तों के अधीन उड़ान वेतन के हकदार हैं।

उपर्युक्त के अतिरिक्त नौसेना अधिकारी कुछ विशेष रियायतों के भी हकदार हैं जो उनके साथ लगी शर्तें पूरी कर देने पर दी जाएगी जैसे हार्डलाइंग मनी, सबमेराईन एलाउन्स, सबमेराईन पे, डाईविंग पे और सर्वे बाउण्टी।

(3) पदोन्नतियां

(क) मूल पदोन्नति

उच्चतर रैन्कों पर कार्यकारी पदोन्नतियों के लिये निम्नलिखित सेवा सीमाएं हैं :—

समय वेतनमान द्वारा	
सब लेफ्टिनेन्ट . . .	1 वर्ष
लैफ्टिनेन्ट . . .	2 वर्ष (वरिष्ठता लाभ/आवर्ती के अधीन)
लफ्टिनेन्ट कमांडर . .	लैफ्टिनेन्ट के रूप में 8 वर्ष की वरिष्ठता।
कमांडर	24 वर्ष की कमीशन प्राप्त सेवा (यदि चयन द्वारा पदोन्नति नहीं हुई है)।
चयन द्वारा	
कमांडर कार्यपालक शाखा	लैफ्टिनेन्ट कमांडर के रूप में 2-8 वर्ष की वरिष्ठता।
कमांडर इंजीनियरिंग शाखा	लैफ्टिनेन्ट कमांडर के रूप में 2-10 वर्ष की वरिष्ठता।
कमांडर विद्युत शाखा	लैफ्टिनेन्ट कमांडर के रूप में [illegible] वर्ष की वरिष्ठता।
कैप्टन . . .	कमांडर के रूप में 1 वर्ष की वरिष्ठता।
रियर एडमिरल . . .	कोई प्रतिबन्ध नहीं।
वाइस एडमिरल .	कोई प्रतिबन्ध नहीं।

(ख) कार्यकारी पदोन्नति

लैफ्टिनेन्ट कमांडर के रैन्क को छोड़कर जिसके लिये किसी अफसर को लैफ्टिनेन्ट के रूप में 6 वर्ष की वरिष्ठता होनी चाहिये नौसेना की कार्यकारी पदोन्नति के लिये कोई सेवा सीमा नहीं है।

13. वायु सेना अफसर

(1) वेतन

रैंक	वेतनमान
	रुपये
पाइलट अफसर	825–865
फ्लाइंग अफसर	910–1030
फ्लाइंग लैफ्टिनेन्ट	1300–1550
स्क्वाड्रन लीडर	1450–1800
विंग कमांडर (चयन)	1750–1950
विंग कमांडर (समय वेतनमान)	1800 नियत
ग्रुप कैप्टन	1950–2175
एयर कमोडोर	2200–2400
एयर वाइस मार्शल	2500–2750
एयर मार्शल	3000
एयर मार्शल [वी० सी० ए० एस० और ए० ओ० एम० सी० (इन सी०)]	3250
एयर चीफ मार्शल (सी० ए० एस०)	4000

(1) भत्ते

(क) उड़ान वेतन :—उड़ान शाखा के अधिकारी (पाइलट तथा नेविगटर) निम्नलिखित दर पर उड़ान वेतन पाने के पात्र हैं :—

	रु० प्र० मा०
पाइलट अफसर से विंग कमांडर तक	750.00
ग्रुप कैप्टन से एयर कोमोडोर तक	666.00
एयर वाइस मार्शल तथा इससे ऊपर	600.00

(ख) उड़ान शाखा के कुछ निर्धारित योग्यता रखने वाले अधिकारी निम्नलिखित दर पर योग्यता वेतन अनुदान के पात्र हैं।

	रु० प्र० मा०
योग्यता वेतन	100/-
	अथवा 70/
योग्यता अनुदान	6000/-
	अथवा 4500/-
	2400/-
	अथवा 1600/-

(ग) किट अनुरक्षण भत्ता 75/- रुपए प्रतिमास की दर पर मिलता है।

(घ) निवर्तन भत्ता :—किसी देश में जहां वायु सेना अधिकारियों के लिए ट्रूप के अंग के रूप में जाना अपेक्षित हो, सेवा कर रहे एकल तृतीय सचिव/द्वितीय सचिव/प्रथम सचिव/काउन्सलर को ग्राह्य विदेश भत्ते का 25 प्रतिशत से लेकर 40 प्रतिशत तक (धारित रैन्क के अनुसार)।

(ङ) नियुक्ति भत्ता :—परिवार के लिये अनुपयुक्त केन्द्र सरकार द्वारा उक्त प्रयोजन हेतु इसके सदृश घोषित इलाके, जहां अधिकारियों के साथ परिवार को रहने की अनुमति नहीं है, वहां यूनिटों/फोरमेशन

में तैनात विवाहित अधिकारियों को 140/- रु० प्रतिमास वियुक्ति भत्ता मिलेगा।

(च) परिसज्जा भत्ता :—अधिकारी को जो वर्दी/उपस्कर अपने पास रखने पड़ते हैं उनकी लागत के लिए शुरू में 2100/- रुपये (समय-समय पर यथा आशोधित) और हर सात वर्ष के बाद उनके नवीकरण के वास्ते 1800/- रुपये।

(छ) वायु सेना में ग्रुप कैप्टन स्तर तक मुफ्त राशन दिया जाता है।

(4) पदोन्नतियां

(क) मूल पदोन्नति

उच्चतर रैन्कों पर मूल पदोन्नति के लिये निम्नलिखित सेवा सीमाएं हैं :—

समय वेतनमान द्वारा

फ्लाइंग अफसर	1 वर्ष की कमीशन प्राप्त सेवा
फ्लाइंग लैफ्टिनेन्ट	5 वर्ष की कमीशन प्राप्त सेवा
स्क्वाड्रन लीडर	11 वर्ष की कमीशन प्राप्त सेवा
विंग कमांडर	यदि चयन द्वारा पदोन्नति न हुई हो तो 24 वर्ष की कमीशन प्राप्त सेवा पूरी कर ली हो।

चयन द्वारा

विंग कमांडर	16 वर्ष कुल कमीशन प्राप्त सेवा गिनी जाएगी।
ग्रुप कैप्टन	22 वर्ष कुल कमीशन प्राप्त सेवा गिनी जाएंगी।
एयर कमांडर	24 वर्ष कुल कमीशन प्राप्त सेवा गिनी जाएगी।
एयर वाइस मार्शल	26 वर्ष कुल कमीशन प्राप्त सेवा गिनी जाएंगी।
एयर मार्शल	28 वर्ष कुल कमीशन प्राप्त सेवा गिनी जाएंगी।

(ख) कार्यकारी पदोन्नति

अफसरों को कार्यकारी पदोन्नति के लिये अपेक्षित न्यूनतम सेवा सीमा इस प्रकार है :—

फ्लाइंग लैफ्टिनेन्ट	2 वर्ष
स्क्वाड्रन लीडर	5 वर्ष
विंग कमांडर	6 वर्ष (स्क्वाड्रन लीडर के रैंक में एक वर्ष की सेवा के बाद)।
एयर कोमोडोर	11-1/2 वर्ष (विंग कमांडर और ग्रुप कैप्टन के रूप में 3 वर्ष की सेवा के बाद)।
एयर वाइस मार्शल	15 वर्ष (विंग कमांडर, ग्रुप कैप्टन और एयर कोमोडोर के रैंकों में 5 *वर्ष की सेवा के बाद)।
एयर मार्शल	23 वर्ष

*वंचित अवधियों को शामिल करके।

14. सेवा निवृत्ति लाभ

पेंशन, उपदान और ग्रेच्युटी अवार्ड समय-समय पर लागू नियमों के अनुसार स्वीकार्य होंगे।

15. छुट्टी

समय-समय पर लागू नियमों के अनुसार छुट्टी स्वीकार होगी।

परिशिष्ट 4

भारत सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति हेतु आवेदन करने वाले अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के उम्मीदवार द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले प्रमाण पत्र का फार्म।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री . . . . सुपुत्र श्री . . . . .जो गांव/कस्बा* . . . . जिला/मण्डल* . . . . राज्य/संघ* राज्य क्षेत्र . . . . के निवासी . . . . . . जाति/जन *जाति के हैं जिसे निम्नलिखित के अधीन अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के रूप में मान्यता दी गई है :—

संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश, 1950

संविधान (अनुसूचित जन जातियां) आदेश, 1950*

संविधान (अनुसूचित जातियां) (संघ राज्य क्षेत्र) आदेश, 1951*

संविधान (अनुसूचित जन जाति) (संघ राज्य क्षेत्र) आदेश, 1951*

[अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जन जातियां सूचियां (आशोधन) आदेश, 1956, बम्बई पुनर्गठन अधिनियम, 1960, पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966, हिमाचल प्रदेश, राज्य अधिनियम, 1970 और उत्तर पूर्व क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971 और अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित जन जातियां* आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1976* द्वारा यथा संशोधित]।

संविधान (जम्मू और कश्मीर) अनुसूचित जातियां आदेश, 1956*

संविधान (अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह) अनुसूचित जन जातियां आदेश, 1959 अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित जन जातियां आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1976 द्वारा यथा संशोधित*

संविधान (दादरा और नगर हवेली) अनुसूचित जातियां आदेश, 1962*

संविधान (दादरा और [illegible] अनुसूचित जन जातियां आदेश, 1962*

संविधान (पाण्डिचेरी) अनुसूचित जातियां आदेश, 1964

संविधान (अनुसूचित जन जातियां) उत्तर प्रदेश आदेश, 1967*

संविधान (गोवा, दमन और दियु) अनुसूचित जातियां आदेश, 1968*

संविधान (गोवा, दमन और दियु) अनुसूचित जन जातियां आदेश, 1968*

संविधान (नागालैण्ड) अनुसूचित जन जातियां आदेश, 1970*

संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जाति आदेश 1978*

संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जन जाति आदेश, 1978*

2. श्री . . . . और/या* उसका परिवार आमतौर से गांव/कस्बा* . . . .

जिला/मण्डल* . . . . राज्य/संघ* राज्य क्षेत्र . . . . में रहता हूँ।

राज्य/*संघ राज्य क्षेत्र

हस्ताक्षर . . . .

पदनाम . . . .

(कार्यालय की मोहर के साथ)

स्थान . . . .

तारीख . . . .

(जो शब्द लागू न हो उसे कृपया काट दें)

नोट :—यहां "आम तौर से रहता है" का अर्थ वही होगा जो रिप्रजेंटेशन आफ दि पिपुल एक्ट, 1950 की धारा 20 में है। *जाति/जन जाति का प्रमाण पत्र जारी करने के लिए सक्षम अधिकारी :—

(i) जिला मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट/कलैक्टर/डिप्टी कमिश्नर/एडीशनल डिप्टी कमिश्नर/डिप्टी कलैक्टर/प्रथम श्रेणी का स्टाइपेण्डरी मजिस्ट्रेट/सिटी मजिस्ट्रेट *सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट/ताल्लुक मजिस्ट्रेट/एक्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट/एक्स्ट्रा असिस्टेंट कमिश्नर प्रथम श्रेणी के स्टाइपेन्डरी मजिस्ट्रेट से कम ओहदे का नहीं।

(ii) चीफ प्रेसीडेन्सी मजिस्ट्रेट/एडीशनल चीफ प्रेसीडेन्सी मजिस्ट्रेट/प्रेसीडेन्सी मजिस्ट्रेट।

(iii) रेवेन्यू अफसर जिसका ओहदा तहसीलदार से कम न हो।

(iv) उस इलाके का सब डिवीजनल अफसर जहां उम्मीदवार और/या उसका परिवार आम तौर से रहता हो।

(v) एडमिनिस्ट्रेटर/एडमिनिस्ट्रेटर का सचिव/डवलपमेन्ट अफसर (लक्ष द्वीप)।

परिशिष्ट 5

उम्मीदवारों की सूचनार्थ विवरणिका

क. वस्तु परक परीक्षण

आप जिस परीक्षा में बैठने वाले हैं वह "वस्तु परक परीक्षण" होगा। इस प्रकार की परीक्षा (परीक्षण) में आपको उत्तर लिखने नहीं होंगे। प्रत्येक प्रश्न (जिसको आगे प्रश्नांश कहा जायेगा) के लिए कई सुझाए गये उत्तर (जिसको आगे प्रत्युत्तर कहा जायेगा) दिये जाते हैं। उनमें से प्रत्येक प्रश्नांश के लिये आपको एक उत्तर चुन लेना है।

इस विवरणिका का उद्देश्य आपको इस परीक्षा के बारे में कुछ जानकारी देना है जिससे कि परीक्षा के स्वरूप से परिचित न होने के कारण आपको कोई हानि न हो।

ख. परीक्षण का स्वरूप

प्रश्न पत्र "प्रश्न पुस्तिका" के रूप में होंगे। इस पुस्तिका में क्रम संख्या 1, 2, 3—आदि के क्रम से प्रश्नांश होंगे। हर प्रश्नांश के नीचे a, b, c, d. चिह्न के साथ सुझाए गये प्रत्युत्तर लिखे होंगे। आपका काम एक सही या यदि आपको एक से अधिक प्रत्युत्तर सही लगें तो इनमें से सर्वोत्तम उत्तर का चुनाव करना होगा (अंत में दिये गये नमूने के प्रश्नांश देख लें) किसी भी स्थिति में प्रत्येक प्रश्नांश के लिये आपको एक ही सही प्रत्युत्तर का चुनाव करना होगा। यदि आप एक से अधिक चुन लेते हैं तो आपका प्रत्युत्तर गलत माना जायेगा।

ग. उत्तर देने की विधि :

परीक्षा भवन में आपको अलग एक उत्तर पत्रक दिया जायेगा। जिसकी एक नमूना प्रति आपको प्रवेश प्रमाण पत्र के साथ भेजी जायेगी। आपको अपने प्रत्युत्तर इस उत्तर पत्रक में लिखने होंगे। परीक्षण पुस्तिका में या उत्तर पत्रक को छोड़कर अन्य किसी कागज पर लिखे गये उत्तर नहीं जांचे जायेंगे।

उत्तर पत्रक में प्रश्नांशों की संख्यायें 1 से 160 तक चार खण्डों में छापी गई हैं। प्रत्येक प्रश्नांक के सामने a,b,c,d, चिह्न वाले वृत्ताकार स्थान छपे होते हैं। परीक्षण पुस्तिका के प्रत्येक प्रश्नांश को पढ़ लेने और यह निर्णय कर लेने के बाद कि कौन सा प्रत्युत्तर सही या सर्वोत्तम है आपको उस प्रत्युत्तर के अक्षर वाले वृत्त को पेंसिल से पूरी तरह काला बना कर उसे अंकित कर देना है जैसा कि (आपका उत्तर दर्शाने के लिये) नीचे दिखाया गया है। उत्तर पत्रक के वृत्त को काला बनाने के लिए स्याही का प्रयोग नहीं करना चाहिये।

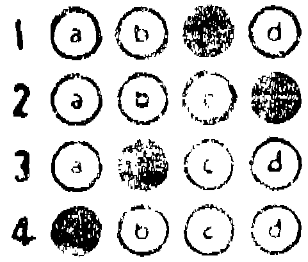

यह जरूरी है कि :—

1. प्रश्नांशों के उत्तरों के लिये केवल अच्छी किस्म की एच. बी. पैंसिल (पेंसिलें) ही लाएं और उन्हीं का प्रयोग करें।

2. गलत निशान को बदलने के लिये उसे पूरा मिटाकर फिर से सही उत्तर पर निशान लगा दें। इसके लिये आप अपने साथ एक रबड़ भी लायें।

3. उत्तर पत्रक का प्रयोग करते समय कोई ऐसी असावधानी न हो जिससे वह फट जाये या उसमें मोड़ व सिलवट आदि पड़ जायें या वह खराब हो जाये।

घ. कुछ महत्वपूर्ण विनियम :

1. आपको परीक्षा आरम्भ करने के लिये निर्धारित समय से 20 मिनट पहले परीक्षा भवन में पहुंचना होगा और पहुंचते ही अपना स्थान ग्रहण करना होगा।

2. परीक्षा शुरू होने के 30 मिनट बाद किसी को परीक्षण में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।

3. परीक्षा शुरू होने के बाद 45 मिनट तक किसी को परीक्षा भवन छोड़ने की अनुमति नहीं मिलेगी।

4. परीक्षा समाप्त होने के बाद, परीक्षण पुस्तिका और उत्तर पत्रक अधीक्षक पर्यवेक्षक को सौंप दें। आपको परीक्षक पुस्तिका परीक्षा भवन से बाहर ले जाने की अनुमति नहीं है। इस नियम का उल्लंघन करने पर कड़ा दण्ड दिया जायेगा।

5. आपको परीक्षा भवन में उत्तर पत्रक पर कुछ विवरण करना होगा, आपको उत्तर पत्रक पर कुछ विवरण कूटबद्ध भी करना होगा। इसके बारे में अनुदेश आपको प्रवेश प्रमाण पत्र के साथ भेज दिये जायेंगे।

6. परीक्षण पुस्तिका में दिये गये सभी अनुदेश आपको सावधानी से पढ़ने हैं। इन अनुदेशों का सावधानी से पालन न करने में आपके नम्बर कम हो सकते हैं। अगर उत्तर पत्रक पर कोई प्रविष्टि संदिग्ध है, तो उस प्रश्नांश के प्रत्युत्तर के लिये आपको कोई नम्बर नहीं मिलेगा। पर्यवेक्षक के अनुदेशों का पालन करें। जब पर्यवेक्षक किसी परीक्षण या उसके किसी भाग को आरम्भ या समाप्त करने को कहें तो उनके अनुदेशों का तत्काल पालन करें।

7. आप अपना प्रवेश प्रमाण पत्र साथ लायें, आपको अपने साथ एक एच. बी. पेंसल, एक रबड़, एक पेंसल शार्पनर और नीली या काली स्याही वाली कलम भी लानी होगी। आपको सलाह दी जाती है कि आप अपने साथ एक-एक क्लिप बोर्ड या हार्ड बोर्ड या कार्ड बोर्ड भी लायें जिस पर कुछ लिखा न हो। आपको परीक्षा भवन में कोई खाली कागज या कागज का टुकड़ा या पैमाना या आरेखन उपकरण नहीं लाने हैं क्योंकि उनकी जरूरत नहीं होगी। मांगने पर कच्चे काम के लिये आपको एक अलग कागज दिया जायेगा। आप कच्चा काम शुरू करने के पहले उस पर परीक्षा का नाम, अपना रोल नम्बर, और परीक्षण की तारीख लिखें और परीक्षण समाप्त होने के बाद उसे अपने अपने उत्तर पत्रक के साथ पर्यवेक्षक को वापिस कर दें।

ङ. विशेष अनुदेश

परीक्षण भवन में अपने स्थान पर बैठ जाने के बाद अधीक्षक आपको उत्तर पत्रक देंगे। उत्तर पत्रक पर प्रेक्षित सूचना भर दें। यह काम पूरा होने के बाद अधीक्षक आपको परीक्षण पुस्तिका देंगे। परीक्षण पुस्तिका लिखने पर आप यह अवश्य देख लें कि उस पर पुस्तिका की संख्या लिखी हुई है या अन्यथा, उसे बदलवा लें। प्रश्न पुस्तिका को खोलने से पहले उसके प्रथम पृष्ठ पर अपना अनुक्रमांक लिख दें आपको प्रश्न पुस्तिका तब तक खोलने की अनुमति नहीं है जब तक पर्यवेक्षक ऐसा करने के लिये न कहें।

च. कुछ उपयोगी सुझाव

यद्यपि इस परीक्षण का उद्देश्य आपकी गति की अपेक्षा शुद्धता को जांचना है, फिर भी यह जरूरी है कि आप अपने समय का यथासंभव दक्षता से उपयोग करें। सन्तुलन के साथ आप जितनी जल्दी काम कर सकते हैं, करें पर लापरवाही न हो। आप सभी प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाते हों तो चिन्ता न करें। आपको जो प्रश्न अत्यन्त कठिन मालूम पड़े उन पर समय व्यर्थ न करें। दूसरे प्रश्नों की ओर बढ़ें और उन कठिन प्रश्नों पर बाद में विचार करें।

सभी प्रश्नांशों के अंक समान होंगे। उन सभी के उत्तर दें। आपके द्वारा अंकित सही प्रत्युत्तरों की संख्या के आधार पर ही आपको अंक दिये जायेंगे। गलत उत्तर के लिये अंक नहीं काटे जायेंगे।

छ. परीक्षण का समापन

जैसे ही पर्यवेक्षक आपको लिखना बंद करने को कहें, आप लिखना बन्द कर दें। आप अपने स्थान पर तब तक बैठे रहें जब तक अधीक्षक आप के पास आकर आपसे सभी आवश्यक वस्तुयें न ले जायें और आपको हाल छोड़ने की अनुमति न दें। आपको परीक्षण-पुस्तिका और उत्तर पत्रक तथा कच्चे कार्य का कागज परीक्षा भवन से बाहर ले जाने की अनुमति नहीं है।

नमूने के प्रश्नांश (प्रश्न)

(नोट:—*सही/सर्वोत्तम उत्तर विकल्प को निर्दिष्ट करता है)

1. सामान्य अध्ययन

बहुत ऊंचाई पर पर्वतारोहियों के नाक तथा कान से निम्नलिखित में से किस कारण से रक्त स्राव होता है ?

(a) रक्त का दाब वायुमण्डल के दाब से कम होता है।

*(b) रक्त का दाब वायुमण्डल के दाब से अधिक होता है।

(c) रक्त वहिकाओं की अन्दरूनी तथा बाहरी दिवारों पर दाब समान होता है।

(d) रक्त का दाब वायुमण्डल के दाब के अनुरूप घटता बढ़ता है।

2. कृषि

अरहर के फूलों का झड़ना निम्नलिखित में से किसी एक उपाय से कम किया जा सकता है।

(a) वृद्धि नियंत्रक द्वारा छिड़काव

(b) दूर दूर पौधे लगाना

(c) सही ऋतु में पौधे लगाना

(d) थोड़े थोड़े फासले पर पौधे लगाना

3. रसायन विज्ञान

H_3VO_4 का एनहाइड्राइड निम्नलिखित में से क्या होता है ?

(a) VO_3

(b) VO_4

(c) V_2O_4

*(d) V_2O_5

4. अर्थशास्त्र

श्रम का एकाधिकार शोषण निम्नलिखित में से किस स्थिति में होता है ?

*(a) सीमान्त राजस्व उत्पाद से मजदूरी कम हो।

(b) मजदूरी तथा सीमान्त राजस्व उत्पाद दोनों बराबर हों।

(c) मजदूरी सीमान्त राजस्व उत्पाद से अधिक हो।

(d) मजदूरी सीमान्त भौतिक उत्पाद के बराबर हो।

5. वैद्युत इंजीनियरी

एक समक्ष रेखा को आपेक्षिक परावैद्युतांक 9 के परावैद्युत से सम्पूरित किया गया है। यदि C मुक्त अन्तराल में संचरण वेग दर्शाता तो लाइन में संचरण का वेग क्या होगा ?

(a) 3C

(b) C

*(c) C/3

(d) C/9

6. भू-विज्ञान

बेसाल्ट में प्लेजिओक्लेस क्या होता है ?

(a) आलिगोक्लेज

*(b) लेब्रोडोराइट

(c) एल्बाइट

(d) एनार्थाइट

7. गणित

मूल बिन्दु से गुजरने वाला और $\frac{d^2y}{dx^2}\frac{dy}{dy} = 0$ समीकरण को संगत रखने वाला वक्र-परिवार निम्नलिखित में से किस में निर्दिष्ट है?

(a) y=ax+b

(b) y=ax

(c) y=aex+be—x

*(d) y+aex—a

8. भौतिकी

एक आदर्श ऊष्मा इंजन 400° के और 300°K के तापक्रम के मध्य कार्य करता है। इसकी क्षमता निम्नलिखित में से क्या होगी?

(a) 3/4

*(b) (4—3)/4

(c) 4/(3+4)

(d) 3/(3+4)

9. सांख्यिकी

यदि द्विपद वितरण का माध्य 5 है तो इसका प्रसरण निम्नलिखित में से क्या होगा?

(a) 4^2

*(b) 3

(c) α

(d) —5

10. भूगोल

बर्मा के दक्षिणी भाग की अत्यधिक समृद्धि का कारण निम्नलिखित में से क्या है?

(a) यहां पर खनिज साधनों का विपुल भण्डार है।

(b) बर्मा की अधिकांश नदियों का डेल्टाई भाग है।

(c) यहां श्रेष्ठ वन संपदा है।

(d) देश के अधिकांश तेल क्षेत्र इसी भाग में है।

11. भारतीय इतिहास

ब्राह्मणवाद के सम्बन्ध में निम्नलिखित में से क्या सत्य नहीं है?

(a) बौद्ध धर्म के उत्कर्ष काल में भी ब्राह्मणवाद के अनुयायियों का संख्या बहुत अधिक थी।

(b) ब्राह्मणवाद बहुत अधिक कर्मकांड और आडम्बर से पूर्ण धर्म था।

(c) ब्राह्मणवाद के अभ्युदय के साथ, बलि सम्बन्धी यज्ञ कर्म का महत्व कम हो गया।

(d) व्यक्ति के जीवन विकास की विभिन्न दशाओं को प्रकट करने के लिये धार्मिक संस्कार निर्धारित थे।

12. दर्शन

निम्नलिखित में से निरीश्वरवादी दर्शन समूह कौन सा है?

(a) बौद्ध, न्याय, चार्वाक, मीमांसा

(b) न्याय, वैशेषिक, जैन और बौद्ध, चार्वाक

(c) अद्वैत, वेदान्त, सांख्य, चार्वाक, योग

(d) बौद्ध, सांख्य, मीमांसा, चार्वाक

13. राजनीति विज्ञान

"वृत्तिगत प्रतिनिधान" का अर्थ निम्नलिखित में से क्या है?

*(a) व्यवसाय के आधार पर विधानमण्डल में प्रतिनिधियों का निर्वाचन।

(b) किसी समूह या किसी व्यावसायिक समुदाय के पक्ष का समर्थन

(c) किसी रोजगार सम्बन्धी संगठन में प्रतिनिधियों का चुनाव।

(d) श्रमिक संघों द्वारा प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व।

14. मनोविज्ञान

लक्ष्य की प्राप्ति निम्नलिखित में से किस को निर्देशित करती है?

*(a) लक्ष्य सम्बन्धी आवश्यकता में वृद्धि।

(b) अन्तर्नोद अवस्था में न्यूनता।

(c) व्यावहारिक अधिगम।

(d) पक्षपात पूर्ण अधिगम।

15. समाजशास्त्र

भारत में पंचायती राज संस्थाओं की देन निम्न में से कौन सी है?

*(a) ग्राम सरकार में महिलाओं तथा कमजोर वर्गों को औपचारिक प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ है।

(b) छुआछूत कम हुई है।

(c) वंचित वर्गों के लोगों को भूस्वामित्व का लाभ मिला है।

(d) जन साधारण में शिक्षा का प्रसार हुआ है।

टिप्पणी: उम्मीदवारों को यह ध्यान रखना चाहिये कि उपयुक्त नमूने के प्रश्नांश (प्रश्न) केवल उदाहरण के लिये दिये गये हैं और यह जरूरी नहीं है कि ये इस परीक्षा की पाठ्यचर्या के अनुसार हों।

UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION

New Delhi, the 25th May 1984

No. A.12034|2|83-Admn.(II).—In continuation of this office notification of even number dated 23rd January, 1984, the Chairman, Union Public Service Commission, hereby appoints Shri V. R. Mani, Junior Research Officer (Lang.) to the post of Senior Research Officer on ad-hoc basis in the office of Union Public Service Commission for a further period w.e.f. 13-4-1984 to 12-10-1984 or until further orders, whichever is earlier.

The appointment of Shri V. R. Mani as Senior Research Officer is purely on ad-hoc basis and will not confer upon him any title for regular appointment or seniority to the post of Senior Research Officer.

The 30th May 1984

No. A. 32014/1/84-Admn.I— The President is pleased to appoint the following Senior Personal Assistants (Grade B of CSSS) of the cadre of Union Public Service Commission as Private Secretary (Grade A of CSSS) in the same cadre on ad-hoc basis for the period indicated against their names or until further orders, whichever is earlier :-

Sl. No.	Name	Period
1.	Shri I. N. Sharma . .	10-4-1984 to 9-7-1984
2.	Shri Tarsame Singh . .	17-4-1984 to 15-7-1984

2. The above mentioned persons should note that their appointment as Private Secretary (Grade A of CSSS) is on ad-hoc basis and will not confer on them any title for absorption in Grade A of CSSS or seniority in that grade. Further, their appointment is subject to the approval of the Department of Personnel and Administrative Reforms.

No. A. 32014/2/84-Admn. I—The President is pleased to appoint the following Personal Assistants of the CSSS Cadre of Union Public Service Commission as Senior Personal Assistants (Grade B of CSSS) in the same cadre on ad-hoc basis for the period shown against their name, or until further orders, whichever is earlier:-

S. No.	Name	Periods	Remarks
	S/Shri		
1.	H. O. Madan	14-5-84 to 11-8-84	Against regular vacancy.
2.	V. P. Mahajan	23-5-84 to 20-8-84	Do.
3.	R. P. Dang	17-4-84 to 9-7-84	*Vice* Sh. Tarsame Singh appointed as Private Secretary on adhoc basis.
4.	Smt. Saroj K. Kapoor	24-4-84 to 15-7-84	*Vice* Sh. I. N. Sharma appointed as Private Secretary on adhoc basis.

2. The above mentioned persons should note that their appointment as Senior Personal Assistant (Grade B of CSSS) is on adhoc basis and will not confer on them any title for absorption in Grade of CSSS or for seniority in that grade.

3. Their appointment is subject to the approval of the Department of Personnel and Administrative Reforms.

The 31st May 1984

No. A.19013|3|78-Admn.I.—Consequent upon the expiry of his tenure, Shri B. N. Som, an officer of Indian Postal Service on deputation to Union Public Service Commission as Joint Secretary has been relieved of his duties in the office of the Union Public Service Commission with effect from the afternoon of 31st May, 1984. Shri Som will report to his parent Department viz. Post & Telegraph Directorate, Dak Tar Bhavan, New Delhi, after availing of the usual joining time.

No. A.32013|1|84-Admn.II.—The Chairman, Union Public Service Commission hereby appoints Shri R. N. Khurana, Under Secretary of the Central Secretariat Service, Union Public Service Commission to the *ex-cadre* post of Officer on Special Duty (Group 'A' Rs. 1500-60-1800), in the Commission's office on ad-hoc basis for a period of 6 months w.e.f. 1-6-1984 or until further orders whichever is earlier.

The appointment of Shri Khurana as O.S.D. is purely on ad-hoc basis and will not confer upon him any title for regular absorption or for seniority in the said post.

M. P. JAIN
Under Secy. (Admn.)
Union Public Service Commission.

CENTRAL VIGILANCE COMMISSION

New Delhi, the 19th June 1984

No. 2|14|83-Admn.—The Central Vigilance Commissioner hereby appoints Shri S. Subramanian, Executive Engineer (Civil) of the Central Public Works Department, as Technical Examiner in the Central Vigilance Commission, in an officiating capacity in the scale of pay of Rs. 1100-50-1600 plus special pay of Rs. 200|- P.M. with effect from the forenoon of 1st June, 1984, until further orders.

K. L. MALHOTRA
Under Secy
for Central Vigilance Commissioner.

MINISTRY OF HOME AFFAIRS
(DEPARTMENT OF PERSONNEL & A. R.)
CENTRAL BUREAU OF INVESTIGATION

New Delhi, the 12th June 1984

No. A-19014|3|84-AD.V.—The President is pleased to appoint Shri Yashwant Malhotra, IPS (Bihar-1975) as Superintendent of Police on deputation in the Central Bureau of Investigation, Special Police Establishment with effect from the forenoon of 5th June, 1984 until further orders.

The 15th June 1984

No. A-20023|7|79-AD.V.—Director, Central Bureau of Investigation and Inpector General of Police, Special Police Establihment hereby appoints Shri D. N. Daithankar an officer of Maharashtra Government as Public Prosecutor in the Central Bureau of Investigation in substantive capacity with effect from 4th February 1984.

No. A-20023|9|80-AD.V.—Services of Shri R. Ponnuswamy Public Prosecutor, Central Bureau of Investigation on repatriation have been placed at the disposal of Government of Tamil Nadu with effect from the afternoon of 14-5-1984.

R. S. NAGPAL
Administrative Officer (E)
CBI

(BUREAU OF POLICE RESEARCH & DEVELOPMENT)

New Delhi-110001, the 11th June 1984

No. 3|23|84-Adm.I.—The President is pleased to appoint Shri Virendra Sinha IPS (Rajasthan-1970) as Assistant Director in the Bureau of Police Research & Development with effect from the Forenoon of 25th May, 1984 until further orders.

S. K. MALLIK
Director General

DIRECTORATE GENERAL
CENTRAL INDUSTRIAL SECURITY FORCE

New Delhi-110003, the 24th May 1984

No. E-32015(4)|73|84-Pers.—President is pleased to appoint Shri S. K. Dutta on promotion as Assistant Commandant, CISF HQrs., New Delhi with effect from the forenoon of 1st May 1984 on purely ad-hoc basis temporarily for a period of six months or till such time regular appointments are made, whichever is earlier.

The ..th June 1984

No. E-32015(4)|52|84-Pers.—President is pleased to appoint Shri Madan Gopal Das on promotion as Assistant Commandant CISF Unit ECL with effect from the forenoon of 23rd May 1984 on purely ad-hoc basis temporarily for a period of six months or till such time regular appointments are made, whichever is earlier.

No. E-32015(4)|58|84-Pers.—President is pleased to appoint Shri R. C. Bhowmick on promotion as Assistant Commandant CISF Unit HEC Ranchi with effect from the afternoon of 23-5-84 on purely ad-hoc basis temporarily for a period of six months or till such time regular appointments are made, whichever is earlier.

Sd|- ILLEGIBLE
Director General|CISF

OFFICE OF THE REGISTRAR GENERAL, INDIA

New Delhi, the 12th June 1984

No. 11|123|79-Ad.I.—The President is pleased to repatriate Shri B. K. Banerjee, an officer of the State Civil Service (Madhya Pradesh) and at present working as Deputy Director of Census Operations, Madhya Pradesh, Bhopal, on deputation basis, to the Government of Madhya Pradesh with effect from the afternoon of the 31st May, 1984.

No. 10|4|80-Ad.I.—In continuation of this Office Notification of even number dated the 27th February, 1984, the President is pleased to extend the period of ad-hoc appointment of the under mentioned Console Operators in the Office of the Registrar General, India, New Delhi, as Assistant Director (Programme) in the same office upto the 30th June, 1984 *or* till the posts are filled in, on a regular basis, whichever is earlier, on the existing terms and conditions :—

Sl. No., Name and Head-Quarters

1. Shri R. L. Puri—New Delhi.
2. Shri A. P. Gupta—New Delhi.
3. Shri Satya Prakash—New Delhi.

The 13th June 1984

No. 11|87|79-Ad.I.—The President is pleased to repatriate Shri M. Vijayan Unni, an officer belonging to the Kerala Cadre of Indian Administrative Service and at present working as Director of Census Operations, Kerala, Trivandrum, to the State Government of Kerala with effect from the afternoon of the 31st May, 1984.

V. S. VERMA
Registrar General, India.

INDIAN AUDIT AND ACCOUNTS DEPARTMENT
OFFICE OF THE COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL OF INDIA

New Delhi-110002, the 14th June 1984

No. 1407 CA.I|51-80.—On his attaining the age of superannuation of Shri D. K. Gupte, Audit Officer (Commercial) office of the Director of Audit (S&CD), Bombay and presently on deputation with Maharashtra Water Supply & Sewerage Board, Bombay has retired from service with effect from 30-4-1984 A.N.

K. P. LAKSHMANA RAO
Asstt. Comptr. & Ar. General (Commercial).

OFFICE OF THE DIRECTOR OF AUDIT CENTRAL REVENUES

New Delhi, the 16th June 1984

No. ADMN. I/O. O. No. 105—The Director of Audit Central Revenues, is pleased to appoint the following Section Officers as Assistant Audit Officers (Group 'B Gazetted) in the scale of Rs. 650-30-740-35-880- E.B.-40-1040 with effect from the dates noted against their names.

S. No.	Name	Date of Appointment.
1.	Sh. Surender Kumar Goel . . .	1-3-1984 (F.N.)
2.	Smt. Ramamani Srinivasan . .	1-6-1984 (F.N.)
3.	Sh. Ved Vyas Komil . . .	1-6-1984 (F.N.)
4.	Sh. Karimuddin Siddiqui . .	2-6-1984 (F.N.)
5.	Sh. Narendra Kumar . . .	4-6-1984 (F.N.)

The 20th June 1984

No. Admn I|O.O. No. 104—Consequent upon his attaining the age of superannuation, Shri J. S. Sawhney, a permanent Audit Officer of this office, will be retiring from the service of the Government of India with effect from the afternoon of 30-6-1984. His date of birth is 17-6-1926.

No. Admn.I|O.O.No. 107.—Shri M. M. S. Oberoi, a permanent Audit officer of this office will be retiring voluntarily from the service of the Government of India from the forenoon of 13th June, 1984, after completion of more than 55 years of age in terms of rule 56 K of the Fundamental Rules.

2. Shri Oberoi entered Government service on 20-6-1949 and his date of birth is 2-12-1928.

Sd|- ILLEGIBLE
Joint Director of Audit (Admn.).

MINISTRY OF DEFENCE
INDIAN ORDNANCE FACTORIES SERVICE
ORDNANCE FACTORY BOARD

Calcutta, the 5th June 1984

No. 28|G|84—On attaining the age of superannuation (58 years) Shri O. P. Bahl, Addl. DGOF|Member, retired from service with effect from 31st May 1984|AN.

V. K. MEHTA
Director.

MINISTRY OF COMMERCE
(DEPARTMENT OF TEXTILES)
OFFICE OF THE TEXTILE COMMISSIONER

Bombay, the 13th June 1984

No. 2(39)|EST.I|3313.—Shri G. J. Khanchandani, Assistant Director, Gr. II, in this office, retired from Service from the afternoon of 31st May 1984 on attaining the age of Superannuation.

V. K. SRIVASTAVA,
Dy. Director (Admn.).

OFFICE OF THE JUTE COMMISSIONER

Calcutta, the 21st May 1984

No. Jute(A)|147|58-Vol-V.—The President is pleased to extend the appointment of Shri K. K. Chatterjee, Director (Technical) of the National Jute Manufactures Corporation, Calcutta to officiate as Industrial Adviser (Jute Production) in this office on a part time basis in addition to his own responsibilities as Director (Technical) in NJMC for a period of three months with effect from 1st May 1984. This issues with the concurrence of Department of Textiles, Ministry of Commerce vide their D. O. letter No. 4-3-82-Jute dated 4th Mar 1984.

S. P. MALIK,
Jute Commissioner.

MINISTRY OF INDUSTRY

DEPARTMENT OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT

(OFFICE OF THE ECONOMIC ADVISER)

New Delhi, the 23rd May 1984

No. A-32015(1)|81-Ec.Ad.—The President is pleased to appoint Shri Navin Sarna, a Grade IV Officer of the Indian Economic Service as Research Officer in the Office of the Economic Adviser, Ministry of Industry with effect from the forenoon of 16th May, 1984.

2. Shri Navin Sarna will be on probation upto 31-8-1984.

No. A-32015(1)|81-Ec.Ad.—The President is pleased to appoint Kumari Ritu Kumar, a Grade IV Officer of the Indian Economic Service as Research Officer in the Office of the Economic Adviser, Ministry of Industry with effect from the forenoon of the 16th May, 1984.

2. Km. Ritu Kumar will be on probation upto 31-8-1984.

MANMOHAN SINGH
Additional Economic Adviser

OFFICE OF THE DEVELOPMENT COMMISSIONER (SMALL SCALE INDUSTRIES)

New Delhi, the 15th June 1984

No. A-19018|463|79-Admn(G).—Consequent upon his reversion to the Government of Himachal Pradesh, Shri A. K. Mohapatra, IAS (HP : 71) relinquished charge of the post of Director (Gr. I) (GAD) in SISI, Cuttack on the afternoon of 30th April, 1984.

No. A-19018(563)|81-Admn(G).—Consequent on reversion to his parent Department as Ty.JSA I|QP JSA II, Defence Materials & Stores, Research & Development Establishment, Kanpur, Shri K. M. Bhattacharya relinquished charge of the post of Asstt. Director (Gr. I) (Leather Footwear) at Small Industries Service Institute, Gauhati on the afternoon of 31-3-1984.

The services of Shri Bhattacharya are replaced at the disposal of the Director, Defence Materials & Stores Research & Development Establishment, Kanpur.

R. R. FOUZDAR
Deputy Director (Admn.)

DIRECTORATE GENERAL OF SUPPLIES & DISPOSALS

(ADMN. SECTION—6)

New Delhi-110001, the June 1984

No. A-17011|272|84-A6.—The Director General of Supplies and Disposals is pleased to appoint Shri A. Ghosh, Examiner of Stores (Engineering) in the Calcutta Inspectorate to officiate as Assistant Inspecting Officer (Engineering) on ad-hoc basis in the same Inspection Circle under this Directorate General with effect from the forenoon of 3-5-1984 until further orders.

The 13th June 1984

No. A-17011|216|83-A6.—Shri B. Krishnamurthy, permanent Examiner of Stores (Engineering) and officiating Assistant Inspecting Officer (Engineering) on ad-hoc basis in the Office of Director of Inspection, Calcutta retired voluntarily from Government Service with effect from the afternoon of 31st December, 1983 under Rule 48-A of C.C.S. (Pension) Rules, 1972.

The 16th June 1984

No. A-17011|261|84-A6.—The Director General of Supplies and Disposals is pleased to appoint Shri P. J. Pyto, Examiner of Stores (Engineering) in the Madras Inspectorate to officiate as Assistant Inspecting Officer (Engineering) on ad-hoc basis in the same Inspecting Circle under this Directorate General with effect from the forenoon of 14-5-1984 until further orders.

No. A-17011|262|84-A6.—The Director General of Supplies and Disposals is pleased to appoint Shri Raj Kumar, Examiner of Stores (Engineering) in the Calcutta Inspectorate to officiate as Assistant Inspecting Officer (Engineering) on ad-hoc basis in the same Inspection Circle under this Directorate General with effect from the forenoon of 11-5-1984 until further orders.

No. A-17011|265|84-A6.—The Director General of Supplies and Disposals is pleased to appoint Shri H. R. Kapur, Examiner of Stores (Engineering) in the N. I. Circle to officiate as Assistant Inspecting Officer (Engineering) on ad-hoc basis in the office of the Dy. Director of Inspection, Kanpur under this Directorate General with effect from the forenoon of 7-5-1984 until further orders.

No. A-17011|267|84-A6.—The Director General of Supplies and Disposals is pleased to appoint Shri R. C. Gupta, Examiner of Stores (Engineering) in the N. I. Circle to officiate as Assistant Inspecting Officer (Engineering) on ad-hoc basis in the same Inspection Circle under this Directorate General with effect from the forenoon of 7-5-1984 until further orders.

No. A-17011|273|84-A6.—The Director General of Supplies & Disposals is pleased to appoint Shri P. K. Ghosh, Examiner of Stores (Engineering) in the Calcutta Inspectorate to officiate as Assistant Inspecting Officer (Engineering) on ad-hoc basis in the same Inspection Circle under this Directorate General with effect from the forenoon of 3-5-1984 until further orders.

No. A-17011|276|84-A6.—The Director General of Supplies & Disposals is pleased to appoint Shri S. K. Ghosh, Examiner of Stores (Engineering) in the Calcutta Inspectorate to officiate as Assistant Inspecting Officer (Engineering) on ad-hoc basis in the same Inspection Circle under this Directorate General with effect from the forenoon of 16-5-1984 until further orders.

No. A-17011|278|84-A6.—The Director General of Supplies and Disposals is pleased to appoint Shri Amarendra Nath Ghosh, Examiner of Stores (Engineering) in the Calcutta Inspectorate to officiate as Assistant Inspecting Officer (Engineering) on ad-hoc basis in the same Inspection Circle under this Directorate General with effect from the forenoon of 3-5-1984 until further orders.

No. A-17011|269|84-A6.—The Director General of Supplies and Disposals is pleased to appoint Shri S. S. Ranpora, Examiner of Stores (Engineering) in the Bombay Inspectorate to officiate as Assistant Inspecting Officer (Engineering) on ad-hoc basis in the same Inspection Circle under this Directorate General with effect from the forenoon of 11-5-1984 until further orders.

No. A-17011|285|84.—The Director General of Supplies and Disposals is pleased to appoint Shri P. K. Moitra, Examiner of Stores (Tex.) in the Calcutta Inspectorate to officiate as Assistant Inspecting Officer (Tex.) on ad-hoc basis in the Bombay Inspection Circle under this Directorate General with effect from the forenoon of 11-5-1984 until further orders.

S. L. KAPOOR
Deputy Director (Administration)
for Director General, Supplies & Disposals.

New Delhi-110001, the 4th June 1984

No. A-6|247(142)|76.—The President is pleased to appoint Shri S. N. Vohra, permanent Director of Inspection (Grade I of Indian Inspection Service, Group 'A') to officiate as Deputy Director General (Inspection) (Supertime Scale post in Grade I of Indian Inspection Service, Group 'A') in the scale of pay of Rs. 2000-125|2-2250 with effect

from the forenoon of 10th May, 1984 and until further orders.

2. Shri S. N. Vohra relinquished charge of the post of Director of Inspection in the Directorate General of Supplies and Disposals (Hdqrs), New Delhi on the afternoon of 30th April, 1984 and assumed charge of the post of Deputy Director General (Inspection) (West & South Zone) at Bombay on the forenoon of 10th May, 1984.

The 13th June 1984

No. A-17011|108/78-A6.—The President is pleased to appoint Shri S. C. Chadha, Inspecting Officer (Engineering) (Grade III of Indian Inspection Service, Group 'A', Engineering Branch) to officiate as Deputy Director of Inspection (Engineering) (Grade II of Indian Inspection Service, Group 'A', Engineering Branch) on purely ad-hoc basis with effect from the forenoon of 23rd April, 1984 for a period of 6 months or till the post is filled on regular basis whichever is earlier. The promotion of Shri Chadha is also subject to final decision on the 3 LPAs Nos. 67|83, 68|83 and 69|83 in Civil Writ Petition Nos. 1457|81, 1590|81 and 1973|81 pending in the High Court of Delhi.

2. The ad-hoc appointment of Shri S. C. Chadha will not bestow on him any right or claim for regular appointment and ad-hoc service rendered would not count for the purpose of seniority in that grade and for eligibility for promotion and confirmation.

3. Shri Chadha relinquished charge of the post of Inspecting Officer (Engineering) on the afternoon of 21st April, 1984 in the office of the Inspecting Officer (Engg.), Jamshedpur under Directorate of Inspection, Calcutta and assumed charge of the office of Deputy Director of Inspection (Engineering) on the forenoon of 23rd April, 1984 at Hyderabad under Director of Inspection, Madras.

S. L. KAPOOR
Deputy Director (Administration)

(ADMINISTRATION SECTION A-1)

New Delhi-1, the 11th June 1984

No. A-1|1(1181).—Shri J. P. Das, permanent Superintendent and officiating Assistant Director (Administration) (Grade II) in the office of Director of Inspection, Calcutta, retired from Government service with effect from the afternoon of 31st May, 1984 on attaining age of superannuation.

RAJBIR SINGH
Deputy Director (Administration)

ISPAT AUR KHAN MANTRALAYA
(KHAN VIBHAG)
GEOLOGICAL SURVEY OF INDIA

Calcutta-700 016, the 30th May 1984

No. 3928B|A-32013(AO)|82-19A.—Shri Jamil Ahmed, Superintendent, (S.G.), Geological Survey of India has been appointed by the Director General, GSI on promotion as Administrative Officer in the same Department on pay according to rules in the scale of pay of Rs. 650-30-740-35-810 - EB - 35-880-40-1000 -EB -40-1200|- in a temporary capacity with effect from the forenoon of 14-3-84 until further orders.

The 1st June 1984

No. 4026B|A-32013(AO)|82-19A.—Shri A. K. Adhya, Superintendent (S.G.), Geological Survey of India has been appointed by the Director General, GSI on promotion as Administrative Officer in the same Department on pay according to rules in the scale of pay of Rs. 650-30-740-35-EB-810-EB-35-880-40-1000-EB-40-1200|- in a temporary capacity with effect from the forenoon of 30-4-84 until further orders.

A. KUSHARI
Director (Personnel)

INDIAN BUREAU OF MINES

Nagpur, the 14th June 1984

No. A.19011(346)|83-Estt.A.—The President is pleased to appoint on the recommendation of the Union Public Service Commission, Dr. Sankar Biswas, to the post of Chemist in the Indian Bureau of Mines in an officiating capacity with effect from the forenoon of 4-5-1984.

No. A-19011(363)|84-Estt.A.—Shri M. K. Rao, Mineral Officer (Statistics) is appointed to officiate as Assistant Mineral Economist (Stat.) a Grade IV post of Indian Statistical Services w.e.f. 11th May, 1984 (Afternoon).

P. P. WADHI
Administrative Officer
for Controller General
Indian Bureau of Mines

ANTHROPOLOGICAL SURVEY OF INDIA
INDIAN MUSEUM

Calcutta-16, the 18th June 1984

No. 4-198|84|Estt.—Smt. Bela Maulik, Research Associate (Physical) in the Anthropological Survey of India is promoted to the post of Assistant Anthropologist (Physical), Group-B (Gazetted) at the Eastern Regional Office, Calcutta in an officiating capacity with effect from the forenoon of 3rd May, 1984, until further orders.

A. K. DAS GUPTA
Administrative Officer

SURVEY OF INDIA
SURVEYOR GENERAL'S OFFICE

Dehra Dun-248001, the 8th June 1984

No. C-6084|718-A.—Shri Goverdhan Pant, Officiating Superintendent, Surveyor General's Office is appointed to officiate as Establishment and Accounts Officer (GCS Group 'B' post), on ad-hoc basis in the scale of pay of Rs. 840-40-1000-EB-40-1200 with effect from 3-4-84(FN) and posted to South Eastern Circle, Bhubaneswar vice Shri S. L. Verma, Establishment and Accounts Officer transferred.

G. C. AGARWAL
Major General
Surveyor General of India
(Appointing Authority)

ZOOLOGICAL SURVEY OF INDIA

Calcutta-12, the 16th June 1984

No. F.9-1|82-Estt.|12168.—Shri Sanjit Kumar Ghosh, Senior Zoological Assistant is hereby appointed to the post of Assistant Zoologist (Group B) in the scale of Rs. 650-1200 in the Headquarters Office of the Zoological Survey of India, Calcutta, in a temporary capacity on ad-hoc basis with effect from the 26th April, 1984 (forenoon) until further orders.

No. F. 2-16/83-Estt./12181.—The following persons are hereby appointed to the post of Assistant Zoologist (Group B) in the scale of Rs. 650-1200 in the Zoological Survey of India, in a temporary capacity with effect from the date and station mentioned against their names and until further orders :

S. No.	Name	Date	Station
1.	Shri T. R. Mitra	27-2-84 (FN)	Headquarters, Zoological Survey of India, Calcutta.
2.	Dr. J. R. Dhanzee	19-3-84 (FN)	Eastern Regional Station, Zoological Survey of India, Shillong.

DR. B. K. TIKADER
Director
Zoological Survey of India

MINISTRY OF INFORMATION & BROADCASTING

DIRECTORATE OF ADVERTISING & VISUAL PUBLICITY

New Delhi, the 6th June 1984

No. A-12025/3/83-Est.—The Director of Advertising and Visual Publicity hereby appoints Shri Bibhuti Bhusan Sikdar as Senior Artist in the scale of Rs. 650-30-740-35-810-EB-35-880-40-1000-EB-40-1200 in this Directorate in a temporary capacity with effect from the forenoon of 9th May, 1984 until further orders.

2. Shri Sikdar will be on probation for a period of two years from the date of appointment which may be extended at the discretion of the appointing authority.

G. P. BHATTI
Deputy Director (Admn.)
for Director of Advertising & Visual Publicity

DIRECTORATE GENERAL OF HEALTH SERVICES

New Delhi, the 14th June 1984

No. A-32013/3/83-RHTC/PH(SD&E).—The Director General of Health Services is pleased to appoint Shri Dalpat Singh, Assistant, Ministry of Health & FW to the post of Administrative Officer, Rural Health Training Centre, Najafgarh, New Delhi with effect from the forenoon of 21st May, 1984 till further orders.

B. K. JANA
Deputy Director Administration (PH)

(STORE I SECTION)

New Delhi, the 13th June 1984

No. A-19012/3/84-S.I.—The Director General of Health Services is pleased to appoint Shri B. C. Datta Khan, Audit Officer of the Office of the Director of Audit N.F. Railway Maligaon, Gauhati to the post of Accounts Officer, Govt. Medical Store Depot, Gauhati with effect from the forenoon of 22nd May, 1984 and until further orders.

R. C. GULATI
Deputy Assistant Director (Stores)

DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY

DIRECTORATE OF PURCHASE & STORES

Bombay-400 001, the 12th June 1984

No. DPS/41/12/83-Adm./13882.—The Director, Directorate of Purchase and Stores, Department of Atomic Energy appoints Shri Pyare Lal Khanna, a permanent Purchase Assistant to officiate as an Asstt. Purchase Officer on an ad-hoc basis in the scale of pay of Rs. 650-30-740-35-810-EB-35-880-40-1000-EB-40-1200 from 23-4-84 (FN) to 25-5-84 (AN) in the same Directorate vice Shri T. V. Ramaswami, Asstt. Purchase Officer granted leave.

No. DPS/41/2/83-Adm./13889.—The Director, Directorate of Purchase and Stores, Department of Atomic Energy appoints Shri P. B. Wadke, a permanent Storekeeper to officiate as an Assistant Stores Officer on an ad-hoc basis in the scale of pay of Rs. 650-30-740-35-810-EB-35-880-40-1000-EB-40-1200 from 17-4-84 (FN) to 31-5-1984 (AN) in the same Directorate vice Shri John Vareed, Assistant Stores Officer granted leave.

P. GOPALAN
Administrative Officer

HEAVY WATER PROJECTS

Bombay-400008, the 11th June 1984

No. 05000/K/2345.—Chief Executive, Heavy Water Projects, appoints Shri Govindaswamy Kulandaivelu, an Upper Division Clerk of Madras Regional Purchase Unit, Directorate of Purchase & Stores, Madras to officiate as Assistant Personnel Officer in Heavy Water Project (Central Office) w.e.f. May 18, 1984 (FN) in a temporary capacity until further orders.

The 12th June 1984

No. 05012/R1/OP/2382.—Chief Executive, Heavy Water Projects, appoints Shri Achyut Mukund Vaidya, a permanent Assistant Accounts Officer, Heavy Water Projects (Central Office) to officiate as Pay & Accounts Officer in the same office, in a temporary capacity, on ad-hoc basis from the forenoon of April 9, 1984 to May 11, 1984 (AN) *vice* Shri V. K. Poddar, P&AO, granted leave.

No. 05012/R1/OP/2383.—Chief Executive, Heavy Water Projects appoints Shri Pandarathil Padmanabhan Nambiar, a permanent Assistant Accountant, Heavy Water Projects (Central Office) to officiate as Assistant Accounts Officer in the same office, in a temporary capacity, on ad-hoc basis from the forenoon of April 9, 1984 to May 11, 1984 (AN) vice Shri A. M. Vaidya, Assistant Accounts Officer, appointed to officiate as Accounts Officer-II.

SMT. K. P. *KALLYANIKUTTY*
Administrative Officer

OFFICE OF THE DIRECTOR GENERAL OF CIVIL AVIATION

New Delhi, the 30th May 1984

No. A-32013/3/82-EC(')—In continuation of this Department's Notification No. A-32013/3/82-EC dated the 4th Jan., 1984, the President is pleased to continue the ad-hoc appointment of the following officers in the grade of Senior Technical Officer for the period indicated against each :

Sl. No.	Name	Station of posting	Period From	Period To
	S/Shri			
1.	V. C. Reddy	ACS, Hyderabad	1-1-84	10-1-84
2.	U. K. Sinha	ACS, Calcutta	1-1-84	10-1-84
3.	P. Gupta	ACS, Gauhati	1-1-84	10-1-84
4.	K. Chandrachudan	RCDU, New Delhi	1-1-84	10-1-84
5.	V. Govartanan	ACS, Silchar	1-1-84	10-1-84
6.	N.R.N. Iyengar	ACS, Bangalore	1-1-84	10-1-84
7.	A. K. Sangal	ACS, Nagpur	1-1-84	10-1-84
8.	C. L. Malik	ACS, Bombay	1-1-84	10-1-84
9.	S. D. Awasthi	ACS, Jaipur	1-1-84	30-6-84
10.	A. V. Krishna	RCDU, New Delhi	1-1-84	30-6-84
11.	K. R. Ramanujam	ACS, Bombay	1-1-84	30-6-84
12.	V. S. Mittra	RCDU, New Delhi	1-1-84	30-6-84
13.	S. D. Bansal	RCDU, New Delhi	1-1-84	30-6-84
14.	M. L. Dhar	RCDU, New Delhi	1-1-84	30-6-84
15.	V. Subramanian	ACS, Madras	1-1-84	30-6-84

The 14th June 1984

No. A-32013|9|83-EC.—In continuation of this Department's Notification No. A-32013|10|82-EC dated the 22nd May, 1983 the President is pleased to appoint Shri T. C. S. Moosad, Communication Officer, Aero. Comm. Station, Madras to the grade of Senior Communication Officer on a regular basis w.e.f. 11-1-84 and until further orders.

No. A-38013|1|84-EC.—Shri R. N. Moghe, Assistant Communication Officer, Aero. Comm. Station, Bombay in the Aeronautical Communication Organisation of the Civil Aviation Department relinquished charge of his office w.e.f. 31-5-84 (A.N.) on retirement on attaining the age of superannuation.

O. P. AGGARWAL
Assistant Director of Administration

New Delhi, the 11th June 1984

No. A-32014|2|84-EW.—The Director General of Civil Aviation is pleased to appoint Shri R. S. Pandey, Senior Fire Foreman, to the grade of Assistant Fire Officer in the scale of pay of Rs. 650-1200 in the Civil Aviation Department on promotion on ad-hoc basis from 25-2-1984 to 10-4-1984 and thereafter on regular basis with effect from 11-4-1984 (Forenoon).

2. Shri R. S. Pandey is posted at the Office of the Controller of Aerodromes, Civil Aerodrome, Gauhati.

B. BHAUMIK
Assistant Director of Administration

FOREST RESEARCH INSTITUTES AND COLLEGES

Dehradun, the 11th June 1984

No. 16|242|77-Ests.I.—The President, Forest Research Institute & Colleges, Dehradun has accepted the resignation tendered by Dr. M. S. Haque from the post of Research Officer, Forest Genetics Branch under the Forest Research Institute & Colleges, Dehradun, with effect from the afternoon of 11-4-1984.

The 13th June 1984

No. 16|424|84-Ests-I.—The President, Forest Research Institute and Colleges, Dehradun has been pleased to appoint Dr. (Miss) Veena Chandra to the post of Research Officer, Forest Research Institute & Colleges, Dehradun with effect from the forenoon of 8th May 1984 in a temporary capacity until further orders.

G. S. GROVER
Registrar
Forest Research Institute & Colleges

COLLECTORATE OF CENTRAL EXCISE AND CUSTOMS

Bhubaneswar, the 2nd June 1984

No. 4|84.—The following Gazetted Officers of Collectorate of Central Excise and Customs, Bhubaneswar retired from Government Service on Superannuation in the afternoon of 30th April, 1984.

1. Shri Dinesh Chandra Banerjee, Assistant Collector
2. Shri Bijoy Kumar Behera, Superintendent
3. Shri Bhabagrahi Das, Superintendent

C. SATAPATHY
Deputy Collector (P&E)

DIRECTORATE OF O&M SERVICES CUSTOMS AND CENTRAL EXCISE

New Delhi, the 14th June 1984

F. No. 532|7|79-O&MS.—Shri P. N. Khurana, Inspector of the office of Narcotics Commissioner, Gwalior presently working as Technical Assistant in this Directorate has assumed the charge of the post of Additional Assistant Director in the Directorate of O&M Services, Customs and Central Excise with effect from the F.N. of 1st June, 1984.

K. J. RAMAN
Director of O&M Services
Customs & Central Excise

CENTRAL WATER COMMISSION

New Delhi, the 15th June 1984

No. A-19012|1055|84-Estt.V.—Chairman, Central Water Commission hereby appoints Shri Arvind Gupta, Design Assistant to officiate in the grade of Extra Assistant Director| Assistant Engineer (Engg) on a purely temporary and ad-hoc basis in the scale of pay of Rs. 650-30-740-35-810-EB-35-880-40-1000-EB-40-1200 for a period of one year or till the post is filled on regular basis, whichever is earlier, with effect from the forenoon of 29-5-1984.

MEENAKSHI ARORA
Under Secy. (C)
Central Water Commission

CENTRAL ELECTRICITY AUTHORITY

New Delhi-110066, the 1st June 1984

No. 2|7|84-Adm.I(B).—The Chairman, Central Electricity Authority, hereby appoints Shri S. Eswaran, Technical Assistant to the grade of Extra Assistant Director|Assistant Engineer of the Central Power Engineering (Group B) Service in the Central Electricity Authority in an officiating capacity with effect from the forenoon of the 26th April, 1984, until further orders.

B. M. LALL
Under Secy.
for Chairman

DIRECTORATE GENERAL OF WORKS CENTRAL PUBLIC WORKS DEPARTMENT

New Delhi, the 6th May 1984.

No. 32/2/84-EC II.—The following officers of the Central Public Works Department on attaining the age of superannuation (58 years) have been retired from the Govt. Service with effect from the date as mentioned against each of the officers :

S. No.	Name of Officer	Date of retirement	Designation & last posting station.
1	2	3	4
	/S/Shri		
1.	J. S. Uppal, E.E. (El.)	30-11-83 (AN)	E.E. (Elect.) Elect. Divn. No. VI, C.P.W.D., New Delhi.

1 2		3
2. V.P. Mehta, E.E. (El.)	31-12-83 (AN)	E.E. (El.) Elect. Constn. Divn. No. V, C.P.W.D., New Delhi.
3. R.K. Kalra, E.E. (El.)	31-12-83 (AN)	E.E. (El.) (Vig.) Office of Chief Engineer (Vig.), CPWD, New Delhi.
4. A.S. Virdy, E.E. (C)	31-1-84 (AN)	E.E. (C) (Val.) I.T.D., Amritsar.
5. T.R.B. Gangwani, E.E. (C)	31-3-84 (AN)	E.E.(C) 'H' Divn., C.P.W.D., New Delhi.
6. V.R. Bhuvaraghavan, E.E. (C)	31-3-84 (AN)	S.W. (C), S.S.W.(SZ), C.P.W.D., Madras.
7. M.P Agrawala, E.E.(C)	31-3-84 (AN)	S.W.I., S.S.W.(I) P.W.D. Circle (Delhi Admn.) I. P. Estate, New Delhi.
8. J.N. Sarkar, E.E.(C)	31-1-84 (AN)	E.E. (Val) Unit V, O/O the S.E. (Val.) I·T· Deptt., New Delhi.

MEENA GARG,
Dy. Director of Administration
for Director General (Works)

MINISTRY OF LAW, JUSTICE & COMPANY AFFAIRS

(DEPARTMENT OF COMPANY AFFAIRS)

(COMPANY LAW BOARD)

OFFICE OF THE REGISTRAR OF COMPANIES

In the matter of the Companies Act, 1956 and of Shanti Sales & Distributor's Private Limited

Kanpur, the 16th June 1984

No. 4200|LC|1862.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the Shanti Sales & Distributor's Pvt. Limited unless cause is known to the contrary, will be struck off the Register and the company will be dissolved.

In the matter of the Companies Act, 1956 and of R. Grewal & Sons Private Limited

Kanpur, the 16th June 1984

No. 4866|L.C.|4679.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the R. Grewal & Sons Private Limited unless cause is known to the contrary, will be struck off the Registrar and the said company will be dissolved.

V. P. KAPOOR
Registrar of Companies, U.P.,
Kanpur.

FORM ITNS————

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, BIHAR
BORING CANAL ROAD, PATNA-800 001

Patna, the 11th May 1984

Ref. No. III-936|Acq|84-85.—Whereas, I, P. K. DUBEY, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
Tauzi No. 519, Sheet No. 40, Plot No. 1381, Holding No. 554, 618 (Old) 2277 (New) situated at Kankarbagh Road, Patna
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the
Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Patna on 25-10-83
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Lakhan Lal Saw S|o Late Mannu Lal Saw At Mohalla Bakarganj Bajaja, P.S. Pirbahore, Patna-4.
(Transferor)

(2) Shri Madan Lal Ghorawat S|o Shri Sohan Lal Ghorawat Prop. National Chemical and Pharmaceutical Works, Kankarbagh Road P.O. and P. S. Kankarbagh, Patna.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land measuring 11527½ Sq. ft. with building situated at Kankarbagh Road Town and Dist. Patna and morefully described in Deed No. 8577 dated 25-10-83 registered with D.S.R. Patna.

P. K. DUBEY
Competent Authority
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax
Acquisition Range
Bihar, Patna.

Date : 11-5-84
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, BIHAR
BORING CANAL ROAD, PATNA-800 001

Patna, the 8th June 1984

Ref. No. III-938|Acq|84-85.--Whereas, I, P. K. DUBEY, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000|- and bearing
Mouza Dhaiya No. 6, Khata No. 130, Plot No. 1397 situated at Mouza Dhaiya, P.S. Dhanbad, Dist. Dhanbad
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of Registering Officer at
Dhanbad on 3-10-83
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) M|s. Jitendra Investment Co. Ltd., Registered Office at 8 Waterloo Street, Calcutta. At present Lal Bazar, P.O. Jharia, Dist. Dhanbad. Through its Director, Sir Devendra Kumar Agrawall S|o Late Banwari Lal Agrawall.

(Transferor)

(2) Shri Atul Kumar Agrawalla S|o Sri Mahendra Kumar Agrawalla R|o Lal Bazar, P.O. Jharia, Dist. Dhanbad.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

8 Decimal land with cottage building situated at Mouza Dhaiya, P.O. Dhanbad, Dist. Dhanbad and more fully described in Deed No. 11562 dated 3-10-83 registered with D.S.R. Dhanbad.

Bihar, Patna.
Competent Authority
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax
Acquisition Range
Bihar, Patna

Date : 8-6-84.
Seal :

FORM ITNS——

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, BIHAR
BORING CANAL ROAD, PATNA-800 001

Patna, the 8th June 1984

Ref. No. III-939|Acq|84-85.—Whereas, I. P. K. DUBEY, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000|- and bearing
Mouza Dhaiya No. 6, Khata No. 130, Plot No. 1397
situated at Mouza Dhaiya, P.S. Dhanbad, Dist. Dhanbad
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred
under the Registration Act, 1908 (16 of 1908)
in the office of the Registering Officer at
Dhanbad on 12-10-83
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and|or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Devendra Kumar Agrawalla, S|o Sri Banwari Lal Agrawalla, R|o Jharia, P.O. Jharia, Dist. Dhanbad.

(Transferor)

(2) Shri Prabhav Kumar Agrawalla, S|o Sri Yogendra Kumar Agrawalla, R|o Lal Bazar, P.O. Jharia, Dist. Dhanbad.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter

THE SCHEDULE

7 Decimal land with cottage building situated at Mouza Dhaiya, P.O. Jharia, Dist. Dhanbad and more fully described deed No. 12055 dated 12-10-83 registered with D.S.R. Dhanbad.

P. K. DUBEY
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner
Acquisition Range
Bihar, Patna.

Date : 8-6-84.
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX.

ACQUISITION RANGE-III,
AGGARWAL BHAWAN
NEAR BROADWAY HOTEL,
4|14-A ASAF ALI ROAD
NEW DELHI

New Delhi, the 28th May 1984

Ref. No. SR.IV|IAC|Acq.III|10-83|885.—Whereas, I, B. K. GUPTA, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000|- and bearing Plot No. 83-84 Village Ghondli situated at Sahadara, Delhi-51 (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at New Delhi in October, 1983 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-Tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) Shri Ramhinder Singh
S|o Shri Harkishan Singh
R|o 83-84 East Azad Nagar,
Delhi.

(Transferor)

(2) Smt. Davinder Kaur
W|o Shri Balwinder Singh
R|o 84, East Azad Nagar,
Delhi.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Built up portion of Plot No. 83-84 measuring 200 sq. yds. Part of Khasra No. 922|291-289 and 303-307 situated at Vill. Ghondli in the Abadi of East Azad Nagar, Illaqa Shahdara, Delhi-51.

B. K. GUPTA
Competent Authority
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-III
Delhi|New Delhi

Date : 28-5-1984
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-III,
AGGARWAL BHAWAN
NEAR BROADWAY HOTEL,
4|14-A ASAF ALI ROAD
NEW DELHI

New Delhi, the 29th 1984

Ref. No. SR-II|IAC|Acq.III|10-83|1008.—Whereas, I, B. K. GUPTA, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. FG-122 situated at village Naraina in the abadi of Inderpuri, Delhi (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at New Delhi in October, 1983 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Lov Dev s|o Chaman Lal,
R|o G-102 Nai Basti,
Seelampur, Shahdara,
Delhi.

(Transferor)

(2) Shri Babu Babel, EA-1|32, Inderpuri,
New Delhi.

(Transferee)

Objections, if any to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Plot No. EG-122 measuring 128 sq. yards khasra No. 1610 Village Naraina, Inderpuri, New Delhi.

B. K. GUPTA
Competent Authority
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-III
Delhi|New Delhi

Date : 29-5-1984
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX.

ACQUISITION RANGE-III,
AGGARWAL BHAWAN
NEAR BROADWAY HOTEL,
4|14-A ASAF ALI ROAD
NEW DELHI

New Delhi, the 27th April 1984

Ref. No. IAC|Acq.III|SR-10-83|343.—Whereas, I, B. K. GUPTA,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000|- and bearing No. 152 MCD Market, Sarswati Marg, situated at Karol Bagh, New Delhi (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at New Delhi in October, 1983 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Ram Rekha Chawla,
114 Double Storeyed,
New Rajinder Nagar,
New Delhi.

(Transferor)

(2) Shri Kartar Singh,
CA-52C, Hari Nagar,
New Delhi.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

152 MCD Market, Sarswati Marg, Karol Bagh, New Delhi.

B. K. GUPTA
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-III
Delhi|New Delhi

Date : 27-4-1984
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX ACQUISITION RANGE-III, AGGARWAL BHAWAN NEAR BROADWAY HOTEL, 4|14-A ASAF ALI ROAD NEW DELHI

New Delhi, the 27th April 1984

Ref. No. IAC|Acq.III|SR-III|10-83|357.—Whereas, I, B. K. GUPTA, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000|- and bearing One flat No. 1 on front portion situated at Siri Fort Road, Masjid Moth, New Delhi. (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at new Delhi in October, 1983 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri N. R. Mohindra, Subash Mohindra, Harish Mohindra, Usha Mohindra, Mala Mohindra, A-1|98, Safdarjang Enclave, New Delhi.

(Transferor)

(2) Smt. Indra Bhargwa, Shashank Bhargwa, 184-A Anandpuri, Meerut City (UP).

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this noitce in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

One flat No. 1 on the front portion of 1st floor building Area 1311 sq. ft. plus 76 sq. ft. Balcony alongwith proportionate share in land of property bearing No. 9 Siri Fort Road, Masjid Moth, New Delhi.

B. K. GUPTA
Competent Authority
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-III
Delhi|New Delhi

Date : 27-4-1984
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-I, G-13 GROUND FLOOR CR BUILDING, I.P. ESTATE NEW DELHI

New Delhi, the 2nd June 1984

Ref. No. IAC/Acq.I 37EE/10-83/450.—Whereas, I, SUDHIR CHANDRA, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. 6492 and 6492-A, Situated at F. Block, Connaught Circus, New Delhi (and more fully described in the schedule annexed hereto) has been transferred under the Income-tax Act 1961 in the office of the IAC. Acq. Range-I, New Delhi in October, 1983 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Jagmohan Gupta, Shri B. P. Jain, Shri V. K. Jain, Shri Virender Kumar Jain, Shri Sanjiv Kumar Jain, Shri Vikram Kumar Jain and Shri Chikram Kumar Jain.
Name and address of the Transferor.
1. Shri Jagmohan Gupta,
S/o Shri Prem Raj
R/o Prem Bhawan,
4144-Pahari Dhiraj, Delhi-110006, Karta of Jagmohan Gupta & Sons (HUF).
2. Shri B. P. Jain
S/o Shri Phool Chand Jain
R/o D-400 Defence Colony, New Delhi,
Karta of the HUF
M/s. Girdhari Lal Jain and Brothers, which HUF consists of the following smaller HF.
(1) Vipin Chand Jain
S/o Shri Girdhari Lal Jain
R/o 4498 Pahari Dhiraj, Delhi-110006,
Karta of Girdhari Lal Jain & Sons (HUF).
(2) Shri Bimal Pershad Jain
S/o Shri Phool Chand Jain,
R/o D-400, Defence Colony,
New Delhi-24 Karta of
Bimal Pershad Jain & Sons (HUF).
(3) Shri Trilok Chand Jain
S/o Shri Phool Chand Jain
R/o D-422, Defence Colony,
New Delhi-24 Karta of
Trilok Chand Jain & Sons (HUF).
3. Shri V. K. Jain.
S/o Shri Ishri Pershad Jain
R/o D-87 Defence Colony, New Delhi
Karta of M/s. Ishri Pershad Jain (HUF).
which HUF has the following co-partners :—
(1) Virender Kumar Jain
(2) Sanjiv Kumar Jain
4. Shri Virender Kumar Jain
S/o Shri Ishri Parshad Jain
R/o D-87, Defence Colony, New Delhi-24.
Karta of Virender Kumar Jain (HUF)
5. Shri Sanjiv Kumar Jain
S/o Sher Singh Jain s/o Shri Ishri Pershad Jain
R/o D-405 Defence Colony, New Delhi-24.
Karta of Sanjiv Kumar Jain (HUF).
6. Shri Vikram Kumar Jain
S/o Shri Nihal Chand Jain,
R/o 6236 Bara Tooti Sadar Bazar,
Delhi-6 Karta of
Vikram Kumar Jain & Sons (HUF).
7. Shri Chikram Kumar Jain
S/o Shri Nihal Chand Jain
C/o Ashoka & Co.
56 Okhla Industrial Estate, New Delhi
Karta of Chikram Kumar Jain & Sons (HUF).
(Transferor)

(2) M/s. Dalmia Dairy Industries Ltd.
11-ABC, Atma Ram House,
1 Tolstoy Marg,
New Delhi.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made writing to the undersigned:—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Property bearing old Municipal Nos. 6492 and 6492-A and new Municipal Nos. F-7/1, F-7/2, F-7/3, F-7/4, F-7/8, F-7/9, F-7/10, F-7/11 in F Block Connaught Place, New Delhi, Measuring 4,700 sq. ft.

SUDHIR CHANDRA
Competent Authority
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax
Acquisition Range,
Delhi/New Delhi

Date 2-6-84
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA
OFFICE OF THE INSPECTING
ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX
ACQUISITION RANGE,
PRATIKAR SADAN,
60/61, ERANDAVANE, POONA

Pune, the 2nd April 1984

Ref. No. IAC|ACQ|CA-5|37EE|600|84-85.—Whereas, I, SHASHIKANT KULKARNI, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-Tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act', have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000|- and bearing Flat No. 21, 2nd floor, Wing-A, Ganesh Palace, Chittaranjan Das Road, Ramnagar, Dombivali (East) situated at Distt. Thane (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at IAC. Acqn. Range, Pune in October, 1983 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269-C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons namely :—

(1) M/s. Aashish Builders,
157, Shankar Dham,
Block No. 6, Scheme No. 57,
Road No. 16, Wadala,
Bombay-4000 031.

(Transferor)

(2) Mr. Suresh Vishwanath Moghe,
B-8, Sukhijivan Society,
Ramnagar, Dombivali East,
Distt. Thane-42 201.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Flat No. 21, 2nd floor, Wing 'A' Ganesh Palace, Chittaranjan Das Road, Ramnagar, Dombivali (East), Dist. Thane.
(Area—697 sq. ft. carpet)
Property as described in the agreement to sale registered in the office of the I.A.C. Acquisition Range, Pune under Document No. 2550|83-84 in the month of October, 1983.)

SHASHIKANT KULKARNI
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Poona

Date : 2-4-1984
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE,
PRATIKAR SADAN,
60|6, ERANDAVANE, POONA

Pune, the 2nd April 1984

Flat No. G, 5th floor, Wing No. II Thackers House,
SHASHIKANT KULKARNI,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/ and bearing No.
Flat No. G, 5th floor, Wing No. 11 Thackers House,
C.C. No. 2418, East Street, situated at Pune-1
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the registering officer at
I.AC. Acqn. Range, Pune on October 1983
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration or such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer: and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons namely :—

(1) M|s. Thackers and Parmar Properties Pvt. Ltd.,
116|118—1st Marine Street,
Bombay-2.

(Transferor)

(2) 1. Smt. Ishwari Prataprai Mehboobani
2. Shri Jacky Prataprai Mehboobani
3. Smt. Geeta Jacky Mehboobani,
2406, East Street, Pune-1.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Flat No. G, on 5th floor admeasuring 1015 sq ft. Wing No. II in the building as THACKERS HOUSE, bearing Cantonment Committee No. 2418, East Street, Pune-411001.
(Property as described in the agreement to sale registered in the office of the I.A.C. Acquisition Range, Pune under Document No. 1814 in the month of October, 1983.)

SHASHIKANT KULKARNI
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Pune

Date : 2-4-1984
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE,
PRATIKAR SADAN,
60/6, ERANDAVANE, POONA

Pune, the 2nd April 1984

Ref. No. IAC|ACQ|CA-5|37EE|84-85|602.—Whereas, I, SHASHIKANT KULKARNI,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
Property at Plot No. 15, 1st floor, Bldg No. 2 Saraswati Nagar, Co-operative Housing Society, Kopri Colony, situated at Thane (East)
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
IAC, Acqn. Range, Pune on October 1983
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Rameshlal Govindram Sathija,
2|13, Saraswatinagar, Kopri Colony,
Thane East-400603.

(Transferor)

(2) Mrs. Raghukanthabai Ramarao Shroff,
Mr. Shroff Gururajarao,
2|18 Daulatnagar,
Thane East-400603.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Flat No. 13, 1st floor, Building No. 2, Saraswatinagar, Kopri Colony, Thane East-400603.
(Area—715 sq. ft.)
(Property as described in the agreement to sale registered in the office of the I.A.C. Acquisition Range, Pune under Document No. 2598|83-84 in the months of December, 1983.)

SHASHIKANT KULKARNI
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Pune

Date : 2-4-1984
Seal :

FORM ITNS————

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE,
PRATIKAR SADAN,
60|6, ERANDAVANE, PUNE

Pune, the 10th April 1984

Ref. No. IAC|ACQ|CA-5|37EE|84-85|603.—Whereas, I, SHASHIKANT KULKARNI, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the said Act), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000|- and bearing Flat No. 1A C.T.S. No. 472|C-2, Gultekadi situated at Pune-9 (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of Registering Officer at IAC. Acqn. Range, Pune in December, 1983 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) M|s. Poornima Builders,
372, New Rasta Peth,
Pune-411011.
(Transferor)

(2) Shri Popatlal Bhagchand Ostwal,
362, Ganesh Peth,
Pune-411011.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later.

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter

THE SCHEDULE

Flat No. 1A building to be constructed on plot bearing C.T.S. No. 472|C-2 Gultekadi, Pune-411 009.
(Area—480 sq. ft.)
(Property as described in the agreement to sale registered in the office of the I.A.C. Acquisition Range, Pune under Document No. 2296|83-84 in the month of December, 1983.)

SHASHIKANT KULKARNI
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Pune

Date : 10-4-1984
Seal :

FORM ITNS——

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX
ACQUISITION RANGE,
PRATIKAR SADAN,
60|6, ERANDAVANE, PUNE

Pune, the 28th April 1984

Ref. No. IAC|ACQ|CA-5|37EE|84-85|604.—Whereas, I, SHASHIKANT KULKARNI,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000|- and bearing No.
Flat No. 6, Pitruchhaya Bldg., Plot No. 3, Village Achole, Tal. Vasai situated at Dist. Thane
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred
under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
IAC. Acqn. Range, Pune on October 1983
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reasons to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen percent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) M|s. Manisha Construction Corporation,
Through proprietor Shri Krishnakumar Dave,
Residing at Achole Road,
At Achole Taluka. Vasai,
Dist. Thane.

(Transferor)

(2) Smt. Shobhavati Hiralal Mishra,
Residing at Room No. 7,
Block No. X-13, Godrej Colony,
Vikroli (E), Bombay-78.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Flat No. 6 second floor, Pitruchhaya Building. Plot No 3, Village Achole, Tal. Vasai, Dist. Thane.
(Area—620 sq. ft.)

(Property as described in the agreement to sale registered in the office of the I.A.C. Acquisition Range, Pune under Document No. 2913 in the month of December, 1983.)

SHASHIKANT KULKARNI
Competent Authority
Inspecting Asstt Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range. Pune

Date : 28-4-1984
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX
ACQUISITION RANGE,
PRATIKAR SADAN,
60/6, ERANDAVANE, PUNE

Pune, the 7th April 1984

Ref. No. IAC|ACQ|CA-5|37EE|84-85|605.—Whereas, I, SHASHIKANT KULKARNI,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
Survey No. 121 and 122, Plot No. 51, Kothrud
situated at Pune
(and more fully described in the schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
IAC. Acqn. Range, Pune in January, 1984
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideraiton for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :-

(1) 1. Shri P. V. Sonalkar.
2. Shri B. V. Sonalkar and
3. Shri M. V. Sonalkar,
Anurag Apartment, Erandawana,
Poona-4.

(Transferor)

(2) M/s. Neema Builders,
501, Rasta Peth,
Poona-411011.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Property at survey No. 121 and 122 Plot No. 51, Kothrud, Poona.

(Area—25120 sq. ft.)

(Property as described in the agreement to sale registered in the office of the I.A.C. Acquisition Range, Pune under Document No 3517/83-84 in the month of January, 1984).

SHASHIKANT KULKARNI
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Pune

Date : 7-4-1984
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE,
PRATIKAR SADAN,
60/6, ERANDAVANE, PUNA

Pune, the 7th April 1984

Ref. No. IAC|ACQ|CA-5|37EE|84-85|606.—Whereas, I, SHASHIKANT KULKARNI,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
Flat in Gitali, C.S. No. 786|9|10|15|16 F. P. No. 243, Shivajinagar T.P. Scheme, No. 1 situated at Pune
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
IAC. Acqn. Range, Pune in December, 1983
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957):

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

40—136GI|84

(1) Mr. D. K. Garde
Partner of
M|s. Vastushilp, 'Vidya' 94|2A, Erandawana,
Pune-411004

(Transferor)

(2) Shri H. M. Pawar,
3|44 Guruprasad,
Pune-411 001.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Top floor, South side flat in 'Gitali' situated at C.S. No. 786|9|10|15|16, F. Plot No. 243, Shivajinagar, T. P. Scheme No. 1, Pune.
(Area—1200 sq. ft. carpet area)
(Property as described in the agreement to sale registered in the office of the I.A.C. Acquisition Range, Pune under Document No. 3058|83-84 in the month of December, 1984).

SHASHIKANT KULKARNI
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Pune

Date : 2-4-1984
Seal :

FORM I.T.N.S.———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX
ACQUISITION RANGE,
PRATIKAR SADAN,
60|6, ERANDAVANE, PUNA

Pune, the 6th April 1984

Ref. No. IAC|ACQ|CA-5|37EE|84-85|607.—Whereas, I, SHASHIKANT KULKARNI,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000|- and bearing No.
Flat No. 304, 3rd floor, Property H. No. 2416
East Street, Pune-1 situated at Pune-1
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the registering Officer at
IAC. Acqn. Range, Pune in November, 1983
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid nexceeds the apparent consideratio therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrumen of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or;

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act 1922 (11 of 1922), or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) M|s. Makwana Bros. & Co.
441 Sonwar Peth,
Pune-411001.

(Transferor)

(2) M|s. Jyoti Dayaldas Daswani,
P.O. Box No. 12427, Ibadan Oyostate,
Nigeria, West Africa.

(Transferee)

Objection, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :— The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given at that Chapter.

THE SCHEDULE

Flat No. 304, situated on 3rd floor, H. No. 2416, East Street, General Thimaya Road, Pune-411 001.

(Area—11,511 sq. ft)

(Property as described in the agreement to sale registered in the office of the I.A.C. Acquisition Range, Pune under Document No. 2237|83-84 in the month of November, 1983).

SHASHIKANT KULKARNI
Competent Authority
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Pune

Date : 6-4-1984
Seal :

FORM ITNS——

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, PUNE

Pune the 2nd April 1984

Ref. No. IAC. ACQ|CA-5|608|37EE|84-85.—Whereas, I, SHASHIKANT KULKARNI,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding
Rs. 25,000|- and bearing
No. H, Vth floor, Wing No. II, Thackers House, C.C. No. 2418, East Street, situated at Pune-1
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred
under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at IAC. Acquisition Range, Pune in October, 1983
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) M/s. Thackers and Parmar Properties Pvt. Ltd.,
116|118-1st Marine Street,
Bombay-400 002.

(Transferor)

(2) 1. Smt. Ishwari Prataprai Mehboobani,
2. Shri Sunder Prataprai Mehboobani,
3. Smt. Veenu Sunder Mehboobani,
2406, East Street, Pune-411 001.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

A flat No. H. Vth floor, admeasuring 905 sq. ft. Wing No. II Building known as Thackers House. Contonment Committee No. 2418, East Street, Pune-411 001.

(Property as described in the agreement to sale registered in the office of the I.A.C. Acquisition Range, Pune under document No. 1559|83-84 in the month of October, 1983).

SHASHIKANT KULKARNI
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Pune.

Date : 2-4-1984
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE
PRAPTIKAR SADAN, 50/61 ERANDAVANE, POONA-4

Pune, the 5th April 1984

Ref. No. IAC ACQ/CA-5/609/37EE/84-85.—Whereas, I, SHASHIKANT KULKARNI, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Flat No. 7, Rajkiran Apartment, Plot No. 87, S. No. 50, 52, 53A. Parvati situated at Pune-411 009 (and more fully described in the Schedule annexed hereto), under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering officer at IAC. Acqn. Range, Pune in October, 1983 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section(1) of Section 269D of the said Act, to the following persons namely :—

(1) M/s. Chopra Developers, 245, Narayan Peth, Pune-411 030.

(Transferor)

(2) Shri Vivekanand, Baburao Takawale, 862. Kasabapeth, Pune-411 011.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Flat No. 7, Rajkiran Apartment, Plot No. 87, S. No. 50, 52, 53-A Parvati, Pune-411 009. (Area—705 sq. ft.).

(Property as described in the agreement to sale registered in the office of the I.A.C. Acquisition Range, Pune under document No. 1693 in the month of October, 1983).

SHASHIKANT KULKARNI
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Pune.

Date : 5-4-1984
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE
PRAPTIKAR SADAN, 60|61-ERANDAVANE, POONA-4

Pune, the 5th April 1984

Ref. No. IAC ACQ/CA-5/610|37EE|84-85.—Whereas, I, SHASHIKANT KULKARNI, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000|- and bearing
No. Flat No. Rajkiran Apartment, Plot No. 87, S. No. 50, 52, 53A Parvati situated at Pune-9
(East) Bombay-400093
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred and the agreement is registered under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering officer
at IAC, Acquisition Range, Pune in October, 1983
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to any tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) M/s. Choma Developers,
245, Narayanpeth,
Pune.

(Transferor)

(2) Shri Ganpatrao, Sambhaji Tambe,
Village Jeur,
Tal. Purandhar, Dist. Pune.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Flat No. 10, Rajkiran Apartment, Plot No. 87, S. No. 50, 52, 53A, Parvati, Pune-411 009. (Area—577 sq. ft.).

(Property as described in the agreement to sale registered in the office of the I.A.C. Acquisition Range, Pune under document No. 2035|83-84 in the month of October, 1983).

SHASHIKANT KULKARNI
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Poona.

Date : 5-4-1984
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE
PRAPTIKAR SADAN, 60|61-ERANDAVANE, POONA-4

Pune, the 5th April 1984

Ref. No. IAC. ACQ|CA-5|37EE|84-85.—Whereas, I, SHASHIKANT KULKARNI, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000|- and bearing No. Flat No. 6, Rajkiran Apartment, Plot No. 87, S. No. 50-52-53A, Parvati, situated at Pune-9 (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred and the agreement is registered under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering officer at IAC. Acquisition Range, Pune in October, 1983 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) M|s. Chopra Developers, 245, Narayanpeth, Pune-411 030.

(Transferor)

(2) 1. Shri Deelip Shamrao Avale,
2. Mrs. Shailaja Deelip Avale,
Varad Vinayak Housing Society,
Vadgaon Sheri, Pune-411 014.

(Transferee)

Objection, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Flat No. 6, Rajkiran Apartments, Plot No. 87, Survey No. 50-52-53(A), Parvati, Walvekarnagar, Pune-411 009. (Area—577 sq. ft.).

(Property as described in the agreement to sale registered in the office of the I.A.C. Acquisition Range, Pune under document No. 1691|83-84 in the month of October, 1983).

SHASHIKANT KULKARNI
Competent Authority
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Poona.

Date : 5-4-1984
Seal :

FORM NOo. I.T.N.S.———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE
PRAPTIKAR SADAN, 60|61-ERANDAVANE, POONA-4

Pune, the 5th April 1984

Ref. No. IAC ACQ|CA-5|613|37EE|84-85.—Whereas, I, SHASHIKANT KULKARNI,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000|- and bearing No.
No. Flat No. 120, K. P. Tower-2, Plot No. 4, Hissa No. 6 S. No. 17A. Mouje Wanowarie situated at Pune
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registering Officer at IAC, ACQN Range Pune in June, 1984
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) M|s. Parmar Constructions,
321|3, New Timber Market Road,
Pune-411 002.
(Transferor)

(2) Mr. L. E. Jolly, 28, Kahun Road, Pune-411 001.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Flat No. 120 in K. P. Tower-2, Plot No. 4, Hissa No. 6, S. No. 17A Mouje Wanowarie, Pune-13. (Area—790 sq. ft.).

(Property as described in the agreement to sale registered in the office of the I.A.C. Acquisition Range, Pune under document No. 3623|83-84 in the month of January, 1984).

SHASHIKANT KULKARNI
Competent Authority
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Poona.

Date : 2-4-1984
Date : 5-4-1984

FORM ITNS——

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE
PRAPTIKAR SADAN, 60|61 ERANDAVANE, POONA-4

Pune-4, the 5th April 1984

Ref. No. IAC ACQ|CA 5|614|37EE|84-85.—Whereas, I, SHASHIKANT KULKARNI, being the Competent Authority under Section 269-B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000|- and bearing No. No. Flat No. 424, in KPT-II, Plot No. 4, Hissa No. 6, Mouje Wanowarie situated at Pune (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at at IAC. Acquisition Range, Pune in October, 1983 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) M|s. F[illegible] Constructions,
321[illegible] New Timber Market Road Pune-2

(Transferor)

(2) Mr. Anwar Aziz Shaikh,
C|o. Tarik Zahid Est Painting Div.,
P.O. Box-8146-Jeddah-Saudi Arabia.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Flat No. 424 in KPT-II, Plot No. 4, Hissa No. 6, S. No. 17-A, Mouje Wanowarie, Pune-411 013. (Area—720 sq. ft.).

(Property as described in the agreement to sale registered in the office of the I.A.C. Acquisition Range, Pune under document No. 668|83-84 in the month of October, 1983).

SHASHIKANT KULKARNI
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Poona.

Date : 5-4-1984.
Seal :

FORM ITNS——

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE PRAPTIKAR SADAN, 60/61-ERANDAVANE, POONA-4

Pune-4, the 6th April 1984

Ref. No. IAC ACQ/CA-5/615/37EE/84-85.—Whereas, I, SHASHIKANT KULKARNI, being the Competent Authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Flat No. 404, 4th floor H. No. 2416, East Street situated at Pune-1 (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering officer at IAC, Acqn. Range, Pune in November, 1983 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) M/s. Makwana Bros. & Co., 441, Somwar Peth, Pune-1.

(Transferor)

(2) Mrs. Kala Uttamlal Balsara and Uttamlal L. Balsara, 209, M.G. Road, Pune-1.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Flat No. 404, 4th flor, H. No. 2416, East Street, General Thimmaya Road, Pune-1. (Area—1420 sq. ft.).

(Property as described in the agreement to sale registered in the office of the I.A.C. Acquisition Range, Pune under document No. 2234/83-84 in the month of November, 1983).

SHASHIKANT KULKARNI
Competent Authority
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Poona.

Date : 6-4-1984
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D (I) OF THE INCOME-TAX ACT 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE
PRAPTIKAR SADAN, 60|61-ERANDAVANE, POONA-4

Bombay, the 7th April 1984

Ref. No. IAC ACQ|CA-5|616|37FE|84-85.—Whereas, I, SHASHIKANT KULKARNI, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000|- and bearing No. Flat No. 203, 2nd floor, Lakshmi Apartments, Tilak Road, Dombivali (E) Thane Dist. situated at Thane (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of the Registering Officer at Pune in December, 1983 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) M|s. Shah Builders,
49, Steel Yard House,
Sant Tukaram Road,
Bombay-400 009.

(Transferor)

(2) Shri M. N. Wagh,
Sea Bridge Apartment,
East Cross Lane, Santacruz (E),
Bombay 400 054.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Flat No. 203, 2nd floor, Lakshmi Apartments, Tilak Road, Dombivili (E), Thana Dist. (Area—57,14 sq. m.).

(Property as described in the agreement to sale registered in the office of the I.A.C. Acquisition Range, Pune under document No. 3603|83-84 in the month of December, 1983).

SHASHIKANT KULKARNI
Competent Authority
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Poona.

Date : 7-4-1984
Seal :

FORM ITNS————

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE
PRAPTIKAR SADAN, 60|61-ERANDAVANE, POONA-4

Poon-4, the 2nd April 1984

Ref. No. IAC|ACQ|CA|37G|1113-84-85.—Whereas, I, SHASHIKANT KULKARNI being the Competent Authority Under Section 269B of the Income--tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000|- and bearing No.
Non-Agricultural land Plot No. 35, R.S. No. 25|1
situated at Lonavala, Dist. Pune
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Office at S.R. Maval on October 1983
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) M|s. Pradhan Hill Resorts
Throuh its partners
Shri Siraz Badruddin Ahmed Pradhan,
41, Jail Road, Dongri,
Bombay-400009.

(Transferor)

(2) 1. Shri Allikhan Rajjabkhan,
2. Shri Usmankhan Rajamuhamad,
Both residing at Irani Chawl,
'G' Ward, Lonawala, Tal. Maval,
Dist. Pune.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Non-Agricultural land within the limits of Lonavala Municipal Council bearing Plot No. 35, R.S. No. 25|1, Tal Maval, Dist. Pune.

(Area—578.19 sq mts.)

(Property as described in the sale deed registered in the office of the Sub-Registrar, Mavale under Document No. 703 in the month of October, 1983.)

SHASHIKANT KULKARNI
Competent Authority
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Poona

Date : 2-4-1984
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE
PRAPTIKAR SADAN, 60|61-ERANDAVANE, POONA-4

Pune, 5th April 1984

Ref. No. IAC ACQ|CA-5|37EE|84-85.—Whereas, I, SHASHIKANT KULKARNI, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Office No. 210, 2nd floor Panna Chambers 501, B, Ghorpade Peth, Pune-2 (and more fully described in the Scheduled annexed hereto), has been transferred under the registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at IAC. Acqn. Range, Pune on December, 1983 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the 'said Act' to the following persons, namely-:—

(1) Shri Harnarayan Pannalal Malpani, (Karta, H. P. Malpani-HUF) 1538, Shukrawar peth, Pune-411 002.

(Transferor)

(1) Mrs. Manjulal Kantilal Sanghvi, 164, Kuruwar peth, Pune-411 002.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days, from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Office No. 201, 2nd floor, Panna chambers, 501-B, Ghorpade peth, Pune-411 002.

(Area-185 sq. ft.)

(Property as described in the agreement to sale registered in the office of the I.A.C. Acquisition Range, Pune under document No. 2899|83-84 in the month of December, 1983.)

SHASHIKANT KULKARNI
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Poona

Date : 5-4-1984
Seal :

FORM ITNS——

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME TAX ACT ,1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX
ACQUISITION RANGE
PUNE

Pune, the 28th April 1984

Ref. No. IAC ACQ|CA-5|37EE|617|84-85.—Whereas, I, SHASHIKANT KULKARNI, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Property at CTS No. 29-2, 29, 31, Somwar peth situated at Pune (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at I.A.C. ACQN. Range, Pune on 9-10-1983 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

62—116GI|84

(1) 1. Shri Jagannath Pyarelal Agarwal
2. Shri Kantilal Jagannath Agarwal,
278, Nana Peth, Pune-2.

(Transferor)

(2) Shri Chandrakant Dattatraya Kupade
Nathu Landge Chawal,
Kasarwadi, Pune-34.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Property situated at C.T.S. No. 29-5, 29, 31 Somwar peth, Pune-411 011 Flat No. 7 3rd floor. (Area—326 sq. ft.).

(Property as described in the agreement to sale registered in the office of the I.A.C. Acquisition Range, Pune under document No. 2266|83-84 in the month of October, 1983.)

Date : 28-4-1984

SHASHIKANT KULKARNI
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Poona

Date : 11-5-1984
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX
ACQUISITION RANGE
PUNE

Pune, the 5th April 1984

Ref. No. IAC ACQ|CA-5|37EE|618|84-85.—Whereas, I, SHASHIKANT KULKARNI, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
bearing No. Flat No. 1, Rajkiran Apartment, Plot No. 87 S. No. 50, 52, 53A, Parvati situated at Pune-411 009.
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at IAC Acqn. Range, Pune on Oct. 83
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under Sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) M|s Chopra Developers,
245 Narayan Peth,
Pune-411 030.

(Transferor)

(2) Sh. K. B. Bahirat,
512, Rasta Peth,
Pune—411 011.

(Transferee)

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Flat No. 1, Rajkiran Apartment, Plot No. 87, S. No. 50, 52, 53A, Parvati, Pune—411 009.
(Area—577 sq. ft.).
(Property as described in the agreement to sale registered in the office of the I.A.C. Acquisition Range, Pune under doscument No. 1692 in the month of October, 1983).

SHASHIKANT KULKARNI
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Poona

Date : 5-4-1984

Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMSSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE
PUNE

Pune, the 9th April 1984

Ref. No. IAC ACQ|CA-5|619|37EE|84-85.—Wherea, I, SHASHIKANT KULKARNI, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000|- and bearing bearing No. Ganjpeth, Survey No. 529 Plot No. 322|2 T.P.S. 3 situated at Pune-2, (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the registering Officer at IAC Acqn. Range, Pune on Oct. 83 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen percent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer: and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the 'said Act' to the following persons, namely :—

(1) Sh. Ramesh Shivram Damle,
Maharashtra Mandal, Tilak Rd.,
Pune-411 030.

(Transferor)

(2) Sh. Mohanlal Tarachand Parmar,
393, Guruwar Peth,
Pune-411 002.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days, from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Property situated at Ganj Peth Survey No. 529—Plot No. 322|2 T.P. Scheme—No. 3, Total area of the Plot is 5100 sq. ft.

(Property as described in the agreement to sale registered in the office of the I.A.C. Acquisition Range, Pune under document No. 2588|83-84 in the month of Oct. 1983).

SHASHIKANT KULKARNI
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Poona

Date : 9-4-1984
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE
PUNE

Pune, the 10th April 1984

Ref. No. IAC ACQ|CA-5|620|37EE|84-85.—Whereas, I, SHASHIKANT KULKARNI, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000|- and bearing bearing No. Flat No. IIA, C.T.S. No. 472|C-2, Gultekadi, situated at Pune-411 009 (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at IAC Acqn. Range, Pune in December, 1983 for an apparent consideration which is les than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) M|s. Poornima Builders,
379, New Rasta Peth, Pune-411 011.
(Transferor)

(2) Sh. Shashikant Shivajirao Gite,
372, Ganesh Peth, Pune-411 002.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Flat No. IIA Building at C.T.S. No. 472|C-2, Gultekadi, Pune-411 009.
(Area—460 sq. ft.).
(Property as described in the agreement to sale registered in the office of the I.A.C. Acquisition Range, Pune under document No. 2295|83-84 in the month of Dec. 1983).

SHASHIKANT KULKARNI
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Poona

Date : 10-4-84
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME TAX ACT 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX
ACQUISITION RANGE
PUNE

Pune, the 9th April 1984

Ref. No. IAC ACQ|CA-5|621|37EE|84-85.—Whereas, I, SHASHIKANT KULKARNI,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
Flat No. 2, Block No. II, Wing-A Thakers Apt. No. 2128, Kumbhanwadi, Vallabhbhai Patel Road, situated at Pune-I (and more fully described in the Schedule annexed hereto)
has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
IAC Acqn. Range, Pune on Oct. 83
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons namely :—

(1) M|s. Thackers Builders Pvt. Ltd.
116|118, 1st Marine Street,
Bombay-400 002.

(Transferor)

(2) Sh. Ramesh Hiranand Kripalani,
2406, East Street,
Pune-1.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Flat No. 2, 'hackers Apartments, C.C. No. 2128 iabhai Patel Road, Pune-1.

(Area 685 sq. ft.).

(Property as described in the agreement to sale registered in the office of the I.A.C. Acquisition Range, Pune under document No. 1808|83-84 in the month of Oct. 83).

SHASHIKANT KULKARNI
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Poona

Date : 9-4-1984
Seal ;

FORM I.T.N.S.———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE
PUNE

Pune, the 2nd April 1984

Ref. No. IAC. ACQ|CA-5|1112|37G|84-85.—Whereas, I, SHASHIKANT KULKARNI, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25 000|- and bearing No. Land at R.S. Nos. 25|1 & 26, Maval Taluka, situated at Lonavala, Distt. Pune (and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at S. R. Maval in October, 1983 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforsaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefore by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not ben truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any money or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) M|s. Pradhan Hill Resorts
through its partner Sh. Shiraz Badruddin Ahmed Pradhan,
41-Jail Road (East)
Dongri Bombay-400 009.

(Transferor)

(2) Shri Vasant Raghunath Tikekar,
and (2) Sh. Manohar Revadmal Gupta,
G-Ward, Lonavala, Tal. Maval,
Distt. Pune.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Non-agril. land at R.S. Nos. 25|1 and 26, Village Lonavala, Tal. Maval, Dist. Pune.

(Area—595.70 sq. meters).

(Property as described in the sale deed registered in the office of the Sub-Registrar Maval under document No. 588|83 in the month of Oct. 1983).

SHASHIKANT KULKARNI
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Poona

Date : 2-4-1984
Seal :

FORM ITNS————

NOTICE UNDER SECTION 269-D(1) OF THE INCOME TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX.

ACQUISITION RANGE
PUNE

Pune, the 2nd April 1984

Ref. No. IAC ACQ|CA-5|1114|37G|84-85.—Whereas, I, SHASHIKANT KULKARNI, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961, (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
Property at Plot No. 21, R.S. No. 25|1 and 26 Tal. Mavala Lonavala situated at Dist. Pune
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer
at S.R. Maval in October, 1983
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922), or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) M|s. Pradhan Hill Resorts,
through its partner Sh. Badruddin Ahmed Pradhan
41-Jail Road, (East) Dongri, Bombay.
(Transferor)

(2) 1. Shri Nandkishor Srigopal Khandelwal,
26-F Ward, New Bazar Lonavala.
2. Mrs. Rupavati Kishanlal Agarwal,
85-F Ward, New Bazar, Lonavala
Tal. Maval, Dist. Pune.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Non-Agri. land at Plot No. 21, Out of R.S. No. 25|1 and 26, Tal. Maval, Lonavala.
Dist. Pune.
(Area—514.82 sq. meters).
(Property as described in the sale deed registered in the office of the Sub-Registrar, Maval under document No. 336 in the month of October, 1983).

SHASHIKANT KULKARNI
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Poona

Date : 2-4-1984
Seal :

FORM I.T.N.S.——

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE
PUNE

Pune, the 3rd April 1984

Ref. No. IAC ACQ|CA-5|1115|37G|84-85.—Whereas, I, SHASHIKANT KULKARNI, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000|- and bearing No. Land at Plot No. 34, R.S. Nos. 25|1 and 26, Maval Taluka, Lonavala situated at Dist. Pune (and more fully described in the schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering officer at S.R. Maval in October, 1983 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen percent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) M|s. Pradhan Hill Resorts—
through its partner Sh. Shiraz Badruddin Ahmed Pradhan 41-Jail Road (East) Dongri, Bombay-400 009.

(Transferor)

(2) 1. Sh. Ghevarchand Juharmalji Jain, Flat No. 3, Malad, Bombay-400 064.
2. Shri Kanakraj Juharmalji Jain, 6th floor, Mamlatdar Wadi, Anjali Niwas, Room No. 2, Malad, Bombay-64.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 43 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in the Chapter.

THE SCHEDULE

Non-agril. land at Plot No. 34, R.S. Nos. 25|1 and 26 Tal. Maval, Lonavala. Dist. Pune.
(Area—634.5 sq. meters).
(Property as described in the sale deed registered in the office of the Sub-Registrar, Maval under document No. 589 in the month of Oct. 83).

SHASHIKANT KULKARNI
Competent Authority
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Poona

Date : 3-4-1984
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE
PUNE

Pune, the 2nd April 1984

Ref. No. IAC ACQ|CA-5|1116|37G|84-85.—Whereas, I, SHASHIKANT KULKARNI,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000|- and bearing
No. Non-Agri. land at Plot No. 25, R.S. Nos. 25|1 & 26 Tal. Maval Lonavala
situated at Dist. Pune
(and morefully described in the schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering
Officer at S.R. Maval on Oct. 83
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) M|s. Pradhan Hill Resorts,
through its partner Sh. Shiraz B. Ahmed Pradhan,
41—Jail Road, Dongri, Bombay-400 009.
(Transferor)

(2) 1. Sh. Afzal H. Mitha
22, Appolo Street, Bombay-1.
2. Mrs. Shirin Roshan Namavati,
Navroz Mahor, Mirza Galib Rd.,
Bombay-400 008.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Non-Agril. land at Plot No. 25, Out of R.S. Nos. 25|1 and 26, Lonavala.
Tal. Maval, Dist. Pune,
(Area—509.4 sq. meters).
(Property as described in the sale deed registered in the office of the Sub-Registrar, Maval under document No. 587 in the month of October, 1983).

SHASHIKANT KULKARNI
Competent Authority
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Poona

Date : 2-4-1984
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE, PUNE

Pune, the 3rd April 1984

Ref. No. IAC ACQ|CA-5|1117|37G|84-85.—Whereas, I, SHASHIKANT KULKARNI, being the Competent Authority under Setion 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Non-Agri. land at R.S. Nos. 25|1 & 26 Lonavala, Tal, Maval situated at Dist. Pune (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at S.R. Maval on Oct. 1983 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons namely :—

(1) M|s. Pradhan Hill resorts
Partner—Sh. Shiraz Badruddin Ahmed Pradhan,
41-Jail Road, Dongri, Bombay-9.

(Transferor)

(2) 1. Sh. Hanif Hasan Shaikh
House No. 8, 'E' Ward, Lonavala
Tal. Maval, Dist. Pune.
2. Smt. Lalibai Hasanali Merchant,
Bawla Sanctorium No. II
Bombay pune Road, Lonavala, Maval Taluka,
Dist. Pune.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Non-Agril. land at R.S. Nos. 25|1 and 26 Tal. Maval, Lonavala, Dist. Pune.
(Area—586.31 sq. meteres).
(Property as described in the sale deed registered in the office of the Sub-Registrar, Maval under document No. 471 in the month of October, 1983).

SHASHIKANT KULKARNI
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Poona.

Date : 3-4-1984
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, PUNE

Pune, the 4th April 1984

Ref. No. IAC ACQ|CA-5|1118|37G|84-85.—Whereas, I, SHASHIKANT KULKARNI, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000|- and bearing No. Plot No. 14, Survey No. 25|1 and 26, Lonavala, situated at Dist. Pune (and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at S.R. Maval. on Oct. 83 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) M|s. Pradhan Hill Resorts a partnership firm through its partner—Sh. Badruddin Ahmed Pradhan
41-Jail Road, (East)
Dongri, Bombay-400 009.

(Transferor)

(2) 1. Sh. Ashok Ramchand Parakh,
2. Sh. Champaklal Ramchand Parakh,
Both are residing at 'F' Ward, Lonavala, Tal. Maval, Dist. Pune.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette of a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires, later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

All that piece and parcel of Non-Agril. land at Plot No. 14, Survey Nos. 25|1 and 26 Tal. Maval, Lonavala, Dist. Pune.

(Area—578.46 sq. meters).

(Property as described in the sale deed registered in the office of the Sub-Registrar, Maval under document No. 337 in the month of October, 83).

SHASHIKANT KULKARNI
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Poona

Date : 4-4-84
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE
PUNE

Pune, the 22nd May 1984

Ref. No IAC|ACQ|CA-5|627|37EE|84-85.—Whereas, I, SHASHIKANT KULKARNI,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearnig No.
Flat No 202, Building B, Charubas Apartments, situated at Plot No. 65, survey No. 121, 122 Kothrud Pune-29.
(and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering officer
at IAC.Acqn. Range, Pune on Nov. 1983.
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) M/s. V. S. Joshi and Co.,
386, Narayan Peth,
Pune-411 030.
(Transferor)

(2) Mr. Sitaram Bhaskar Nene,
Master Pranjal Sitaram Nene,
'Laxmi Niwas' 2nd floor, 355 V. P. Road,
Bombay-400 004.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons; whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Flat No. 202, Building B, Charubas Apartments, Plot No. 65 survey No. 121, 122 Kothrud. (Area—546 sq. ft.)

(Property as described in the agreement to sale registered in the office of the I.A.C. Acquisition Range, Pune under document No. 2150 in the month of November, 1983).

SHASHIKANT KULKARNI
Competent Authority
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Poona

Date : 22-5-1984
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE PUNE

Pune, the 22nd May 1984

Ref. No. IAC. ACQ|CA-5|37EE|629|84-85.—Whereas, I, SHASHIKANT KULKARNI, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing Flat No. 201, Building A, Charuhas Apartments, Plot No. 65. survey No. 121, 122, Kothrud situated at Pune and more fully described in the schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at IAC. Acqn. Range, Pune on December 1983 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) M|s. V. S. Joshi and Co.,
386, Narayan Peth,
Pune-411 030.

(Transferor)

(2) Mr. Dhondu Shridhar Gade,
46|386 M.H.B. Colony,
Sant Tukaram Nagar, Pune-18.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Flat No. 201, Building A Charuhas Apartments Plot No. 65, survey No. 121, 122 Kothrud, Pune—(Area—660 sq. ft.)

(Property as described in the agreement to sale registered in the office of the I.A.C. Acquisition Range, Pune under document No. 2463 in th month of December, 1983).

SHASHIKANT KULKARNI
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Poona.

Date : 22-5-1984
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE
PUNE

Pune, the 22nd May 1984

Ref. No. IAC|ACQ|CA-5|628|37EE|84-85.—Whereas, I, SHASHIKANT KULKARNI, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000|- and bearing
Flat No. 101, Building B. Charuhas Apa., plot No. 65, survey No. 121, 122, Kothrud, situated at Pune.
(and more fully described in the Schedule annexed hereto)
has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering officer
at IAC. Acqn. Range, Pune in December, 1983
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) M|s. V. S. Joshi and Co.,
386, Narayan Peth,
Pune-411 030.

(Transferor)

(2) Mr. Vinay Keshaw Deshpande.
Mrs. Jyoti Vinay Despande
C|o Mr. V. D. Garud, Setkar Bungalow.
38|21, Erandawana, Pune-411 038.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Flat No. 101, Building B, Charuhas Apartments, Plot No. 65 Survy No. 121, 122, Kothrud, Pune-29.

(Property as described in the agreement to sale registered in the office of the I.A.C. Acquisition Range, Pune under document No. 2464 in the month of December, 1983).

SHASHIKANT KULKARNI
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Poona.

Date : 22-5-1984
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE
PUNE

Pune, the 22nd May 1984

Ref. No. IAC.ACQ|CA-5|630|37EE|84-85.—Whereas, I, SHASHIKANT KULKARNI, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Flat No. 2, Charuhas Apartments, Plot No. 65, S. No. 121, 122, Kothrud situated at Pune. (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at IAC. Acqn. Range Pune on Jan. 1984. for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reasons to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :-

(1) M|s. V. S. Joshi and Co., 'Jay Chambers' 1st Floor, 501, Ghorpade peth, Swargate, Pune-411 002.
(Transferor)

(2) Mr. S. W. Joshi, 12, East High Court Road. Flat No. 3, Ramdas Peth, Nagpur-440 010.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter

THE SCHEDULE

Flat No. 2, Charuhas appartments, Plot No. 65, S. No. 121, 122, Kothrud, Pune-29.
(Area—546 sq. ft.)
(Property as described in the agreement to sale registered in the office of the I.A.C. Acquisition Range, Pune under document No. 3592|83-84 in the month of Jan. 1984).

SHASHIKANT KULKARNI
Competent Authority
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Poona.

Date : 22-5-1984
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE
PUNE

Pune, the 22nd May 1984

Ref. No. IAC.ACQ|CA-5|625|37EE|84-85.—Whereas, I, SHASHIKANT KULKARNI, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing Flat No. 101, Arati Apartments, S. No. 1102|A|3A situated at Model Colony, Shivajinagar, Pune-16 (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering officer at IAC. Acqn. Range Pune on Jan. 1984, for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) M|s. V. S. Joshi and Co.,
'Jay Chambers' 1st Floor,
501, Ghorpade peth, Swargate,
Pune-411 002.

(Transferor)

(2) Sou. Sheila Ramesh Bailur
Miss. Smitha Ramesh Bailur,
B-2|75, Sadarjang Enclave,
New Delhi-110 029.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned : —

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPRESSIONS :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Flat No. 101, 'Arati Apartments' survey No. 1102|A|3A, Model colony, Shivaji Nagar, Pune-16.
(Area—864 sq. ft.)
(Property as described in the agreement to sale registered in the office of the I.A.C. Acquisition Range, Pune under document No. 3547|83-84 in the month of Jan. 1984.)

SHASHIKANT KULKARNI
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Poona.

Date : 22-5-1984
Seal :

FORM ITNS————

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMSSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE
PUNE

Pune, the 22nd May 1984

Ref. No. IAC.ACQ|CA-5|37EE|626|84-85.—Whereas, I, SHASHIKANT KULKARNI,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
Flat No. 101, Arati Apartments, survey No. 1102|A|3A situated at Model colony, Shivajinagar, Pune-411 016.
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer
at IAC, Acqn. Range Pune on Jan. 1984.
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and|or;

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) M|s. V. S. Joshi and Co.,
'Jay Chambers' 1st Floor,
501, Ghorpade peth, Swargate Corner,
Pune-411 002.

(Transferor)

(2) Col. G. M. Chickermane.
28-A, Kasturba Gandhi Marg,
New Delhi-110 001.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defiend in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Flat No. 101, Arati Apartments, Survey No. 1102|A|3A, Model colony, Shivaji Nagar, Pun-16 (Area—1068 sq. ft.)

(Property as described in the agreement to sale registered in the office of the I.A.C. Acquisition Range, Pune under document No. 3543|83-84 in the month of Jan. 1984).

SHASHIKANT KULKARNI
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Poona

Date : 22-5-1984
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE
PUNE

Pune, the 22nd May 1984

Ref. No. IAC.ACQ||CA-5|624|37EE|84-85.—Whereas, I, SHASHIKANT KULKARNI, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000|- and Flat No. 301, 3rd floor, Plot No. 485|A|3A situated at S. No. 1102|A|3A, Model colony, Shivajinagar, Pune. (and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at IAC.Acqn Range Pune on Nov. 1983 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the 'said Act' to the following persons, namely :—

(1) M|s. V. S. Joshi and Co.,
386 Narayan Peth,
Pune-411 030.

(Transferor)

(2) Dr. Suresh Vinayak Chitale,
Mrs. Meena Suresh Chitale,
'Manorama' Shri Kripa Housing Society,
48|B, Parvati-Darshan, Pune-9.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Flat No. 301, 3rd floor, Plot No. 485|A|3A, S. No. 1102|A|3A Model colony, Shivajinagar, Pune-16.
(Area—1068 sq. ft.)

(Property as described in the agreement to sale registered in the offic of the I.A.C. Acquisition Range, Pune under document No. 2151|83-84 in the month of November, 1983).

SHASHIKANT KULKARNI
Competent Authority
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Poona

Date : 22-5-1984
Seal :

FORM ITNS————

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE
PUNE

Pune, the 22nd May 1984

Ref. No. IAC. ACQ|CA-5|623|37EE|84-85.—Whereas, I, SHASHIKANT KULKARNI, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
Flat No. 202, 1st floor, Plot No. 55 S. No. 89|2, 90|2, 91|2 Parvati situated at Pune
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer
at IAC. Acqn. Range, Pune in December, 1983
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) M|s. V. S. Joshi and Co.,
501, Ghorpade peth,
Jay. Chambers, Pune-411002.

(Transferor)

(2) Shri Vasant Digambar Kulkarni,
3-C-49 Jay Vijay, Vile Parle (East),
Bombay-57.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Flat No. 202, Plot No. 55, Survey No. 89|2, 90|2, 91|2, Parvati, Pune-9.—(Area 975 sq. ft.).

(Property as described in the agreement to sale registred in the office of the I.A.C. Acquisition Range, Pune under document No. 3111|83-84 in the month of December, 1983).

SHASHIKANT KULKARNI
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner
of Income-tax
Acquisition Range, Poona

Date : 22-5-1984
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE
PUNE

Pune, the 23rd May 1984

Ref. No. IAC.ACQ|CA-5|622|37EE|84-85.—Whereas, I, SHASHIKANT KULKARNI,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
Flat No. 1, ground floor Char has Apartment B, Plot No. 65 Rambang Colony, Kolhirud situated at Pune
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer
at IAC. Acqn. Range Pune on Jan. 1984.
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) M|s. V. S. Joshi and Co.,
Jay Chambers, 501, Ghorpade Peth,
1st Floor, Swargate, Pune-2.
(Transferor)

(2) Mr. A. V. Kemkar and Mrs. A. A. Kemkar,
Plot No. 47, Mayoor Co-operative Colony,
Kothrud, Pune-411 029.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Flat No. 1 Ground floor, Charhus Apartments B-Plot No. 65 Rambaug Colony Kothrud, Pune-411029.
(Property as describd in the agreement to sale registered in the office of the I.A.C. Acquisition Range, Pune under document No. 3546|83-84 in the month of January, 1984).

SHASHIKANT KULKARNI
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Poona

Date : 23-5-1984
Seal :

FORM I.T.N.S.———

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME TAX ACT 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, PUNE

Pune-411 004, the 28th April 1984

Ref No. IAC. ACQ|CA-5|37C-84-85|1126.—Whereas, I, SHASHIKANT KULKARNI, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000|- and bearing No. S. No. 159, Hissa No. 3, Nehru Rd., Village-Chole situated at Dombivali, Dist. Thane (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at S.R. Kalyan on Oct. 83 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

44—136GI|84

(1) Shri P. V. Patil, 2. Shri B. P. Patil, 3. Shri B. S. Patil, 4. Shri M. S. Patil, 5. Shri S. S. Patil—Thakurli, Tal. Kalyan Dist. Thane.

(Transferor)

(2) 1. Shri Gopal Kashinath Mahajan, 2. Shri Bhagwan Krishnaji Zone Tulshi Sadan, Jai-hind colony, Dombivali, Dist. Thane.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Survey No. 150, Hissa No. 3, Land at Nehru Road, Village Chole, Dombivali, Tal. Kalyan Dist. Thane.
(Area—1315.22 sq. mts.)

(Property as described in the sale deed registered in the office of the Sub-Registrar, Kalyan under document No. 2222 in the month of October, 1983.)

SHASHIKANT KULKARNI
Competent Authority
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Poona

Date : 28-4-1984
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, PUNE

Pune, the 22nd May 1984

Ref. No. IAC. ACQ|CA-5.37G|84-85|1123.—Whereas, I, SHASHIKANT KULKARNI, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Property at S. No. 34|1A|2, Savedi situated at Ahmednagar (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at A.R. Ahmednagar on October, 83 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri D. M. Chandodiya, Central Bank Road, Ahmednagar.

(Transferor)

(2) Shri V. G. Mundalik and Shri S. V. Burhade Ganj Bazar, Ahmednagar.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expired later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—*The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.*

THE SCHEDULE

Property at Survey No. 34|1A 2|1, Ahmednagar, Savedi. (Area—38,736 sq. ft.)

(Property as described in the sale deed registered in the office of the Sub-Registrar, Ahmednagar under document No. 3425 in the month of October, 1983.)

SHASHIKANT KULKARNI
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Poona

Date : 22-5-1984
Seal :

FORM I.T.N.S.———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, PUNE

Pune, the 22nd May 1984

Ref. No. IAC ACQ|CA-5|37G|84-85|1124.—Whereas, I, SHASHIKANT KULKARNI, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000|- and bearing No. C.S. No. 2508|19, Plot No. 61, E-Ward, Nagala Park, situated at Kolhapur (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of Registering Officer at S.R. Kolhapur on Jan 1984 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apperent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Mrs. S. B. Jog, Plot No. 14, Ashwani Co-op. Housing Society, Behind Congress Bhavan, Station Road, Kolhapur.

(Transferor)

(2) Shri Suresh D. Mane 2227, Ward 'A' Rane Niwas, Kolhapur.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Property is situated at C.S. No. 2508|19, Plot No. 61, E-Ward, Nagala Park, Kolhapur. (Area—Land 5400 sq. ft. Built-up area—112 sq. md).

(Property as described in the sale deed registered in the office of the Sub-Registrar, Kolhapur under document No. 4680 in the month of January, 1984.)

SHASHIKANT KULKARNI
Competent Authority
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Poona

Date : 22-5-1984
Seal :

FORM ITNS——

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX
ACQUISITION RANGE, PUNE

Pune, the 22nd May 1984

Ref. No. IAC.|ACQ|CA-5|37G|84-85|1125.—Whereas, I, SHASHIKANT KULKARNI,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
R.S. No. 41|1A|1B+2 at Kupwad, Miraj
situated at Sangli
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
S.R. Miraj on October, 83
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Yalgona S. Patil,
Kupwad, Tal. Miraj, Dist. Sangli.
(Transferor)

(2) 1. Shri Anand V. Deshingkar, 2. Shri Shivchand B. Digewade 3. Shri Bugaunda B. Tashildas 4. Shri Jambu D. Kolap, 5. Shri Sadashiv P. Hake 6. Shri Narayan R. Mantri 7. Mangesh R. Mantri 8. Madhav S. Joshi and 9. Srirang Pandurang Chavan.
Sr. No. 2 & 3 resides at Miraj. No. 1, at Sangli, No. 4, at Madhavnagar No. 5 at Kupwad, No. 6 and 7 at Isampur No. 8 & 9 at Walchand Engineering college staff quarters, Vishrambaug, Sangli.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land at R.S. No. 41|1A|1B+2|2 at Kupwad, Miraj, Sangli. (Area—2H and 61R)

(Property as described in the sale deed registered in the office of the Sub-Registrar, Miraj-I, Sangli under document No. 225|83 in the month of October 1983.)

SHASHIKANT KULKARNI
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Poona

Date : 22-5-1984
Seal :

FORM ITNS————

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, PUNE

Pune, the 22nd May 1984

Ref. No. IAC. ACQ|CA-5|37G|84-85|1122.—Whereas, I, SHASHIKANT KULKARNI, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a tair market value exceeding Rs. 25,000|- and bearing Property at S. No. 553-A|2, F.P. No. 210|B Plot No. 4, Dhule situated at Dhule (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of Registering Officer at S.R. Dhule on Oct. 1983 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri N. N. Machadia,
Gat No. 4, C.S. No. 2804, Dhule.
(Transferor)

(2) Shri Mulchand Ratanlal Agrawal,
C.S. No. 3062, Dhule.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as giver in that Chapter.

THE SCHEDULE

Property S. No. 553-A|2, Final Plot No. 210|B, Plot No. 4, Dhule. Dhule. (Area—3200 sq. ft.)

(Property as described in the sale deed registered in the office of the S.R. Dhule under document No. 4079 in the month of October, 1983.)

SHASHIKANT KULKARNI
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Poona

Date : 22-5-1984
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, PUNE

Pune-4, the 28th April 1984

Ref. No. IAC. ACQ|CA-5|37G|84-85|1631.—Whereas, I, SHASHIKANT KULKARNI, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the said Act) have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000|- and bearing No. Flat No. 3, C.T.S. No. 1201|A-12, F.P. No. 563|3 S.P. No. 21, Shivaji nagar, Pune situated at Pune-4 (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at IAC. Acqn. Range, Pune on October, 1983 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri R. Rajgopal, C/o. Ramachandran, S.B.I. Priya Society, Tadiwala Road, Pune-411 001. (Transferor)

(2) Smt. Umadevi Rathod, 'Sankar', 1201|A-12, Shivaji nagar, Pune-411 004. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Flat No. 3, Nav Kalpana Sahakari Griha Rachana Sanstha, C.T.S. No. 1201|A-12 F.P. No. 563|3, S.P. No. 21, Shivaji Nagar, Pune-411 004. (Area—1059 sq. ft.)

(Property as described in the agreement to sale registered in the office of the I.A.C. Acquisition Range, Pune under document No. 2563 in the month of October, 1983.)

SHASHIKANT KULKARNI
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Puna

Date : 28-4-1984.
Seal :

FORM ITNS——

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, PUNE

Pune, the 30th April 1984

Ref. No. IAC ACQ|CA-5|632|37EE|84-85.—Whereas, I SHASHIKANT KULKARNI, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act' have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000|- and bearing No. Flat No. 8-14, 3rd floor, Merchand Apt., Plot No. 10 S. No. 379A-2 Virar, situated at Tal. Vasai Dist. Thane (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at IAC Acqn. Range Pune on Oct. 1983 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922), or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) M|s. H. A. Merchant,
304, Tardeo Road, Nand Chowk, Bombay-400 007.
(Transferor)

(2) M|s. Minaxi Pravinchandra Nayak,
3C|4, Krishna Nagar, Chandavarkar Lane,
Borivli (West), Bombay-92.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Flat No. B-14, 3rd floor, Merchant apartments, Plot No 10, S. No. 379-A-2 Virar, Tal. Vasai, Dist. Thane.
(Area—333 sq. ft.)

(Property as described in the agreement to sale registered in the office of the I.A.C. Acquisition Range, Pune under document No. 1883|83-84 in the month of October, 1983.)

SHASHIKANT KULKARNI
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Poona.

Date : 30-4-1984.
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, PUNE

Pune, the 28th April 1984

Ref. No. IAC ACQ|CA-5|37EE|84-85.—Whereas, I, SHASHIKANT KULKARNI, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing Flat No. 5, 2nd floor, Savitri apartment, CTS No. 47|19, Erandawana, Law college Rd. situated at Pune (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at IAC. Acqn. Range, Pune on Dec. 1983 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) M|s. ABC Promoters and Builders, 9, Laxmi Niwas, Padamji Compound, Poona-411 002.

(Transferor)

(2) Shri Manoo P. Malkani and Master Pradeep M. Malkani, C|o K. P. Malkani, 71, Avinash Versova, Bombay-400 058.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Flat No. 5, 2nd floor, Savitri Apartments, CTS No. 47|19 Erandawana, Law College Rd., Pune-4.

(Area—90 sq. metres)

(Property as described in the agreement to sale registered in the office of the I.A.C. Acquisition Range, Pune under document No. 2793 in the month of December, 1983.)

SHASHIKANT KULKARNI
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Poona.

Date : 28-4-1984
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, PUNE

Pune, the 22nd May 1984

Ref. No. IAC ACQ|CA-5|37EE|634|84-85.—Whereas, I SHASHIKANT KULKARNI, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000|- and bearing property at survey No. 326-A Plot No. 1 (Part) Majiwada, District Thane situated at Dist. Thane (and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at IAC. Acqn. Range, Pune on December, 1983 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) of the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-Section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Mrs. Reshmo Navnit Parikh,
70, Matru Chhaya, Netaji Subhash Road,
Marine Drive, Bombay-400 002.

(Transferor)

(2) M|s. Goyal Family Trust,
Abhay Steel House, Baroda Street,
Bombay-400 009.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Godown structure on Plot bearing survey No. 326-A Plot No. 1 (Part) Area of Godown shed of 5000 sq. ft. situated at Majiwada, Dist Thane and land on sublease basis. (Area—5000 sq. ft.)

(Property as described in the agreement to sale registered in the office of the I.A.C. Acquisition Range, Pune under document No. 3838 in the month of December, 1983.)

SHASHIKANT KULKARNI
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Poona.

Date : 22-4-1984.
Seal :

FORM ITNS——————

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX.

ACQUISITION RANGE, PUNE

Pune, the 28th April 1984

Ref. No. IAC ACQ|CA-5|37EE|635|84-85.—Whereas, I SHASHIKANT KULKARNI, being the Competent Authority under Section 269B of the income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'),have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000|- and bearing Apt. No. 5, 2nd floor, Plot No. 73|3|3, Erandawana, situated at Pune-4. (and more fully described in the Scheduled annexed hereto), has been transferred under registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at IAC. Acqn. Range, Pune on Oct. 1983 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) (1) Shri Harihar Chintaman Natu,
(2) Shri Raghunath Chintaman Natu,
50|1|5-A Erandawana, Chaitanya Apartments, Pune-4.

(Transferor)

(2) (1) Shri Narasing Laxman Chandrachud,
(2) Mrs. Alka Narasinh Chandrachud,
residing at 860 Bhandarkar Institute Rd., Mandar, Pune-4.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the samt meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Apartment No. 5, 2nd floor, North side on Plot No. 73|3|3 Erandawana, C.T.S. No. 50|27, Pune-4.
(Area—805 sq. ft.)

(Property as described in the agreement to sale registered in the office of the I.A.C. Acquisition Range, Pune under document No. 2802|83-84 in the month of October, 1983.)

SHASHIKANT KULKARNI
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Poona.

Date : 28-4-1984
Seal :

FORM ITNS ———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX
ACQUISITION RANGE, PUNE

Pune, the 28th April 1984

Ref. No. IAC ACQ|CA-5|37EE|636|84-84.—Whereas, I SHASHIKANT KULKARNI,
being the Competent Authority under Section 269-B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding
Rs. 25,000|- and bearing No.
Apartment No. 2, 1st floor, Plot No. 73|3|3 Erandawana, C.T.S. No. 50|27, situated at Pune-4
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
IAC. Acqn. Range Pune on October, 83
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act., I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act. to the following persons, namely :—

(1) (1) Shri Harihar Chintaman Natu,
(2) Shri Raghunath Chintaman Natu,
50|1|5-A Erandawana, Pune-4.

(Transferor)

(2) (1) Shri Gopal Krishna Bokil,

(2) Sau. Vaishali Gopal Bokil,
Both residing at Apartment No. 201, Sanchit Apt., 73|3|1, Erandawana, Pune-4.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested to the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Apartment No. 2, 1st floor, south side on Plot No. 73|3|3, Erandawana, C.T.S. No. 50|27, Pune-4.
(Area—700 sq. ft.)
(Property as described in the agreement to sale registered in the office of the I.A.C. Acquisition Range, Pune, under document No. 2292|83-84 in the month of October, 1983.)

SHASHIKANT KULKARNI
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Poona.

Date : 28-4-1984
Seal :

FORM ITNS——

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, PUNE

Pune, the 1st May 1984

Ref. No. IAC ACQ|CA-5|37EE|637|84-85.—Whereas, I, SHASHIKANT KULKARNI, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
Agril. land, Part of S. No. 43, Hissa No. 1, 2, 3 Majoring, Village Warje, Tal. Haveli situated at Dist. Pune
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at
IAC, Acqn. Range, Pune on October, 1983
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) 1. Shri Dattatray Ganpatrao Mankar, 517, Narayan Peth, Pune.
2. Shri Bapusaheb Shamrao Barate, Village Waraje, Tal. Haveli, Dist. Pune.

(Transferor)

(2) Smt. Usha Raghunath Taware, Jiwan Apartments, K. P. Kulkarni Lane, Apte Road, Pune-4.

(Transferee)

Objections, if any to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Agril. land part of S. No. 43, Hissa No. 1, 2, 3, Majoring Village Warje, Tal. Haveli. Dist. Pune.
(Area—2 Acres & 20 gunthas.)
(Property as described in the agreement to sale registered in the office of the I.A.C. Acquisition Range, Pune, under document No. 2291|83-84 in the month of October. 1983.)

SHASHIKANT KULKARNI
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Poona.

Date 1-5-1984
Seal :

FORM ITNS————

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT

COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, PUNE

Pune, the 28th April 1984

Ref. No. IAC ACQ|CA-5|37EE|638|84-85.—Whereas, I SHASHIKANT KULKARNI, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing Plot No. 2, Anand Nagar, CHS, S. No. 692|2 Manjeri situated at Pune-9 (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at IAC, Acqn. Range, Pune on October, 1983 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Jethmal Sopaji Shah,
1251, Budhawar peth, Pune-411 002.
(Transferor)

(2) Shri Maniklal Pannalal Lalwani,
314, Ganj Peth, Pune-411 002.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Plot No. 2, Anandnagar Co-operative society, Behind Swayanvara Mangal Karyalaya, Pune-9.
(Area—5451 sq. ft.)
(Property as described in the agreement to sale registered in the office of the I.A.C. Acquisition Range, Pune, under document No. 1734|83-84 in the month of October, 1983.)

SHASHIKANT KULKARNI
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Poona.

Date : 28-4-1984
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, PUNE

Pune, the 28th April 1984

Ref. No. IAC ACQ|CA-5|37EE|639|84-85.—Whereas, I SHASHIKANT KULKARNI, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000|- and bearing No. Open trace with FSI 73|3|3 Erandawana, situated at Pune-4 (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at IAC. Acqn. Range, Pune on November, 1983 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parites has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Narayan Khanderao Lele
'Namastestu' 73|3|3 Erandawana,
Pune-4.

(Transferor)

(2) 1. Shri Harihar Chintaman Natu,
2. Shri Raghunath Chintaman Natu,
Chitanya Apartments,
50|2|5-A Erandawana, Pune-4.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Open trace with available F.S.I. on the bungalow at 73|3|3 Erandawana, Pune-4.
(Area—1828 sq. ft.)
(Property as described in the agreement to sale registered in the office of the I.A.C. Acquisition Range, Pune, under document No. 2089 in the month of November, 1983.)

SHASHIKANT KULKARNI
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Poona

Date : 28-4-1984
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX
ACQUISITION RANGE, PUNE

Pune, the 28th April 1984

Ref. No. IAC ACQ|CA-5|37EE|640|84-85.—Whereas, I SHASHIKANT KULKARNI,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
Flat No. C-13, 4th floor, Bldg. 'C' Hermes Park Co-operative Society Ltd. situated at Pune
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred
under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
IAC, Acqn. Range, Pune on November, 1983
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the Parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) M|s Ramesh Construction Company,
Dheeraj Chambers,
9, Waudby Road, Bombay-400 001.

(Transferor)

(2) M|s. Crompton Greaves Ltd.,
Dr. V. B. Gandhi Marg,
Bombay-23.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Flat No. C-13, 4th floor, Building No. C-Hermes Park Co-operative Housing Society Ltd., Bund garden Road, Pune-411 001.

(Area—1175 sq. ft.)

(Property as described in the agreement to sale registered in the office of the I.A.C. Acquisition Range, Pune, under document No. 1977|83-84 in the month of November, 1983.)

SHASHIKANT KULKARNI
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Poona

Date : 28-4-1984
Seal :

FORM ITNS——

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, PUNE

Pune, the 31st May 1984

Ref. No. IAC ACQ|CA-5|37EE|-41|84-85.—Whereas, I, SHASHIKANT KULKARNI, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000|- and bearing Plot No. 8, S. No. 692-A|2-A|1-2 Bibwewadi situated at Pune (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at IAC, Acqn. Range, Pune on October, 1983 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and|or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purpose of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Waelth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Dilip Kantilal Shah,
445, Raviwar peth, Pune-2.
(Transferor)

(2) Sou. Niharika Girish Shah,
S-375, Adinath Co-operative Housing Society Ltd., Pune.
and Shri Satishchandra Dattatraya Shah,
Matrusmriti P.W.D. Colony, Bharatkunja, Vasahat, Pune.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned .—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Plot No. 8, S. No. 692-A|2A-1|2, Bibwe Wadi, Neminath Co-op. Housing Society Ltd., Pune city.
(Area—3630 sq. ft.)
(Property as described in the agreement to sale registered in the office of the I.A.C. Acquisition Range, Pune, under document No. 1762 in the month of October, 1983.)

SHASHIKANT KULKARNI
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Poona

Date 31-5-1984
Seal :

FORM ITNS————

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, PUNE

Pune, the 4th June 1984

Ref. No. IAC ACQ|CA-5|37-G|1128|84-85.—Whereas, I SHASHIKANT KULKARNI, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing C.T.S. No. 826 and 827 A-Ward situated at Kolhapur (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at S.R. Kolhapur on October-83 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) Smt. Jostna A. Khandekar,
Police Officer, H. Qrs.
Pune-411 001.

(Transferor)

(2) Smt. A. S. Gaikwad,
119, B-Ward, Mangalwar Peth,
Kolhapur.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days, from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land at C.T.S. No. 826 and 827, A-Ward, Kolhapur Near Firange Talim.

(Area—6819 sq. ft.)

(Property as described in the sale deed registered in the office of the Sub-Registrar, Kolhapur under document No. 4846 in the month of October, 1983.)

SHASHIKANT KULKARNI
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Poona

Date : 4-6-1984.
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, PUNE

Pune, the 29th May 1984

Ref. No. IAC ACQ|CA-5|37G|1127|84-85.—Whereas, I SHASHIKANT KULKARNI,
being the Competent Authority made Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the said Act"), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
S. No. 32|2, F.P. No. 39. Sub Plot 3, Chahurana Bk. situated at Ahmednagar
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred and the agreement is registered under Section 269AB of the Income-tax Act 1961, in the Office of the Competent Authority at
S.R. Ahmednagar on October, 83
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922), or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri R. N. Pedram,
C|o Zilla Sahakari Bank
Station Road, Ahmednagar.
(Transferor)

(2) M|s. Suyog Construction Company,
Partner Smt. S A. Kothari,
Shital Sanstha Colony, Ahmednagar.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, **shall have the same meaning as given in that Chapter.**

THE SCHEDULE

Plot at S. No. 32|2, F.P. No. 39, Chahurana Bk Burudgaon Rd., Ahmednagar.
(Area—6707 sq. ft.)
(Property as described in the agreement to sale registered in the office of the Sub-Registrar, Ahmednagar under document No. 3380 in the month of October, 83.)

SHASHIKANT KULKARNI
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Poona

Date : 29-5-1984.
Seal :

FORM ITNS————

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, PUNE

Pune, the 28th April 1984

Ref. No. IAC ACQ|CA-5|37EE|642|84-85.—Whereas, I SHASHIKANT KULKARNI,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
Office No. F-3, 1st floor, Ashwini Com. Centre C.S. No. 1044, New Shukrawar peth, Tilak Rd., situated at Pune-30
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of Registering Officer at
IAC, Acqn. Range, Pune on October, 1983
for an apparent consideration
which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilititating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) M|s. Deosthale Karandikar & Associates, 720|2, Jagannath, Navi peth, Pune-30.
(Transferor)

(2) Dr. Depak Shreeram Mande, 201, Kasba Peth, Pune-17.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Office No. F-3, 1st floor, Ashwini Commercial Centre, C.S. No. 1044 New Shukrawar peth, Tilak Rd., Pune-411 030.
(Area—220 sq. ft. carpet area)
(Property as described in the agreement to sale registered in the office of the I.A.C. Acquisition Range, Pune, under document No. 2585 in the month of October, 1983)

SHASHIKANT KULKARNI
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Poona

Date : 28-4-1984
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, LUCKNOW

Lucknow, the 7th February 1984

G.I.R. No. S-297|Acq.—Whereas, I, A. PRASAD, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Portion of Kothi No. 1 situated at Sunderbagh, Lucknow (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at Lucknow on 12-10-1983 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer, and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons namely :—

(1) Shri Sheo Narain Tandon (Transferor)

(2) Smt. Saroj Rani (Transferee)

(3) Shri S. N. Kirti (Tenant) Proprietor of M|s. Kirti Press (Person in occupation of the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :— The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Portion of Kothi No. 1 (Municipal No. 103|5), measuring about 9,164 sq. ft. situated at Sunderbagh, Lucknow, and all that description of the property which is mentioned in the sale deed and form 37G No. 10360, which have duly been registered in the office of the Sub-Registrar, Lucknow, on 12-10-1983.

A. PRASAD
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Lucknow.

Date : 7-2-1984
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME TAX ACT, 1961 (43 of 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, LUCKNOW

Lucknow, the 6th February 1984

G.I.R. No. S-296|Acq.—Whereas, I, A. PRASAD,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

No. Portion of Kothi No. 1 situated at Sunderbag, Lucknow. (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer|Registrar|Sub-Registrar at Lucknow on 12-10-1983

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Smt. Indra Bibi (Transferor)

(2) Smt. Saroj Rani Agrawal (Transferee)

(3) Shri S. N. Kirti (Tenant) Proprietor of M|s. Kirti Press (Person in occupation of the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Portion of Kothi No. 1 (Municipal No. 103|5), measuring 4,050 sq. ft. situated at Sunderbagh, Lucknow, and all that description of the property which is mentioned in the sale deed and form 37G No. 10359, which have duly been registered in the office of the Sub-Registrar, Lucknow, on 12-10-1983.

A. PRASAD
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Lucknow.

Date : 6-2-1984
Seal :

FORM ITNS————

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE
3RD FLOOR, SARAF CHAMBERS, SADAR
NAGPUR

Nagpur, the 30th April 1984

No. IAC|ACQ|3|84-85.—Whereas, I, M. C. JOSHI, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immoveble property having a fair market value exceeding Rs. 25,000|- and bearing No.
Agricultural Land at Mauja Tah. & Distt. Yavatmal
12.03 Hectors
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred
under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Yevatmal on 11-10-1983
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Ramkrishna Ganpat Mudholkar
Smt. Sakhubai Ganpat Mudholkar
R|o Wadgaon Tah. & Distt. Yavatmal.

(Transferor)

(2) 1. Suresh Hemant Jirapure
2. Vasant Pundlik Dhoke
3. Sau. Nirmala Ashok Wadibhasme
R|o Yavatmal near Saroj Talkies, Yavatmal.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Agricultural land bearing S. No. 72 at Mauza, Wadgaon Tah. & Distt. Yavatmal Area 12.03 Hectors.

M. C. JOSHI
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Nagpur.

Date : 30-4-1984
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE
3RD FLOOR, SARAF CHAMBERS, SADAR
NAGPUR

Nagpur, the 30th April 1984

Ref No. IAC/ACQ/2/84-85.—Whereas, I, M. C. JOSHI, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinatfer referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
Plot Nazul Sheet No. 36, Plot No. 5 situated at Civil Lines, Yavatmal
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred
under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Yavatmal on 3327/83 7-10-83
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apprent consideration therefor by more than fifteen percent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been duly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the section (1) of Section 269D of the said Act, to the following aforesaid property by the issue of this notice under sub-persons, namely :—

(1) Shri Dattatraya Madhaorao Deshmukh
Civil Lines, Yavatmal.
(Transferor)

(2) Dr. Nhalchandra Narhar Ranade,
Balaji Mandir Chowk,
Yavatmal.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Plot bearing Nazul Sheet No. 36, plot No. 5, Civil Lines, Yavatmal Area 4850 Sq. Feets.

M. C. JOSHI
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Nagpur.

Date : 30-4-1984
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE
3RD FLOOR, SARAF CHAMBERS, SADAR, NAGPUR

Nagpur, the 30th April 1984

Ref. No. IAC|ACQ|1|1984-85,—Whereas, I, M. C. JOSHI, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000|- and bearing No.
Plot and Part of Godown type house on Nazul Block No. 11, Plot No. 180|1 Jaggannath Ward, Hinganghat, Distt. Wardha Area
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred
under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Wardha on 7-10-1983
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) 1. Shri Suresh S|o Shri Bansilalji
2. Shri Prakash S|o Shri Bansilalji
3. Shri Naresh S|o Shri Bansilalji
Gondni Ward, Hinganghat,
Distt. Wardha.

(Transferor)

(2) Dr. Shri Vasant Laxmanrao Bonde,
R|o Tahsil ward Hinganghat,
Distt. Wardha.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Plot and Part of Godown Type house on Nazul Block No. 11 Plot No. 180|1 Jagannath ward, Hinganghat, Distt. Wardha Area 3885 Sq. ft.

M. C. JOSHI
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Nagpur

Date : 30-4-1984
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-I
MADRAS-600 006

Madras-600 006, the 1st May 1984

Ref. No. 4|Oct|83.—Whereas, I, R. P. PILLAI, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
Door No. 27-B Sembium Village situated at Sembium Village, North Madhavram High Road, Madras
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred
under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Sembium, Madras (Doc. No. 4775|83) in October, 1983
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Chadrakala Galada,
No. 3, Perianayakaran St.,
Madras-79.

(Transferor)

(2) Shri M. Meenachisundaram,
79 N.M.K. St., Ayyanavaram,
Madras-23.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writting to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Vacant Land, Door No. 27-B Sembium Village, North Madhavaram High Road, (Doc. No. 4775|83).

R. P. PILLAI
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner (i|c)
of Income-tax
Acquisition Range-I
Madras-600 006

Date : 1-5-1984
Seal :

FORM ITNS————

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-I
MADRAS-600 006

Madras-600 006, the 1st May 1984

Ref. No. 8|Oct|83.—Whereas, I, R. P. PILLAI, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding

Plot No. 278, Serial No. 46 situated at Periyakudal Village, T.S. No. 19,

(and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Anna Nagar, Madras (Doc. No. 3352) in October, 1983 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect to any income arising from the transfer; and|or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri K. V. Srinivasan,
S|o K. S. Venkatachala Iyer,
F.7, South Extension Part I,
New Delhi.

(Transferor)

(2) Lt. Col. G. Clifton,
Mrs. Margaret Clifton,
Mr. Anil Clifton,
Caption Ashok Clifton,
F. 8, Anna Nagar East,
Madras.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land and Building. Periyakudal Village, T.S. No. 19, Anna Nagar, Madras. (Doc. No. 3352|83).

R. P. PILLAI
Competent Authority
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax
Acquisition Range,-I
Madras-600 006

Date : 1-5-1984
Seal :

FORM ITNS——

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-I
MADRAS-600 006

Madras-600 006, the 1st May 1984

Ref No. 10|Oct|83.—Whereas, I, R. P. PILLAI, being the Competent Authority under Section 269B of the income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'Said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
4571 (plot No.), Municipal Door situated at
Municipal Corporation Door No. Y-151,
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred
under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Anna Nagar, (Doc No. 3373|83) in October, 1983
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer, and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the Act to the following persons, namely :—

(1) Shri V. S. Ganaraj,
S|o V. Subramanya Iyer,
C-121, 80th Street,
Ashok Nagar, Madras-83.

(Transferor)

(2) Shri J. Mahimainatha,
Y-151, Plot No. 4571,
Anna Nagar, Madras-40.

(Transferee)

Objections, if any to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Piece and Parcel of land together with superstructure Plot No. 4571, Anna Nagar, Madras-40. (Doc. No. 3373|83).

R. P. PILLAI
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range,-I
Madras-600 006

Date : 1-5-1984
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-I
MADRAS-600 006

Madras-600 006, the 1st May 1984

Ref. No 11|Oct|83.—Whereas, I, R. P. PILLAI, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing Plot No. 4171, situated at MullamVillage, Anna Nagar, Madras (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Anna Nagar, Madras (Doc. No. 3384|84) in October, 1983 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen percent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under said act in respect of any income arising from the transferor; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:-

(1) Miss. B. Bhagyalakshmi,
11|801, Lodhi Colony,
New Delhi-3.

(Transferor)

(2) Smt. Krishna Gupta,
Q-33, Anna Nagar,
Madras-40.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publications of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in the Chapter.

THE SCHEDULE

Vacant Land Plot No. 4171, Anna Nagar, Madras-40. (Doc. No. 3384|83).

R. P. PILLAI
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-I
Madras-600 006

Date : 1-5-1984
Seal :

FORM ITNS-----

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMSSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-I
MADRAS-600 006

Madras-600 006, the 1st May 1984

Ref. No. 12|Oct|83.—Whereas, I, R. P. PILLAI, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000|- and bearing No. 4067, Block No. 2, Mullam Village situated at Mullam Village, Anna Nagar, Madras-102 (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Anna Nagar, (Doc. No. 3415|84) in October 1983 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri K. Rathi Raman,
35 J Block,
Anna Nagar, Madras-102.
(Transferor)

(2) Shri R. Dakshinamurthy,
29 Halls Road,
Kilpauk, Madras-10.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of the notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Vacant Land, Plot No. 4067, Block No. 2 Mullam Village Anna Nagar, Madras-102, (Doc. No. 3415|83).

R. P. PILLAI
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-I
Madras-600 006

Date : 1-5-1984
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-I
MADRAS-600 006

Madras-600 006, the 1st May 1984

Ref. No. 16|Oct|83.—Whereas, I, R. P. PILLAI, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
Plot No. 2896 situated at
Naduvakkarai Village, Anna Nagar, Madras
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred
under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Anna Nagar (Doc. No. 3505|83) in October, 1983
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Mr. J. M. Agarwal,
S|o Shri Naraindasji,
C 12 Ashifa Apartment,
Ahmedabad-380 014.

(Transferor)

(2) Mr. L. R. Sivaprasad,
Sri L. V. Ramaiah,
28 Habibullah Road,
T. Nagar, Madras-17.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land and Building Plot No. 2896 Naduvakarai Village, Anna Nagar, Madras (Doc. No. 3505|83).

R. P. PILLAI
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income Tax
Acquisition Range-I
Madras-600 006

Date : 1-5-1984
Seal :

FORM I.T.N.S.———

NOTICE UNDER SECTION 269 D (1) OF THE INCOME-TAX ACT 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-I
MADRAS-600 006

Madras-600 006, the 1st May 1984

Ref. No. 21|Oct|83.—Whereas, I, R. P. PILLAI, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax, Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing Door No. 1 situated at Kattur Sadayappan Street, Periamet, Madras-3 (and more fully described in the schedule annexted hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at Periamet (Document No. 1054|83) in October, 1983 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the sadi Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Mrs. Selvakumari
10 Gandhiji Main Road,
Alwarthirunagar, Madras-87.

(Transferor)

(2) Mr. Masood Ahmed
No. 1 Kattur Sadayappan Street,
Periamet, Madras-3.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter

THE SCHEDULE

Land and building Door No. 1 Kattur Sadayappan Street, Periamet Madras-3 (Doc. No. 1054|83).

R. P. PILLAI
Competent Authority
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-I
Madras-600 006

Date : 1-5-1984
Seal :

FORM I.T.N.S.———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-I, MADRAS

Madras-600 006, the 1st May 1984

Ref. No. 24|Oct.|83.—Whereas, I, R. P. PILLAI, being the competent authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
No. 87, situated at Aspirin Garden, Madras-10
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Periamet, (Doc. No. 1071|83) in October, 1983
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) P. K. Unni, Q-93, Anna Nagar, Madras-40.

(Transferor)

(2) Kanam Family Trust, No. 38, Netaji Subash Marg, New Delhi 110 002.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respecive persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

(Land and building at No. 87, Aspirin Gardens, Madras-10. Doc. No. 1071|83)

R. P. PILLAI
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-I, Madras-600 006

Date : 1-5-1984
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-I, MADRAS

Madras-600 006, the 1st May 1984

Ref. No. 23|Oct.|83.—Whereas, I, R. P. PILLAI, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000|- and bearing No. Plot No. A-82, situated at Kilpauk Garden Road, Madras-10 (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of Registering Officer at Periamet, (Doc. No. 1073|83) in October, 1983 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the 'said Act' to the following persons, namely :—

(1) Sh. M. Prabhakar, No. 10|A. Murrays Gate Road, Alwarpet, Madras-600 018.

(Transferor)

(2) M|s. United Builders, No. 12-13, Raman Street, T. Nagar, Madras-17.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later.

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

(Vacant land at Plot No. A-82, Kilpauk Garden Road, Madras-10. Doc. No. 1073|83).

R. P. PILLAI
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax
Acquisition Range-I, Madras-600 006

Date : 1-5-1984
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT

COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-I, MADRAS-600 006

Madras, the 1st May 1984

Ref No. 43|Oct.|83.—Whereas, I, R. P. PILLAI, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000|- and bearing No. 60, situated at Acharappan Stree, Madras-1. (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Madras North-I, (Doc. No. 3347|83) on October 1983 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) G. Seshiah Chetty & Others,
No. 6, Plot No. 501,
Block 'L',
Anna Nagar East,
Madras.

(Transferor)

(2) B. K. Venkatesan & another,
83, Acharappan Street,
Madras-1.

(Tarnsferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

(Land and building at No. 60, Acharappan Street, Madras-1, Doc. No. 3347|83)

R. P. PILLAI
Competent Authority
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-I, (i|c) Madras.

Date : 1-5-1984
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-I, MADRAS-600 006

Madras, the 1st May 1984

Ref. No. 50|Oct.|83.—Whereas, I, R. P. PILLAI, being the competent authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000|- and bearing No. 56, situated at Avalkara Street, Vellore, (and more fully described in the schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering officer at Vellore-I, (Doc. No. 3887|83) on October 1983 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269-C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri D. Sivarama Mudaliar,
S|o. Shri Damodara Mudaliar,
233, Officer Line,
Vellore. N. A. Dt.

(Transferor)

(2) Shri G. Ramesh Babu,
Shri G. Prem Kumar,
S|o. Shri V. M. Gopalakrishnan,
40, Agathi Krishnappa Chetty Stree,
Vellore. N. A. Dt.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

(Land and building at No. 56, Avalkara Street, Vellore. Doc. No. 3887|83)

R. P. PILLAI
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-I, (i|c) Madras

Date : 1-5-1984
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-I, MADRAS-600 006

Madras, the 1st May 1984

Ref. No. 54|Oct.|83.—Whereas, I, R. P. PILLAI, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. T. S. No. 18251|, situated at Tiruvannamalai. (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering officer at Tiruvannamalai, (Doc. No. 1227|83) on October 1983 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri R. Narayanasami,
S|o. Rajagopal Naidu,
Liquidator, Annamalai Industrial Corporation Ltd., (In Liquidation)
Thandrampet Road,
Tiruvannamalai.

(Transferor)

(2) Shri S. Kuppusamy Naidu,
S|o. Shri Subbaraya Naidu,
18-A, Chengam Road,
Tiruvannamalai.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

(Land and building at T. S. No. 1825|1. Tiruvannamalai, Doc. No. 1227|83)

R. P. PILLAI
Competent Authority
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-I, (i|c) Madras

Date : 1-5-1984
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE-I, MADRAS-600 006

Madras, the 1st May 1984

Ref No. 149|Oct.|83.—Whereas. I,
R. P. PILLAI,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
No. T. S. No. 4137|1A3A1A3B, situated at Polnaickeenpet, Tuticorin.
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering officer
at Tuticorin-II, (Doc. No. P18|83)
on October 1983
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri S. Abraham Nadar,
S|o. Sundara Nadar,
2C, Sundara Ramapuram,
Tuticorin.

(Transferor)

(2) Shri T. Chithirai,
S|o. Thangavel Nadar,
39D, Kathiresan Koil Street,
Tuticorin-628 992.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter

THE SCHEDULE

(Land and building at T. S. No. 4137|1A3A1A3B, Polnaickenpet, Tuticorin. Doc. No. P 18|83)

R. P. PILLAI
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-I, (i|c) Madras

Date : 1-5-1984
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-I, MADRAS-600 006

Madras, the 1st May 1984

Ref. No. 152|Oct.|83.—Whereas, I, R. P. PILLAI, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the said Act), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Plot No. AP 386, situated at Anna Nagar West, (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering officer at Anna Nagar. (Doc. No. 3631|83) on October 1983 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Messrs. Habitat,
No. 73, AJ Block,
Anna Nagar,
Madras-40

(Transferor)

(2) Mrs. Maureen Sundararajan &
Sm. Sundararajan,
13, Professor Subramaniam Street,
Kilpauk,
Madras-10.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

(Land and building at Plot No. AP 386, Annanagar West, (Land and building at Plot No. AP 386, Annanagar West, Madras. Doc. No. 3631|83)

R. P. PILLAI
Competent Authority
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-I, (i|c) Madras

Date : 1-5-1984
Seal :

FORM ITNS—

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-I, MADRAS-600 006

Madras, the 1st May 1984

Ref. No. 161|Oct.|83.—Whereas, I, R. P. PILLAI, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000|- and bearing No. 2.15 Nanjai Land, Vaniyam Badi, (acress) (Agriculture Land) Somalapuram Village, situated at Somalapuram Village, Vaniyam Badi T.K. (Doc. No. 2059|83) (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering officer at Ambur. (Doc. No. 2059|83) on October 1983 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) Shri M. Thulasi Raman, and others,
S|o. A. P. Mohana Mudaliary,
Namchivayapuram,
Vazhaipanthal,
Arni.

(Transferor)

(2) Shri R. Bakthanathan,
S|o. V. R. Rathina Mudaliyar,
Puthu Kovindapuram,
Ambur.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

2.15 acres Nanjai Land (Dry Land). Somalapuram Village, Vaniyambadi. (Doc. No. 2059|83).

R. P. PILLAI
Competent Authority
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-I, (i|c) Madras

Date : 1-5-1984
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-I, MADRAS-600 006

Madras, the 9th May 1984

Ref. No. 42|Oct|83.—Whereas, I, G. MUTHURAMAKRISHNAN, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the said Act), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. 155, Wall Tax Road, situated at Park Twon, Madras-600 003. (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act. 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Madras North. (Doc. No. 3253|83) on October 1983 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Sri M. P. Subramanian,
18, Vinayaka Mudali Street,
Samu Mudali Colony,
Madras 28.

(Transferor)

(2) Mrs. G. Vijayalakshmi,
153 Wall Tax Rd.,
Madras-3.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land & Building at 155 Waltax Road, Park Town, Madras-3. (Doc. No. 3253|83).

G. MUTHURAMAKRISHNAN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-I, (i|c) Madras

Date : 9-5-1984
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX ACQUISITION RANGE I, MADRAS-600 006

Madras, the 14th May 1984

Ref. No. 31|Oct|83.—Whereas, I, G. MUTHURAMAKRISHNAN, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. 41 (New No.) & Old No. 1|16 situated at Thambu Chetty Lane Royapuram, Madras-13 (Doc. No. 1812, 1813|83) (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at Royapuram, Madras-13. on October 1983 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269C of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri V. Bhoopathy, and Other: S|o. Shri Venkataswamy Chettiar, No. 41, Thambu Chetty Lane, Royapuram, Madras-13.

(Transferor)

(2) Mrs. J. Pista Devi, W|o. Jawarilal, No. 142, P. V. Koil St., Royapuram, Madras-13.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Old No. 1|16, New No. 41, Thambu Chetty Lane, Royapuram Madras-13. Land & Building (Doc. No. 1812 & 1813|83).

G. MUTHURAMAKRISHNAN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-I, (i|c) Madras

Date : 10-5-1984
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-I, MADRAS-600 006

Madras, the 1st May 1984

Ref. No. 154|Oct.83.—Whereas, I, R. P. PILLAI, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000|- and bearing No. Door No. 20 Strother Muthiah Mudali St., situated at Door No. 20, Strother Muthaiah Mudali Street, Madras. (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at Madras Central, Madras. (Doc. No. 250|83) on October 1983 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Y. Jayalakshmi,
Venkatesh.
P. Revathi and others,
20 Strother Muthaiah Mudali St.,
Madras. I.

(Transferor)

(2) Shri D. Dharamchand Jain,
& others.
8, Thanikachala Road,
Madras. 17

(Transferee)

Objections, if any to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land & Building No. 20 Strother Muthaiah Mudali Street, Madras-I. (Doc. No. 250|83).

R. P. PILLAI
Acquisition Range-I, Madras
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Madras-600 006

Date : 1-5-1984
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX ACQUISITION RANGE, BANGALORE-560001

Bangalore, the 9th May 1984

No. 752.—Whereas, I, S. BALASUBRAMANIYAN, Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Act, Acquisition Range, Bangalore
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000|- and bearing No.
Agrl. land RS. No. 248|1 & 248|3 situated at Jamakhandi (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Jamakhandi Under document No. 1675|83-84 on 17-11-1983 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

(1) Shri Basapra Laxman Gavali
R|o Jamakhandi
Tk. Jamakhandi
Dist. Bijapur.

(Transferor)

(2) Shri Jinnappa Balappa Ramateerth,
R|o Alagur Village,
Tk. Jamakhandi
Dist. Bijapur.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person, interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Registered Document. 1675|83-84 dated 17-11-1983.

Irrigated Agricultural land bearing R.S. No. 248|1 & 248|3 situated at Jamakhandi.

S. BALASUBRAMANIYAN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Bangalore

Date : 9-5-1984
Seal :

FORM ITNS————

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX ACQUISITION RANGE, BANGALORE-560001

Bangalore, the 9th May 1984

No. 753.—Whereas, I, S. BALASUBRAMANIYAN, Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Act, Acquisition Range, Bangalore being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Plot No. 17 R.S. No. 36/2B situated at Navodaya Nagar, Dharwar (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Dharwar Under document No. 1024 on 1-10-1983 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri C. N. Parashivamurthy
Joint Registrar of Co-operative Society,
Bangalore.

(Transferor)

(2) Shri G. S. Bidar KOP
Navodaya Nagar,
Dharwar.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Registered Document 1024, dated 1-10-1983.
Residential property bearing Plot No. 17 R.S. No. 36/2B situated in Navodaya Nagar Saptapur Village, Dharwar.

S. BALASUBRAMANIYAN
Competent Authority
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Bangalore

Date : 9-5-1984
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE, BANGALORE-560001

Bangalore, the 9th May 1984

No. 754.—Whereas, I, S. BALASUBRAMANIYAN, Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Act, Acquisition Range, Bangalore being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000|- and bearing No.

R.S. No.246|I situated at Jamakhandi

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at Jamakhandi Under document No. 1674 on 17-11-1983 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Basappa Laxman Gavali
R|o Jamakhandi.

(Transferor)

(2) Shri Royappa Mallappa Ramateerth
R|o Alagur Village
TK. Jamakhandi,
Dist. Bijapur.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter

THE SCHEDULE

Registered Document 1674, dated 17-11-1983.
Irrigated agricultural land situated at Jamakhandi R.S. No. 246|I.

S. BALASUBRAMANIYAN
Competent Authority
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax
Acquisition Range Bangalore

Date : 9-5-1984
Seal :

FORM I.T.N.S.———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME TAX, ACQUISITION RANGE, BANGALORE-560001

Bangalore, the 9th May 1984

No. 755.—Whereas, I S. BALASUBRAMANIYAM, Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Act, Acquisition Range, Bangalore being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. — situated at Moramb' sub Dist. Ilhas (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Ishas Under document No. 838 on 14-10-1983 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) 1. Shri Victor De Mendonca.
2. Mrs. Agatta Rosa Mana Fernandes Mendonca
3. Mrs. Ana Maria Das Mercas Fernandes E Souza.
All R|o H. No. 1356 bairo bond r. Santa Cruz Ilhas Goa.

(Transferor)

(2) 1. Mr. Ditip Vasant Shette.
2. Mr. Santosh Vassant Shette
3. Mr. Ashok Vassant Shette.,
All R|o H. No. E|638 Santa Iner Panji Goa.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Registered Document No. 838. dated 14-10-1983.

Open land used for, sali Pane situated at Morambi Sub Dist, of Ilhas Dist. of Goa.

S. BALASUBRAMANIYAN
Competent Authority
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Bangalore

Date : 9-5-1984
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX
ACQUISITION RANGE, BANGALORE-560001

Bangalore, the 24th May 1984

No. 755|84-85.—Whereas, I MANJU MADHAVAN, Inspecting Assistanting Commissioner of Income-tax Act, Acquisition Range, Bangalore being the Competent Authority under Section 296B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000|- and bearing No. Survey No. 8 and 8B situated at Karwar (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred as per deed registered under the Indian Rgistration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Office at under document No. 531|83-84 on 18-10-1983 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, of the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Mrs. Pushpamala M. Pikale, Karwar.

(Transferor)

(2) Dr. S. R. Nayak, New Nursing Home, R. Pikle, Road, Karwar.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Registered Document No. 531|83-84. dated 18-10-1983.

1|4th share in property known as New Nursing Home bearing Munl. No. 566 & 567 in survey No. 8 and 8B situated at R. Pikle Road. Karwar.

MANJU MADHAVAN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Bangalore

Date : 24-5-1984
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE, BANGALORE-560001

Bangalore, the 24th May 1984

No. 756|84-85.—Whereas, I MANJU MADHAVAN, Inspecting Assistanting Commissioner of Income-tax Act, Acquisition Range, Bangalore being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000|- and bearing No. Survey No. 8 & 8B situated at Karwar (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Office at Under document No. 530|83-84 on 18-10-1983 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of, :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Mrs. Pushamala M. Pikle, Karwar.

(Transferor)

(2) Dr. (Mrs.) Kumad Nayak, New Nursing Home, R. Pikle Road, Karwar.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later

(b) by any other person, interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expression used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Registered Document No. 530 83-84, dated 18-10-1983.

1|4th share in property known as New Nursing Home bearing No. Munl. No. 566 & 567 in Survey No. 8 and 8B situated at R Pikle Road, Karwar.

MANJU MADHAVAN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Bangalore

Date : 24-5-1984
Seal :

FORM I.T.N.S.————

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX ACQUISITION RANGE, BANGALORE-560001

Bangalore, the 22nd May 1984

No. 757.—Whereas, I
MANJU MADHAVAN, Inspecting Assistanting Commissioner of Income-tax Act Acquisition Range, Bangalore
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000|- and bearing No.
Site No. 8 in RN Extension situated at Hassan
(and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Office at
under document No 1763|83-84 on 13-10-83
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of -

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri K. Ramegouda, Advocate,
KR Puram, Hassan.

(Transferor)

(2) Shri B. M. Shantappa, Coffee Planter,
Belur.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Registered Document No 1763|83-84 dated 13-10-83.

Site No. 8 measuring 50 x 70' situated at RN Extension, Hassan.

MANJU MADHAVAN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Bangalore

Date : 22-5-1984
Seal :

FORM ITNS————

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, BANGALORE-560001

Bangalore, the 22nd May 1984

Ref No. 758.—Whereas, I, MANJU MADHAVAN, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000|- and bearing No. RS No. 34|1 situated at Doddanaikanakoppa, Dharwad (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at Dharwad Under document No. 1112|83-84 on 29-10-83 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) 1. Shri Ranganath S Jathar, 993|992|23, Rajendranagar, Pune-30.
2. Vijay S Jathar 7700 Honavar Parkway, Green Belt Marg Land 20770 U.S.A.
3. Aditya,
4. Satya, by their M|G Smt. Devi Jathar, Kelageri Rd., Dharwad
5. Smt. Devi Jathar, Kelageri Rd., Dharwad.

(Transferor)

(2) Shri Girimallappa Basappa Yaragatti, Karnatak University, Dharwad.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Registered Document 1112|83-84 dated 29-10-1983 Agriculture land R.S. No. 34|1 of Doddanaikanakoppa, Dharwad measuring 6.0 Acres.

MANJU MADHAVAN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Bangalore

Date : 22-5-1984
Seal :

FORM I.T.N.S. ——

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, BANGALORE-560001

Bangalore, the 22nd May 1984

Ref. No. 759.—Whereas, I, MANJU MADHAVAN, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000|- and bearing No. RS No. 166|1 (Northern Part) situated at Gadag (and more fully described in the schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering office at Gadag Under document No. 1261|83-84 on 21-10-83 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transferer, and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Ramachandra
S|o Balaji Jadhav,
resident of Sidharam Nagar,
Near ST Depot, Gadag.

(Transferor)

(2) 1. Shri Shankrappa Basappa Byali,
2. Hanumanthgouda Bharamgouda Patil
3. Shivapurrappa Basappa, Hadi,
4. Smt. Rathnabai
D|o Krishnaji Jadhav,
C|o Shankrappa Basappa Byali, Teacher,
Near Gouramma Itagi's House,
Shahapurpete,
Gadag.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in this Chapter.

THE SCHEDULE

Registered Document, 1261|83-84 dated 21-10-1983
3, Acres of agricultural land (Northern portion) out of R. S. No. 166|1 of Gadag measuring 12, A & 14, Gs.

MANJU MADHAVAN
Competent Authority
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Bangalore

Date : 22-5-1984
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE, BANGALORE-560001

Bangalore, the 28th May 1984

Ref. No. C.R. No. 62|40809|83-84|Acq|B.—Whereas, I, MANJU MADHAVAN, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. RS No. 237-A 2, TS. No. 308-A 2, situated at Kadri Village, Bendore Ward, M'lore. (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred and the agreement is registered under Section 269AB of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) in the office of the Competent Authority at M'lore city on 14-10-1983 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri M. Michael Saldauha,
74|5, Shewala Bldg,
M. M. Joshi Marg,
By vella, Bombay.

(Transferor)

(2) M|s. Adarsh Enterprises,
By us Pr :—
H. Jayaprakash,
Kadri Temple Road,
M'lore.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

[Registered Document No. 927|83-84 dated 14-10-83]
All that property bearing No. TS. 303-A 2, RS. No. 237-A 2, situated at Kadri Village, Bendore ward, Mangalore.

MANJU MADHAVAN
Competent Authority
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Bangalore

Date : 28-5-1984
Seal :

FORM ITNS————

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, BANGALORE-560001

Bangalore, the 24th May 1984

Ref. No. C.R. No. 62|40860|83-84|Acq|B.—Whereas, I, MANJU MADHAVAN,

being, the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. 2972-A, situated at HAL II Stage, Indiranagar, B'lore,

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Office
at Shivajinagar, on 21-10-1983
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons namely :—

(1) Mrs. Vatsala Pant,
Divisional Manager,
Syndicate Bank,
Gandhinagar,
B'lore.

(Transferor)

(2) Shri R. Rangarajan,
Secretary Cum Administrative
Officer, SIT Research Association,
24|1, Ulsoor Road,
B'lore.

(Transferee)

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

[Registered Document No. 1896|83-84 Dated 21-10-83]
All that property bearing No. 2972-A, situated at HAL II Stage, Indiranagar, B'lore.

MANJU MADHAVAN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Bangalore

Date : 24-5-1984
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, BANGALORE-560001

Bangalore, the 23rd May 1984

C.R. No. 62|40788|83-84|ACQ|B.—Whereas, I MANJU MADHAVAN, Inspecting Assistanting Commissioner of Income-tax Act, Acquisition Range, Bangalore being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. (376), situated at 13th Main Road, R.V. Extn., Ba'lore, (and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908), in the office of Registering Office at Gandhinagar on 10-10-1983 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen percent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri K. Raghava Reddy, & 2 others, 446, Rajawahal Vilas Extn., B'lore.

(Transferor)

(2) Shri D. V. S. Acharya, 300|1-B, 16th Cross, Upper Palace Orchards, Bangalore.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Registered Document No. 1976|83-84 Dated 10-10-83.
All that property bearing No. 6(376), situated at 13th Main Road, Rajamahal vilas Extension, Bangalore.

MANJU MADHAVAN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income Tax
Acquisition Range, Bangalore

Date 23-5-84
Seal :

FORM ITNS——

NOTICE UNDER SECTION 269-D (1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, BANGALORE-560001

Bangalore, the 27th April 1984

C.R. No. 62|40800|83-84|ACQ|B.—Whereas, I MANJU MADHAVAN, Inspecting Assistanting Commissioner of Income-tax Act, Acquisition Range, Bangalore being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs 25,000/- bearing No.
319, situated at Domlur Extension, Bangalore
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908), in the office of the Registering Office at
Shivajinagar on 14-10-1983,
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) of the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri T. N. Soundana Rajau,
No. 319, Domlur Extn.
Bangalore.

(Transferor)

(2) Shri G. Mohan Ram &
Mrs Sashi Mohan,
No. 39, Viviyani Road, Bangalore.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Registered Document No. 1853|83-84 Dated 14-10-83.
All that property bearing No. 319, situated at Domlur Extension, Bangalore.

MANJU MADHAVAN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Bangalore

Date 27-4-1984
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME TAX
ACQUISITION RANGE, BANGALORE-560001

Bangalore, the 17th May 1984

C.R. No. 62|40885|83-84.—Whereas, I, MANJU MADHAVAN, Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, Acquisition Range, Bangalore being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. 4513, New No. L-5, situated at St. Mary Road, N. R. Mohalla, Mysore (and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been trasferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Mysore on 20-10-1983 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) faciliating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957):

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) 1. Mrs. Ratnamma Doreswamy
2. Thomas Sudarshan
3. Indra David,
4. Vimala Rathna Sabapathy
5. Pramila Robertson
6. Vashudara Srinivasan
at No. 1819, Akbar Road, Mandimohalla, Mysore.

(Transferor)

(2) Shri Anwar Ahmed Shariff
No. 4641, Shivaji Road, N. R. Mohalla, Mysore.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

[Registered Document No. 3017|83 Dated 20-10-83]

All that property bearing No. 4513, New No. L-5, situated at St. Mary Road, N.R. Mohalla, Mysore.

MANJU MADHAVAN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Bangalore

Date : 17-5-1984
Seal :

FORM ITNS—

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, BANGALORE-560001

Bangalore, the 24th May 1984

C.R. No. 40799|83-84.—Whereas, I, MANJU MADHAVAN, Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Act, Acquisition Range, Bangalore being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000|- and bearing No. 547, situated at II Stage, Indiranagar, Bangalore (and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at Shivajinagar on 13-10-1983 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the propetry as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has been truly stated in the said intrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of thi snotice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri [illegible] Murthy, 618|619 13th Cross, Magadi Chord Road, Vijaynagar, Bangalore.

(Transferor)

(2) Shri T. V. Abraham, 1|5, Ulsoor Road, Bangalore.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

(Registered Document No 1827|83-84 Dated 13-10-1983).

All that property bearing No 547 situated at II stage, Indiranagar, Bangalore.

MANJU MADHAVAN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Bangalore

Date : 24-5-84
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, BANGALORE-560001

Bangalore, the 25th May 1984

C.R. No. 62|40875|83-84|ACQ|B.—Whereas, I MANJU MADHAVAN, Inspecting Assistanting Commissioner of Income-tax Act, Acquisition Range, Bangalore being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000|- and bearing No. 3|8(11) situated at Kaveriyappa Layout near Cunningham Road & (Miller Tank Bund Road, Bangalore, (and more fully described in the schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Office at Shivajinagar on 31-10-1983 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shrimati Zainabu Schanad,
3|8, Kaveriyappa Layout,
Vasauthanagar, Bangalore.

(Transferor)

(2) Mr. & Mrs. D. H. Shah,
165, Vasauthanagar, Bangalore.

(Transferee)

Obections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Registered Document No. 2001|83-84 Dated 31-10-83.

All that property bearing No. 3|8 (11), situated at Kaveriappa Layout near cunningham Road & Millar Tank Bund Road, Bangalore.

MANJU MADHAVAN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Bangalore

Date : 25-5-84
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, BANGALORE-560001

Bangalore, the 25th May 1984

C.R. No. 62|40793|83-84|ACQ|B.—Whereas, I MANJU MADHAVAN, Inspecing Assistant Commissioner of Income-tax Act, Acquisition Range, Bangalore being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000|- and bearing No. 17|3, situated at Hutchins Road, Richards Town, Bangalore Bangalore (and more fully described in the schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Office at Shivajinagar, dt. 1-10-83 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration hereto by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purpose of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Mrs. K. M. Mariam Silas also Known as Mrs. K. M. Mariam, 26, Viriani Road, Banglore.

(Transferor)

(2) Shri George Simon Pereira & Mrs. Jennifer Yvonne Pereira C|o 60|2, Coles Road, Bangalore.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter

THE SCHEDULE

[Registered Document No. 1713|83-84 Dated 1-10-1983].
All that property bearing No. 17|3, situated at Hutchins Road, Richards Town, Bangalore.

MANJU MADHAVAN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Bangalore

Date : 25-5-84
Seal :

FORM ITNS ———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, BANGALORE-560001

Bangalore, the 25th May 1984

C.R. No. 62 40798|83-84|ACQ|B.—Whereas, I MANJU MADHAVAN, Inspecting Assistanting Commissioner of Income-tax Act, Acquisition Range, Bangalore being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000|- and bearing No. 8, situated at Domlur Layout, Bangalore (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at with the competent authority under Section 269AB, in this office at Shivajinagar on 5-10-1983 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) Shri B. O. Balamurthy,
Lakkavally Village, Thaikere Taluk,
Chickmagalur Dist, Camp at
Bangalore.

(Transferor)

(2) Shri M. I. Koshy,
(2) Mr. T. M. Koshy,
No. 81, D'Costa Square, B'lore-5.
No. 22, Budhavihar Road,
Bangalore-5.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in the Chapter.

THE SCHEDULE

[Registered Document No. 1830|83-84 Dated 5-10-1983].

All that property bearing No. 8, situated at Domlur layout, Bangalore.

MANJU MADHAVAN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Bangalore

Date : 25-5-84
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE,
BANGALORE-560 001

Bangalore-560 001, the 28th May 1984

C.R No. 62|40796|83-84-Acq|B.—Whereas, I, MANJU MADHAVAN being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. 6, (4|L), situated at Osborne Road, Civil Station, B'lore, (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the registering office at with the competent authority under Section 269AB, in his office at *Shivajinagar* on *10-10-1983* for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shrimati Viruthambal,
New No. 6 (4|L), Osborne Road,
Civil Station, B'lore.

(Transferor)

(2) Shri U. K. Bhoja Rao,
No. 50|3, Jewellers Street,
B'lore.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

(Registered Document No. 1773|83-84 dated 10-10-83).

All that property bearing No. 6 (old No. 4|L), situated at Osborne Road, Civil Station, Bangalore.

MANJU MADHAVAN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range
Bangalore

Date : 28-5-84.
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, BANGALORE-560 001

Bangalore-560 001, the 26th May 1984

C. R. No. 62|40873|83-84|Acq|B.—Whereas, I, MANJU MADHAVAN being the Competent Authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. 98, situated at Binnamangala II Stage, Indiranagar, Bangalore (and more fully described in the scheduled annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Shivajinagar on 26-10-1983 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) faciliating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri S. Gopal,
Jagadishnagara, Jeevan Bhimanagar,
P.O. B'lore.

(Transferor)

(2) Shri M. B. Raj,
98, II Stage, Binnamangala,
Indiranagar, B'lore.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

(Registered Document No. 1951|83-84 dated 26-10-83.
All that property bearing No. 98, situated at Binnamangala II Stage, Indiranagar, B'lore.

MANJU MADHAVAN
Competent Authority
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax
Acquisition Range
Bangalore

Date : 26-5-84.
Seal :

FORM I.T.N.S.———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, BANGALORE-560 001

Bangalore-560 001, the 26th May 1984

C.R. No. 62|4074|83-84|Acq.B.— Whereas, I, MANJU MADHAVAN being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. 658|1 (old No. 658|A), situated at 17th-B-Cross, Indiranagar, Binnamangala II Stage, B'lore, (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the registering officer at Shivajinagar on 4-10-1983 for an apparent consideration which is les than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been o which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri P. Dhauraj,
No. 6, VII Cross, 'B' Street,
Jayabharathinagar, B'lore City.

(Transferor)

(2) Shrimati Anasuya, Bai,
Gowri Shankara Nilaya, No. 387, V Cross,
Wilon Gardens, Bangalore.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later:

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

(Registered Document No. 1603|83-84 dated 4-10-83).
All that property bearing No. 658|1 (old No. 658|A), situated at 17th B-Cross, Indiranagar, Binnamangala II Stage. Bangalore.

MANJU MADHAVAN
Competent Authority
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax
Acquisition Range
Bangalore

Date : 10-5-1984.
Seal :

FORM ITNS— — —

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, BANGALORE-560 001

Bangalore-560 001, the 24th May 1984

C.R. No. 62|40869|83-84|Acq.B —Whereas, I, MANJU MADHAVAN being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000|- and bearing No. 1065, situated at HAL II, Stage, Indiranagar, B'lore, (and more fully described in the schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the registering Officer Shivajinagar on 24-10-1983 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cen of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and|or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) of the said Act, or the Wealth-tax Act 1957 (27 of 1957);

Now therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri F. Ramaiah
No. 96, V Main Road, Chamarajpet
Bangalore-18.

(Transferor)

(2) Shri C. M. Thomas and Smt. C. M. Thomas, GPA holder Sri N. T. Sabastian,
7|1, Kingston Road,
Bangalore-25.

(Transferee)

Objections, if any to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice *in the Official Gazette* or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

(Registered Document No. 1919|83-84 dated 24-10-83).
All that property bearing No. 1065, situated at HAL II Stage, Indiranagar, Bangalore.

MANJU MADHAVAN
Competent Authority
Inspecting Asstt. Commissioner Income-tax
Acquisition Range
Bangalore

Date : 24-5-1984
Seal :

FORM ITNS——

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE, BANGALORE-560 001

Bangalore-560 001, the 25th May 1984

C.R. No. 62|408|71|83-84|Acq |B.—Whereas, I, MANJU MADHAVAN being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. 29|1, situated at Hutchins Main Road, B'lore. (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred and the agreement is registered under Section 269AB of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) in the Office of the Competent Authority at Shivajinagar on 25-10-1983 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri V. D. Jose,
No. 29, Hutchins Main Road,
Looke Town, B'lore.
(Transferor)

(2) Mrs. Annie Eapen,
PAH Pastor John David,
Major, JPC, Zion Hall, III Cross, Hennur Road,
Lingarajapuram, B'lore.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter

THE SCHEDULE

(Registered Document No. 1932|83-84 dated 25-10-83).
All that property bearing No. 29|1, situated at Hutchins, Main Road, Bangalore.

MANJU MADHAVAN
Competent Authority
Inspecting Asstt Commissioner of Income-tax
Acquisition Range
Bangalore

Date : 25-5-1984.
Seal :

FORM ITNS————

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX
ACQUISITION RANGE BANGALORE-560 001

Bangalore-560 001, the 26th May 1984

C.R. No. 62/40783/83-84/ACQ/B.—Whereas, I MANJU MADHAVAN, Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax Acquisition Range, Bangalore being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No 34/1, situated at Benson Road Cross, Bangalore (and more fully described in the Schedule annxed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Office at Gandhinagar on 12-10-1983 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer and/or;

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby iniate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Chimanlal,
No. 17/6, Church Road,
Shanthinagar, Bangalore-27.
(Transferor)

(2) Shri Abdul Khayum, (2) Smt. Sajida,
No 51, Millers' Road,
II Cross, Civil Station, Bangalore-46.
(Transferee(s)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later.

(b) by any person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

[Registered Document No 2005/83-84 Dated 12-10-83]

All that property bearing No. 34/1, situated at Benson Road Cross, Bangalore.

MANJU MADHAVAN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Bangalore

Date : 26-5-84
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, BANGALORE

Bangalore-560 001, the 5th June 1984

Ref. No. C.R. No. 62|40930|83-84.—Whereas, I MANJU MADHAVAN,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No 759|30,
situated at V Main road, Vijayanagar, Bangalore
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering office
1908) in the office of the Registering Office at
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri M Krishnappa, No 759|30, V Main Road, Vijayanagar, Bangalore

(Transferor)

(2) Smt. Shantha S Jantiy No 22, III Block, III Stage, W C. Road, B'lore

(Transferee)

Objections, if any to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

(Registered Document No 2526|83-84 dated 31-11-83)
All that property bearing No 759|30, situated at V Main road, Vijayanagar (Hosahally), Bangalore

MANJU MADHAVAN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Bangalore

Date 5 6 84
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX ACQUISITION RANGE, BANGALORE-560 001

Bangalore-560 001, the 1st June 1984

C.R. No. 62|40810|83-84|ACQ|B.—Whereas, I, MANJU MADHAVAN, Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax Acquisition Range, Bangalore being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000|- and bearing No.
RS. 42-3B,situated at Boloor village, II Balaji ward, Mangalore
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Office at
Mangalore city on 14-10-1983
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Bola Srinivasa Kamath Chilimbi, Mangalore.

(Transferor)

(2) Shri B. Dattatreya Pai, Aithappa Maistry Compound, Maunagudda, Mongalore.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

[Registered Document No. 926|83-84. Dated 14-10-83]

Property bearing No. RS. 42-3B, situated at Boloor village, Bijai ward, Mangalore.

MANJU MADHAVAN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Bangalore

Date : 1-6-84.
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE, BANGALORE-560 001

Bangalore-560 001, the 4th June 1984

C R No 62|40575|83-84|ACQ|B—Whereas, I MANJU MADHAVAN

being the Competent Authority under Section 269B of the Income tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No

Plot No 3 situated at Prashanth residential layout, whitefield Bangalore

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Office at

with the competent authority under Section 269AB in his office at Bangalore South Taluk in Oct 1983

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen percent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri E V J Cunha & 10 others,
No 69, St John's Church road, Bangalore.

Transferor(s)

(2) Kumari Neena Anandaraman, minor guardian
Mr R B B Krishnamurthy,
No 50, 30th cross VII Block, Jayanagar,
Bangalore

Transferee(s)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette of a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter

THE SCHEDULE

[Registered Document No 2997|83-84 dated Oct 83]

Property bearing plot No 3 situated at prashanth residential layout whitefield, Bangalore

MANJU MADHAVAN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Bangalore

Date 4-6-84
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, BANGALORE-560 001

Bangalore-560 001, the 5th June 1984

C.R. No. 62|40677|83-84|ACQ|B.—Whereas, I, MANJU MADHAVAN,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000|- and bearing No.
Plot No. 9 situated at Prashant residential layout, pattandur Agrahara, whitefield, Bangalore
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Office at
with the competent authority under Section 269AB, in his office at Bangalore South Taluk on Oct 1983
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri E.V.J. Cunha & ten others, No. 69, St. Johns Church Road, Bangalore-560005.

Transferor(s)

(2) Shrimati Dr. Usha Thyagaraja No. 114, Main Road, Whitefield, Bangalore.

Transferee(s)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

[Registered Document No. 2837|83-84, Dated Oct. 1983]
All that property bearing No. plot No. 9 situated at Prashanth residential layout Pattandur Agrahara village, Whitefield, Bangalore-66.

MANJU MADHAVAN
Competent Authority
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Bangalore

Date : 5-6-1984
Seal :

FORM ITNS————

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, BANGALORE

Bangalore-560 001, the 5th June 1984

Ref. No. C.R. No. 62|4057|83-84|Acq.|B.—Whereas, I, MANJU MADHAVAN, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Plot No. 6 situated at Prashanth residential layout, whitefield (and more fully described in the schedule annexed hereto), has been transferred and the agreement is registered under Section 269AB of the Income-tax Act, 1961, in the Office of the Competent Authority at B'lore South Taluk on October 1983 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the objecet of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Secton 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri E.V.J. Cunha & ten others No. 69, St. Johns Church road Bangalore-5.

(Transferor)

(2) Shri Deepak Motilal Chhabria No. 9, Convent road, Gulmohar mansion B'lore.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

(Registered Document No. 2996|83-84 dated Oct. 83)

All that property bearing No. Plot No. 6 situated at Prashanth residential layout whitefield, Bangalore.

MANJU MADHAVAN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Bangalore

Date : 5-6-84
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, BANGALORE

Bangalore-560 001, the 5th June 1984

Ref. No. C.R. No. 62 4080 83-84.—Whereas, I, MANJU MADHAVAN,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000|- and bearing
No. 37|2
situated at 3rd cross, Vivekanandanagar Bangalore-33
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer Authority
at Shivajinagar on 15-10-83
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen percent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by trasferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shrimati K. Manjula No. 294, 7th cross Jaibharathinagar B'lore-560 005.

(Transferor)

(2) Shri Santo Iteera No. 3, 3rd cross, Vivekanandanagar B'lore-33.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

(Registered Document No. 1856|83-84 dated 15-10-83).
All that property bearing No. 37|2 situated at 3rd cross, Vivekanandanagar, Bangalore-33.

MANJU MADHAVAN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Bangalore

Date : 5-6-84
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269-D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, BANGALORE

Bangalore-560 001, the 5th June 1984

Ref No. C.R. No. 62|40855|83-84.—Whereas, I MANJU MADHAVAN,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. 12, situated at II Cross road, S.C. road cross situated at Ramakrishnapuram Extension Bangalore 9
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering officer
at Gandhinagar on 31-10-1983
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri H. V. Subba Rao, Sri H. Suryanarayana Rao, Sri H S. Srinivas Rao, No. 12|1, R. K. Puram, Extension, S.C. road cross Bangalore.
(Transferor)

(2) Neelamma w/o Sri G. Pepnal Laxmeshwara Taluk Dharwar Dist Karnataka State.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later,

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

(Registered Document No. 2185|83-84 dated 31-10-83).
All that property bearing No. 12 situated at Ramakrishnapuram Exten. S.C. Road, Cross, Bangalore.

MANJU MADHAVAN
Competent Authority
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Bangalore

Date : 5-6-84
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX
ACQUISITION RANGE, BANGALORE-560 001

Bangalore-560 001, the 6th June 1984

C.R No. 62|40880|83-84|ACQ|B.—Whereas, I MANJU MADHAVAN Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax Acquisition Range, Bangalore
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000|- and bearing No.
221-5A1, 231-4A1B situated at Kenomanje Village, Puttur Taluk, D. K. Dist.
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Puttur on Oct. 1983
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said Instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Y. Ramakrishna Shenoy,
Mukrumpady of Kenumanje Village,
Puttur Taluk.

(Transferor)

(2) Shri A. S. Ponnappa,
Bediogola Village, Virajpet Taluk,
Kodagu Dist

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in hte said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

[Registered Document No. 518,83-84. Dated Oct. 1983]
Property bearing No. 221-5A1, 231-4A1B, situated at Kenmanje Village, Puttur Taluk, D. K. Dist.

MANJU MADHAVAN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Bangalore

Date : 6-6-84
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE, BANGALORE

Bangalore-560 001, the 5th June 1984

Ref. No. C.R. No. 62|40784|83-84.—Whereas, I MANJU MADHAVAN,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000|- and bearing
No. Sy. No. 54—ICI,
situated at Panju Mogam village on Kulur Kavoor road, Mangalore
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred
under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer
at Mangalore Taluk on 15-10-1983
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri K. Sadananda Shetty, Viveknagar, Kuloor, M'lore, as P.A. holder of my brother, Mr. K. Divakar Shetty, Vijaya Bank, B'lore now at Panjimoflar village, M'lore.

(Transferor)

(2) Smt. Nancy Monterio, w|o Robert Monterio, Viveknagar, Panjimnogaru village, M'lore.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :— The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

(Registered Document No. 881|83-84 dated 15-10-83).
Property bearing sy. No. 54—ICI, situated at Panjumogaru village, Kulur Kavoor road, Mangalore.

MANJU MADHAVAN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Bangalore

Date : 5-6-84
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, BANGALORE

Bangalore-560 001 the 4th June 1984

Ref No C R No 62|10879|83-84 —Whereas, I MANJU MADHAVAN, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the said Act), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No Sy No 146—57A31, situated at Nerla village, Belthangady Taluk, D Kannada (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Belthangady on 31-10 1983 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act 1957 (27 of 1957),

Now therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) M|s. Calicut Timbers Gandhinagar, Mangalore

(Transferor)

(2) M|s. AL-Badri Plantations, Milagres Mansions, Hampankatta, M'lore by its Pr —Mr. B Moideen Kunchi, Vashane, M'lore.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter

THE SCHEDULE

(Registered Document No 509|83 84 dated 31-10-83)

All that property bearing No. Sy 146—57A31, situated at Nerla Village, Belthangady Taluk, D Kannada

MANJU MADHAVAN
Competent Authority
Inspecting Asstt Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Bangalore

Date : 4-6-84
Seal :

FORM ITNS— —

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, BANGALORE

Bangalore-560 001, the 5th June 1984

Ref No. C.R. No. 62|40791|83-84.—Whereas, I MANJU MADHAVAN,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
Old No. 11, New No. 21 (Western portion)
situated at I cross, wheeler road, B'lore
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act. 1908 (16 of 1908)
in the Office of the Competent Authority
at Shivajinagar on 15-10-1983
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-Section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri R. Ethirajaiah No. 21, I cross, wheeler road, Bangalore-560005.
(Transferor)

(2) Shri Y. Rayappa No. 14, Achutharaya mudaliar road Fruzer town, B'lore-5.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter

THE SCHEDULE

(Registered Document No 1/25|83-84 dated 15-10-83).
Western portion of premises bearing old No. 11, present No. 21, situated at I cross, wheeler road, civil station, B'lore.

MANJU MADHAVAN
Competent Authority
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax
Acuisition Range, Bangalore

Date : 5-6-84
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, BANGALORE

Bangalore-560 001, the 1st June 1984

Ref. No. C.R. No. 62|40845|83-84|ACQ|B.—Whereas, I MANJU MADHAVAN,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. R.S. No. 490|1, T.S. No. 119|1
situated at field street, Mangalore
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer
at Mangalore city on 31-10-1983
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefore by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri M. Narasimha Bhat S|o H. Krishna Bhat, Officer, Canara Bank Mahamaya temple M'lore.
(Transferor)

(2) Smt. Chitra R. Shenoy w|o K. R. Shenoy
2. K. Anantha Shenoy Mahamaya Temple, field street, Mangalore.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

(Registered Document No. 962|83-84 dated 31-10-83)
All that property bearing No. R.S. No. 490|1, T.S. No. 119|1 situated at Casaba Bazaar village, Market Ward, Mangalore.

MANJU MADHAVAN
Competent Authority
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Bangalore

Date : 1-6-1984
Seal :

FORM ITNS——

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, BANGALORE

Bangalore-560 001, the 1st June 1984

Ref. No. C.R. No. 62|40861|83-84|ACQ|B.—Whereas, I, MANJU MADHAVAN, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing .... No. 305, situated at I Block, Koramangala, Bangalore-34 (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registration Officer at B'lore South Taluk on 31-10-1983 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri P. Shivrathanlal 42, III Cross, IV Block, K. P. West Bangalore-560020

(Transferor)

(2) Shri K. V. Balachandran 777D, 100 ft road HAL II Stage B'lore-560038.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

(Registered Document No. 5177|83-84 dated 31-10-83)

All that property bearing No. 305 situated at I Block, Koramangala, Bangalore-560034.

MANJU MADHAVAN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Bangalore

Date : 1-6-1984
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, BANGALORE

Bangalore-560 001, the 1st June 1984

Ref. No. C.R. No. 62|40844|83-84|ACQ|B.—Whereas, I, MANJU MADHAVAN,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000|- and bearing
No. T. S. 440|2, R.S. No. 1048|2,
situated at Attavar Village, Balmatta Ward, M'lore
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Office at
with the competent authority under Section 269AB, in his office in
at Mangalore city on Oct. 1983
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or.

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) 1. Rev. Fr. Charles J. Arauha 2. John J. C. Fernandes. 3. Mrs. Celine Saldanha 4. Miss Majella Saldanha 5. Gerard Saldanha 6. Lucika Saldanha 7. Carmen Saldanha by power Agent, B. Moideen Kuntir, Vashave, M'lore city.

(Transferor)

(2) Rohan Bernadine Alphouso D'cuuha, GPA holder: Lilly D'cuuha, Faluir, M'lore city.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

(Registered Document No. 1003|83-84 dated Oct, 83)
Property bearing No. TS. 440|2 RS. No. 1048|2, Situated at Attavar village, Balmatta Ward, Mangalore.

MANJU MADHAVAN
Competent Authority
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Bangalore

Date : 1-6-1984
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE- BANGALORE-560 001

Bangalore-560 001, the 1st June 1984

C.R. No. 62|40840|83-84|ACQ|B.—Whereas, I, MANJU MADHAVAN,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. 1690, situated at III Stage, Rajajinagar, Bangalore
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transgerred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
with the competent authority under Section 269AB, in his Office at
Rajajinagar on 29-10-1983
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer and|or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri P. Dharmagnani,
No. 21, Vasanthanagar,
Lschi, Bangalore.
(Transferor)

(2) Shri K. Devaraj,
No. L-77, IV main road,
Laxminarayanapuram, Bangalore-20.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned.

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

[Registered Document No. 3100|83-84. Dated 29-10-83]

Property bearing No. 1690, situated at III stage, Rajajinagar, Bangalore.

MANJU MADHAVAN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Bangalore

Date : 1-6-84.
Seal :

FORM ITNS——

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE- BANGALORE-560 001

Bangalore-560 001, the 1st June 1984

C.R. No. 62|40742|83-84|ACQ|B.—Whereas, I, MANJU MADHAVAN, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000|- and bearing No. 28|2, situated at VII Cross, J. B. Nagar, Bangalore has been transferred under Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at Shivajinagar on 4-10-1983 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the follow- persons, namely :—

(1) Shri E. Shafiek,
No. 9|23, A. Rloyd Road,
Looke Town, Bangalore.

Transferee(s)

(2) Shri John K. Kallrakal, (2) Mrs. Lilly John,
No. H2, Coles Road,
Bangalore.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

[Registered Document No. 1606|83-84, Dated 4-10-83]

Property bearing No. 28|2, situated at VII Cross, J. B. Nagar, Bangalore.

MANJU MADHAVAN
Competent Authority
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Bangalore

Date : 1-6-84.
Seal :

FORM ITNS————

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE- BANGALORE-560 001

Bangalore-560 001, the 6th June 1984

C.R. No. 62|40820|83-84|ACQ|B.—Whereas, I, MANJU MADHAVAN being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000|- and bearing No. Sy. 53, situated at Pattandur Agrahara, K. R. Puram, Hubli (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Bangalore South Taluk on 1-10-1983 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or;

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purpose of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri A. M. Ghani,
(2) B. H. Sunnees,
Shoyeven Fanic,
Pattandur, whitefield, Bangalore.

Transferor(s)

Pattandur, Whitefield, Bangalore.
(2) Shri Rajan Ahmed Gulati,
Pyara Ghouse Farm,
Pattandur, Bangalore.

Transferee(s)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPRESSIONS :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

[Registered Document No. 4829|83-84. Dated 1-10-83]
All that property bearing Sy. No. 53, situated at Pattandur Agrahara, K. R. Puram, Hubli, Bangalore South Taluk.

MANJU MADHAVAN
Competent Authority
Inspecting Asstt. Commissioner of Income tax
Acquisition Range, Bangalore

Date : 6-6-84.
Seal :

FORM ITNS——

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE- BANGALORE-560 001

Bangalore-560 001, the 4th June 1984

Notice No. 760.—Whereas, I, MANJU MADHAVAN, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, Acquisition Range, Bangalore
R of R. No. 134 situated at Dharbandora of Sarguem Taluk (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the Officer of the Registering Officer at Sangaum Under document No. 184|83 on 1-10-1983
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Mr. Jose Rodolph De Mello & Mrs Milagrina Rebello Dabal, Sanguem.

Transferor(s)

(2) Salgaocar Engineers Pvt. Ltd., Vasco-da-Gama.

Transferee(s)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Registered Document. 184|83. dated 1-10-1983.
Property known as 'PURNA' or 'Pericorchi Molli' situated at Dharbandora of Sanguem Taluka-Goa registered in Taluka Revenue Office under No. 317 & 318 and under No. 134 in the record of rights.

MANJU MADHAVAN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Bangalore

Date : 4-6-1984.
Seal :

FORM ITNS——

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE- BANGALORE-560 001

Bangalore-560 001, the 4th June 1984

Notice No. 761.—Whereas, I MANJU MADHAVAN, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing RS No. 41|A2 situated at Mahalbagayat Village, Bijapur Dist. (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Bijapur Under document No. 1633|83-84 on 24-10-1983 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) (1) Sri Srimant, (2) Sri Arjan, Sons of Gangaram Kalal,

(3) Sri Bhimanna s|o Arjun Kalal, At : Bijapur-Khudanpurpet.

Transferor(s)

(2) (1) Sri Shivajappa, (2) Sri Keshav, (3) Sri Tikaram, (4) Nagendra. (5) Sri Dattatray, sons of Rajappa Iorapur, At : Shivajipet, Bijapur.

Transferee(s)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Registered Document 1633|83-84. dated 24-10-1983.
Agricultural land in R.S. No. 41|A2 situated at Mahalbagayat Village, Bijapur.

MANJU MADHAVAN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Jaipur

Date : 4-6-1984.
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE- BANGALORE-560 001

Bangalore-560 001, the 4th June 1984

Notice No. 762.—Whereas, I, MANJU MADHAVAN, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000|- and bearing No.
Land Regn. No. 15, 433 situated at Dicarpale Village, Taluka : Salcete
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Office at
Salcete Under document No. 1740 on 11-10-83
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-Tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) 1. Mr. Aurea Henriqueta da Piedade Silva and
2. Mrs. Maria Benedita da Piedade Silva,
residents of Margao-Goa.

(Transferor)

(2) Sri Sadananda Govinda Borcar,
residing at Borda, Margao-Goa

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expression used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Registered Document 1740|83-84. dated 11-10-83.

Agricultural property—bearing Land Registration Office, Salcete No. 15,433, Land Revenue Office No. 197 known as "NOVI-DAVI-IKRAVI XIR" or "BOTICA" situated at Dicarpale Village, Taluka : Salcete.

MANJU MADHAVAN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Bangalore

Date : 4-6-1984.
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE- BANGALORE-560 001

Bangalore-560 001, the 4th June 1984

Notice No. 763.—Whereas, I, MANJU MADHAVAN, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000|- and bearing No.
CTS No. 1604 situated at Bijapur
(and more fully described in the schedule annexed hereto), has been transferred
under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer
at Bijapur Under document No. 1666|83-84 on 29-10-1983 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or;

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Vasantkumar Venkatdas Darbar, Station Rd., Sitasadan, Bijapur.

(Transferor)

(2) Shri Suresh Rajaram Devageei, CTS No. 1604, Ward No. III, Near Shyapet, Bijapur.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Registered Document 1666|83-84 dated 29-10-1983.
Property at CTS No. 1604 Ward No. III, situated at Bijapur.

MANJU MADHAVAN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Bangalore

Date : 4-6-1984
Seal :

FORM ITNS——

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, BANGALORE-560001

Bangalore-560001, the 4th June 1984

Notice No. 764.—Whereas, I, MANJU MADHAVAN, Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Act, Acquisition Range, Bangalore, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000 and bearing No. 1731|2|B situated at Ramdev Gali, Belgaum (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at Balgaum under Document No. 2011|83-84 on 5-10-1983 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Weath-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of thsi notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act, to the follow-persons, namely :—

(1) 1. Smt. Chaya Vishwanath Konnur,
2. Shri Prakash Vishwanath Konnur,
3. Shri Dipak Vishwanath Konnur,
4. Sow Bharati Prabhakar Kulkarni,
All resident of Kothale Building Mahadwar Road, Kolhapur No. 2.

(Transferor)

(2) 1. Sh. Bhurmal Rikabchandi Porwal,
2. Sri Anilkumar Bhurmali Porwal,
3. Sow Bhagyawanti Champalal Porwal,
4. Sow Shevanti Dilipkumar Porwal,
All residing at H. No. 545, Main Galli, Belgaum.

(Transferee)

Objections if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later :

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Registered Document 2011|83-84 Dated 5-10-1983

Land and Building C.S. No. 1731|2|B situated at Ramadev Gali, Belgaum.

MANJU MADHAVAN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax.
Acquisition Range, Bangalore

Date : 4-6-1984
Seal :

FORM ITNS -

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX
ACQUISITION RANGE,
BANGALORE-560001

Bangalore-560001, the 4th June 1984

Notice No. 765.—Whereas, I, MANJU MADHAVAN, Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Act, Acquisition Range, Bangalore,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000|- and bearing
No. 1731|2|A
situated at Ramadev Gali, Belgaum
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Belgaum under Document No. 2006|83-84 on 5-10-1983
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269-C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) 1. Shri Anant Raghunath Konnur,
2. Shri Prakesh Raghunath Konnur,
3. Shri Dilipak Raghunath Konnur,
4. Sow Mangala Vinayak Kittur,
5. Sow Vaishudha Gopal Pujari,
6. Sow Lalita Dallatraya Joshi,
7. Sow Lalita Jayant Pingale,
8. Shri Aravind Raghunath Konnur,
All residing of H. No. 1502,
Janaki Nivas Mangalwari Peth,
Kolhapur.

(Transferor)

(2) 1. Shri Bhurmal Rikabchandji Porwal,
2. Shri Anilkumar Bhurmali Porwal,
3. Sow Bhagyawanti Champalal Porwal,
4. Sow Shevanti Dilipkumar Porwal,
All residing at H. No. 545, Math Galli,
Belgaum.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Registered Document 2006|83-84 Dated 5-10-1983

Land and Building C.S. No. 1731|2|A situated at Ramadev Gali Belgaum.

MANJU MADHAVAN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Bangalore

Date : 4-6-1984
Seal :

FORM I.T.N.S.———

NOTICE UNDER SECTION 269-D(1) OF THE INCOME TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, BANGALORE-560001

Bangalore-560001, the 4th June 1984

Notice No 766.—Whereas, I, MANJU MADHAVAN, Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Act, Acquisition Range, Bangalore, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. 1731/2/B (and more fully described in the schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Belgaum under document No. 2005/83-84 on 4-10-83 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons namely :—

(1) 1. Shri Shripad Baburao Konnur,
2. Shri Shriram Shripad Konnur,
3. Shri Shrikrishna Shripad Konnur,
4. Shri Suhas Shripad Konnur,
5. Shri Ravindra Shripad Konnur,
6. Shri Avinash Shripad Konnur,
All resident of Baroda.

(Transferor)

(2) 1. Sri Bhurmal Rikabchandji Porwal,
2. Sri Anilkumar Bhurmalji Porwal,
3. Sow Bhagyawanti Champalal Porwal,
4. Sow Shevanti Dilipkumar Porwal,
All residing at H. No. 545, Math Galli, Belgaum.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Registered Document 2005/83-84 Dated 4-10-1983

Land and Building C.S. No. 1731/2/A situated at Ramadev Gali, Belgaum.

MANJU MADHAVAN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Bangalore

Date : 4-6-1984
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX
ACQUISITION RANGE,
BANGALORE-560001

Bangalore-560001, the 4th June 1984

Notice No. 767.—Whereas, I. MANJU MADHAVAN, Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Act, Acquisition Range, Bangalore, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. 1731|2|A situated at Ramdev Gali, Belgaum (and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at Balgaum under Document No. 2019|83-84 on 10-10-1983 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) 1. Shri Shrinivas Baburao Konnur,
2. Shri Madhur Shrinivas Konnur,
3. Shri Dattatraya Shrinivas Konnur,
4. Shri Venkatesh Shrinivas Konnur,
5. Shri Shankar Shrinivas Konnur,
Residing at Municipal Quarters No. 26, Hosur Hubli.

(Transferor)

(2) 1. Shri Bhurmal Rikabchundji Porwal,
2. Sri Anilkumar Bhurmalji Porwal,
3. Sow Bhagyawanti Champalal Porwal,
4. Sow Shevanti Dilipkumar Porwal,
All residing at H. No. 545, Math Galli, Belgaum.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Registered Document 2019|83-84 Dated 10-10-1983

Land and Building C.S. No. 1731|2|A situated at Ramadev Gali, Belgaum.

MANJU MADHAVAN
Competent Authority
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Bangalore

Date : 4-6-1984
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX
ACQUISITION RANGE,
BANGALORE-560001

Bangalore-560001, the 4th June 1984

Notice No. 768.—Whereas, I, MANJU MADHAVAN, Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Act, Acquisition Range, Bangalore, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. JTS No. 1731|2B situated at Ramdev Gali, Belgaum (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Balgaum under Document No. 2002|83-84 on 5-10-1983 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) 1. Sri Shrinivas Baburao Konnur,
2. Sri Madav Shrinivas Konnur,
3. Sri Dattatraya Shrinivas Konnur,
4. Sri Venkatesh Shrinivas Konnur,
5. Sri Shankar Shrinivas Konnur,
All residing at Municipal Quarters No. 26, Hosur, Hubli.

(Transferor)

(2) 1. Sri Bhurmal Rikabchandji Porwal,
2. Sri Anilkumar Bhurmalji Porwal,
3. Sow Bhagyawanti Champalal Porwal,
4. Sow Shevanti Dilipkumar Porwal,
All residing at H. No. 545, Math Galli, Belgaum.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Registered Document 2002|83-84 Dated 5-10-1983

Land and building in CTS No. 1731|2|B, Ramadevi Galli, Belgaum.

MANJU MADHAVAN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Bangalore

Date : 4-6-1984
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, BANGALORE-560001

Bangalore-560001, the 4th June 1984

Notice No. 769.—Whereas, I, MANJU MADHAVAN Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Act, Acquisition Range, Bangalore, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing CTS No. 1731/1 situated at Ramdev Gali, Belgaum (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at Balgaum under Document No. 2009/83-84 on 5-10-1983 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to tht following persons, namely :—

(1) 1. Sri Ramachandra Baburao Konnur,
2. Sri Baburao Ramchandra Konnur,
3. Sri Gopal Ramachandra Konnur,
All r/o Datta Society,
Infront of Rajesh Motors,
Kavale Naka, Kolhapur.

(Transferor)

(2) 1. Shri Bhumal Rikabchandji Porwal.
2. Sri Anilkumar Bhurmalji Porwal.
3. Sow Bhagyawanti Champalal Porwal,
4. Sow Shevanti Dilipkumar Porwal,
All residing at H. No. 545, Math Galli, Belgaum.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Registered Document No 2009/83-84 Dated 5-10-1983

Land and building in STS No 1731/1, Ramdevi Galli, Belgaum.

MANJU MADHAVAN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Bangalore

Date : 4-6 1984
Seal :

FORM ITNS——

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE
BANGALORE-560001

Bangalore-560001, the 4th June 1984

Notice No. 770—Whereas, I, MANJU MADHAVAN, Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Act, Acquisition Range, Bangalore,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000|- and bearing
CTS No. 1731|1
situated at Ramdev Gali, Belgaum
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred
under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Balgaum under Document No. 2004|83-84 on 5-10-1983
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) 1. Sri Shripad Baburao Konnur,
2. Sri Shriram Shripad Konnur,
3. Sri Shrikrishna Shripad Konnur,
4. Sri Suhas Shripad Konnur,
5. Sri Ravindra Shripad Konnur,
6. Sri Avinash Shripad Konnur,
All resident of Baroda.

(Transferor)

(2) 1. Sri Bhurmal Rikabchandji Porwal,
2. Sri Anilkumar Bhurmalji Porwal,
3. Sow Bhagyawanti Champalal Porwal,
4. Sow Shevanti Dilipkumar Porwal,
All residing at H. No. 545, Math Galli, Belgaum.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Registered Document 2004|83-84 Dated 5-10-1983

Land and building in CTS No. 1731|1, Ramdev Galli, Belgaum.

MANJU MADHAVAN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Bangalore

Date : 4-6-1984
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269 D(1) OF THE INCOME TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME TAX,

ACQUISITION RANGE, BANGALORE-560001

Bangalore-560001, the 4th June 1984

Notice No. 771.—Whereas, I, MANJU MADHAVAN, being the Competent Authority under Section 269B of the Income tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000|- and bearing No. CTS No. 1731|1 situated at Ramdev Gali, Belgaum (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Balgaum under Document No. 2008|83-84 on 5-10-1983 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and|or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) 1. Sow Chayya Vishwanath Konnur,
2. Sri Prakash Vishwanath Konnur,
3. Sri Dipak Vishwanath Konnur,
4. Sow Bharathi Prabhakar Kulkarni,
All resident of
"Kothale" Building, New Mahadwar Road,
Kolhapur.

(Transferor)

(2) 1. Sri Bhurmal Rikabchandji Porwal,
2. Sri Anilkumar Bhurmalji Porwal.
3. Sow Bhagyawanti Champalal Porwal
4. Sow Shevanti Dilipkumar Porwal,
All residing at H. No. 545, Math Galli
Belgaum.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Registered Document 2008|83-84 Dated 5-10-1983

Land and building in CTS No. 1731|1, Ramdev Galli, Belgaum.

MANJU MADHAVAN
Competent Authority
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax
Acquisition Range Bangalore

Date : 4-6-1984
Seal :

FORM ITNS——

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, BANGALORE-560001

Bangalore-560001, the 4th June 1984

Notice No. 772.—Whereas, I, MANJU MADHAVAN, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000 and bearing
CTS No. 1731|1
situated at Ramdev Gali, Belgaum
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred
under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at
Balgaum under Document No. 2007|83-84 on 5-10-1983
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957),

Now, therefore, in pursuance of Section 269-C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) 1. Sri [illegible] Raghunath Konnur,
2. Sri Prakash Raghunath Konnur
3. Sri Dilip Raghunath Konnur,
4. Sow Mangala Vinayak Kittur,
5. Sow Vasudha Gopal Pujari,
6. Sow Lalita Dattatraya Joshi,
7. Sow Lalita Jayant Pingle
8. Sri Arvind Raghunath Konnur,
All resident of H. No. 1502, Janki Niwas, Mangalwarpeth, Kolhapur

(Transferor)

(2) 1. Sri Bhurmal Rikabchandji Porwal,
2. Sri Anilkumar Bhurmalji Porwal,
3. Sow Bhagyawanti Champalal Porwal,
4. Sow Shevanti Dilipkumar Porwal,
All residing at H. No. 545, Math Galli Belgaum.

(Transferee)

Objections, if any, to be the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXV of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Registered Document 2007|83 84 Dated 5-10-1983

Land and building in CTS No. 1731|1, Ramdev Galli, Belgaum.

MANJU MADHAVAN
Competent Authority,
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Bangalore

Date : 4 6-1984
Seal :

FORM ITNS ---

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE
BANGALORE-560001

Bangalore-560001, the 4th June 1984

Notice No 773.—Whereas, I, MANJU MADHAVAN, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs 25,000/- and bearing
No. 1731|2|A
situated at Ramdev Galli, Belgaum
(and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred
under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at
Belgaum under Document No. 2003|83-84 on 5-10-1983
for an apparent consideration which is less than
the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) 1. Shri [illegible] Babarao Konnur,
2. Shri Madhav Shrinivas Konnur
3. Shri Dattatraya Shrinivas Konnur,
4. Shri Venkatesh Shrinivas Konnur,
5. Shri Shankar Shrinivas Konnur,
Residing at Municipal Quarters No. 26, Hubli.

(Transferor)

(2) 1. Sri Bhurmal Rikabchandji Porwal.
2. Sri Anilkumar Bhurmalji Porwal.
3. Sow Bhagyawanti Champalal Porwal,
4. Sow Shevanti Dilipkumar Porwal,
All residing at H. No 545, Math Galli, Belgaum.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Registered Document 2003|83-84 Dated 5-10-1983

Land and Building C.S. No. 1731|2|A situated at Ramadev Galli Belgaum

MANJU MADHAVAN
Competent Authority
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Bangalore

Date : 4-6-1984
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, BANGALORE-560001

Bangalore-560001, the 4th June 1984

Notice No. 774.—Whereas, I, MANJU MADHAVAN, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. 1731|2
situated at Ramdev Gali, Belgaum
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Balgaum under Document No. 2020|83-84 on 10-10-1983
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apperent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act is the following persons namely :—

(1) Shri Shripad Baburao Konnur,
2. Shri Shriram Shripad Konnur,
3. Shri Shrikrishna Shripad Konnur,
4. Shri Suhas Shripad Konnur,
5. Shri Ravindra Shripad Konnur,
6. Shri Avinash Shripad Konnur,
All residents of Baroda.

(Transferor)

(2) 1. Sri Bhujmal Rikabchandji Porwal,
2. Sri Anilkumar Bhujmalji Porwal,
3. Sow Bhagyawanti Champalal Porwal,
4. Sow Shevanti Dilipkumar Porwal,
All residing at H. No. 545, Math Galli, Belgaum.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later :

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Registered Document 2020|83-84 Dated 10-10-1983

Land and Building C.S. No. 1731|2A situated at Ramadev Gali, Belgaum.

MANJU MADHAVAN
Competent Authority
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Bangalore

Date : 4-6-1984
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX ACQUISITION RANGE, BANGALORE-560001

Bangalore-560001, the 4th June 1984

Notice No. 775.—Whereas, I, MANJU MADHAAN, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000|- and bearing
Survey No. 39|7, 41|3, 42|3, 45|3,
situated at Merces Village
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registeration Act 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at
Ilhas Under Document No. 917|185 on 7-11-1983
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefore by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, of the following persons, namely :—

(1) 1. Shri Gregorio Dias
2. Smt. Maria Aida Joana Fernandes,
3. Shri George Dias,
4. Smt. Filmana Pereira,
All residing at
St. Cruz Ilhas, Goa.

(Transferor)

(2) Smt. Ana A. Gonsalves,
Residing at Bondir Vaddo,
St. Cruz Tal. & Ilhas,
Dist. Goa.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days, from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter

THE SCHEDULE

Registered Document No. 917|185 Dated 7-11-1983

It is an agricultural land situated at Merces Village.

MANJU MADHAVAN
Competent Authority
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Bangalore

Date : 4-6-1984
Seal :

FORM ITNS————

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE
BANGALORE 560001

Bangalore-560001 the 4th June 1984

Ref No. 776.—Whereas, I
MANJU MADHAVAN.
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding
Rs. 25,000/- and bearing
No. 1731/2/A situated at Ramadev Galli Belgaum
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer
at Belgaum Under document No 2018/83-84 on 10-10-1983
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) 1 Shri Anant Raghunath Konnur
2 Shri Prakash Raghunath Konnur
3 Shri Dilip Raghunath Konnur
4 Sow Mangale Vinayak Kittur
5 Sow Vasudha Gopal Pujari
6 Sow Lalita Dattatraya Joshi
7 Sow Lalita Jayant Pingale
8 Shri Arvind Raghunath
Konnur All Resident of
H. No 1502, "Janaki Newash
Managalore, Peth Kolhapur

(Transferor)

(2) 1. Bhurmal Rikabchandji Porwal
2 Anil Kumar Bhurmalji Porwal
3 Sow Bhagyawanti Champalal Porwal
4 Sow Shevanti Dilip Kumar Porwal
All resident of
H. No. 545 Math Galli
Belgaum

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Registered Document 2018/83-84 dated 10-10-1983. Land and Building C S No 1731/2/A at Ramadev Galli Belgaum.

MANJU MADHAVAN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Bangalore

Date : 4-6-1984
Seal :

FORM ITNS ———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX.

ACQUISITION RANGE, BANGALORE-560001

Bangalore-560001, the 4th June 1984

Ref. No. 777 -Whereas, I, MANJU MADHAVAN, being the Competent Authority under Section 269B of the income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. CTS No 1731|2A Ramdevpalli, Belgaum situated at Belgaum (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at Belgaum Under document No. 2017|83-84 on 10-10-84 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) 1 Sri Ramchandra Baburao Konnur
2 Shri Baburao Ramachandra Konnur,
3. Sri Gopal Ramachandra Konnur,
All residing at H No 1502,
Janki Niva
Mangal a peth, Kolhapur

(Transferor)

(2) 1. Sri Bhaimal Rikabchandji Porwal
2 Sri Anilkumar Bhuimalji Porwal,
3 Sow. Bhagyavanti Champalal Porwal
4 Sow. Shevanti Diljikumar Porwal,
All residing at
H. No 545 Mali Galli
Belgaum

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this Notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Registered Document. 2017 83 84 dated 10 10 83 Land and building bearing CTS No 1731|2A situated at Ramadev Galli, Belgaum.

MANJU MADHAVAN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Bangalore

Date : 4-6-1984
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, BANGALORE-560001

Bangalore-560001, the 4th June 1984

Ref. No. 778.—Whereas, I, MANJU MADHAVAN, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000|- and bearing No. 1731|2|B situated at Ramadev Galli Belgum (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Belgaum Under Document No. 2010|83-84 on 5-10-1983 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) 1. Shri Ramachandra Baburao Konnur
2. Shri Baburao Ramachandra Konnur
3. Gopal Ramachandra Konnur
All Resident of
Shri Datta Society, In front of
Rajesh Motors Kavale Naka
Kolhapur.

(Transferor)

(2) 1. Shri Bhurmal Rikabchandji Porwal
2. Shri Anil Kumar Bhurmalji Porwal
3. Sow Bhagyawanti Champalal Porwal
4. Sow Shevanti Dilip Kumar Porwal
All Resident of
H. No. 545
Math Galli,
Belgaum.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Registered Document 2010|83-84 dated 5-10-1983 Land and Building situated at Ramdev Galli, Belgaum.

MANJU MADHAVAN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Bangalore

Date : 4-6-1984
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, BANGALORE-560001

Bangalore, the 4th June 1984

Ref. No. 779.—Whereas, I, MANJU MADHAVAN, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000|- and bearing No. 1731|2|A situated at Ramadev Galli Belgaum. and more fully described in the schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at at Belgaum Under document No. 2016|83 84 on 5-10-1983 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) 1. Shri Prakash Vishwanath Konnur
2. Smt. Chaya Vishwanath Konnur
3. Shri Dilip Vishwanath Konnur
4. Sow Bharati Prabhakar Kulkarni
All Resident of
H. No. 1502.
"Janki Niwas"
Mangalwar Peth, Kolhapur.

(Transferor)

(2) 1. Shri Bhurmal Rikabchandji Porwal
2. Shri Anil Kumar Bhurmalji Porwal
3. Sow Bhagyavanti champalal Porwal
4. Sow Shevanti Dilip Kumar Porwal
All Resident of
H. No. 545,
Math Galli, Belgaum.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Registered Document 2016|83-84 dated 51-0-1983 Land and Building C S. No. 1731|2|AA at Ramadev Galli, Belgaum.

MANJU MADHAVAN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range Bangalore

Date : 4-6-1984

Seal :

FORM ITNS-----

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE
BHOPAL, M.P.

Bhopal, the 26th May 1984

Ref No. IAC Acqn|Bpl|4690.—Whereas, I, D. P. PANTA, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000|- and bearing No. Plot No. 64 with house constructed thereon situated at Jalvihar Colony, Raipur (and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act. 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Raipur on October, 1983 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri [illegible] Ramanujam
Retd. Income-tax Officer
Raipur.

(Transferor)

(2) Shri Chandulal Tulsidas
Ruparel, Raipur
C/o Daval Meghji & Co.,
Malviya Road
Raipur

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Plot No. 64 and a house constructed thereon situated at Jalvihar Colony, Raipur.

D. P. PANTA
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Bhopal

Date : 26-5-1984
Seal :

FORM ITNS——

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, BHOPAL, M.P.

Bhopal, the 26th May 1984

Ref. No. IAC|Acqn|Bpl|4693.—Whereas, I, D. P. PANTA, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Plot No. 226, situated at Gumasta Nagar, (Sukh Niwas), Indore (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Indore on October, 1983 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to beleive that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer, and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the folowing persons, namely :—

(1) Indore Cloth Market Madhyamvargiva Grih Nirman Sahkari Sanstha Maryadit, Indore.

(Transferor)

(2) Shri Radhakrishan Narayandas Patni, R|o 95, Dhar Road, Indore.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires late;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Plot No. 226 situated at Gumasta Nagar (Sukh Niwas), Indore.

D. P. PANTA
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Bhopal

Date : 26-5-1984
Seal :

FORM ITNS————

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE,
BHOPAL, M.P.

Bhopal, the 26th May 1984

Ref. No. IAC|Acqn|Bpl|4694.—Whereas, I, D. P. PANTA, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Plot No. 234, situated at Gumasta Nagar, (Sukh Niwas), Indore, (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Office at Indore on October, 1983 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen percent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Cloth Market Madhyamvargiya Grih Nirman Sahkari Sanstha, Ltd., Indore.

(Transferor)

(2) Shri Hansraj Umarsi Pal, R|o 159, M. T. Cloth Market, Indore.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Plot No. 234 situated at Gumasta Nagar, (Sukh Niwas), Indore.

D. P. PANTA
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Bhopal

Date : 26-5-1984
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE, BHOPAL, M.P.

Bhopal, the 26th May 1984

Ref. No. IAC|Acqn|Bpl|4695.—Whereas, I, D. P. PANTA, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Plot No. 230 situated at Gumastanagar, Sukh. Niwas Road, Indore (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Indore on October, 1983 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Indore Cloth Market Madhyamvargiya Grih Nirman Sahkari Sanstha Maryadit, Indore.

(Transferor)

(2) Shri Rameshcandra Chhogalal Baheti, R|o 220, M. T. Cloth Market, Indore.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Plot No. 230 situated at Gumastanagar (Sukh Nias Rd), Indore.

D. P. PANTA
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Bhopal

Date : 26-5-1984
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX ACQUISITION RANGE, BHOPAL, M.P.

Bhopal, the 26th May 1984

Ref. No. IAC|Acqn|Bpl|4696.—Whereas, I, D. P. PANTA, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000 and bearing No. Plot No. 16 situated at Gumastanagar (Sukh Niwas Road) Indore (and more fully described in the schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Office at Indore on October, 1983 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Indore Cloth Market Madhyamvargiya Girth Nirman Sahkari Sanstha Maryadit, Indore.

(Transferor)

(2) Shri Ganga Vishnu Badrilal Kabra, R|o 9, Narsingh Bazar, Indore.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Plot No. 16 situated at Gumasta Nagar (Sukh Niwas Road), Indore

D. P PANTA
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Bhopal

Date : 26-5-1984
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, BHOPAL, M.P.

Bhopal, the 28th May 1984

Ref. No. IAC|Acqn|Bpl|4697.—Whereas, I, D. P. PANTA, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Land Kh. No. 1166|2 situated at Near Railway Line Juni Indore, Indore (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at Indore on October, 1983 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer, and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Jogeshwar S|o Hiralal R|o 1, Katkatpura, Indore, M.P.

(Transferor)

(2) Shri
1. Rajendra S|o Brijesh Beesani,
2. Mrs. Alka W|o Rajendra Beesani,
3. Rajendrakumar Rajakumar HUF,
4. Master Rajat S|o Rajendra Beesani,
5. Ku. Dipti D|o Rajendra Beesani,
All R|o 34, Shastri Market, Indore.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land Bearing Kh. No. 1166|2 situated at near Railway Line Juni Indore, Indore. This is the immovable property described in the Form No. 37G verified by the transferee.

D. P. PANTA
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Bhopal

Date : 28-5-1984
Seal :

FORM ITNS————

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE,
BHOPAL, M.P.

Bhopal, the 28th May 1984

Ref. No. IAC|Acqn|Bpl|4698.—Whereas, I, D. P. PANTA, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000|- and bearing No. Land Khasra number 1166|3 situated at Near Railway Line, Juni Indore, Indore (and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at Indore on October 1983 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) Shri Tameshwar S|o Hiralal,
R|o 1, Katkatpura Indore, M.P.

(Transferor)

(2) 1. Radhadevi W|o Navnitlal
2. Smt. Chanrakala Murlidhar
3. Ushadevi
Anil Kumar
4. Sobhadevi Sunil Kumar
5. Sunil Kumar Navnitlal
6. Mukeshkumar Navnitlal
7. Anilkumar Navnitlal,
All R|o Overbridge,
Shastri Market, Indore, M.P.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land bearing Khasra number 1166|3 situated near Railway Line, June Indore. This is the immovable property described in the form number 37G verified by the transferee.

D. P. PANTA
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Bhopal

Date : 28-5-1984
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX
ACQUISITION RANGE,
BHOPAL, M.P.

Bhopal, the 28th May 1984

Ref. No. IAC|Acqn|Bpl|4699.—Whereas, I,
D. P. PANTA,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000|- and bearing
No. Land Kh. No. 1164|4 situated at Juni, Indore, Indore
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer
at Indore on October, 1983
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and|or

(b) facilitating the concealment or any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act 1957 (22 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Rajendra S|o Hiralal
R|o 1, Katkatpura, Indore
(Transferor)

(2) Shri Omprakash S|o Bansidhar Mittal
R|o 65, Prakash Nagar Colony, Indore
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of the notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land bearing Kh. No. 1164|4 situated at June Indore, Indore. This is the immobavle property, which has been described in the Form No. 37 G verified by the transferee.

D. P. PANTA
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Bhopal

Date : 28-5-84
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269-D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, BHOPAL, M.P.

Bhopal, the 28th May 1984

Ref. No. IAC|Acqn|Bpl|4700.—Whereas, I, D. P. PANTA being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000|- and bearing
No. Land Kg. No. 1165|1 situated at Juni Indore, Indore (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred
under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of Registering Officer at
Indore on October 1983
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Smt. Kirankumari D|o Shri Hiralal, 1, Katkatpura, Indore.

(Transferor)

(2) Smt. Premlata W|o Champalal Jindal, R|o 67, Anand Nagar, Bhawarkua, Indore.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publications of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same maening as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land bearing Kh. No. 1165|1 situated at Juni Indore, Indore. This is the immovable property described in the Form No. 37-G, verified by the transferee.

D. P. PANTA
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range
Bhopal

Date : 28-5-1984.
Seal :

FORM ITNS——

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX.

ACQUISITION RANGE, BHOPAL, M.P.

Bhopal, the 28th May 1984

Ref. No. IAC|Acqn.|Bpl|4701.—Whereas, I, D. P. PANTA being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. Land Survey No 295 & 296 situated at Gram Rasulpur Teh. & Dist. Dewas
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred
under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
for an apparent consideration which is less than the fair Dewas on October, 1983
Market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) 1. Imdadali,
2. Mansoorali sons of Mohammadali,
3. Hafizabai d|o. Mohammadali R|o Hasakhedi.
4. Jibbabai alias Judebabai d|o. Mohammadali, R|o Hasnabad Teh. Depalpur, Distt. Indore, M.P.
5. Hasinabai d|o. Mohammadali R|o Manak Chowk. Sanwer, Teh. Sanwer, Distt. Indore.
6. Nyapanbai wd|o Mohammadali R|o Gram Rasulpur for No. 3 to 6 through Attorney General Transferor No. 2 Shri Mansoorali s|o Mahammadali R|o Gram Hasakhedi Teh. & Dist. Indore, M.P.

(Transferor)

(2) M|s. Cummins Disel Sales & Service, 35-A-1|2 ERANDVANA, Poona Maharashtra through Secretary Shri V. K. Bodas.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of the notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land bearing Survey No. 295 & 296 situated at Gram Rasulpur, Teh. & Dist. Dewas This is the immovable property described in the Form No 37-G, verified for the transferee.

D. P. PANTA
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range
Bhopal

Date : 28-5-1984.
Seal :

FORM ITNS——

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, BHOPAL, M. P.

Bhopal, the 28th May 1984

Ref. No. IAC|Acqn|Bpl|4702.—Whereas, I, D.P.PANTA, being the Competent Authority under Section 269-B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Land Survey No 330 situated at Village Rasulpur Teh. & Distt Dewas (and more fully described in the schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at Dewas on October, 1983 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) Shri Kadarah
S|o Kama Ali Urf Karimali Musalman,
R|o Gram Rasulpur Teh & Distt Dewas
(Transferor)

(2) M|s. Cimmins Diesel Sales and Service (India) Ltd., Poona (Maharashtra) through Secretary V. K. Bodas
(Transferee)

Objection if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land at Survey No 330 situated at Gram Rasulpur Teh. & Distt. Dewas

D. P. PANTA
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range
4th Floor, Gangotri Building
T. T. Nagar, Bhopal

Date : 28-5-1984
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, BHOPAL, M. P.

Bhopal, the 28th May 1984

Ref No. IAC|Acq Bpl|470.—Whereas, I D P. PANTA, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearig No Land—Survey No 283|3 situated at Rasulpur Teh & Distt Dewas (and more fully described in the schedule annexed hereto), has been transferred and the agreement is registered under of 1908) in the Office of the Registering Officer at Dewas on October, 1983 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Amirali
S|o Hasanali Musalman
R|o Gram Rasulpur Teh. & Distt. Dewas, M. P.
(Transferor)

(2) M|s Cummins Diesel Sales & Service India Ltd., Anderyana, Poona, Maharashtra, through Secretary V. K Bodus
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter

THE SCHEDULE

Land bearing Survey No. 283|3 situated at Gram Rasulpur, Teh. & Distt. Dewas This is the immovable property described in Form No. 37-G verified by the transferee.

D. P PANTA
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range
4th Floor, Gangotri Building
T. T. Nagar, Bhopal

Date : 28-5-1984.
Seal .

FORM ITNS————

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, BHOPAL, M. P.

Bhopal, the 28th May 1984

Ref. No. IAC|Acq|Bpl|4704.—Whereas, I, D. P. PANTA, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Land Survey No. 329 situated at Rasulpur Teh & Distt. Dewas. (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act. 1908 16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at Dewas on October, 1983 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Ambaram
S|o Thawar Khati
R|o Gram Nagda Teh. & Distt. Dewas M.P.
(Transferor)

(2) M|s Cummins Diesel Sales & Service India Ltd., Andervana, Poona, Maharashtra, through Secretary V K Bodus
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter

THE SCHEDULE

Land bearing Survey No. 329 situated at Rasulpura Teh. &Distt. Dewas. This is the immovable property described the Form No. 37-G verified on Behalf of the transferee.

D. P. PANTA
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range
4th Floor, Gangotri Building
T. T. Nagar, Bhopal

Date : 28-5-1984
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, BHOPAL, M. P.

Bhopal, the 29th May 1984

Ref. No. IAC|Acq|Bpl|4705.—Whereas, I, D. P. PANTA,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
bearing No. Land—Survey No. 328 situated at Rasulpur, Teh. & Distt. Dewas.
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at
Dewas on October, 1983
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment or any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) 1. Nawabali
2. Shoukatali
3. Gafoorali urf Gaffarali
4. Wahidali
5. Sajidali
6. Shafiqali all sons of Sattarali
7. Raisali
S|o Sattarali through Guardian Boda Bhai Walid ali
8. Rehmanali.
9. Kayyumali
10. Ashiqali sons of Barkatali
11. Bhunbai
D|o Barkatali all
R|o Nayapura, Dewas, M. P.
12. Manjibai
d|o Barkatali
R|o Khajrana Teh. & Distt. Indore
13. Fattobai
d|o Barkatali
R|o Joshipura, Dewas
14. Merajbai
wd|o Barkatali
R|o Dewas.
S. No. 11 to 14 through Attorney Kayyumali
S|o Barkatali
R|o Dewas, M. P.
(Transferor)

(2) M|s Cummins Diesel Sales & Service India Ltd., 35-A Erandvana, Poona, Maharashtra,
through Secretary V. K. Bodus
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Lan bearing Survey No. 328 situated at Rasulpur, Teh. & Distt. Dewas.

D. P. PANTA
Inspecting Assistant Commisoner of Income-tax
Acquisition Range
4th Floor, Gangotri Building
T. T. Nagar, Bhopal

Date : 29-5-1984.
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE, BHOPAL, M P.

Bhopal, the 29th May 1984

Ref No. ACI|Acq|Bpl|4706.—Whereas, I, D P. PANTA, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Land Kh No. 310 situated at Gram Rasulpur Teh. & Distt. Dewas (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at Dewas on October, 1983 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Nasurali
S/o Chandali Musalman
R|o Gram Rasulpuur, Teh & Distt. Dewas, M. P.
(Transferor)

(2) M|s Cummins Diesel Sales & Service India Ltd., Poona,
Maharashtra
through Secretary Shri V. K. Bodas
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land bearing Survey No. 310 situated at Gram Rasulpur, Teh. & Distt. Dewas. This is the immovable property described in the Form No. 37G, verified by the transferee.

D. P. PANTA
Competent Authority
Inspecting Assistant Commisoner of Income-tax
Acquisition Range
4th Floor, Gangotri Building
T. T. Nagar, Bhopal

Date : 29-5-1984
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, BHOPAL, M. P.

Bhopal, the 28th May 1984

Ref. No. AIC|Acq|Bpl|4707.—Whereas, I, D.P.PANTA, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. at Survey No. 301 situated at Gram Rasulpur, Teh. & Distt Dewas (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Dewas on October, 1983, for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any inocme arising from the transfer and|or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceednigs for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Rehmanali S|o Barkatali R|o Gram Rasulpur through Attorney Mirza Masood Ahurad S|o Mirza Ahmed Beg, R|o 127, Mahatma Gandhi Marg, Dewas.
(Transferor)

(2) M|s Cummis Diesel Sales & Service, India Ltd., Poona, Maharashtra through Secretary Shri V. K. Bodas
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land Survey No. 301 situated at Gram Rasulpur, Teh. & Distt Dewas.

D. P. PANTA
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range
4th Floor, Gangotri Building
T. T. Nagar, Bhopal

Date : 28-5-1984.
Seal :

FORM ITNS- ——

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, BHOPAL, M. P

Bhopal, the 28th May 1984

Ref. No. IAC|Acqn|Bpl|4708.—Whereas, I, D.P.PANTA, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000|- and bearing No. Shop situated at Tagore Mrg, Bunglow No 48, Neemuch. (and more fuly described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Neemuch on October, 1983, for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the subject of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and /or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act. to the following persons, namely :—

Officer at Neemuch on October 1983

(1) Miss Nitiez
D|o late Shri Jam Shedpi Contratctor,
R|o Bunglow No. 48, Neemuch.
(Transferor)

(2) Shri Nandlal S|o Shri Choithram Ramnani,
R|o Sindhi Colony, Neemuch
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Officical Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Shop No. Tagore Marg situated in Bunglow No. 48, Neemuch

D P. PANTA
Competent Authority
Inspecting Asstt. Comisioner of the Income-tax
Acquisition Range
4th Floor, Gangotri Building
T. T. Nagar, Bhopal

Date : 28-5-1984.
Seal :

FORM ITNS ——

NOTICE UNDER SECTION 269-D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE
BHOPAL, M. P.

Bhopal, the 28th May 1984

Ref No. IAC|Acqn|Bpl|4709.—Whereas, I, D.P.PANTA,
Ref. No. SML|9|83-84.—Whereas, I, JOGINDER SINGH, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing Shop No. situated at Tagore Marg, Bunglow No. 48, Neemuch. (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at Neemuch on October, 1983, for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Mr. Rifinez T. Contractor
R|o Bunglow No. 48, Neemuch.

(Transferor)

(2) Shri Manoharlal
S|o Choithram Ramnani,
R|o Sindhi Colony,
Neemuch

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Shop No. situated at Tagore Marg, Bunglow No. 48, Neemuch.

D. P. PANTA
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range
4th Floor, Gangotri Building
T. T. Nagar, Bhopal

Date : 28-5-1984.
Seal :

FORM ITNS——

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, BHOPAL, M. P.

Bhopal, the 28th May 1984

Ref. No IAC|Acqn|Bpl|4710.—Whereas, I, D.P.PANTA,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
Plot No 20|8 situated at South Tukoganj, St. No. 1, Indore.
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at
Indore on October, 1983
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee, for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Anoopkumar Shrivastava
S|o Jagdishprasad
Shrivastava
R|o 110, Usha Nagar Colony,
Indore.

(Transferor)

(2) Shri Ramesh Chandra Dave
S|o Ramgopalji Dave,
R|o 20|7, South Tukoganj
St. No. 1 Indore.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of the notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Plot No 20|8 situated at South Tukoganj St No 1 Indore.

D. P. PANTA
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range
4th Floor, Gangotri Building
T. T. Nagar, Bhopal

Date : 28-5-1984.
Seal :

FORM ITNS————

NOTICE UNDER SECTION 269 D(1) OF THE INCOME-TAX ACT 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE I,
2ND FLOOR, HANDLOOM HOUSE,
ASHRAM ROAD, AHMEDABAD-380 009

Ahmedabad, the 11th May 1984

Ref. No. P.R. No. 2984|Acq.-23|I|84-85.—Whereas, I, R. R. SHAH,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000|- and bearing No.
Buidling Oil Mill at Madhapur Dist. Bhuj S. No. 0334 paiki land for Industrial purpose Factory,
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at
S. R. Bhuj on 26-10-1983
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act; or the Wealth-tax Act 1957 (27 of 1957);

Now, therefore in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) M|s. Amar Industries,
Gangar Shantilal Piyashi Jadavji Nagar Bhuj (Kutch).
(Transferor)

(2) M|s. Ashok Oil Mill,
High Way Road,
Madhapar Tal. Bhuj (Kutch).
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Building Oil Mill at Madhapar High Way registered vide R. No. 2298 Dt. 26-10-1983.

R. R. SHAH
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-I,
Ahmedabad

Date : 11-5-1984
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269 D(1) OF THE INCOME-TAX ACT 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX
ACQUISITION RANGE I,
2ND FLOOR, HANDLOOM HOUSE,

ASHRAM ROAD, AHMEDABAD-380 009

Ahmedabad, the 11th May 1984

Ref. No. P.R. No. 2985|Acq.-23|I|84-85.—Whereas, I, R. R. SHAH, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000|- and bearing No. Land at Ward No. 7 Sheet No. 258—Takhteshwar Plot Vistar Bhavnagar, (and more fully described in the Scheduled annexed hereto), has been transferred under Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at S. R. Bhavnagar on 13-10-1983 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Manishankar Laxmishankar Joshi,
U Kon Drive, New York, U.S.A.
(Transferor)

(2) Amrutshanti Appartment Owners Association,
Chief Organisor,
Shri Vrajlal Vanmalidas Trivedi,
Plot No. 1233, Ambawadi Bhavnagar.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land at Ward No. 7 Sheet No. 255 Plot No. 110 A. 2 Takhteshwar Plot Vistar Registered vide R. No. 1354 Date 13-10-1983.

R. R. SHAH
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-I,
Ahmedabad

Date : 11-5-1984
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME TAX

ACQUISITION RANGE I
2ND FLOOR, HANDLOOM HOUSE,
ASHRAM ROAD AHMEDABAD 380 009

Ahmedabad the 14th May 1984

Ref No P R No 2986 Acq 23 I 84-85 —Whereas, I, R R SHAH,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs 25,000/- and bearing
No S No 433 1 Plot No 3 B situated at Swapnalok Apartment, Block No 3 Amin Road Rajkot
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Rajkot on 11-10-1983
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957):

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceeding for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Mahavir Construction Company
Through Shri Madhukant Manilal Tolia
Sheri No 2 Ramkrishna Nagar, Rajkot
(Transferor)

(2) Shri Kesarben Kanjibhai
Swapna Lok Appartment Block No 3
Amin Road, Rajkot
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned —

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter

THE SCHEDULE

Flat adm 1725 sq ft situated at Swapna Lok Appartment, Rajkot, duly registered by S R Rajkot vide sale deed R. No 5128|11-10-1983

R R SHAH
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range I,
Ahmedabad

Date 14-5-1984
Seal .

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE I, 2ND FLOOR, HANDLOOM HOUSE, ASHRAM ROAD, AHMEDABAD-380 009

Ahmedabad, the 14th May 1984

Ref. No. P. R. No. 2987|Acq.-23|I|84-85.—Whereas, I, R. R. SHAH, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax, Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000|- and bearing

S. No. 433-1 Plot No. 3-B, situated at Swapanalok Aptt. Block No. 15, Amin Road, Rajkot, (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the registering officer at Rajkot on 11-10-1983

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment or any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 296C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Mahavir Construction Company, Through : Shri Madhukant Manilal Tolia, Sheri No. 2, Ramkrishna Nagar, Rajkot. (Transferor)

(2) Shri Ramuben Laljibhai Tilva, Swapna Lok, Appartment, Block No. 3, Amin Road, Rajkot. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter

THE SCHEDULE

Flat adm. 1725 sq. ft. situated at Swapna Lok Appartment, Rajkot, duly registered by S. R. Rajkot vide sale deed R. No. 5192|11-10-1982.

R. R. SHAH
Competent Authority
Inspecting Asstt. Commissioner of Income tax
Acquisition Range-I,
Ahmedabad

Date : 14-5-1984
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX
ACQUISITION RANGE I,
2ND FLOOR, HANDLOOM HOUSE,
ASHRAM ROAD, AHMEDABAD-380 009

Ahmedabad, the 14th May 1984

Ref. No. P. R. No. 2988|Acq.-23|I|84-85.—Whereas, I, R. R. SHAH,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
S. No. 456 paiki Plot No. 17-A situated at Jalaram Dev 17A Plot, Yoginiketan, North Side of Kalavad Road, Rajkot,
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the registering officer
Rajkot on 27-10-1983
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

(1) Shri Umarshi Khimjibhai,
Vijay Transport Company,
Mochi Bazar, Rajkot.
(Transferor)

(2) Shri Jayantilal Damodar Gokani,
Shri Bhaskar Damodar Gokani,
Both @ Jalaram Dev Yoginiketan,
Plot No. 17 A, North of Kalawad Road, Rajkot.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Building standing on land 303 sq. yd. situated at Northern Kalawad Road, Rajkot duly registered by S.R. Rajkot vide sale deed R. No. 6412|20-10-1983.

R. R. SHAH
Competent Authority
Inspecting Asstt. Commissioner of Income tax
Acquisition Range-I,
Ahmedabad

Date : 14-5-1984
Seal :

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-I,
2ND FLOOR, HANDLOOM HOUSE, ASHRAM ROAD
AHMEDABAD-380009,

Ahmedabad-380009, the 14th May 1984

Ref. No. P.R. No 2989 Acq.23|I|84-85.—Whereas, I, R. R. SHAH, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
Flat situated at 5th floor—'E' Building No. 553 of Tax Xila Co-operative Housing Society situated at opp. to all India Radio on Sitaram Pandit Marg, Rajkot
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred
under the registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer,
at Rajkot on October, 1983
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons namely :—

(1) Shri Anilkumar Parshottambhai Nandani
Chantuniketan, Sheri No. 2-7,
Jagnath Plot, Rajkot.

(Transferor)

(2) Shri Chandulal Jivabhai Patel,
No. 553, 5th Floor,
Tax Xila Co-operative Housing Society (Flat)
Opp. to All India Radio on Sitaram Pandit Marg,
Rajkot.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later,

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Plot adm. 1250 of Taxshila Co-operative Housing Society situated at Rajkot duly registered by S.R. Rajkot vide sale-deed R. No. 4463|Oct.83.

R. R. SHAH
Competent Authority
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-I,
Ahmedabad

Date : 14-5-84
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-I, AHMEDABAD

Ahmedabad-380 009, the 14th May 1984

Ref. No P.R. No. 2990 Acq.23|I|84-85.—Whereas, I R. R. SHAH being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000|- and bearing No. Ward No. 15 C.T.S. 1010, situated at 3rd floor Flat No. 302, Building Crescent 'A' on Race Course Road, Rajkot (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at A'bad on 10-10-1983 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and /or;

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) M|s. J. S. Corporation, 48, Indranarayan Road, Santacruz (West) Bombay-54.
(Transferor)

(2) Mr. Shantilal Jeram & Mrs. Omiagauri Kalyanji Flat No. 302—on 3rd floor, Crescent—A Bldg. Race Course Road, Rajkot.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Flat adm. 1450 sq. ft. situated at Race Course Road, Rajkot, as per intimation filed vide 37-EE form in hte office of the undersigned on 10-10-1983.

R. R. SHAH
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-I, Ahmedabad

Date : 14-5-1984
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX
ACQUISITION RANGE-I, AHMEDABAD

Ahmedabad-380 009, the 17th May 1984

Ref. No. P.R No. 2991 Acq.23/I/84-85.—Whereas, I R. R. SHAH being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
No. Flat at Ambawadi Birju Co op. Socy. Flat No. C.12 Ahmedabad-15
(and more fully described in the schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the registering officer at A'bad (37G recd. in Oct. 1983) on 16-9-1983 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen percent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons namely :—

(1) Mrs. Ragini S. Joshi, 12, Birju Society, Ambawadi, Ahmedabad-15.

(Transferor)

(2) Mrs. Shushila D. Saluja, Opp. Nehrunagar, Ambawadi, A'bad-15.
New Address : Flat No. C-12, Birju Socy. Ambawadi, Near Azad Socy. Ahmedabad-15.

(Transferee)

Objections, if any to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Flat at Birju Socy. Flat No. C-12 Ambawadi registered vide R. No. 13159.

R. R. SHAH
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-I, Ahmedabad

Date : 17-5-1984
Seal :

FORM ITNS——

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE-I, AHMEDABAD

Ahmedabad-380 009, the 17th May 1984

Ref. No P.R. No. 2992 Acq 23|I|84-85.—Whereas, I R. R. SHAH being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Flat at T.P.S. 3 F.P. No. 419 New Garden Flats Ellisbridge, Ahmedabad, Flat C-16 (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at A'bad on 7-10-1983 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) 1. Anandlal Trikamlal Shah 2. Shashikala Anandlal Trikamlal New Garden Flats, Ellisbridge, Ahmedabad-6.

(Transferor)

(2) 1.Samirkumar Manubhai Palkhiwala
2. Nishitkumar Manubhai Palkhiwala
New Garden Flats, Flat No C-6, Opp. Law Garden —Ellisbridge, Ahmedabad.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Flat at TPS. 3 New Gardan Flats Opp. Law Garden Flat No. C|6 registered vide R. No. 1016 Dt. 7-10-83.

R. R. SHAH
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-I, Ahmedabad

Date : 17-5-84
Seal :

FORM ITNS————

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-I, AHMEDABAD

Ahmedabad-380 009, the 17th May 1984

Ref. No., P.R. No. 2993 Acq. 23|I|84-85.—Whereas, I R. R. SHAH being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000|- and bearing No. Flat at Wadaj Seem S No. 363-1 F.P. 284 A'bad. (and more fully described in the Scheduled annexed hereto), has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the registering officer at A'bad on 10-10-83 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Adt. or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore in, pursuance of Section 269D of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Ajaynaben Bababhai Shah 11, Vidyanagar Socy. Vibhag.2 Usmanpura, Ahmedabad.

(Transferor)

(2) Virmatiben Virendrabhai Desai Gomtipur—P-85, Rajpur—Gomtipur, Ahmedabad

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Flat at Wadaj T.P.S. 15 S. No. 363-1 F.P. 284 registered R. No. 14142 Dt. 10-10-82

R. R. SHAH
Competent Authority
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-I, Ahmedabad

Date : 17-5-84
Seal :

FORM ITNS————

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-I, AHMEDABAD

Ahmedabad-380 009, the 17th May 1984

Ref. No. P.R. No. 2994 Acq.23|I|84-85.—Whereas, I R. R. SHAH being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Land at Vejalpur Seem S. No. 1158 Plot No. 23 Sector No. 5 (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the registering officer at A'bad on 10-10-1983 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shantaben Balkrishna Dave. Balkrishna Ram Shankar Dave, 26, Bhashkar land, Ist Floor, Bhuleshwar Road, Bombay.

(Transferor)

(2) Yashodhara Vithalbhai Patel, Vithalbhai C. Patel—Power of Attorney Arvindbhai Ramkrishna Patel, Vasud Near Girdharnagar, Shahibaug. A'bad.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land at Vejalpur seem, S. No. 01158 Plot No. 23 Sector No. 5 at Satyagrah Chhavani registered vide R. No. 14116 dated 10-10-1983.

R. R. SHAH
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-I, Ahmedabad

Date : 17-5-84
Seal :

FORM ITNS——

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX
ACQUISITION RANGE-I,
2ND FLOOR, HANDLOOM HOUSE,
ASHRAM ROAD, AHMEDABAD-380 009

Ahmedabad-380 009, the 17th May 1984

Ref. No. P.R No. 2995 Acq. 23/I/84-85.—Whereas I, R. R. SHAH, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000|- and bearing No. Flat at T.P.S. 20 F.P. 390/1 at New Girdhar Park Co. op. Socy. Ambawadi, Opp. La-Gajjar's Bunglow, situated at Ahmedabad (and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at Ahmedabad on 11-10-1983 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and /or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Smt. Taramani Shantilal Shah,
A/2, Purnashwar Flat,
Gulbai Tekara,
Ahmedabad-15.

(Transferor)

(2) Smt. Ansuyaben Kanubhai Upadyaya,
Flat No. F|3, New Girdhar Park Co-op. Socy.
1st Floor, Ambawadi,
Opp. La-Gajjar Bunglow,
Ahmedabad.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Flat at Ambawadi TPS. 20 FP 390|1 at New Girdhar Park, registered vide R. No. 14183 Dt. 11-10-1983.

R. R. SHAH
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-I, Ahmedabad

Date : 17-5-1984
Seal :

FORM ITNS————

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-I,
2ND FLOOR, HANDLOOM HOUSE,
ASHRAM ROAD, AHMEDABAD-380 009

Ahedabad-380 009, the 17th May 1984

Ref. No. P R. No. 2996 Acq. 23|I|84-85.—Whereas, I, R. R. SHAH, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000|- and bearing No. Land at Vejalpur S No 1157 at Satyagrah Chhavan situated at Sector No. 3 Plot No. 23B (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the registering officer at Ahmedabad on 13-10-1983 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Madhuben Ramanlal Desai
7, Nutan Bharat Society,
Vadiwadi, Baroda

(Transferor)

(2) Shri Nareshbhai Baldevbhai Patel,
Power of Attorney
Shri Chandubhai Prahladbhai Patel,
Gomtipur Ramjino Khancho,
8A Morari Park,
Ahmedabad.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land at Satyagrah Chhavani Vejalpur, S. No. 1157 Registered vide R. No. 14351 Dated 10-10-1983.

R. R. SHAH
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-I, Ahmedabad

Date : 17-5-1984
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-I,
2ND FLOOR, HANDLOOM HOUSE,
ASHRAM ROAD, AHMEDABAD-380 009

Ahmedabad-380 009, the 17th May 1984

Ref. No. P.R. No 2997 Acq. 23/1/84-85.—Whereas I R. R. SHAH, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- bearing No. Flat at Paldi seem F.P. 933—Sub Plot No. 9 107 sq. yd. (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the registering officer at A'bad on 15-10-1983 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent considerations and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer, and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269 C of the said Act, I hereby initiate proceeding for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Maheshbhai Jagabhai Shah,
7, Shavak Nagar,
Usmanpura, Ahmedabad.

(Transferor)

(2) 1. Sudhaben Arunbhai Zaveri.
2. Shushilaben Rasiklal Zaveri.
3. Pradip Rasiklal Zaveri,
C/o M/s S. D. Zaveri
704/712, Stock Exchange Tower,
Dalal Street, Fort,
Bombay.

(Transferee)

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days, from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons,

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Flat at Paldi F.P. 933 S.P No. 9 registered vide R. No. 14455 Dt. 15-10-83.

R. R. SHAH
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-I, Ahmedabad

Date : 17-5-1984
Seal :

FORM ITNS——

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-I,
2ND FLOOR, HANDLOOM HOUSE,
ASHRAM ROAD, AHMEDABAD-380 009

Ahmedabad-380 009, the 17th May 1984

Ref. No. P.R. No. 2998 Acq. 23|I|84-85.—Whereas, I, R. R. SHAH,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000|- and bearing No.
Land Vejalpur S. No. 1145 Sector No. 2, Plot No. 22
situated at Satyagrah Chhavani, Ahmedabad
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at
Ahmedabad on 16-7-1983 (regd. Oct. 83)
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Mayur Madhukant Mehta,
22, Brahmen Mitra Mandal Socy.
Ellisbridge,
Ahmedabad.
(2) 1 Shri Jagat Ratilal Shah

(Transferor)

2. Smt Jayshreeben Jagatbhai Shah
Sector No. 2 Plot No 41
Satyagrah Chhavani Co op. Socy
Jodhpur Tekara,
Ahmedabad.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land at Vejalpur seem S. No. 1145 Sector No. 2 Plot No. 29 at Satyagrah Chhavani Co-op Socy. registered vide R. No. 10227.

R. R. SHAH
Competent Authority
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-I, Ahmedabad

Date : 17-5-1984
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-I,
2ND FLOOR, HANDLOOM HOUSE,
ASHRAM ROAD, AHMEDABAD-380 009

Ahedabad-380 009, the 17th May 1984

Ref. No. P.R. No. 2999 Acq. 23/I/84-85.—Whereas I, R. R. SHAH,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
Land at Vejalpur seem, S. No. 1145
situated at Satyagrah Chhavani Sector No. 2 Plot No 30
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the registering officer at
Ahmedabad on 16-7-1983 (37G rccd. in Oct. 83)
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen percent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

(1) Shri Saurin Jitendrabhai Shah,
'Triveni' Flats,
Mithakhali Six Rasta (Road)
Navrangpura, Ahmedabad

(Transferor)

(2) 1. Shri Jagatbhai Ratilal Shah
2. Smt. Jayshree Jagatbhai Shah,
Sector No. 2 Plot No. 41,
Satyagrah Chhavani Co. op. Socy.
Jodhpur Tekara Ahmedabad.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land at Vejalpur seem S. No. 1145 at Satyagrah Chhavani Sector No. 2 Plot No. 30 Registered vide R. No. 10228.

R. R. SHAH
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-I, Ahmedabad

Date : 17-5-1984
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269-D (1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-I,
2ND FLOOR, HANDLOOM HOUSE,
ASHRAM ROAD, AHMEDABAD-380 009

Ahmedabad-380 009, the 19th May 1984

Ref. No. P.R. No. 3000 Acq. 23|I|84-85.Whereas, I, R. R. SHAH,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding
Rs. 25,000|- and bearing No.
S. No. 456 paiki Plot No. 313, paiki, situated behind Mahila College, Kalawad Road, Rajkot
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the registering officer
at Rajkot on 26-10-1983
Rajkot on 26-10-1983
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following person, namely :—

(1) Shri Damodar Nagjibhai Sejpal,
Karanpara Chawk,
Rajkot.

(Transferor)

(2) Shri Girishkumar Chhotalal Kotecha,
C/o Damodar Nagjibhai Sejpal,
Karanpara Chawk,
Rajkot.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Bldg. at Kalawad Road, Rajkot—duly registered by S.R. Rajkot, vide sale-deed R. No. 6373/26-10-83.

R. R. SHAH
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-I, Ahmedabad

Date : 19-5-1984
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-I,

2ND FLOOR, HANDLOOM HOUSE, ASHRAM ROAD, AHMEDABAD 380 009

Ahmedabad 380 009, the 19th May 1984

Ref. No. P.R. No. 3001 Acq. 23/I/84-85.—Whereas I, R. R. SHAH,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
Flat at Jagnath Plot Sheri No. 25-26, Flat known as 'Asopalav' at 2nd Floor, Rajkot
(and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the registering officer
at Rajkot on 25-10-1983
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, of the following persons, namely : —

(1) Smt. Moghiben Madhavji
Village Khirsara,

(Transferor)

(2) Shri Laxmanbhai Laljibhai Makadiya,
Flat at 2nd Floor, 'Asopalav'
Jaganath Sheri No. 25-26 at Corner,
Rajkot.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned .—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Flat adm. 1191 sq. ft situated at Asopalav Flat Sheri No. 25-26 Jagnath Rajkot duly registered by S.R. Rajkot vide sale deed R. No. 5738/25-10-83.

R. R. SHAH
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-I, Ahmedabad

Date : 19-5-1984
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE I,
2ND FLOOR, HANDLOOM HOUSE,
ASHRAM ROAD, AHMEDABAD-380 009

Ahmedabad-380 009, the 21st May 1984

Ref. No. P.R. No 3002 Acq 23/I/84-85.—Whereas I,
R. R. SHAH,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
S. No. 457 paiki Plot No. 13-c-2, situated at Rajkot
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the registering officer
at Rajkot on 17-10-1983
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction of evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer, and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any money or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian income-tax Act, 1922 (1) of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Narendra Nenshibhai Mehta,
Amarnath Plots, Kalawad Road,
Rajkot.

(Transferor)

(2) Smt. Sarojben Pravinchandra Shah,
'Punam' 1, Amarnath Plots,
Kalawad Road,
Rajkot.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later.

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Bldg. standing on land 167 sq. yd., situated at S. No. 457, Rajkot, duly regd. by S.R. Rajkot vide sale-deed R. No. 6118/17-10-83.

R. R. SHAH
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-I, Ahmedabad

Date : 21-5-1984
Seal :

FORM ITNS————

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-I, 2ND FLOOR, HANDLOOM HOUSE, ASHRAM ROAD, AHMEDABAD-380 009

Ahmedabad-380 009, the 19th May 1984

Ref. No. P.R. No 3003 Acq. 23/1/84-85.—Whereas I, R. R. SHAH,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs, 25,000|- and bearing
S. No. 387/388 paiki Plot No. 20 paiki, situated at Rajkot
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the registering officer
at Rajkot on 17-10-1983
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with object of —

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under that said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons namely:—

(1) Vijeta Industries —
Through :—
1. Shri Chhaganlal Trikambhai Patel
2. Shri Ratilal Gordhanbhai Patel
3. Shri Shardaben Vasantbhai, Opp. Bhaktinagar Station, Rajkot.

(Transferor)

(2) Miliyant Metal Industries —
through :
1. Shri Ashokkumar Govindbhai
2. Shri Praful Vallabhbhai.
3. Shri Laxmanbhai K.
4. Kanchanben Kantilal — All at Aji Vasahat, Rajkot.

(Transferor)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter

THE SCHEDULE

Land adm. 400 sq. yd.—with incomplete plinth—situated at S. No. 3877/388, paiki Rajkot duly registered by S.R. Rajkot vide sale deed R. No. 6132/17-10-1983.

R. R. SHAH
Competent Authority
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-I, Ahmedabad

Date : 19-5-1984

Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-I,
2ND FLOOR, HANDLOOM HOUSE, ASHRAM RDAO,
AHMEDABAD-380 009.

Ahmedabad-380 009, the 19th May 1984

Ref. No. P.R. No. 3004 Acq. 23|I|84-85.—Whereas, I R. R. SHAH,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000|- and bearing No.
Building Opp : Virani High School Rajkot
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the registering Officer
at Rajkot on 20-10-1983
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Viranidas Chaturdas Sanghvi,
near Virani High School,
Rajkot.

(Transferor)

(2) Shri Hematlal Popatlal Pujia,
'Umia Kunj' 23, Jagnath Plot,
Rajkot.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Building standing on land 160 sq. yd. situated at near Virani High School, Rajkot, duly registered by S.R. Rajkot vide sale deed R. No. 6192|20-10-1983.

R. R. SHAH
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax
Acquisition Range-I, Ahmedabad

Dt. : 19-5-84
Seal :

FORM ITNS————

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-I,
2ND FLOOR, HANDLOOM HOUSE, ASHRAM ROAD, AHMEDABAD-380 009.

Ahmedabad-380 009, the 19th May 1984

Ref. No. P.R. No. 3005 Acq. 23|I|84-85.—Whereas, I R. R. SHAH, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- S. No. 429-436-656-paiki situated at Plot No. 58-A Panchvati Co-op. H. Socy. Near Harlher Socy. Kalavad Road, Rajkot (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Rajkot on 21-10-1983 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment or any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Vijayakumar Liladhar Druna, Danapith, Rajkot.

(Transferor)

(2) 1. Shri Jaisukhlal Bhagwanji Doshi
2. Shri Khushaldas Bhagwanji Doshi
Plot No. 58-A, Panchvati Co-op H. Socy. Kalavad Road, Near Harihar Socy. Rajkot.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land adm. 323-5-0 sq. yd.—situated at Rapkot, duly registered by S R Rajkot vide sale deed R. No. 6239|21-10-83.

R. R. SHAH
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax
Acquisition Range-I, Ahmedabad

Dt. : 19-5-84
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-I, 2ND FLOOR, HANDLOOM HOUSE, ASHRAM ROAD, AHMEDABAD-380 009.

Ahmedabad-380 009, the 22nd May 1984

Ref. No. P.R. No. 3006 Acq. 23 I/84-85.—Whereas, I R. R. SHAH, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Bldg. at Dariapur Kazipur seem Jay Mahavir Co op. Socy. T.P.S. 14 Ahmedabad (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the registering officer at Ahmedabad on 21-10-83 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment o fany income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Sunilkumar Girraj Gupta, Raghukul Society, Shahibaug, Ahmedabad.

(Transferor)

(2) Bhavarlal Shivnathji Rajpurohit, 18, Bhadraswar Society, Shahibaug, Ahmedabad.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication o this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gaeztte.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Building at Dariapur Kazipur seem Jay Mahavir Co-op. Socy. TPS 14 Registered vide R. No. 14653 Dt. 21-10-83.

R. R. SHAH
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-I, Ahmedabad

Dt : 22-5-1984
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-I,
2ND FLOOR, HANDLOOM HOUSE, ASHRAM ROAD,
AHMEDABAD-380 009.

Ahmedabad-380 009, the 22nd May 1984

Ref. No. P.R. No. 3007 Acq. 23|I|84-85.—Whereas, I R. R. SHAH, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000|- and bearing No. Flat at TPS. 6 Paldi F.P. 10 at Modern Flats Coop. Socy. Flat No. B|5-5 (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Ahmedabad on 21-10-83 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transf and|or

(b) facilitating the concealment o fany income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Smt. Rasidabanu Harunbhai Hasmani
Corner Flats, Paldi,
Ahmedabad.

(Transferor)

(2) Shri Iqbalbhai Abdul Razakbhai
Modern Flats, Flat No. B-5,
Paldi, Ahmedabad.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication o this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gaeztte.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter

THE SCHEDULE

Flat at Paldi TPS. 6 FP No. 10 at Modern Flats Flat No. B-5 registered vide R. No. 14675 Dt : 21-10-83.

R. R. SHAH
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range I, Ahmedabad

Dt : 22-5-1984
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-I,
2ND FLOOR, HANDLOOM HOUSE, ASHRAM ROAD,
AHMEDABAD-380 009.

Ahmedabad-380 009, the 22nd May 1984

Ref. No. P.R. No. 3008 Acq 23|I|84-85.—Whereas, I R. R. SHAH, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Land at Paldi seem T.P.S. F.P. 282 S.P. No. 1B (and more fully described in the Scheduled annexed hereto) has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the registering officer at Ahmedabad on 24-10-83 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen percent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said act, in respect of any income arising from the transfer; and|or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Anilaben Deepakbhai Shah,
Patasha Pole, Gandhi Road,
Ahmedabad.

(Transferor)

(2) (1) Pradip Champaklal Shah
(2) Bharat Champaklal Shah
833, Mehta Sheri, Panchbhai's Pole,
Ahmedabad.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land at Paldi T.P.S. 6 F.P. 282 S.P. No. 1-B registered vide R. No. 14782 Dt : 24-10-83.

R. R. SHAH
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax
Acquisition Range-I, Ahmedabad

Dt : 22-5-1984
Seal :

FORM ITNS——

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-I,
2ND FLOOR, HANDLOOM HOUSE, ASHRAM ROAD, AHMEDABAD-380 009.

Ahmedabad-380 009, the 22nd May 1984

Ref. No. P.R. No. 3009 Acq. 23|I|84-85.—Whereas, I R. R. SHAH, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the said Act), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000|- and bearing No. Kankaria—T.P.S. 2 C.S. No. 124, at Ismaliya Coop. Socy. Ahmedabad (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the registering officer at Ahmedabad on 28-10-1983 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and|or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purpose of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Akberbhai Lavjibhai Charania,
B-No. 12, Khoja Society, Kankaria,
Ahmedabad.

(Transferor)

(2) Karmali Mavjibhai Himani
Jigorali Karmali Himani
Near Khamasha Gate,
Ahmedabad.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions and herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Building at Khoja Socy. Kankaria T.P.S. 2, Registered vide R. No. 15125 Dt : 28-10-1983.

R. R. SHAH
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax
Acquisition Range-I, Ahmedabad

Dt : 22-5-1984
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-I,
2ND FLOOR, HANDLOOM HOUSE, ASHRAM ROAD,
AHMEDABAD-380 009

Ahmedabad-380 009, the 22nd May 1984

Ref. No. P.R. No. 3010 Acq. 23|I|84-85.—Whereas, I R. R. SHAH being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000|- and bearing No. Bldg. at Achiar seem S. No. 123|1, 124|2 F.P. No. 10-1, 6-B Maharshi Dayanand Park, Ahmedabad (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the registering officer at Ahmedabad on 24-10-83 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction of evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Ramlubhaya Piraditamal Arora,
Sevak Sadi Centre,
62, Sindhi Market,
Ahmedabad-2.

(Transferor) (s)

(2) Shri Bhupendra Desraj Khatri,
C|o Bhupendra Textiles,
22, Sindhi Market,
Ahmedabad.

(Transferee (s)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given at that Chapter.

THE SCHEDULE

Bldg. at 6-B Maharshi Dayanand Park, Achiar T.P.S. 23, Sabarmati registered vide R. No. 14797 Dt : 24-10-1983.

R. R. SHAH
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax
Acquisition Range-I, Ahmedabad

Dt. : 22-5-84
Seal :

FORM ITNS————

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-I,
2ND FLOOR, HANDLOOM HOUSE, ASHRAM ROAD, AHMEDABAD-380 009

Ahmedabad-380 009, the 22nd May 1984

Ref. No. P.R. No. 3011 Acq. 23|I|84-85.—Whereas, I R. R. SHAH being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000|- and bearing No. Land at Vasana T.P.S. 21 F.P. 602 S.P. No. 179 at Manekbag Co-op. Socy., Ahmedabad (and more fully described in the Schedule annexted hereto), has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the registering officer at Ahmedabad on 25-10-83 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and|or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Kantilal Kodarlal Shah,
4|4, Manglam Flats,
Gapunagar, Ahmedabad-24.

(Transferor) (s)

(2) 1. Bhogilal Amratlal Shah
2. Vasumati Bhogilal Shah
Panchvati—Ahmedabad.

(Transferee) (s)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land at Manekbag T.P.S. 21 F.P. 602 S.P. No. 179 registered vide R. No. 14551 Dt : 25-10-1983.

R. R. SHAH
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax
Acquisition Range-I, Ahmedabad

Dt. : 22-5-84
Seal :

FORM I.T.N.S.———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME TAX ACT 1961 (43 OF 1961)

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-I,
2ND FLOOR, HANDLOOM HOUSE, ASHRAM ROAD,
AHMEDABAD-380 009

Ahmedabad-380 009, the 24th May 1984

Ref. P.R. No. 0012 Acq. 23|I|84-85.—Whereas, I,
R. R. SHAH,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income Tax Act, 1961 (43 of 1961) (herein after referred to as the said 'Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000|- and bearing No.
Dariapur, Kanpur seem Camp Road, Navinchandra Park T.P.S. 17 & T.P.S. 8 FP No. 2
(and more fully described in the schedule annexed hereto), has been transferred under registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at Ahmedabad on 20-10-1983
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) Ishwarlal Joitaram Patel,
10, Manan Society,
Ranip—Sabarmati,
Ahmedabad.

Transferor(s)

(2) Bansidhar Gopinath Agrawal,
18, Navinchandra Park,
Civil Hospital Road,
Ahmedabad.

Transferee(s)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Bldg. at Dariapur-Kazipur T.P.S. 17 and 8 F.P. No. 2 paiki Plot No. 8 registered vide R. No. 14979 Dt : 25-10-83.

R. R. SHAH
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax
Acquisition Range-I, Ahmedabad

Dt. : 24-5-1984
Seal :

FORM I.T.N.S.——

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-I, 2ND FLOOR, HANDLOOM HOUSE, ASHRAM ROAD, AHMEDABAD-380 009

Ahmedabad-380 009, the 24th May 1984

Ref. P.R. No 3013 Acq. 23|I|84-85.—Whereas, I, R. R. SHAH, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing Land at Narshi Nagar Co-op. Socy. T.P.S. 29 S. No. 34 Sub Plot No. 14, Naranpura, Ahmedabad (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the registering officer at Ahmedabad on 24-8-83 (Oct 83 37G recd.) for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) 1. Kevalprasad Bababhai Patel
2. Kaushikbhai Bababhai Patel,
5-A Mira Socy. Naranpura
Ankur Road, Ahmedabad-13.

Transferor(s)

(2) 1. Shantilal Muljibhai Savla—Karta of HUF
2. Minor Manoj Shantilal Savla—
Guardian—Shantilal M Savla
Flat No. D|3, Ajanta Flats,
Naranpura, Char Rasta,
Opp : Jain Temple—Ahmedabad-13.

Transferee(s)

Objections if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land at Narshi Nagar Co-op Socy. T.P.S. 29 S No 34 S.P. No 14 registered vide R. No. 12107.

R. R. SHAH
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax
Acquisition Range-I, Ahmedabad

Dt. : 24-5-1984
Seal :

FORM I.T.N.S.————

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE I,

2ND FLOOR HANDLOOM HOUSE ASHRAM ROAD, AHMEDABAD 380 009

Ahmedabad 380 009 the 24th May 1984

Ref P R No 3014 Acq 23|I|84 85—Whereas I, R R SHAH being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs 25,000/- and bearing Bldg at TPS 22 FP 140 142-143 Sub Plot No 12 B at Paldi (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Ahmedabad on 11 10-1983 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of —

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth tax Act, 1957 (27 of 1957)·

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely —

(1) 1 Smt Ramilaben Mahendrakumar
2 Shri Rupen Mahendrakumar
3 Minor Vishal Mahendrakumar
Guardian—Shri Mahendrakumar Harvovindas Shah, Fatasa Pole Khadakuva's Pole, Ahmedabad

(Transferor)(s)

(2) 1 Laxmandas Manilal Gandhi
2 Manharben Laxmandas Gandhi
Tokarshah's Pole, Raikhad, Ahmedabad

(Transferee)(s)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned ·—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later,

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette

EXPLANATION —The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter

THE SCHEDULE

Bldg at Paldi T P S 22 F P 140 142 143 S P No 12-B registered vide R No 11197 Dt 11-10 1983

R R SHAH
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income tax
Acquisition Range-I
Ahmedabad

Dt · 24-5-1984
Seal .

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE-I, 2ND FLOOR, HANDLOOM HOUSE, ASHRAM ROAD, AHMEDABAD-380 009

Ahmedabad-380 009, the 26th May 1984

Ref. No. P.R. No. 3015 Acq. 23|I|84-85.—Whereas, I R. R. SHAH
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
Land at Sanand S. No. 677|2 having land area 5324 sq. yd. (and more fully described in the schedule annexed hereto) has been transferred
under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the registering officer at
S.R. Sanand on Oct. 1983
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) 1. Jashiben Daughter of Maganji Nanjibhai Thako
2. Vimlaben Daughter of Maganji Nanjibhai Thako
Sanand Dist : Ahmedabad.

(Transferor)

(2) Frends Co-op. Socy. (Proposed),
Chef Organiser
1. Shri Bipinchandra Bhogilal Amin
2. Shri Bhanuprasad Muljibhai Patel
3. Shri Pravinkumar Muljibhai Patel
Naranpura, Ahmedabad.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said propert may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this n in the Official Gazette or a period of 30 days fr the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publi cation of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein are defined in Chapter XXA of the Act, and shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land at Sanand S. No. 677|1 registered vide R. No. 1418|83 having land area 5324 sq. yd.

R. R. SHAH
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-I, Ahmedabad

Dt. : 26-5-1984
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-I, 2ND FLOOR, HANDLOOM HOUSE, ASHRAM ROAD, AHMEDABAD-380 009

Ahmedabad-380009, the 29th May 1984

Ref. P R No 3016 Acq 23|I|84-85.—Whereas, I, R. R. SHAH, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) hereinafter referred as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000|- and bearing No. 80 Plot No 50 paiki situated at Nana Mawa—Rajkot and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the registering officer at Rajkot on 28-10-1983 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Kishore Narsinhbhai Parmer,
Mulchand Zazeri's Wadi,
Kumbharwada, Chembur,
Bombay.

(Transferor)

(2) Shri Natverbhai Govindbhai Ladani,
C|o Apex Colour Laboratory,
Opp. Rashtriya Shala,
Near Ravi Kiran,
Rajkot.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter

THE SCHEDULE

Building standing on land 107 sq. yards situated at Nana Mawa, Rajkot, duly registered by S R Rajkot vide sale-deed R. No. 6446 29-10-1983.

R. R. SHAH
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-I
Ahmedabad

Date : 29-5-1984
Seal :

FORM I.T.N.S.———

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME TAX ACT 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE I,
2ND FLOOR, HANDLOOM HOUSE, ASHRAM ROAD,
AHMEDABAD-380 009

Ahmedabad-380009, the 29th May 1984

Ref. No. P.R No. 3017 Acq 23|I|84 85.—Whereas, I, R. R. SHAH, being the Competent Authority under Section 269B of the income Tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000|- and bearing No. S. No. 80 Plot No. 50 paiki situated at Nana Mawa, Rajkot (and more fully described in the schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the registering officer at Rajkot on 28-10-1983 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate Proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of the notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Kishore Narsibhai Parmar,
Mulchand Zazeri's Wadi, Kumbharwad,
Chembur, Bombay

(Transferor)

(2) Shri Chandulal Ladhabhai Sutariya,
Swastik Estate, Near Petrol Pump,
Gondal Road, Rajkot

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Building situated on land 108 sq yards situated at Nana Mawa, Rajkot duly registered by S.R. Rajkot vide sale-deed R. No. 6417 dated 28-10-1983.

R. R. SHAH
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-I,
Ahmedabad

Date : 29-5-1984
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-I, AHMEDABAD-380 009

Ahmedabad-380009, the 29th May 1984

Ref. No. P.R. No. 3018 Acq.23|I|84-85.—Whereas, I, R. R. SHAH, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000|- and bearing Building known as 'Hotel Mohit International' situated at Near Behumali Bhawan, Race Course, Rajkot (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the registering officer at Rajkot on 28-10-1983 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or;

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Smt. Devkunnverben Harilal Soni,
'Satya Kunj' Near Aston Cinema,
Rajkot.
(Transferor)

(2) Shri Bharatsinh Chudasma & Sons,
C|o Hotel Rohit International,
Near Bahumali Bhawan, Race Course Road,
Rajkot.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 daysy from the date of publicat'on of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Building standing on 1090 .59 sq. mtr. known as Hotel Rohit International near Bahumali Bhawan Race Course, Rajkot duly registered by S.R. Rajkot vide sale deed R. No. 6435|28-10-1983 i.e. property as fully described therein.

R. R. SHAH
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-I.
Ahmedabad

Date : 29-5-1984

Seal :

FORM I.T.N.S.———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-I, AHMEDABA-380 009

Ahmedabad-380 009, the 29th May 1984

Ref. P.R. No. 3019 Acq. 23|I|84-85.—Whereas, I, R. R. SHAH, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the Immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000|- and bearing Building at T.P.S. 14 Sadhana Co-operative Society B. No. 22 FP No. 63 S. No. 66|A|1 (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the registering officer at A'bad on 29-10-1983 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I, hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) Gordhanbhai Shivabha Patel,
16, Chandra Mukhi Society,
Behind Gopal Nagar,
Nemnagar Road,
Ahmedabad.

(Transferor)

(2) 1. Mohanlal Lakhaji Chauhan,
L.R. Apartment Near Shahibag,
Railway Crossing, Shahibag,
Ahmedabad.
2. Ramchandbhai Lakhaji Chauhan,
3. Javanbhai Dhanaji Chauhan,
Near Ambaji Temple—Madhupura—Outside—Delhi Gate.
Ahmedabad.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Building at Sadhana Society Shahibag, TOS 14 registered vide R. No. 15171 dated 29-10-1983.

R. R. SHAH
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-I,
Ahmedabad

Date : 29-5-1984
Seal :

FORM ITNS ———

NOTICE UNDER SECTIOIN 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-I,
2ND FLOOR, HANDLOOM HOUSE, ASHRAM ROAD,
AHMEDABAD-380 009

Ahmedabad-380009, the 29th May 1984

Ref. No. P.R. No. 3020 Acq.23|1|84-85.—Whereas, I, R. R. SHAH, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000|- and bearing Building at C|92 Samratnagar Ishanpur—S. No. 261, 262, 265 and 268 (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the registering officer at Ahmedabad on October, 1983 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely—

(1) Pankajkumar Bhogilal Maniar,
33|3, Jayant Park,
Vatva Road, Maninagar,
Ahmedabad.

(Transferor)

(2) Shri Pravinbhai Gokaldas Desai
Nagar Nivas, Nehru Road,
Vile Parle (East),
Bombay-57.

(Transferee)

Objections, if any to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publications of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of the notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expression used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Bldg. at Ishanpur seem Samrat Nagar, C-92, S. No. 261, 262, 265 and 268 registered vide R. No. 12726 dated October 1983.

R. R. SHAH
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-I,
Ahmedabad

Date : 29-5-1984
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-I, AHMEDABAD-380 009

Ahmedabad-380009, the 29th May 1984

Ref. No. P.R. No. 3021 Acq 23/I/84-85.—Whereas, I, R. R. SHAH being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing Building at Khadia I S. No. 2241 M.S. No. 1436 at Sarangpur—Ahmedabad (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the registering officer at Ahmedabad on 26-10-1983 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under Sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Lalitkumar Bhalabhai Patel
(Sam Sangi's Pole—Sarangpur—Ahmedabad)
New Address : Shri Lalitkumar B. Patel,
A/4, Minita Apartment,
St. Xavier's High School Road,
Navjivan, Ahmedabad-14.

(Transferor)

(2) Shri Natwarlal Hiralal Shah,
Pankajkumar Hiralal Shah,
Guardian Shri Nalin Hiralal,
Kaushik Hiralal,
Guardian Shri Hiralal Vadilal,
8, Jitendra Park Society, Paldi,
Ahmedabad-7.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Building at Khadia-I, Sam Sanga's Pole, S. No. 2241, M.S. No. 1436, registered vide R. No. 14879 dated 26-10-1983.

R. R. SHAH
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-I,
Ahmedabad

Date : 29-5-1984
Seal :

FORM ITNS ———

NOTICE UNDER SECTION 269-D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-I, AHMEDABA-380 009

Ahmedabad-380 009, the 30th May 1984

Ref. No. P.R. No. 3022 Acq. 23|I|84-85.—Whereas, I, R. R. SHAH, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000|- and bearing No. Building at Ambawadi Krishna Nagar Ward No. 6 S. No. 2023, 2024, 2025, 2026 etc. Bhavnagar (and more fully described in the schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the registering officer at Sarangpur—Ahmedabad for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen percent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Proposed New Shanti Niketan Co-op. Societyy Chief Organiser—Shri Bhopatrai Mohanlal Shah, Vania Sheri Ghogha Bandar Ghogha—Bhavnagar.

(Transferor)

(2) 1. Piyushkumar Upendrabhai Mehta Plot No. 1048-A 1-2 Ambawadi, Opp. Daniben Chhatralaya, Krishna Nagar, Bhavnagar,

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in the Chapter.

THE SCHEDULE

Building at Ambawati Ward No. 6 Plot No. 1048A—Registered vide R. No. 3425 dated 25-10-1983.

R. R. SHAH
Competent Authority
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-I,
Ahmedabad

Date : 30-5-1984
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-I,
2ND FLORR, HANDLOOM HOUSE, ASHRAM ROAD,
AHMEDABA-380 009

Ahmedabad-380 009, the 30th May 1984

Ref. No. P.R No. 3023 Acq.23|1|84-85.—Whereas, I, R. R. SHAH, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000|- and bearing No. Building at Badeshwar Vistar S. No. 32|2, 33|2 206|2, 206|3 Jamnagar (and more fully described in the Scheduled annexed hereto), has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the registering officer at Ahmedabad on 26-10-1983 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) M|s. Parmeshwar Oil Mill,
Badeshwar, Jamnagar.

(Transferor)

(2) 1. Shriji Family Trust.
2. Chunilal Tribhovandas Family Trust.
3. Motibhai Madhavji Family Trust.
4. Bhavashwar Family Trust.
5. Krishna Family Trust.
C|o Shri Dinesh G. Tanna,
'Tanna House'
Grain Market,
Jamnagar.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Property at Badeshwar Vistar S. No. 32|2, 33|2, 206|2, 206|3 registered vide R. No. 3190 dated 25-10-1983.

R. R. SHAH
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-I,
Ahmedabad

Date : 30-5-1984
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-I,
2ND FLORR, HANDLOOM HOUSE, ASHRAM ROAD, AHMEDABA-380 009

Ahmedabad-380 009, the 30th May 1984

Ref. No. P.R. No. 3024 Acq.23|I|84-85.—Whereas, I, R. R. SHAH,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
Building at T.P.S. 4 F.P. No. 160|1+4 at 12, Good Luck Society Near Dasani Society Maninagar Ahmedabad-8
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred
under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the registering officer at
Ahmedabad on 26-10-1983
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer, and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Hiranand Girdharimal Doda
Near Anand Flat,
Bhairavnath Road, Maninagar,
Ahmedabad-8.

(Transferor)

(2) 1. Shri Arjunkumar Harchandrai
2. Smt. Mona Arjunkumar,
Ahmedabad.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Building T.P.S. 4 F.P. 166|1+4 at Good Luck Society Near Daxani Society Maninagar Registered vide R. No. 1514 dated 28-10-1983.

R. R. SHAH
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-I,
Ahmedabad

Date : 30-5-1984
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-I,
2ND FLORR, HANDLOOM HOUSE, ASHRAM ROAD,
AHMEDABA-380 009

Ahmedabad-380 009, the 30th May 1984

Ref. No. P.R. No. 3026 Acq.23|I|84-85.—Whereas, I, R. R. SHAH, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Land at Manekbag Co-op. Society T.P.S. 21 F.P. 597—Ahmedabad (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Ahmedabad on 25-10-1983 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Ishwardas Saidas Uppal,
6|159, Azara Co-op. Maharashtra Housing Boadr—Sion—Trambay Road, Bombay-400022.
(Transferor)

(2) Mrs. Shardaben Virchandbhai Shah,
5, Vidyavihar Society, Usmanpura,
Ahmedabad-13.
(Transferee)

Objection, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned.

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land at Vasana Seem T.P.S. 21 F.P. 597 at Mane'' Co-op. Society Registered vide R. No. 14868|25-10-83.

R. R. ·
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-
Acquisition Range-I
Ahmedabac

Date : 30-5-1984
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE-I,
2ND FLORR, HANDLOOM HOUSE, ASHRAM ROAD,
AHMEDABA-380 009

Ahmedabad-380009, the 2nd June 1984

Ref. No. P.R. No. 3027 Acq.23|I|84-85.—Whereas, I, R. R. SHAH,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
Property at Naroda S. No. 462 paiki 464, 465-466 paiki Naroda Industrial Township Plot No. 0172 GIDC Estate Building—Shed—A'bad.
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at Ahmedabad on 15-10-1983
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or others assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) M|s. Rajchandra Rice & Pulse Mills,
C|o Shri Dasaradhbhai Natwarlal Patel,
Navi Khadki, Naroda,
Ahmedabad.
(Transferor)

(2) Pali Agro & Allied Industries,
Office : Opp. Jain Temple, Gandhi Road,
Ahmedabad.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of Thirty days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Building—shed a 172, G.I.D.C. Estate, Naroda Ahmedabad registered vide R. No. 13447 dated 15-10-1983.

R. R. SHAH
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-I,
Ahmedabad

Date : 2-6-1984
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX
ACQUISITION RANGE-II,
2ND FLORR, HANDLOOM HOUSE, ASHRAM ROAD, AHMEDABA-380 009

Ahmedabad-380009, the 7th May 1984

Ref. No. P.R. No. 2813 Acq.23|II|84-85.—Whereas, I, R. R. SHAH,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000|- and bearing No. TPS 2 F.P. 168|1 Anand
(and more fully described in the Schedule annxed hereto), has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the registering officer at Anand on 27-10-1983
for an apparent consideration which is less than the fair market vaule of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and|or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Narsihbhai Lakhabhai Patel, Anand.

(Transferor)

(2) Sahyog Co-op. Society (Proposed), C|o Shri Joseph M. Contractor, Amul Dairy Road, Anand.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land at T.P.S. 2 FP 168 at Anand adm. 354 sq meters Document for transfer of property registered with S.R. Anand under No. 4488 dated 27-10-83.

R. R. SHAH
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-II
Ahmedabad

Date : 7-5-1984
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-II, 2ND FLOOR, HANDLOOM HOUSE, ASHRAM ROAD, AHMEDABAD-380 009.

Ahmedabad, the 7th May 1984

Ref. No. P. R. No. 2814 Acq.23|II|84-85.—Whereas, I, R. R. SHAH, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. T. P. S. 4 F. P. 316 Anand. (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of Registering Officer at Anand on 21-10-1983 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue for this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following - ---, namely :—

(1) Shri Shankarlal Maganlal Shelat,
Undi Sheri
Anand.

(Transferor)

(1) Patel Himatbhai Jashbhai
Navrang Society,
Amul Dairy Road,
Anand.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land at Anand T. P. S. 4 F. P. 316 adm. 1500 sq. mtr. Document for transfer of property regd. with S. R. Anand Under No. 4128 Dt: 21-10-83.

R. R. SHAH
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-II, Ahmedabad

Date : 7-5-1984
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-II,
2ND FLOOR, HANDLOOM HOUSE, ASHRAM ROAD, AHMEDABAD-380 009.

Ahmedabad, the 8th May 1084

Ref. No. P. R. No. 2815 Acq.23|II|84-85.—Whereas, I, R. R. SHAH, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000|- and bearing R. S. No. 74—15.5 Nagarwada—Baroda (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Baroda on 12-10-1983 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideratios therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Anilkumar Keshavji Pujari
Nava Bazar, Nr. Rokadnath Mahadev,
Bazar, Vadodara.

(Transferor)

(2) Smt. Kamlaben Kanubhai (Hastimal) Jain,
Amdavadi Pole
Kadva Sheri,
Baroda.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Flat at Nagarwada S. No. 74 adm. 545 sq. ft. Document for transfer of property regd. with S. R. Baroda under No. 7346 Dt: 12-10-83.

R. R. SHAH
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-II, Ahmedabad

Date : 8-5-1984
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE II, 2ND FLOOR HANDLOOM HOUSE ASHRAM ROAD, AHMEDABAD 380 009

Ahmedabad the 8th May 1984

Ref No P R No 2816 Acq 23|II|84 85 -Whereas I, R R SHAH being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/ and bearing No

D Tika No 1 15 Sayajiganj, Baroda,

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been trasferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of Registering Officer at Baroda in Sept 1983

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said Instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and|or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth tax Act 1957 (27 of 1957);

Therefore in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Dahal Oaastur Asaai
Dahod, Landmanje Block No 53

(Transferor)

(2) Smt Mangala Subhash Sathe
Block No 63,
Road No ,
Shri Krishnanagar Borivali East,
Bombay.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this noitce in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later,

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Flat at Sayajiganj adm 585 sq ft Document for transfer of property regd with S R Baroda under No 5676 Dt 19-9 1983 regd in October, 1983

R R SHAH
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-II Ahmedabad

Date 8-5-1984
Seal

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX.

ACQUISITION RANGE-II, 2ND FLOOR, HANDLOOM HOUSE, ASHRAM ROAD, AHMEDABAD-380 009.

Ahmedabad, the 9th May 1984

Ref. No. P. R. No. 2817 Acq 23/II/84-85.—Whereas, I, R. R. SHAH, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. R. S. No. 435 Kundal Tal : Kadi (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the registering officer at Kadi on 13-10-1983 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) 1. Patel Madhabhai Ambaram
2. Shakrabhai Pitamberdas
3. Patel Jagdishbhai "
4. Patel Ranchhodbhai "
5. Patel Parshottamdas "
6. Patel Savitaben "
Kundal Tal : Kadi Dist. Mehsana.

(Transferor)

(2) Sanghvi Associates
2120, Rekha Building
641, Ring Road, Bombay 400 006.

(Transferee)

(3) Ganesh Corporation,
C/o Manobai Ashatam Nandwani
Kadi Dist: Mehsana
Patel Mahadevbhai Premjibhai
Ranchhodpura Tal:
Kadi Dist: Mehsana

(Person in occupation of the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land at Kundal Tal: Kadi S. No. 435. Document for transfer of property regd. with S. R. Kadi under No. 2127 Dt: 13-10-1983.

R. R. SHAH
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-II, Ahmedabad

Date : 9-5-1984
Seal :

FORM ITNS——

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME TAX ACQUISITION RANGE-II,

2ND FLOOR, HANDLOOM HOUSE, ASHRAM ROAD, AHMEDABAD-380 009.

Ahmedabad, the 8th May 1984

Ref. No. P. R. No 2818 Acq 23|II|84-85.—Whereas, I, R. R. SHAH,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
Nondh No 1731 Shivam Appt Athwa Lines—Surat (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in Office of the Registering Officer
at Surat on 11-10-1983
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-Section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) 1. Gop Mulchand Matai
2. Ramu Gop Matai
Athwa Lines,
Arogya Nagar,
Surat.

(Transferor)

(2) Arunaben Mukesh Mehta
Sangapa Society,
Rander Road,
Surat.
Shivam Appt Flat No. 103,
Narmad Nagar,
Athwa Lines
Surat.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

The property is situated at Narmadnagar Athwa Lines Surat. The Document is registered at S R Surat vide No 8450 Dt: 11-10-1983.

R. R. SHAH
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-II, Ahmedabad

Date : 8-5-1984
Seal :

FORM ITNS——

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-II,
2ND FLOOR, HANDLOOM HOUSE, ASHRAM ROAD, AHMEDABAD-380 009.

Ahmedabad, the 8th May 1084

Ref. No. P. R. No. 2819 Acq.23|II|84-85.—Whereas, I, R. R. SHAH,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000|- and bearing No.
Rashmi Apptt. 3rd Floor—Kazim Medan—Surat.
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred
under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer
at Surat on 20-10-1983
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the trasfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :

(1) Bhavani Shanker Dolatram Panchal, at Chandra Vihar Aptt. Surat.
(Transferor)

(2) Parekh Jayantilal Manilal, At Rashmi Aptt. 3rd Floor, Kazinoo Medan Gopipura Surat
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the meaning as given in that Chapter

THE SCHEDULE

The property is situated at Gopipura Kazinu Medan Surat adm. 2200 sq. ft. The Document is registered at S. R. Surat Vide No. 9051 Dt: 10-10-1983.

R. R. SHAH
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-II, Ahmedabad

Date : 8-5-1984
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX
ACQUISITION RANGE-II,
2ND FLOOR, HANDLOOM HOUSE, ASHRAM ROAD,
AHMEDABAD-380 009.

Ahmedabad, the 7th May 1984

Ref. No. P. R. No. 2820 Acq.23|II|84-85.—Whereas, I, R. R. SHAH, bieng the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000 and bearing S. No. 61. Village : Anadada Tal: Ankleshwar (and more fully described in the Scheduled annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the registering officer at Ankleshwar on 20-10-1983 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Zinabhai Chhitabhai
at P. O. Ananda Tal : Ankleshwar.

(Transferor)

(2) Damyantiben Jayantilal Bhamwala,
67, Patel Society,
Bharuch.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

The property is situated at village Ananda S. No. 61. adm. 12221 sq. yw. The document is registered at S. R. Ankleshwar vide No. 2540 Dt: 20-10-1983.

R. R. SHAH
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-II, Ahmedabad

Date : 7-5-1984
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-II, 2ND FLOOR, HANDLOOM HOUSE, ASHRAM ROAD, AHMEDABAD-380 009.

Ahmedabad, the 5th May 1984

Ref. No. P. R. No 2821 Acq.23|II|84-85.—Whereas, I, R. R. SHAH,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000|- and
bearing No.
No. S No 264-1 paiki village Gadkhol Tal Ankleshwar.
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred
has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer
at Ankleshwar on 5-10-1983
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section ()1 of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) Kusumben Amaidas Patel
V. K. Rameshbhai Mukanji Patel
24, Shantiniketan Socy. Sumul Diary,
Surat
(Transferor)

(2) Kutubhai Dalsukhbhai Pandya
22, Jai Hind Society,
Near Ram bag Maninagar,
Ahmedabad.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

The land situated at village Gadkhol bearing S. No. 264-1. Total land is 10784 sq. mtr. The document is registered at S R Ankleshwar vide No 2476 and 2491 Dt 5 10-1983.

R. R. SHAH
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-II, Ahmedabad

Date : 5-5-1984
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-II,
2ND FLOOR, HANDLOOM HOUSE, ASHRAM ROAD,
AHMEDABAD-380 009.

Ahmedabad, the 11th May 1984

Ref. No. P. R. No. 2822|Acq. 23|II|84-85.—Whereas, I, R. R. SHAH, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25000|- and bearing No. Ward No. 1 Nondh No. 435 paiki situated at Nanpur—Surat. (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Surat on 15-10-1983 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and|or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269-C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following person, namely :—

(1) M|s. D. A. Construction Co.
Gordhan Vado, Nanpura.
Surat.

(Transferor)

(2) Adi Jimasp Dastoor,
Ratna Deep First Floor,
Nanpura,
Surat.

(Tarnsferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

The property is situate at Nanpura Nondh No. 435 paiki. The document is registered at S. R Surat vide No. 8704 Dt: 15-10-1983.

R. R. SHAH
Competent Authority
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-II Ahmedabad

Date : 11-5-1984
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-II, 2ND FLOOR, HANDLOOM HOUSE, ASHRAM ROAD, AHMEDABAD-380 009.

Ahmedabad, the 11th May 1984

Ref. No. P. R. No 2823 Acq.23/II/84-85.—Whereas, I, R. R. SHAH, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs 25,000/- bearing No. S. No. 749 A to D Athwa—Surat (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at Surat on 27-10-1983 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) 1. Nitinbhai Ishwarlal Modi at Athwa Lines Daruwala Bldg. Surat.
2. Ishwarlal Tribhovandas Modi
3. Pankaj Ishwarlal Modi
4. Kusumben Ishwarlal Modi. All at Surat.

(Transferor)

(2) 1. Firoz Homi Patel Ioli Maker Aptt. Kolaba Bombay.
2. Smt. Dil Navaz Firoz Patel Arjun Lal : Chorvashi

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

The property is situated at Athwa S. No. 749 A to D. 2nd Floor. The document is registered at S. R. Surat vide No. 9819 Dt: 27-10-83.

R. R. SHAH
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-II, Ahmedabad

Date : 11-5-1984
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-II, 2ND FLOOR, HANDLOOM HOUSE, ASHRAM ROAD, AHMEDABAD-380 009

Ahmedabad, the 8th May 1984

Ref. No. P. R. No. 2824 Acq 23|II|84-85.—Whereas, I, R. R. SHAH, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax, 1961 (43 of 1961), hereinafter reffered as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000|- and bearing No S. No. 3267 and 3772|90 Sterling Aptt. Gopipura, Surat (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Surat on 29-10-1983 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

66—136 GI|84

(1) Smt. Chandanben Maneklal Shah
1402—Sulsha Aptt.
Bombay-6.
Serling Aptt
3rd Floor.
Bombay-6

(Transferor)

(2) Sudhirkumar Maneklal Shah,
1402 Sulsha Aptt.,
Bombay-6.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter

THE SCHEDULE

The property is situated at Gopipura Sterling Aptt. 3rd Floor. The document is registered at S. R. Surat vide No. 10065 Dt : 29-10-1983.

R. R. SHAH
Competent Authority
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-II, Ahmedabad

Date : 8-5-1984
Seal :

FORM ITNS——

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-II,
2ND FLOOR, HANDLOOM HOUSE, ASHRAM ROAD,
AHMEDABAD-380 009.

Ahmedabad, the 11th May 1984

Ref. No. P. R. No. 2825 Acq.23|II|84-85 – Whereas, I, R. R. SHAH, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000|- and bearing No. Plot No. 96 situated at Shubhash Nagar Co. op. Hsg. Socy. Plot No. 96 Majura—Surat (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Surat in October, 1983 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957),

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Raxaben Dineshbhai Ghiya
V. K. Nilkanth. A. Vyas
Utran Power House Colony,
Utran
Surat.

(Transferor)

(2) 1. Jogindar Ashanand Narang
2. Chranjit Ashanand Narang
V. K. Ashanand Meghaji Narang
Majura Gate, Surat

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

The property is situated at Majura Subhash Nagar Co. op. Hsg. Socy. The document is registered at S. R. Surat vide No. 7878 Dt: October, 1983.

R. R. SHAH
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-II, Ahmedabad

Date : 11-5-1084
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME TAX

ACQUISITION RANGE-II
2ND FLOOR, HANDLOOM HOUSE, ASHRAM ROAD
AHMEDABAD-380 009

Ahmedabad-380 009, the 11th May 1984

Ref. No. P.R. No. 2826 Acq.23|II|84-85.—Whereas, I, R. R. SHAH, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000|- and bearing No. T.P. Scheme No. 51 situated at Athwa Lines Ward No. 13, Final Plot No. 85, Surat (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Surat on 10-10-1983 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and|or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

New, therefore in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Jayantilal B. Naik,
10, Green Park Adarsh Society,
Athwa Lines, Surat.
(Transferor)

(2) Pannaben Upendra Almaula
303, Happy Home Aptt. Near Umara
Jakat Naka, Surat.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

The property is situated at Athwa T.P.S. 5 Ward No. 13 Final Plot No. 85 adm. 600 sq. ft. The document is registered at S.R. Surat vide No. 8440 Dt. 10-10-1983.

R. R. SHAH
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-II
Ahmedabad

Date : 11-5-1984
Seal :

FORM I.T.N.S.———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME TAX ACT 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-II
2ND FLOOR, HANDLOOM HOUSE, ASHRAM ROAD
AHMEDABAD-380 009

Ahmedabad-380 009, the 22nd May 1984

Ref. No. P.R. No. 2827 Acq.23|II|84-85|—Whereas, I, R. R. SHAH,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
R.S. No. 503-1-2-7-8 Plot No. 88 situated at
Sayajiganj, Baroda
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer
at Baroda on 14-10-1983
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons namely:—

(1) Smt. Nirmalaben Chandubhai Sadarangani
2, Shree Krishna Krupa,
Alkapuri, Baroda.

(Transferor)

(2) Shakhi Engineering Pvt. Ltd.
99A Mital Chambers,
Nariman Point, Bombay.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later.

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Flat at Sampatrao Colony, Nilam Aptt., Document for transfer of property regd. with S.R. Baroda under No. 7415 Dt. 14-10-1983.

R. R. SHAH
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-II
Ahmedabad

Date : 22-5-1984
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-II
2ND FLOOR, HANDLOOM HOUSE, ASHRAM ROAD
AHMEDABAD-380 009

Ahmedabad-380 009, the 22nd May 1984

Ref. No. P.R. No. 2828 Acq.23|II|84-85.—Whereas, I, R. R. SHAH, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. R.S. No 915 situated at Gorva, Baroda (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Baroda on 21-10 1983 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act. 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Ramanbhai Shankarbhai Patel & Ors.
8, Shreynagar, Subhanpura,
Baroda.

(Transferor)

(2) M|s. Mitex Rubber Products,
Opp : Electric Loco Shed
Nava Yard, Chhani Road,
Baroda.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Shed at Gorva No. 915 adm. 3830 sq. ft. Document for transfer of property regd. with S.R. Baroda under No. 7562 Dt. 21-10-1983.

R. R. SHAH
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-II
Ahmedabad

Date : 22-5-1984
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-II
2ND FLOOR, HANDLOOM HOUSE, ASHRAM ROAD
AHMEDABAD-380 009

Ahmedabad-380 009, the 22nd May 1984

Ref. No. P.R. No. 2829 Acq.23|II|84-85.—Whereas, I, R. R. SHAH, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing S. No. 218 C.S. No. 89 Plot No. A-32 Karelibag, Baroda (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Baroda on 4-10-1983 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Govindlal Nagindas Bhavsar,
89, Gandhinagar Socy.
Karelibag, Baroda.
(Transferor)

(2) Shri Manilal Devshi Savla,
C|o Bharat Stores
Opp. Kothi Pole,
Raopura, Baroda.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land & Bldg. at Gandhinagar Socy. Baroda Document for transfer of property regd. with S.R. Baroda under No. 5704 Dt. 4-10-1983.

R. R. SHAH
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-II
Ahmedabad

Date : 22-5-1984
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-II
2ND FLLOR, HANDLOOM HOUSE, ASHRAM ROAD
AHMEDABAD-380 009

Ahmedabad-380 009, the 22nd May 1984

Ref. No. P.R. No. 2830 Acq.23|II|84-85.—Whereas, I, R. R. SHAH, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,0000|- and bearing No. Ward No. 6 Nondh No. 1951 situated at Mahirpura Daliya no Moholo, (and more fully described in the Schedule annexted hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Surat on October, 1983 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefore by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Ranchhodbhai Keshavbhai
Mahirpura Daliani Mohalo,
Surat.

(Transferor)

(2) R.T. Aptt. Co. op. Hsg. Socy.
1. Bharatkumar Ratilal Shah
Diwali Bag, Athwa Lines,
Surat.
2. Arvindbhai Dalpatbhai Shah
Neesa Aptt. Gopipura,
Surat.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

The property is situated at Mahirpura Daliyano Mohal Nondh No. 1951 adm. 154 sq. yd. The document is regd. at S.R. Surat vide No. 8712 Oct. 83.

R. R. SHAH
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-II
Ahmedabad

Date : 22-5-1984
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT

COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-II
2ND FLOOR, HANDLOOM HOUSE, ASHRAM ROAD
AHMEDABAD-380 009

Ahmedabad-380 009, the 22nd May 1984

Ref No P.R. No. 2831 Acq.23|II|84-85.—Whereas, I, R. R. SHAH, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Ward No. 2 Nondh No. 1933 Plot No. 2 situated at Sagrampura Surat. (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Surat on 21-10-1983 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent considration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrpment of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and /or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) Arihant Corporation
101, Ridhi Sidhi Aptt.,
Opp : Gujarat Mitra Press,
Soni Falia, Surat.

(Transferor)

(1) Smt. Dhangauriben Shankarlal
C|2, Block No. 32,
Kailashnagar, Sagrampura,
Surat.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

The property is situated at Ward No. 2 Nondh No. 1933 adm. 538 sq. ft. The document is registered at S.R. Surat vide No. 9568 Dt. 21-10-1983.

R. R. SHAH
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-II
Ahmedabad

Date : 22-5-1984
Seal :

FORM ITNS————

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-II
2ND FLOOR, HANDLOOM HOUSE, ASHRAM ROAD
AHMEDABAD-380 009

Ahmedabad-380 009, the 25th May 1984

Ref. No. P.R. No. 2832 Acq.23|II|84 85.—Whereas, I, R. R. SHAH, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000|- and bearing No. R.S. No. 2663 situated at Nadiad (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Nadiad on 13-10-1983 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely:—

(1) 1. Shri Harshadkumar Ratilal Shah,
Punjabi Socy.
Pavan Chhakki Road,
Nadiad.
2. Shri Babubhai J. Bhanushali,
Bapaji Nagar,
Pavan Chhakki Road,
Nadiad.

(Transferor)

(2) Ambuja Park Co. op. Socy. (Proposed)
C|o Shri Harish Ambalal,
331, New Cloth Market,
Ahmedabad.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

THE SCHEDULE

Land at Nadiad R.S. No. 2663 adm. total 222 sq. mtr. Document for transfer of property registered with S.R. Nadiad under No. 3867 Dt. 13-10-1983.

R. R. SHAH
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-II
Ahmedabad

Date : 22-5-1984
Seal :

FORM I.T.N.S.———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-II
2ND FLOOR, HANDLOOM HOUSE, ASHRAM ROAD
AHMEDABAD-380 009

Ahmedabad-380 009, the 25th May 1984

Ref. No. P.R. No. 2833 Acq.23|II|84-85|.—Whereas, I, R. R. SHAH, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000|- and bearing No. R.S. No. 2663 situated at Nadiad (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Nadiad on 13-10-1983 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) 1. Shri Harshadkumar Ratilal Shah,
Punjabi Socy.
Pavan Chakki Road,
Nadiad.
2. Shri Rameshchandra Babubhai Banushali,
Bapaji Nagar,
Pavan Chakki Road,
Nadiad.

(Transferor)

(2) Ambuja Park Co. op. Socy. (Proposed)
C|o Shri Harish Ambalal,
331, New Cloth Market,
Ahmedabad.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land at Nadiad R.S. No. 2663 adm. total 222 sq. mtr. Document for transfer of property registered with S.R. Nadiad under No. 3868 Dt. 13-10-1983

R. R. SHAH
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-II
Ahmedabad

Date: 25-5-1984
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-II
2ND FLLOR, HANDLOOM HOUSE, ASHRAM ROAD
AHMEDABAD-380 009

Ahmedabad-380 009, the 30th May 1984

Ref. No. P.R. No. 2834 Acq.23|II|84-85.—Whereas, I, R. R. SHAH, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000|- and bearing Ward No. Athwa T.P. No. 5 F.P. No. 110 S. No 2191 situated at Athwa in Guru Darshan Aptt. Flat No. 3 (and more fully described in the Schedule annexed hereto), Form No. 37EE has been recd. under signed on 21-10-83 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) T. V. Sangavi on behalf of Sangavi Const.
7, Jagnath Bhuvan V.P. Road.
Mulund Bombay-80.

(Transferor)

(2) Narendra Nandlal Shah
C|o Adarsh Chemicals
Fertilizer Ltd.Udhana,
Surat.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette

EXPLANA

Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

The flat is situated at Athwa Ward in Guru Darshan Aptt. The form No. 37EE has been recd. by undersigned on 21-10-1983.

R. R. SHAH
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-II
Ahmedabad

Date : 30-5-1984
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-II
2ND FLOOR, HANDLOOM HOUSE, ASHRAM ROAD
AHMEDABAD-380 009

Ahmedabad-380 009, the 30th May 1984

Ref. No. P.R. No. 2835 Acq.23|II|84 85.—Whereas, I, R. R. SHAH, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000|- and bearing No. Ward No. 4 Tika No. 3|1 House No. 1071, 1072 & 1073 Navsari Joshi Mohlo Navsari (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of Registering Officer at Navsari on 19-10-1983 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Mangubhai Rambhai Patel
Through his P.A. Holder
Kamlesh Mangubhai Patel at
Rambai Mata Pole, Navsari.

(Transferor)

(2) 1. Jayantilal Jivanlal Prajapati
Katra of HUF Jayantilal Jivanlal Prajapati
2. Smt. Vinaben. J. Prajapati
3. Yoveshkumar. J. Prajapati
4. Smt. Reshmaben Y. Prajapati
5. Umakant J. Prajapati
6. Dipakkumar J. Prajapati
at Krishna Socy. Harihar Nivas,
Near Fuvara, Navsari.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

The property is situated at Navsari Ward No. 4 Tika No. 3|1. House No. 1071, 1072 & 1073. The document is regd. at S.R. Navsari vide No. 3582 Dt. 19-10-1983.

R. R. SHAH
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-II
Ahmedabad

Date : 30-5-1984
Seal :

FORM ITNS——

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-II
2ND FLOOR, HANDLOOM HOUSE, ASHRAM ROAD
AHMEDABAD-380 009

Ahmedabad-380 009, the 30th May 1984

Ref. No. P.R. No. 2836 Acq.23/II/84-85.—Whereas, I, R. R. SHAH, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said' Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. S No. 96 situated at Fulpada, Surat (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the offiffice of the Registering Officer at Surat on 10-10-1983 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore in pursuance of Section 269C of the said Act, I herey initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) 1. Chandrakant Chhotalal Bhatt
Navapura Bhatni Pith
2. Janesh Govindram Bhatt
Amli ram Makubhai munsaf ni sheri
Vagheshwari Mata's Pole,
Surat.

(Transferor)

(2) Urmi Co. op. Hsg. Socy.
President :—
Prataprai Ratilal Oza,
Begampura, Choki Sheri,
Surat.
Secretary :—
Jayantilal Tribhovandas
Guru Nagar, Varachha Road,
Surat.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

The land situated at Fulpada S. No. 96. The document is registered at S.R. Surat vide No. 8349 Dt. 10-10-1983.

R. R. SHAH,
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-II
Ahmedabad

Date : 30-5-1984
Seal :

FORM ITNS————

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-II
2ND FLOOR, HANDLOOM HOUSE, ASHRAM ROAD
AHMEDABAD-380 009

Ahmedabad-380 009, the 4th June 1984

Ref. No. P.R. No. 2837 Acq. 23|II|84-85.—Whereas, I, R. R. SHAH, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. T.P.S. 2 F.P. 362 situated at Subhanpura (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under Form No. 37EE registered in in the office of the undersigned Ahmedabad on 18-3-1983 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269C of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) 1. Shri Vidyasagar Maraj
2. Pandit Ishverlal Sharma
C|o Ravidar Kumar Maraj
14, Radhe Niwas,
36th Road, Bandra (W)
Bombay-400 050.

(Transferor)

(2) Smt. Shantaben Chhotabhai Patel,
11, Tanna Apartment,
Race Course Road, Baroda.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned.

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Flat at No. 11 of Tana Apartment, Baroda Document for transfer of property (Sale agreement) 37EE received in the office of the undersigned on 18-8-83.

R. R. SHAH
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-II
Ahmedabad

Date : 4-6-1984
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-II, BOMBAY

Bombay, the 25th May 1984

Ref. No. AR. II/37EE/3607/83-84.—Whereas I, S. H. ABBAS ABIDI,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
Flat No. 8, 3rd floor, Sweet Home Co-op. Housing Society, Plot No.442, Pitamber Lane, Mahim, Bombay-36
(and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred and the agreement is registered under Section 269AB of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) in the office of the Competent Authority at
Bombay on 5-10-1983
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Smt. Bina Mohan Narwani. (Transferor)

(2) Naraindas Kanayalal Mehta. (Transferee)

(3) Transferee. (Person in occupation of the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Flat No. 8, 3rd floor, Sweet Home Co-operative Housing Society Ltd., Plot No. 442, Pitamber Lane, Flat No. 8 Mahim, Bombay 400 016.

The agreement has been registered by the Competent Authority, Bombay under Serial No. AR. II/37EE/3607/83-84 dated 5-10-1983.

S. H. ABBAS ABIDI
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-II Bombay

Date : 25-5-1984
Seal :

FORM ITNS——

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-II, BOMBAY

Bombay, the 26th May 1984

Ref. No. AR. II|37FE|3644|83-84.—Whereas, I, S. H., ABBAS ABIDI,
being the Competent Authority under Section 269B of the Incomee-tax Act, 1961 (43 of 1961) hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
Shop No. B4 Shalimar Apartments at Tagore Road & ST Road, Santacruz (West), Bombay 400 054
(and more fully described in the schedule annexed hereto), has been transferred,
and the agreement is registered under Section 269AB of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) in the office of the Competent Authority at
Bombay on 17-10-1983
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) M/s. Veenus Development Corporation. (Transferor)

(2) Shri Dhirajlal Kunverji Chheda. (Transferee)

(3) Transferor. (Person in occupation of the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Shop No. B-4, Shalimar Apartments on plot No. 2-A, 2-B, 2-D of TPS No. 11 C.S. No. 6/40 H, H. 46 & H. 48 at Tagore Road and S.T. Road, Santacruz (West), Bombay-400 054.
The agreement has been registered by the Competent Authority, Bombay under Serial No. AR. II/37EE/3644/83-84 dated 17-10-1983.

S. H. ABBAS ABIDI
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-II Bombay

Date : 26-5-1984
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-II, BOMBAY

Bombay, the 25th May 1984

Ref. No AR.II/37EE/3543/83-84.—Whereas I, S. H. ABBAS ABIDI,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000|- and bearing No.
Flat No. 101, 1st floor, 'EXOTIQUE' Building, Plot No. 515, 516, 17th Road, Khar, Bombay
(and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred
and the agreement is registered under Section 269AB of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) in the office of the Competent Authority at
Bombay on 3-10-1983
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) M/s. Yasmin Corporation. (Transferor)

(2) Dal Vasu Hiranandani. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Flat No. 101, 1st floor, 'EXOTIQUE' Building, Plot No. 515, 516, 17th Road, Khar, Bombay.

The agreement has been registered by the Competent Authority, Bombay under Serial No. AR. II/37EE/3543/83-84 dated 3-10-1983.

S. H. ABBAS ABIDI
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-II Bombay

Date : 25-5-1984
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-II, BOMBAY

Bombay, the 26th May 1984

Ref. No. AR. II/37EE/3589/83-84.—Whereas, I, S. H. ABBAS ABIDI, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing Block No. 1, Mahim Co-operative Housing Society Ltd., Mogul Lane, Mahim, Bombay 400 016. (and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred and the agreement is registered under Section 269AB of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) in the office of the Competent Authority at Bombay on 5-10-1983 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Mr. Satchitanand Nagesh Nadkarni. (Transferor)

(2) Mr. Nagesh Narain Kini & Mrs. Kitty Nagesh Kini. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Block No. 1 Mahim Co-operative Housing Society Ltd., Mogul Lane, Mahim, Bombay-400 016.

The agreement has been registered by the Competent Authority, Bombay under Serial No. AR. II/37EE/3589/83-84 dated 5-10-1983.

S. H. ABBAS ABIDI
Competent Authority
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-II Bombay

Date : 26-5-1984
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-II, BOMBAY

Bombay, the 26th May 1984

Ref. No. AR. II/37EE/3637/83-84.—Whereas I, S. H. ABBAS ABIDI,
being the competent authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe
that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000|- and bearing No.
Flat No. 601-B, 6th floor, 'Kalpana Apartments B', Sherly Rajan Road, Bandra, Bombay-50
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred
and the agreement is registered under Section 269AB of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) in the office of the Competent Authority at
Bombay on 17-10-1983
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) M/s. Navbharat Dev. Corporation. (Transferor)

(2) Mis Meenabai G. Saney. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter

THE SCHEDULE

Flat No. 601-B, 6th floor, 'Kalpana Apts. 'B', Sherly Rajan Road, Bandra,Bombay 400 050.

The agreement has been registered by the Competent Authority, Bombay under Serial No. AR. II/37EE/3637/83-84 dated 17-10-1983.

S. H. ABBAS ABIDI
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-II Bombay

Date : 26-5-1984
Seal :

FORM ITNS——

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-II, BOMBAY

Bombay, the 25th May 1984

Ref. No. AR. II/37EE/3579/83-84.—Whereas I, S. H. ABBAS ABIDI,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
Shop No. 2, Ground floor, Vrindavan Building, Plot No. 16E, Tagore Road, Santacruz (West), Bombay 400 054
(and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred
and the agreement is registered under Section 269AB of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) in the office of the Competent Authority at
Bombay on 5-10-1983
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) M/s. Parekh Brothers.

(Transferor)

(2) Dr. Rohinton B. Panthaky.

(Transferee)

(3) Transferor & Tranferee.

(Person whom the undersigned knows to be interested in the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Shop No. 2, Ground floor, Vrindavan Bldg., Plot No. 16E, Tagore Road, Santacruz (West), Bombay-54.

The agreement has been registered by the Competent Authority, Bombay under Serial No. AR. II/37EE/3579/83-84 dated 5-10-1983.

S. H. ABBAS ABIDI
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-II Bombay

Date : 29-5-1984
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-II, BOMBAY

Bombay, the 25th May 1984

Ref. No. AR. II/37EE/3729/83-84.—Whereas I, S. H. ABBAS ABIDI, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property hanivg a fair market value exceeding Rs. 25,000|- and bearing Flat No. 307, Manju Mahal, B-Block, Chetak Co-operative Housing Society Ltd. 35 Pali Hill Road, Bandra, Bombay-50 (and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred and the agreement is registered under Section 269AB of the Income-tax Act, 1961, |(43 of 1961) in the Office of the Competent Authority at Bombay on 14-11-1983 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and|or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Smt. Rukmani T. Advani. (Transferor)

(2) Shri Harmohan Singh S. Gadh. (Transferee)

(3) Transferor. (Person in occupation of the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Flat No. 307, Manju Mahal, B-Block, Chetak Co-operative Housing Society Ltd., 35 Pali Hill Road, Bandra, Bombay-400 050.

The agreement has been registered by the Competent Authority, Bombay under Serial No. AR. II/37EE/3729/83-84 dated 14-11-1983.

S. H. ABBAS ABIDI
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-II Bombay

Date : 25-5-1984
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX ACQUISITION RANGE-II, BOMBAY

Bombay, the 26th May 1984

Ref. No. AR. II/37EE/3577/83-84.—Whereas I, S. H. ABBAS ABIDI,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000|- and bearing No.
Flat No. 1 at Navnit Building, 10-A Phirozshan Road, Santacruz (West), Bombay-400 054
(and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred and the agreement is registered under Section 269AB of the Income-tax Act, 1961, (43 of 1961) in the Office of the Competent Authority at Bombay on 5-10-1983
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Mr. Ramnarain B. Joshi,
Mrs. Indira R. Joshi,
Master Rakesh R. Joshi and
Master Rupesh R. Joshi.

(Transferor)

(2) Mr. Parasmal M. Hingad and
Mr. Mulchand M. Hingad.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Flat No. 1, at Navnit Building, 10-A Phirozshah Road, Santacruz (West), Bombay 400 054.

The agreement has been registered by the Competent Authority, Bombay under Serial No. AR. II/37EE/3577/83-84 dated 5-10-1983.

S. H. ABBAS ABIDI
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-II Bombay

Date : 26-5-1984
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-II, BOMBAY

Bombay, the 2nd June 1984

Ref. No. AR. II/37EE/3617/83-84.—Whereas I, S. H. ABBAS ABIDI,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
Flat No. 303, F.P. No. 147, T.P.S. No. V, Vile Parle (E) Malaviya Road, Vile Parle (E) Bombay-57
(and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred
and the agreement is registered under Section 269AB of the Income-tax Act, 1961, in the Office of the Competent Authority at Bombay on 17-10-1983
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) M/s. Jayshree Builders.
(Transferor)

(2) Mrs. Ranji Dilip Shiveshwarkar.
Mr. Dilip Swarkanath Shiveshwarkar.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Flat No. 303, F.P. No. 147, T.P.S. No. V, Vile Parle (E) Malaviya Road, Vile Parle (E) Bombay-57.
The agreement has been registered by the Competent Authority, Bombay under Serial No. AR. II/37EE/3617/83-84 dated 17-10-1983.

S. H. ABBAS ABIDI
Competent Authority
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-II Bombay

Date : 2-6-1984
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-II, BOMBAY

Bombay, the 25th May 1984

Ref. No. AR. II/37EE/3620/83-84.—Whereas I, S. H. ABBAS ABIDI,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000|- and bearing
Flat No. 6, Gym-View Co-operative Housing Society Ltd., 16th Road, Khar, Bombay-400 052.
(and more fully described in the schedule annexed hereto), has been transferred and the agreement is Registered under Section 269AB of the Income-tax Act 1961 in the office of the Competent Authority at
Bombay on 17-10-1983
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);;

Now, therefore in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely;—

(1) Shri Dattaram A. Saroff.

(Transferor)

(2) Smt. Kishindevi S. Sachdev.
Shri Mukesh Sangtram Sachdev.

(Transferee)

(3) Transferee.

(Person in occupation of the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Flat No. 6, Gym-View Co-operative Housing Society Ltd., 16th Road, Khar, Bombay-400 052.

The agreement has been registered by the Competent Authority, Bombay under Serial No. AR. II/37EE/3620/83-84 dated 17-10-1983.

S. H. ABBAS ABIDI
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-II Bombay

Date : 25-5-1984
Seal :

FORM ITNS——

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-II, BOMBAY

Bombay, the 4th June 1984

Ref. No. AR. II/37EE/3555/83-84.—Whereas I, S. H. ABBAS ABIDI, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs 25,000|- and bearing No. Flat No. 202, 2nd floor, 'Sameer' Building, 180 Perry Road Bandra Bombay-50 (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred and the agreement is registered under Section 269AB of the Income-tax Act, 1961 in the Office of the Competent Authority at Bombay on 3-10-1983 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer, and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) M/s. Suhail Constructions. (Transferor)

(2) Mr. Winfred Ferrao (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 15 days from the date of publication of the notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of the notice in the Official Gazette

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Flat No 202, 2nd floor 'Sameer Building' 180 Perry Road, Bandra, Bombay-50.

The agreement has been registered by the Competent Authority, Bombay under Serial No AR II|37EE|3555/83-84 dated 3-10-1983

S. H. ABBAS ABIDI
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-II Bombay

Date : 4-6-1984
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-I, BOMBAY

Bombay, the 11th June 1984

Ref. No. ARI|37EE|1233|83-84.—Whereas, I, B. G. AGARWAL,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000|- and bearing No.
Flat No. 13, 2nd floor, 'Shirin' Daulat-Shirin Co-operative Housing Society Ltd., 31-D, Colaba Road, Bombay-400 005
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred
and the agreement is registered under Section 269AB of the Income-tax Act, 1961 in the Office of the Competent Authority at Bombay on 29-10-1983
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transferor, and|or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act to following persons, namely —

(1) Mr. Robert Fernandes
Mrs Phyllis Fernandes (Transferor)

(2) Mrs. Darshana S Kirpalani (Transferee)

(3) Transferee (Person in occupation of the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION.—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter

THE SCHEDULE

Flat No. 13, 2nd floor, 'Shirin' Daulat-Shirin Cooperative Housing Society Ltd, 31-D, Colaba Road, Bombay-400 005.

The agreement has been registered by the Competent Authority Bombay under Serial No. AR-I|1307|83-84 dated 29-10-83

B. G. AGARWAL
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-I, Bombay

Date : 11-6-1984
Seal :

FORM ITNS————

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-I
BOMBAY

Bombay, the 11th June 1984

Ref. No. AR.-I|37EE|1124|83-84.—Whereas, I, B. G. AGARWAL, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing Flat No. 902, 9th floor, 'Shri Ramakrishna Sadan' Plot No. 63, Scheme No. 52, Off Worli Hill, Near Pochkhanwala Road, Worli, Bombay-18, (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred and the agreement is registered under Section 269AB of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) in the office of the Competent Authority at Bombay on 5-10-1983 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Weath-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shree Laxmi Construction Co. (Transferor)

(2) Shri Sunil Daulatram Chhabria (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Flat No. 902, 9th floor, 'Shri Ramakrishna Sadan' plot No. 63, Scheme No. 52, Off Worli Hill, Near Pochkhanwala Road, Worli, Bombay-18.

The Agreement has been rgistered by the Competent Authority, Bombay under Serial No. AR-I|1241|83-84 dated 5-10-1983

B. G. AGARWAL
Competent Authority
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-I
Bombay.

Date : 8-5-1984.
Seal :

FORM ITNS——

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-I
BOMBAY

Bombay, the 12th June 1984

Ref. No. AR-I|37EE|951|83-84.—Whereas, I, B. G. AGARWAL, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000|- and bearing No. Gala No 206, 2nd floor, Regal Udyog Bhavan, Sewree (E) Bombay-15, (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred and the agreement is registered under Section 269AB of the Income-tax Act, 1961, in the Office of the Competent Authority at Bombay on 6-10-1983 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transferor, and|or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Yahya Abbas Fidvi, Prop. of Print Shop (Transferor)

(2) M|s Goenka Enterprises (Transferee)

(3) Transferor (Person in occupation of the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Gala No 206, 2nd floor, Regal Udyog Bhavan, Sewree (E) Bombay-400 015

The Agreement has been registered by the Competent Authority, Bombay under Serial No. AR-I|934|83-84 dated 6-10-1983

B. G. AGARWAL
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range I
Bombay

Date : 12-6-1984
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME TAX,
ACQUISITION RANGE-I
BOMBAY

Bombay, the 8th June 1984

Ref. No. AR.I|37EE|83-84.—Whereas, I, B. G. AGARWAL,
being the competent authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000|- and bearing
Shop No. B-16, Sarvodaya Nagar Co.-op. Hsg. Soc. Ltd., 1st Panjrapole Lane, Bombay-400 004.
(and more fully described in the schedule annexed hereto)
has been transferred
and the agreement is registered under Section 269AB of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) in the office of the Competent Authority
at Bombay on 29-10-1983
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen percent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Champaklal Chimanlal Shah (Transferor)

(2) 1. Mahendra Damji Shah.
2. Mukesh Damji Shah. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter

THE SCHEDULE

Shop No. B-16, Sarvodaya Nagar Co-op. Hsg. Soc. Ltd., 1st Panjrapole Lane, Bombay-400 004.
The Agreement has been registered by the Competent Authority, Bombay under Serial No. AR-I 1301|83-84 dated 29-10-1983.

B. G. AGARWAL
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-I
Bombay.

Date : 8-6-1984.
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-I
BOMBAY

Bombay, the 8th June 1984

Ref. No. AR.-I|37EE|1085|83-84.—Whereas, I, B. G. AGARWAL, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs 25,000|- and bearing Unit No. 248, 2nd floor in Kewal Industrial Estate, 'B' Building Senapati Bapat Marg, Bombay-400 013. (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred and the agreement is registered under section 269AB of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) in the office of the Competent Authority at Bombay on 3-10-1983 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, the following persons, namely :—

(1) M|s. Shantilal & Bhansali (Transferor)

(2) M|s. Jayant Textiles
Partner Mr. Rashmikant H. Shah. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :— The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter

THE SCHEDULE

Unit No. 248, 2nd floor, in Kewal Industrial Estate 'B' Building, Senapati Bapat Marg, Bombay-400 013.

The Agreement has been registered by the Competent Authority, Bombay under Serial No. AR.I|1042|83-84 dated 3-10-1983.

B. G. AGARWAL
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-I
Bombay.

Date : 8-6-1984
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-I
BOMBAY

Bombay, the 12th June 1984

Ref. No. AR-I|37EE|1069|83-84.—Whereas, I,
B. G. AGARWAL,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding
Rs. 25,000|- and bearing
Unit No. 15 on the ground flor, 'Creative Industrial Centre' Plot No. 12, C. S. No. 72 pf N. M. Joshi Marg, Off Lower Parel, Bombay.
(and more fully described in the Schedule annexed hereto)
has been transferred
and the agreement is registered under Section 269AB of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) in the office of the Competent Authority
at Bombay on 3-10-1983
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value o fhte property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) M|s. R. R. Industries
(Transferor)

(2) M|s. Navrang Leathers Pvt. Ltd.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Unit No. 15, Ground floor, 'Creative Industrial Centre' plot No. 12, N. M. Joshi Marg, Off Lower Parel, Bombay.
The Agreement has been registered by the Competent Authority, Bombay under Serial No. AR.-I|1066|83-84 dated 3-10-1983.

B. G. AGARWAL
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-I
Bombay.

Date : 12-6-1984.
Seal :

FORM ITNS——

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-I
BOMBAY

Bombay, the 12th June 1984

Ref. No. AR-I|37EE|1007|83-84.—Whereas, I, B. G. AGARWAL, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000|- and bearing Flat No. 131, 13th floor and Garage No. 30 in the basement, 'Pushpak Apartments', 31, Altamount Road, Bombay-26. (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred and the agreement is registered under Section 269AB of the Income-tax Act, 1961, (43 of 1961) in the Office of the Competent Authority at Bombay on 10-10-1983 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consderation and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and /or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Smt. Vijaya Harakchand Desai (Transferor)

(2) Smt. Pushpa Dinesh Sheth. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Flat No. 131, 13th floor and Garage No. 30 in the basement, 'Pushpak Apartments', 31, Altamount Road, Bombay-400 026.

The Agreement has been registered by the Competent Authority, Bombay under serial No. AR-I|943|83-84 dated 10-10-1983.

B. G. AGARWAL
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-I
Bombay.

Date : 12-6-1984.
Seal :

FORM ITNS——

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-I
BOMBAY

Bombay, the 12th June 1984

Ref. No. AR.II|37EE|1149|83-84.—Whereas, I,
B. G. AGARWAL,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
Room No. 207, 2nd floor, Himalaya House, 78 Palton Road, Bombay-400 001.
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred and the agreement is registered under and the agreement is registered under Section 269AB of the Income-tax Act,1961 (43 of 1961) in the office of the Competent Authority
at Bombay on 14-10-1983.
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) Smt. Haribai Vishindas Gokiani

(Transferor)

(2) Shri Niranjan Singh Ajwani
(3) Transferor.

(Transferee)
(Person in occupation of the proprty)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Room No. 207, 2nd floor, Himalaya House, 79, Palton Road, Bombay-400 001.

The Agreement has been registered by the Competent Authority, Bombay under Serial No. AR-I|1082|83-84 dated 14-10-1983

B. G. AGARWAI
Competent Authorit
Inspecting Assistant Commissior
of Income-t
Acquisition Rar
Bor

Date : 12-6-1984.
Seal

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX, ACT 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE-I
BOMBAY

Bombay, the 11th June 1984

Ref. No. AR-I|37FF|1234|83-84 —Whereas, I,
B. G. AGARWAL,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding
Rs. 25,000|- and bearing
No. Unit No. 27, Ground floor, Hind Rajasthan Industrial Estate, Wadala Udyog Bhavan, Naigaum Cross Road, Wadala, Bombay-31
(and more fully described in the schedule annexed hereto), has been transferred and the agreement is registered under Section 269AB of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) in the office of the Competent Authority at
Bombay on 10-10-1983
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer and|or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269-C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Narayan Sadhashiv Naidgaonkar
(Transferor)

(2) Yusuf Nensey
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Unit No. 27, Ground floor, Hind Rajasthan Industrial Estate, Wadala Udyog Bhavan, Naigaum Cross Road, Wadala, Bombay-31.

The Agreement has been registered by the Competent Authority, Bombay under Serial No. AR-I|938|83-84 dated 10-10-1983.

B. G. AGARWAL
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-I, Bombay

Date : 11-6-1984
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX ACQUISITION RANGE-I BOMBAY

Bombay, the 11th June 1984

Ref. No. AR-I|37EE|83-84.—Whereas, I, B. G. AGARWAL, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000|- and bearing No. Flat No. 67, A-1, Co-op. Housing Society Ltd., 270, Walkeshwar Road, Bombay-400 006 (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred and the agreement is registered under Section 269AB of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) in the office of the Competent Authority at Bombay on 1-10-1983 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Mr. Khusaldas Chunilal Dani (Transferor)

(2) 1. Mrs. Bhagwatidevi Sharma
2. Mr. Shrikrishna Kanahiyalal Sharma
3. Mr. Rajendra Shrikrishna Sharma
4. Mr Ashok Shrikrishna Sharma
(Transferee)

(3) Transferor
(Person in occupation of the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette of a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter

THE SCHEDULE

Flat No. 67, 6th floor, A-1 Co-op. Housing Socy. Ltd., 270, Walkeshwar Road, Bombay-400 006.

The Agreement has been registered by the Competent Authority, Bombay under Serial No. AR-I|861|83-84 dated 1 10-1983.

B. G. AGARWAL
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-I, Bombay

Date . 11-6-1984
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-I
BOMBAY.

Bombay, the 11th June 1984

Ref. No. AR-I|37EE|1117|83-84.—Whereas, I, B. G. AGARWAL, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000|- and bearing No.

Flat No. 63, 6th floor, Vallabh, 87, Bhulabhai Desai Road, Bombay-400 036. V K. Natha Co-op. Housing Soc Ltd.
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred
and the agreement is registered under Section 269AB of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) in the office of the Competent Authority
at Bombay on 13-10-1983
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Dr. (Mr) Lal D Jagtiani
Dr. (Mrs) Sushila L Jagtiani
(Transferor)

(2) Mrs. Neelam Moti Gulrajani
Mr. Anil Moti Gulrajani
Miss. Anjula Moti Gulrajani
(Transferee)

(3) Mr. Anil M Gulrajani
(Person in occupation of the property)

(4) Mrs. Neelam Moti Gulrajani
Miss. Anjula Moti Gulrajani
(Person whom the undersigned to be interested in the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Flat No. 63, 6th floor, Vallabh, V. K. Natha Co-op. Housing Soc. Ltd., 87, Bhulabhai Desai Road, Bombay-400 036.

The Agreement has been registered by the Competent Authority, Bombay under Serial No. AR.I|1134|83-84 dated 13-10-1983.

B. G. AGARWAL
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-I, Bombay

Date : 11-6-1984
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-I
BOMBAY

Bombay, the 11th June 1984

Ref. No. AR-I|37EE|83-84.—Whereas, I,
B. G. AGARWAL,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000|- and bearing
No. Unit No. 323, 3rd floor, T. V. Industrial Estate, Plot No. 248(A) Sudam Kalu Ahere Marg, Worli Scheme-52, Bombay-18
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred
and the agreement is registered under Section 269AB of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) in the office of the Competent Authority
at Bombay on 14-10-1983
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Mr. M. V. Patel HUF (Transferor)

(2) 1. Capt. P. S. Sukhi...
2. Capt. M. B. Aigaonkar (Transferee)

(3) Transferees (Person in occupation of the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this Notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Unit No. 323, 3rd floor, T. V. Industrial Estate, Plot No. 248(A) Sudam Kalu Ahere Marg, Worli Scheme-52, Bombay-18.

The Agreement has been registered by the Competent Authority, Bombay under Serial No. AR-I|1102|83-84 dated 14-10-1983.

B. G. AGARWAL
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-I, Bombay

Date : 11-6-1984
Seal :

FORM ITNS————

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-IV, CALCUTTA

Calcutta the 21st May 1984

Ref. No. AC-6|R-IV|CAL|84-85.—Whereas, I, SANKAR K. BANERJEE, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000|- and bearing No. more situated at Jalpaiguri (and more fully described in the schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Calcutta on 11-10-83 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

(1) M|s. Tata Tea Ltd.
1, Bishop Lefroy Road
Calcutta 700 020

(Transferor)

(2) M|s. Tea King (India) Ltd.
67A, Ballygunge Circular Road
Calcutta 700 019.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days, from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land : 1514.10 acres land with building etc.
Address : Kumlai Tea Estate, Jalpaiguri.
Deed No. : 10647 of 1983.

SANKAR K. BANERJEE
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-IV, Calcutta

Date : 21-5-1984
Seal :

UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION

NOTICE

NATIONAL DEFENCE ACADEMY EXAMINATION DECEMBER 1984

New Delhi, the 7th July, 1984

No. F.7/2/84-EI(B).—An Examination will be held by the Union Public Service Commission commencing on 27th December, 1984 for admission to the Army, Navy and Air Force Wings of the NDA for the 74th Course commencing from July 1985.

The approximate number of vacancies to be filled on the results of this examination will be 300 (195 for the Army, 39 for Navy and 66 for the Air Force).

N.B.—A candidate is required to specify clearly in Col. 7 of the Application Form the Services for which he wishes to be considered in the order of his preference. He is also advised to indicate as many preferences as he wishes to, so that having regard to his rank in the order of merit due consideration can be given to his preferences when making appointments.

Candidates should note that they will be considered for appointment to those services only for which they express their preferences and for no other service(s). No request for addition/alteration in the preferences already indicated by a candidate in his application will be entertained by the Commission.

Admission to the above course will be made on the results of the written examination to be conducted by the Commission followed by intelligence and personality test by a Services Selection Board of candidates who qualify in the written examination. The details regarding the (a) scheme and syllabus of the examination, (b) physical standards for admission to the Academy and (c) brief particulars of the service etc., for candidates joining the National Defence Academy are given in Appendices I, II and III respectively.

NOTE—THE PAPERS IN ALL THE SUBJECTS OF THE EXAMINATION WILL CONSIST OF OBJECTIVE TYPE QUESTIONS ONLY. FOR DETAILS INCLUDING SAMPLE QUESTIONS, PLEASE SEE CANDIDATES INFORMATION MANUAL AT APPENDIX V.

2. *CENTRES OF EXAMINATION* :—Agartala, Ahmedabad, Aizawl, Allahabad, Bangalore, Bhopal, Bombay, Calcutta, Chandigarh, Cochin, Cuttack, Delhi, Dispur (Gauhati) Hyderabad, Imphal, Itanagar, Jaipur, Jammu, Jorhat, Kohima, Lucknow, Madras, Nagpur, Panaji (Goa), Patna, Port Blair, Raipur, Shillong, Srinagar, Tirupati, Trivandrum, Udaipur and Vishakhapatnam.

THE CENTRES AND THE DATES OF HOLDING THE EXAMINATION AS MENTIONED ABOVE ARE LIABLE TO BE CHANGED AT THE DISCRETION OF THE COMMISSION. WHILE EVERY EFFORT WILL BE MADE TO ALLOT THE CANDIDATES TO THE CENTRE OF THEIR CHOICE FOR EXAMINATION, THE COMMISSION MAY AT THEIR DISCRETION, ALLOT A DIFFERENT CENTRE TO A CANDIDATE WHEN CIRCUMSTANCES SO WARRANT. CANDIDATES ADMITTED TO THE EXAMINATION WILL BE INFORMED OF THE TIME TABLE AND PLACE OR PLACES OF EXAMINATION (See para 11 below).

Candidates should note that no request for change of centre will normally be granted. When a candidate, however, desires a change in centre, from the one he had indicated in his application form for the Examination, he must send a letter addressed to the Secretary, Union Public Service Commission by registered post, giving full justification as to why he desires a change in centre. Such requests will be considered on merits but requests received after 27th November, 1984, will not be entertained under any circumstances.

3. *CONDITIONS OF ELIGIBILITY* :—

(a) *Nationality* :—A candidate must be either :—

(i) a citizen of India, or

(ii) a subject of Bhutan, or

(iii) a subject of Nepal, or

(iv) a Tibetan refugee who came over to India before the 1st January, 1962 with the intention of permanently settling in India, or

(v) a person of Indian origin who has migrated from Pakistan, Burma, Sri Lanka, the East African countries of Kenya, Uganda, United Republic of Tanzania (formerly Tanganyika and Zanzibar), Zambia, Malawi, Zaire and Ethiopia and Vietnam with the intention of permanently settling in India.

Provided that a candidate belonging to categories (iii), (iv) and (v) above shall be a person in whose favour a certificate of eligibility has been issued by the Government of India.

Certificate of eligibility will not, however, be necessary in the case of candidates who are Gorkha subjects of Nepal.

(b) *Age limits, sex and marital status* :—Unmarried male candidates born not earlier than 2nd January, 1967 and not later than 1st July, 1969 are only eligible.

NOTE :—Date of birth as recorded in Matriculation/Higher Secondary or equivalent examination certificate will only be accepted.

(c) *Educational Qualifications* :— Higher Secondary Examination of a State Education Board or of a recognised University or equivalent. Candidates who have passed the 11th class examination under the 10+2 Pattern of School Education are also eligible.

Candidates who have yet to pass the Higher Secondary or equivalent examination of the 11th class examination under the 10+2 Pattern of School education can also apply.

Candidates who qualify in the SSB interview will be required to submit Matriculation and/or Higher Secondary or equivalent certificates in original to Army HQ Rtg 6(SP) (a), West Block III, R. K. Puram, New Delhi-110022 by 5th July, 1985 failing which their candidature will be cancelled. Certificates in original issued by the Principals of the institutions are also acceptable in cases where Boards/Universities have not yet issued certificates. Certified true copies/photostat copies of such certificates will not be accepted.

In exceptional cases the Commission may treat a candidate, who does not possess any of the qualifications prescribed in this rule as educationally qualified provided that he possesses qualifications the standard of which in the opinion of the Commission justifies his admission to the examination.

NOTE 1.—Those candidates who have yet to qualify in the Higher Secondary or equivalent examination and are allowed to appear in the UPSC Examination should note that this is only a special concession given to them. They are required to submit the proof of passing the Higher Secondary or equivalent examination by the prescribed date and no request for extending the date will be entertained on the grounds of late conduct of Board/University Examination, delay in declaration of result or any other ground whatsoever.

NOTE 2.—Candidates who are debarred by the Ministry of Defence from holding any type of commission in the Defence services shall not be eligible for admission to the examination and if admitted, their candidature will be cancelled.

4. *FEE TO BE PAID WITH THE APPLICATION*.—Rs. 28/- (Rupees twenty eight) [Rs. 7/- (Rupees seven) for Scheduled Castes/Scheduled Tribes candidates]. Applications not accompanied by the prescribed fee will be summarily rejected.

5. *REMISSION OF FEE*.—(1) The Commission may, at their discretion, remit the prescribed fee where they are satisfied that the applicant is a *bona fide* displaced person from erstwhile East Pakistan (now Bangladesh) and had migrated to India during the period between 1-1-1964 and 25-3-1971 or is a *bona fide* displaced person from erstwhile West Pakistan and had migrated to India during the period between 1st January, 1971 and 31st March, 1973, or is a *bona fide* repatriate of Indian origin from Burma who migrated to India on or after 1-6-1963 or is a *bona fide* repatriate of Indian origin from Sri Lanka who migrated to India on or after 1-11-1964 or is a prospective repatriate of Indian origin from Sri Lanka under the Indo-Ceylon Agreement of October, 1964, and is not in a position to pay the prescribed fee.

(2) The children of Junior Commissioned Officers, Non-Commissioned Officers and other ranks of the Army and equivalent ranks in the Indian Navy and the Indian Air Force and children of Ex-Junior Commissioned Officers, Ex-Non Commissioned Officers and Ex-other ranks of the Army and equivalent ranks in the Indian Navy and Indian Air Force are not required to pay the prescribed fee if they satisfy the following conditions, viz.

(i) they are studying in the Military School (formerly known as King George's School)/Sainik Schools run by the Sainik Schools Society, and

(ii) their applications are forwarded by the Principal of the concerned School, with the recommendation that they are expected to secure at least 30 per cent of the aggregate marks of the written papers.

NOTE :—Applications of candidates from the Military Schools/Sainik Schools forwarded by the Principals of the concerned schools will be scrutinised in the Commission's Office to determine whether such candidates are entitled to remission of fee in terms of para 5(2) of the Notice above. The Principals of the Military Schools/Sainik Schools should however, satisfy themselves that student of their schools fulfil the requirements of the aforesaid provision of the Notice before forwarding their applications to the Commission. The Commission will not take any responsibility for any acts of omission or commission committed by the Principals.

6 *HOW TO APPLY* :—Only printed applications on the form prescribed for the National Defence Academy Examination, December, 1984 appended to the Notice will be entertained. Completed applications should be sent to the Secretary, Union Public Service Commission, Dholpur House, New Delhi-110011. Application forms and full particulars of the examination can be had from the following sources :—

(i) By Post from Secretary, Union Public Service Commission, Dholpur House, New Delhi-110011 by remitting Rs. 2/- by Money Order or by crossed Indian Postal Order payable to Secretary, UPSC at New Delhi GPO.

(ii) On cash payment of Rs. 2/- at the counter in the Commission's Office.

(iii) Free of charge from nearest Recruiting Office, Military Area/Sub-Area Headquarters/Airmen's Selection Centres, N.C.C. Units, and Naval Establishments.

The application form and the acknowledgement card must be completed in the candidate's own handwriting in ink or with ball point pen. All entries/answers should be in words and not by dashes or dots. An application which is incomplete or is wrongly filled in, will be rejected.

Candidates should note that only International form of Indian numerals are to be used while filling up the application form (e.g. 1, 2, 3, etc.). Even if the date of birth in the SSLC or its equivalent certificate has been recorded in Hindi numerals, the candidate should ensure that while entering it in the Application form he uses International form of Indian numerals only. They should take special care that the entries made in the application form should be clear and legible. In case there are any illegible or misleading entries, the candidates will be responsible for the confusion and the ambiguity caused in interpreting such entries.

Candidates should further note that no correspondence will be entertained by the Commission from them to change any of the entries made in the application form. They should, therefore, take special case to fill up the application form correctly.

All candidates should submit their applications direct to the Commission. If any candidate forwards his application through his employer and it reaches the Union Public Service Commission late, the application even if submitted to the employer before the closing date, will not be considered.

Persons serving under the Public Enterprises are, however, required to submit an undertaking that they have informed in writing their Head of Office/Department that they have applied for the examination.

Candidates should note that in case a communication is received from their employers by the Commission withholding permission to the candidates applying for/appearing at the examination, their application shall be rejected/candidature shall be cancelled.

A candidate serving in the Armed Forces must submit his application through his Commanding Officer who will complete the endorsement (*vide* Section 'B' of the application form) and forward it to the Commission.

NOTE :—Sailors (including boys and artificer apprentices) of the Indian Navy must give Indian Navy as their first preference. Their applications will be entertained only if these have duly been recommended by their Commanding Officers.

Cadets of the Rashtriya Indian Military College (previously known as Sainik School), Dehra Dun, student of Military Schools (formerly known as King George's Schools) and Sainik Schools run by the Sainik Schools Society should submit their applications through the Principal of the College/School concerned.

7. The completed application form must reach the Secretary, Union Public Service Commission, Dholpur House, New Delhi-110011 by post or by personal delivery at the counter on or before the 3rd September, 1984 (17th September, 1984 in the case of candidates residing in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of J & K State, Lahaul and Spiti District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep and for candidates residing abroad from a date prior to 3rd September, 1984 and whose applications are received by post from one of the areas mentioned above), accompanied by necessary documents. *No application received after the prescribed date will be considered.*

A candidate residing in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of J & K State, Lahaul and Spiti District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep and a candidate residing abroad may at the discretion of the Commission be required to furnish documentary evidence, to show that he was residing in Assam,

Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of J & K State, Lahaul and Spiti District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep or abroad from a date prior to 3rd September, 1984.

NOTE (i) :—Candidates who are from areas entitled to additional time for submission of applications should also clearly indicate in their addresses in the relevant column of the application the name of the particular area or region entitled to additional time (e.g. Assam, Meghalaya, Ladakh Division of J & K State etc.) other wise they may not get the benefit of additional time.

NOTE (ii) :—Candidates are advised to deliver their applications by hand at the UPSC counter or send it by Registered Post. The Commission will not be responsible for the applications delivered to any other functionary of the Commission.

8. *DOCUMENTS TO BE SUBMITTED WITH THE APPLICATION* :—

(A) *By all candidates* :—

(i) Fee of Rs. 28/- (Rupees Twenty eight) [Rs. 7/- (Rupees seven) for Scheduled Castes/Scheduled Tribes candidates] through crossed Indian Postal orders payable to the Secretary, Union Public Service Commission at New Delhi General Post Office or crossed Bank Draft from any branch of the State Bank of India payable to the Secretary, Union Public Service Commission at the State Bank of India, Main Branch, New Delhi.

NOTE :—Candidates should write their names and addresses on the reverse of the Bank draft at the top at the time of submission of their applications. In the case of Postal Orders the names and addresses should be written by the candidates on the reverse of the Postal Orders at the space provided for the purpose.

Candidates residing abroad should deposit the prescribed fee in the office of the India's High Commissioner, Ambassador on Representative abroad, as the case may be for credit to the account Head "051. Public Service Commission—Examination Fees" and the receipt attached with the application.

(ii) *Certificate of Age* :—

The date of birth accepted by the Commission is that entered in the Matriculation or Secondary School Leaving Certificate or in a certificate recognised by an Indian University as equivalent to Matriculation or in an extract from a Register of Matriculates maintained by a University, which extract must be certified by the proper authority of the University. Candidates must submit two attested/certified copies of the aforesaid Matriculation or equivalent certificate. However, a candidate who has passed the Higher Secondary Examination or an equivalent examination may submit two attested/certified copies of the Higher Secondary Examination Certificate or an equivalent certificate.

No other document relating to age like horescopes, affidavits, birth extracts from Municipal Corporations, service records and the like will be accepted.

The expression Matriculation|Higher Secondary Examination certificate in this part of the instruction includes the alternative certificates mentioned above.

Sometimes the Matriculation|Higher Secondary Examination Certificates does not show the date of birth, or only shows the age by completed years or completed years and months. In such cases a candidate must send in addition to the attested|certified copies of the Matriculation|Higher Secondary Examination Certificate, an attested|certified copy of a certificate from the Headmaster/Principal of the Institution from where he passed the Matriculation|Higher Secondary Examination, showing the date of his birth or his exact age as recorded in the Admission Register of the Institution.

Candidates are warned that unless complete proof of age as laid down in these instructions is sent with an application, the application will be rejected.

NOTE I :—A CANDIDATE WHO HOLDS A COMPLETED SECONDARY SCHOOL CERTIFICATE NEED SUBMIT ONLY TWO ATTESTED|CERTIFIED COPIES OF THE PAGE CONTAINING ENTRIES RELATING TO AGE.

NOTE 2 :—CANDIDATES SHOULD NOTE THAT ONLY THE DATE OF BIRTH AS RECORDED IN THE MATRICULATION|HIGHER SECONDARY EXAMINATION CERTIFICATE OR AN EQUIVALENT CERTIFICATE ON THE DATE OF SUBMISSION OF APPLICATION WILL BE ACCEPTED BY THE COMMISSION AND NO SUBSEQUENT REQUEST FOR ITS CHANGE WILL BE CONSIDERED OR GRANTED.

NOTE 3 :—CANDIDATES SHOULD ALSO NOTE THAT ONCE A DATE OF BIRTH HAS BEEN CLAIMED BY THEM AND ENTERED IN THE RECORDS OF THE COMMISSION FOR THE PURPOSE OF ADMISSION TO AN EXAMINATION, NO CHANGE WILL BE ALLOWED SUBSEQUENTLY OR AT A SUBSEQUENT EXAMINATION.

(iii) *Attested|certified copy of certificate of educational qualification* :—

A candidate must submit two attested|certified copies of a certificate showing that he has one of the qualifications prescribed in para 3(c) or is likely to acquire it so as to be able to submit proof of passing it by the date prescribed in para 3(c). The certificate submitted must be one issued by the authority (i.e. University or other examining body) awarding the particular qualification. If attested|certified copies of such a certificate are not submitted the candidate must explain its absence and submit such other evidence as he can to support his claim to the requisite qualification. The Commission will consider this evidence on its merits but do not bind themselves to accept it as sufficient.

(iv) Attendance Sheet (attached with the application form) duly filled

(v) Two identical copies of passport size (5 cms × 7 cms approx.) photographs of the candidates duly signed on the front side.

One copy of the photograph should be pasted on the first page of the application form and the other copy on the Attendance Sheet in the space provided therein.

(vi) Three self-addressed unstamped envelopes of size approximately 11.5 cms X 27.5 cms.

(*B*) *By Scheduled Castes|Scheduled Tribes candidates* :—

Attested/certified copy of a candidates in the form given in Appendix IV from any of the competent authorities (mentioned under the certificate) of the District in which he or his parents (or surviving parent) ordinarily reside, in support of claim to belong to Scheduled Caste/Scheduled Tribes.

(C) *By candidates claiming remission of fee* :—

(i) An attested|certified copy of a certificate from a District Officer or a Gazetted Officer or a Member of Parliament or State Legislature certifying that he is not in position to pay the prescribed fee.

(ii) An attested|certified copy of certificate from the following authorities in support of his claim to be a *bona fide* displaced person repatriate :—

(a) *Displaced person from erstwhile East Pakistan* :—

(i) Camp Commandant of the Transit Centre of the Dandakarnya Project or of Relief Camps in various States.

OR

(ii) District Magistrate of the area in which he may, for the time being, be a resident.

OR

(iii) Additional District Magistrate incharge of refugee Rehabilitation in his district.

OR

(iv) Sub-Divisional Officer within the sub-division in his Charge.

OR

(v) Deputy|Refugee Rehabilitation Commissioner, West Bengal/Director (Rehabilitation) in Calcutta.

(b) *Repatriate from Sri Lanka* :—
High Commission for India in Sri Lanka.

(c) *Repatriate from Burma* :—

Embassy of India Rangoon or District Magistrate of the area in which the candidate may be resident.

(d) *Displaced person from erstwhile West Pakistan* :—

(i) Camp Commandant of the Transit Centres or of Relief Camps in various States.

OR

(ii) District Magistrate of the area in which he may, for the time being, be a resident.

OR

(iii) Additional District Magistrate in charge of Refugee Rehabilitation in his district.

(iv) Sub-Divisional Officer within the Sub-Division in his charge.

(v) Deputy Refugee Rehabilitation Commissioner.

OR

NOTE : Candidates are required to sign the attested|certified copies of all the certificates sent along with the application form and also to put the date.

9. *REFUND OF FEE* :—No refund of fee paid to the Commission with the application will be entertained except in the following cases, nor can the fee be held in reserve for any other examination or selection :—

(i) A refund of Rs. 15|- (Rupees Fifteen) [Rs. 4|- (Rupees four) in the case of candidates belonging to Scheduled Castes|Scheduled Tribes] will be made to a candidate who had paid the prescribed fee and is not admitted to the examination by the Commission. If, however, the application is rejected on receipt of information that the candidate has failed in the Higher Secondary or equivalent examination or will not be able to submit the proof of passing the Higher Secondary or equivalent examination by the prescribed date, he will not be allowed refund of fee.

(ii) A refund of Rs. 28/- (Rupees Twenty eight) [Rs. 7|- (Rupees seven) in the case of candidate belonging to Scheduled Castes|Scheduled Tribes] will be allowed in the case of a candidate who took the NDA Examination held in December, 1983 or May, 1984 and is recommended for admission to any of the courses on the results of these examinations provided his request for cancellation of candidature for the NDA. Examination December, 1984 and refund of fee is received in the office of the Commission on or before 15th February, 1985.

10. *ACKNOWLEDGEMENT OF APPLICATION* :—

Every application including late one received in the Commission's Office is acknowledged and Application Registration No. is issued to the candidate in token of receipt of his application. If a candidate does not receive an acknowledgement of his application within a month from the last date prescribed for receipt of application for the examination, he should at once contact the Commission for the acknowledgement.

The fact that the Application Registration No. has been issued to the candidates does not *ipso facto*, mean that the application is complete in all respects and has been accepted by the Commission.

11. *RESULT OF APPLICATION* :—If a candidate does not receive from the Commission a communication regarding the result of his application one month before the commencement of the examination, he should at once contact the Commission for the result. Failure to comply with this provision will deprive the candidate of any claim to consideration.

12. *ADMISSION TO THE EXAMINATION* :—The decision of the Union Public Service Commission as to the eligibility or otherwise of a candidate shall be final. No candidate shall be admitted to the examination unless he holds a certificate of admission from the Commission.

13. *ACTION AGAINST CANDIDATES FOUND* GUILTY OF MISCONDUCT :—Candidates are warned that they should not furnish any particulars that are false or suppress any material information in filling in the application form. Candidates are also warned that they should in no case correct or alter or otherwise tamper with any entry in a document or its attested/certified copy submitted by them nor should they submit a tampered/fabricated document. If there is any inaccuracy or any discrepancy between two or more such documents or their attested/certified copies, an explanation regarding the discrepancy should be submitted.

A candidate who is or has been declared by the Commission to be guilty of :—

(i) obtaining support of his candidature by any means, or

(ii) impersonating, or

(iii) procuring impersonation by any person, or

(iv) submitting fabricated documents or documents which have been tampered with, or

(v) making statements which are incorrect or false or suppressing material information, or

(vi) resorting to any other irregular or improper means in connection with his candidature for the examination, or

(vii) using unfair means during the examination, or

(viii) writing irrelevant matter, including obscene language or pornographic matter, in the script(s), or

(ix) misbehaving in any other manner in the examination hall, or

(x) harassing or doing bodily harm to the staff employed by the Commission for the conduct of their examinations, or

(xi) violating any of the instructions issued to candidates along with their Admission Certificates permitting them to take the examination, or

(xii) attempting to commit or as the case may be abetting the commission of all or any of the acts specified in the foregoing clauses

may in addition to rendering himself liable to criminal prosecution be liable :—

(a) to be disqualified by the Commission from the Examination for which he is a candidate; or

(b) to be debarred either permanently or for a specified period—

(i) by the Commission, from any examination or selection held by them;

(ii) by the Central Government from any employment under them.

Provided that no penalty under this rule shall be imposed except after—

(i) giving the candidate an opportunity of making such representation in writing as he may wish to make in that behalf; and

(ii) taking the representation, if any submitted by the candidate, within the period allowed to him into consideration.

14. *ORIGINAL CERTIFICATES—SUBMISSION OF* :—Candidates who qualify at the SSB interview on the results of the written examination will be required to submit their original certificates in support of their age and educational qualifications etc. to Army HQ, Rtg 6 (SP) (a), West Block III, R. K. Puram, New Delhi-110022, soon after the interview.

15. *COMMUNICATIONS REGARDING APPLICATION* :—ALL COMMUNICATIONS IN RESPECT OF AN APPLICATION SHOULD BE ADDRESSED TO THE SECRETARY, UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION, DHOLPUR HOUSE, NEW DELHI-110011 AND SHOULD INVARIABLY CONTAIN THE FOLLOWING PARTICULARS :—

(1) NAME OF EXAMINATION.

(2) MONTH AND YEAR OF EXAMINATION.

(3) APPLICATION REGISTRATION NO./ROLL NUMBER OR THE DATE OF BIRTH OF CANDIDATE IF THE APPLICATION REGISTRATION NO./ROLL NUMBER HAS NOT BEEN COMMUNICATED.

(4) NAME OF CANDIDATE (IN FULL AND IN BLOCK CAPITALS).

(5) POSTAL ADDRESS AS GIVEN IN APPLICATION.

N.B.—(i)—COMMUNICATIONS NOT CONTAINING THE ABOVE PARTICULARS MAY NOT BE ATTENDED TO.

N.B. (ii).—IF A LETTER/COMMUNICATION IS RECEIVED FROM A CANDIDATES AFTER AN EXAMINATION HAS BEEN HELD AND IT DOES NOT GIVE HIS FULL NAME AND ROLL NUMBER, IT WILL BE IGNORED AND NO ACTION WILL BE TAKEN THEREON.

16. *CHANGE OF ADDRESS.*—A candidate must see that communications sent to him at the address stated in his application are re-directed if necessary. Change in address should communicated to the Commission at the earliest opportu-giving the particulars mentioned in paragraph 15 above.

CANDIDATES RECOMMENDED BY THE COMMISSION FOR INTERVIEW BY THE SERVICES SELECTION BOARD WHO HAVE CHANGED THEIR ADDRESSES SUBSEQUENT TO THE SUBMISSION OF THEIR APPLICATIONS FOR THE EXAMINATIONS SHOULD IMMEDIATELY AFTER ANNOUNCEMENT OF THE RESULT OF THE WRITTEN PART OF THE EXAMINATION NOTIFY THE CHANGED ADDRESS ALSO TO ARMY HEADQUARTERS A.G.'s BRANCH RTG., 6(SP) (a) WEST BLOCK 3, WING I, RAMAKRISHNA PURAM, NEW DELHI-110022. FAILURE TO COMPLY WITH THIS INSTRUCTION WILL DEPRIVE THE CANDIDATE OF ANY CLAIM TO CONSIDERATION IN THE EVENT OF HIS NOT RECEIVING THE SUMMONS LETTER FOR INTERVIEW BY THE SERVICES SELECTION BOARD.

Although the authorities make every effort to take account of such changes they cannot accept any responsibility in the matter.

17. *ENQUIRIES ABOUT INTERVIEW OF CANDIDATES QUALIFYING IN THE WRITTEN EXAMINATION* :—Candidates whose names have been recommended for interview by the Services Selection Board should address enquiries or requests if any relating to their interview direct to the Army Headquarters, AG's Branch RTG, 6 (SP) (a) West Block 3, Wing I, Ramakrishnapuram, New Delhi-110022.

Candidates are required to report for SSB interview on the date intimated to them in the call-up letter for interview. Request for postponing interview will only be considered in exceptional circumstances and that too if it is administratively convenient for which Army HQ will be sole deciding authority.

Candidates whose names appear in the final merit list issued by the UPSC must notify their latest address to Army HQ AG's Branch Rtg. 6(SP) (a) (i), West Block 3, Wing I, Ramakrishnapuram, New Delhi-110022, immediately after publication of the merit list in the newspapers, if there is any change in the address already given so that joining instructions issued by the Army HQ reach them in time. In case this is not done, the responsibility of non-receipt of the joining instructions will rest with the candidate.

18. *ANNOUNCEMENT OF THE RESULTS OF THE WRITTEN EXAMINATION, INTERVIEW OF QUALIFIED CANDIDATES, ANNOUNCEMENT OF FINAL RESULTS AND ADMISSION TO THE TRAINING COURSE OF THE FINALLY QUALIFIED CANDIDATES* :—The Union Public Service Commission shall prepare a list of candidate who obtain the minimum qualifying marks in the written examination as fixed by the Commission in their discretion. Such candidates shall appear before a Services Selection Board for Intelligence and Personality Tests, where candidates for the Army/Navy will be assessed in officer potentiality and those for the Air Force in Pilot Aptitude Test and officer potentiality. The maximum marks obtainable at these tests are 900.

Candidates will appear before Services Selection Board and undergo the tests thereat at their own risk and will not be entitled to claim any compensation or other relief, from Government in respect of any injury which they may sustain

in the course of or as a result of any of the tests given to them at the Services Selection Board whether due to the negligence of any person or otherwise. Parents or guardians of the candidates will be required to sign a certificate to this effect.

To be acceptable candidates for the Army/Navy should secure the minimum qualifying marks separately in (i) written examination and (ii) officer potentiality tests, as fixed by the Commission in their discretion, and candidates for the Air Force should secure the minimum qualifying marks separately in (i) written examination, (ii) officer potentiality test, and (iii) Pilot Aptitude Test fixed by the Commission in their discretion. Subject to these conditions the qualified candidates will then be placed in the final order of merit on the basis of total marks secured by them in the written examination, and the Services Selection Board Tests in two separate lists—one for the Army and the Navy and the other for the Air Force. The names of candidates who qualify for all the Services will appear in both the Merit Lists. The final selection for admission to the Army and Naval Wings of the National Defence Academy will be made in order of Merit upto the number of vacancies available from the order of merit lists for the Army and Navy and for the Air Force Wing from the order of merit list for the Air Force subject to medical fitness and suitability in all other respects. The candidates who are common to both the merit lists will be considered for selection from both the lists with reference to their order of preferences and in the event of their final selection from one 1st, their names will be cancelled from the other list.

N.B.—EVERY CANDIDATE FOR THE AIR FORCE IS GIVEN PILOT APTITUDE TEST ONLY ONCE THE GRADES SECURED BY HIM AT THE FIRST TEST WILL THEREFORE, HOLD GOOD FOR EVERY SUBSEQUENT INTERVIEW HE HAS WITH THE AIR FORCE SELECTION BOARD. A CANDIDATE WHO FAILS IN THE FIRST PILOT APTITUDE TEST CANNOT APPLY FOR ADMISSION TO THE NATIONAL DEFENCE ACADEMY EXAMINATION FOR THE AIR FORCE WING OR GENERAL DUTIES (PILOT) BRANCH OR NAVAL AIR ARM.

Candidates who have been given the Pilot Aptitude Test for any previous N.D.A. course should submit their application for this examination for the Air Force Wing only if they have been notified as having qualified in Pilot Aptitude Test.

The form and manner of communication of the result of the examination to individual candidates shall be decided by the Commission in their discretion and the Commission will not enter into correspondence with them regarding the result.

Success in the examination confers no right of admission to the Academy. A candidate must satisfy the appointing authority that he is suitable in all respect the admission to the Academy.

19. *DISQUALIFICATION FOR ADMISSION TO THE TRAINING COURSE* :—Candidates who were admitted to an earlier course at the National Defence Academy, but were removed therefrom for lack of officer-like qualities or on disciplinary grounds will not be admitted to the Academy.

Candidates who were previously withdrawn from the National Defence Academy on medical grounds or left the above Academy voluntarily are however, eligible for admission to the Academy provided they satisfy the medical and other prescribed conditions.

20. *RESTRICTION ON MARRIAGE DURING TRAINING IN THE NATIONAL DEFENCE ACADEMY* :—Candidates must undertake not to marry until they complete their full training. A candidate who marries subsequent to the date of his application though successful at this or any subsequent examination will not be selected for training. A candidate who marries during training shall be discharged and will be liable to refund all expenditure incurred on him by the Government.

21. The Union Public Service Commission have brought out a priced publication entitled "Candidates Manual for U.P.S.C. Objective Type Examination". This publication is designed to be of assistance to prospective candidates of U.P.S.C. Examinations or Selections.

The book is priced publication and is on sale with Controller of Publications, Civil Lines, Delhi-110054 and may be obtained from him direct by Mail Orders or on cash payment. This can also be obtained only against cash payment from (i) Kitab Mahal, opposite Rivoli Cinema, Emporia Building 'C' Block, Baba Kharag Singh Marg, New Delhi-110001, (ii) Sale counter of the Publication Branch at Udyog Bhawan, New Delhi-110001, and (iii) the Government of Indian Book Depot, 8 K. S. Roy Road, Calcutta-700001. The manual is also obtainable from the agents for the Govt. of India Publications at various mofussil towns.

M. BALAKRISHNAN,
Deputy Secy.

APPENDIX I

(The Scheme and syllabus of examination)

A. *SCHEME OF THE EXAMINATION*

1. The subject of the written examination, the time allowed and the maximum marks allotted to each subject will be as follows :—

Subject	Duration	Max. Marks
1. English	2 hours	250
2. Mathematics—Paper I .	2 hours	125
Paper II . .	2 hours	125
3. General Knowledge—		
Paper I (Science) . . .	2 hours	200
Paper II (Social Studies, Geography and Current Events) .	2 hours	200
		900

2. THE PAPERS IN ALL THE SUBJECTS WILL CONSIST OF OBJECTIVE TYPE QUESTIONS ONLY. FOR DETAILS INCLUDING SAMPLE QUESTIONS PLEASE SEE CANDIDATES INFORMATION MANUAL AT APPENDIX V.

3. In the question papers, wherever necessary, questions involving the Metric System of Weights and Measures only will be set.

4. Candidates must write the papers in their own hand. In no circumstances will they be allowed the help of a scribe to write the answers for them.

5. The Commission have discretion to fix qualifying marks in any or all the subjects at the examination.

6. The candidates are not permitted to use calculators, for answering objective type papers (Test Booklets).

should not, therefore, bring the same inside the examination hall.

B. *SYLLABUS OF THE EXAMINATION*

ENGLISH.—The question paper in English will be designed to test the candidate's understanding of English and workman-like use of words. The syllabus covers various aspects like : Grammar and usage, vocabulary, comprehension and cohesion in extended texts to test the candidate's proficiency in English.

MATHEMATICS

PAPER I

Arithmetic

Number Systems—Natural numbers, Integers, Rational and Real numbers, Fundamental operation—addition subtraction, Multiplication, division, Square roots, Decimal fractions.

Unitary method—time and distance, time and work. Percentages—applications to simple and compound interest, profit and loss. Ratio and proportion, variation

Elementary Number Theory, Division algorithm. Prime and composite numbers. Tests of divisibility by 2, 3, 4, 5, 9 and 11. Multiples and factors. Factorisation Theorem. H.C.F and L.C.M. Euclidean algorithm.

Logarithms to base 10, laws of logarithms, use of logarithmic tables,

Algebra

Basic Operations, simple factors, Remainder Theorem, H.C.F., L.C.M of polynomials, Solutions of quadratic equations, relation between its roots and coefficients. (Only real roots to be considered). Simultaneous linear equations in two unknown analytical and graphical solutions. Practical problems leading to two simultaneous linear equations in two variables or quadratic equations in one variable and their solutions. Set language and set notation. Rational expression and conditional identities. Law of indices.

Trigonometry

Sine X, Cosine X, Tangent X when 0° $\leq X \geq$ 90°

Value of sin X, cos x and tan x, for x—0°, 30° 45°, 60° and 90°

Simple trigonometric identities.

Use of trigonometrical tables.

Simple cases of heights and distances.

PAPER II

Geometry

Lines and angles. Plane and plane figures. Theorems on (i) *Properties of angles at a point*, (ii) *Parallel lines*, (iii) Sides and angles of a triangle, (iv) Congruency of triangles, (v) Similar triangles, (vi) Concurrence of medians and altitudes, (vii) Properties of angles, sides and diagonals of a parallelogram, rectangle and square, (viii) Circle and its properties including tangent and normals, (ix) Loci.

Mensuration

Areas of squares, rectangles, parallelograms, triangle and circles. Area of figures which can be split up into these ...res (*Field Book*). *Surface area and volume of cuboids*, ...l surface and volume of right circular cones and cylin... ...urface area and volume of spheres.

Statistics

Collection and tabulation of statistical data. Graphical representation—frequency polygons, histograms bar charts, pie charts etc.

Calculation of mean of raw and grouped data.

GENERAL KNOWLEDGE

There will be two papers :

Paper I—Comprising Physics, Chemistry and General Science; and

Paper II—Comprising Social Studies, Geography and Current Events

The following syllabus is designed to indicate the scope of the subjects included in these papers. The topics mentioned are not to be regarded as exhaustive; and questions on topics of similar nature not specially mentioned in the syllabus may also be asked. Candidate's answers are expected to show their knowledge and intelligent understanding of the questions.

PAPER I

SCIENCE

General knowledge Paper I will comprise the following—

(A) Physical Properties and States of Matter, Mass, Weight, Volume, Density and Specific Gravity, Principle of Archimedes, Pressure Barometer.

Motion of objects. Velocity and Acceleration. Newton's Laws of Motion. Force and Momentum. Parallelogram of Forces. Stability and Equilibrium of bodies. Gravitation, elementary ideas of Work, Power and Energy.

Effects of Heat. Measurement of Temperature and Heat. Change of State and Latent Heat. Modes of transference of Heat.

Sound waves and their properties, Simple musical instruments.

Rectilinear propagation of Light. Reflection and refraction Spherical Mirrors and Lenses. Human Eye.

Natural and Artificial Magnets. Properties of a Magnet Earth as a Magnet.

Static and Current Electricity. Conductors and Non-conductors Ohm's Law, Simple Electrical Circuits. Heating, Lighting and Magnetic effects of Current. Measurement of Electrical Power, Primary and Secondary Cells. Use of X-Rays.

General Principles in the working of the following :—

Simple Pendulum, Simple Pulleys, Siphon, Levers, Balloon, Pumps, Hydrometer, Pressure Cooker, Thermos Flask Gramophone, Telegraph, Telephone Periscope, Telescope, Microscope, Mariner's Compass, Lightning Conductors, Safety Fuses.

(B) Physical and Chemical changes. Elements, Mixtures and Compounds, Symbols, Formulae and simple Chemical Equations. Law of Chemical Combination (excluding problems). Properties of Air and Water.

Preparation and Properties of Hydrogen, Oxygen, Nitrogen and Carbon dioxide, Oxidation and Reduction.

Acids, Bases and Salts.

Carbon—Different forms.

Fertilizers—Natural and Artificial.

Materials used in the preparation of substances like Soap, Glass Ink, Paper, Cement, Paints, Safety Matches and Gun-Powder.

Elementary ideas about the Structure of Atom. Atomic Equivalent and Molecular Weights. Valency.

(C) Difference between the living and non-living.

Basis of Life-Cells Protoplasms and Tissues.

Growth and Reproduction in Plants and Animals.

Elementary knowledge of human Body and its important organs.

Common Epidemics, their causes and prevention.

Food—Source of Energy for Man. Constituent of food. Balanced Diet.

The Solar System. Meteors and Comets. Eclipses.

Achievements of Eminent Scientists.

NOTE: Out of maximum marks assigned to the paper, question on Parts (A), (B) and (C) will generally carry 50%, 30% and 20% marks respectively.

PAPER II

SOCIAL STUDIES, GEOGRAPHY AND CURRENT EVENTS

General Knowledge Paper II will comprise the following :—

(A) A broad survey of Indian History, with emphasis on Culture and Civilisation.

Freedom Movement in India.

Elementary study of Indian Constitution and Administration.

Elementary knowledge of Five Year Plans of India.

Panchayati Raj, Co-operatives and Community Development.

Bhoodan, Sarvodaya, National Integration and Welfare State. Basic teachings of Mahatma Gandhi.

Forces shaping the modern world; Renaissance Exploration and Discovery; War of American Independence, French Revolution, Industrial Revolution, and Russian Revolution Impact of Science and Technology on Society.

Concept of one World, United Nations Panchsheel, Democracy. Socialism and Communism. Role of India in the Present world.

(B) The Earth, its shape and size. Latitudes and Longitudes Concept of Time. International Date Line. Movements of Earth and their effects.

Origin of Earth. Rocks and their classification; Weathering Mechanical and Chemical, Earthquakes, and Volcanoes

Ocean Currents and Tides.

Atmosphere and its composition; Temperature and Atmospheric Pressure, Planetary winds, cyclones and Anti-cyclones; Humidity; Condensation and Precipitation; Types of Climate. Major Natural regions of the World.

Regional Geography of India—Climate, Natural vegetation. Mineral and Power resources; location and distribution of agricultural and industrial activities.

Important Sea Ports and main sea, land and air routes of India. Main items of Imports and Exports of India.

(C) Knowledge of important events that have happened in India in the recent years.

Current important world events.

Prominent personalities—both Indian and International including those connected with cultural activities and sports.

NOTE: Out of the maximum marks assigned to the paper, questions on Parts (A), (B) and (C) will generally carry, 40%, 40% and 20% marks respectively.

INTELLIGENCE AND PERSONALITY TEST

In addition to the interview the candidates will be put to Intelligence Test both verbal and non-verbal designed to assess their basic intelligence. They will also be put to Group Tests, such as group discussions, group planning outdoor group tasks and asked to give brief lectures on specified subjects. All these tests are intended to judge the mental calibre of a candidate. In broad terms this is really an assessment of not only his intellectual qualities but also his social traits and interest in current affairs.

APPENDIX II

GUIDELINES FOR PHYSICAL STANDARDS FOR ADMISSION TO THE NATIONAL DEFENCE ACADEMY

NOTE :—CANDIDATES MUST BE PHYSICALLY FIT ACCORDING TO THE PRESCRIBED PHYSICAL STANDARDS, THE STANDARDS OF MEDICAL FITNESS ARE GIVEN BELOW :—

A NUMBER OF QUALIFIED CANDIDATES ARE REJECTED SUBSEQUENTLY ON MEDICAL GROUNDS CANDIDATES ARE THEREFORE ADVISED IN THEIR OWN INTEREST TO GET THEMSELVES MEDICALLY EXAMINED BEFORE SUBMITTING THEIR APPLICATIONS TO AVOID DISAPPOINTMENT AT THE FINAL STAGE.

A candidate recommended by the Services Selection Board will undergo a medical examination by a Board of Service Medical Officers. Only those candidates will be admitted to the academy or school who are declared fit by the Medical Board. The proceedings of the Medical Board are confidential and will not be divulged to anyone. However, the candidates declared unfit/temporary unfit will be intimated by the President of the Medical Boards and the procedure for request for an Appeal Medical Board will also be intimated to the candidate. The candidates must be physically fit according to the prescribed physical standards which are summarised below :—

(a) The candidate must be in good physical and mental health and free from any disease/disability wh-

is likely to interfere with the efficient performance of duties.

(b) There should be no evidence of weak constitution, bodily defects of under-weight.

(c) The minimum acceptable height is 157.5 cms. (157 cms for Navy and 162.5 cms for Air Force). For Gorkhas and individuals belonging to hills of North Eastern regions of India, Garhwal and Kumaon, the minimum acceptable heights will be 5 cms. less. In case of candidates from Laccadives the minimum acceptable height can be reduced by 2 cms. Height and weight standards are given below :—

HEIGHT|WEIGHT STANDARDS

Height in Centimetres (without shoes)	weight in Kgs.		
	15—16 years	16—17 years	17—18 years
152 . . .	41·0	42·5	44·0
155 . . .	42·0	43·5	45·3
157 . . .	43·0	45·0	47·0
160 . . .	45·0	46·5	48·0
162 . . .	46·5	48·0	50·0
165 . . .	48·0	50·0	52·0
167 . . .	49·0	51·0	53·0
170 . . .	51·0	52·5	55·0
173 . . .	52·5	54·5	57·0
175 . . .	54·5	56·0	59·0
178 . . .	56·0	58·0	61·0
180 . . .	58·5	60·0	63·0
183 . . .	61·0	62·5	65·0

A±10% (±6 Kgs. for Navy) departure from the average weight given in the table above is to be considered within normal limits. However, in individuals with heavy bones and broad-built as well as individuals with thin built but otherwise healthy this may be relaxed to some extent on merit.

NOTE 1 :—Height relaxation upto 2.5 cm. (5 cm for Navy) may be allowed where the Medical Board certifies that the candidate is likely to grow and come up to the required standard on completion of his training.

NOTE 2 :—To meet special requirement as a Pilot in the Air Force the acceptable measurements of leg length, thigh length and sitting height will be as under :—

	Minimum	Maximum
Leg Length	99·00	120·00 cms
Thigh Length		64·00 cms
Sitting Height	81·50	96·00 cms

On account of lower age of NDA candidates, a margin of upto 5.0 cm in height, 2.5 cm in leg length (minimum) and 1.0 cm sitting height (minimum) may be given provided it is certified by the medical board that the candidate is likely to grow and come upto the required standard on completion of his training in NDA.

(d) Chest should be well developed. The minimum range of expansion after full inspiration should be 5 cms. The measurement will be taken with a tape so adjusted that its lower edge should touch the nipple in front and the upper part of the tape should touch the lower angle of the shoulder blades behind. X-Ray of the chest is compulsory and will be taken to rule out any disease of the chest.

(e) There should be no disease of bones and joints of the body. X-ray of spine of candidates will not be carried out as a routine. It will, however, be done on the advice of surgical specialist wherever clinically indicated. Minor congenial defects which are not likely to interfere in the performance of military duties may be acceptable on merit.

For Air Force

Spinal Conditions

(f) The following past medical history is disqualifying for Air Force duties:

(i) Disease or injury of the spine or sacroiliac joint either with or without objective sign, which has prevented the candidate from successfully following a physically active life.

(ii) prolapse intervertebral disc and surgery for that condition.

(g) Thorough Clinical examination of the spine including its shape, local tenderness if any, spinal movements etc. is to be carried out. For candidates for aircrew duties only. X-ray of lumbosacral vertebrae (AP and Lateral views), is to be carried out.

(h) Mild Kyphosis or Lordosis where deformity is barely noticeable and there is no pain or restriction of movement, will not preclude acceptance.

(i) In case of noticeable Scoliosis or suspicion of any other abnormality or spinal deformity, more than mild, appropriate X-rays of the spine are to be taken and the Examine referred for specialist's advice.

(j) The following conditions detected on X-ray examination will be disqualifying for entry to Air Force :

(i) Granulomatious disease of spine.

(ii) Arthritis|spondylosis.

(iii) Scoliosis more than 15° as measured by Cobb's Method.

(iv) More than mild Kyphosis|Lordosis.

(v) Spondylolisthesis|Spondylolysis.

(vi) Herniated nucleus pulposus.

(vii) Compression fracture of Vertebra.

(viii) Scheurman's Disease.

(ix) Cervical ribs with demonstrable neurological or Circulatory deficit.

(x) Any other spinal abnormality, if so considered by the Specialist.

(k) A candidate should have no past history of mental breakdown or fits.

(l) The hearing should be normal. A candidate should be able to hear a forced whisper with each ear at a distance of 610 cms in a quiet room There should be no evidence of present or past disease of the ear, nose and throat.

Audometric test will be done for AF.

Audometric loss should not exceed + 10db in frequencies between 250 Hz and 4000 Hz.

(m) There should be no signs of functional or organic disease of the heart and blood vessels. Blood pressure should be normal.

(n) The muscles of abdomen should be well developed and there should be no enlargement of liver or spleen. Any evidence of disease of internal organs of the abdomen will be a cause for rejection.

(o) Un-operated hernias will make a candidate unfit. If operated this should have been done at least a year prior to the present examination and the healing is complete.

(p) There should be no hydrocele, varicocele or piles.

(q) Urine exmination will be done and any abnormality if detected will be a cause for rejection.

(r) Any disease of the skin which is likely to cause disability or disfigurement will also be a cause for rejection.

(s) A candidate should be able to read 6|6 in a distant vision chart with each eye with or without glasses. (For Navy 6|6; 6|9 without glasses and Air Force without glasses only). Myopia, should not be more than 2.5 D and hypermetropia not more than 3.5 D including Astigmatism. Internal examination of the eye will be done by means of opthalmoscope to rule out any disease of the eye. A candidate must have good binocular vision. The colour vision standard will be CP III for Army. A candidate should be able to recognise red and green colours. The candidates for the Navy should have CPI by MLT and normal night vision acquity. They will be required to give certificate that neither he nor any member of his family had suffered from congenial night blindness.

Vision standard for Naval candidates

Distant vision	6/6 6/9 Correctable to 6/6
Near vision	N-5 each eye
Colour vision CPI by MLT	

Myopia is not to exceed 0·5 dioptres and Hypermetropia not more than 1·50 dioptres in the better eye and 2·50 dioptres in the worse eye

Ocular Muscle Balance

Hetrophoria with the Maddox Rod

test must not exceed :—

(i) at 6 metre	Exophoria	8	prism	diopters
	Esophoria	8	"	"
	Hyperphoria	1	"	"
(ii) at 30 cm	Exophoria	16	"	"
	Esophoria	6	"	"
	Hyperphoria	1	"	"

For Air Force, the criteria are :—

Distant Vision	6/6 6/9 correctable to 6/6
Near Vision	N-5 each eye
Colour Vision	CPI (MLT)
Manifest Hypermetropia	must not exceed 2·00
Myopia	Nil
Astigmatism	+0·75 D cyl.
Ocular Muscle Balance	

Hyterophoria with the Maddox Rod most not exceed—

(i) at 6 metres	Exophoria 6 prism dioptres Esophoria 6 prism dioptres Hyper/Hypophoria 1 prism dioptres.
(ii) at 33 cms	Exophoria 16 prism dioptres Esophoria 6 prism dioptres Hyper/Hyperphoria 1 prism dioptres.
(iii) Binocular Vision	Must possess good binocula vision (fusion and sterwopsis) with good amplitude and depth).

(t) The candidate should have sufficient number of natural and sound teeth. A minimum of 14 dental points will be acceptable. When 32 teeth are present, the total dental points are 22. A candidate should not be suffering from severe pyorrhoea.

(u) Routine ECG and EEG for Air Force candidates must be within normal limits.

APPENDIX III

(Brief particulars of the Services etc.)

1. Before a candidate joins the Academy, the parent or guardian will be required to sign.—

(a) a certificate to the effect that he fully understands that he or his son or ward shall not be entitled to claim any compensation or other relief from the Government in respect of any injury which his son or ward may sustain in the course of or as a result of the training or where bodily infirmity or death results in the course of or as a result of a surgical operation performed upon or anaesthesia administered to him for the treatment of any injury received as aforesaid or otherwise.

(b) a bond to the effect that if for any reasons considered within the control of the candidate he wishes to withdraw before the completion of the course or fails to accept a commission, if offered, he will be liable to refund the whole or such portion of the cost of tution, food, clothing and pay and allowances received as may be decided upon by Government.

2. The cost of training including accommodation, books uniforms, boarding and medical treatment will be borne by the Government. Parents or guardians of cadets will however, be required to meet their pocket and other private expenses. Normally, these expenses are not likely to exceed Rs. 75.00 p.m. If in any case a cadet's parent or guardians is unable to meet wholly or partly even this expenditure financial assistance up to Rs. 75.00 p.m. for the 1st and 2nd years. Rs. 80.00 p.m. for the 3rd year training at NDA and Rs. 90.00 p.m. for further specialist training in Army/

Navy|Air Force Training Establishments may be granted by the Government. No cadet whose parent or guardian has an income of Rs. 500.00 p.m. or above would be eligible for the grant of the financial assistance. The immovable property and other assets and income from all sources are also taken into account for determining the eligibility for financial assistance.

The parent|guardian of a candidate desirous of having financial assistance from the Government should immediately after his son-ward having been finally selected for training at the National Defence Academy submit and application through the District Magistrate of his District who will forward the application with his recommendation to the Commandant National Defence Academy, KHADAKWASLA, PUNE (411023).

3. Candidates finally selected for training at the Academy will be required to deposit the following amount with the Commandant, National Defence Academy, on arrival there :

(a) Pocket allowance for five months at Rs.75·00 per month	Rs. 375·00
(b) For items of clothing and equipment	Rs. 650·00
(c) Incidental Expenditure during I Semester	Rs. 150·00
Total . . .	Rs. 1175·00

Out of the amount mentioned above the following amount is refundable to the cadets in the event of financial aid being sanctioned to them :

(a) Pocket allowance for five months at Rs. 75·00 per month . .	Rs. 375·00
(b) For items of clothing and equipment approximately	Rs. 475·00

4. The following scholarships are tenable at the National Defence Academy :

(1) PARSHURAM BHAU PATWARDHAN Scholarship.—This scholarship is granted to boys who belong to MAHARASHTRA AND KARNATAKA and whose parents' income is between Rs. 350.00 and 500.00 per month from all sources. The value of the scholarship is equal to the Government financial assistance. It is admissible for the duration of a Cadet's stay in the National Defence Academy and other Pre-commission training establishment subject to the Cadet's good conduct and satisfactory progress in the training and his parents' income remaining below the prescribed limit. Cadets who are granted this scholarship, will not be entitled to any other financial assistance from the Government.

(2) COLONEL KENDAL FRANK MEMORIAL Scholarship.—This scholarship is of the value of Rs. 360.00 per annum and awarded to a MARATHA cadet who should be the son of an ex-serviceman. The scholarship is in addition to any financial assistance from the Government.

(3) KUAR SINGH MEMORIAL Scholarship.—Two scholarships are awarded to two cadets who obtain the highest position amongst candidates from BIHAR. The value of each scholarship is Rs. 37.00 per mensum tenable for a maximum period of 4 years during the training at the National Defence Academy Khadakwasla and thereafter at the Indian Military Academy Dehra Dun and the Air Force Flying College; and Naval Academy Cochin where the cadets may be sent for training on completion of their training at the National Defence Academy. The scholarships will, however, be continued subject to making good progress at the above institution.

(4) ASSAM GOVERNMENT Scholarship.—Two scholarships will be awarded to the cadets from ASSAM. The value of each scholarship is Rs. 30.00 per mensum and is tenable for the duration of a cadet's stay at the National Defence Academy. The scholarships will be awarded to the two best cadets from ASSAM without any reference to the income of their parents. The cadets who are granted this scholarship will not be entitled to any other financial assistance from the Government.

(5) UTTAR PRADESH GOVERNMENT Scholarships.—Two scholarships each of the value of Rs. 30.00 per month and an outfit stipend of Rs. 400.00 are awarded to two cadets who belong to UTTAR PRADESH on merit-*cum*-means basis and are tenable for a period of three years subject to satisfactory performance by the cadets at National Defence Academy. Cadets who are granted these Scholarships are not entitled to any other financial assistance from Government.

(6) KERALA GOVERNMENT Scholarships.—One merit scholarship of the value of Rs. 480|- per annum for the entire period of training at NDA, will be awarded by the State Government of Kerala to a Cadet who is a domiciled resident of the State of KERALA and who secures the first position in the all India UPSC Entrance Examination to NDA irrespective of the fact whether he has passed out from RIMC or from any of the Sainik Schools in India. The financial position of a Cadet's father|guardian is not taken into consideration.

(7) BIHARI LAL MANDAKINI Prize.—This is a cash prize of Rs. 500.00 available for the best BENGALI boy in each Course of the Academy. Application forms are available with the Commandant, National Defence Academy.

(8) ORISSA GOVERNMENT Scholarships.—These scholarships, one for the Army, one for the Navy and the other for the Air Force of the value of Rs. 80.00 each per month will be awarded by the Government of Orissa to the cadets who are permanent residents of the State of ORISSA. Two of these scholarships will be awarded on the basis of merit-*cum*-means of the cadets whose parent's or guardian's income does not exceed Rs. 5,000 per annum and the other one will be given to the best cadet irrespective of his parent's or guardian's income.

(9) WEST BENGAL GOVERNMENT Scholarships.—Following categories of scholarships are awarded by the West Bengal Government to those cadets who are permanent residents of WEST BENGAL :—

(a) *Category* 1.—These scholarships, one each for Army, Navy and Air Force at the rate of Rs. 360 per annum during 1st and 2nd years and at the rate of Rs. 480 per annum during the 3rd year at the Academy and 4th year at the specialised training institution, with an initial outfit stipend of Rs. 400 in addition for those cadets who are not eligible for any other scholarships at the Academy.

(b) *Category 2.*—The scholarship of a lump-sum-grant of Rs. 100 per annum in addition to Government financial assistance.

(10) Pilot Officer GURMEET SINGH BEDI MEMORIAL Scholarship.—One Scholarship of Rs. 420.00 per annum is granted to the cadet who stands highest in the overall order of merit amongst Air Force Cadets at the end of the 4th term. It is for the duration of one year (during 5th and 6th terms). This scholarship will be withdrawn if the recipient is relegated or withdrawn during the period of its receipts the Cadet who is already in receipt of any such merit scholarship or financial assistance is not entitled to this scholarship.

(11) HIMACHAL PRADESH GOVERNMENT Scholarships.—Four scholarships will be awarded to cadets from HIMACHAL PRADESH. The value of each scholarship is Rs. 30.00 per month during the first two years of training and Rs. 48.00 per month during the third year of training. These scholarships will be available to those cadets whose parent's income is below Rs. 500.00 per month. No cadet in receipt of financial assistance from the Government will be eligible for this scholarship.

(12) TAMIL NADU GOVERNMENT Scholarship.—The Government of Tamil Nadu has instituted at NDA one scholarship per course of the value of Rs. 30|- per month plus an outfit allowance of Rs. 400|- (one only during the entire period of cadet's training) to be awarded to a cadet belonging to the State of TAMIL NADU whose parents|guardians monthly income does not exceed Rs. 500|-. The application by an eligible cadet can be made to the Commandant, National Defence Academy on their arrival.

(13) KARNATAKA GOVERNMENT Scholarship.—The Government of Karnataka has awarded 18 scholarships (eighteen Scholarships) 9 in respect of courses commencing from January and 9 in respect of courses from July every year for award to cadets from Karnataka State who join the National Defence Academy after completion of their education at the Sainik School, Bijapur or at the Rashtriya Indian Military College, Dehra Dun. The value of the scholarship shall be Rs. 480|- (rupees four hundred and eighty) each per annum.

Four (4) more scholarships (two per term) at the rate of Rs 480|- per annum for the cadets of Karnataka State who join NDA after completion of education other than at Sainik School, Bijapur/RIM College, Dehra Dun have been awarded.

(14) ALBERT EKKA Scholarship.—The Government of Bihar has instituted at NDA 25 Merit Scholarship at Rs. 50|- per months for entire period of six terms at the NDA and Rs. 650|- one time towards clothing and equipment. The cadet awarded the above merit scholarship would not be eligible for any other scholarship or financial assistance from the Government. The application by an eligible cadet can be made to the Commandant, National Defence Academy on their arrival.

Terms and conditions governing these scholarships are obtainable from the Commandant, National Defence Academy, KHADAKWASLA, Pune (411023).

5. Immediately after the selected candidates join the Academy, a preliminary examination will be held in the following subjects :—

(a) English;

(b) Mathematics;

(c) Science;

(d) Hindi.

The standard of the examination in the subjects, at (a), (b) and (c) will not be higher than that of the Higher Secondary Examination of an Indian University or Board of Higher Secondary Education. The paper in the subject at (d) is intended to test the standard attained by the candidate in Hindi at the time of joining the Academy.

Candidates are therefore advised not to neglect their studies after the competitive examination.

Training

6. The selected candidates for the three services viz., Army, Navy and Air Force are given preliminary training both academic and physical for a period of 3 years at the National Defence Academy which is an Inter-Service Institution. The training during the first two and a half years is common to the cadets of three wings. The cadets on passing out will be awarded B.Sc.|B.A. degree from Jawaharlal Nehru University, Delhi.

7. On passing out from the National Defence Academy, Army Cadets go to the Indian Military Academy, Dehra Dun, Naval Cadets to the Cadets Trainingship and Air Force cadets to EFS BIDAR.

8. At the I.M.A. Army Cadets are known as Gentlemen cadets and are given strenuous military training for a period of one year aimed at turning Officer capable of leading infantry Sub-units. On successful completion of training Gentlemen Cadets are granted Permanent Commission in the rank of 2nd|Lt. subject to being medically fit in "SHAPE".

9. The Naval cadets are selected for the Executive, Engineering and Electrical Branches of the Navy, on passing out from the National Defence Academy and are given sea training on the Cadet Trainingship for a period of six months' on successful completion of which they are promoted to the rank of Midshipmen. After a further training of 6 months in the respective branches to which they are allocated they are promoted to the rank of acting Sub-Lieutenants.

10. Air Force Cadets receive flying training for a period of 1½ years. However, at the end of 1 year of training they are given provisional commission in the rank of Pilot Officer. After successful completion of further training of six months they are absorbed as permanent commissioned officers on probation for a period of one year.

TERMS AND CONDITIONS OF SERVICE

11. ARMY OFFICERS

(i) PAY

Rank	Pay Scale	Rank	Pay Scale
	Rs.		Rs.
2nd Lieut.	750-790	Lt. Colonel (time scale)	1900 fixed
Lieut	830—950	Colonel	1950—2175
Captain	1100—1550	Brigadier	2200—2400
Major	1450—1800	Major-General	2500—125/2—2750
Major (Selection Grade)	1800—50—1900		
Lt. Colonel by selection	1750—1950	Lt. General	3000 p.m.
Lt. Col. (Selection Grade Pay)	2000—50—2100	Lt. General (Army Commander)	3250 p.m.

(ii) QUALIFICATION PAY AND GRANT

Officers of the rank Lt. Col. and below possessing certain prescribed qualifications are entitled to a lump sum grant of Rs. 1600/-, 2400/-, 4500/- or 6000/- based on the qualifications held by them. Flying Instructors (Cat 'B') are authorised to qualification pay @ Rs. 70/-.

(iii) ALLOWANCES

In addition to pay, an officer at present recieves the following allowances :—

(a) Compensatory (City) and Dearness Allowances are admissible at the same rates and under the same conditions as are applicable to the Civilian Gazetted Officers from time to time.

(b) A kit maintenance allowance of Rs. 75/- p.m.

(c) Expatriation Allowance is admissible when serving outside India. This varies from 25% to 40% of the corresponding single rate of foreign allowance.

(d) *Separation allowance.*—Married Officers posted to non-family stations are entitled to receive separation allowance of Rs. 140/- p.m.

(e) *Outfit Allowance.*—Initial outfit allowance is Rs. 2100/-. A fresh outfit allowance @ Rs. 1800/- is payable against claim after every 7 years of effective service commencing from the date of first commission.

(f) Free rations are provided up to the level of Colonel in the Army.

(iv) POSTING

Army officers are liable to serve any where in India and abroad.

(v) PROMOTION

(a) *Substantive Promotion*

The following are the service limits for the grant of substantive promotion to higher ranks :-

(i) *By Time Scale*	*Minimum Service Limit*
Lt.	2 years of commissioned service
Captain	6 years of commissioned service
Major	13 years of commissioned service
Lt.-Col. from Major if not promoted by selection	25 years of commissioned service
(ii) *By Selection*	
Lt. Col.	16 years of commissioned service
Col.	20 years of commissioned service
Brigadier	23 years of commissioned service
Major Gen.	25 years of commissioned service
Lt. Gen.	28 years of commissioned service
Gen.	No restriction.

(b) *Acting Promotion*

Officers are eligible for acting promotion to higher ranks on completion of the following minimum service limits subject to availability of vacancies :—

Captain	3 years
Major	6 years
Lt. Colonel	6½ years
Col.	8½ years
Brigadier	12 years
Maj. General	20 years
Lt. General	25 years

12. NAVAL OFFICERS

(i) PAY

Rank	Pay Scales	
	General service	Naval Aviation and Submarine
	Rs.	Rs.
Midshipman	560/-	560/-
Ag. Sub. Lieut.	750/-	825/-
Sub. Lieut.	830—870	910—950
Lieut.	1100—1450	1200—1550
Lieut.-Cdr.	1450—1800	1450—1800
Cdr.	1750—1950	1750—1950
Captain	1950—2400	1950—2400 Commodore receives pay to which entitled according to Seniority as Captain.
Rear Admiral	2500—125/2—2750	
Vice-Admiral	3000/- p.m.	

Qualifications pay|grant is also admissible to—

Officers of the rank of CDR and below possessing certain prescribed qualifications are entitled to lump sum grant of Rs. 1600|-, 2400|-, 4500|- or 6000|- based on the qualification held by them. Flying Navigator Instructor categories A & B are authorised to qualification pay of Rs. 100/- and Rs. 70|- p.m. respectively.

(ii) ALLOWANCES

(a) Compensatory (City) Allowance and Dearness Allowances are admissible at the same rates and under same conditions as are applicable to the Civilian Gazetted Officers from time to time.

(b) Kit Maintenance Allowance at the rate of Rs. 75|- p.m.

(c) Expatriation Allowance when serving ashore ex-India or afloat outside certain longitudinal and latitudinal limits. The rates vary from Rs. 50/- p.m. to Rs. 250|- p.m. depending on ranks.

(d) Separation Allowance at the Rate of Rs. 140|- p.m. to married officers serving afloat during the period their ship is away from its base port.

(e) Outfit Allowance at Rs. 2400|- on first Commissioning and Renewal Outfit Allowance of Rs. 2100|- after every seven years of effective service.

(f) Free rations are provided upto the level of Captain in the Navy.

Naval Aviation officers are entitled to Flying Pay at monthly rates and under the conditions applicable to corresponding ranks for Air Force Officers.

In addition to above, Naval Officers are also entitled to certain special concessions; like hardlying money, submarine allowance, submarine pay, diving pay and survey bonty on fulfilment of certain conditions attached to each.

(iii) PROMOTIONS

(a) Substantive Promotions

The following are the service limits for the grant of substantive promotion to higher ranks :—

By Time Scale

Sub. Lt. . . .	1 year
. . . .	3 years (subject to gain forefeiture of seniority)
Lt. Cdr.	8 years seniority as Lt.
Cdr.	24 years commissioned service (if not promoted by selection)

By Seletion

Cmdr Executive Branch .	2—8 years of seniority as Lt Cdr.
Cmdr Engineering Branch	2—10 years seniority as Lt Cdr.
Cmdr Electrical Branch .	2—10. years seniority as Lt. Cdr.
Capt	4 years seniority as Cdr.
Rear Admiral . . .	No restriction
Vice Admiral . . .	No restriction

(b) Acting Promotion

There is no service limit for grant of acting promotion in the Navy except to the rank of Lt. Cdr. for which an officer should have attained 6 years seniority as Lieutenant.

13. AIR FORCE OFFICER

(i) PAY

Rank	Pay Scale
	Rs.
Plt. Offr.	825—865
Fg. Offr.	910—1030
Ft. Ltd.	1300—1550
Sqn. Ldr.	1650—1800
Wg. Cdr. (Selection)	1750—1950
Wg. Cdr. (Time Scale)	1900 (fixed)
Gp. Capt.	1950—2175
Air Cdr.	2200—2400
Air Vice-Marshal	2500—2750
Air Marshal	3000
Air Marshal (VCAS and AOSC-in-C) .	3250
Air Chief Marshal (CAS)	4000

(ii) ALLOWANCES

(a) Flying Pay—Officers of the Flying Branch (Pilots and Navigators) are entitled to get flying pay at the following rate :—

	Rs
Plt. Offr. to Wg. Cdr. . . .	750·00 p m
Gp. Capt. and Air Cdr. . .	666·00 p m
Air Vice Marhsal & above . .	600·00 p m

(b) Qualification Pay|Grant—Admissible to Flying Branch Officers possessing certain prescribed qualification at the rate given below :—

	Rs
Qualification pay	Rs 100 p m or Rs 70 p m
Qualification Grants . . .	Rs 6000/- or Rs 4500/- Rs 2400/- or Rs 1,600/-

(c) Kit Maintenance Allowance at the rate of Rs. 75|- p.m.

(d) *Expatriation Allowance*—Ranging from 25% to 40% (depending upon the rank held) of the Foreign Allowance admissible to a single. Third Secretary|Second Secretary|First Secretary|Counsellor, serving in the country where IAF Officers are required to move as body of troop.

(e) *Separation Allowance*—Married Officers posted to Units/Formations located at non-family stations areas notified as such by Government for this purpose, where families are not permitted to accompany them will receive separation allowance of Rs. 140|- p.m.

(f) *Outfit Allowance*—Rs. 2100/- initially (as modified from time to time) towards cost of uniform|equipment which an officer has to possess : Rs. 1800|- for renewal after every seven years.

(g) Free rations are provided upto the level of Gr. Captain in the Air Force.

(iii) PROMOTIONS

(a) *Substantive Promotion*

The following are the service limits for the grant of substantive promotion to higher ranks :—

By Time Scale

Flying Officer	1 year commissioned service
Flt. Lt.	5 years commissioned service
Sqn. Ldr.	11 years commissioned service
Wg. Cdr.	On completion of 24 years of commissioned service if not promoted by selection.

By Selection

Wg. Cdr.	16 years reckonable total commissioned service.
Gp. Cpt.	22 years reckonable total commissioned service.
Air Cmdr.	24 years reckonable total commissioned service.
Air Vice-Marshal	26 years reckonable total commissioned service.
Air Marshal	28 years reckonable total commissioned service.

(5) *Acting Promotion*

The following are the minimum service limits required for acting promotion of officers:—

Flt. Lt.	2 years
Sqn. Ldr.	5 years
Wg. Cdr.	6 years (After service of 1 year in the rank of Sqn. Ldr.)
Gp. Captain	8 years (After service of 1 year in the rank of Wg. Cdr.)
Air Cdr.	11½ years (After service of 3 years in the ranks of Wg. Cdr. and Gp. Captain)
Air Vice-Marshal	15 years (After service of 5, *years in the ranks of Wg.Cdr., Gp. Capt. and Air Cdr.)
Air Marshal	23 years

*Inclusive of broken period

14. RETIRING BENEFITS

Pension gratuity and casualty pensionary award will be admissible in accordance with the rules in force from time to time.

15. LEAVE

Leave will be admissible in accordance with the rules in force from time to time.

APPENDIX IV

The forms of the certificate to be produced by Scheduled Castes and Scheduled Tribes candidates applying for appointment to posts under the Government of India

This is to certify that Shri............ .... son of................of village|town* .... in District|Division* .... of the State| Union Territory* .... belongs to the ....Caste|Tribe* which is recognised as a Scheduled Caste|Scheduled Tribe* under :—

the Constitution (Scheduled Castes) Order, 1950*

the Constitution (Scheduled Tribes) Order, 1950*

the Constitution (Scheduled Castes) (Union Territories) Order, 1951*

the Constitution (Scheduled Tribes) (Union Territories) Order, 1951*

[as amnended to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Lists (Modification) Order, 1956, the Bombay Reorganisation Act, 1960, the Punjab Reorganisation Act, 1966, the State of Himachal Pradesh Act, 1970, the North Eastern Areas (Reorganisation) Act, 1971 and the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Orders, (Amendment) Act, 1976.]

the Constitution (Jammu and Kashmir) Scheduled Castes Order 1956*

the Constitution (Andaman and Nicobar Islands) Scheduled Tribes Order, 1959 as amended by the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Orders (Amendment) Act, 1976*

the Constitution (Dadra and Nagar Haveli) Scheduled Castes Order, 1962*

the Constitution (Dadra and Nagar Haveli) Scheduled Tribes Order, 1962*

the Constitution (Pondicherry) Scheduled Castes Order, 1964*

the Constitution Scheduled Tribes (Uttar Pradesh) Order, 1967*

the Constitution (Goa, Daman and Diu) Scheduled Castes Order, 1968*

the Constitution (Goa, Daman and Diu) Scheduled Tribes Order, 1968*

the Constitution (Nagaland) Scheduled Tribes Order, 1970*

the Constitution (Sikkim) Scheduled Castes Order, 1978*

the Constitution (Sikkim) Scheduled Tribes Order, 1978*

2. Shri .... and*|or his family ordinarily reside(s) in .... village*|town

of .... District*|Division of the State|
Union Territory* of ....

State

Union Territory*

Place................

Date................

Signature . .. .

**Designation .. ..

(with seal of office)

*Please delete the words which are not applicable.

NOTE.—The term "Ordinarily reside(s)" used here will have the same meaning as in Section 20 of the Representation of the People Act, 1950.

**Officers competent to issue Castes/Tribes Certificate.

(i) District Magistrate|Additional District Magistrate| Collector|Deputy Commissioner|Additional Deputy Commissioner|Deputy Collector|1st Class Stipendiary Magistrate|City Magistrate|†Sub-Divisional Magistrate|†Taluka Magistrate|Executive Magistrate|Extra Assistant Commissioner.

†(Not below the rank of 1st Class Stipendiary Magistrate).

(ii) Chief Presidency Magistrate|Additional Chief Presidency Magistrate|Presidency Magistrate.

(iii) Revenue Officer not below the rank of Tehsildar.

(iv) Sub-Divisional Officer of the area where the candidate and|or his family normally resides.

(v) Administrator|Secretary to Administrator|Development Officer, Lakshadweep.

APPENDIX V

CANDIDATES INFORMATION MANUAL

A OBJECTIVE TEST

Your examination will be what is called an 'OBJECTIVE TEST'. In this kind of examination (test) *do not write* answers. For each question (hereinafter referred to as item) several suggested answers (hereinafter referred to as responses) are given. You have to choose one answer to each item

This Manual is intended to give you some information about the examination so that you do not suffer due to unfamiliarity with the type of examination.

B. NATURE OF THE TEST

The question paper will be in the form of a TEST BOOKLET. The booklet will contain items bearing numbers 1, 2, 3,..........etc. Under each item will be given suggested answers marked a, b, c, d, your task will be to choose the correct or if you think there are more than one correct, then the best answer. (See "sample items" at the end. In any case, in each item you have to select only one answer; if you select more than one, your response will be considered wrong.

C. METHOD OF ANSWERING

A separate ANSWER SHEET (a specimen copy of which will be supplied to you alongwith the Admission Certificate) will be provided to you in the examination hall. You have to mark your response on the answer sheet. Response marked on the Test Booklet or in any paper other than the Answer Sheet will not be examined.

In the Answer Sheet, number of the items from 1 to 160 have been printed in four 'Parts'. Against each item, circular spaces marked, a, b, c, d, are printed. After you have read each item in the Test Booklet and decided which of the given answer is correct or the best, you have to mark the circle containing the letter of the selected answer by blackening it completely with pencil as shown below (to indicate your response). Ink should not be used in blackening the circles on the Answer Sheet.

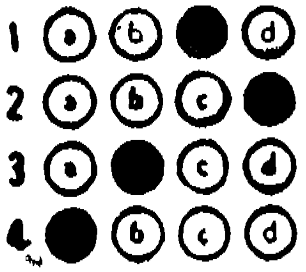

IT IS IMPORTANT THAT—

1. You should bring and use only good quality HB pencil(s) for answering the items.

2. To change a wrong marking, erase it completely and re-mark the new choice. For this purpose, you must bring along with you an eraser also.

3. Do not handle your Answer Sheet in such a manner as to multilate or fold or wrinkle or spoil it.

D. SOME IMPORTANT REGULATIONS

1. You are required to enter the examination hall twenty minutes before the prescribed time for commencement of the examination and get seated immediately.

2. Nobody will be admitted to the test 30 minutes after the commencement of the test.

3. No candidate will be allowed to leave the examination hall until 45 minutes have elapsed after the commencement of the examination.

4. After finishing the examination, submit the Test Booklet and the Answer Sheet to the Invigilator|Supervisor. YOU ARE NOT PERMITTED TO TAKE THE TEST BOOKLET OUT OF THE EXAMINATION HALL. YOU WILL BE SEVERELY PENALISED IF YOU VIOLATE THIS RULE.

5. You will be required to fill in some particulars on the Answer Sheet in the examination hall. You will also be required to encode some particulars on the Answer Sheet Instructions about this will be sent to you alongwith your Admission Certificate.

6. You are required to read carefully all instructions given in the Test-Booklet. You may lose marks if you do not follow the instructions meticulously. If any entry in the Answer Sheet is ambiguous you will get no credit for that item response. Following the instructions given by the Supervisor. When, the Supervisor asks you to start or stop a test or part of a test, you must follow his instructions immediately.

7. Bring your Admission Certificate with you. You should also bring a HB pencil, an eraser, a pencil sharpener, and a pen containing blue or black ink. You are advised also to bring with you a clip-board or a hard-b ard or a card-board on which nothing should be written. Y u are not allowed to bring any scrap (rough) paper, or scales or drawing instrument into the examination hall as they are not needed. Separate sheets for rough work will be provided to you on demand. You should write the name of the examination, your Roll No. and the date of the test on it before doing your rough work and return it to the supervisor along with your answer Sheet at the end of the tests.

E. SPECIAL INSTRUCTIONS

After you have taken your seat in the hall the invigilator will give you the Answer Sheet. Fill up the required information on the Answer Sheet. After you have done this the invigilator will give you the Test Booklet on receipt of which you must ensure that it contains the booklet number otherwise get it changed. Write your Roll Number on the first page of the Test Booklet before opening the Test Booklet. You are not allowed to open the Test Booklet until you are asked by the Supervisor, to do so.

F. SOME USEFUL HINTS

Although the test stresses accuracy more than speed, it is important for you to use your time as efficiently as possible. Work steadily and as rapidly as you can without becoming careless. Do not worry if you cannot answer all the questions. Do not waste time on questions which are too difficult for you. Go on to the other questions and come back to the difficult ones later.

All items carry equal marks. Attempt all of them. Your score will depend only on the number of correct responses indicated by you. There will be no negative marking.

G. CONCLUSION OF TEST

Stop writing as soon as the Supervisor asks you to stop. Remain in your seat and wait till the invigilator collects all the necessary material from you and permits you to leave the Hall. You are NOT allowed to take the Test Booklet, the answer sheet and the sheet for rough work out of the examination Hall.

SAMPLE ITEMS (QUESTIONS)

(Note :—*denotes the correct|best answer-option)

1. (*General Studies*)

Bleeding of the nose and ears is experienced at high altitudes by mountain climbers because

(a) the pressure of the blood is less than the atmospheric pressure.

(b) the pressure of the blood is more than the atmospheric pressure.

(c) the blood vessels are subjected to equal pressure on the inner and outer walls.

(d) the pressure of the blood fluctuates relative to the atmospheric pressure.

2. (*English*)

(Vocabulary- Synonyms)

There was a *record* turnout of voters at the municipal elections

(a) exactly known

(b) only those registered

(c) very large

*(d) largest so far

3. (*Agriculture*)

In Arhar, flower drops can be reduced by one of the measure indicated below:-

*(a) spraying with growth regulators

(b) planting wider apart

(c) planting in the correct season

(d) planting with close spacing

4. (*Chemistry*)

The anhydride of H_3VO_4 is

(a) VO_3

(b) VO_4

(c) V_2O_3

*(d) V_2O_5

5. (*Economics*)

Monopolistic exploitation of labour occurs when

*(a) wage is less than marginal revenue product

(b) both wage and marginal revenue product are equal

(c) wage is more than the marginal revenue product

(d) wage is equal to marginal physical product

6. (*Electrical Engineering*)

A coaxial line is filled with a dielectric or relative permitivity 9. If C denotes the velocity of propagation in free space, the velocity of propagation in the line will be

(a) 3C

(b) C

*(c) C/3

(d) C/9

7. (*Geology*)

Plagioclase in a basalt is :

(a) Oligoclase

*(b) Labradorite

(c) albite

(d) Anorthite

8 (*Mathematics*)

The family of curves passing through the origin and satisfying the equation

$\frac{d^2y}{dx^2} - \frac{dy}{dx} = 0$ is given by

(a) $y = ax + b$

(b) $y = ax$

(c) $y = ae^x + be^x$

*(d) $y = ae^{x-a}$

9 (*Physics*)

An ideal heat engine works between temperature 400° K and 300° K, its efficiency is

(a) 3/4

*(b) (4–3)/4

(c) 4/(3+4)

(d) 3/(3+4)

10. (*Statistics*)

The mean of binominal variation is 5 The variance can be

(a) 42

*(b) 3

(c) ∞

(d) –5

11. (*Geography*)

The Southern part of Burma is most prosperous because

(a) it has vast deposits of mineral resources

*(b) it is the deltaic part of most of the rivers of Burma

(c) it has excellent forest resources

(d) most of the oil resources are found in this part of the country

12. (*Indian History*)

Which of the following is NOT true of Brahmanism ?

(a) Brahmanism always claimed a very large following even in the heyday of Buddhism

(b) Brahmanism was a highly formalised and pretentious religion

*(c) With the rise of Brahmanism, the Vedic sacrificial fire was relegated to the background

(d) Sacraments were prescribed to mark the various stages in the growth of an individual

13 (*Philosophy*)

Identify the atheistic group of philosophical systems in the following

(a) Buddhism, Nyāya Cārvāka, Mimamsa

(b) Nyāya Vaisesika Jainism and Buddhism Cārvāka

(c) Advaita, Vedanta, Sāmkhya, Cārvāka Yoga

*(d) Buddhism, Samkhya, Mimāmsa, Cārvāka

14. (*Political Science*)

Functional representation means

*(a) election of representatives of the legislature on the basis of vocation

(b) pleading the cause of a group or a professional association

(c) election of representatives in vocational organization

(d) indirect representation through Trade Unions

15 (*Psychology*)

Obtaining a goal leads to

(a) increase in the need related to the goal

(b) reduction of the drive state

(c) instrumental learning

(d) discrimination learning

16 (*Sociology*)

Panchayati Raj institutions in India have brought about one of the following :—

*(a) formal representation of women and weaker section in village government

(b) Untouchability has decreased

(c) land-ownership has spread to deprived castes

(d) education has spread to the masses

NOTE —Candidate should note that the above sample (questions) have been given merely to serve as examples and are not necessarily in keeping with the syllabous for this examination.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD, AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1984.